वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2016–2017

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank

विश्वास के साथ अग्रसर
Moving Ahead with Confidence

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार
RAJBHASHA KIRTI PURASKAR

14 सितंबर 2016 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति **श्री प्रणब मुखर्जी** के करकमलों से लगातार दूसरी बार **राजभाषा कीर्ति पुरस्कार** (प्रथम पुरस्कार) प्राप्त करते हुए **प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरुण श्रीवास्तव**

Sri. Arun Shrivastava, MD & CEO, receiving **Rajbhasha Kirti Puraskar** [1st Prize] from the Hon'ble President of India, **Sri. Pranab Mukherjee** on **14th September 2016,** for the second time consecutively.

हमारे संस्थापक
Our Founders

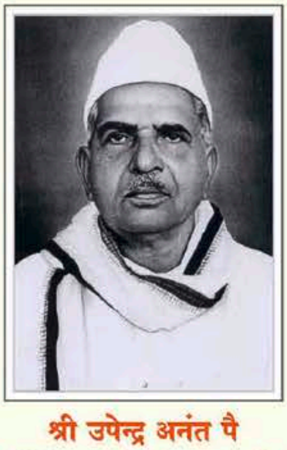

श्री उपेन्द्र अनंत पै
Sri Upendra Ananth Pai

डॉ. टी.एम.ए. पै
Dr. T.M.A. Pai

श्री वी.एस. कुडवा
Sri V.S. Kudva

सिंडिकेटबैंक का इतिहास
SyndicateBank History

सिंडिकेटबैंक की स्थापना भगवान श्री कृष्ण की निवास भूमि, तटीय कर्नाटक के उडुपि में मात्र 8000/– रुपए की पूंजी से तीन दूरदर्शियों – श्री उपेन्द्र अनंत पै, व्यवसायी, श्री वामन कुड्वा, इंजीनियर और डॉ टी.एम.ए.पै, डॉक्टर द्वारा 1925 में की गयी थी। इन तीनों में सामाजिक कल्याण के प्रति अडिग आस्था थी। इनका मुख्य उद्देश्य समाज से छोटी बचतों का संग्रह करके उन स्थानीय बुनकरों को वित्तीय सहायता पहुंचाना था जो हथकरघा उद्योग में संकट के कारण संघर्ष का सामना कर रहे थे। बैंक, सन् 1928 में शुरु की गई पिग्मी जमा योजना के अधीन अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से जमाकर्ताओं के घर–घर पहुँच कर प्रतिदिन दो आने की मामूली रकम एकत्रित करता था। यह योजना आज बैंक की ब्रांड ईक्विटी बन गई है और बैंक इस योजना के अधीन प्रतिदिन ₹ 10 करोड़ की राशि संग्रह कर रहा है।

सिंडिकेटबैंक की प्रगति यात्रा, भारत में प्रगामी बैंकिंग के विभिन्न चरणों का पर्याय रहा है। अपने मार्गदर्शन की भूमिका तथा दूरदर्शी नीतियों के बलबूते 91 वर्षों की लम्बी अवधि के दौरान बैंक ने अपने लिए दो से तीन पीढ़ियों के ग्राहकों से युक्त सुदृढ़ ग्राहक आधार का निर्माण किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सुदृढ़ पकड़ और जमीनी हक़ीकत की व्यापक समझ होने के कारण बैंक के पास भारत के भविष्य की एक दूरदृष्टि है। बैंक अपनी विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विचारधाराओं का संरक्षण करते हुए तथा नई विचारधाराओं को अपनाते हुए बैंकिंग क्षेत्र में नवोन्मेषता लाने का प्रयास कर रहा है। बैंक और जनता दोनों के परस्पर अवलंबन द्वारा प्रगति प्राप्त करने के उसके तत्व–ज्ञान से बैंक को भारी लाभ हुआ है। बैंक द्वारा देश के विकास में उत्प्रेरक के रूप में कार्य किये जाने के साथ–साथ समावेशी विकास पर अनवरत ध्यान दिया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी, ज्ञान और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में 21वीं सदी की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए बैंक सुसंपन्न है। एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी योजना तैयार की गयी है और अपने कार्यकलापों के हर क्षेत्र में ग्राहक संतुष्टि पाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बैंक कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाया जा रहा है। बैंक ने समाज के विभिन्न वर्गों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर अपने उत्पादों एवं सेवाओं को उनके अनुकूल बनाया है। बैंक की सभी 3900 से भी अधिक शाखाएं सीबीएस प्लेटफ़ार्म के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। बैंक के 3900 से भी अधिक एटीएम देशभर में फैले हुए हैं।

SyndicateBank was established in 1925 in Udupi, the abode of Lord Krishna in coastal Karnataka with a capital of ₹8,000/- by three visionaries - Sri Upendra Ananth Pai, a businessman; Sri Vaman Kudva, an engineer and Dr. T.M.A. Pai, a physician - who shared a strong commitment to social welfare. Their objective was primarily to extend financial assistance to the local weavers who were crippled by a crisis in the handloom industry through mobilising small savings from the community. The Bank collected as low as 2 annas daily at the doorsteps of the depositors through its Agents under its Pigmy Deposit Scheme started in 1928. This scheme is the Bank's brand equity today and the Bank collects around ₹10 crore per day under the scheme.

The progress of SyndicateBank has been synonymous with the phase of progressive banking in India. Spanning over 91 years of pioneering expertise, the Bank has created for itself a solid customer base comprising customers of two to three generations. Being firmly rooted in rural India and understanding the grassroot realities, the Bank's perception had a vision of future India. It has been propagating innovations in Banking and also has been receptive to new ideas, without however getting uprooted from its distinctive socio-economic and cultural ethos. Its philosophy of growth by mutual sustenance of both the Bank and the people has paid rich dividends. The Bank has been operating as a catalyst of development and consistently focusing on inclusive growth across the country.

The Bank is well-equipped to meet the challenges of the 21st century in the areas of Information Technology, knowledge and competition. A comprehensive IT plan is being put in place and the skills and knowledge of the Bank's personnel are being upgraded through a variety of training programmes to promote customer delight in every sphere of its activity. The Bank has customised its products and services keeping in view the requirements of different strata of society. All the 3900 plus branches of the bank are under Core Banking Solution (CBS) platform. The Bank has more than 3900 ATMs across the country.

मणिपाल में प्रधान कार्यालय

Head Office building at Manipal

निदेशक मंडल
Board of Directors

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

श्री रवि शंकर पाण्डेय
कार्यपालक निदेशक
Sri Ravi Shanker Pandey
Executive Director

श्री अरुण श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ.
Sri Arun Shrivastava
Managing Director & C.E.O.

श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव
कार्यपालक निदेशक
Sri CH S S Mallikarjuna Rao
Executive Director

श्री रा ना दुबे
निदेशक
Sri R N Dubey
Director

श्री रुद्र नारायण कर
निदेशक
Sri Rudra Narayan Kar
Director

श्री जयंत गोखले
निदेशक
Sri Jayant Gokhale
Director

सुश्री वंदना कुमारी जेना
निदेशक
Ms Vandana Kumari Jena
Director

श्री जी रमेश
निदेशक
Sri G Ramesh
Director

श्री कमल किशोर सिंघल
निदेशक
Sri Kamal Kishore Singhal
Director

श्री सुनील वशिष्ठ
निदेशक
Sri Sunil Vashisht
Director

महाप्रबंधक
General Managers

श्री अतुल कुमार
Sri Atul Kumar

श्री टी रवींद्रनाथ
Sri T Ravindranath

श्री वी गणेशन
Sri V Ganesan

श्री उदय शंकर मजूमदार
Sri Uday Sankar Majumder

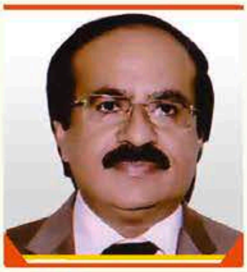

श्री मोहिंदर प्रताप नागपाल
Sri Mohinder Pratap Nagpal

श्री एच भास्कर
Sri H Bhaskar

श्री तिम्मप्पा रै के
Sri Thimmappa Rai K

श्री वी अशोकन
Sri V Asokan

श्री एम मोहन रेड्डी
Sri M Mohan Reddy

श्री विनायक एम भट
Sri Vinayak M Bhat

श्री के मंजुनाथ
Sri K Manjunath

श्री गोपीनाथ टी अय्यर
Sri Gopinath T Iyer

श्री एम प्रसाद
Sri M Prasad

श्री अशोक रेड्डी नूकला
Sri Ashok Reddy Nukala

श्री सुब्रमणि आर
Sri Subramani R

श्री के श्रीनिवास राव
Sri K Srinivasa Rao

महाप्रबंधक
General Managers

श्री सतीश कामत
Sri Sathish Kamath

श्री के जयकुमार
Sri K Jayakumar

श्री एस रवींद्रन
Sri S Ravindran

श्री सी बी एल नरसिंह राव
Sri C B L Narasimha Rao

श्री आर अशोकन
Sri R Ashokan

श्री जी सी माटोल्ली
Sri G C Matolli

श्री एस पी शर्मा
Sri S P Sharma

श्री जगन मोहन प्रह्लाद के
Sri Jagan Mohan Prahlad K

श्री मोहन राव जी
Sri Mohan Rao G

श्री ए स्टीवन वास
Sri A Steven Vas

श्री अजय कुमार शर्मा
Sri Ajai Kumar Sharma

मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

श्री सीएच प्रभाकर राव
Sri Ch. Prabhakara Rao

आंतरिक लोकपाल
Internal Ombudsman

श्री के राम मूर्ति
Sri K Rama Murthy

"मुद्रा एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना समीक्षा बैठक" के दौरान श्री वेंकय्या नायुडु, माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री का स्वागत करते हुए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरुण श्रीवास्तव । तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा भी उपस्थित हैं ।

Sri. Arun Shrivastava, MD & CEO welcoming Sri. Venkaiah Naidu, Hon'ble Union Minister for Urban Development during review meeting of MUDRA and other social security schemes, at Bengaluru. Sri. Jayant Sinha, then Hon'ble Minister of State for Finance is also seen.

मंगलूरु में 'डिजि धन मेला' के दौरान लाभार्थियों को चेक प्रदान करते हुए श्री रवि शंकर प्रसाद, माननीय केंद्रीय मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून एवं न्याय ।

Sri. Ravi Shankar Prasad, Hon'ble Union Minister for Electronics, IT, Law & Justice, handing over the cheque to one of the beneficiaries during the DIGI DHAN MELA at Mangaluru.

आंध्रप्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री, श्री एन चंद्रबाबु नायुडु से प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अरुण श्रीवास्तव की एक मुलाकात ।

Sri. Arun Shrivastava, MD & CEO, seen meeting Sri. N. Chandrababu Naidu, Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh.

कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर कर्मचारी सदस्यों को संबोधित करते हुए प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरुण श्रीवास्तव ।

Sri. Arun Shrivastava, MD & CEO addressing staff members during Independence Day celebration at Corporate Office, Bengaluru.

कार्यपालक निदेशक, श्री आर एस पांडेय ने कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु में 'हिंदी दिवस समारोह' का उद्घाटन किया।

Sri. R.S. Pandey, Executive Director inaugurated the 'Hindi Diwas Samaroh' at Corporate Office, Bengaluru.

2 अक्तूबर 2016 को आयोजित प्रथमा बैंक का 41वाँ संस्थापना दिवस समारोह।

Celebration of 41st Foundation Day of Prathama Bank on 2nd October, 2016.

बेंगलूरु में 91वें संस्थापना दिवस का दीप प्रज्ज्वलित करते हुए उद्घाटन।

Lighting of Lamp during inauguration of 91st Foundation Day celebrations in Bengaluru.

बेंगलूरु में संस्थापना दिवस समारोह के अवसर पर रिओ पैरालंपिक में पुरुषों के हाई जंप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता श्री मरियप्पन तंगवेलु को बैंक द्वारा सम्मानित किया गया।

Sri. Mariyappan Thangavelu, Gold Medalist in Rio Paralympics in the men's high jump category was honoured by the Bank during Foundation Day celebrations at Bengaluru.

मुंबई में आयोजित विश्लेषकों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरुण श्रीवास्तव।

Sri. Arun Shrivastava, MD & CEO addressing Analysts during Analysts' Meet at Mumbai.

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा एसएलबीसी, कर्नाटक के अध्यक्ष श्री अरुण श्रीवास्तव की उपस्थिति में कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव, श्री सुभाष चंद्र कुंतिया द्वारा जन जागरूकता अभियान की शुरुआत।

Public Awareness Campaign flagged off by Sri. Subhash Chandra Khuntia, Chief Secretary, Govt. of Karnataka in the presence of Sri. Arun Shrivastava, MD & CEO and Chairman of SLBC, Karnataka.

वित्तीय समावेशन के तहत उत्कृष्ट निष्पादन के लिए मुंबई में स्कोच अवार्ड प्राप्त करते हुए आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष श्री डी संपत कुमार चारी एवं उनकी टीम।

Sri. D. Sampath Kumar Chary, Chairman of Andhra Pragathi Grameena Bank (APGB) and his team receiving SKOCH award at Mumbai for best performance under Financial Inclusion.

कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु में गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर नए डिजिटल बैंकिंग उत्पादों की शुरुआत।

Launch of new digital banking products during Republic Day celebrations at Corporate Office, Bengaluru.

प्रोजेक्ट अनन्या के अंतर्गत बेंगलूरु शहर की 40 रूपांतरित शाखाओं एवं एमएसएमई ऋण केंद्र का उद्घाटन।

Inauguration of 40 transformed branches of Bengaluru City & opening of MSME Loan Centre under Project Ananya.

"अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस" के अवसर पर हमारे महिला कर्मचारियों के साथ "सिंडसहेली मोबाईल एप" के उद्घाटन में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरुण श्रीवास्तव एवं कार्यपालक निदेशक श्री आर एस पांडेय तथा श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव।

Sri. Arun Shrivastava, MD & CEO, Sri. R.S. Pandey, ED and Sri. CH. S.S. Mallikarjuna Rao, ED with women employees during the inauguration of SyndSaheli Mobile App on the occasion of International Women's Day.

भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ द्वारा प्रदत्त "उत्तरी क्षेत्र निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार" ग्रहण करते हुए कार्यपालक निदेशक, श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव।

Sri. CH. S.S. Mallikarjuna Rao, Executive Director receiving "Northern Region Export Excellence Award" conferred by Federation of India Export Organization.

विधान सौधा, बेंगलूरु में आयोजित राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति, कर्नाटक की बैठक।

State Level Bankers' Committee, Karnataka Meeting at Vidhana Soudha, Bengaluru.

मणिपाल में शेयरधारकों की 17वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरुण श्रीवास्तव।

Sri. Arun Shrivastava, MD & CEO addressing the 17th Annual General Meeting of the Shareholders at Manipal.

"मूल्य कथन" का अनावरण करते हुए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरुण श्रीवास्तव तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी, श्री सीएच प्रभाकर राव।

Sri. Arun Shrivastava, MD & CEO and Sri. Ch. Prabhakara Rao, Chief Vigilance Officer unveiling "Value Statement".

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान शपथ लेते हुए बैंक के निदेशक मंडल एवं कार्यपालक गण।

Board of Directors and Executives of the Bank taking pledge during Vigilance Awareness Week.

पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु हर शनिवार साइकिल से कार्यालय जाते हुए कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (केवीजीबी) के अध्यक्ष श्री एस रवींद्रन एवं कर्मचारी गण।

Sri. S. Ravindran, Chairman, Karnataka Vikas Grameena Bank (KVGB) and staff members are seen cycling to work every Saturday for creating awareness about environment protection.

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियाँ

Corporate Social Responsibility Activities

जनजाति बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु चेक प्रदान करते हुए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरुण श्रीवास्तव

Sri. Arun Shrivastava, MD & CEO handing over cheque towards fulfilling financial needs for education of tribal children

बच्चों की पढ़ाई के लिए स्माइल फाउंडेशन को वित्तीय सहायता

Financial assistance to Smile Foundation towards study expenses of children

स्वच्छ भारत अभियान के प्रति योगदान हेतु पिक-अप वैन का दान

Donation of pick-up van for contribution towards Swachh Bharat mission

स्कूली बच्चों के लाभ हेतु बैंक द्वारा स्कूल को कंप्यूटर सिस्टम प्रदान किए गए

The Bank has provided computer systems to school for the benefit of school children

बैंक द्वारा वित्तपोषित इकाइयाँ
Units Financed by Bank

एमसीबी शाखा (क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु II) द्वारा वित्त पोषित मेसर्स एंथम बायोसाइंस

M/s. Anthem Biosciences, financed by MCB Branch (Regional Office, Bengaluru II)

मल्लाडिहल्ली शाखा (क्षेत्रीय कार्यालय, शिवमोग्गा) द्वारा वित्त पोषित मेसर्स अमृत ऑर्गेनिक्स

M/s. Amruth Organics, financed by Malladihalli Branch (Regional Office, Shivamogga)

एमसीबी शाखा (क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलूरु) द्वारा वित्त पोषित मेसर्स विष्णुप्रिया काजू उद्योग

M/s. Vishnupriya Cashew Industries, financed by MCB Branch (Regional Office, Mangaluru)

झांसी शाखा (क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर) द्वारा वित्त पोषित आवासीय नगर परियोजना, मेसर्स सन्फ्रान अशोक सिटी

M/s. Sanfran Ashok City, residential town project financed by Jhansi Branch (Regional Office, Kanpur)

SyndicateBank सिंडिकेटबैंक

विषय सूची CONTENTS
वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2016 – 2017

	पृष्ठ Page
• प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वक्तव्य Managing Director & CEO's Statement	3
• निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	15
• कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट Report on Corporate Governance	84
• बासेल – III प्रकटीकरण – मार्च 2017 Basel III Disclosures – March 2017	156
• लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन Auditors' Report	181
• तुलन-पत्र Balance Sheet	184
• लाभ व हानि लेखा P & L Account	185
• लेखों की अनुसूचियाँ Schedules to Accounts	186
• महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ Significant Accounting Policies	192
• लेखा संबंधी टिप्पणियाँ Notes on Accounts	203
• नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	224
• समेकित तुलन-पत्र Consolidated Balance Sheet	226
• सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड SyndBank Services Limited	271
• ईसीएस संबंधी परिपत्र Circular regarding ECS	283
• ईसीएस अधिदेश फॉर्म ECS Mandate Form	285
• फॉर्म 2बी Form 2B	287
• कॉरपोरेट अभिशासन में हरित पहल: कागज़ रहित Green Initiative in Corporate Governance: Go Paperless	289
• पते में परिवर्तन का फॉर्म Change of Address Form	290
• अप्रदत्त लाभांश Unpaid Dividends	292

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री अरुण श्रीवास्तव, *प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी*	**Shri Arun Shrivastava,** *Managing Director and Chief Executive Officer*
श्री रवि शंकर पाण्डेय, *कार्यपालक निदेशक*	**Shri Ravi Shanker Pandey,** *Executive Director*
श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव, *कार्यपालक निदेशक*	**Shri CH S S Mallikarjuna Rao,** *Executive Director*
श्री रा ना दुबे, *निदेशक*	**Shri R N Dubey,** *Director*
श्री रुद्र नारायण कर, *निदेशक*	**Shri Rudra Narayan Kar,** *Director*
श्री जयंत पुरुषोत्तम गोखले, *निदेशक*	**Shri Jayant Purushottam Gokhale,** *Director*
सुश्री वंदना कुमारी जेना, *निदेशक*	**Ms. Vandana Kumari Jena,** *Director*
श्री जी रमेश, *निदेशक*	**Shri G Ramesh,** *Director*
श्री कमल किशोर सिंघल, *निदेशक*	**Shri Kamal Kishore Singhal,** *Director*
श्री सुनील वशिष्ठ, *निदेशक*	**Shri Sunil Vashisht,** *Director*

लेखापरीक्षक	**Auditors**
मेसर्स गणेशन एंड कंपनी	M/s Ganesan and Company
मेसर्स मणियन एंड राव	M/s Manian & Rao
मेसर्स पी जी भागवत	M/s P G Bhagwat
मेसर्स एस एन कपूर एंड एसोसियेट्स	M/s S N Kapur & Associates
मेसर्स अगस्ती एंड एसोसियेट्स	M/s Agasti & Associates

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट
मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा) लिमिटेड
यूनिट: सिंडिकेटबैंक
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी,
प्लॉट सं.31 से 32, गचीबौली
फिनांशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद – 500 032
दूरभाष: 040 67162222 या
040 67161516 (D)
फैक्स: 040 23001153
टॉल फ्री नं.: 1800-345-4001

Registrars & Share Transfer Agents
M/s Karvy Computershare (P) Ltd.
Unit: SyndicateBank
Karvy Selenium Tower B.,
Plot No. 31–32, Gachibowli
Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad 500 032
Phone No. 040 67162222 or
040 67161516 (D)
Fax No. 040 23001153
Toll Free No. 1800-345-4001

कंपनी सचिव
निवेशक संपर्क केंद्र
सिंडिकेट बैंक – कारपोरेट कार्यालय,
2 क्रास, गांधीनगर
बेंगलूरु – 560 009 (कर्नाटक)
दूरभाष: 080 - 22283030
फैक्स - 080 - 22283030
ई-मेल: inrc@syndicatebank.co.in (सामान्य)
निवेशक शिकायत:
syndinvest@syndicatebank.co.in

The Company Secretary
Investor Relations Centre
SyndicateBank - Corporate Office
2nd Cross, Gandhinagar
Bengaluru - 560 009 (Karnataka)
Tel 080 - 22283030
Fax - 080 - 22283030
E-mail: inrc@syndicatebank.co.in (General)
Investor Grievances:
syndinvest@syndicatebank.co.in

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारको,

आपके बैंक की 18 वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करने और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आपके बैंक के निष्पादन की मुख्य विशेषताएं प्रस्तुत करने में मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बेहतर निष्पादन हासिल करने में बैंक को सक्षम बनाने और लागत में कटौती, गैर-ब्याजी आय में वृद्धि, खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्रों के अंतर्गत अग्रिमों में वृद्धि, नई गिरावटों में कमी और अनर्जक आस्तियों की वसूली पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ₹359 करोड़ का निवल लाभ हासिल करने में आपके निरंतर समर्थन और निष्ठा के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपके बैंक की निष्पादन विशेषताएँ प्रस्तुत करने से पहले, मैं आपके समक्ष सामान्य मेक्रोइकॉनॉमिक और बैंकिंग परिवेश का लेखाजोखा रखना चाहता हूँ जिसके तहत आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में निष्पादन किया है।

व्यापक आर्थिक एवं बैंकिंग परिदृश्य

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, वैश्विक अर्थव्यवस्था मध्यम और असमान गति से बढ़ती रही, जिससे विरासत में मिली वैश्विक वित्तीय संकट, ब्रेक्सिट और कई नई चुनौतियों से होकर गुजरने को मजबूर होना पड़ा। आईएमएफ की विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक वृद्धि दर वर्ष 2016 में 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान रहा और निवेश, विनिर्माण एवं व्यापार में लंबे समय से प्रतीक्षित चक्रीय वापसी के कारण वर्ष 2017 में बढ़कर 3.5 प्रतिशत होने का अनुमान रहा।

तथापि, घरेलू क्षेत्र में भी औद्योगिक, व्यापार और कृषि क्षेत्र में दबावग्रस्त स्थिति के साथ परिचालन परिवेश चिंता का कारण बना रहा। नई परियोजनाओं को लागू करने में आई कमी और स्थगित परियोजनाओं को पूरा करने में धीमेपन के कारण निजी क्षेत्र के निवेश का माहौल कमजोर रहा है। देश, निरंतर सूखे की स्थिति का सामना करता रहा है।

MANAGING DIRECTOR & CEO'S STATEMENT

Dear Shareholders,

It gives me great pleasure in welcoming you all to the 18th Annual General Meeting of your bank and presenting the highlights of your Bank's performance for the year ended 31st March 2017. On this occasion, I would like to thank each one of you for your continued support and loyalty which enabled the bank to perform better & turnaround with the net profit of ₹359 crore during the FY 2016-17 by focusing on reduction in costs, increase in noninterest income, increase in advances under Retail, Agriculture and MSME segments, containing fresh slippages and recovery of nonperforming assets. Before I proceed to present the performance highlights of your bank, I would like to place before you the general macroeconomic & banking environment under which your bank has performed in FY 2016-17.

Macroeconomic and Banking Overview

During FY 2016-17, the global economy continued to grow at a moderate and uneven pace, constrained by both the legacies of global financial crisis, Brexit and a number of new challenges. According to IMF's World Economic Outlook report, global growth is expected at 3.1 percent in 2016 and projected to pick up 3.5 percent in 2017 due to long awaited cyclical recovery in investment, manufacturing and trade.

However, in the domestic front also, operating environment remained a cause for concern with the industrial, trade and agriculture sector reeling under pressure. Private investment climate continues to be weak with lower new projects being commissioned and slower completion of stalled projects. The country continued to reel under drought situation.

इसके बावजूद, अत्यधिक घरेलू खपत, बेहतर व्यापक आर्थिक सिद्धांतों और एक सुधारवादी सरकार जैसी अपनी आंतरिक शक्तियों के कारण भारत आज विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। 28 फरवरी 2017 को प्रकाशित सीएसओ डाटा के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही (क्यू 3) में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7 प्रतिशत हो गई जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 7.5 प्रतिशत थी।

चुनौतीपूर्ण परिचालन परिवेश के कारण, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भारतीय बैंकिंग उद्योग ने अपेक्षाकृत मंद ऋण वृद्धि, दबावग्रस्त आस्तियों में बढ़ोत्तरी, लाभप्रदता में कमी और बिगड़ती पूंजी व्यवस्था का सामना किया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियां वर्षानुवर्ष 11.76 प्रतिशत बढ़कर ₹1,08,051.52 बिलियन हो गई हैं जबकि ऋण वृद्धि केवल 5.08 प्रतिशत बढ़कर ₹ 78,818.87 बिलियन हो गई है।

दोस्तो, अपनी आय और लाभप्रदता स्तर, भुगतान और लघु वित्तीयन एवं सार्वभौमिक बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और बिगड़ती आस्ति गुणवत्ता से उभरी नई चुनौतियों, मूलभूत क्षेत्रों में दबाव के कारण बढ़ती एनएपीए तथा निवेश में गिरावट एवं घरेलू व वैश्विक अर्थव्यवस्था की मांग में कमी के कारण बैंकिंग क्षेत्र में दबावग्रस्त स्थिति बनी हुई है।

मुख्य रूप से लौह-इस्पात, बुनियादी संरचना, बिजली, खनन और वस्त्र उद्योगों द्वारा सामना की जानेवाली चुनौतियों के कारण बड़े उधारकर्ताओं की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई है। इसलिए, एनपीए हेतु उच्च प्रावधानीकरण के कारण बैंक के लाभ, आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तथापि, नियामक और सरकार द्वारा अपनाए जानेवाले कदमों तथा उपायों से बैंकिंग उद्योग एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है।

वर्ष 2016-17 के दौरान आपके बैंक का निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, अस्थिर परिचालन माहौल के बीच, देश की उभरती बैंकिंग व्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने के लिए बैंक की 3933 शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से आपके बैंक ने घरेलू व्यापार में आधारभूत सशक्तता और निरंतर संवृद्धि का प्रदर्शन किया है।

जमाराशियाँ

आपके बैंक की वैश्विक जमाराशियाँ, 31.03.2016 के ₹2,61,736 करोड़ की तुलना में 31.03.2017 को ₹2,60,561 करोड़ हो गई हैं। जबकि, आपके बैंक की घरेलू जमाराशियाँ 31.03.2016 के ₹2,35,162 करोड़ की तुलना में 31.03.2017 को ₹2,34,543 करोड़ हो गई हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, मीयादी एवं कासा जमाराशियाँ, क्रमशः ₹1,84,696 करोड़ और ₹75,865 करोड़ हो गई हैं। घरेलू कासा जमाराशियाँ, वर्ष 2015-16 में ₹67,925 करोड़ से 11.58 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2016-17

Despite this, India has emerged as the fastest growing economy among large economies of the world due to its intrinsic strengths such as strong domestic consumption, greater macroeconomic fundamentals and a reform oriented government. As per CSO data published on 28th February 2017, India's GDP growth rate for the third quarter (Q3) of FY 2016-17 grew at 7 percent as compared to 7.5 percent in the corresponding period of last year.

Due to challenging operating environment, the Indian banking industry faced relatively subdued credit growth, increasing stressed assets, lowering profitability and deteriorating capital positions during FY 2016-17. Deposits growth of Scheduled Commercial Banks increased by 11.76 percent y-o-y to ₹1,08,051.52 billion and credit growth also rose by only 5.08 percent to ₹78,818.87 billion during FY 2016-17.

Friends, the banking sector remains under pressure on its, income and profitability level, new challenges emerged from payment and small finance & universal banks, private sector banks and deteriorating asset quality, increasing NPA due to stress in core sectors and subdued investment and weak demand in domestic as well as global economy.

The challenges faced by the industries predominantly in iron & steel, infrastructure, power, mining and textiles led to deterioration in asset quality of the large borrowers. Therefore, it adversely affected the bank's profit, return on assets (RoA) and return on equity (RoE) due to higher provisioning for NPAs. However, the Banking industry is going through a turnaround period with steps and measures from the regulator and the government.

Your Bank's performance during 2016-17

During FY 2016-17, amidst the volatile operating environment, the performance of your Bank demonstrated the fundamental strength & consistent growth in domestic business through the network of 3933 Bank's branches to have competitive advantage in the evolving banking landscape of the country.

Deposits

The global deposits of your Bank were at ₹2,60,561 crore as on 31.03.2017 as against ₹2,61,736 crore as at 31.03.2016. Whereas, domestic deposits of your bank constitutes ₹2,34,543 crore as at 31.03.2017 in comparison with ₹2,35,162 crore during 31.03.2016. Term and CASA deposits constituted to ₹1,84,696 crore and ₹75,865 crore respectively during FY 2016-17. Domestic CASA deposits increased by 11.58 percent to ₹75,792 crore in FY 2016-17 from ₹67,925 crore in 2015-16. The share of domestic

में ₹75,792 करोड़ हो गई हैं। 31.03.2017 की स्थिति में, कुल घरेलू जमाराशियों में घरेलू कासा जमाराशियों की प्रतिशतता 32.32 थी।

अग्रिम

आपके बैंक के वैश्विक अग्रिम वित्त वर्ष 2015-16 के ₹2,06,449 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹2,07,065 करोड़ हो गए हैं। दूसरी ओर, बैंक के घरेलू अग्रिम वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹1,68,152 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹1,71,377 करोड़ हो गए हैं। दबावग्रस्त अवधि के दौरान बड़े कॉरपोरेट, एसएमई खंड और मूलभूत क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने में बैंक सतर्क रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में बैंक के खुदरा, कृषि और एमएसएमई ऋण संविभाग क्रमश: ₹27,664 करोड़, ₹31,878 करोड़ और ₹26,981 करोड़ पर थे।

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

समग्र ऋण वितरण में गति लाने में आपके बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का बड़ा योगदान होता है। आपके बैंक के कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम 31.03.2016 के ₹64,413 करोड़ से बढ़कर 31.03.2017 की स्थिति में ₹67,905 करोड़ तक पहुंच गए और एएनबीसी के अपेक्षित 40 प्रतिशत की तुलना में 40.04 प्रतिशत रहा। प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कुल कृषि ऋण में वर्ष 2016-17 के दौरान ₹31,878 करोड़ की राशि के साथ कुल 9.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह ₹29,237 करोड़ था जो एएनबीसी द्वारा अपेक्षित 18 प्रतिशत की तुलना में 18.79 प्रतिशत रहा । वर्ष 2016-17 के दौरान एमएसएमई क्षेत्र को ऋण ₹26,981 करोड़ का था जबकि वर्ष 2015-16 के दौरान यह ₹27,677 करोड़ था। 31.03.2017 की स्थिति में कमजोर वर्ग के लिए ऋण 17.39 प्रतिशत बढ़कर ₹21,144 करोड़ (पिछले वर्ष ₹18,012 करोड़) हो गया जो एएनबीसी (अनिवार्य स्तर 10 प्रतिशत) का 12 प्रतिशत होता है। 31.03.2017 की स्थिति में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ऋण 3.98 प्रतिशत बढ़कर ₹10,611 करोड़ हो गया (पिछले वर्ष ₹10,205 करोड़) जो एएनबीसी (अनिवार्य स्तर 15 प्रतिशत) का 16 प्रतिशत रहा। दूसरी ओर खुदरा ऋण में 4.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2016 के ₹26,529 करोड़ से बढ़कर 31.03.2017 को ₹27,664 करोड़ हो गए हैं।

लाभप्रदता

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक की लाभप्रदता दो कारणों से दबाव में थी। पहला, आधार दर और एमसीएलआर की दर में कमी जिससे बैंक की ब्याज आय पर असर पड़ा। दूसरा, आरबीआई द्वारा अपनी आस्ति गुणवत्ता की समीक्षा के दौरान पहचाने गए खातों के संबंध में, एनपीए में हलचल के कारण किए गए अतिरिक्त प्रावधान। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹4,233 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3,251 करोड़) का परिचालन लाभ हासिल करते हुए 30.20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। बैंक की निवल ब्याज आय

CASA deposits to total domestic deposits was at 32.32 percent as at 31.03.2017.

Advances

The global advances of your Bank were at ₹2,07,065 crore as at FY 2016-17 as against ₹2,06,449 crore as at FY 2015-16. On the other hand, domestic advances of the Bank reported a level of ₹1,71,377 crore during FY 2016-17 as against ₹1,68,152 crore during FY 2015-16. Bank remained cautious in lending to large corporate, SME segment and core sectors during stressed period. Retail, Agriculture and MSME credit portfolio of the bank were at ₹27,664 crore, ₹31,878 crore and ₹26,981 crore respectively as at FY 2016-17.

Priority Sector Advances

The priority sector advances of your Bank contributes significantly to increase in overall loan disbursements. Total priority sector advances of your Bank reached to ₹67,905 crore as on 31.03.2017 from ₹64,413 crore as on 31.03.2016 and accounted for 40.04 percent of ANBC against the required level of 40 percent. Within priority sector, total agriculture credit reported a growth of 9.03 percent to ₹31,878 crore during 2016-17 as against ₹29,237 crore during the similar period of last year forming 18.79 percent of ANBC against the required level of 18 percent. Credit to MSME sector was at ₹26,981 crore during 2016-17 as against ₹27,677 crore during 2015-16. Credit to weaker section has moved by 17.39 percent to ₹21,144 crore as on 31.03.2017 (last year ₹18,012 crore) sharing 12 percent of ANBC (mandatory level 10 percent). Credit to minority communities increased by 3.98 percent to ₹10,611 crores as on 31.03.2017 (last year ₹10,205 crore) forming 16 percent of ANBC (mandatory level of 15 percent). On the other hand retail loans registered growth of 4.28 percent to ₹27,664 crore as on 31.03.2017 from ₹26,529 crore as on 31.03.2016.

Profitability

Profitability of the bank during the financial year 2016-17 was under pressure due to two reasons. Firstly, reduction in the base rate and MCLR rate which impacted the interest income of the Bank. Secondly, additional provision made due to movement in NPAs, in respect of accounts identified earlier by RBI during their Asset Quality Review. The Bank posted operating profit of ₹4,233 crore during FY 2016-17 (last year ₹3,251 crore) an increase of 30.20 percent. Net Interest Income (NII) of the bank also increased by 4.86 percent to ₹6,276 crore during the FY 2016-17(last year

(एनआईआई) भी 4.86 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ₹6,276 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5,985 करोड़) हो गई। 31 मार्च 2017 की स्थिति में बैंक का निवल लाभ ₹359 करोड़ हो गया जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹1643 करोड़ की निवल हानि हुई थी। इस प्रकार बैंक की लाभप्रदता में त्वरित बदलाव दर्ज किया गया। हालांकि वर्ष के दौरान बैंक का निवल लाभ तिमाही दर तिमाही निरंतर बढ़ता रहा। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुल राजस्व, 2.93 प्रतिशत बढ़कर ₹26,461 करोड़ (पिछले वर्ष ₹25,707 करोड़) हो गया। वर्ष के दौरान बैंक की ब्याज आय, आंशिक रूप से 0.84% तक गिरकर ₹23,004 करोड़ (पिछले वर्ष ₹23,198 करोड़) हो गई। बैंक की गैर-ब्याजी आय (अन्य आय), वित्तीय वर्ष 2015-16 के ₹2,509 करोड़ से 37.78 प्रतिशत बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹3,457 करोड़ हो गई। वर्ष 2016-17 में बैंक ने अपना एनआईएम 2.37 प्रतिशत की सुदृढ़ स्थिति पर बनाए रखा जो वर्ष 2015-16 में 2.28 प्रतिशत था। 3.44 बीपीएस के सुधार से कासा अनुपात 32.32 प्रतिशत हो जाने के कारण बैंक इस मार्जिन को बनाए रखने में सक्षम हुआ।

आस्ति गुणवत्ता

सकल एनपीए अनुपात, वित्तीय वर्ष 2015-16 के 6.70 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 8.50 प्रतिशत रहा। दूसरी ओर निवल एनपीए अनुपात, वित्तीय वर्ष 2015-16 के 4.48 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 5.21 प्रतिशत रहा। वर्ष 2016-17 के दौरान प्रावधान कवरेज अनुपात सुधरकर 56.37 प्रतिशत हो गया। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान एनपीए (घरेलू) में ₹2,709 करोड़ की कुल नकद वसूली की है (पिछले वर्ष ₹2,702 करोड़)।

अन्य प्रमुख वित्तीय अनुपात

बैंक का प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस), वित्तीय वर्ष 2015-16 के ऋणात्मक ₹24.82 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में बढ़कर ₹4.21 हो गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में आस्ति पर प्रतिलाभ (आरओए) बढ़कर 0.12 प्रतिशत हो गया (पिछले वर्ष -0.56 प्रतिशत)। मार्च 2017 की स्थिति में बासेल III के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.03 प्रतिशत के साथ निरंतर मजबूत स्थिति में रहा है (पिछले वर्ष 11.16%)।

लाभांश

पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बनाए रखने के लिए लाभ विनिवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आपके बैंक ने चालू वर्ष 2016-17 के लिए लाभांश घोषित नहीं करने का निर्णय लिया है।

शाखा विस्तार

169 नई शाखाएँ खोलने के बाद, 31.03.2017 की स्थिति में बैंक का शाखा विस्तार 3933 रहा, जिसमें बैंक रहित जिले में स्थापित 1268 शाखाएं और अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में स्थापित 982 शाखाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 56 नई अत्यंत लघु

₹5,985 crores). Net profit of the bank was ₹359 crore as at 31st March 2017 as against net loss of ₹1,643 crore in the corresponding period of last year, a quick turnaround made by the Bank. Although, Net profit of the bank increased continuously quarter by quarter during the year. The total revenue increased by 2.93 percent to ₹26,461 crore during FY 2016-17 (last year ₹25,707 crore). During the year, interest income of the bank marginally declined by 0.84 percent to ₹23,004 crore (last year ₹23,198 crore). The non interest income (Other Income) of bank raised by 37.78 percent to ₹3,457 crore in FY 2016-17 from ₹2,509 crore in FY 2015-16. The Bank continued to maintain a healthy NIM of 2.37 percent as at 2016-17 as against 2.28 percent as at 2015-16. The bank was able to maintain this margin because of 3.44 bps improvement in CASA ratio to 32.32 percent.

Asset Quality

The Gross NPA ratio was at 8.50 percent in FY 2016-17 as against 6.70 percent in FY 2015-16. The net NPA ratio was at 5.21 percent in FY 2016-17 as against 4.48 percent FY 2015-16. The provision coverage ratio improved to 56.37 percent during the year 2016-17. The bank has reported total cash recovery in NPAs (domestic) of ₹2,709 crore during FY 2016-17 (last year ₹2,702 crore).

Other key financial ratios

Bank's Earning Per Share (EPS) has improved to ₹4.21 in FY 2016-17 as against negative of ₹24.82 in FY 2015-16. Return on Asset (RoA) improved to 0.12 percent in FY 2016-17 (last year -0.56 percent). Capital Adequacy Ratio of the bank as per Basel III continues to be healthy at 12.03 percent as of March 2017 (last year 11.16%).

Dividend

Considering the need for ploughing back profits for augmenting capital adequacy ratio, your Bank has decided not to declare dividend for the current year 2016-17.

Branch Network

With the opening of 169 new branches, branch network of your Bank reached 3933 as on 31.03.2017 including of 1268 branches in under banked district and 982 branches in minority concentration districts. In addition, 56 new Ultra Small Branches (USBs) are opened in unbanked villages

शाखाएं (यूएसबी) उन बैंक रहित गांवों में खोली गईं जहाँ की आबादी 5000 से अधिक है। जिससे 31.03.2017 की स्थिति में बैंक की कुल यूएसबी की संख्या 979 तक पहुँच गई।

क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन

कारोबार में बढ़ोत्तरी एवं बेहतर निगरानी व नियंत्रण के मद्देनज़र बैंक ने वर्ष 2016-17 के दौरान मौजूदा आगरा, लखनऊ और वाराणसी क्षेत्रों में स्थित कुछ शाखाओं को लेते हुए ***''कानपुर''*** में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है।

नए उत्पादों का विकास

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने ग्राहकों को लाभ पहुँचाने के लिए कई नए उत्पादों की शुरुआत की है। देयता क्षेत्र में सिंड पीडीएस (पीडीएस ग्राहक/वितरकों के दैनन्दिन कारोबारी लेनदेन संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक चालू खाता) एवं सिंड प्रवासी पूंज-एन आर ई ग्राहकों के लिए एक बचत खाता उत्पाद है और आस्ति क्षेत्र में गैर-कृषि संबंधी उद्देश्यों के लिए ईएमआई सुविधा युक्त सिंड स्वर्णा तथा विदेशों में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिंड विद्या-विदेश है।

नई पहल

आपके बैंक ने कासा जमा राशि, खुदरा एवं कृषि, एमएसएमई ऋण, वैकल्पिक वितरण चैनल एवं डिजिटल बैंकिंग, ग्राहक सेवा और अन्य आय में सुधार लाने के लिए कई नई कारोबारी पहल शुरू की है। अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने की कार्यनीतियाँ लगातार अपनाने के साथ-साथ आपका बैंक भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है। इनमें से कुछ निम्नवत हैं:

- कासा वृद्धि में सुधार लाने हेतु चालू/ बचत खातों को जुटाने के लिए बैंक ने कासा अभियान चलाया।
- कोर मीयादी जमाएँ एकत्रित करने के लिए बैंक ने आरडी प्लस अभियान का संचालन किया है।
- खुदरा क्षेत्र के अंतर्गत ऋण बढ़ाने हेतु, बैंक ने खुदरा ऋणों को जुटाने के लिए 'सिंड कार्निवल अभियान' और उच्च मूल्य के आवास ऋणों को जुटाने तथा नामी बिल्डरों के साथ जोड़ने के लिए 'होम लोन स्टार अभियान' का आयोजन किया।
- बैंक ने आवास ऋण प्रस्तावों को जुटाने के लिए आवास ऋण सलाहकारों (एचएलसी) को सूचीबद्ध करने की योजना शुरू की है।
- शिक्षा ऋण हेतु विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करने वाले मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल 'विद्यालक्ष्मी पोर्टल' के साथ भी बैंक जुड़ गया है।
- एमएसएमई ऋण को बढ़ाने के उद्देश्य से उधारकर्ताओं को वाणिज्यिक परिवहन/यात्री वाहनों/वाणिज्यिक वाहनों को खरीदने हेतु ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक ने प्रतिष्ठित वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनियों के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं ।

with population of more than 5000 during FY 2016-17 leading to total 979 USBs as on 31.03.2017.

Re-organization of Regions

With the aim of increase in business and better monitoring and control Bank has opened 1 new Regional Office at ***"Kanpur"*** by carving out branches from existing Agra, Lucknow and Varanasi Regions during the year 2016-17.

New Product Development

During the year, Bank has come up with several new products for the benefit of its customers. On liability side, Synd PDS (a current account to meet the PDS customers/distributors day to day business transactions) and Synd Pravasi Poonj, an SB product for NRE customers. On asset side, are Synd Swarna for non agricultural purposes with EMI facility and Synd Vidya–Abroad to meet requirements of students who would like to pursue studies abroad.

New Initiatives

Your Bank embarked on several new business initiatives for improving CASA deposits, Retail & Agriculture, MSME credit, alternate delivery channels & digital banking, customer service and other income. Your Bank has been adequately equipped for meeting the future challenges and constantly pursuing strategies to be ahead in race of its rivals. Some of them are outlined below:

- In order to improve CASA growth, Bank conducted CASA campaign to mobilize high value current and savings accounts.
- To mobilize core term deposits, Bank conducted campaign for RD plus accounts.
- To increase credit under Retail sector, Bank has conducted SyndCarnival campaign for mobilizing retail loan and Home Loan Star Campaign for canvassing high value housing loans and bringing top builders to Bank's fold.
- Bank has introduced scheme for empanelment of Home Loan Counselors (HLC) for canvassing housing loans.
- The Bank also integrated with "Vidyalakshmi Portal", an initiative by the Ministry of Human Resources Development to facilitate students to apply for Education Loans online.
- In order to increase MSME credit, Bank has entered into memorandum of understanding (MOUs) with reputed commercial vehicle manufacturing companies to expand credit to borrowers for purchase of commercial transport/passenger vehicles/commercial vehicles.

- बैंक ने किसानों को ऋण सुविधाएँ प्रदान करने के लिए संपार्श्विक प्रबंधन एजेंसियों, गन्ने की फैक्ट्रियों, फार्म मशीनरी कंपनियों और तंबाकू बोर्डों के साथ गठजोड़ किया है।
- कृषक समूहों के लाभार्थ कृषि के अंतर्गत पॉली हाउस, पुष्पकृषि, दुग्ध विकास आदि के लिए बैंक ने झंझटरहित सावधि ऋण योजनाएँ शुरू की हैं । 01.02.2017 से 18.03.2017 तक देशभर में सावधि कृषि ऋण उधार प्रदान करने के लिए विशेष अभियान का आयोजन किया गया तथा इसके दौरान ₹1,492 करोड़ की उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई है।
- 'किसान विकास पत्र' संबंधी आवेदनों को स्वीकार करने के लिए सरकारी कारोबार मॉड्यूल (जीबीएम) में बैंक ने केवीपी मॉड्यूल तैयार किया। दि. 01.06.2016 को 70 नामित शाखाओं में इसकी शुरुआत की गई है ।
- बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग में एक नया यूएसएसडी आधारित आईएमपीएस एप्लिकेशन उपलब्ध कराया है। हमारा बैंक, देश का पहला बैंक है जो आधार संख्या का प्रयोग करते हुए यूएसएसडी आधारित आईएमपीएस सुविधा प्रदान करता है ।
- सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक, जिसने एनपीसीआई के साथ सीपीपीएस डाटा साझा करके सीटीएस के लिए सीपीपीएस (केन्द्रीकृत सकारात्मक भुगतान प्रणाली) को कार्यान्वित किया है।
- खातों को एनपीए की श्रेणी में जाने से रोकने और उन पर निगरानी रखने में शाखाओं की सहायता के लिए बैंक ने 'एनपीए ट्रैकर' नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है।
- ऋण खातों की संपार्श्विक आईडी को प्रतिभूति विवरणों से जोड़कर ऋण खातों से संबंधित प्रतिभूतियों पर नजर रखने के लिए बैंक ने 'जियो टैगिंग' नामक पोर्टल भी विकसित किया है।
- वर्चुअल जिओ फेन्स का निर्माण करने और एसएमएस के जरिए चोरी संबंधी चेतावनी प्रदान करने के लिए बैंक ने एक इलेक्ट्रॉनिक 'एटीएम फेन्स' विकसित किया है। बैंक ने, ग्राहक हित के मद्देनज़र बेसिक मोबाईल/ स्मार्ट फोन से डायल *99# सिंड यूपीआई, कार्ड से कार्ड अंतरण सुविधा जैसी नवोन्मेषी भुगतान सुविधाओं को भी विकसित किया है।
- ग्राहकों को उनके स्मार्टफोन पर खाते के विवरण प्राप्त करने के लिए बैंक ने सिंड ई-पासबुक नामक साधन विकसित किया है। यह एक हरित पहल है और यह बैंक का एक लोकप्रिय उत्पाद है जिसके अंतर्गत दि. 31.03.2017 की स्थिति में कुल 4.65 लाख ग्राहकों ने इस सुविधा के लिए पंजीकृत किया है।
- बैंक ने, अपने ग्राहकों के लिए ई-लाउंज सुविधा उपलब्ध कराई है। 40 चयनित स्थानों पर ग्राहकों को कुल तीन प्रकार की कियोस्क (पासबुक प्रिंटिंग, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा और चेक जमा सुविधा) सेवाएँ प्रदान की गई हैं जो चौबीसों घंटे (24*7) उपलब्ध होती हैं। दिनांक 31.03 .2017 की स्थिति में कुल 30 सिंड ई-लाउंज कार्यरत हैं।

- Bank has entered into tie up arrangements with collateral management agencies, sugarcane factories, farm machinery companies and tobacco boards for extending credit facilities to farmers.
- Bank has introduced hassle free term loan schemes under agriculture for Poly house, Floriculture, Dairy Development, etc. for benefit of farming communities. Special campaign for term loan Agriculture lending was conducted throughout the country during 01.02.2017 to 18.03.2017 and achieved commendable progress of ₹1,492 crore during the campaign.
- Bank has procured KVP module in Government Business Module (GBM) to accept requests for Kisan Vikas Patra. It has made live on 01.06.2016 in 70 designated branches.
- Bank has provided an application USSD based IMPS in Mobile Banking. The first Bank which provides USSD based IMPS facility using Aadhaar Number.
- The first public sector Bank which has implemented CPPS (Centralized Positive Payment System) for CTS, by sharing CPPS data with NPCI.
- Bank has developed a mobile app, "NPA Tracker" to assist the Bank branches to keep track of and to prevent slippages of accounts to NPA category.
- Bank has also developed "Geo tagging" to keep track of the securities pertaining to loan accounts by linking the details of the securities to the collateral IDs of the loan accounts.
- Bank has developed an Electronic "ATM Fence" to create a virtual Geo Fence and alerts attempts on burglary through SMS etc. Bank has also developed innovative payment service through Basic Mobile/Smart Phone dialing *99#, Synd UPI, Card to Card transfer facility for benefit of the customers.
- Bank has developed Synd e-Passbook solution to get account details and statements on Smartphone. It's a green initiative and one of the popular products of the Bank and as on 31.03.2017, 4.65 lakhs users have registered for the application.
- Bank has provided e-Lounge facility to the customer. Three types of Customer Kiosks are provided (Passbook Printing, Internet Banking facility and Cheque Deposit facility) in 40 identified locations to enable the customers to have access on 24 X 7 basis. 30 synd e-Lounges are functional as on 31.03.2017.

❖ ग्राहक-हित के मद्देनज़र, बैंक ने अपनी वेबसाइट तथा माईक्रो एटीएम के जरिए आधार संख्या या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य केवाईसी दस्तावेजों जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आदि की सहायता से ऑनलाईन खाता खोलने की सुविधा प्रदान की है।

❖ बैंक ने नकदी रहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निर्माण करने के लिए आंध्र प्रदेश में आधारसक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (एईपीडीएस) को क्रियान्वित किया है। जिसके तहत राशन कार्डधारक राशन की दुकानों में मासिक राशन लेने के लिए आधार आधारित नकदी रहित लेनदेन कर सकते हैं। बैंक ने इस प्रक्रिया में आंध्र प्रदेश के कुल 11,009 फेयर प्राइस दुकानों का सफल नियोजन किया है। आंध्र प्रदेश के हमारे 5 अग्रणी जिलों में यह परियोजना क्रियान्वित की गई है। हरियाणा राज्य के अंबाला जिले में प्रायोगिक तौर पर हमारे बैंक द्वारा नकदी रहित एईपीडीएस परियोजना का भी क्रियान्वयन किया गया है।

❖ अपने ग्राहकों को नकदी रहित खरीदी की सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक ने आधार कार्ड आधारित मर्चेन्ट भुगतान एप्लिकेशन (एमएपी) को क्रियान्वित किया है।

❖ अपनी महिला ग्राहकों तथा स्टाफ-सदस्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बैंक ने 'सिंड सहेली' नामक मोबाइल एप्लिकेशन की शुरुआत की है।

अनन्या परियोजना

बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने हेतु बैंक ने ''अनन्या परियोजना'' नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। समूचे बैंक में सुधार एवं आधुनिकीकरण के साथ ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की सेवाएँ प्रदान कराने वाला यह एक प्रमुख कार्यक्रम है। 'अनन्या' परियोजना का उद्देश्य चार प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास, डिजिटल बैंकिंग, बिक्री एवं सीआरएम तथा मानव संसाधन विकास में उत्कृष्टता प्राप्त करना है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान परियोजना संबंधी पहल की मुख्य विशेषताएं:

➢ बैंक ने 372 शाखाओं को अनन्या परियोजना के तहत परिवर्तित किया है।

➢ ग्राहकों को चौबीसों घंटे (24×7) सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एटीएम, नकद जमा मशीन और पीयूएम (पासबुक अद्यतन मशीन) जैसी स्वयं सेवा मशीनों को बढ़ावा देने के लिए अनन्या शाखाओं को डिजिजोन से लैस किया गया है।

➢ तत्काल खाता खोलने में शाखाओं को केंद्रीकृत सुविधा प्रदान करते हुए बैक ऑफिस परिचालनों को पूरा करने के लिए मणिपाल में डिजिटल सक्षम प्रसंस्करण केंद्र के रूप में राष्ट्रीय प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है।

➢ ग्राहकों को एसबी वेल्कम किट जारी करने के साथ तत्काल खाता खोलने की सुविधा 864 शाखाओं में प्रारंभ की गई है।

❖ Bank has provided Online Account Opening facility at the website and through Micro ATMs for the benefit of customer by providing Aadhaar number or other Govt. approved KYC documents like Voter ID, PAN card, and Driving License etc.

❖ Bank has implemented Aadhaar Enabled Public Distribution System (AePDS) in Andhra Pradesh to build a cashless Public Distribution System where the ration card holders can do Aadhaar based cashless transactions at Fair Price Shops to purchase monthly ration. Our bank has successfully on boarded 11,009 Fair Price Shop merchants in to this process in Andhra Pradesh. This project is implemented in our 5 lead districts of Andhra Pradesh. Pilot project of cashless AePDS is also implemented by our bank in Ambala district of Haryana state.

❖ Bank implemented Aadhar based Merchant Payment Application (MAP) to facilitate cashless purchases for customers.

❖ Bank Developed Synd Saheli a mobile app for women customers & staff on occasion of International Women's Day.

Project Ananya

Bank has embarked on a large scale transformation programme called "Project Ananya". The project is a flagship programme to provide customers with the "best in class" services while improving and modernizing the whole Bank. "Ananya" project is aimed to achieve excellence in four key Business areas – Business Process Re-engineering, Digital Banking, Sales & CRM and HR Development.

Highlights of the project initiatives during the FY 2016-17

➢ Bank has transformed 372 Branches under Project Ananya.

➢ DigiZones created in Ananya Branches to encourage uptake self service machines such as ATM, Cash Deposit Machines, and PUM (Passbook Update Machine) to provide 24X7 services to the customers.

➢ Opened National Processing Center at Manipal, a digitally enabled processing center to cater to the back office operations, centrally facilitating the Branches in instant account opening.

➢ Instant Account Opening facility is introduced in 864 Branches with issue of SB Welcome Kits to the customers.

- ➢ समयावधि को कम करने तथा बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए खुदरा ऋणों के प्रसंस्करण हेतु बेंगलूर व मंगलूर में ऋण प्रसंस्करण केंद्र खोले गए हैं।
- ➢ ग्राहकों के लिए सिंगल प्वाइंट हेल्प डेस्क के रूप में हैदराबाद और मोहाली में संपर्क केंद्र खोले गए हैं।
- ➢ कारोबार जुटाने के लिए सभी कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने हेतु ''सेल्स साथी'' नामक लीड मैनेजमेंट सेल्स ऐप की शुरुआत की गई है।
- ➢ इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन को स्वयं प्रयोक्ता सृजन, पिन को रीसेट करने/पिन को भूल जाने पर विकल्प, ग्रीन पिन, डेबिट कार्ड की सीमा आदि जैसे विकल्पों के साथ सुधारा गया है।

अनन्या परियोजना के तहत आगे बढ़ते हुए बैंक ने निम्नवत परिकल्पना की है:

- ➢ 31.03.2018 तक चरण II के तहत 428 शाखाओं में डिजीज़ोन सहित शाखा परिवर्तन करना।
- ➢ ग्राहक सेवा और समयावधि में सुधार (टीएटी) के लिए सभी महानगरों और टियर II श्रेणी के शहरों में खुदरा ऋण केन्द्रों और एमएसएमई ऋण केंद्रों की शुरुआत करना।
- ➢ सभी शाखाओं में तत्काल खाता की सुविधा प्रदान करना।

इस पहल का उद्देश्य लाभप्रदता बढ़ाने हेतु व्यापार और बिक्री में वृद्धि, मानव संसाधनों की क्षमता को उजागर करना और बैंक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं की कुल लेनदेन लागत को कम करना है।

गांवों का डिजिटलीकरण

सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, बैंक ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुरमु और कडप्पा जिलों के एक-एक गांव को शत-प्रतिशत डिजिटलीकृत गांव के रूप में घोषित किया है। इसके बाद सिद्दिपेट, मथुरा, दक्षिण कन्नड़, प्रकाशम, धारवाड़, नेल्लूर और बल्लारी जिले से एक-एक गांव तथा कर्नूल जिले के पांच गांवों को शत-प्रतिशत डिजिटलीकृत कर दिया गया है। बैंक ने एसएलबीसी के संयोजक के रूप में, कर्नाटक में राज्य सरकार के समन्वय में 4 डिजी-धन मेला और यूटीएलबीसी के संयोजक के रूप में लक्षद्वीप में एक डिजी-धन मेला का आयोजन किया है।

जोखिम प्रबंधन और पूंजी योजना

आपका बैंक, वैज्ञानिक निधि अंतरण मूल्य निर्धारण तंत्र (एफटीपी) के अलावा एकीकृत कोष प्रबंधन समाधान (आईटीएमएस) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समाधान (ओआरएमएस) के जरिए सॉफ्टवेयर आधारित बाजारी एवं परिचालनगत जोखिम की पहचान, मापन तथा इसे कम करने की प्रक्रिया में है।

- ➢ Opened loan processing centers at Bangalore and Mangalore for processing of retail loans with reduced Turn Around Time (TAT) and better customer service.
- ➢ Contact Centre at Hyderabad and Mohali are opened as a single point of help desk for the customers.
- ➢ "Sales Saathi" a Lead Management App is introduced to facilitate every Syndian to scout for the business.
- ➢ Internet Banking and Mobile Banking Apps improvised further with options like self user creation, Reset/Forgot PIN options, Green PIN, Debit Card limits etc.

Going forward under project Ananya, Bank envisages to

- ➢ To extend Branch Transformation to 428 Branches with DigiZones under Phase II by 31.03.2018.
- ➢ To Launch Retail loan Centers and MSME Loan centers across all Metros and Tier II cities to improve customer service and TAT.
- ➢ To extend Instant Account facility to all the Branches.

The said initiatives are aimed to increase the business and sales to enhance profitability, unfold the potential of the human resources and to reduce the overall transaction costs of various products & services offered by the Bank.

Digitalization of Villages

In line with fulfilling Government's Digital India programme, Bank has declared one village in Anantapuramu and Kadapa districts of Andhra Pradesh as 100 percent digitalized villages. Subsequently, one village each in Siddipet, Mathura, Dakshina Kannada, Prakasam, Dharawad, Nellore, Ballari districts and five villages in Kurnool district have been 100 percent digitalized. As SLBC convener, Bank organized 4 Digi-Dhan melas in coordination with state government in Karnataka and one mela in Lakshadweep by UTLBC.

Risk Management and Capital Planning

Your Bank is in the process of putting in place software based identification, measurement and mitigation of Market and Operation Risk by way of Integrated Treasury Management Solution (ITMS) and Operational Risk Management Solution (ORMS) apart from a scientific Funds Transfer Pricing Mechanism(FTP).

आपका बैंक, बेसल III मानदंडों के अनुसार पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के सभी उपायों को अपना रहा है और नियामक आवश्यकताओं से भी अधिक सीईटी 1, सीआरएआर और लीवरेज अनुपात को बनाए रखा है। अपने दैनंदिन बढ़ते कारोबार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक पूंजी बढ़ाने हेतु उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का भी उपयोग कर रहा है। वित्तीय वर्ष के दौरान आई चुनौतियों के मुकाबले, पूरे भारत स्थित शाखाओं के माध्यम से आपके बैंक की अर्जन शक्ति बढ़ रही है, जिसका लाभ आपका बैंक अपने ग्राहकों और हितधारकों के साथ मिलकर उठा रहा है। आपके बैंक को पूर्ण विश्वास है कि वह अपने ग्राहकों की ऋण विकास आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा ।

वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंक ने ₹2,706 करोड़ की कुल पूंजी निधि जुटाई है जिसमें भारत सरकार की शेयर पूंजी के माध्यम से ₹776 करोड़ की राशि शामिल है। बैंक ने अरक्षित पूर्ण-प्रदत्त गैर परिवर्तनीय बासल III अनुपूरक अतिरिक्त टियर I बांड के माध्यम से ₹1,930 करोड़ की निधि भी जुटाई है।

प्रशिक्षण और विकास

आपके बैंक ने कर्मचारियों की योग्यता को विकसित करने की प्रक्रिया को जारी रखा है। बड़ी संख्या में सेवानिवृत्ति और विकासशील कौशल को ध्यान में रखते हुए, आपके बैंक ने कौशल निर्माण के लिए अपने प्रशिक्षण में सुधार की प्रक्रिया शुरू की है जो अधिकारियों/कार्यपालकों को विभिन्न विशेषीकृत गतिविधियों को निखारने के साथ-साथ उन्हें शाखा/क्षेत्रीय प्रमुखों की भूमिका ग्रहण करने में कुशल बनाएगी। संवेदनशील क्षेत्रों और शाखाओं में कार्य करने वाले कार्यपालकों के लिए, बैंक ने विशेष कार्यकारी विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था की है जिसमें मुख्य रूप से व्यवहार कौशल शामिल है। कौशल अंतर को कम करने के लिए बैंक ने कोर क्रेडिट, एमएसएमई और प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, प्रशिक्षण प्रणाली ने 496 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें, 9,008 अधिकारियों तथा 5,742 कामगार कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, बेहतर नेतृत्व कौशल पर भारत में प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 1,305 अधिकारियों/कार्यपालकों को प्रतिनियुक्त किया गया। इसके अलावा, 5 कार्यपालकों/अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी प्रतिनियुक्त किया गया।

औद्योगिक संबंध

अनुकूल कार्य वातावरण के निर्माण हेतु आपका बैंक अपेक्षित कदम उठा रहा है ताकि यह सुश्चित किया जा सके कि उसकी मानव शक्ति सुसंपन्न एवं अभिप्रेरित है और बैंक के कारोबारी विकास में सक्रिय रूप से सहभागिता दे रही है। बैंक के औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण एवं संगतपूर्ण हैं जो कारोबार के सजग विकास के लिए आवश्यक है। यूनियन/संघ भी कॉरपोरेट लक्ष्यों के प्रति सजग और सक्रिय रहे हैं। महिला स्टाफ सदस्यों के योगदान

Your Bank is taking all measures to meet the capital requirement as per Basel III norms and maintaining key ratios CET1, CRAR and Leverage Ratio above the regulatory requirements. Bank is also using various options available to raise the capital to meet its day to day growing business needs. As against challenges faced during the financial year, the earning power of your Bank continued to be improving on strong pan India presence of branches which your bank enjoys with its customers and stakeholders. Your bank is confident that it would be able to meet credit growth requirements of its customers.

During the year 2016-17, Bank has raised total capital funds of ₹2,706 crore in which, Government of India has infused an amount of ₹776 crore through Equity Capital. The Bank has also raised an amount of ₹1,930 crore from unsecured perpetually fully paid-up non-convertible Basel III compliant additional Tier I bonds.

Training and Development

Your bank continued to invest in developing employee's competence. Considering the large scale retirements and developing skills, your Bank has undertaken process of revamping its training for skill building, which will groom the officers/executives in various specialized activities as well as motivate them to assume role of Branch/Regional Heads. For the identified executives handling sensitive regions and branches, Bank has arranged special executive development programmes, consisting of mainly on soft skills. To bridge the skill gap, Bank conducted special training programmes on core credit, MSME and priority sector lending.

During the year 2016-17, the training system has conducted 496 internal training programmes covering 9,008 officers and 5,742 workmen employees. In addition, 1,305 officers/executives were deputed to external training programmes conducted by training institutes of repute in India on finer leadership skills. Further 5 executives/officers were also deputed to overseas training programmes.

Industrial Relations

Your Bank has been taking measures towards conducive working atmosphere to ensure that its human power is well-equipped, motivated and actively participates in the growth of the business of the bank. Industrial Relations in the Bank has been cordial and harmonious facilitating all-round growth in the Business of the Bank. The Unions/ Associations have also been responsive and proactive to

को सम्मानित करने व प्रोत्साहन के लिए आपका बैंक महिला दिवस मनाता है।

सम्मान एवं पुरस्कार

वर्ष 2016-17 के दौरान आपके बैंक द्वारा प्राप्त किए गए विभिन्न पुरस्कारों एवं सम्मानों के ब्यौरे को आपसे साझा करते हुए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। वे निम्नवत हैं:

- **वर्ष 2015-16 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार:** 'ग' क्षेत्र स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा लगातार दूसरी बार प्रथम पुरस्कार।
- राजभाषा सेवा संस्थान और परिवर्तन जन कल्याण समिति, नई दिल्ली से **सर्वोत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन** और **सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन** (''जागृति'' गृह पत्रिका) और **सर्वश्रेष्ठ संदर्भ पुस्तक** (''आइए प्रांतीय भाषा में बात करें'') हेतु वर्ष 2015-16 के लिए प्रथम पुरस्कार ।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता में वर्ष 2015-16 के लिए बैंक की त्रैमासिक हिंदी पत्रिका **"जागृति" को तृतीय पुरस्कार** ।
- नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं (फरवरी 2015 से मार्च 2016 के दौरान) के वित्तपोषण हेतु संपार्श्व मुक्त किसान हितैषी पहल के लिए नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **प्रशस्ति प्रमाणपत्र**।
- **एफआईईओ निर्यात उत्कृष्टता:** उत्तरी क्षेत्र के शीर्ष वित्तीय संस्थाओं की निर्यात उत्कृष्टता हेतु, वर्ष 2014-15 के लिए भारतीय निर्यात संघ (एफआईईओ) द्वारा **'गोल्ड ट्राफी'** पुरस्कार ।
- डीजीएलएल (लाइट हाउस एंड लाइट शिप महानिदेशालय, भारत सरकार) को ऑनलाइन भुगतान सोल्यूशन के लिए **स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार जून 2016**
- एनपीए ट्रैकर, जिओ टैगिंग, लघु संस्थानों को ऑनलाईन फी कलेक्शन सुविधा प्रदान करने एवं भारत के शीर्ष 100 परियोजनाओं के लिए एटीएम फेन्स के विकास एवं क्रियान्वयन के लिए **स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिसंबर 2016**
- एनपीए ट्रैकर, जिओ टैगिंग, लघु संस्थानों को ऑनलाईन फी कलेक्शन सुविधा आदि एल्पिकेशनों के विकास एवं क्रियान्वयन हेतु **स्कॉच स्मार्ट टेक्नोलॉजी रजत पुरस्कार 2016**

the corporate goals. Your Bank celebrates Women's Day to recognize and appreciate the contribution of women staff members.

Recognition and Awards/Accolades

I am proud to share with you the details of various awards and accolades received by your Bank during the year 2016-17 which have been mentioned below:

- **Rajbhasha Kirti Puraskar for 2015-16** First Prize in the public sector bank category for its outstanding performance in official language implementation in 'C' region consecutively for second time by the Government of India.
- First Prize for **Best Official Language Implementation** and **Best Publication** ("Jagriti" house journal) & **Best Reference Book** (let us speak in Regional Langauage) awards for 2015-16 from Rajbhasha Seva Sansthan and Parivartan Jan Kalyan Samiti, New Delhi.
- Bank's quarterly Hindi magazine **"Jagriti" received third prize** in Hindi House Journal Competition for 2015-16 conducted by Reserve Bank of India.
- **Certificate of Commendation** from Ministry of New and Renewable Energy, Government of India for Collateral Free Farmers Friendly Initiatives for financing of Renewable Energy Projects (during Feb-2015 to Mar 2016).
- **FIEO Export Excellence -"Gold Trophy"** award for the export excellence of the top financial institution of Northern Region for the year 2014-15 by the Federation of India Export Organization (FIEO).
- **Skoch Order of Merit Award June 2016** for online payment solution to DGLL (Directorate General of Light Houses & Light Ships, GOI).
- **Skoch Order of Merit Award December 2016** for developing and implementing NPA Tracker, Geo Tagging, On line Fee Collection Facility to Small Institutions & ATM Fence for amongst top 100-projects in India.
- **Skoch Smart Technology Silver Award 2016** for developing and implementing NPA Tracker, Geo Tagging & Online Fee Collection Facility to Small Institutions applications.

❖ **एनपीसीआई – राष्ट्रीय भुगतान उत्कृष्टता पुरस्कार 2016:** विभिन्न एनपीसीआई उत्पादों के चयनित मापदंडों में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए।

❖ **सूर्य मित्र पुरस्कार:** सेलको फाउंडेशन द्वारा सोलर वित्तपोषण के अंतर्गत बैंक की पहल व प्रदर्शन के लिए।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

एक सच्चे कॉरपोरेट नागरिक के रूप में, समाज के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन तथा अंत्योदय की विभिन्न पहलुओं से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए बैंक अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत एम्बुलेंस का दान, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण, राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ), पैरालम्पिक स्पोर्ट्स अकादमी ऑफ इंडिया और शारीरिक असमर्थ युद्धवीर निधि के लिए अंशदान, छात्रों का अध्ययन व्यय, आधुनिक शैक्षिक उपकरणों की खरीदी, आदिवासी छात्रों का शिक्षण, वृद्धाश्रमों, अल्पसंख्यक छात्रवर्ग का शिक्षण, कम पूंजी युक्त विद्यालयों के छात्रों का शिक्षण, यूनिफॉर्म, पुस्तक, लेखन सामग्री आदि की खरीदी, दिव्यांग एवं नेत्रहीन व्यक्तियों तथा विभिन्न अस्पतालों में गरीब मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करना आदि बैंक के कुछ महत्वपूर्ण योगदान हैं।

प्रगति की ओर:

वित्तीय वर्ष 2017-18 में आगे बढ़ते हुए, मूलभूत संरचना पर संवर्धित व्यय, परियोजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन और सुधारों की निरंतरता आदि पर प्रेरणादायक विकास की उम्मीद की जा रही है जो ऋण की आवश्यकता को इंगित करता है। इस परिप्रेक्ष्य में, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए थीम के रूप में आपके बैंक ने **'लाभप्रदता वर्ष'** को अपनाया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान परिचालनगत दक्षता को बढ़ाने, एसएमए/एनपीए की वसूली, खुदरा, एमएसएमई एवं कृषि अग्रिमों में स्वस्थ विकास हासिल करने और गैर-ब्याजी/शुल्क आधारित आय को बढ़ाने के लिए बैंक ने कारोबार कार्यनीति तैयार की है।

बेहतर निगरानी और कारोबार विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने 20 क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन करने और भुवनेश्वर, चेन्नई, रायपुर, रांची, नोएडा, निजामाबाद, तिरुपति, सिलीगुड़ी और उदयपुर में 9 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की योजना बनाई है।

लागत को घटाने, दक्षता को बढ़ाने और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करते हुए व्यापार को जुटाने में आजकल तकनीकी नवोन्मेशन एवं पहल, अतुलनीय भूमिका निभाती हैं। अतः आपका बैंक, प्रमुख कारोबार क्षेत्रों के विकास में गति प्रदान करने हेतु अपेक्षित मजबूत नींव का निर्माण करने के लिए तकनीकी नवोन्मेषी पहल में निवेश जारी रखेगा ।

❖ **NPCI – National Payments Excellence Award 2016** in recognition of excellent performance in select parameters of various NPCI products.

❖ **Surya Mitra Award** for Bank's initiatives and performance under solar financing by SELCO foundation.

Corporate Social Responsibility (CSR)

As a sincere Corporate Citizen, the Bank has been fulfilling its social responsibilities by actively participating in activities aimed at socio-economic transformation of various facets of society and upliftment of the down trodden.

Some of the major contributions under Corporate Social Responsibility during the financial year 2016-17 are Donation of ambulance, construction of toilets under Swachh Bharat Abhiyan, contribution to National Sports Development Fund (NSDF), Paralympic Sports Academy of India and Disabled War Veterans. Financial assistance towards study expenses of children, providing Modern Educational Aids, education of tribal children, Senior Citizens' Home, supporting education of disadvantaged group of children, poor students studying in low income schools, providing uniforms, books, stationery items, etc., supporting physically challenged, blind and poor patients in various hospitals, etc.

Way forward

Moving forward in FY 2017-18 enhanced spending on infrastructure, speedy implementation of projects and continuation of reforms are expected to provide further impetus to growth, suggesting that there will be robust need for credit. In the above background, your Bank has adopted the theme for FY 2017-18 as **"Year of Profitability"**. The Bank adopted Business Strategy for FY 2017-18 to improve operational efficiency, recovery of SMAs/NPAs, to achieve healthy growth in retail, MSME & agricultural advances and increasing non interest/fee based income.

During FY 2017-18, Bank plans to reorganize 20 regional offices and open 9 new regional offices at Bhubaneswar, Chennai, Raipur, Ranchi, Noida, Nizamabad, Tirupati, Siliguri and Udaipur for better monitoring and business development.

Today, technological innovations and initiatives play a pre-dominant role in reducing costs, improving efficiency and canvassing business by providing excellent customer service. Therefore, your Bank will continue to invest in technological innovations and initiatives to build on a strong foundation in order to accelerate growth across key business verticals.

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके निरंतर समर्थन और संरक्षण के साथ वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आपका बैंक अवश्य नई उपलब्धियों को हासिल करेगा।

मैं अपने सभी शेयरधारकों को हमारी शक्ति तथा सामर्थ्य में अटूट विश्वास रखने के लिए; बोर्ड के सदस्यों, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के निरंतर समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए; ग्राहकों को उनके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए तथा अपने सभी सिंडियन्स को निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में उनके अथक प्रयासों एवं परिश्रम के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

अंत में, इस बैठक में भाग लेने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

(अरुण श्रीवास्तव)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : मणिपाल

दिनांक : 25.05.2017

With your continued support and patronage, I am confident that your Bank would reach greater heights during the FY 2017-18.

I thank all our shareholders for their continued faith in our strength and capabilities, Members of Board, Government of India and Reserve Bank of India for their valuable support and guidance, customers for their continued support and trust and our Syndians for their tireless efforts and hard work towards achieving our goals.

Finally, I thank one and all of you for attending this meeting.

With Best Wishes

Yours sincerely,

(Arun Shrivastava)

Managing Director & CEO

Place : Manipal

Date : 25.05.2017

निदेशकों की रिपोर्ट

31 मार्च 2017 की स्थिति में लेखापरीक्षित तुलन पत्र तथा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा विवरण सहित बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, निदेशक मंडल सहर्ष प्रस्तुत करता है।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

व्यापक आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक अर्थव्यवस्था

मंद वैश्विक व्यापार, निवेश में कमी तथा नीतियों में बढ़ती अनिश्चितता, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक अन्य कठिन वर्ष साबित हुआ। यद्यपि अंतिम आँकड़े प्रकाशित किया जाना शेष है, आईएमएफ की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट मूल्यांकन के अनुसार, वर्ष 2016 में वैश्विक वृद्धि 3.1 प्रतिशत अनुमानित है।

वर्ष 2016 में विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरो क्षेत्र एवं जापान में क्रमशः 1.6 प्रतिशत, 2.0 प्रतिशत, 1.7 प्रतिशत एवं 0.9 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्था (ईएमडीई) की अनुमानित वृद्धि वर्ष 2016 में 4.1 प्रतिशत है जो कॉमोडिटी निर्यात की बाधाओं में कमी और कॉमाडिटी आयात में निरंतर मजबूत घरेलू मांग को दर्शाता है। वर्ष 2016 में चीन की संवृद्धि 6.7 प्रतिशत आंकी गई है तथापि, कई ईएमडीई की मध्यावधि संभावनाओं पर कमजोर निवेश एवं उत्पादकता वृद्धि दर का असर पड़ रहा है।

तथापि, संरक्षणवादी नीतियों की ओर बढ़ती प्रवृत्ति विभिन्न ब्याज दर माध्यमों द्वारा संभावित अस्थिरता तथा बाजार मूल्य निर्धारण और वास्तविक गतिविधि के बीच संबंधों में दरार के कारण वैश्विक व्यापार में मंदी छाई रही।

व्यापार सेवाओं एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देते हुए नीतियों के पुनर्निर्माण, कमियों के समाधान और अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि संभावनाओं में सुधार तथा लचीलापन लाया जा सकता है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था के विरुद्ध घरेलू अर्थव्यवस्था, विश्व में तेजी से बढती हुई और उभरती बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदर्शित कर रही है। आईएमएफ की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार घरेलू अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2016 में 6.6 प्रतिशत और वर्ष 2017 में 7.2 प्रतिशत आंकी गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 8 फरवरी 2017 को घोषित अपनी पहली द्विमासिक वित्तीय नीति में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 6.9 प्रतिशत आंकी गई और वर्ष 2017-18 में इसमें तेजी से सुधार होकर 7.4 प्रतिशत होने का अनुमान है।

DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors have immense pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the Audited Balance Sheet as at 31st March 2017 and the Profit & Loss Account statement for the year ended 31st March 2017.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Macro Economic Scenario

Global economy

Stagnant global trade, subdued investment and heightened policy uncertainty marked another difficult year for the world economy. While the final figures are yet to be published, as per assessment of IMF's World Economic Outlook Report, global growth has been estimated at 3.1 percent in 2016.

Growth in Advanced economies is estimated at 1.6 percent in 2016. The growth in United States, United Kingdom, Euro Area and Japan is estimated at 1.6 percent, 2.0 percent, 1.7 percent and 0.9 percent in 2016 respectively. Growth in emerging market and developing economies (EMDEs) is estimated at 4.1 percent in 2016 reflecting receding obstacles to activity in commodity exports and continued solid domestic demand in commodity imports. Growth in China is estimated at 6.7 percent in 2016. Weak investment and productivity growth are, however, weighing on medium-term prospects across many EMDEs.

However, global trade remains subdued due to an increasing tendency towards protectionist policies, potential volatility from divergent interest rate paths and disconnects between market valuations and real activity hang over the outlook.

Rebuilding policy space, addressing vulnerabilities and enhancing international integration by promoting services trade and foreign direct investment would boost resilience and improve growth prospects of the world economy.

Domestic economy

Against the headwinds of global economy, the domestic economy is performing as one of the fastest growing and emerging market economies in the world. As per IMF's World Economic Outlook Report, the domestic economy growth has been estimated at 6.6 percent in 2016 and 7.2 percent in 2017.

The Reserve Bank of India (RBI) in its first bi-monthly monetary policy announced on 8th February 2017, has been projected country's GDP growth in the fiscal 2016-17 at 6.9 percent and expects to recover sharply at 7.4 percent in 2017-18.

देश की वृद्धि दर को मजबूत, सकल, मांग में मजबूती, कॉमोडिटी एवं तेल की कीमतों में गिरावट एवं कृषि उत्पादों में वृद्धि, ढांचागत सुधार, निर्यात बहाली और वैश्विक आर्थिक गतिविधि के कमजोर पड़ने की आड़ में एवं वास्तविक निर्यात वृद्धि की उच्च लोच से देश की वृद्धि दर को गति मिली है।

सीएसओ द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रवर्ती अनुमानों और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तिमाही अनुमानों (28 फरवरी 2017) के अनुसार, विमुद्रीकरण के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही (क्यू3) में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह नौ तिमाहियों में सबसे निचले स्तर पर था परंतु तीसरी तिमाही के दौरान उच्च मूल्य के करेंसी नोटों को वापस लेने के सरकार के फैसले के प्रभाव पर विचार करते हुए अनुमान से कहीं ज्यादा था। इसके अलावा, सीएसओ द्वारा देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2015-16 के 7.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान 7.1 प्रतिशत आंकी गई है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि दर, वर्ष 2016-17 के दौरान 5.0 प्रतिशत दर्ज की गई जबकि, पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 3.4 प्रतिशत थी। आईआईपी में 37.90 प्रतिशत की संयुक्त धारिता रखनेवाले 8 मूलभूत उद्योगों की संचयी वृद्धि दर, वर्ष 2015-16 के 4.0 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-मार्च 2016-17 के दौरान 4.5 प्रतिशत रही है। विनिर्माण क्षेत्र में पिछले वर्ष के 3.0 प्रतिशत के मुकाबले 4.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मुख्य रूप से पूंजीगत वस्तु उद्योग के मंद निष्पादन के कारण औद्योगिक क्षेत्र में मंद वृद्धि देखी गई है। सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का; व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संसूचना एवं विनिर्माण क्षेत्र में विस्तार का अनुमान है।

मुद्रास्फीति के अस्थिर एवं समयानुकूल रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) नियंत्रण में बनी रही। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति, मार्च 2017 में 5.70 प्रतिशत पर आकर रुकी जबकि, मार्च 2016 में यह -0.85 प्रतिशत दर्ज की गई थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (खुदरा मुद्रास्फीति), मार्च 2016 के 4.83 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2017 में गिरकर 3.81 प्रतिशत रहा।

31 मार्च 2017 की स्थिति में मुद्रा आपूर्ति, वर्षानुवर्ष 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराती हुई ₹1,28,390.8 बिलियन पर पहुंच गई जबकि, पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह ₹1,16,176.2 बिलियन थी।

बाह्य क्षेत्र वृद्धि

मुख्य रूप से वैश्विक व्यापार में मंदी, कॉमोडिटी मूल्यों में कमी और कमजोर वैश्विक मांग के कारण वर्ष 2016-17 के दौरान बाह्य क्षेत्र वृद्धि दर सामान्य रही। अप्रैल-मार्च 2016-17 के दौरान कुल संचयी निर्यात (उत्पाद व्यापार), 4.71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराते हुए यूएस डॉलर 2,74,645.10 मिलियन पर पहुंच गया, जबकि, पिछले वर्ष के इसी अवधि के दौरान यह यूएस डॉलर 2,62,290.11 मिलियन था। दूसरी तरफ, अप्रैल-मार्च 2016-17 के दौरान कुल संचयी आयात, 0.17 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए यूएस डॉलर 3,80,367.65 मिलियन पर पहुंच गया जबकि पिछले वर्ष की इसी

The country's growth momentum is accompanied by strong aggregate demand, low commodity and oil prices & solid agricultural output, structural reforms, export recovery and on the back of an up stick in global economic activity and high elasticity of real export growth.

As per the second advanced estimates of national income and quarterly estimates of Gross Domestic Product (GDP) released by CSO (February 28th 2017), country's Gross Domestic Product for the third quarter (Q3) of financial year 2016-17 grew at 7 percent after taking into consideration the impact of demonetization. It was the feeblest in over nine quarters but still stronger than expected considering the impact of government's decision to withdraw high-value currency notes during the third quarter. Further, the CSO expects the country's GDP growth during 2016-17 at 7.1 percent as compared to 7.9 percent in 2015-16.

Growth in Index of Industrial Production during 2016-17 recorded at 5.0 percent as against 3.4 percent of the corresponding period of last year. The cumulative growth of eight core industries having combined weight of 37.90 percent in IIP grew by 4.5 percent during Apr-Mar 2016-17, as compared to 4.0 percent in 2015-16. Manufacturing sector grew by 4.9 percent in comparison to 3.0 percent in the corresponding period of a year ago. The industrial sector experienced slow growth mainly due to lackluster performance of the capital goods industry. Service sector activities are expected to expand in trade, hotels, transport and communication services and construction sector.

Inflation is expected to be transitory and seasonal. Both Wholesale Price Index (WPI) and Consumer Price Index (CPI) remained under control throughout FY 2016-17. The WPI based inflation reached at 5.70 percent in March 2017 as compared to -0.85 percent recorded in March 2016. Consumer Price Index (Retail Inflation) dipped at 3.81 percent in March 2017 as compared to 4.83 percent in March 2016.

Money supply increased by 7.3 percent y-o-y to ₹1,28,390.8 billion as on March 31st 2017 as against ₹1,16,176.2 billion in the corresponding period of previous year.

External sector growth

External sector growth remained moderate during 2016-17 mainly on account of slowdown in global trade, decline in commodity prices and weak global demand. During Apr-Mar 2016-17 cumulative total exports (merchandise trade) increased by 4.71 percent to US$2,74,645.10 million from US$2,62,290.11 million during corresponding period of last year. On other hand, cumulative total imports during Apr-Mar 2016-17 valued at US$3,80,367.65 million, registered a negative growth of 0.17 percent in dollar terms in comparison with US$3,81,006.64 million during corresponding period of previous year. Country's

अवधि के दौरान यह यूएस डॉलर 3,81,006.64 मिलियन था। अप्रैल-मार्च 2016-17 के दौरान देश के समग्र विदेशी व्यापार में सुधार हुआ है और यूएस डॉलर 46,420.55 मिलियन आंका गया है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में यूएस डॉलर 54,287.53 मिलियन से 14.49 प्रतिशत कम था।

कुल विदेशी विनिमय आरक्षित निधि, मार्च 2016 के दौरान दर्ज यूएस डॉलर 3,59,760 मिलियन की तुलना में 2.83 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2017 को यूएस डॉलर 3,69,955 मिलियन पर पुहंच गई जबकि, विदेशी मुद्रा आस्तियाँ 31 मार्च 2017 को 3.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए यूएस डॉलर 3,46,319 मिलियन पर पहुंच गई है।

पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2017 के दौरान रुपये में यूएस डॉलर के मुकाबले 2.25 प्रतिशत, जीबीपी के मुकाबले 14.94 प्रतिशत, यूरो के मुकाबले 7.79 प्रतिशत और जापानी येन के मुकाबले 1.86 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई है।

बैंकिंग परिदृश्य

मार्च 2017 के दौरान भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियाँ, वर्षानुवर्ष 11.76 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराते हुए ₹1,08,051.52 बिलियन पर पहुंच गई जबकि, इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष यह वृद्धि 9.13 प्रतिशत (₹96681.85 बिलियन) थी। इसके विपरीत, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण, मार्च 2017 के दौरान 5.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹78818.87 बिलियन पर पहुंच गई जबकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान ये 10.26 प्रतिशत (₹75,004.97 बिलियन) दर्ज किए गए थे।

सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश, मार्च 2017 के दौरान वर्षानुवर्ष 17.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹30,436.59 बिलियन हो गए जबकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि केवल 1.80 प्रतिशत (₹25,826.33 बिलियन) दर्ज की गई थी।

सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को सफल बनाने के लिए, अपनी सेवाएँ ऑनलाइन एवं डिजीटल रूप में उपलब्ध कराने हेतु सभी बैंक प्रयासरत हैं तथा मार्च 2017 तक के लिए कारोबारी बट्टे दर में भी छूट दी गई है। नकदीरहित अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम बढ़ाते हुए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ मिलकर एकीकृत भुगतान व्यवस्था (यूपीआई) व यूएसएसडी की शुरुआत की है और भारत सरकार ने भीम एप्प की शुरुआत की है ताकि मोबाइल फोन के माध्यम से झंझटरहित एवं निर्बाध बैंकिंग सुनिश्चित किया जा सके। देश के नागरिकों एवं व्यापारियों के बीच डिजिटल लेनदेनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहनों की घोषणा भी की गई है।

बैंकिंग क्षेत्र में दबाव का लगातार बढ़ना जारी है जैसा कि बैंकिंग स्थिरता संकेतक (बीएसआई) दर्शाता है कि आस्ति गुणवत्ता में निरंतर गिरावट तथा लाभप्रदता व तरलता में कमी के कारण बैंकिंग क्षेत्र का जोखिम उच्च स्तर पर बना हुआ है। मुख्य रूप से लौह एवं इस्पात, बुनियादी संरचना, बिजली, खनन और वस्त्र उद्योगों द्वारा सामना की जानेवाली चुनौतियों से बड़े उधारकर्ताओं की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई है। अतः एनपीए के लिए उच्च प्रावधानीकरण से बैंक के लाभ, आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओई) और ईक्विटी पर प्रतिलाभ

overall foreign trade for Apr-Mar 2016-17 has improved and is estimated at US$46,420.55 million which was 14.49 percent lower than the level of US$54,287.53 million in corresponding period of previous year.

Total foreign exchange reserves recorded US$3,69,955 million as on March 31st 2017 which was inched by 2.83 percent as against US$3,59,760 million reported during March 2016. Whereas, foreign currency assets grew by 3.17 percent to US$ 3,46,319 million as on 31st March 2017.

The rupee appreciated by 2.25 percent against US Dollar, 14.94 percent against GBP, 7.79 percent against Euro and 1.86 percent against Japanese Yen during Mar 2017 over the previous year.

Banking Scenario

Indian Scheduled Commercial Bank's deposits increased by 11.76 percent y-o-y to ₹1,08,051.52 billion during March 2017 as against an increase of 9.13 percent (₹96681.85 billion) during the corresponding period of the previous year. On the contrary, Scheduled Commercial Bank's credit growth rose by 5.08 percent to ₹78,818.87 billion during March 2017 as compared to 10.26 percent (₹75,004.97 billion) recorded during the corresponding period of the previous year.

Scheduled Commercial Bank's investment in government and other approved securities increased by 17.85 percent y-o-y to ₹30,436.59 billion during the March 2017 as compared to a growth of 1.80 percent (₹25,826.33 billion) recorded during the corresponding period of a year ago.

Inline with the Government's digital India mission, all banks are endeavouring to make available their services online and digital, and also waived merchant discount rate up to March 2017. In a move to step closer towards becoming a cashless economy, NPCI with RBI launched the Unified Payment Interface (UPI) & USSD and Government of India launched BHIM app to ensure hassle free & seamless banking through mobile phones. Government also announced incentives to promote digital transactions among individuals and businessmen in the country.

The increasing stress in banking sector appeared to be continued as the Banking Stability Indicator (BSI) shows that the risks to the banking sector remained elevated due to continuous deterioration in asset quality, low profitability and liquidity. The challenges faced by the industries predominantly in iron & steel, infrastructure, power, mining and textiles led to deterioration in asset quality of the large borrowers. Therefore, it adversely affected the bank's profit, return on assets (RoA) and return on equity (RoE) due to higher provisioning for NPAs. However, the Banking industry

(आरओई) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तथापि, बैंकिंग उद्योग बदलाव की दौर से गुजर रहा है जिसमें नियामक एवं सरकार के कदम और उपाय शामिल हैं।

भविष्य दृष्टि व लक्ष्य तथा मूल्य कथन

बैंक ने भविष्य दृष्टि एवं लक्ष्य संबंधी अपना कथन तय किया है, जो न केवल दूरगामी लक्ष्य तय करने में मार्गदर्शक होगा बल्कि नया कारोबार प्राप्त करने, ग्राहक सेवा में सुधार लाने, भविष्य में बाजार की संभाव्यताओं की कल्पना करने उसके आकार का अंदाजा लगाने में भी मदद करता है। इसके साथ-साथ इन अवसरों को दूरगामी कारोबार लक्ष्य और लाभों के रूप में बदलने में भी सहूलियत प्रदान करता है।

हमारी भविष्यदृष्टि

"ग्राहक केन्द्रित, तकनीकी संचालित और कर्मचारी हितैषी बनकर हिताधिकारियों को महत्व देते हुए एक अग्रणी वित्त-सक्षम वैश्विक बैंक बनना"

हमारा लक्ष्य

- समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हुए बैंकिंग समाधान का एक अग्रणी सुविधादाता बनना।
- अपनी ग्राहक सेवा के लिए मशहूर एक अतिमान्य व दृश्यमान ब्रांड बनना।
- अतिसुविधाजनक कार्यस्थल का निर्माण जहाँ कर्मचारी गर्व एवं अभिप्रेरित महसूस करें।
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी सुविधाओं द्वारा सभी हिताधिकारियों के लिए सुखद माहौल तैयार करना।
- सशक्त वित्तीय एवं परिचालनगत निष्पादन।

हमारा मूल्य कथन

जहाँ भविष्य दृष्टि और लक्ष्य कथन बैंक के कारोबार और कारपोरेट अभिलाषा की बात करता है, वहीं मूल्य कथन वे घोषणाएँ हैं जो बताती हैं कि संगठन किस प्रकार अपने ग्राहकों और कर्मचारियों सहित हिताधिकारियों की कद्र करता है और तदनुसार उन्हें इसके मूल नैतिक मूल्यों के बारे में सूचित करती हैं और इसके कर्मचारियों को मूल्यों और आस्थाओं के बारे में याद दिलाती हैं। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने 'मूल्य कथन' को अपनाया है जो इस प्रकार है:

"नीतिपरक कारोबार अपनाने के लिए लेनदेन में पारदर्शिता द्वारा बेहतर कॉरपोरेट अभिशासन"

वर्ष 2016-17 के लिए कारपोरेट कार्यनीति

कारोबार स्तर, ग्राहक सेवा, अभिशासन एवं अनुपालन तथा महत्वपूर्ण मुद्दों में सुधार लाकर कारोबारी चुनौतियों को पूरा करते हुए भविष्य के लक्ष्य को पूरा करने एवं बदलते बाज़ार-परिवेश की स्पर्धाओं से निपटने के लिए बैंक ने विवेकपूर्ण ढंग से कारपोरेट कार्यनीति तैयार की है।

भावी संवृद्धि के लिए अवसरों की तलाश और वित्तीय वर्ष 2016-17 के कारोबारी लक्ष्यों को हासिल करने हेतु अपनाई जानेवाली कार्यनीतियों पर परिचर्चा के लिए बैंक द्वारा बेंगलूरु में 6 एवं 7 अप्रैल 2016 को कार्यनीति सम्मेलन का आयोजन किया गया।

is going through a turnaround period with steps and measures from the regulator and the government.

VISION & MISSION AND VALUE STATEMENTS

Bank has a Vision & Mission Statement which acts as a guiding force not only for pursuing long term corporate goals but also paving way to acquire new business, improving customer service, visualize and sizing future market potentials and converting these opportunities into a long term business goal and advantages.

Our Vision

"Be a leading financially strong universal bank, creating value for stakeholders through customer centric, technology driven and employee friendly approach".

Our Mission

- Be a leading provider of banking solutions providing range of financial services to all strata of society.
- Be a highly recognized and visible brand, known for its customer service.
- Be the most preferred place to work where employees feel proud and motivated.
- Have state of the art technology & infrastructure creating delight among all stakeholders.
- To deliver strong financial and operational performance.

Our Value Statement

While vision & mission statements deal with business & corporate aspirations of the Bank, value statements are declarations about how organization values our stakeholders including customers & employees and inform them about it's core ethical values and reminds its employees about the values and beliefs. Accordingly, Bank adopted "value statement" during the financial year 2016-17 which underlines as under.

"Good Corporate Governance through transparency in dealings in undertaking ethical business".

CORPORATE STRATEGY FOR 2016-17

In order to improve the business level, customer service, governance and compliance and address the key issues with an anticipation of meeting future goal and changing market conditions, Bank is prudently pursuing corporate strategies to be ahead in race of its rivals.

Bank conducted strategy meet on 6th & 7th April, 2016 at Bengaluru to discuss the strategies to be adopted for achieving the business goals of FY 2016-17 and identify and realize opportunities for future growth.

वर्ष 2016-17 के लिए कॉरपोरेट थीम

बैंक का कॉरपोरेट थीम *'एस्पायर'* है, जिसका विस्तार निम्नवत है:

गुणवत्तायुक्त कारोबार हासिल करना

धारणीय संवृद्धि

संपूर्ण निष्पादन

अभिशासन में सुधार

दबावग्रस्त आस्तियों को कम करना

उत्कृष्ट ग्राहक सेवा

अनुकूल गठजोड़ एवं संयुक्त उद्यम

बैंक ने, मेसर्स भारतीय जीवन बीमा निगम (जीवन बीमा उत्पादों को बेचने हेतु) मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (यूआईआईसी) (सामान्य बीमा उत्पादों के वितरण हेतु), 9 एएमसी (म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण हेतु), मेसर्स एसबीआई जीवन बीमा कंपनी (बचत खाता धारकों को जीवन बीमा रक्षा प्रदान करने हेतु) मेसर्स एचडीएफसी स्टैंडर्ड जीवन बीमा कं. लि. (आवास ऋण उधारकर्ताओं को मुफ्त जीवन बीमा रक्षा उपलब्ध कराने हेतु) तथा मेसर्स एसबीआई जीवन बीमा कंपनी. लि. (शिक्षा ऋण के उधारकर्ताओं को सामूहिक जीवन बीमा रक्षा उपलब्ध कराने हेतु) के साथ अनुकूल गठजोड़ तथा संयुक्त उद्यम जारी रखा है।

नई व्यवस्था

वर्ष 2016-17 के दौरान शुल्क आधारित आय और ऋण की बढ़ोत्तरी एवं सुरक्षित प्रवाह की सुविधा हेतु बैंक ने निम्नलिखित एजेंसियों के साथ नई व्यवस्थाओं (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

❖ **मेसर्स एचडीएफसी स्टैंडर्ड जीवन बीमा कं. लि.:** विशेष पैकेज के तहत आवास ऋण उधारकर्ताओं को मुफ्त जीवन बीमा रक्षा प्रदान करने हेतु 15.05.2016 से मेसर्स एचडीएफसी स्टैंडर्ड जीवन बीमा कं. लि. के साथ बैंक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।

❖ **संपार्श्विक प्रबंधन कंपनियों :** निगमों के स्वामित्व वाले या उनके द्वारा प्रबंधन किए जानेवाले वेयरहाउस एवं कोल्ड स्टोरेज में रखे गए कृषि उत्पादों के लिए जारी परक्राम्य वेयरहाउस रसीद की बदौलत किसानों एवं अन्य उधारकर्ताओं को प्रदान किए गए बंधक ऋणों हेतु मेसर्स नेशनल बल्क होल्डिंग कॉरपोरेशन (एनबीएचसी), मेसर्स स्टार्स एग्रीवेयर हाउसिंग एंड कालेटरल मेनेजमेंट सर्विसेस लि. (एसटीएआरएजीआरआई) एवं मेसर्स नेशनल कालेटरल मेनेजमेंट सर्विसेस लि. (एनसीएमएल), मेसर्स सीएनएक्स कॉरपोरेशन लि. के साथ बैंक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।

❖ **नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.(एनएसआईसी):** बैंक ने एमएसएमई आवेदनों के प्रायोजन हेतु एनएसआईसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे जिसे 10.06.2016 से 10.06.2019 तक तीन वर्षों के लिए नवीकृत किया गया है ।

❖ **मेसर्स बजाज ऑटो लि. :** कंपनी के ग्राहकों से ऋण आवेदनों के संग्रह हेतु पसंदीदा वित्तपोषक के रूप में कार्य करने हेतु 24.01.2017 से

CORPORATE THEME FOR 2016-17

The corporate theme of the Bank is ***"ASPIRE"*** which signifies as under:

Acquire Quality Business

Sustainable Growth

Perform 360 Degree

Improve Governance

Reduced Stressed Assets

Excellence in Customer Service

STRATEGIC ALLIANCES & JOINT VENTURES

Bank has been continuing strategic alliances & joint ventures with M/s LIC of India (for selling life insurance products), M/s United India Insurance Company (UIIC) (for distribution of General Insurance product), with 9 AMCs (for distribution of their Mutual Fund Products), M/s SBI Life Insurance Company (for providing life insurance cover to SB a/c holders), M/s HDFC Standard Life Insurance Co Ltd (for providing free Life Insurance cover to Housing Loan borrowers) and M/s SBI Life Insurance Co Ltd (for providing Group Life Insurance *cover to Education Loan Borrowers).*

New Arrangements

Bank has entered into new arrangements (MOU) with the following agencies to facilitate fee based income and enhanced & secured flow of credit during the year 2016-17.

❖ **M/s HDFC Standard Life Insurance Co Ltd:** Bank has entered into MOU with M/s HDFC Standard Life Insurance Co Ltd since 15.05.2016 for providing free life insurance cover to housing loan borrowers under special package.

❖ **Collateral Management Companies:** Bank has entered MOU with M/s National Bulk Handling Corporation (NBHC), M/s Star Agri-Warehousing and Collateral Management Services Ltd, (STARAGRI) & M/s National Collateral Management Services Ltd (NCML), M/s CNX Corporation Ltd for extending pledge loans to farmers and other borrowers against Negotiable Warehouse Receipt issued for agricultural produce stored in the warehouses and cold storages owned by corporations or managed by them.

❖ **National Small Industries Corporation Ltd (NSIC):** Bank had executed Memorandum of Understanding (MoU) with NSIC for sponsoring the MSME applications which was renewed for three years from 10.06.2016 to 10.06.2019.

❖ **M/s Bajaj Auto Ltd:** Bank has entered into pan India tie-up arrangement with M/s Bajaj Auto Ltd for financing three wheelers auto rickshaws for a period of 2 years

23.01.2019 तक दो वर्षों की अवधि के लिए तिपहिया ऑटोरिक्शा के लिए उनके वित्तपोषण हेतु बैंक ने मेसर्स बजाज ऑटो लि. के साथ अखिल भारतीय गठजोड़ व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं ।

❖ **मेसर्स आइसर पोलारिस प्रा. लि (ईपीपीएल) :** कंपनी के ग्राहकों से ऋण आवेदनों के संग्रह हेतु पसंदीदा वित्तपोषक के रूप में कार्य करने हेतु 31.01.2017 से 30.01.2019 तक दो वर्षों की अवधि के लिए मेसर्स आइसर पोलारिस प्रा.लि(ईपीपीएल) द्वारा निर्मित वाणिज्यिक वाहनों के विभिन्न मॉडलों के लिए उनके वित्तपोषण हेतु बैंक ने उनके साथ अखिल भारतीय गठजोड़ व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं ।

❖ **मेसर्स पियाजियो वेहिकल्स प्राइवेट लि.:** कंपनी के ग्राहकों से ऋण आवेदनों के संग्रह हेतु पसंदीदा वित्तपोषक के रूप में कार्य करने हेतु 05.12.2016 से 05.12.2018 तक दो वर्षों की अवधि के लिए तिपहिया ऑटोरिक्शा, तिपहिया एवं चार पहिया हल्के ट्रान्सपोर्ट वाहनों के लिए उनके वित्तपोषण हेतु बैंक ने मेसर्स पियाजियो वेहिकल्स प्राइवेट लि. के साथ अखिल भारतीय गठजोड़ व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं ।

❖ **मेसर्स साएरा इलेक्ट्रॉनिक ऑटो प्राइवेट लिमिटेड :** कंपनी के ग्राहकों से ऋण आवेदनों के संग्रह हेतु पसंदीदा वित्तपोषक के रूप में कार्य करने हेतु 06.12.2016 से 05.12.2018 तक दो वर्षों की अवधि के लिए ई-रिक्शा के लिए उनके वित्तपोषण हेतु बैंक ने मेसर्स साएरा इलेक्ट्रॉनिक ऑटो प्राइवेट लि. के साथ गठजोड़ व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई गठजोड़ व्यवस्थाएँ

वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने कारोबार के विकास के लिए निम्नलिखित एजेन्सियों के साथ विभिन्न कार्यनीतिक गठबंधन भी किए हैं।

❖ **सूक्ष्म वित्तीयन संस्थाओं** जैसे श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना, धर्मस्थल (एसकेडीआरडीपी) और इनिशियेटिव फॉर डेवलपमेंट फाउंडेशन (आईडीएफ) तुमकूर, के साथ गठजोड व्यवस्था की गई है, जहाँ बैंक एसकेडीआरडीपी और (आईडीएफ) द्वारा समर्थित एसएचजी को ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है ।

❖ **तंबाकू बोर्ड :** आंध्र प्रदेश में कृषि उत्पाद एवं तंबाकू खलिहानों के निर्माण, दोनों के लिए, तंबाकू कृषकों को वित्त सुविधा मुहैया कराने हेतु तंबाकू बोर्ड, गुंटूर के साथ गठजोड़ व्यवस्था की गई है ।

❖ **गन्ने की खेती के लिए वित्तपोषण हेतु चीनी मिलों के साथ गठजोड़ व्यवस्था :** संपार्श्विक प्रतिभूतियों के बिना उच्च स्तर पर किसानों को गन्ना कृषि ऋण मुहैया कराने हेतु चीनी मिलों के साथ गठजोड़ व्यवस्था की गई है ।

❖ **एनएसएफडीसी, एनएसटीएफडीसी एवं एनएसकेएफडीसी के साथ गठजोड़ व्यवस्था :** आय सृजन की गतिविधियों के लिए पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को रियायती ब्याज दर पर वित्त सुविधा मुहैया कराने हेतु बैंक ने एनएसएफडीसी, एनएसटीएफडीसी एवं एनएसकेएफडीसी के साथ गठजोड़ व्यवस्था की है ।

from 24.01.2017 to 23.01.2019 for acting as a preferred financier for sourcing the loan applications from the customers of the company and financing them.

❖ **M/s Eicher Polaris Pvt Ltd (EPPL):** Bank has entered into pan India tie-up arrangement with M/s Eicher Polaris Pvt Ltd (EPPL) for financing various models of commercial vehicles manufactured by them for a period of 2 years from 31.01.2017 to 30.01.2019 for acting as a preferred financier for sourcing the loan applications from the customers of the company financing them.

❖ **M/s Piaggio Vehicles Private Ltd:** Bank has entered into a pan India tie-up arrangement with M/s Piaggio Vehicles Private Ltd for financing three wheelers auto rickshaws, three & four wheeler light transport vehicles for a period of 2 years from 05.12.2016 to 05.12.2018 for acting as a preferred financier for sourcing the loan applications from the customers of the company and financing them.

❖ **M/s SAERA Electric Auto Private Ltd:** Bank has entered into tie-up arrangement for financing E-Rickshaw with M/s SAERA Electric Auto Private Ltd for a period of 2 years from 06.12.2016 to 05.12.2018 for acting as a preferred financier for sourcing the loan applications from the customers of the company and financing them.

New Tie-ups

Bank also entered into various strategic tie-ups for business development with the following agencies during the year 2016-17.

❖ **Micro Finance Institutions:** A tie-up arrangement with Shree Kshetra Dharmasthala Rural Development Project, Dharmasthala (SKDRDP) & Initiatives for Development Foundation (IDF) Tumkur, where Bank provides credit facility to SHGs promoted by SKDRDP & IDF.

❖ **Tobacco Board:** A tie-up arrangement with Tobacco Board, Guntur is made to finance tobacco farmers both for construction of tobacco barns and crop-production in Andhra Pradesh.

❖ **Sugar Factories:** Bank has entered into tie-up with sugar factories to facilitate farmers to avail sugarcane crop loans at higher level without collateral securities.

❖ **NSFDC, NSTFDC and NSKFDC:** Bank has tie-up with NSFDC, NSTFDC and NSKFDC for financing eligible Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Safai Karamcharis and their dependents for income generating activities with concessional rates of interest.

- **नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टॉल कलेक्शन (एनईटीसी) परियोजना के लिए एनपीसीआई:** आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वचालित रोड टॉल वसूली की सुविधा हेतु बैंक ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टॉल कलेक्शन (एनईटीसी) के लिए एनपीसीआई से गठजोड़ व्यवस्था की है । जारीकर्ता बैंक के रूप में भाग लेकर बैंक टैग जारी करने और कई चैनलों के माध्यम से टॉप अप की सुविधा प्रदान करता है । ब्रांड निर्माण के अतिरिक्त, इस परियोजना से बैंक की गैर-ब्याजी आय में इजाफा होगा ।

कारोबार प्रोत्साहन अभियान

कारोबार जुटाने और विभिन्न उत्पादों को लोकप्रिय बनाने हेतु निरंतर प्रयासरत रहने के लिए बैंक, कारोबार प्रोत्साहन नीतियों को एक साधन मानता है । वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने कई प्रोत्साहन अभियानों की शुरुआत की है । उनमें से कुछ निम्नवत् हैं :

- **कृषि ऋण अभियान :** कृषि ऋणों को बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक द्वारा 11.07.16 से 31.07.16 तक कृषि ऋण अभियान का आयोजन किया गया । 05.09.2016 से 24.09.2016 तक केसीसी धारकों को रूपे कार्ड जारी करने और मीयादी ऋण के लिए भी अभियान चलाया गया । 30.01.2017 से 28.02.2017 तक और 01.03.2017 से 18.03.2017 तक कृषि मीयादी ऋणों तथा एसएचजी / जेएलजी बैंक लिंकेज के लिए अभियान चलाया गया ।

- **खुदरा ऋण अभियान :** खुदरा ऋणों को जुटाने के लिए बैंक द्वारा 06.06.2016 से 31.07.2016 तक सिंड कार्निवल अभियान का आयोजन किया गया । खुदरा कारोबार कार्निवल के दौरान, कुल 37,559 खुदरा ऋणों को जुटाया गया जिसमें ₹1004 करोड़ की राशि शामिल थी ।

- **आवास ऋण स्टार अभियान :** आवास क्षेत्र में कारोबार जुटाने के उद्देश्य से बैंक ने 07.10.2016 से 31.12.2016 तक एवं 23.01.2017 से 31.03.2017 तक आवास ऋण स्टार अभियान का आयोजन किया ताकि उच्च मूल्य वाले प्रस्तावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आवास ऋणों को जुटाया जा सके और बैंक के दायरे में प्रमुख बिल्डरों को लाया जा सके। स्टार अभियान के दौरान कुल 4898 आवास ऋण जुटाए गए जिसमें ₹692.52 करोड़ की राशि शामिल है।

- **खुदरा जमा तथा आरडी (आवर्ती जमा) प्लस अभियान:** कासा के अंतर्गत अपने निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से, उच्च मूल्य वाले बचत एवं चालू खातों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 01.09.2016 से 30.09.2016 तक बैंक ने खुदरा जमा अभियान चलाया। सशक्त आरडी प्लस संविभाग बनाने के उद्देश्य से, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में दो बार दो-दो दिनों के लिए आरडी प्लस लॉगइन डे मनाया और इन चार दिनों में आरडी प्लस के कुल 2.80 लाख से भी अधिक खाते खोले गए। इसके तहत मासिक आधार पर कुल ₹25.25 करोड़ की राशि जुटाई गई।

- **सिंड वसूली अभियान 16-17:** नई गिरावटों को रोककर और उनका उन्नयन करते हुए वसूली एवं एनपीए प्रबंधन में सुधार लाने हेतु 01.07.2016 से 31.03.2017 तक बैंक द्वारा शाखाओं और क्षेत्रीय

- **NPCI for National Electronic Toll Collection (NETC) Project:** Bank has tie-up with NPCI for National Electronic Toll Collection (NETC) to facilitate automated Road Toll collection electronically using RFID (Radio Frequency Identification) tag. Bank is participating as an issuer Bank facilitating Tag issuance and providing Top Up facility through multiple channels. Apart from brand visibility, the project will boost non-interest income for the Bank.

BUSINESS PROMOTION CAMPAIGNS

Bank considers business promotional strategies as a tool to make continuous effort to popularize various products and garner more business. During the course, bank has initiated number of promotional campaigns during the year 2016-17. Few of them are as under.

- **Agriculture lending campaign:** In order to increase advance under agriculture, Bank had organized agriculture lending campaign from 11.07.2016 to 31.07.2016. The campaign was also launched for term loan and issuance of Rupay cards to KCC holders from 05.09.2016 to 24.09.2016. A campaign was organized for agriculture term loans and SHG/ JLG bank linkage from 30.01.2017 to 28.02.2017 and from 01.03.2017 to 18.03.2017.

- **Retail lending campaign:** Bank has organized SyndCarnival campaign from 06.06.2016 to 31.07.2016 for mobilizing retail loans. During Retail Business Carnival, 37,559 retail loans were mobilized amounting to ₹1,004 crore.

- **Home Loan Star campaign:** In order to capitalize the business in housing sector, Bank conducted Home Loan Star campaign from 07.10.2016 to 31.12.2016 & from 23.01.2017 to 31.03.2017 for canvassing housing loans with focus on high value proposals and bringing top builders to Bank's fold. During the star campaign 4,898 housing loans are mobilized amounting to ₹692.52 crore.

- **Retail Deposit and RD (Recurring Deposit) plus campaign:** In order to improve performance under CASA, Bank launched Retail Deposit campaign from 01.09.2016 to 30.09.2016 with focus on high value savings & current accounts. To build up the healthy RD Plus portfolio, Bank celebrated two days as RD plus login day, twice in FY 2016-17 and opened more than 2.80 lakh RD plus accounts in four days. The total amount mobilized was ₹25.25 crore on a monthly basis.

- **Synd Vasuli Abhiyan 16-17:** Bank organized Synd Vasuli Abhiyan16-17, an incentive scheme to recognize performance of the branches and regions

कार्यालयों के निष्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना एवं सिंड वसूली अभियान 16-17 का आयोजन किया गया।

- **वित्तीय समावेशन पहल के लिए विशेष अभियान:** वित्तीय समावेशन के अंतर्गत, खातों के आधार एवं मोबाइल सीडिंग, रुपे कार्ड वितरण एवं एक्टिवेशन, वित्तीय साक्षरता एवं सरकार की अन्य प्रमुख योजनाओं पर विशेष जोर देने हेतु 15.09.2016 से 31.10.2016 तक वित्तीय समावेशन पहल के लिए एक विशेष अभियान का आयोजन किया गया।
- **आधार सीडिंग अभियान:** केंद्रीय पेंशन खातों, पीएमजेडीवाई खातों और सभी सक्रिय बचत खातों में शत प्रतिशत आधार सीडिंग हासिल करने तथा आधार सीडिंग की गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु 04.11.2016 से 31.11.2016 तक एक मिशन के रूप में आधार सीडिंग अभियान का आयोजन किया गया।
- **डिजिटलीकरण अभियान:** नोटबंदी के पश्चात, तत्काल खाता खोलने, आधार एवं मोबाइल सीडिंग, रुपे कार्ड वितरण तथा सभी डिजिटल बैंकिंग चैनलों की उपयोगिता एवं जागरूकता पर विशेष ध्यान देते हुए बैंक के अग्रणी जिलों के ग्रामीण सेवा क्षेत्रों के शत-प्रतिशत डिजटलीकरण के लिए 15.12.2016 से 31.12.2016 तक डिजटलीकऱण अभियान का आयोजन किया गया।
- **गो डिजिटल अभियान:** बैंक ग्राहकों के बीच इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ई-पास बुक आदि सेवाओं को बढ़ाने और त्वरित एवं सुरक्षित बैंकिंग के लिए मौजूदा वैकल्पिक वितरण चैनलों (एडीसी) की सेवाओं के प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन हेतु 01.08.2016 से 30.09.2016 तक बैंक द्वारा ''**गो डिजिटल अभियान**'' चलाया गया। इस अभियान के दौरान मोबाइल बैंकिंग के लिए 70721; इंटरनेट बैंकिंग के लिए 20120 और ई-पासबुक के लिए 52938 नए पंजीकरण किए गए।
- **एलआईसी दंगल एवं म्यूच्युअल फंड ईएलएसएस लॉगइन डे:** नोटबंदी के पश्चात शुल्क आधारित आय तथा जमाराशियों को बढ़ाने हेतु बैंक द्वारा एलआईसी दंगल अभियान की घोषणा की गई। ₹13.92 करोड़ की प्रीमियम राशि के साथ कुल 11225 एलआईसी पॉलिसियों को जुटाकर बैंक का यह अभियान सफल रहा। 20 एवं 21 फरवरी 2017 को सभी 9 आस्ति प्रबंधन कंपनियों के साथ मिलकर बैंक ने म्यूच्युअल फंड ईएलएसएस लॉगइन डे भी मनाया। इसके तहत बैंक द्वारा कुल ₹7.15 करोड़ राशि के निवेश के साथ 5000 से भी अधिक ईएलएसएस फोलियो जुटाए गए।
- **वीसा डेबिट एवं क्रेडिट कार्डधारकों के लिए मॉनसून धमाका अभियान:** वीसा डेबिट / क्रेडिट कार्ड, पीओएस एवं ई-कॉमर्स लेनदेनों पर सर्वाधिक व्यय करनेवालों के लिए 20.07.2016 से 30.09.2016 तक बैंक दवारा मॉनसून धमाका अभियान चलाया गया। डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के शीर्ष 3 व्ययकर्ताओं को पुरस्कार स्वरूप मोबाइल फोन प्रदान किए गए और 1100 डेबिट कार्डधारकों एवं 300 क्रेडिट कार्डधारकों को कैशबैक प्रदान किया गया।

for maximizing recovery and NPA management through up-gradation and avoidance of fresh slippages from 01.07.2016 to 31.03.2017.

- **Special Campaign for FI initiatives:** A special campaign for FI initiatives was conducted from 15.09.2016 to 31.10.2016 for giving special emphasis on Aadhaar and Mobile seeding of accounts, RuPay card distribution and Activation, Financial Literacy and other flagship schemes of Government under Financial Inclusion.
- **Aadhaar Seeding Campaign:** A mission mode campaign for Aadhaar seeding was conducted from 04.11.2016 to 30.11.2016 to give impetus on Aadhaar seeding activity and to achieve 100 percent Aadhaar seeding in Central pension accounts, PMJDY account and all operative SB accounts.
- **Digitalization Campaign:** Post Demonetization, a digitalization campaign was conducted from 15.12.2016 to 31.12.2016 for 100 percent Digitalization of service area villages in Bank's lead districts with special focus on instant account opening, Aadhaar and Mobile seeding, RuPay card distribution and awareness & usage of all Digital Banking channels.
- **Go Digital Campaign:** Bank launched "**Go Digital**" campaign from 01.08.2016 to 30.09.2016 to propagate and promote existing Alternate Delivery Channels (ADC) services for swift and secure banking and increase the penetration of internet banking, mobile banking, e-passbook etc. services among the Banks customers. During the campaign, 70,721 new mobile banking registrations; 20,120 internet banking and 52,938 e-passbook registrations were completed.
- **LIC Dangal and Mutual fund ELSS Login Days:** To boost fee based income and channelize surge of deposits post demonetization, Bank announced "LIC Dangal" campaign. The campaign was successful with Bank mobilizing 11,225 LIC policies with a total premium amount of ₹13.92 crore. Bank also rolled out mutual fund ELSS log-in Days on 20th & 21st February, 2017 in association with all the nine asset management companies. Bank mobilized more than 5,000 ELSS folio with a total investment amount of ₹7.15 crore.
- **Monsoon Dhamaka Campaign for Visa Debit and Credit card holders:** Bank launched Monsoon Dhamaka campaign from 20.07.2016 to 30.09.2016 for highest spends on VISA Debit/Credit Card, POS and e-commerce transactions. The top three spenders of debit card and credit card were awarded with mobile phones and cash back credits were given to 1,100 debit cardholders and 300 credit cardholders.

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक के निष्पादन की विशिष्टताएं

पूंजी एवं आरक्षित निधि

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की प्राधिकृत शेयर पूँजी ₹3000 करोड़ तथा प्रदत्त पूंजी ₹904.54 करोड़ (प्रति शेयर ₹10 की दर से 90,45,39,438 ईक्विटी शेयर) हो गई।

बैंक की आरक्षित निधि एवं अधिशेष, पिछले वर्ष के मुकाबले 14.14% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2015-16 के ₹11,635 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान ₹13,280 करोड़ हो गए।

निवल मालियत

बैंक की मूर्त निवल मालियत (आरक्षित निधियों के पुनर्मूल्यन एवं विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षिती को छोड़कर), 31 मार्च 2016 के ₹11,409 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2017 को ₹12,392 करोड़ हो गई है।

लाभांश

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने ₹358.95 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है। पूँजी पर्याप्तता अनुपात को बढ़ाने के लिए लाभों के पुनरुपयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल ने चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लाभांश की घोषणा न करने का निर्णय लिया है।

कारोबार

बैंक का वैश्विक कारोबार, 31 मार्च 2016 की स्थिति में ₹4,68,185 करोड़ की जगह 31 मार्च 2017 को ₹4,67,626 करोड़ हो गया जबकि, बैंक का घरेलू कारोबार, 31 मार्च 2016 के ₹4,03,314 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2017 की स्थिति में ₹4,05,920 करोड़ हो गया है।

जमाराशि संग्रहण

बैंक की वैश्विक जमाराशियाँ, 31 मार्च 2016 के ₹2,61,736 करोड़ की जगह 31 मार्च 2017 की स्थिति में ₹2,60,561 करोड़ दर्ज की गई। बैंक की घरेलू जमाराशियाँ भी 31 मार्च 2016 के ₹2,35,162 करोड़ के मुकाबले वर्ष 31 मार्च 2017 की स्थिति में ₹2,34,543 करोड़ दर्ज की गई है।

कासा जमाराशियाँ

बैंक की घरेलू कासा जमाराशियाँ, 31 मार्च 2016 के ₹67,925 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2017 की स्थिति में 11.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ करते हुए ₹75,792 करोड़ हो गई। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार घरेलू जमाराशि पर घरेलू कासा की प्रतिशतता 32.32 प्रतिशत रही ।

ऋण विनियोजन

बैंक का वैश्विक अग्रिम, 31 मार्च 2016 के ₹2,06,449 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2017 की स्थिति में ₹2,07,065 करोड़ दर्ज किया गया। घरेलू अग्रिम भी 31 मार्च 2016 के ₹1,68,152 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च

PERFORMANCE HIGHLIGHTS OF THE BANK DURING THE FINANCIAL YEAR 2016-17

Capital & Reserves

Bank's authorized share capital stood at ₹3,000 crore and the paid-up capital ₹904.54 crore (90,45,39,438 equity shares of ₹10 each) during the financial year ended as at March 31st 2017.

The Reserves and Surplus of the Bank increased from ₹11,635 crore in FY 2015-16 to ₹13,280 crore in FY 2016-17, registering a y-o-y growth of 14.14 per cent over the previous year.

Net worth

Tangible Net Worth of the Bank (excluding Revaluation Reserve, Foreign Currency Translation Reserve and net DTA) increased from ₹11,409 crore as at March 31, 2016 to ₹12,392 crore as at March 31, 2017.

Dividend

The Bank has reported net profit of ₹358.95 crore during the FY 2016-17. Considering the need for ploughing back profits for augmenting capital adequacy ratio, the Board of Directors has not recommended any dividend for the current FY 2016-17.

Business

The global business of the Bank stood at ₹4,67,626 crore as at March 31, 2017 as compared to ₹4,68,185 crore as at March 31, 2016 whereas, Bank's domestic business stood at ₹4,05,920 crore as at March 31, 2017 as compared to ₹4,03,314 crore as at March 31, 2016.

Deposit Mobilization

Global deposits of the Bank stood at ₹2,60,561 crore as at March 31,2017 as compared to ₹2,61,736 crore as at March 31, 2016. Domestic deposits of the Bank stood at ₹2,34,543 crore as at March 31, 2017 as compared to ₹ 2,35,162 crore as at March 31, 2016.

CASA Deposits

Domestic CASA deposits of the Bank increased from ₹67,925 crore as at March 31, 2016 to ₹75,792 crore as at March 31, 2017, registering a growth of 11.58 per cent. Percentage of domestic CASA share to domestic deposits stood at 32.32 per cent as at March 31, 2017.

Credit Deployment

The Bank's global advances increased from ₹2,06,449 crore as at March 31, 2016 to ₹2,07,065 crore as at March 31, 2017. Domestic advances grew from ₹1,68,152 crore as at March 31, 2016 to ₹1,71,377 crore as at March

2017 की स्थिति में ₹1,71,377 करोड़ दर्ज किया गया। वैश्विक ऋण जमा अनुपात 31 मार्च 2016 की 78.88 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2017 की स्थिति में 79.47 प्रतिशत रहा।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम, वर्ष 2015-16 के ₹64,413 करोड़ से बढ़कर 5.42 प्रतिशत की वद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2016-17 के दौरान ₹67,905 हो गया जो एएनबीसी का 40.04 प्रतिशत बनता है, जबकि इसका अधिदेशात्मक स्तर 40 प्रतिशत है।

प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम, वर्ष 2015-16 के ₹29,237 करोड़ से बढ़कर 9.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2016-17 के दौरान ₹31,878 करोड़ हो गया जो एएनबीसी का 18.79 प्रतिशत बनता है, जबकि इसका अधिदेशात्मक स्तर 18 प्रतिशत है।

एमएसई अग्रिम, वर्ष 2015-16 के ₹24,180 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2016-17 में बढ़कर ₹24,516 करोड़ दर्ज किए गए। एमएसएमई अग्रिम 31 मार्च 2016 के ₹27,677 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2017 की स्थिति में ₹26,981 करोड़ रहा।

लाभप्रदता

बैंक का परिचालन लाभ, वित्तीय वर्ष 2015-16 के ₹3,251.31 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 30.20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹4,233.23 करोड़ पर पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹1,643.49 करोड़ की निवल हानि के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक द्वारा ₹358.95 का निवल लाभ दर्ज किया गया है।

कर्मचारी उत्पादकता

31 मार्च 2016 की स्थिति में प्रति कर्मचारी कारोबार ₹14.61 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2017 को ₹13.51 करोड़ दर्ज किया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्रति कर्मचारी लाभ, ₹1.10 लाख दर्ज किया गया।

आय एवं व्यय

बैंक की कुल आय, वित्तीय वर्ष 2015-16 के ₹25,706.51 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹26,461.18 करोड़ दर्ज की गई।

बैंक की ब्याजी आय, वित्तीय वर्ष 2015-16 के ₹23,197.78 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹23,003.79 करोड़ दर्ज की गई।

बैंक की गैर-ब्याजी आय, वित्तीय वर्ष 2015-16 के ₹2,508.73 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2016-17 में 37.81 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹3,457.39 करोड़ दर्ज की गई।

बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, वित्तीय वर्ष 2015-16 के ₹17,213.08 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2.82 प्रतिशत गिरकर ₹16,727.82 करोड़ हो गया है।

बैंक का परिचालन व्यय (वित्तीय वर्ष 2015-16 के ₹882.65 करोड़ के अपवादात्मक मद को छोड़कर) वित्तीय वर्ष 2015-16 के ₹5,242.12 करोड़ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2016-17 में 4.92 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹5,500.13 करोड़ हो गया है।

महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात

ए) वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आस्तियों पर प्रतिलाभ 0.12 प्रतिशत रहा।

31, 2017. The global credit deposit ratio stood at 79.47 per cent as at March 31, 2017 as compared to 78.88 per cent as at March 31, 2016.

Priority Sector Advances increased from ₹64,413 crore in 2015-16 to ₹67,905 crore in 2016-17 registering a growth of 5.42 percent and forming 40.04 per cent of ANBC as against mandatory level of 40 per cent.

Total Agriculture Advances increased from ₹29,237 crore in 2015-16 to ₹31,878 crore in 2016-17 registering a growth of 9.03 percent and forming 18.79 per cent of ANBC as against mandatory level of 18 percent.

MSE Advances increased from ₹24,180 crore in 2015-16 to ₹24,516 crore in 2016-17. MSME Advances stood at ₹26,981 crore as at March 31, 2017 as compared to ₹27,677 crore as at March 31, 2016.

Profitability

Operating profit of the Bank increased to ₹4,233.23 crore for the FY 2016-17 from ₹3,251.31 crore for the FY 2015-16, registering a growth of 30.20 per cent. Net Profit of the Bank recorded at ₹358.95 crore for the FY 2016-17 as against Net Loss of ₹1,643.49 crore for the FY 2015-16.

Employees' Productivity

Business per employee of the Bank stood at ₹13.51 crore as at March 31, 2017 as compared to ₹14.61 crore as at March 31, 2016. Profit per employee for the year FY 2016-17 was ₹1.10 lakh .

Income & Expenditure

The Bank's total income stood at ₹26,461.18 crore in the FY 2016-17 as compared to ₹25,706.51 crore in the FY 2015-16.

The Bank's interest income stood at ₹23,003.79 crore in the FY 2016-17 as compared to ₹23,197.78 crore in the FY 2015-16.

The non-interest income of the Bank improved by 37.81 per cent from ₹2,508.73 crore in the FY 2015-16 to ₹3,457.39 crore in the FY 2016-17.

The Interest expenditure of the Bank declined to ₹16,727.82 crore in the FY 2016-17 as against ₹17,213.08 crore in the FY 2015-16, recording a decrease of 2.82 per cent.

Operating expenditure of the Bank (including exceptional item of ₹882.65 crore in FY 2015-16) increased by 4.92 per cent from ₹5,242.12 crore in the FY 2015-16 to ₹5,500.13 crore in the FY 2016-17.

Important Financial Ratios

a) The Return on Assets of the Bank was at 0.12 percent in the FY 2016-17.

बी) बैंक का निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम), वित्तीय वर्ष 2015-16 के 2.28 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में बढ़कर 2.37 प्रतिशत हो गया है।

सी) बैंक के अग्रिमों पर अर्जन, वित्तीय वर्ष 2015-16 के 8.63 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में घटकर 8.34 प्रतिशत पर आ गया है।

डी) बैंक की जमाराशियों की लागत, वित्तीय वर्ष 2015-16 के 6.27 प्रतिशत की तुलना में घटकर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 5.86 प्रतिशत हो गई है।

ई) बैंक का प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस), वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹4.21 दर्ज किया गया।

एफ) बैंक का प्रति शेयर बही मूल्य, वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹175.41 से गिरकर वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹154.64 हो गया है।

जी) बैंक का निवल एनपीए अनुपात, 31 मार्च 2016 के 4.48 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2017 की स्थिति में 5.21 प्रतिशत हो गया है।

एच) बैंक का सकल एनपीए अनुपात, 31 मार्च 2016 के 6.70 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2017 की स्थिति में 8.50 प्रतिशत हो गया है।

आई) बैंक का अनर्जक आस्ति प्रावधान कवरेज अनुपात, 31 मार्च 2016 के 53.73 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2017 की स्थिति में 56.37 प्रतिशत हो गया है।

जे) बासेल III के अनुसार बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर), 31 मार्च 2016 के 11.16 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2017 की स्थिति में 12.03 प्रतिशत हो गया है।

भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (आईएनडी एएस)

बैंक में आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की स्थिति

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से बैंक में आईएनडी एएस लागू होगा और बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से आईएनडी एएस (भारतीय लेखा मानक) के कार्यान्वयन के लिए शुरूआती कदम उठाए हैं और तदनुसार, उसके कार्यान्वयन के लिए सुनियोजित रणनीति बनाई है और इस वित्तीय वर्ष के दौरान अच्छी प्रगति की है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगस्त 2016 में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक संचालन समिति बनाई है जो कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करती है। इस संचालन समिति में बैंक के विभिन्न कार्यात्मक विभागों के महाप्रबंधक शामिल हैं। इसके अलावा, बैंक के बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, नियमित अंतरालों पर आईएनडी एएस के कार्यान्वयन की समग्र प्रगति की समीक्षा करती रहती है।

अब तक की प्रगति:

- बैंक द्वारा वर्तमान लेखा ढाँचे और आईएनडी एएस के बीच अंतर को पहचानने के लिए एक नैदानिक अध्ययन पूरा किया गया है।

b) The Bank's Net Interest Margin (NIM) improved to 2.37 percent in the FY 2016-17 as compared to 2.28 per cent in the FY 2015-16.

c) The yield on advances of the Bank stood at 8.34 per cent in the FY 2016-17 as compared to 8.63 per cent in the FY 2015-16.

d) The cost of deposits of the Bank stood at 5.86 per cent in the FY 2016-17 as compared to 6.27 per cent in the FY 2015-16.

e) The Earning Per Share (EPS) of the Bank stood at ₹4.21 in the FY 2016-17.

f) The Book Value Per Share of the Bank stood at ₹154.64 in the FY 2016-17 from ₹175.41 in the FY 2015-16.

g) Net NPA ratio of the Bank stood at 5.21 per cent as at March 31, 2017 as compared to 4.48 per cent as at March 31, 2016.

h) Gross NPA ratio of the Bank stood at 8.50 per cent as at March 31, 2017 as compared to 6.70 per cent as at March 31, 2016.

i) NPA provision coverage ratio of the Bank stood at 56.37 per cent as at March 31, 2017 as compared to 53.73 per cent as at March 31, 2016.

j) The Capital Adequacy Ratio (CRAR) of the Bank, as per Basel III improved to 12.03 per cent as at March 31, 2017 as compared to 11.16 per cent as at March 31, 2016.

IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARDS (IND AS)

Status on Implementation of IND AS within the Bank

IND AS is applicable to the Bank in accordance with the notification issued by the Ministry of Corporate Affairs from FY 2018-19 and Bank has initiated steps for implementation of IND AS (Indian Accounting Standards) from FY 2016-17 and accordingly put in place well-planned strategy for this implementation and have made good progress during this financial year.

In line with the guidance issued by the Reserve Bank of India in August 2016, the Bank has set up a Steering Committee headed by the Executive Director that monitors the progress of the implementation. The Steering Committee comprises of General Managers from various functional departments of the Bank. Further, Bank's Audit Committee of the Board has been reviewing the overall progress of the implementation of IND AS at regular intervals.

Progress made so far

- The Bank has completed a diagnostic study to identify the differences between the current accounting framework and IND AS.

- इस नैदानिक अध्ययन के आधार पर बैंक ने प्रभाव की गणना की है और सितंबर 2016 को समाप्त छमाही हेतु वित्तीय विवरण का प्रपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजा है।
- बैंक ने आइएनडी एएस के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ भी निरूपित की हैं।
- बैंक अब कोर बैंकिंग सिस्टम में अपेक्षित प्रणाली के परिवर्तनों का मूल्यांकन कर रहा है और अनुमानित ऋण हानि नमूनों की रुपरेखा भी शुरू कर दी है।
- वर्तमान लेखा ढाँचे के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात बैंक आईएनडी एएस प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक तुलन पत्र तैयार करना शुरू करेगा।

शाखा नेटवर्क का विस्तार

वर्ष के दौरान बैंक ने 169 पारंपरिक बैंकिंग शाखाएं खोली है जिससे 31.03.2017 की स्थिति में शाखाओं की कुल संख्या (लंदन शाखा सहित) 3933 हो गई है। इनमें 1268 शाखाएँ कम बैंक सुविधा वाले जिलों में तथा 982 शाखाएँ अल्पसंख्यक बहुल जिलों में हैं। उपर्युक्त में से वर्ष के दौरान, 2 शाखाएँ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोली गई। वर्ष के दौरान बैंक ने 2 मिड कॉरपोरेट शाखाएँ खोली हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को अपनी 25 प्रतिशत शाखाएँ, बैंकिंग सुविधा से रहित 5-6 टीयर के ग्रामीण केंद्रों में खोलनी होगी। देशी शाखा नेटवर्क में 1190 ग्रामीण, 1091 अर्धशहरी, 813 शहरी और 838 महानगरीय शाखाएँ शामिल हैं। 31.03.2017 तक स्थापित एटीएम की कुल संख्या 3974 है। 31 मार्च 2017 की स्थिति में बैंक का ग्राहक आधार 52 मिलियन हो गया है।

खुदरा ऋण

खुदरा क्षेत्र में ऋण वृद्धि आपके बैंक के कुल कारोबार को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। अत: दीर्घ चुकौती अवधि के कारण ऋण संविभाग की स्थिरता, जोखिम स्प्रेड, ज्यादा लोगों को पोषण और अग्रिमों पर बेहतर लाभ के कारण बैंक ने अपना ध्यान आरएएम (खुदरा, कृषि, एमएसएमई) पर केंद्रित किया है। खुदरा ऋण संविभाग से आय में स्थिर सुधार देखा गया है और इससे बैंक की लाभप्रदता, आस्ति संविभाग की गुणवत्ता बरकरार रखने, जोखिम प्रसरण और निवल ब्याज मार्जिन के सुधार में योगदान दिया है। खुदरा संविभाग का बैंक के घरेलू ऋण में 16.14 प्रतिशत का योगदान है।

इसे ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेट कार्यालय में 'खुदरा व्यवसाय विभाग' के रूप में एक नया विभाग बनाया गया है ताकि समग्र घरेलु ऋण के तहत खुदरा ऋण संविभाग के सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। मौजूदा बाज़ारी स्थिति में उधारकर्ताओं के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त उत्पादों में परिवर्तन किया गया है। खुदरा ऋण उत्पाद, बाजार में प्रतिस्पर्धी हैं और खुदरा ऋण संविभाग में वृद्धि को भी बढ़ावा देते हैं। खुदरा ऋण संविभाग के अंतर्गत निष्पादन निम्नवत है:

- Based on the diagnostic study, the Bank has quantified the impact and filed the pro-forma financial statements for the half year ended September 2016 with the Reserve Bank of India.
- The Bank has also drafted significant accounting policies under IND AS.
- The Bank is now performing an assessment of the system changes required in the Core Banking System and has also commenced the design of the Expected Credit Loss Models.
- Once the annual financial statements under the current accounting framework are finalized, the Bank will commence the preparation of the Opening Balance Sheet for the IND AS transition.

EXPANSION OF BRANCH NETWORK

During the year, the Bank has added 169 brick and mortar branches to its network and the total number of branches (including London Branch) were at 3933 as on 31.03.2017. These include 1268 branches in under banked districts and 982 branches in minority concentration districts. Out of the above, 2 branches were opened in the North Eastern States of India during the year. Bank opened 2 Mid Corporate branches during the year. As per RBI guidelines, banks are required to open 25 per cent of the new branches in rural unbanked tier 5-6 centers. The domestic branch network consisted of 1190 rural, 1091 semi-urban, 813 urban and 838 metro branches. The total number of ATMs installed up to 31st March 2017 was at 3974. The Bank has a customer base of over 52 million as at March 31, 2017.

RETAIL LENDING

Retail sector credit growth plays a pre-dominant role in increasing the total business of your bank. Hence, focus of the Bank has shifted to RAM (Retail, Agriculture, MSME) sectors on account of spread of risk, catering to large population, better yield on the advances and stability of credit portfolio due to longer repayment period. Income stream from retail credit portfolio has shown steady improvement and this has contributed profitability, maintaining quality of asset portfolio, risk diffusion and improvement of Net Interest Margin of the Bank. Retail portfolio contributes to 16.14 percent of the domestic credit of the Bank.

Keeping this in mind a new vertical has been created in Corporate Office as "Retail Business Department" to focus improvement on retail credit portfolio within overall domestic credit. The Bank has tweaked the products to suit the various categories of borrowers in prevailing market conditions. Retail credit products are competitive in the market and also promote growth in retail credit portfolio. Performance under retail credit portfolio is as under.

खुदरा ऋण संविभाग निष्पादन

(₹ करोड़ में)

योजना	31.03.2016	31.03.2017	वार्षिक वृद्धि	
			शुद्ध	(%)
आवास ऋण	14,174	14,981	807	5.69
वाहन ऋण	2,767	3,001	234	8.46
शिक्षा ऋण	2,858	2,893	35	1.22
अन्य खुदरा ऋण	6,730	6,789	59	0.88
कुल खुदरा ऋण	26,529	27,664	1,135	4.28

मुख्य पहल

आवास ऋण

- खुदरा बंधक ऋणों की प्रक्रिया को मानकीकृत करने और कारगर बनाने के साथ प्रक्रिया समय में कमी लाने के उद्देश्य से बैंक ने केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की स्थापना की है।
- आवास ऋण जुटाने के लिए बैंक ने आवास ऋण परामर्शदाताओं (एचएलसी) को सूचीबद्ध करना प्रारंभ किया है।
- बैंक ने 31.03.2017 तक आवास ऋण के लिए प्रसंस्करण और प्रलेखन प्रभारों में छूट प्रदान की है।
- बैंक ने आवास ऋण जुटाने के लिए अनुमोदित बिल्डरों/बिल्डरों के प्राधिकृत एजेंटों को सेवा प्रभार का भुगतान करने की योजना को पुन: शुरू किया है।

वाहन ऋण:

- वाहन ऋण जुटाने के लिए बैंक ने डीलरों और उनके बिक्री अधिकारियों को सेवा प्रभारों का भुगतान करने की योजना को पुन: शुरु किया है।
- 01.10.2016 से 31.03.2017 तक त्यौहारों के दौरान बैंक द्वारा ब्याज दर में कमी की गयी और प्रसंस्करण एवं प्रलेखन प्रभारों में छूट दी गई।

शिक्षा ऋण

- बैंक ने सिंड विद्या-विदेश में शिक्षा ऋण योजना शुरू की है। विदेश में अध्ययन हेतु इच्छुक विद्यार्थियों को ₹200.00 लाख तक की ऋण सुविधा।
- बैंक ने सिंड सुपर विद्या (प्रमुख शिक्षण संस्थानों में अध्ययन) योजना पर ब्याज दर कम करके एससीएलआर पर कर दिया है।
- बैंक मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने में सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए ''विद्यालक्ष्मी पोर्टल'' के साथ अपने आप को जोड़ा है।
- बैंक ने ₹7.50 लाख तक की संपार्श्विक शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए ''शिक्षा ऋणों के लिए निधि गारंटी योजना'' तथा कौशल विकास

Retail Credit Portfolio Performance

(₹ in Crore)

Scheme	31.03.2016	31.03.2017	Annual growth	
			Absolute	(%)
Housing loans	14,174	14,981	807	5.69
Vehicle loans	2,767	3,001	234	8.46
Education loans	2,858	2,893	35	1.22
Other retail loans	6,730	6,789	59	0.88
Total Retail Loans	26,529	27,664	1,135	4.28

Major initiatives

Housing loans

- Bank has set up Central Processing Center (CPC) to standardize and streamline the processing for retail mortgage loans and also to reduce the Turn Around Time.
- Bank has introduced the empanelment of Home Loan Counselors (HLC) for canvassing housing loans.
- Bank has waived processing and documentation charges on housing loans up to 31.03.2017.
- Bank has re-introduced scheme of payment of service charges to approved builders / authorized agent of the builder for sourcing housing loans.

Vehicle loans

- Bank has re-introduced scheme of payment of service charges to dealers & their sales executives for sourcing Vehicle loans.
- Bank has reduced rate of interest and also waived off processing and documentation charges during festive seasons from 01.10.2016 to 31.03.2017.

Education loans

- Bank has introduced Synd Vidya–Abroad educational loan scheme. An education loan facility up to ₹ 200.00 lakhs to students who wish to go abroad for study.
- Bank has reduced rate of interest on SyndSuperVidya (Studies in Premier Educational Institutions) scheme at MCLR.
- Bank also integrated with "Vidyalakshmi Portal", an initiative by the Ministry of Human Resources Development to facilitate students to apply for education loans online.
- Bank has also implemented the "Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans", to provide collateral free education loans up to ₹7.50 lakh

हेतु ₹1.50 लाख तक की संपार्श्वमुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए "कौशल विकास के लिए ऋण गारंटी निधि योजना" का भी क्रियान्वयन किया है।

स्वर्ण ऋण

बैंक ने सोने के 70 प्रतिशत निवल मूल्य पर वित्त के वर्धित पैमाने के साथ ईएमआई सुविधा सहित गैर कृषि उद्देश्यों के लिए ''सिंड स्वर्ण - ईएमआई'' नामक नया स्वर्ण ऋण उत्पाद शुरू किया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को अग्रिम

बैंक ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) पर जोर देते हुए एमएसएमई के वित्तीयन पर अधिक बल देना जारी रखा है। वर्ष 2016-17 में बैंक ने ₹4,95 9.17 करोड़ की राशि के 1,22,181 ऋण स्वीकृत और वितरित किए हैं। मार्च 2017 की स्थिति में एमएसई क्षेत्र को कुल बकाया अग्रिम ₹24,886.30 करोड़ हो गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का अग्रिम एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत कुल अग्रिमों का 92.16% होता है जबकि, एमएसएमई के तहत मध्यम उद्यमों का अग्रिम 7.84% है ।

मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा आबंटित ₹3600 करोड़ के लक्ष्य के लिए बैंक ने 31.03.2017 की स्थिति में ₹3208.11 करोड़ की राशि के 1,66,221 खाते स्वीकृत किए और ₹2,781.87 करोड़ वितरित किए। बैंक ने ₹48.25 करोड़ की राशि के 14813 मुद्रा कार्ड जारी किए।

मार्च 2017 की स्थिति में बैंक के सूक्ष्म उद्यमों का बकाया अग्रिम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र को दिये गये कुल अग्रिमों का 64.45% रहा जो 60% के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है।

एमएसई के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन

भारतीय रिज़र्व बैंक के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, एएनबीसी का 7.5% या तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, को चरणबद्ध ढंग से हासिल किया जाना है अर्थात् मार्च 2016 तक 7 प्रतिशत और मार्च 2017 तक 7.5 प्रतिशत हासिल किया जाता है।

मार्च 2017 की स्थिति में बैंक का एएनबीसी, ₹169610.82 करोड़ है तथा सूक्ष्म उद्यमों का बकाया अग्रिम ₹15,716.95 करोड़ है जो एएनबीसी के लिए निर्धारित लक्ष्य 7.5% के मुकाबले 9.27% है।

एमएसएमई क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने पर बल देने के उद्देश्य से बैंक की 69 विशेषीकृत शाखाएँ हैं। वास्तविक कारोबार जुटाने के लिए बैंक ने एमएसई ऋण उत्पादों- सिंड डॉक्टर, सिंड मार्बल, सिंड टेक्सटाइल, सिंड ट्रांसपोर्ट, सिंड कॉन्ट्रेक्टर, सिंड महिला शक्ति, सिंड होटल, सिंड ज्वेलर, सिंड टिंबर,और सिंड प्रोफेशनल प्रचारित किया है। वर्ष के दौरान इन उत्पादों के तहत ₹979.33 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।

एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहन/यात्री वाहन की खरीद के लिए उधारकर्ताओं को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रख्यात वाणिज्यिक

and "Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development" to provide collateral free education loans for skill development up to ₹1.50 lakh to students.

Gold Loans

Bank has introduced new gold loan product "SyndSwarna-EMI" for non agricultural purposes with EMI facility with enhanced scale of finance at 70% net value of Gold.

ADVANCES TO MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSME)

Bank continues to accord greater thrust on financing MSMEs with emphasis on Micro and Small Enterprises (MSEs). The Bank has sanctioned and disbursed 1,22,181 number of loans amounting to ₹4,959.17 crore in the year 2016-17. The total outstanding advances to MSE sector stood at ₹24,886.30 crore as on March 2017. The advances to Micro and Small Enterprises constitute 92.16% of the total advances under MSME Sector, while advances to Medium Enterprises constitute 7.84% under MSME.

Under MUDRA scheme, Bank has sanctioned 1,66,221 accounts amounting ₹3,208.11 crore and disbursed ₹2,781.87 crore as on 31.03.2017 against target of ₹3,600 crore allotted by the Ministry of Finance. Bank has issued 14,813 Mudra cards amounting to ₹48.25 crore.

The outstanding advances to Micro Enterprises of the Bank constitute 64.95% of advances to Micro and Small Enterprises Sector which is above the stipulated target of 60% as on March 2017.

Compliance to RBI guidelines on MSE

As per new guidelines of RBI, 7.5 percent of ANBC or Credit Equivalent Amount of Off-Balance Sheet Exposure, whichever is higher to be achieved in a phased manner i.e. 7 per cent by March 2016 and 7.5 per cent by March 2017.

As on March 2017, ANBC of the Bank is ₹1,69,610.82 crore and outstanding advances to Micro Enterprises (priority) is ₹15,716.95 crore, which is 9.27% of the ANBC against the stipulated target of 7.5%.

The Bank is having 69 specialized branches for focused lending to MSME sector. Bank popularized the MSME loan products SyndDoctor, SyndMarble, SyndTextile, SyndTransport, SyndContractor, SyndMahilaShakthi, SyndHotel, SyndJeweller, SyndTimber and SyndProfessional to mobilize substantial business. Under these products ₹979.33 crores was sanctioned during the year.

MOUs with reputed commercial vehicle manufacturing companies were entered to expand credit to borrowers

वाहन विनिर्माण कंपनियों के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बैंक ने 10 वाणिज्यिक वाहन विनिर्माताओं के साथ गठजोड़ किया है। एमएसएमई क्षेत्र, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का आधार है। निर्यात/विदेशी मुद्रा अर्जित करने के अलावा रोजगार सृजन और देश की जीडीपी में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके मद्देनजर, एमएसएमई प्रस्तावों को जुटाने के लिए बैंक ने इस वर्ष के दौरान विविध केंद्रों पर कई एमएसएमई ऋण शिविर आयोजित किए।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

विभिन्न क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने में बैंक के अनुभवों के आधार पर और आर्थिक वृद्धि की गतिशीलता, सरकारी दिशानिदेशों, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं सामाजिक - आर्थिक उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विशेषकर कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

धारणीय ऋण संवृद्धि, सुधरी हुई आस्ति गुणवत्ता, उच्चतर आमदनी की प्राप्ति हेतु एवं सम्मिलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए समाज के सभी वर्गों को शामिल करते हुए विविध प्रकार के बेहतर ऋण संविभाग बरकरार रखने हेतु, बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यनीतियों को अपनाया है। बैंक ने अपनी स्थिति का समेकन और आस्ति गुणवत्ता पर केंद्रित रहकर और अधिक जोर-शोर से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत ऋण प्रदान करना जारी रखा है। कृषि, एसएमई, शिक्षा, आवास, सूक्ष्म वित्त एवं अर्थव्यवस्था के अन्य उत्पादक क्षेत्र, ऋण उपलब्ध कराने के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल थे।

अत्यधिक संख्या के ऋण आवेदनों के शीघ्र निपटान तथा इनपर शीघ्र निर्णय लेने के लिए बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत भावी ग्राहकों की ऋण आवश्यकताओं के लिए ''ऑनलाइन अनुरोध'' सुविधा की शुरुआत की है । भावी ग्राहक, बैंक के वेबसाइट से निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं । आवेदकों को तुरंत ही विशिष्ट संदर्भ संख्या सहित सिस्टम द्वारा तैयार पावती उपलब्ध कराई जाती है । उस विशिष्ट संदर्भ संख्या का उपयोग वे अपने आवेदनों की स्थिति का पता लगाने के लिए कर सकते हैं ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम, 5.42 प्रतिशत बढ़कर ₹67,905 करोड़ तक पहुँच गया है (मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार ₹64413 करोड़ से) जो 40 प्रतिशत के अधिदेशी स्तर की तुलना में एनबीसी का 40.04 प्रतिशत बनता है। बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के अंतर्गत 30 लाख से भी अधिक ग्राहकों को लाभ पहुँचाया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों, कमज़ोर वर्गों तथा महिला हिताधिकारियों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विशेष ध्यान रखा गया है। कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों का स्तर ₹21,144 करोड़ तक पहुँच गया है जो एएनबीसी का 12.47 प्रतिशत बनता है तथा इस क्षेत्र के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य से अधिक है। महिला ग्राहकों को दिए गए अग्रिम, मार्च 2016 के ₹14,342 करोड़ से बढ़कर मार्च 2017 को ₹15,712 करोड़ हो गए हैं जो 5 प्रतिशत के अधिदेशी स्तर की तुलना में एएनबीसी का 9.26 प्रतिशत है। इसी प्रकार, अल्पसंख्यकों को दिए गए ऋण, मार्च 2016 के ₹10,205 करोड़ से बढ़कर मार्च 2017 को ₹10,611 करोड़ हो गए, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का 15.63 प्रतिशत है जबकि इसके लिए अपेक्षित 15 प्रतिशत अनिवार्य है।

for purchase of commercial transport/passenger vehicles under MSE sector. Bank has entered into tie-up with 10 commercial vehicle manufacturers. MSME sector is the backbone of the nation's economy. They contribute significantly to the GDP of the country and also to employment generation besides Export/Forex earnings. Keeping this in mind, Bank has organized series of MSME meets/camps at various centers during the year to scout MSME proposals.

PRIORITY SECTOR CREDIT

Based on the Bank's experience in lending to different sectors and keeping in view the dynamics of economic growth, Government directives, national priorities and socio-economic obligations, thrust was given to priority sector lending especially lending to agriculture sector during the year.

Bank has adopted various strategies during the year to achieve sustainable credit growth, improved asset quality, higher earnings and for maintaining well diversified credit portfolio covering all sections of the society to ensure inclusive growth. The Bank has continued its growth under priority sector lending with added thrust on consolidation of its position and focus on asset quality. The focus areas for credit were agriculture, SMEs, education, housing, micro finance and other productive sectors of the economy.

For quick disposal of large number of credit applications and to hasten credit decisions, the bank has introduced the "Online Request" from prospective clients covering credit requirements under various segments of priority sector. The prospective clients can access the Bank's website and submit their request for loan through application form prescribed therein. System generated acknowledgement is provided immediately to the applicants with unique reference number which they can use to track their applications.

Priority Sector Advances

Priority sector advances of your Bank increased by 5.42 percent to ₹67,905 crore as at March 2017 (from ₹64,413 crore as at March 2016) constituting 40.04% of ANBC against the mandatory level of 40%. The Bank has covered more than 30 lakh customers under priority sector advances. Special care was taken to ensure that the credit needs of SC/ST, minorities, weaker sections and women are fully met. Advances to weaker sections have reached a level of ₹21,144 crore forming 12.47% of ANBC, thereby surpassing the mandatory requirement of 10%. The advances to women customers increased from ₹14,342 crore as at March 2016 to ₹15,712 crore as at March 2017, forming 9.26% of ANBC against the mandatory level of 5%. Similarly, advances to minorities increased from ₹10,205 crore as at March 2016 to ₹10,611 crore as at March 2017, forming 15.63% of priority sector advances surpassing the mandatory requirement of 15%.

कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप

मार्च 2017 की स्थिति में कृषि क्षेत्र का ऋण, 9.03 प्रतिशत बढ़कर ₹31,878 करोड़ हो गया है (मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार ₹29,237 करोड़ से) जो 18% के अधिदेशी लक्ष्य के मुकाबले एएनबीसी का 18.79 प्रतिशत बनता है। लघु एवं सीमांत किसानों को दिया गया ऋण ₹15,569 करोड़ है जो एएनबीसी के अधिदेशी लक्ष्य 8.00 प्रतिशत की तुलना में 9.18 प्रतिशत बनता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान तिमाही निष्पादन

भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने तिमाही आधार पर अधिदेशी लक्ष्यों को हासिल किया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ₹29,852 करोड़ का औसत हासिल किया गया जबकि कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत ₹65,398 करोड़ हासिल किया गया। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2016-17 की चार तिमाहियों के ₹52,674 करोड़ के अधिदेशी स्तर के मुकाबले लघु एवं सीमांत किसानों के मामले में ₹63,699 करोड़ हासिल किया गया।

बैंक ने 20 लाख से भी अधिक ग्राहकों को कृषि अग्रिम प्रदान किए हैं। वर्ष के दौरान कृषि ऋण की विशेष योजना के अंतर्गत ₹18,214 करोड़ की राशि संवितरित की गई। बैंक ने वर्ष के दौरान अपनी ग्रामीण अर्ध-शहरी शाखाओं के माध्यम से 1,00,711 नये किसानों को अपना ग्राहक बनाया है जिससे प्रति ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखा के लिए औसतन 43 नए किसान जुड़ गए हैं।

सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड योजना (एसकेसीसी)

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार, हमारा बैंक सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड (एसकेसीसी) योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड का संशोधित दिशानिर्देश कार्यान्वित कर रहा है तथा संशोधित दिशानिर्देशों में निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं:

- पाँच वर्षों के लिए स्टेगर्ड सीमा का निर्धारण
- चेक बुक तथा एटीएम/डेबिट कार्ड (रुपे किसान कार्ड) के निर्गमन का प्रावधान, जिससे किसान अपने एसकेसीसी खातों के परिचालन में प्रभावी रूप से लेन-देन के लिए सक्षम हो सकेंगे।

वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ₹6,562 करोड़ की राशि के 4.85 लाख सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। मार्च 2017 की स्थिति में, 7.21 लाख नियमित एसकेसीसी खातों के लिए रुपे किसान कार्ड जारी किए गए हैं ।

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

सरकार द्वारा प्रायोजित गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन की योजनाओं के कार्यान्वयन में बैंक ने अपनी सहभागिता जारी रखी है। इन योजनाओं के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा./अपिव, महिला एवं अल्पसंख्यक हिताधिकारियों के चयन पर विशेष जोर दिया गया। वर्ष के दौरान इन योजनाओं जैसे; एनआरएलएम, पीएमईजीपी, एसजीएसवाई, एसजेएसआरवाई तथा एसआरएमएस योजनाओं के अंतर्गत 1,19,845 उधारकर्ता खातों में कुल ₹2,956.82 करोड़ की राशि बकाया हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 से स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) को पुनर्गठन एवं नवीकरण करके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के रूप में क्रियान्वित किया गया है।

Agriculture and Allied activities

Credit to agricultural sector increased by 9.03 percent to ₹31,878 crore as at March 2017 (from March 2016 level of ₹29,237 crore) forming 18.79% of ANBC as against the mandatory requirement of 18%. Lending to small and marginal farmers being ₹15,569 crore constituted 9.18% of ANBC against the mandatory requirement of 8.00%.

Quarterly Performance during 2016-17

As per RBI revised directions, Bank has to achieve the mandatory targets on quarterly basis. Average of ₹29,852 crore was achieved under agriculture during the financial year 2016-17, while ₹65,398 crore under total priority sector advances. Similarly, in case of small and marginal farmers ₹63,699 crore was achieved against the mandatory level of ₹52,674 crore of four quarters of the FY 2016-17.

Bank has covered more than 20 lakh customers under agricultural advances. The disbursement under credit flow to agriculture during the year amounted to ₹18,214 crore. The Bank brought 1,00,711 new farmers into its fold during the year through rural/semi-urban branches, registering an average of 43 new farmers per rural and semi-urban branch.

Syndicate Kisan Credit Card Scheme (SKCC)

As per the directions of RBI, Bank is implementing the revised guidelines of Kisan Credit Card under Syndicate Kisan Credit Card (SKCC) Scheme and the revised guidelines involve the following.

- Fixation of staggered limit for five years.
- Provision for issuance of cheque book and ATM / Debit Cards (Rupay Kisan Cards) which will enable the farmers to effectively transact their operations in their SKCC accounts.

The Bank has issued 4.85 lakh Syndicate Kisan Credit Cards during the year 2016-17 amounting to ₹6,562 crore. As at March 2017, Rupay Kisan Cards have been issued in case of 7.21 Lakh operative SKCC A/cs.

Government Sponsored Schemes

The Bank continued to participate in poverty alleviation and employment generation schemes sponsored by the Government in full scale. Special emphasis was laid on coverage of SC/ST/OBC, women and minority beneficiaries under these schemes. The total amount outstanding under these schemes viz. NRLM, PMEGP, SGSY, SJSRY and SRMS is ₹2,956.82 crore with 1,19,845 borrowal accounts during the year. National Rural Livelihood Mission scheme is revamped & restructured scheme of Swarna Jayanti Grameen Swarojgar Yojana (SGSY) with effect from the financial year 2015-16.

वर्ष 2015-16 के दौरान, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना का ही एक परिष्कृत रूप है जिसे 2011 की जनगणना के अनुसार सभी जिला मुख्यालयों एवं 100,000 या इससे अधिक जनसंख्यावाले शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है। एनआरएलएम और एनयूएलएम का 25 सितंबर 2015 से दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में पुनर्गठन किया गया है।

अ.जा./अ.ज.जा. को अग्रिम

अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों को विभिन्न योजनाओं, खास तौर पर सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत शामिल करने की दृष्टि से इन योजनाओं का नियमित रूप से पुनरीक्षण किया जाता है। बैंक ने अपनी विभिन्न योजनाओं के बारे में अ.जा./अ.ज.जा. को जानकारी देने का विशेष प्रयास किया है ताकि वे इन योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों को दिए गए अग्रिम, मार्च 2016 के ₹ 4,342 करोड़ की तुलना में मार्च 2017 में बढ़कर ₹ 4,520 करोड़ हो गए, जो वर्षानुवर्ष 4.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं (जैसे, एनआरएलएम, एनयूएलएम, पीएमईजीपी) तथा डीआरआई योजनाओं के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. संबंधी अग्रिमों के वितरण तथा बकाया की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी जा रही है:

वर्ष 2016-17 (मार्च 2017 तक) के दौरान सरकार द्वारा प्रायोजित तथा डीआरआई योजनाओं के तहत अ.जा./अ.ज.जा. के हिताधिकारियों को वितरित किए गए अग्रिम:

(रकम ₹ करोड़ में)

योजना	कुल वितरण		जिनमें अ.जा./अ.ज.जा. के		कुल की तुलना में अ.जा./अ.ज.जा का % (खातों के लिए)
	खाता	रकम	खाते	रकम	
पीएमईजीपी	3,485	86.43	952	25.21	27.31%
एनआरएलएम	47,571	1,514.96	12,521	485.32	26.32%
एनयूएलएम	1,856	16.27	550	4.20	29.63%

मार्च 2017 की स्थिति में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों को बकाया अग्रिम:

(रकम ₹ करोड़ में)

योजना	बकाया शेष		जिनमें अ.जा./अ.ज.जा. के		कुल की तुलना में अ.जा./अ.ज.जा. का % (खातों के लिए)
	खाता	रकम	खाते	रकम	
पीएमईजीपी	6,272	198.20	1,925	64.35	30.69%
एनआरएलएम	1,08,293	2,705.46	36,565	835.88	33.76%
एनयूएलएम	2,404	29.71	651	11.32	27.07%
एसआरएमएस	334	4.03	320	3.75	95.81%

National Urban Livelihood Mission (NULM) is another revamped scheme of Swarna Jayanti Sahari Rojgar Yojana during 2015-16 and is implemented in all district headquarters and all other cities with a population of 100,000 or more as per 2011 census. Both NRLM and NULM now remodeled as Deen Dayal Antyodaya Yojana on 25 September 2015.

Advances to SC/ST

The coverage of SC/ST beneficiaries under various schemes, especially under Govt. Sponsored Schemes is reviewed at regular intervals. Bank has initiated special efforts to create awareness about various schemes of the Bank among SC/STs to motivate them to avail the benefits under these schemes.

Advances to SC/ST beneficiaries under priority sector rose from ₹4,342 crore as at March 2016 to ₹4,520 crore as at March 2017 registering year on year growth of 4.10%. Disbursement and outstanding position of advances to SC/ST under Govt. Sponsored Schemes (i.e. PMEGP, NRLM & NULM) are furnished in the following tables:

Advances disbursed to SC/ST beneficiaries under Govt. Sponsored Schemes during 2016-17 (as on March 2017)

(Amount ₹ in crore)

Scheme	Total Disbursement		Of which SC/ST		% to SC/ST against total (For Accounts)
	A/C	Amt.	A/C	Amt.	
PMEGP	3,485	86.43	952	25.21	27.31%
NRLM	47,571	1,514.96	12,521	485.32	26.32%
NULM	1,856	16.27	550	4.20	29.63%

Outstanding advances to SC/ST beneficiaries under Govt. Sponsored Schemes as on March 2017.

(Amount ₹ in crore)

Scheme	Balance outstanding		Of which SC/ST		% to SC/ST against total (For Accounts)
	A/C	Amt.	A/C	Amt.	
PMEGP	6,272	198.20	1,925	64.35	30.69%
NRLM	1,08,293	2,705.46	36,565	835.88	33.76%
NULM	2,404	29.71	651	11.32	27.07%
SRMS	334	4.03	320	3.75	95.81%

अल्पसंख्यक समुदायों को अग्रिम

क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अग्रणी जिला कार्यालयों के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के बीच विभिन्न ऋण उत्पादों को लोकप्रिय बनाने हेतु बैंक ने अनेकों उपाय किए हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें। अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिम, मार्च 2016 के ₹10204.51 करोड़ की तुलना में 3.99 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज कराते हुए मार्च 2017 में ₹10611.29 करोड़ हो गए। अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराने तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति और सच्चर समिति की सिफारिशों की जानकारी बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ पहुँचाने के लिए बैंक द्वारा वर्ष 2010 में 0.25 से लेकर 0.50 प्रतिशत तक की विशेष रियायती ब्याज योजना की शुरुआत की गई थी, जिसे वर्ष 2016-17 के दौरान भी जारी रखा गया।

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण सुविधा/संयुक्त देयता समूह

मार्च 2017 की स्थिति में 108,250 खातों सहित स्वयं सहायता समूहों का बकाया अग्रिम ₹ 2889.45 करोड़ है। संयुक्त कृषक समूह एक ऐसा अनौपचारिक समूह है जिसमें 4 से 10 किसान वैयक्तिक रूप से एक साथ मिलकर जेएलजी वित्त के माध्यम से संस्थागत ऋण का लाभ उठाते हैं। बैंक से जुड़े एसएचजी की समस्त महिला सदस्यों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारा बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित जन श्री बीमा योजना में भाग ले रहा है जिसके प्रीमियम पर भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का दोहरा लाभ यह है कि एसएचजी के बीमित सदस्य के दो बच्चों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के शिक्षा सहयोग योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

किसानों को ब्याज अनुदान का लाभ:

भारत सरकार की ब्याज अनुदान लाभ योजना के अंतर्गत बैंक ने वर्ष 2016-17 के दौरान फसल उत्पाद ऋण की सीमा से 6.04 लाख किसानों को लाभान्वित किया। बैंक ने 2 प्रतिशत की दर से किसानों को ₹173.79 करोड़ का लाभ दिया तथा वर्ष 2016-17 के दौरान ससमय चुकौती करनेवाले किसानों को 3 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज अनुदान लाभ देकर ₹144.63 करोड़ का लाभ कराया जबकि किसानों के लिए निर्धारित ब्याज दर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी।

सौर उर्जा का उपयोग

सौर उर्जा के उन्नयन हेतु बैंक सक्रिय सहभागिता कर रहा है और जल तापन तथा सौर विद्युत प्रणाली के वित्तीयन से संबंधित योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। हमारा बैंक, वर्तमान में जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के अंतर्गत नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से सौर विद्युत प्रणाली तथा सौर जल तापन प्रणाली को वित्त उपलब्ध कराने की योजना के कार्यान्वयन में लगा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, नवीन एवं पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सुलभ ऋण योजना के अंतर्गत 57 सौर इकाईयाँ लगाने के लिए ₹53.57 करोड़ के ऋण बैंक द्वारा दिए गए हैं। संचयी तौर पर, योजना की शुरुआत से अब तक ₹169.13 करोड़ की राशि की 36,308 इकाईयों का स्वयं सहायता समूहों/संयुक्त देयता समूहों को ऋण सुविधा से जोड़ी गई है।

Advances to Minorities

Bank has taken various measures through Regional Offices and Lead District Offices for popularizing amongst minority communities the various credit products available for their benefit. The advances to minorities rose from ₹10,204.51 crore as at March 2016 to ₹10,611.29 crore as at March 2017 registering a year on year growth of 3.99%. The information pertaining to credit flow to minority communities and status on implementation of Prime Minister's New 15 point programme for Minorities' community and Sachar Committee recommendations are placed in the Bank's website. Special interest concession scheme ranging from 0.25% to 0.50% was introduced by the Bank during 2010 for the benefit of minority community under priority sector lending the same was continued during 2016-17.

Credit linkage of Self Help Groups/Joint Liability Groups

The Advance extended to Joint Liability Groups and Self Help Groups as at March 2017 was 1,08,250 accounts with an outstanding balance of ₹2889.45 crore. A joint farming group is informal group comprising 4 to 10 individual farmers who come together to access institutional credit through JLG mode of financing. The Bank is participating in Jana Sree Bima Yojana of LIC of India to extend insurance cover to all the women members of SHGs credit linked to Bank wherein the premium is subsidized by GOI. This scheme has an add-on benefit under Shiksha Sahayog Yojana wherein two children of the insured member of SHG are provided with scholarship at no additional cost.

Interest subvention benefit to farmers

The Bank has extended crop production credit to 6.04 lakh farmers during 2016-17 under interest subvention scheme of the Govt. of India. The Bank has extended the interest subvention benefit @ 2% to the tune of ₹173.79 crore and ₹144.63 crore as additional incentive subvention @ 3% for timely repayment during 2016-17 and making the eligible farmer derive credit at the effective prescribed interest rate of 4% p.a.

Harnessing Solar Energy

The Bank has been actively promoting solar energy application by implementing the schemes for financing Solar Water Heating Systems and Solar Lighting Systems. The Bank is presently implementing the scheme to extend finance to Solar Home Lighting Systems and Solar Water Heating Systems with subsidy assistance from Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) under Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM). During the financial year 2016-17, the Bank extended credit of ₹53.57 crore for installing 57 solar units under the soft loan scheme of the Ministry of New and Renewable Energy. The cumulative number of units financed since inception of the scheme is 36,308 amounting to ₹169.13 crore.

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की सिंड सोलर ज्योति योजना के तहत 130 सोलर लाइट लगाने के लिए बैंक ने ₹ 7.17 लाख की वित्तीयन की है। इस योजना की शुरुआत से इस तिमाही के अंत तक सोलर लाइट की कुल संख्या 12106 हो गई है जिसमें ₹ 35.16 करोड़ की रकम वितरित की गई।

ग्रामीण विस्तार शिक्षा कार्यक्रम

आधुनिक कृषि और ग्रामीण तकनीकों एवं बैंक के ऋण कार्यक्रम पर ग्रामीण लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मुख्यतः ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के माध्यम से बैंक ग्रामीण विस्तार शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 1,21,265 प्रतिभागियों को लाभ पहुँचाते हुए ₹17.94 लाख की खर्च से 1949 ग्रामीण शिक्षा विस्तार कार्यक्रम आयोजित किए गए।

फसल बीमा योजनाएँ

खरीफ 2016 से तीन नई फसल बीमा योजनाएँ शुरू की गई (01.04.2016 से) ये योजनाएँ निम्नवत हैं:

- पीएमएफबीवाई : (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना)
- पुनर्गठित डब्ल्यूबीसीआईएस: (मौसम आधारित फसल बीमा योजना)
- युपीआईएस : (एकीकृत पैकेज बीमा योजना)

पात्र केसीसी धारकों को संबंधित फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत कवर किया गया है। बैंक द्वारा 2.78 लाख केसीसी खातों को इन फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है और खरीफ के मौसम में प्रीमियम के रूप में ₹52.38 करोड़ का प्रेषण किया गया है। 2016 में रबी फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत 0.95 लाख किसानों को अब तक कवर किया गया है।

ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संसाधन (रूडसेटी)

बैंक ने देशभर में 27 ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (रूडसेटी) को आयोजित किया है। इन संस्थानों ने वर्ष 2016-17 के दौरान 26,284 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया है। इन प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से 12678 महिलाएं थीं और 7562 अ जा/अ ज जा के श्रेणी के थे। शुरू से अब तक प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 4,23,051 है। नियोजन की दर 71.98 प्रतिशत है।

हमारे रूडसेटी मॉडल को भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रोल मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया जिसे देश के प्रत्येक जिले में लागू किया जाना है। बेंगलूर में रूडसेटी राष्ट्रीय अकादमी के निगरानी कक्षा की स्थापना की गई है जो पूरे भारत में स्थित इन संस्थानों के कार्यकलापों की निगरानी करता है।

सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास (एसआरडीटी)

सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास (एसआरडीटी) की स्थापना ग्रामीण गरीबों, खासकर महिलाओं में ग्रामीण उद्यमिता एवं स्वरोज़गार को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2000 में की गई। अब तक बैंक ने ग्रामीण गरीबों को प्रशिक्षण

The Bank financed ₹7.17 crore for installing 130 solar lighting units under Synd Solar Jyothi scheme of the Bank during the financial year. The cumulative number of solar lighting units financed as at the end of the quarter since inception of the scheme is 12,106 involving disbursement of ₹35.16 Crore.

Rural Extension Education Programmes

Bank has been organizing Rural Extension Education Programmes mainly through the rural and semi-urban branches for promoting awareness among the rural people on modern agriculture & rural technologies and bank's credit programmes.

During the financial year 2016-17, the Bank has organized 1,949 Rural Extension Education Programmes benefiting 1,21,265 participants with an expenditure of ₹17.94 lakhs.

Crop Insurance Schemes

Three crop insurance schemes were introduced from Kharif 2016 (From 01.04.2016 onwards). These schemes are as under:

- PMFBY (Prime Minister Fasal Bhima Yojana)
- Restructured WBCIS (Weather Based Crop Insurance Scheme)
- UPIS (Unified Package Insurance Scheme)

The eligible KCC holders are covered with respective crop insurance schemes. Bank has enrolled 2.78 Lakh KCC accounts under these crop insurance schemes and remitted ₹52.38 crore as premium in Kharif season. In Rabi 2016, 0.95 Lakh farmers are covered under crop insurance schemes.

Rural Development and Self Employment Training Institute (RUDSETI)

Bank has co-sponsored 27 Rural Development and Self Employment Training Institutes (RUDSETIs) across the country. These institutes have trained 26,284 candidates during the year 2016-17. Out of these trained candidates 12,678 were women & 7,562 were from SC/ST category. Total candidates trained since inception is 4,23,051. The settlement rate is 71.98%.

Our RUDSETI model has been accepted by Ministry of Rural Development, Govt. of India as a role model to be replicated in each district of the country. A Monitoring Cell of National Academy of RUDSETIs has been established at Bangalore for monitoring these RSETI institutes and their activities pan India.

Syndicate Rural Development Trust (SRDT)

Syndicate Rural Development Trust (SRDT) was established in the year 2000 to promote rural entrepreneurship and self

देने के लिए 5 राज्यों और एक संघशासित क्षेत्र में कुल 16 सिंड ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थाओं (सिंडआरसेटी) को स्थापित किया है। हमारे बैंक को वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान लघु बैंकिंग श्रेणी (20 आरसेटी से कम वाले बैंक) में श्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से नवाज़ा गया। इन संस्थाओं ने वर्ष 2016-17 के दौरान 444 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनसे 11,778 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इनमें 6536 महिलाएँ तथा 2988 व्यक्ति अ.जा/अ.ज.जा. संवर्ग के थे। शुरू से अब तक प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 1,44,677 हैं। नियोजन की दर 66.37% है।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी)

सिंडिकेट बैंक तथा विजया बैंक ने दोनों बैंकों के अग्रणी जिलों में वित्तीय साक्षरता केंद्र (जो पहले वित्तीय साक्षरता एवं परामर्श केंद्र के नाम से जाना जाता था) शुरू करने के उद्देश्य से संयुक्त रूप से दिनांक 20.10.2010 को मणिपाल में ज्ञान ज्योति एफएलसीसी ट्रस्ट की स्थापना की। इन वित्तीय साक्षरता केंद्रों की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांक 4.2.2009 के अनुसार की गई जो एफएलसीसी की स्थापना के संदर्भ में विजया बैंक मार्च 2016 में न्यास से निकल गया और कर्नाटक बैंक लिमिटेड, एपीजीबी और केवीजीबी ने संस्थागत प्रायोजकों के रूप में सम्मलित हुए। यह न्यास अब तक 5 राज्यों और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र में स्थित हमारे बैंक के अग्रणी जिलों में अब तक 55 वित्तीय साक्षरता केन्द्रों की स्थापना कर चुका है। इन केन्द्रों ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 16561 साक्षरता कैंप आयोजित करके 70,717 व्यक्तियों को लाभान्वित किया है।

वित्तीय समावेशन संसाधन केन्द्र (एफआईआरसी)

भा.रि.बैं. की सलाह पर हमारे बैंक ने 5 राज्यों में 21 वित्तीय समावेशन संसाधन केंद्रों (एफआईआरसी)की स्थापना की है। ये संसाधन केंद्र बैंकिंग की विभिन्न पहलुओं, बैंकिंग सेवाओं तथा इनके उत्पादों, भा.रि.बैं. एवं इनके कार्यों के प्रदर्शन के माध्यम से सूचना के स्थाई स्टोर हाउस के रूप में कार्य करते हैं।

अग्रणी बैंक योजना

हमारे बैंक के पास संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप सहित देश भर के 29 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी दी गई है। बैंक के सभी अग्रणी जिला कार्यालयों ने जिला स्तरीय समीक्षा (डीएलआरसी) एवं जिला परामर्शदाता समिति (डीसीसी) की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया है। ऋण आयोजना प्रक्रिया पूरी हो गई है और भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित समय सूची के अनुसार जिला ऋण योजना (डीसीपी) 2017-18 की शुरुआत की गई है। बैंक कर्नाटक राज्य और संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का संयोजक है और बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह किया है। कर्नाटक के लिए एसएलबीसी और लक्षद्वीप के लिए यूटीएलबीसी द्वारा अग्रीणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जिला ऋण योजना 2016-17 के तहत बैंक के अग्रणी जिलों ने मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत 160.30% की उपलब्धि और मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार वार्षिक ऋण योजना 2016-17 के कार्यान्वयन के संबंध में कृषि के तहत 126-91% की प्रगति दर्शायी है।

employment among the rural poor, especially women. So far, the Bank has established 16 SyndRural Self Employment Training Institutes (Synd RSETIs) in 5 States and 1 Union Territory for imparting training to rural poor. Bank has been awarded the Best Bank award under small bank category (Banks with less than 20 RSETIs) for the FY 2013-14. These institutes have conducted 444 training programs during the year 2016-17, benefitting 11,778 persons, of whom 6,536 were women and 2,988 were from SC / ST category. Total candidates trained since inception is 1,44,677. The settlement rate is 66.37 %.

Financial Literacy Centers (FLCs)

Syndicate Bank and Vijaya Bank had jointly established Jnana Jyothi FLCC Trust, Manipal on 20.10.2010 to set up Financial Literacy Centres (earlier called Financial Literacy and Credit Counseling Centers) in the Lead Districts of both the Banks. The FLCs are established on the lines of Model Scheme for setting up of FLCCs issued by RBI vides their circular dated 04.02.2009. Vijaya Bank has opted out of the trust in March 2016 and Karnataka Bank Ltd, APGB and KVGB have joined as institutional sponsors. The Trust has so far set up 55 FLCs on behalf of Bank in lead districts in five states and UT of Lakshadweep. During the Financial Year 2016-17, these FLCs have conducted 16561 literacy camps benefitting 70,717 persons.

Financial Inclusion Resource Centers (FIRCs)

As advised by RBI, Bank has set up 21 Financial Inclusion Resource Centers (FIRCs) in 5 States. These FIRCs provide a permanent storehouse of information in the form of exhibition on various facets of banking, banking services and its products, RBI and its functions, etc.

Lead Bank Scheme

The Bank has been assigned with lead bank responsibilities in 29 districts inclusive of UT of Lakshadweep across the country. All the Lead District Offices of the Bank have conducted the District Level Review Committee (DLRC) meetings and District Consultative Committee (DCC) meetings regularly. The credit planning process was completed and District Credit Plan (DCP) 2017-18 was launched as per time schedule envisaged by RBI. The Bank is also the convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) in Karnataka and the Union Territory of Lakshadweep and satisfactorily discharged the responsibilities cast on it as the convener of State Level Bankers' Committee. The SLBC for Karnataka and UTLBC for Lakshadweep are implementing the recommendations of the High Level Committee to review the Lead Bank Scheme. Under District Credit Plan, Bank's lead districts have shown 160.30% achievement under priority sector and 126.91% progress under agriculture as on March 2017 in respect of implementation of Annual Credit Plan 2016-17.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

हमारे बैंक द्वारा तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रोयजित किए गए हैं। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की, 3 राज्यों के 18 जिलों में 1563 शाखाएँ हैं। हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुख्य कारोबार के मानदंडों के संदर्भ में देश के अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में श्रेष्ठ हैं। बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुख्य व्यावसायिक मानदंडों के संदर्भ में देश के अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल व्यवसाय 31 मार्च 2017 को ₹57.161 करोड़ रहा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल जमाराशियाँ तथा अग्रिम बढ़कर क्रमशः ₹31,841 करोड़ और ₹25,320 करोड़ के स्तर तक पहुँच गया है। 31 मार्च 2017 की स्थिति में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का कुल अग्रिम ₹22,987 करोड़ रहा, जो कुल अग्रिमों का 90.78% है। कृषि अग्रिम ₹18,832 करोड़ पर पहुँच गया जो कि कुल अग्रिमों का 74.37 % है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किसानों को कुल मिलाकर 12.21 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं जिनका कुल ऋण बकाया रु.12,386 करोड़ रहा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी स्थापना के बाद से लगातार लाभार्जन कर रहे हैं।

हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सीबीएस और एनजीआरटीजीएस, एनईएफटी को एपीबीएस/एनएसीएच प्लैटफार्म, ईसी और सीपीपीएसएमएस 2.6 वर्जन के साथ लागू किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने पीएमजेडीवाई में सक्रिय रूप से भाग लेकर 26,01,220 बचत बैंक खाते खोले हैं और 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार 24,47165 रुपे कार्ड जारी कर दिया है। तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सिस्टम आधारित एनपीए कार्यान्वित है। बैंक द्वारा प्रायोजित तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार एफआई योजना (2016-19) को कार्यान्वित कर चुके हैं।

वित्तीय समावेशन पहल

बैंक ने 3229 एसएसए जिसमें 6953 गांव सम्मिलित हैं, आबंटित किया है जिनमें 2615 बैंक मित्रों को पूरे देश के ग्रामीणों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने के लिए तैनात किया गया है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना

'प्रधानमंत्री जनधन योजना' (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 28.08.2014 को शुरू की गई थी जिसमें उन सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को एक लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया था जो बैंक खाते के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं से वंचित थे।

बैंक द्वारा पीएमजेडीवाई के तहत 31.03.2017 की स्थिति में ₹1,178.29 करोड़ के बकाए शेष सहित 43.47 लाख सामान्य बचत बैंक जमाराशि (बीएसबीडी) खाते खोले गए हैं। 60.38% के औद्योगिक औसत के मुकाबले 32.14 लाख पीएमजेडीवाई खातों (73.95%) को आधार से जोड़ा गया है।

व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र)

बैंक ने कुल 2615 बैंक मित्रों को नियुक्त किया है और सभी बैंक मित्रों को एईपीएस और रूपे कार्ड संव्यवहारों के लिए अंतर परिचालनक्षम माइक्रो एटीएम दिए गए हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान माइक्रो एटीएम के माध्यम से लेन-देनों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और दैनिक लेन-देन 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार 8 से बढ़कर 31.03.2017 की स्थिति में 12 हो गए हैं।

REGIONAL RURAL BANKS

There are three Regional Rural Banks sponsored by your Bank. These RRBs are covering 18 districts in 3 states with a network of 1563 branches. RRBs sponsored by your Bank are in the top league among various RRBs of the country, in respect of key business parameters. Total business of RRBs sponsored by the Bank stood at ₹57,161 crore as on 31.03.2017.

The total deposits and advances of the RRBs have reached a level of ₹31,841 crore and ₹25,320 crore respectively. The total priority sector advances stood at ₹22,987 crore constituting 90.78 percent of the total advances as at 31.03.2017. Agriculture advance have reached a level of ₹18,832 crore forming 74.37 percent of total advances. All the RRBs have issued 12.21 lakh Kisan Credit Cards to farmers with an outstanding credit of ₹12,386 crore. The RRBs are making profit continuously from their inception.

All the RRBs sponsored by the Bank have moved towards implementation of CBS and NGRTGS, NEFT, on boarded with APBS/NACH platform, ECs and CPSMS 2.6 version. RRBs have actively participated in PMJDY and have canvassed 26,01,220 SB accounts and issued 24,47,165 RuPay cards as on 31.03.2017. System generated NPA is implemented in all the three RRBs. All the three RRBs sponsored by Bank have implemented FI Plan (2016-2019) as per the direction of Reserve Bank of India and Government of India.

FINANCIAL INCLUSION INITIATIVES

Bank has covered all the allotted 3229 SSAs covering 6953 villages and deployed 2615 Bank Mitrs across the country to provide banking services to the villagers.

PRADHAN MANTRI JAN-DHAN YOJANA

"Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana" (PMJDY) was launched by the Hon'ble Prime Minister on 28.08.2014 with an objective of covering all the uncovered households in the villages and urban wards with a bank account to provide banking facilities, in a mission mode.

Bank has opened 43.47 lakh Basic Savings Bank Deposits (BSBD) accounts under PMJDY as on 31.03.2017 with an outstanding balance of ₹1,178.29 crore out of which 32.14 lakh PMJDY Accounts (73.95%) have been seeded with Aadhaar against industry average of 60.38%.

Business Correspondent (Bank Mitr)

Bank appointed 2615 Bank Mitrs and all are provided with interoperable Micro ATMs for doing AEPS and RuPay transactions. No. of transactions through Micro ATMs have increased considerably during 2016-17 and per day transactions have increased from 8 as at 31.03.2016 to 12 as at 31.03.2017.

आंध्रप्रदेश के कृष्णा जिले में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के 15 सदस्यों को बैंक मित्रों के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि वे नई परियोजनाओं / डीबीटी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकें। विमुद्रीकरण की अवधि के दौरान कर्नाटक राज्य के तुमकूर जिले के गुब्बी तालुका में विशेष ग्रामीण नकदी केंद्र की वजह से वहाँ 5 अतिरिक्त बैंक मित्र नियुक्त किए गए।

अत्यंत लघु शाखाएँ

5000 से अधिक जनसंख्या वाले बैंक रहित गावों में पारंपरिक शाखाओं को खोलने के लिए मार्गसूची के अनुसार 2016-17 के दौरान 56 नई यूएसबी खोली गई। इसके साथ बैंक की अत्यंत लघु शाखाओं (यूएसबी) की संख्या बढ़कर 979 हो गई है। बैंक मित्रों और शाखा के अधिकारियों द्वारा गावों के साप्ताहिक दौरे के द्वारा यूएसबी में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

नकद रहित आधार परिचालित संव्यवहारों (एईपीडीएस) के लिए उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) का एकीकरण

आपके बैंक ने बैंक की सेवा क्षेत्र से परे आंध्रप्रदेश के पांच अग्रणी जिलों; अर्थात अनंतपुरमु, कडपा, कर्नूल, नेल्लूर और प्रकाशम, में नकद रहित आधार परिचालित संव्यवहारों के लिए सभी एफपीएस को एकीकृत करने की जिम्मेदारी को सक्रियता से निभाया है। बैंक केवल 7 दिनों की चुनौतीवाली समय सीमा में एकीकरण को पूर्ण कर प्रणाली को परिचालित कर दिया। बैंक ने 09.12.2016 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुरमु और कडपा जिलों में आधार परिचालित नकद रहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (एईपीएडीएस) का प्रवर्तन किया। 31.03.2017 की स्थिति में आंध्र प्रदेश में 11,009 एफपीएस, मासिक राशन की आधार परिचालित नकदरहित बिक्री के लिए एकीकृत किए गए और इन दुकानों ने 01.01.2017 से आधुनिकतम नकद रहित संव्यवहारों की शुरुआत की है तथा उक्त परियोजना अबाध रूप से चल रही है। बैंक ने अनुवर्ती रूप से हरियाणा के अंबाला में नकदरहित एईपीडीएस का प्रवर्तन किया है और आधार परिचालित नकद रहित संव्यवहारों के लिए 46 एफपीएस एकीकृत किए।

गावों का पूर्ण डिजिटलीकरण

सिंडिकेट समृद्धि ग्राम विकास योजना के तहत बैंक ने हर वर्ष ₹20 लाख आबंटित करके 26 गावों को समग्र विकास के लिए अंगीकार किया है। 09.12.2016 को बैंक ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुरमु और कडपा जिलों के एक-एक गांव को शतप्रतिशत डिजिटलीकृत गांव के रूप में घोषित किया है। अनुवर्ती रूप से सिद्दीपेट, नेल्लूरु, मथुरा, धारवाड़ बल्लारी, दक्षिण कन्नड, प्रकाशम के एक-एक गांव और कर्नूल जिले में 5 गांवों को जिला प्रशासन के समक्ष पूर्णतया डिजिटल घोषित किया गया।

वित्तीय साक्षरता

बैंक ने जेजेएफएलसीसी ट्रस्ट के माध्यम से वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित किया है । ट्रस्ट ने बैंक के अग्रणी जिला में 55 वित्तीय साक्षरता केंद्र(एफएलसी) तथा 21 वित्तीय समावेशन संसाधन केंद्र (एफआईआरसी) खोले हैं । अप्रैल से मार्च 2017 तक 16,561 साक्षरता शिविर आयोजित किए गए जिससे 7,09,179 लोग लाभान्वित हुए । रा.स्त.बैं.स (एसएलबीसी) के संयोजक होने के नाते बैंक ने कर्नाटक में राज्य सरकार के सहयोग से 4 डिजि धनमेला और यूटीएलबीसी के सहयोग से लक्ष्यद्वीप में एक मेले को आयोजित किया ।

Fifteen additional Bank Mitrs were appointed in Krishna District of Andhra Pradesh in view of new projects/DBT schemes implemented in the district by engaging SHG members as Bank Mitrs. Five additional Bank Mitrs were appointed in Gubbi Taluk in Tumkuru district of Karnataka State as Special Rural Cash Points during the period of demonetization.

Ultra Small Branches

As per RBI roadmap for opening brick & mortar branches in unbanked villages with population of more than 5000, 56 new USBs are opened during 2016-17. With this, total number of USBs in the Bank have increased to 979. Banking services are extended in USBs through Bank Mitr and weekly visits of branch officials to villages.

Integration of Fair Price Shops (FPS) for cashless AePDS

Your Bank has proactively taken the responsibility of integrating all the FPS, irrespective of service area of Bank in five lead districts of AP viz. Anantapuramu, Kadapa, Kurnool, Nellore and Prakasam for cashless Aadhaar enabled transactions. Bank could complete the integration and enabled the system in a challenging time frame of just 7 days. Bank has launched Aadhaar enabled cashless Public Distribution System (AePDS) in Anantapuramu and Kadapa districts of AP on 09.12.2016. As on 31.03.2017, 11,009 FPS in AP were integrated for Aadhaar enabled cashless sale of monthly ration and these outlets have started doing live cashless transactions from 01.01.2017 and the project is running smoothly. Subsequently, Bank has started the cashless AePDS in Ambala district of Haryana and 46 FPS were integrated for Aadhaar enabled cashless transactions.

Full Digitalization of Villages

Under Syndicate Samruddhi Gram Vikas Yojana, Bank has adopted 26 villages for overall development by allotting ₹20 lakhs every year. On 09.12.2016, Bank has declared one village each in Anantapuramu and Kadapa districts of AP as 100% digitalized. Subsequently, one village each in Siddipet, Nellore, Mathura, Dharawad, Ballari, Dakshina Kannada, Prakasam and 5 villages in Kurnool districts were declared fully digital in the presence of district administration.

Financial Literacy

Bank is promoting financial literacy through JJFLCC Trust which has opened 55 Financial Literacy Centers (FLC) and 21 Financial Inclusion Resource Centers (FIRC) in the lead districts of the Bank and 16,561 literacy camps have been conducted benefitting 7,09,179 persons from April to March 2017. Being SLBC convenor, Bank has organized 4 Digi-Dhan melas in coordination with State Government in

बैंक ने डिजिटल चैनलों में सभी एफएलसी/रूडसेटी सदस्यों को प्रशिक्षित किया है । बैंक ने हाल में भर्ती किए गए करीब 361 एएमआरडी को वित्तीय समावेशन के बारे में प्रशिक्षित किया है ।

कॉरपोरेट ऋण

बैंक निगमों को उनकी अल्पावधि एवं दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए वित्त प्रदान करता है। कॉरपोरेट ऋण विभाग द्वारा ₹100.00 करोड़ से अधिक ऋण प्रदान किए गए। कार्यशील पूँजी वित्त, मीयादी ऋण वित्त, वाणिज्यिक स्थावर संपदा, बुनियादी परियोजनाएं और अन्य परियोजनाएँ, प्राप्य भावी किराए पर ऋण, संविभाग के नियंत्रण हेतु खरीद, अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र जैसे ऋण प्रस्तावित हैं।

परियोजना का मूल्यांकन एवं समूहन कक्ष (पीएसी)

परियोजना मूल्यांकन कक्ष, विस्तृत मूल्यांकन/टीईवी अध्ययन का पुनरीक्षण/जानकारी ज्ञापन की तैयारी हेतु, संस्थापित है। जहाँ उत्पाद/निर्माण/प्रक्रिया सम्मिलित है वहाँ पीएसी ₹70.00 करोड़ और उससे अधिक की परियोजना लागत वाले मीयादी ऋणों के प्रस्तावों और ₹35.00 करोड़ से अधिक के बैंक निभाव के बारे में विस्तृत मूल्यांकन करता है।

पीएसबी/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं/प्रमुख निजी क्षेत्रक बैंकों/अन्य नामी एजेंसियों द्वारा पहले से मूल्यांकित परियोजनाओं के संबंध में ₹100.00 करोड़ से अधिक के निभावों का पुनरीक्षण पीएसी द्वारा होता है। इस पहल में ऋण प्रस्तावों एवं त्वरित सूचना पर हमारी शाखाओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं को रिकार्ड समय (टीएडी) में पूरा किया जा सकता है।

समूहन के तहत ऋणों की व्यवस्था करने हेतु एक समूहन कक्ष संस्थापित किया गया है । यह पहल बैंक की निधि आधारित आय को बढ़ाएगा और बैंक को गुणवत्ता से युक्त अधिक मूल्य की बेहतर आस्तियों के निर्माण करने में मदद एवं बैंक के एनआईएम को सुधारने में भी मदद करेगा ।

मध्य कॉरपोरेट ऋण (एमसीडी)

मध्य कॉरपोरेट ऋण विभाग की स्थापना कॉरपोरेट कार्यालय में की गई है ताकि ₹35.00 करोड़ से ₹100.00 करोड़ की वाणिज्यिक भूसंपदा, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, बुनियादी संरचना, कम प्राथमिकता वाली कंपनियों तथा नए व्यवसाय संमूह सहित छोटे निगमों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । 28 मध्य कॉरपोरेट शाखाओं का संचालन मुख्य प्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है। अधिक मूल्य के ऋण प्रस्तावों को निपटाने हेतु विशेषज्ञ प्रशिक्षित एवं अनुभवी ऋण अधिकारियों को नियुक्त किया गया है । बैंक ने 31.03.2017 की स्थिति में इन 28 शाखाओं से ₹10,017.15 करोड़ का कारोबार किया ।

ऋण निगरानी एवं समीक्षा

ऋण अनुवर्तन की एक विस्तृत प्रणाली को बनाए रखने तथा अग्रिमों की आस्ति गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए आपके बैंक ने, कॉरपोरेट कार्यालय के महाप्रबंधक के नेतृत्व में एक अलग संविभाग बनाया है जिसमें विशिष्ट लेखा कक्ष, ऋण निगरानी कक्ष और कॉरपोरेट ऋण पुनर्संरचना कक्ष को शामिल करते

Karnataka and one mela in Lakshadweep by UTLBC. Bank has trained all FLC/RUDSETI members in digital channels. Bank has trained about 361 newly recruited officers in Financial Inclusion.

CORPORATE CREDIT

The bank extends finance to corporates for their short term as well as long term requirements. Exposure of above ₹100.00 crore are handled by corporate credit department. The loans offered are working capital finance, term loan finance, project finance such as commercial real estate, infrastructure projects and other projects, loan against future rent receivable, portfolio buyouts, interbank participation certificates, etc.

Project Appraisal & Syndication Cell (PAC)

Project Appraisal Cell has been constituted for preparation of detailed appraisal/vetting of TEV study/information memorandum. PAC undertakes detailed appraisal in respect of term loan proposals with project cost of ₹ 70.00 crore and above and Banks exposure of above ₹ 35.00 crore where production/construction/process is involved.

In respect of projects already appraised by PSBs/all India financial institutions/leading private sector banks/other reputed agencies, vetting is done by PAC for exposures above ₹100.00 crore. This initiative will reduce the Turn Around Time (TAT) for credit proposals as well as providing such services to branches at a short notice.

A Syndication cell has been constituted for arranging loans under Syndication. This initiative will increase the fee based income for the Bank and also will help in creating quality high value good assets for the bank and also for improving the NIM of the Bank.

MID CORPORATE CREDIT

Mid Corporate Credit Department has been established at the Corporate Office to cater to the credit requirements of smaller corporates whose credit requirement range between ₹35 crore to ₹100 crore including commercial real estate, MFIs, NBFCs, infrastructure, low priority industries and new business group. Bank has 28 Mid Corporate branches headed by Asst. General Manager/Chief Manager and posted with trained and experienced credit officers to provide required expertise to handle high value credit proposals. Bank has recorded ₹10,017.15 crore business from these 28 branches as on 31.03.2017.

CREDIT MONITORING AND REVIEW

In order to have a comprehensive system of monitoring the credit on an ongoing basis and to ensure asset quality of advances, your Bank has constituted a separate vertical at Corporate Office headed by a General Manager,

हुए उन्हें 2014 में ऋण निगरानी एवं समीक्षा विभाग में समाहित कर दिया गया। आस्ति गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत ऋण निगरानी नीति बनाई जा चुकी है।

यह विभाग प्राथमिक रूप से ऋण निगरानी से संबंधित नीतियों को बनाने के लिए प्राथमिकतया जिम्मेदार है। विभाग, आंचलिक और क्षेत्रीय कार्यालयों में मंजूर किए गए अग्रिमों के संबंध में मंजूरियों की समीक्षा कर रहा है।

प्रभावी तथा समयबद्ध निगरानी के लिए ₹1.00 करोड़ तथा इससे अधिक के उधार खातों के लिए प्रणाली आधारित मासिक निगरानी रिपोर्ट तैयार की गई है जिससे खातों की निरंतरता, नवीकरण की स्थिति, निरीक्षण/लेखापरीक्षा के विवरण, इकाई का निरीक्षण, बीमा रक्षा, प्रतिभूति का सृजन, इकाई का निष्पादन, बैंकिंग व्यवस्थाएँ, रेटिंग के ब्यौरे, जैसे ऋण खातों से संबंधित गुणवत्ता वाली जानकारी प्राप्त होगी। मासिक निगरानी रिपोर्ट प्रारंभिक चेतावनी के रूप में कार्य करेगी तथा ऋण संविभाग की वास्तविक स्थिति पर समग्र दृष्टि बनाए रखने हेतु उच्च प्रबंधन की मदद करेगी।

बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विधिक लेखापरीक्षण प्रणाली की शुरुआत की है जिसमें ₹5.00 करोड़ और उससे अधिक के अग्रिमों के संबंध में, जिनके विधिक सलाह के लिए दो वर्ष बीत गए हों, संपत्तियों के बंधक द्वारा समर्थित उनके हक विलेखों/नए विधिक सलाह का पुनःस्थापन किया गया है। विभाग इस प्रक्रिया के अनुपालन की निगरानी करता है। विभाग पात्र खातों के संबंध में स्टॉक लेखा परीक्षण की निगरानी करता है।

विभाग में दबावग्रस्त आस्ति कक्ष है, जो सीडीआर के तहत संदर्भित खातों से संबंधित सीडीआर और एसडीआर/एस4ए योजनाओं के संदर्भित खातों को देखता है।

विशेष निगरानी खाते (एसएमए)

विभाग के तहत विशेष निगरानी खाता कक्ष के नाम से एक अलग वर्टिकल कार्यरत है। जिन खातों में अनियमितताएँ/रुग्णता पायी जाती है उन्हें विशेष निगरानी खातों के रूप में जाना जाता है। इस कक्ष का मुख्य कार्य ऐसे खातों, जिनमें अनियमितता व रुग्णता के प्रारंभिक लक्षण पाए जाते हैं, की पहचान करना है ताकि आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें और आस्ति को एनपीए होने से रोका जा सके।

इस विभाग को मानक आस्ति के तहत दबावग्रस्त आस्तियों के समग्र अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस विभाग को उचित रिपोर्टिंग प्रणाली/ एम आईएस तैयार करने तथा नियमित अंतरालों पर आंकड़ा संग्रहण का कार्य सौंपा गया है।

सावधानी पूर्वक मूल्यांकन, कमजोरियों की शीघ्र पहचान एवं पुनर्रचित पैकेज के समयबद्ध कार्यान्वयन द्वारा विशेष निगरानी खातों और खातों की पुनर्संरचना, दोनों पर बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों का अनुपालन किया है।

in which the Special Mention Accounts Cell, Credit Monitoring Cell and Corporate Debt Restructuring Cell are merged into Credit Monitoring and Review Department in 2014. A comprehensive credit monitoring policy has been formulated for implementation to ensure asset quality.

The department is primarily responsible for framing policies related to credit monitoring. Department is reviewing the sanctions in respect of the advances sanctioned at Regional and Zonal Offices.

For effective and timely monitoring, a system based monthly monitoring report (MMR) for borrowal accounts of ₹1.00 crore and above is put in place in order to obtain qualitative information in respect of loan accounts such as regularity of the account, renewal status, inspection/audit details, unit visits, insurance coverage, security creation, performance of the unit, banking arrangements, rating details etc. The monthly monitoring report acts as an early warning system and facilitates the top management to have an overall view on the health of the credit portfolio.

As per the Reserve Bank of India guidelines, Bank has introduced a system of legal audit wherein re-verification of title deeds/fresh legal opinion in respect of advances of ₹5.00 crore and above, backed by mortgage of properties is done, where earlier legal opinion has completed 2 years. Department is monitoring compliance of this process. Department is also monitoring conduct of stock audit in respect of eligible accounts.

Department consists of a stressed asset cell which handles accounts referred to CDR and SDR/S4A schemes pertaining to accounts already referred under CDR.

Special Mention Accounts (SMA)

A separate vertical called special mention accounts cell is functioning under the department. The accounts which are showing sign of irregularities/sickness are known as special mention accounts. Major function of SMA cell is to identify the accounts showing early sign of irregularities, sickness so that timely effective action can be taken to maintain the quality of assets and to prevent them from slipping to NPA.

The department is vested with the responsibility of overall monitoring of stressed accounts under standard assets. The department is entrusted with the task of devising appropriate reporting system / MIS and collecting data at regular intervals.

The Bank has followed the RBI regulations both on special mention accounts and on restructuring of accounts by careful assessment, quick detection of weaknesses and time-bound implementation of restructuring package. The department monitors status of restructured account

उधारकर्ताओं के पुनर्संरचना वायदों को ध्यान में रखते हुए विभाग, पुनर्संरचित खातों की स्थिति की निगरानी करता है।

यह विभाग ₹1.00 करोड़ तथा अधिक मूल्य के एसएम खाते सहित एसएम खातों का शाखावार तथा आकार के अनुसार एवं क्षेत्रवार विवरण प्रस्तुत करता है।

दबावग्रस्तता की शीघ्र पहचान तथा बड़े ऋणों से संबंधित सूचनाओं के केंद्रीय भंडार की स्थापना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 01.04.2014 से शुरू ''अर्थव्यवस्था में संकटग्रस्त आस्तियों को पुनर्जागृत करने के लिए संरचना-संयुक्त उधारदाता मंच (जेएलएफ) तथा सुधारात्मक कार्ययोजना (सीएपी)'' पर मार्गदर्शी सिद्धांत की भी विभाग द्वारा निगरानी की जाती है। ऐसे उधारकर्ता, जिनके पास निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर ₹5 करोड़ और उससे अधिक का है, उसकी रिपोर्ट तिमाही आधार पर करनी है तथा ₹5 करोड़ और उससे अधिक की एसएमए 2 की रिपोर्ट, विभाग द्वारा सीआरआईसी के तहत साप्ताहिक आधार पर की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, ₹50 करोड़ और उससे अधिक के चिह्नित रेड फ्लैग/धोखाधड़ीपूर्ण खाते की रिपोर्टिंग के कार्यकलाप भी विभाग द्वारा की जानी चाहिए।

आस्ति गुणवत्ता और एनपीए प्रबंधन

एनपीए प्रबंधन की समस्त पहलुओं के समाधान हेतु बैंक की वसूली नीति बनाई गई है। अनर्जक आस्तियों की सभी श्रेणियों का समाधान करने में क्षेत्र पदाधिकारियों को निपुण बनाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में व्यापक वसूली नीति में समय-समय पर आशोधन किए जाते हैं। कृषि एवं कृषि संबद्ध गतिविधियों को प्रत्यक्ष वित्तीयन के तहत किसानों के प्रस्तावों पर विचार करने, ₹5.00 लाख और उससे कम की बहीशेष वाली संदेहास्पद व हानि आस्तियों के तहत छोटे अनर्जक आस्ति खातों के लिए एकबारगी निपटान योजना बनाने तथा सूक्ष्म व लघु उद्यमी उधारकर्ताओं के लिए एकबारगी निपटान योजना बनाने के लिए बैंक ने विशेष ओटीएस योजनाएँ तैयार की है। शिक्षा ऋण उधारकर्ताओं के लिए मूल ऋण में, ₹4.00 लाख और उससे कम के अनर्जक शिक्षा ऋण खातों का निपटान करने के लिए एक विशेष ओ.टी.एस. योजना तैयार की गई तथा उन्हें नवीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान एक सीमित वैधता की और ₹5,00,000/- और कम के बही शेष सहित संदेहास्पद आस्ति-3 और हानिवाली आस्तियों के तहत वसूली को सुधारने के लिए एक विशेष ओटीएस योजना बनाई गई।

बैंक ने पूरे वर्ष सभी शाखाओं में 'सिंड अदालतों' के माध्यम से 'मिलें, बात करें और निपटान करें' की नीति के आधार पर बड़ी संख्या में छोटे एनपीए खातों के बकायों का निपटान किया। क्षेत्रीय/समूह/शाखा स्तर पर दिनांक 14.06.2016, 09.08.2016, 08.11.2016 और 14.02.2017 को चार बृहद् सिंड अदालत का आयोजन किया गया जिनमें 81,457 ओटीएस मामलों का निपटान किया गया और ₹749.51 करोड़ की प्रस्तावित रकम पर ₹244.17 करोड़ की राशि की वसूली हुई।

बैंक ने वर्ष 2016-17 के दौरान नोटिस जारी करके और सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत संपत्तियों पर कब्जा/नीलामी करके ₹713.17 करोड़ की उल्लेखनीय राशि वसूल की, जो शाखा स्तर के प्रयास, सूचीबद्ध दक्ष

on the basis of borrowers' keeping up of the restructuring commitments.

The department submits branch-wise, size-wise and sector-wise details of SM accounts along with the details of high value SM accounts of ₹1.00 crore & above.

Early recognition of stress and setting up of Central Repository of Information on Large Credits (CRILC) introduced by RBI from 01.04.2014 named as "Framework for Revitalizing Distressed Assets in the economy – guidelines on Joint Lenders' Forum (JLF) and Corrective Action Plan (CAP)" is also being monitored by the department. Borrowers having aggregate fund-based and non-fund based exposure of ₹5 crore and above are being reported on quarterly basis and SMA 2 of ₹5 crore and above are reported weekly under CRILC platform by the department. In addition to this the function of reporting of identified red flagged/fraud accounts of ₹50 crore and above under CRILC, is also handled by the department.

ASSET QUALITY AND MANAGEMENT OF NPA

Bank's recovery policy is oriented towards addressing the entire gamut of NPA management and enabled the field functionaries in resolving any category of non performing accounts. The comprehensive recovery policy is being modified from time to time to be in line with the guidelines of RBI/GOI. Bank has introduced/extended special OTS schemes for considering proposals of farmers under direct finance to Agriculture & Allied activities including agricultural tractor loans, OTS Scheme for small NPA accounts under doubtful and loss assets category with book balance of ₹5,00,000/- and below and OTS scheme for Micro and Small Enterprises borrowers. The special OTS scheme for settling NPA education loans with original sanctioned limit of ₹4.00 lakh & below for the benefit of education loan borrowers was also renewed. In addition to the above, during the year, a special OTS Scheme was formulated to improve recovery under DA-3 and loss assets with book balance of ₹5,00,000/- and below with a limited validity period.

Bank continued to reduce large number of smaller NPA accounts by settling the dues at "Synd Adalats" at all branches throughout the year by meet, talk and settle approach. Four Bruhat Synd Adalats were conducted at regional/cluster/branch level on 14.06.16, 09.08.16, 08.11.16 and 14.02.17 wherein 81,457 OTS cases were settled, by recovering a sum of ₹244.17 crore with an offer amount of ₹749.51 crore.

Bank was able to register a substantial recovery of ₹713.17 crore during the year 2016-17 by issuing notices and taking possession/auctioning of properties under SARFAESI Act 2002. The efforts at branch level were supplemented by empanelling more enforcement agencies and approved

एजेन्सियों और अनुमोदित मूल्यांकिकी के सहयोग के साथ पूरे हुए। ज्यादा वसूली करने के लिए 'सिंड वसूली अभियान – 16-17' के नाम से 01 जुलाई 2016 से 31 मार्च 2017 तक विशेष गहन वसूली अभियान को सफलतपूर्वक चलाया गया।

वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक क्षेत्र के बड़े एनपीए पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें चिह्नित किया गया और मार्च 2017 से पहले कई खातों को सफलतापूर्वक निपटा लिया गया। ₹10 लाख से कम की विशेष निगरानी आस्तियों/अनर्जक खातों की अत्यधिक संख्यावाली शाखाओं को मदद करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर गठित दबावग्रस्त लघु आस्ति वसूली (स्टार्ट) टीम का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। उच्च मूल्य के सभी एनपीए खातों की निगरानी की जाती है और इन खातों के निपटान हेतु प्रभावी ढंग से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है जिसके फलस्वरूप, बड़ी संख्या में एनपीए खातों का निपटान संभव हो सका।

वर्ष के दौरान, एनपीए खातों में कुल ₹2709.39 करोड़ की नकद वसूली की गई, जिसमें से ₹1548.05 करोड़ की वसूली पुराने एनपीए खातों में और ₹697.28 करोड़ की वसूली नए एनपीए खातों में की गई। इसमें से ₹463.02 करोड़ की वसूली अप्रभारित ब्याज पर की गई तथा ₹1.04 करोड़ बट्टे खाते में डाले गए।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन संरचना

बैंक में एक सदृढ़ एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन संरचना को क्रियान्वित किया गया है। बैंक में जोखिम प्रबंधन से संबंधित कार्रवाइयों का संपूर्ण दायित्व निदेशक मंडल का होता है। जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी), जो निदेशक मंडल की एक उपसमिति है, बैंक की जोखिम प्रवृत्ति का निरूपण करती है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति को ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) से कुशल सहयोग मिलता है।

तकनीकी जोखिमों से निपटने के लिए सुनियोजित एवं स्थायी तौर पर एक तकनीकी युक्त जोखिम प्रबंधन संरचना बनाई गई है। बैंक की कारोबारी गतिविधियों एवं जोखिम के संदर्भ में बैंक ने आईएनओ 27001 पर आधारित एक लिखित व्यापक जोखिम आधारित कार्यक्रम बनाकर उसका कार्यान्वयन किया है। यह एक सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासी संरचना है जिसमें, आईटी कार्यनीति समिति, आईटी संचालन समिति, मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ), सूचना सुरक्षा प्रबंधन समिति (आईएसएमसी), मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) आदि शामिल हैं जिन्हें विभिन्न विशेषज्ञ टीमों, कारोबार निरंतरता टीमों एवं आईएस लोखापरीक्षा की सहायता प्राप्त है जो बैंक के भीतर सूचना सुरक्षा को प्रारंभ करने, कार्यान्वयन, निगरानी, बरकरार रखने तथा उन्नत बनाने का कार्य करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आईटी अपेक्षाओं के अनुरूप है तथा कारोबार को मूल्यवर्धित करता है।

कॉरपोरेट कार्यालय का जोखिम प्रबंधन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित जोखिम प्रबंधन कक्ष (आरएमसी) की सहायता से पूरे बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन उपायों के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करता है। बैंक के पास ऋण,

valuers. Special intensive NPA recovery campaign named "Synd Vasuli Abhyan-16-17" was held successfully from 1st July, 2016 to 31st March 2017 for maximizing recovery.

Top NPAs from each region were identified for giving focused attention in the beginning of the year itself and many accounts were successfully resolved before March 2017. Stressed Tiny Asset Recovery Team (START) stationed at regional offices are being extensively utilized for assisting the branches having high concentration of special monitoring assets/non performing accounts of below ₹10.00 lakh. All high value NPA accounts are monitored and vigorous follow up is made for resolving these accounts. On account of this, large number of NPA accounts could be resolved.

The total cash recovery in NPAs amounted to ₹2,709.39 crore, which includes principal recovery of ₹1,548.05 crore in existing NPAs and ₹697.28 crore in fresh NPAs slipped during the year. The total cash recovery includes ₹463.02 crore towards uncharged interest and ₹1.04 crore in written off accounts.

RISK MANAGEMENT

Risk Management Architecture

A robust and comprehensive Risk Management Framework is established in the Bank. The Board of Directors assumes the overall responsibility for risk management in the bank. The Risk Management Committee (RMC) of the Board defines the Risk appetite of the Bank. The RMC of the Board is ably assisted by Credit Risk Management Committee (CRMC), Asset Liability Management Committee (ALCO), and Operational Risk Management Committee (ORMC).

A technology risk management framework is established to manage technology risks in a systematic and consistent manner. Bank has developed, implemented and maintained a documented comprehensive risk based program based on the ISO 27001 framework within the context of the bank's business activities & risk. It includes an Information Technology Governance Framework consisting of IT Strategy Committee, IT Steering Committee, Chief Information Officer (CIO), Information Security Management Committee (ISMC), a Chief Information Security Officer (CISO) assisted by various specialist teams, Business Continuity Teams and an IS Audit function to initiate, implement, monitor, maintain and improve the information security within the Bank and to make sure that IT is aligned and delivers value to the business.

Risk Management department functioning at Corporate Office oversees the overall implementation of various risk management initiatives across the Bank, with the assistance of Risk Management Cells (RMCs) at Regional Offices. The Bank has a well documented policy and

बाजार तथा परिचालन जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक बेहतर प्रलेखित नीति और प्रक्रिया है जिसकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है ताकि उसे बदलते कारोबार और बाज़ार की गतिविधियों के अनुकूल बनाया जा सके।

बासेल II अनुपालन

बैंक, बासेल II के सभी मानदंडों का अनुपालन कर रहा है। जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी (सीआरएआर) अनुपात की गणना, भारतीय रिज़र्व बैंक के नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे (एनएसीएएफ) के दिशानिर्देशों का अनुसरण पिलर-I की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है। बैंक, ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण और बाज़ार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण का उपयोग करता है। बैंक, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ऋण जोखिम भारित आस्तियों की गणना के लिए स्वचालित मॉडल के रूप में अग्रसरित हुआ है।

बैंक के पास निदेशक मंडल से अनुमोदित व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) और स्ट्रेस टेस्ट नीति है जिसकी आवधिक समीक्षा की जाती है ताकि, वह अपनी विपणन वास्तविकताओं, आर्थिक वातावरण, और विनियामक आवश्यकताओं के साथ तालमेल बैठा सके। बैंक के पास बोर्ड अनुमोदित प्रकटीकरण नीति भी है जिसकी भा.रि.बैं. द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

एक वैज्ञानिक निधि अंतरण कीमत प्रणाली (एफटीपी) के अलावा बैंक समग्र राजकोषीय प्रबंधन समाधान (आईटीएमएस) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समाधान (ओआरएमएस) के माध्यम से एक ऐसे सॉफ्टवेयर को अपनाने की दिशा में प्रयत्नशील है जिससे बाज़ार एवं परिचालन जोखिमों की पहचान एवं आकलन किया जा सके।

बासेल III दिशानिर्देश

वित्तीय एवं आर्थिक दबावों के आघातों को आत्मसात करने हेतु बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए बासेल-III दिशानिर्देशों को लागू किया गया है ताकि लीवरेज अनुपात के साथ जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षा को सहायता मिले। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) का परिकलन करता है और उसे मासिक आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करता है। भारित औसत एलसीआर त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान, बैंक ने कॉमन ईक्विटी, टियर-I पूंजी, सीआरएआर को बढ़ाने और पूंजी की गुणवत्त में सुधार लाने के लिए पूंजी बेहतरी के विभिन्न उपाय किए हैं। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुल ₹2,706 करोड़ की पूंजी निधियों को विभिन्न रूपों में बढ़ाया है जो निम्नवत हैं:

ए) भारत सरकार द्वारा ₹776 करोड़ की राशि की ईक्विटी पूंजी का लगाया जाना।

बी) ₹1,930 करोड़ की राशि के अरिक्षत स्थायी एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त अपरिवर्तनीय बासेल-III अनुवर्ती अतिरिक्त टियर-I बांड।

processes for management of credit, market and operational risks which are periodically reviewed, so as to adapt to the changing business and market environment.

Basel II Compliance

Bank has been complying with all Basel II norms. The Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) is computed as per Pillar I requirements adhering to New Capital Adequacy Framework (NCAF) guidelines of RBI. Bank has adopted standardized approach for computing credit risk, basic indicator approach for computing operational risk and standardized duration approach for computing market risk. Bank has migrated to automated model for computation of Credit Risk Weighted Assets during the Financial Year 2016-17.

Bank has board approved comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and Stress Test Policy which is reviewed periodically, so as to be in line with the market realities, economic environment and regulatory requirement. Bank also prepares the annual capital plan to augment the capital requirements of the Bank which is reviewed at quarterly intervals. The Bank has a board approved disclosure policy which is reviewed periodically by adhering to the guidelines issued by RBI and other regulatory bodies periodically.

Bank is in the process of putting in place software based identification, measurement and mitigation of market and operational risk by way of Integrated Treasury Management Solution (ITMS) and Operational Risk Management Solution (ORMS), apart from a scientific Funds Transfer Pricing Mechanism(FTP).

Basel III Guidelines

Basel III guidelines have been introduced for improving the banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and economic stress, supplementing the risk-based capital requirement with a leverage ratio. Bank is calculating the Liquidity Coverage Ratio (LCR) in line with RBI guidelines and submitting the same to RBI on a monthly basis. The weighted average LCR is published on a quarterly basis. During the current year, Bank has taken various capital optimization measures for improving the quality of capital and to improve the common equity, Tier 1 capital, CRAR of the Bank. Bank has raised total capital funds of ₹2,706 crore during the financial year 2016-17 in various forms, namely

a. Equity capital infusion by Govt. of India for an amount of ₹776 crore.

b. Unsecured perpetually fully paid up non-convertible Basel III complaint additional Tier-I bonds for an amount of ₹1,930 crore.

बैंक, व्यवसाय में प्रत्याशित वृद्धि प्राप्त करने के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत सूची के अनुसार एक चरणबद्ध तरीके से बासेल-III अपेक्षाओं का पालन करने के लिए बासेल-III के तहत सीईटी-I, सीआरएआर और लीवरेज अनुपात को सुधारने के लिए सभी उपाय कर रहा है। बैंक, सितंबर 2013 को समाप्त तिमाही से वेबसाइट में बासेल-III के प्रकटनों पर अपेक्षित जानकारी त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित कर रहा है।

आस्ति देयता प्रबंधन

उच्च प्रबंधन वर्ग के लोग आस्ति देयता प्रबंधन समिति के सदस्य हैं जो, चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, अंतर/असंतुलन जोखिम, आधार जोखिम, पुनर्मूल्यन जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम और ईक्विटी मूल्य जोखिम आदि के प्रबंधन के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करते हैं। इनमें जमाराशियों तथा अग्रिमों की उत्पाद कीमत के साथ आस्तियों एवं देयताओं की अपेक्षित परिपक्वता प्रोफाईल भी शामिल है।

पीआरए/एफसीए की चलनिधि व्यवस्था के अंतर्गत हमारी लंदन शाखा के लिए विवेकपूर्ण विनियामक प्राधिकार (पीआरए), यू.के. ने होल फर्म मोडिफिकेशन दृष्टिकोण की अनुमति दी है। इसके पश्चात् बैंक ने लंदन शाखा तथा पूरे बैंक में चलनिधि की प्रभावी निगरानी हेतु व्यवस्था की है। बैंक ने किसी भी आकस्मिकता के प्रबंधन के लिए एक बेहतर प्रलेखित आकस्मिक नकदी निधि योजना तैयार की है। बैंक अपनी ब्याज आय और चलनिधि पर प्रभाव के मूल्यांकन के लिए त्रैमासिक आधार पर स्ट्रेस टेस्ट करता है। बैंक मासिक आधार पर चलनिधि कवरेज अनुपात के बासेल -III चलनिधि अनुपात की निगरानी करता है।

अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थाओं की अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सप्रोजर (यूएफसीई) की जोखिम की पूंजी व प्रावधानीकरण के संदर्भ में बैंक ने नीति बनाई है। पिछले दो वर्षों की स्थिति निम्नवत है:

(रकम ₹ करोड़ में)

ब्यौरे	चालु वर्ष	पिछले वर्ष
यूएफसीई प्रावधान का प्रारंभिक शेष	52.00	35.00
जोड़ें : वर्तमान वर्ष के दौरान प्रावधान की वृद्धि/वापसी का प्रावधान	8.00	17.00
यूएफसीई प्रावधान का इति शेष	60.00	52.00

कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

बैंक ने, समेकित कोष परिचलान के कोष की गतिविधियों तथा सुदक्ष प्रबंधन को पर्याप्त महत्व दिया है। कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग (टीएंडआईबीडी) के दो स्कंध हैं यथा, (ए) विदेशी विनिमय कोष तथा (बी) देशी कोष। इसके

Bank is taking all measures to improve the CET1, CRAR and Leverage Ratio under Basel III so as to comply with the capital requirements as per the schedule prescribed by RBI while simultaneously achieving the expected growth in business. Bank is also publishing on quarterly basis the required information as per Basel III disclosures in the website since the quarter ending September 2013.

Asset Liability Management

The Asset Liability Management Committee consists of members of the top management and regularly meets to manage Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Gaps/Mis-match Risk, Basis Risk, Re-pricing Risk, Forex Risk and Equity Price Risk. It includes product pricing for deposits as well as advances and the desired maturity profile of assets and liabilities.

The Prudential Regulatory Authority (PRA), UK has approved "Whole Firm Modification" approach for London Branch under the liquidity regime of PRA/FCA (Financial Conduct Authority). Subsequently, the Bank has put in place a mechanism for effective monitoring of liquidity at London Branch and for the Bank as a whole. The Bank has a well documented contingency liquidity funding plan for managing any contingency. The Bank undertakes stress testing on quarterly basis and assesses the impact on liquidity and interest income of the bank. Bank monitors the Basel-III liquidity ratio of "Liquidity coverage ratio" on monthly basis.

Unhedged Foreign Currency Exposure

The Bank has a policy with regard to capital and provisioning requirements for exposure to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) which is based on the guidelines issued by RBI. The position of last 2 years is as under:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	FY 2016-17	FY 2015-16
Opening balance of UFCE provision	52.00	35.00
Add: incremental/reversal of provision during the current year	8.00	17.00
Closing balance of UFCE provision	60.00	52.00

TREASURY & INTERNATIONAL BANKING

Bank has accorded importance to treasury functions and efficient management of Integrated Treasury Operations. Treasury and International Banking Dept (T&IBD) has two

अतिरिक्त, टीएंडआईबीडी बैंक के विदेशी परिचालनों की निगरानी एवं उनके नियंत्रक कार्यालय के रूप में भी कार्य कर रहा है।

विदेशी मुद्रा कोष

कोष एवं अंतराष्ट्रीय बैंकिंग विभाग हमारे बैंक का ए श्रेणी का कार्यालय है जो, विदेशी विनिमय स्थित नोस्ट्रो एवं वोस्ट्रो खातों का रख रखाव करता है। इसके अलावा, कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग हमारी लंदन शाखा के विदेशी मुद्रा कारोबार, संपर्की बैंकिंग संबंद्ध तथा विदेशी कारोबार परिचालनों की निगरानी भी करता है।

टीएंडआईबीडी, मुंबई में बैंक का केंद्रीय डीलिंग रूम स्थापित है जो बैंक के विदेशी विनिमय डीलिंग परिचालनों की देखरेख करता है। बैंक की 108 नामित शाखाएं (''श्रेणी बी'') हैं जो, पूर्णतया विदेशी विनिमय लेन-देनों की देखरेख करती हैं और 412 नामित शाखाएं बैंक के एफसीएनआर कारोबार का प्रबंधन करती हैं। बैंक की सभी 3858 देशी शाखाओं में एनआरई/एनआरओ जमाराशियों को स्वीकृत किया जाता है। बैंक, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) का सदस्य है जिसके द्वारा यूएसडी/आईएनआर की अंतर बैंक विदेशी मुद्रा कारोबार का निपटान होता है। बैंक, सीसीआईएल के माध्यम से कंटीन्यूअस लिंक सैटेलमेंट (सीएलएस) द्वारा क्रॉस करेंसी डील का निपटान करता है।

बैंक करैंसी फ्युचर्स में मालिकाना आधार पर व्यापार करने के लिए तीन एक्सजेंजों एमसीएक्स-एसएक्स; एनएसई और यूएसई (बीएसई के साथ विलय हो गया है) का ट्रेड सह समाशोधन सदस्य है।

बैंक केवल सामान्य एवं सरल व्युत्पन्नों को ही प्रदान करता है और किसी प्रकार के जटिल व्युत्पन्न उत्पादों को बैंक अवसर नहीं देता है। वर्तमान व्युत्पन्न लेन-देनों के मामले में बैंक के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। बैंक ने समन्वित कोष प्रबंधन सॉफ्टवेयर (आईटीएमएस) लागू किया है जिसमें कई आवश्यक विशेषताएँ हैं, जैसे-घरेलू एवं विदेशी मुद्रा कोष का समेकन, रुपया और विदेशी मुद्रा कोष के लिए निपटान कार्य में सरलता तथा ससमय नोस्ट्रो समाधान। यह नई प्रणाली, शाखाओं को ग्राहक लेन-देनों के लिए सहज संबंध उपलब्ध कराता है।

पिछले वित्तीय वर्ष के ₹9,74,988 करोड़ के विदेशी कारोबार की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष का कुल विदेशी कारोबार ₹11,32,143 करोड़ रहा और पिछले वित्तीय वर्ष के ₹9,17,270 करोड़ की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष का अंतर बैंक कारोबार ₹10,78,832 करोड़ रहा।

निर्यात वित्त:

निर्यात के क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने हेतु आपके बैंक द्वारा विभिन्न तरीके अपनाए गए हैं। सिंड एक्सपोर्ट गोल्ड कार्ड योजना एक विशिष्ट योजना है, जिसके तहत, पात्र निर्यातकों को रियायती और अधिमान्य शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है और इसके दायरे को और बढ़ाया गया है ताकि और अधिक निर्यातकों को इसमें शामिल किया जा सके। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित

wings viz, (a) Foreign Exchange Treasury and (b) Domestic Treasury. Besides, T&IBD is also functioning as monitoring and controlling office for the overseas operations of the Bank.

Forex Treasury

Treasury and International Banking Dept (T&IBD) is the only 'A' category office in your Bank which maintains foreign exchange position, Nostro and Vostro Accounts. T&IBD also monitors foreign exchange business, correspondent banking relationship and overseas business operations of London branch.

The Bank's centralized dealing room at T&IBD, Mumbai handles the foreign exchange dealing operation of the Bank. The Bank is having 108 designated branches (Category "B") to handle full-fledged foreign exchange transactions and 412 nominated branches to handle the FCNR business of the Bank. NRE/NRO deposits are accepted at all the 3858 domestic branches of the Bank. The Bank also has one overseas branch at United Kingdom. The Bank is a member of Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL), for settlement of inter-bank forex deals in USD/INR segment. Further, the Bank also settles cross-currency deals through CCIL with continuous linked settlement (CLS) Bank.

The Bank has become trading-cum-clearing member on three exchanges, i.e., MCX-SX, NSE and BSE for undertaking proprietary based position in currency futures.

The Bank is offering only plain vanilla derivatives and no complex derivative products are offered by the Bank. There is no litigation against the Bank in respect of existing derivative transactions. The Bank has implemented Integrated Treasury Management Software (ITMS) which has essential features like integration of domestic and forex treasury, efficient in settlement operations for rupee and foreign exchange treasury and timely Nostro reconciliation. The new system also provides seamless interactions with branches for their customer transactions.

The total forex turnover of the Bank was ₹11,32,143 crore for the current financial year, as compared to ₹9,74,988 crore for the previous financial year. The inter-Bank turnover of the Bank was ₹10,78,832 crore for the current financial year as compared to ₹9,17,270 crore for the previous financial year.

Export Finance

Your Bank has initiated various measures to increase the flow of credit to export sector. The coverage under the Synd Export Gold Card Scheme, a unique scheme for eligible exporters offering concessional and preferential terms, was broadened to include more number of exporters.

सीमा के तहत बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दर पर रुपी निर्यात ऋण की पेशकश की गई। बैंक ने कुछ निर्धारित क्षेत्रों में अपने ग्राहकों को, भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूपरेखा के अनुसार, निर्यातकों के लिए ब्याज अनुदान योजना उपलब्ध कराकर रियायती ब्याज दर का लाभ प्रदान किया। बैंक ने विभिन्न केंद्रों में अपने ग्राहकों के साथ सीधे संवाद हेतु आयात/निर्यात बैठकों का आयोजन भी किया है।

विनिमय कंपनियाँ

बैंक द्वारा मेसर्स मुसंडम एक्सचेंज कंपनी रूवी, जो सल्तनत ऑफ ओमान की एक विनिमय कंपनी है, का सफलतापूर्वक संचालन किया जाता है। बैंक ने खाड़ी देशों से प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में बेहतर किफायती निधि अंतरण हेतु आरडीए के अतिरिक्त 6 विदेशी बैंकों के 7 एक्सचेंज हाउसों से लाभप्रद रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) की है।

केंद्रीकृत एनआरआई कक्ष

कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग ने 26 दिसंबर 2012 से केंद्रीकृत एनआरआई कक्ष की स्थापना की है ताकि बैंक द्वारा संचालित विनिमय संस्थान यानी मुसंदम विनिमय कंपनी द्वारा जुटाए गए एनआरआई खातों को शीघ्र खोला जा सके। शाखाओं के लिए ऐसे खाते खोलकर बैंक के एनआरई पोर्टफोलियो को बढाने के उद्देश्य से कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग, चेक बुक, एटीएम कार्ड और इंटरनेट आईडी आदि से युक्त एनआरई स्वागत किट ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए सीधे विनिमय गृह को भेजता है।

एग्जिम बैंक के एग्जिम मित्र पोर्टल पर उत्पाद प्रदर्शन

चालू वर्ष में बैंक एग्जिम बैंक द्वारा निर्यातक समुदायों के फायदे के लिए प्रायोजित एग्जिम मित्र (www. eximmitra.in) पर उत्पादों को प्रदर्शित करने की पहल की। निर्यातक इस पोर्टल के माध्यम से आसानी से बैंक द्वारा प्रदत्त फोरेक्स उत्पादों की विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं और उन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए नोडल शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

निर्यात श्रेष्ठता पुरस्कार

भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफआईईओं) ने वर्ष 2014-15 के लिए एफआईईओ के उत्तरी क्षेत्र में उच्च वित्तीय संस्थान के निर्यात श्रेष्ठता पुरस्कार की ''गोल्ड ट्राफी'' प्रदान की है।

नोस्ट्रो बैंक के साथ विशेष व्यवस्थाएं

ग्राहकों द्वारा यूएस स्थित प्रतिनिधि बैंकों से यूएस डालर साधन के संग्रह में सामना की जाने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, यू एस ए में यू एस डालर चेक/यू एस डी नोस्ट्रो प्रतिनिधि के माध्यम से ड्राफ्ट के लिए आधारित चेकों के त्वरित संग्रहण के लिए कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग ने विशेष व्यवस्थाएँ की है।

Rupee export credit was offered at very competitive interest rates within the ceiling prescribed by RBI. The Interest Equalization Scheme for Exporters, as designed by Govt of India, has been made available by the Bank to its customers in certain specified sectors, thus passing on the benefits of concessional interest. Bank also conducted exports/imports meet at various centers to have direct interaction with the clients.

Exchange Companies

The Bank is managing one Exchange House M/s Musandam Exchange Company Ruwi, an exchange company at Ruwi in Sultanate of Oman. The Bank is also having Rupee Drawing Arrangements (RDA) with other 7 Exchange Houses for improved and cost-effective funds transfer by Indian diaspora to India from Gulf countries, apart from RDA with 06 foreign banks.

Centralised NRI Cell

T&IBD has opened the centralized NRI cell w.e.f. 26th Dec 2012 to enable prompt opening of NRE accounts canvassed by Exchange House managed by Bank, namely, Musandam Exchange Company. With a view to increasing the NRE Portfolio of the Bank, T&IBD is opening the account on behalf of the branches and dispatching the NRE welcome kit containing cheque book, ATM card and Internet IDs etc. directly to the Exchange House for delivery to the customer.

Product display in EXIM Mitra portal of EXIM Bank

During the current year, Bank has taken initiative to display forex products on the EXIM MITRA (www.eximmitra.in) sponsored by Exim Bank for the benefit of exporter community. Exporter can conveniently know the feature of all the forex products being provided by the Bank from this portal and contact nodal branch for availing those facilities.

Export Excellence Award

Federation of India Export Organization (FIEO) has awarded the "Gold Trophy" for the FIEO Export Excellence award of the top financial institution of northern region for the year 2014-15.

Special Arrangements with NOSTRO Bank

In order to mitigate the hardship faced by the customer in collection of US Dollar instruments through US based correspondent Banks, T&IBD has established special arrangements for speedy collection of US Dollar cheques/draft through USD Nostro correspondent for cheques drawn in USA.

घरेलू कोष

प्रभावशाली बाज़ार का लाभ उठाते हुए बैंक के कारोबार डेस्क ने ईक्विटी और कर्ज बाज़ार दोनों से कारोबार लाभ प्राप्त किया है। अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित घरेलू व्यापार डेस्क, जो सीआरओएमएस, सीसीआईएल-सीबीएलओ, एनडीएस-ओएम जैसे ट्रेडिंग प्लेटफार्मों से वित्त समर्थित हैं, निर्बाध लेन-देन गतिविधियाँ प्रदान करता है।

गुणवत्तायुक्त एवं रेटेड कॉरपोरेट बांड और डिबेंचर, वाणिज्यिक पत्र, सीडी इत्यादि में निवेश द्वारा बैंक ने गैर-एसएलआर निवेश को सुदृढ़ बनाया है जिसके परिणामस्वरूप निवेश संविभाग के प्रतिलाभ में बढ़ोत्तरी हुई है। बैंक ने सीबीएलओ, रेपो और कॉल मार्केट जैसे विंडोज के प्रभावी प्रयोग की मध्यस्थता के माध्यम से भी आय कमाया है। बैंक ने बाज़ार की स्थिति और दर पर निर्भर होते हुए उधार देने और लेने के समय निधि प्रवाह और चलनिधि स्थिति की निरंतर निगरानी करते हुए इस मुद्रा बाज़ार के जरिए निधियों का अत्यंत दक्षतापूर्वक प्रबंधन किया है। बैंक का घरेलू निवेश पिछले वर्ष के ₹68,285.58 करोड़ की तुलना में दि. 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार ₹64,766.41 करोड़ हो गया। निवेश संविभाग से प्राप्त कुल आय (लाभांश और व्यापार लाभ को छोड़कर) वर्ष 2015-16 के ₹5,350.98 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016-17 में ₹5,428.05 करोड़ हो गया। एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंक का निवेश ₹58,646.05 करोड़ हो गया है जो दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार बैंक के कुल निवेश का 90.55 प्रतिशत है। वर्ष 2015-16 के ₹895.84 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016-17 का व्यापार लाभ ₹ 1,728.69 करोड़ रहा।

बैंक के कुल निवेश संविभाग के लिए मोडिफाइड ड्यूरेशन (1 प्रतिशत ब्याज दर में परिवर्तन से मूल्य में बदलाव का संकेतक) वर्ष 2015-16 के मूल्य 4.44 की तुलना में वर्ष 2016-17 में 4.30 रहा।

समुद्रपारीय परिचालन:

बैंक की समुद्रपारीय शाखा इंगलैंड के लंदन में स्थित है। यह शाखा, इंगलैंड में भारतीय कॉरपोरेटों के लिए थोक बैंकिंग परिचालनों, मुद्रा बाज़ार परिचालनों, निवेशों तथा कोष परिचालनों में सक्रिय है। यह शाखा, वैश्विक पहचान वाले भारतीय कॉरपोरेटों के लिए द्विपक्षीय ऋणों के अलावा, सिंडिकेशनों और ईसीबी पर ध्यान केंद्रित करती है। शाखा के पास युनाइटेड किंगडम की विनियामक प्राधिकारी से अनुमोदित प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध है। शाखा का कुल कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) 31 मार्च 2016 को जीबीपी मिलियन 6794.687 (₹ 64,870.58 करोड़) की तुलना में 31 मार्च 2017 को यह जीबीपी मिलियन 7,627.164 (₹ 61,705.66 करोड़) रहा।

प्रबंध सूचना प्रणाली (एम आई एस)

एम आई एस विभाग संगठन को न केवल प्रभावी प्रबंधन करने बल्कि उच्च प्रबंधन के लिए भी निर्णयन प्रक्रिया को सुसाध्य बनाने हेतु आवश्यक आवधिक कारोबार मानदण्डों संबंधी सूचना प्रदान करता है।

Domestic Treasury

The Bank's trading desk booked trading profits in both equity and debt market by taking advantage of market situation. Domestic trading desk supported by state of art technology which is mapped with the trading platforms like CROMS, CCIL-CBLO, NDS-OM etc. provides the seamless transactions movements.

The bank has also strengthened the non SLR investments by investing in qualitative and rated corporate bonds and debentures, commercial paper, CDs, etc., resulting in improved yields on investment portfolio. The bank has also earned from arbitrage deals, by effectively making use of windows like CBLO, Repo & call market. The bank has managed funds very efficiently by these money market channels by continuously monitoring the fund flow and the liquidity position and undertaking lending and borrowing transactions. The domestic investments of the bank were at ₹64,766.41 crore as on 31.03.2017 as against ₹68,285.58 crore for previous year. Total income from investment portfolio (excluding dividend & trading profits) was ₹5,428.05 crore in the year 2016-17 as against ₹5,350.98 crore in the year 2015-16. Bank's investment in SLR securities amounted to ₹58,646.05 crore which formed 90.55% of Bank's total domestic treasury investments as on 31.03.2017. Trading profits for the year 2016-17 was ₹1,728.69 crore as against ₹895.84 crore during the FY 2015-16.

Modified duration (indicator of change in prices/values with change in 1 percent Interest Rate) for Bank's total investment portfolio stood at 4.30 for 2016-17 as against of 4.44 for year 2015-16.

Overseas Operation

Bank's overseas presence is in United Kingdom at London. The Branch is active in wholesale banking operations for Indian corporates in United Kingdom, money market operations, investments, and treasury operations. The Branch focuses on syndications and ECBs, besides bilateral loans for Indian corporates having global presence. The branch has efficient risk-management system which is approved by regulatory authority of United Kingdom. The total business (Deposits and Advances) of the branch stands at GBP 7627.164 Million (₹61,705.66 crore) as at 31st March 2017 as against GBP 6794.687 Million (₹64,870.58 crore) as at 31st March 2016.

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)

MIS department provides information on periodical business parameters necessary not only to manage the organization effectively but also in facilitating the top management in decision making. The regulatory and statutory compliance requirements are being met, including regular and adhoc

वर्ष 2016 की तीसरी तिमाही में नोटों के विमुद्रीकरण एवं वैधानिक अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा किया गया। बेहतर आंतरिक प्रबंधन और नियामक को प्रस्तुत करने के लिए, प्राथमिकता क्षेत्र रिपोर्ट, आय-पहचान संबंधी रिपोर्टों, एसपीएआरसी, सीआरआईएलसी संबंधी शुक्रवार के आंकड़े की रिपोर्ट आदि जैसे महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध रिपोर्टों को भी तैयार किया गया।

एम आई एस विभाग सभी स्त्रोतों से बैंक में आंकड़े/रिपोर्ट/विश्लेषण/डैशबोर्ड के लिए आवश्यक आंकड़ा लेकर एक बृहद कारोबार आसूचना का निष्पादन करने की प्रक्रिया में लगा है। ई डी डब्ल्यू & बी आई को, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सी टी आर, वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) द्वारा प्रस्तावित रेड फ्लैग अलर्ट एवं विश्लेषणात्मक ग्राहक संबंध प्रबंधन (ए सी आर एम) जैसे कार्यक्रमों में उठाया जा रहा है।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण कक्ष (आरबीएस कक्ष)

आरबीएस कक्ष, एसपीएआरसी (जोखिम एवं पूंजी के मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षण कार्यक्रम) के अन्तर्गत भा.रि.बैंक को प्रदान किए जानेवाले आंकड़े की सटीकता सुनिश्चित करता है। डाटा बिन्दुओं सहित श्रृंखला I, I ए, II एवं III निविष्टियाँ समेकित की जा रही हैं और अवलोकन के लिए उच्च प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

धोखाधड़ी जांच कक्ष (एफआईसी)

एफआईसी, सीपीटी आर (लंबित दावों में वसूली का भुगतान) सहित अनेक कार्यालयों से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी एवं अनुवर्तन करता है। यह आंतरिक जांच, स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण, विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ वसूली एवं बंदी करना भी सुनिश्चित करता है। यह कक्ष ₹1 करोड़/₹10 करोड़ से अधिक राशि के लिए बैंक के बोर्ड की विशेष समिति/बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के सम्मुख आवश्यक कार्रवाई के लिए, विस्तृत नोट प्रस्तुत करता है। यह कक्ष वित्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित पूछताछ एवं स्पष्टीकरण से संबंधित सूचना, आपराधिक कार्रवाई की प्रगति, आंतरिक जांच, कृत कार्रवाई को केन्द्रीय धोखाधाड़ी रजिस्ट्री सहित भा.रि.बैंक के डाटाबेस में रिपोर्ट/अद्यतन करता है। कक्ष न केवल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है बल्कि इसके पीछे छिपे कारकों की पहचान करके उन्हें संबंधित विभाग के साथ सुधारात्मक उपाय करने के लिए भी साझा करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी

कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस)

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, 34 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों एवं लंदन स्थित एक शाखा सहित बैंक की 3933 शाखाओं, 23 सेवा शाखाओं और 12 एआरएमबी, 979 यूएसबी तथा 236 अन्य कार्यालयों के नेटवर्क से बैंक का सीबीएस नेटवर्क जुड़ा हुआ है। अब सभी शाखाएँ/कार्यालय केंद्रीकृत सर्वर सेटअप के अंतर्गत कार्यरत हैं।

reports during de-monetization of currency in Q3 of 2016. Important and time consuming reports like priority sector reports, reports related to income recognition, SPARC, CRILC reporting Friday data etc. are also generated for better management internally and for submission to the regulator.

MIS department is in the process of implementing a robust Enterprise Data Warehousing & Business Intelligence (EDW & BI) by bringing in data from all sources in the bank for generation of required data/reports/analytics/dash boards. EDW & BI is being leveraged in the functions like Anti Money Laundering (AML), CTR, in providing red flag alerts proposed by Financial Intelligence Unit, India (FIU-IND) and Analytical Customer Relationship Management (ACRM).

Risk Based Supervision Cell (RBS Cell)

RBS Cell ensures accuracy of data provided to RBI under SPARC (Supervisory Programme for Assessment of Risk and Capital). Quarterly/annual submission of tranche I, IA, II and III inputs, including data points, are being consolidated and placed before the top management for necessary review.

Fraud Investigation Cell (FIC)

FIC monitors and does the follow up of fraud cases including CPPR (Claims Paid Pending Recovery) related to frauds with various offices. It also ensures conducting internal investigation, examination of staff accountability, Departmental action, recovery and closure as well. The cell places detailed note for amounts of above ₹1 crore/₹10 crore before Special Committee of the Board/ Government nominee Director on the board of the Bank for taking necessary action. The cell reports/updates RBI database including Central Fraud Registry, the progress related to criminal action, internal investigation, action taken and also in providing information related to queries and clarifications sought by Finance Ministry. The cell not only reports but also identifies the causative factors and shares with respective departments for initiating corrective actions.

INFORMATION TECHNOLOGY

Core Banking Solution (CBS)

The Bank continues to spread its wings with a network of 3933 branches, 23 service branches, 12 ARMBs, 979 USBs and 236 other offices covering 34 States and Union Territories under the CBS network as on 31.03.2017 and one branch at London. All the branches/offices under CBS network are currently under centralized server setup.

मूलभूत संसाधन

बैंक ने मुंबई में एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर और बेंगलूरु में एक आपदा निवारण केंद्र को विभिन्न भूकंपीय क्षेत्र और मुंबई में एक समीपवर्ती स्थान पर कार्यान्वित करके सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी का निर्माण किया है। नए हार्डवेयर, अतिरिक्त स्टोरेज तथा ओरेकल सॉफ्टवेयर के नए वर्ज़न सहित तकनीक को अद्यतन किया गया है।

बैंक ने, नई तकनीकी एवं सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क आधारित नया इंटरप्राइज क्लास स्टोरेज सिस्टम लिया है जो निष्पादन में सुधार लाएगा तथा ईओडी/बीओडी विंडो को कम करेगा। इसके साथ ही रिपोर्ट निर्माण एवं एमआईएस गतिविधियों के लिए डेटाबेस की कई प्रतियाँ रखने की सुविधाएँ भी प्रदान करेगा।

लंदन शाखा के लिए सीबीएस

लंदन स्थित हमारी विदेशी शाखा को, ग्राहक केंद्रित बैंकिंग उत्पाद संरूपण, मल्टी चैनल क्षमता आदि को बल प्रदान करने के लिए अद्यतन साफ्टवेयर अप्लिकेशन (फिनाकल) सहित विदेशी सीबीएस के तहत लाया गया है।

वितरण चैनल

एटीएम नेटवर्क:

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार सारे देश में बैंक के 3974 एटीएम कार्यरत हैं। बैंक के पास एटीएम एवं पीओएस टर्मिनलों की वैश्विक पहुँच के लिए 144.30 लाख से अधिक का कार्ड आधार है। बैंक द्वारा सभी एटीएम को विमुद्रीकरण पश्चात की आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्अंशांकित किया गया है।

इंटरनेट बैंकिंग

बैंक ने बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए एक नए उच्च स्तर वाले इंटरनेट बैंकिंग को अपनाया है जो नई विशेषताओं, जैसे ई-मेल पर कासा विवरण, ऑनलाइन यूजर आईडी को अनब्लॉक करना, हॉट लिस्ट/अस्थायी ब्लॉकिंग/पुन: सक्रिय डेबिट कार्ड, प्रतिपुष्टि तत्पर और फॉरगोट/रीसेट पासवर्ड विकल्प से युक्त है। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार इंटरनेट बैंकिंग के उपयोगकर्ताओं की संख्या 11.56 लाख है।

मोबाइल बैंकिंग

मोबाइल बैंकिंग को एक नए वर्जन में स्तरोन्नत कर दिया गया है जिसमें अच्छा प्रयोक्ता इंटरफेस (यूआई) और वर्धित प्रयोक्ता अनुभव (यूएक्स) हैं। इस अनुप्रयोग से अपने एमएमआईडी को जानिए, अनुकूल उपयोगिता बिल के भुगतान का संदर्भ, टिकट निकालना, प्रतिफल प्राप्त करने जैसी नवीनतम विशेषताएँ और सुविधाएँ मौजूद हैं। मोबाईल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या 31 मार्च 2017 को बढ़कर 8.33 लाख हो गई है।

एसएमएस बैंकिंग

बैंक ने ग्राहकों के खातों में हुई लेन-देन की सूचना उन्हें तुरंत देने के लिए एसएमएस बैंकिंग की शुरुआत की है। एसएमएस बैंकिंग सुविधा का लाभ उठानेवालों की संख्या 31 मार्च 2017 को बढ़कर 34.35 लाख हो गई है।

Infrastructure

Bank has built the best of technology infrastructure by implementing a state-of-the-art data centre at Mumbai and a Disaster Recovery Site at Bangalore in different seismic zone and a near site at Mumbai. The technology infrastructure is being upgraded with new hardware, additional storage and new higher version of Oracle software.

Bank has acquired new enterprise class storage system based on latest technology & solid state hard disks which will substantially improve the performance and reduce the EOD/BOD window and facilitate having multiple copies of databases for report generation and MIS activities.

CBS for London Branch

Your overseas branch at London has been brought under overseas CBS with the latest software application (Finnacle) having capabilities to support customer focused banking, product configuration, multi-channel capability etc.

Delivery Channels

ATM Network

Bank has operationalised 3,974 ATMs as on 31.03.2017, spread across the country. Bank has a card-base of over 144.30 lakh for global access to ATMs and POS Terminals. Bank has recalibrated all ATMs as per post demonetization requirements.

Internet Banking

Bank has upgraded to a new higher version of internet banking solution to provide better customer service, compatible with all internet browsers with new features such as CASA statement on email, unlock user id online, hotlist/temporary blocking/reactivate debit card, feedback prompt and forgot/reset password option. Internet banking facility-user base stands at 11.56 lakhs as on 31.03.2017.

Mobile Banking

Mobile banking application has been upgraded to a new version which has a richer User Interface (UI) and enhanced User Experience (UX). This application accommodates newer features and facilities such as know your MMID, Refer a friend Utility Bill Payments, Ticketing, Rewards etc. The number of mobile banking users is increased to 8.33 lakhs as on 31.03.2017.

SMS Banking

Bank has introduced SMS Banking to inform the customer immediately when a transaction occurs in their account. The number of customers who have availed SMS Banking facility has grown up to 34.35 lakh as on 31.03.2017.

मिस्डकॉल बैंकिंग

मोबाइल पर मिस्ड काल द्वारा ग्राहक अपने कासा खाते में बकाया शेषराशि का पता कर सकते हैं जिसके लिए मिस्ड कॉल बैंकिंग सुविधा की शुरुआत की गई है। इस सुविधा हेतु पंजीकृत ग्राहक, 9241442255 पर मिस्ड कॉल करके अपने इति शेष की सूचना प्राप्त करेगा। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार 2.29 लाख उपयोगकर्ता इस सुविधा हेतु पंजीकरण करा चुके हैं।

डिजिटल मीडिया साइनेज:

डिजिटल साइनेज, विज्ञापन का एक आसान और किफायती तरीका है जिसमें, निर्दिष्ट स्थानों पर हमारे उत्पादों से संबंधित संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से डिजिटल मीडिया पर विडियो कंटेन्ट, विज्ञापन और संदेशों को प्रदर्शित किया जाता है। इसे 1,500 शहरी शाखाओं और 1000 अर्धशहरी शाखाओं में विस्तृत किया गया है।

अन्य नई पहल:

- जीबीएम (सरकारी कारोबार माड्यूल) में किसान विकास पत्र संबंधी अनुरोध स्वीकार करने के लिए एक माड्यूल का विकास किया गया। दि. 01.06.2016 को 70 निर्दिष्ट शाखाओं में इसे सक्रिय किया गया। बैंक को वसूल की गई राशि का 1 प्रतिशत कमीशन के रूप में प्राप्त होता है जो कि गैर-ब्याजी आय है।
- मोबाइल बैंकिंग में एक यूएसएसडी आधारित आईएमपीएस एप्लीकेशन प्रदान किया गया और आधार संख्या के साथ यूएसएसडी आधारित आईएमपीएस सुविधा प्रदान करनेवाला यह प्रथम बैंक है।
- केन्द्रीकृत सकारात्मक भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) का कार्यान्वयन किया गया। इस प्रकार यह सीपीएस के लिए, सीपीपीएस डाटा को एनपीसीएल के साथ साझा कर, सीपीपीएस का कार्यान्वयन करनेवाला प्रथम बैंक बन गया है।
- तमिलनाडू का वैट भुगतान, वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है।
- शाखाओं को खातों, एवं उनके एनपीए श्रेणी में गिरावट से बचाव करने की जानकारी रखने में सहायता करने के लिए मोबाइल एप ''एनपीए ट्रैकर'' एवं ऋण खाते से संबंधित प्रतिभूतियों के विवरण को ऋण खाते के संपार्श्विक आईडी से जोड़ने के माध्यम से उनकी जानकारी रखने के लिए ''जियो टैगिंग'' का विकास किया गया है।
- ''छोटे संस्थानों के लिए ऑनलाइन शुल्क संग्रह'' मॉड्यूल का विकास किया गया है जो छोटे गैर-वाणिज्यिक संगठनों जैसे स्कूल और मंदिर, जिनका नियमित आईटी सेट अप या गतिशील वेबसाइट नहीं होती, को आन लाइन शुल्क संग्रहण/दान संग्रहण में समर्थन करता है।
- एक छोटा इलेक्ट्रोनिक उपकरण ''एटीएम फेंस'' का विकास किया गया है जो स्वयं को एटीएम में छुपाकर एक आभासी भू-बाड़ तैयार करता है और सेंधमारी के प्रयासों के प्रति एसएमएस आदि द्वारा चेतावनी देता है।
- ऑटोमैटिक पॉपुलेशन ऑफ एक्टीवेशन कोड, ऑनलाइन जनित एमपीआईएन (हरित पिन) व एनयूयूपी (राष्ट्रीय संयुक्त यूएसएसडी) (असंरचित पूरक सेवा डाटा) प्लेटफार्म के माध्यम से सरलीकृत मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण की शुरुआत की गई है।

Missed Call Banking

Missed call banking facility has been introduced that enable the customers to know their balance outstanding in their latest CASA account, through a missed call to the number 9241442255. 2.29 lakh users have registered for this facility as on 31.03.2017.

Digital Media Signage

Digital signage is an easy, low-cost way to advertising in which video content, advertisements and messages are displayed on digital media with the goal of delivering messages about products in specific locations. Expanded the same in 1,500 urban branches and 1000 semi-urban branches.

Other new Initiatives

- Developed a module to accept requests for Kisan Vikas Patra in GBM (Government Business Module). Made live on 01.06.2016 in 70 designated branches. Bank gets commission of 1% of the amount collected – a non interest income.
- Provided an application USSD based IMPS in mobile banking, the first Bank to provide facility for USSD based IMPS using Aadhaar number.
- Implemented Centralized Positive Payment System (CPPS), the first public sector bank to implement CPPS for CTS by sharing CPPS data with NPCI.
- Tamil Nadu VAT payment is made available through website.
- Developed mobile apps, "NPA Tracker" to assist the bank branches to keep track of and to prevent slippages of accounts to NPA category and "Geo tagging" to keep track of the securities pertaining to loan accounts by linking the details of the securities to the collateral IDs of the loan accounts.
- Developed module "Online Fee Collection facility to Small Institutions" that supports on-line fee / donation collection to small non-commercial organizations like schools and temples who do not have a regular IT setup or a dynamic website.
- Developed electronic "ATM Fence", a small electronic device that hides itself in the ATM, creates a virtual Geo Fence and alerts attempts on burglary through SMS etc.
- Introduced simplified mobile banking registration by introducing Automatic Population of Activation code and Online Generation of MPIN (green pin) & through NUUP (National Unified USSD (Unstructured Supplementary Service Data) Platform).

- मोबाइल बैंकिंग आवेदन के लिए एकीकृत सिंड ई-पासबुक एवं सिंड गाइड एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया।
- शाखाओं में सीबीएस पर आईएमपीएस के माध्यम से निधि अंतरण की सुविधा प्रदान की गई।
- सिंड यूपीआई एवं यूएसएसडी के सामान्य एप की शुरुआत की गई।
- *99# विकसित किया गया। यह नवोन्मेषी भुगतान सेवा *99# ''सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए आम नंबर (टीएसपी)''अपने सामान्य मोबाइल फोन/स्मार्ट फोन पर डायल करके, मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए इंटरैक्टिव मेन्यू के माध्यम से लेन-देन किया जा सकता है। यह इंटरनेट के बिना भी कार्य करता है।
- सिंड यूपीआई आभासी भुगतान पते का प्रयोग करके, चौबीस घंटे धन प्रेषण/प्राप्त करने का एक सुरक्षित, नवोन्मेषी, तीव्र तरीका शुरू की गई है। आभासी पते का प्रयोग अधिक सुरक्षित है। इससे संबंधित कोई अन्य जानकारी साझा न करें। इसके लिए क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान करें, साथ ही क्यूआर कोड सृजित करें।
- हिंदी भाषा में अपनी वेबसाइट एवं मोबाइल एप की शुरुआत की गई।
- सिंडिकेट बैंक ग्राहकों के लिए सिंडिकेट बैंक एटीएम पर (24x7) कार्ड से कार्ड को अंतरण की शुरुआत की गई है। यह एक झंझट रहित तरीके से धन का अंतरण तुरंत करता है। इसके लिए न्यूनतम राशि ₹100 व अधिकतम राशि ₹20,000/- प्रति लेन-देन है।
- भीम, अन्य एंडरॉयड एप की भांति, आभासी भुगतान पते या आईएफएससी और खाता संख्या या मोबाइल नंबर और एमएमआईडी या आधार संख्या के साथ किसी खाते में भुगतान और निधि अंतरण का सरल तरीका प्रदान करता है। इसका इस्तेमाल फोन से *99# विकल्प डायल कर किया जा सकता है। ग्राहकों द्वारा डाउनलोड करने के लिए और उनका उपयोग करने के लिए सभी मोबाइल एप, प्ले स्टोर में उपलब्ध कराए गए हैं।
- महिलाओं और महिला स्टॉफ को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समर्पित एक मोबाइल एप ''सिंड सहेली'' का विकास किया गया है। यह एप स्वरक्षा के नए तरीके , बैंक शाखाएँ, वित्तीय और बहु-उद्देशीय उपयोगों से संबंधित सूचनाएं प्रदान करता है।

ग्राहक केंद्रित पहल

सिंड ई-पासबुक

सिंड ई-पासबुक समाधान, मोबाइल पर डिजिटल पासबुक की सुविधा प्रदान करने के लिए एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन है। बैंक का यह एक लोकप्रिय उत्पाद है और दि. 31.03.2017 की स्थिति में, 4.65 लाख प्रयोक्ताओं ने इस एप्लीकेशन के लिए पंजीकृत किया है।

बंच नोट एक्सेप्टर (बीएनए)

बैंक ने ग्राहकों से थोक में नकद स्वीकार करने के लिए चयनित बाजार क्षेत्र में 186 बीएनए लगाए हैं। ग्राहक अपने खाते में नकद जमा/आहरण एवं रसीद

- Launched Synd e-passbook and Synd Guide applications integrated to mobile banking application.
- Provided facility in CBS for fund transfer through IMPS at branches.
- Introduced Synd UPI & USSD common app.
- Developed *99#. An innovative payment service through basic mobile / smart phone dialing *99#, a "common number across all telecom service providers (TSPs)" on their basic mobile phone/smart phone and transact through an interactive menu displayed on the mobile screen, works without internet.
- Introduced Synd UPI, a safer, innovative, quick and secure way to send & collect money using virtual payment address, round the clock availability (24X7), use of Virtual ID is more secure and no credential sharing, scan QR code and pay, also generate QR code.
- Introduced Bank's website and also mobile banking app in Hindi version.
- Introduced card to card transfer for Syndicate Bank customers, available at Syndicate Bank ATMs (24X7). Hassle-free funds transfer, instantly. Min. amount ₹100/- and Max. amount ₹20,000 per transaction.
- BHIM like any other android app, provides an easy method of payment and fund transfer to any bank account with virtual payment address or IFSC and account number or Mobile number and MMID or Aadhaar number. It can be executed via phone dialer using *99# option. All mobile apps are made available in play store for enabling the customers to download and make use of it.
- Developed "Synd Saheli" a mobile app dedicated to women and women staff on occasion of International Women's Day. This app provides information on new techniques of self-defence, bank's branches, financials and multipurpose usage.

Customer-centric Initiatives

Synd e-Passbook

Synd e-Passbook solution is a smartphone application for providing Digital Passbook facility on mobile. It is one of the popular products of the Bank and as on 31.03.2017, 4.65 lakh users have registered for the application.

Bunch Note Acceptors (BNA)

Bank has installed 186 BNAs in select market areas for accepting bulk cash from the customers. Customers get on-line credit / debit to the account for cash deposit/

जारी करने हेतु चौबीसों घंटे ऑन-लाइन जमा/नामे कर सकते हैं। बीएनए को नोटों को पहचानने है और गैर बैंक नोट, जाली नोट एवं संदेहजनक बैंक नोटों को अस्वीकार करने की क्षमता है।

सिंड-ई-लाउंज

चिन्हित स्थानों पर, ग्राहकों को चौबीसों घंटे सेवा उपलब्ध कराने के लिए बीएनए, एटीएम, पासबुक, चेक जमा एवं इंटरनेट कियोस्क जैसे स्वयं सेवी कियोस्क प्रदान किए गए हैं। 31.03.2017 की स्थिति में 30 सिंडलाउंज क्रियाशील हैं।

ऑनलाइन बचत खाता खोलना

ऑनलाइन बचत खाता खोलने की सुविधा वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

सरकार द्वारा प्रायोजित पहल

1) **बैंक मित्र की निगरानी करने हेतु डैश बोर्ड उपयोगिता :** वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार (डीएफएस) के लिए एवं अन्य उपयोगकर्ता समूहों (सीओ/एचओ/आरओ) के लिए प्रभावशाली निगरानी व बीसी एजेंटों द्वारा दिन-प्रतिदिन की रिपोर्ट निर्माण के लिए एक केन्द्रीकृत डैश बोर्ड पोर्टल प्रदान किया गया है।

2) **माइक्रो एटीएम के माध्यम से ऑनलाइन खाता खोलना :** इसके अंतर्गत भावी ग्राहक को अपनी आधार संख्या एवं बायोमेट्रिक विवरण माइक्रो एटीएम को प्रदान करने होते हैं। ऐसे भावी ग्राहक जिनके पास आधार संख्या उपलब्ध न हो वे सरकार द्वारा अनुमोदित केवाईसी के अन्य प्रलेखों जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के माध्यम से खाता खोलने के इस तरीके का प्रयोग कर सकते है।

3) **कनेक्टिविटी समस्या से ग्रस्त सूदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए सौर ऊर्जा चालित वीएसएटी :** डार्क/ग्रे क्षेत्रों के लिए, जहाँ कनेक्टिविटी की समस्या है, सौर ऊर्जा चालित वीएसएटी प्रदान करना। ऐसे 91 क्षेत्रों की पहचान की गई है जहाँ वीएसएटी और यूपीएस स्थापित किए जा रहे हैं।

4) **माइक्रो एटीएम पर ग्राहकों द्वारा किए गए लेन-देनों की रसीदों पर ग्राहकों का नाम मुद्रित करना :** बैंक के एफआई चैनल में परिवर्तन किए गए हैं जिससे माइक्रो एटीएम द्वारा जनित मुद्रित स्लिप पर ग्राहकों के नाम मुद्रित होता हैं।

5) **आंध्र प्रदेश के लिए ई-पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली):** इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य नकदी रहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निर्माण करना है जहाँ ग्राहक राशन स्टोर पर आधार कार्ड आधारित नकदी रहित लेन-देन कर सकता है।

6) **व्यापारी आधार भुगतान :** ऐसा समाधान जो देश भरके व्यापारियों को ग्राहकों के लिए मात्र अंगूठा निशान एवं आधार से जुड़े बैंक खातों की सहायता से नकदी रहित खरीदी की सुविधा के लिए सक्षम बनाता है।

withdrawal and issues receipt on 24*7 basis. BNA has the capability to identify and reject non-bank note, counterfeit and suspicious bank notes.

Synd -E- Lounge

Self service kiosks like BNA, ATM, Passbook, cheque deposit and internet kiosks are provided in identified locations to enable the customers to have access on 24X7 basis. 30 Synd Lounges are functional as on 31.03.2017.

On line SB account opening

On line SB account opening facility is available on website.

Govt. Sponsored Initiatives

1) **Dash Board utility for monitoring Bank Mitra:** A centralized dash board portal is provided for DFS (Department of Financial Services, GoI) and other user groups (CO/HO/ROs) for effective monitoring and report generation of day to day transactions done by BC Agents.

2) **Online Account Opening through Micro ATMs:** The prospective customer has to provide his/her Aadhaar number and biometric details to the Micro ATM. For those prospective customers who do not possess an Aadhaar card, they may use this mode of account opening where other Govt. approved KYC documents like voter ID, pan card, and driving license etc. are available.

3) **Solar Powered VSATs for Remote areas with connectivity problems:** To provide solar power VSATs in dark/grey areas where there is a connectivity problem. 91 such locations have been identified and VSATs and UPS are being installed at the locations.

4) **Printing of customer name in the receipt given to the customer for transaction at Micro ATM:** New changes have been made in Bank's FI channel which allows printing of customer's name in the print slip generated through Micro ATMs.

5) **E-PDS (Public Distribution system) for Andhra Pradesh:** The prior focus of this project is to build a cashless Public Distribution System where the customers can do Aadhaar based cashless transactions at Rashan stores.

6) **Merchant Aadhaar Pay:** An unique solution that enables merchants across the country to facilitate cashless purchases for customers with just their thumb and Aadhaar linked bank account.

हरित पहल

हरित पहल के भाग के रूप में, बैंक ने ग्राहकों के लिए मूल्यवर्धित सेवा के तौर पर विभिन्न उत्पादों की शुरुआत की है।

- ❖ बैंक ने कृषि क्षेत्र में ऋण को बढ़ावा देने के लिए ₹ 5.00 लाख तक के सोलार पंपसेट की खरीद के लिए जमीन को गिरवी रखे बिना, किसान अनुकूलित संपार्श्व रहित ऋण की शुरुआत की है।
- ❖ स्मार्ट फोन पर खाते संबंधी विवरण प्राप्त करने के लिए सुविधाजनक एवं सुरक्षित मोबाइल एप, सिंड ई-पासबुक समाधान की शुरुआत की गई है।
- ❖ वेबसाइट पर ऑनलाइन बचत खाता खोलने की सुविधा प्रदान की गई है।
- ❖ ग्राहकों के लिए माइक्रो एटीएम के माध्यम से ऑनलाइन खाता खोलने की शुरुआत की गई है।
- ❖ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नकदी रहित बनाने के लिए एई-पीडीएस (आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली) का कार्यान्वयन किया गया है।
- ❖ मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) की शुरुआत की गई है।
- ❖ वेबसाइट/इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन पर ऑनलाइन वसीयत लेखन सेवा ''सिंड वसीयत-ईजीविल'' का शुभारंभ किया गया है।

परिचालन और सामान्य प्रशासन

सुरक्षा जमा लॉकर

- बैंक ने लॉकर सुविधा वाली सभी शाखाओं में सुरक्षा जमा लॉकर के कुशल प्रबंधन के लिए लॉकर मॉड्यूल सॉफ्टवेयर क्रियान्वित किया है।
- बैंक ने सभी वर्ग के ग्राहकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से लॉकर प्रभार को उचित किराया करके प्रतिस्पर्धात्मक बनाया है ।

नकदी प्रबंधन

- नकदी जमा अनुपात (सीडीआर); दिनांक 31.03.2017 की स्थिति में 0.40% के स्तर पर बना हुआ है।
- मुद्रा तिजोरी और भंडारण केंद्रों से जुड़े सभी कैश वैन जीपीआरएस युक्त हैं।

मुद्रा प्रबंधन

- वर्तमान में 48 मुद्रा तिजोरियाँ हैं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वच्छ नोट नीति का अनुपालन किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के अनुसार, शाखाओं एवं मुद्रा तिजोरियों में नोट छँटाई मशीन उपलब्ध कराई जानी है। तदनुसार सभी मुद्रा तिजोरियों को भारी कार्यक्षमता वाली एनएसएम उपलब्ध कराई गई है। अधिकतर शाखाओं में एनएसएम/नोट काउंटिंग मशीन उपलब्ध कराई गई है। शेष सभी शाखाओं में एनएसएम/नोट काउंटिंग मशीन को उपलब्ध कराने के लिए बैंक ने कदम उठाया है।

GREEN INITIATIVES

As a part of the green initiatives, Bank introduced various products as a value added service to the customers.

- ❖ Introduced farmer friendly collateral free loans to purchase solar pumpsets up to ₹5.00 Lakh without mortgage of lands to boost farm loans under agriculture.
- ❖ Launched Synd e-passbook solution is a convenient and secure mobile app to get account details and statements on Smartphone.
- ❖ Provided Online SB account opening facility on website.
- ❖ Introduced online account opening through Micro ATMs for the customers.
- ❖ Implemented Ae-PDS (Aadhaar enabled Public Distribution system) to build a cashless public distribution system.
- ❖ Introduced Human Resources Management System (HRMS).
- ❖ Launched "Syndwasiyat-Ezeewill" online will writing services on website/internet banking application.

OPERATIONS AND GENERAL ADMINISTRATION

Safe Deposit Lockers

- Bank has implemented locker module software in all branches, having locker facility for efficient management of safe deposit lockers.
- Bank has made locker charges competitive with reasonable rental charges to benefit cross section of the clientele.

Cash Management

- Cash deposit ratio (CDR) is maintained at a level of 0.40% as on 31.03.2017.
- All the cash vans attached to currency chest cash and pooling centers are GPRS enabled.

Currency Management

- At present there are 48 currency chests.
- Clean note policy as per RBI directions is implemented. Under RBI clean note policy, banks are required to provide Note Sorting Machines (NSMs) to branches and currency chests. Accordingly all currency chests are provided with heavy duty NSMs. Many of the branches were provided with NSMs/Note Counting Machines. Bank has taken steps to provide NSMs/Note Counting Machines in all remaining branches.

- विमुद्रीकरण के दौरान नकदी प्रबंधन कुशलतापूर्वक संचालित किया गया था और एसबीएन का कोई भी हिस्सा बैंक के पास शेष नहीं था।

चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस)

सीटीएस को दिनांक 01.04.2013 से अनिवार्य कर दिया गया है और बैंक ने इस संबंध में निम्नलिखित को सुनिश्चित किया है,

- समस्त शाखाओं को सीटीएस-2010 मानक के अनुरूप चेक जारी किए गए। कुछ खातों में लेन-देन न होने, निष्क्रिय होने, न्यूनतम बैलेंस न होने आदि के कारण, सीटीएस चेक नहीं दिए गए हैं।
- सभी शाखाओं को जारी किए गए मांग ड्राफ्ट भी सीटीएस के अनुकूल हैं।
- पुराने एवं नए चेक बुक के संव्यवहार एवं जहाँ कहीं भी योग्य हो, नई चेक बुक बदलने के लिए भी शाखाओं को विशेष दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

सीटीएस समाशोधन की गतिविधियाँ ग्रिड-आधारित हैं। इसे देश की सभी शाखाओं में चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया गया है। पूरे देश में 3 सीटीएस ग्रिड-उत्तरी ग्रिड-दिल्ली, पश्चिमी ग्रिड-मुंबई एवं दक्षिणी ग्रिड-चेन्नई हैं।

एनपीसीआई का एनएसीएच प्लेटफॉर्म

बैंक, आवश्यकतानुसार डेबिट ईसीएस अधिदेश को एनईसीएस से एनएसीएच में स्थानांतरित करने में प्रक्रियारत है।

जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता निधि (डीईएएफ)

भारतीय रिज़र्व बैंक की जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता निधि योजना का जून 2014 से कार्यान्वयन किया गया है।

केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी)

सीपीपीसी, दिनांक 01.02.2012 से केंद्रीय सिविल पेंशनों के लिए संचालित है। रक्षा, केन्द्रीय सिविल, टेलीकॉम एवं डाक पेंशन केन्द्रीकृत प्रणाली संचालन में हैं तथा रेलवे पेंशन का स्थानान्तरण करने की प्रक्रिया प्रगति पर है जिससे सभी केन्द्र सरकारी पेंशनों का केन्द्रीकृत भुगतान की प्रक्रिया को पूर्ण कर देगा।

सरकारी लेन-देन कक्ष

- बैंक ने 239 शाखाओं को वर्तमान 322 शाखाओं के साथ जोड़ते हुए उनके लिए प्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए प्राधिकरण प्राप्त किया है।
- भारत सरकार की सॉवरेन गोल्ड बाँड योजना का कार्यान्वयन किया गया है और अब तक जारी गोल्ड बाँड की सभी कीमतों में भाग लिया है।
- भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का कार्यान्वयन किया गया है।

- During demonetization period cash management was handled efficiently and not a single piece of SBNs remained with the Bank.

Cheque Truncation System (CTS)

CTS is mandatory from 01.04.2013. In this regard, Bank has ensured,

- CTS-2010 standard compliant cheque books issued to all branches. Few accounts are left behind to be issued CTS cheques due to non-transaction, dormant, non maintenance of minimum balance, etc.
- The demand drafts issued to all Branches are also CTS enabled.
- Specific guidelines issued to the branches regarding modus operandi of dealing with old and new cheque books and also to exchange new cheque books wherever eligible.

CTS clearing activities is Grid-based. This is implemented throughout the country in a phased manner. There are 3 CTS Grids covering throughout the country. They are Northern Grid- Delhi, Western Grid- Mumbai and Southern Grid- Chennai.

NACH platform of NPCI

Bank is in the process of migrating Debit ECS Mandates from NECS to NACH as required.

Depositor Education Awareness Fund (DEAF)

Depositor education awareness fund scheme of Reserve Bank of India has been implemented since June 2014.

Central Pension Processing Center (CPPC)

CPPC is opertionalised w.e.f. 01.02.2012 for central civil pension. Defence, Central Civil, Telecom & Postal Pensions are in operation in centralised system and migration of railway pensions is in progress which will complete the process of centralized payment of all Central Government pensions.

Government Transactions Cell

- The Bank has obtained authorisation for 239 branches for collection of direct taxes to add up to the existing designated branches of 322.
- Implemented the sovereign gold bonds scheme of Government of India and participated in all tranches of gold bonds issue so far.
- Implemented Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana as per RBI guidelines.

- प.बंगाल सरकार कोष विभाग कर एवं अन्य संग्रहण (जीआरआईपीएस) एवं तमिलनाडु राज्य सरकार कोष संग्रहण (टीएनआईजीआरएस) को ऑनलाइन भुगतान के लिए कार्यान्वयन किया गया है।

मानव संसाधन विकास

बैंक का मानव संसाधन विकास प्रभाग आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण उत्तराधिकार योजना के माध्यम से जनशक्ति नियोजन भर्ती, पदोन्नति, निष्पादन मूल्यांकन, कर्मचारी विकास/क्षमता निर्माण आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

बैंक द्वारा उत्तराधिकार योजना पर अधिक बल दिया जा रहा है जिसमें आवश्यक क्षमताओं की पहचान की जाती है, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नेतृत्व निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों की प्रतिभा को विकसित करने एवं बनाए रखने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं उनके विकास पर निवेश करते हुए बैंक ने स्टाफ सदस्यों को नई एच.आर. चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम बनाया है ताकि वे 'भविष्य के लिए तैयार' रहें।

31.03.2017 की स्थिति में बैंक की मानव पूँजी निम्नानुसार है:

श्रेणी	**31.03.2016**	**31.03.2017**
अधिकारी	14,299	16,956
लिपिक	11,008	11,339
अधीनस्थ कर्मचारी	4,508	4,253
सफाई कर्मचारी	2,282	2,441
कुल	**32,097**	**34,989**

नियुक्ति योजना

नियुक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य, कौशल सूची, सेवानिवृत्ति, पलायन दर, शाखा विस्तार, कैरियर योजना, उत्तराधिकार योजना आदि के आधार पर कर्मचारियों का अनुमानित स्तर रखना है। भर्ती तकनीक में विशेषज्ञ अधिकारियों की पार्श्विक भर्ती और आईबीपीएस द्वारा परिवीक्षाधीन अधिकारियों एवं लिपिकों की सामान्य भर्ती प्रक्रिया शामिल है। बैंक द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान दिनांक 31.03.2017 तक भर्ती किए गए विशेषज्ञ अधिकारियों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं.	**पद**	**कार्यग्रहित**
1	विपणन अधिकारी	25
2	राभा/हिंदी अधिकारी	19
3	ग्रामीण विकास अधिकारी	366
4	सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी	81
कुल विशेषज्ञ अधिकारी		**491**

- West Bengal Government Treasury Dept Tax and Other Collection (GRIPS) and Tamil Nadu State Government Treasury Collection (TNIGRS) have been implemented for online payment.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Human resource development division of the Bank is playing vital role in manpower planning, recruitment, promotions, performance appraisal, employee development/capacity building through in-house and external training, succession planning, etc.

Bank is giving more thrust to succession planning wherein necessary competencies is identified, assessed to develop and retain talent pool of employees, in order to ensure continuity of leadership in all critical areas. Investment in employees' training and development has enabled the Bank to prepare its staff to handle HR challenges and make them 'future ready'.

The human capital of the Bank as on 31.03.2017 is as under:

Category	**31.03.2016**	**31.03.2017**
Officers	14,299	16,956
Clerks	11,008	11,339
Sub staff	4,508	4,253
Sweepers	2,282	2,441
Total	**32,097**	**34,989**

Recruitment Planning

The main objective of recruitment planning is to have the projected level of staff strength based on the skill inventory, superannuation, attrition rates, branch expansion plan of the Bank, career plan, succession planning, etc. The recruitment techniques include lateral recruitment of specialist officers and recruitment of probationary officers and clerks through the common recruitment process conducted by IBPS. The details of specialist officers recruited by the bank during of the year 2016-2017 up to 31.03.2017 is shown below:

S.No.	**Posts**	**Joined**
1	Marketing Officers	25
2	OL/Hindi Officers	19
3	Rural Development Officers	366
4	IT Officers	81
Total of Specialist Officers		**491**

पदोन्नति एवं प्लेसमेंट

बैंक द्वारा समय-समय पर भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार, अनेक ग्रेड/श्रेणियों में हुई सेवानिवृत्तियों का सामना करने के लिए एक बृहद् पदोन्नति एवं प्लेसमेंट नीति लाई गई है। बैंक की पदोन्नति नीति, अधिकरियों को कार्य निष्पादन के लिए प्रेरित करती है तथा उत्तराधिकार योजना को भी सफल बनाती है। स्थिरता से बचने के लिए अधिकारी संवर्ग में प्रत्येक वर्ष पदोन्नति सुनिश्चित की जाती है। प्रतिभावान स्टॉफ को बनाए रखने के लिए आवधिक रूप में पदोन्नति प्रक्रियाएँ एवं अनेक कल्याणकारी उपाय भी अपनाए जाते हैं।

प्रतिभा संवर्धन एवं प्रतिधारण:

आयोजना, भर्ती व प्रतिधारण, व्यवहार, कर्मचारी प्रशिक्षण एवं विकास, मूल्यांकन तथा कर्मचारी हित के माध्यम से प्रबंधन को प्रभावी बनाना बैंक की मानव संसाधन प्रबंधन नीति का उद्देश्य है। बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को काम करने के लिए अनुकूल वातावरण मिले ताकि वे उत्तम सेवा दे सकें। कर्मचारियों के प्रतिधारण को प्राथमिकता दी जाती है। बैंक ने एक अनुसमर्थन कार्यनीति बनाई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नवनियुक्त कर्मचारियों को उचित निर्देश एवं परिवीक्षा के प्रारंभिक दो वर्षों के दौरान प्रशिक्षण देकर उन्हें घरेलू माहौल दिया जा सके जिससे वे बैंक में टिके रहें।

फास्ट ट्रैक चैनल द्वारा नियमित पदोन्नति और प्रमुख संविभागों के लिए चयन प्रक्रिया से माध्यम में प्रतिभावान स्टाफ को रोक कर रखा जाता है। बैंक, प्रतिभा वृद्धि व प्रतिधारण के उद्देश्य से विभिन्न व्यावसायिक परीक्षाओं जैसे एनआईएसएम, आईआरडीए, सीआईएसए, सीआईएसएसपी, ओराकल, जोखिम प्रबंधन परीक्षाएँ, आईआईबीएफ से आयोजित पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के अलावा परीक्षा शुल्क की भी प्रतिपूर्ति कर रहा है।

अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति

बैंक ने वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय/अन्य संगठनों के अनुरोध पर हमारे अधिकारियों को वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग और सीबीआई, डीआरटी, रुडसेटी की राष्ट्रीय अकादमी तथा भारतीय महिला बैंक लिमिटेड जैसी अन्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्त किया है।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. को आरक्षण

बैंक ने भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अ.जा./अ.ज.जा./अ पि.व. के लिए लागू आरक्षण नीति का अनुसरण किया है तथा सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों के लिए बैंक ने भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण/छूट को सख्ती से लागू किया है।

प्रधान कार्यालय में अलग से अ.जा./अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. कक्ष स्थापित किया गया है जिसमें बैंक में कार्यरत अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण किया जाता है तथा इसके लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में फिलहाल महा प्रबंधक को नामित किया

Promotions and Placement

The Bank has placed robust promotion and placement policy to cope with superannuation in various grades/scales keeping in view of the guidelines received from Government of India from time to time. The promotion policy of the Bank acts as a motivating factor for the officers to perform and also to take care of succession planning. Promotion within officer cadre is ensured every year to avoid any stagnation. Periodical promotional processes and a number of welfare measures are also introduced to retain quality staff.

Talent Grooming & Retention

The HRM policy of the Bank aims at effective personnel management through planning, recruitment & retention practices, employees' training & development, evaluation and employee benefits. The Bank ensures a congenial environment for the employees where they can give their best. Retention of the employees is given priority. The Bank has adopted hand holding strategy to ensure that, the new entrants are properly guided and trained in their initial 2 years of probation so as to make them feel at home and to retain them in the Bank.

Continuous promotion process through fast track channel and selection of officers internally through a selection process for key verticals is in place for retaining the talented staff. Bank is reimbursing examination fees besides paying incentive for passing various professional examinations like NISM, IRDA, CISA, CISSP, ORACLE, risk management examinations, courses conducted by IIBF etc. with the objective of talent grooming and retention.

Deputation to Other Organizations

The Bank has deputed its officers to Ministry of Finance, Department of Financial Services and other organizations like CBI, DRT, National Academy of RUDSETI and Bharatiya Mahila Bank Ltd as per the request of Ministry of Finance, Department of Financial Services/other organizations.

Reservation to SC/ST/OBC

The Bank follows the reservation policy for SCs, STs and OBCs as prescribed by Government of India and State Governments from time to time and has been extending applicable reservations/concessions to SC/ST/OBC/PWD employees in recruitment/promotions strictly as per Government guidelines.

A separate SC/ST cell and OBC Cell are functioning at Head Office to redress the grievances of SC/ST/OBC employees working in the Bank and are currently headed by General Managers designated as Chief Liaison Officer. Meetings

गया है। उनकी शिकायतों के निवारण हेतु अ.जा./अ.ज.जा. कल्याण संघों के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं। हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों में राष्ट्रीय अ.जा./अ.ज.जा. आयोग के अधिकारियों/सदस्यों के निरीक्षण के दौरान मुख्य संपर्क अधिकारी उनके साथ बैठक में भाग लेते हैं। आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की प्रगति को वर्ष में एक बार निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सरकारी के निर्देशों के अनुपालन हेतु पद आधारित आरक्षण रोस्टर बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

बैंक में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन

बैंक में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह एक केन्द्रीकृत एचआरएमएम समाधान है जो बैंक के सभी कर्मचारियों/पेंशनधारकों सहित कार्मिक विभाग के विभिन्न प्रभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखाओं तथा अन्य प्रशासनिक कार्यालयों के कार्यकलापों की देखरेख करता है। इसके माध्यम से वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट, उपस्थिति, अवकाश मॉड्यूल तथा वेतन संबंधी कार्यकलापों, कर्मचारी अभिलेख प्रबंधन, कार्मिक प्रशासन, स्थानांतरण मॉड्यूल को सक्रिय किया गया है। इन मॉड्यूलों की अन्य विशेषताएँ और अन्य मॉड्यूल जैसे, मानवशक्ति आयोजना, सेवांत लाभ, प्रशिक्षण व विकास, भर्ती आदि भी क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

स्टाफ कल्याण उपाय

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बदले में एकमुश्त अनुग्रह राशि की भुगतान योजना

बैंक की सेवा में रहते मृत होनेवाले कर्मचारियों को और 55 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले विकलांग होने के कारण चिकित्सा आधार पर निवृत्त होनेवाले कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा आधारित नियुक्ति और अनुकंपा आधारित नियुक्ति के बदले एकमुश्त क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान के लिए बैंक ने एक योजना बनाई है। यह योजना उन सभी मामलों के लिए लागू है जहाँ कर्मचारी की मृत्यु 5.8.2014 को या उसके बाद हुई हो।

प्रदेय एक मुश्त अनुग्रह राशि की संवर्ग वार सीमा निम्नानुसार है:

संवर्ग	अधिकतम राशि
अधिकारी	₹8.00 लाख
लिपिक	₹7.00 लाख
अधीनस्थ कर्मचारी	₹6.00 लाख

बैंक लूट तथा आतंकवादी घटनाओं में मारे गए बैंक कर्मचारियों को मुआवजा

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक लूट, आतंकवादी तथा वामपंथी उग्रवादी घटनाओं का विरोध करनेवाले बैंक कर्मचारियों एवं आम जनता को प्रोत्साहन हेतु

with the representatives of the SC/ST welfare associations are held at regular intervals to redress their grievances. The Chief Liaison Officer will participate in meetings with the members/officials of the National Commission for SC/ST during their visits to regional offices. The progress made in the implementation of the reservation policy is placed before the Board of Directors once in a year. The post based reservation roster is displayed on the website of the bank in compliance to the directions of the Government.

Implementation of HRMS in the Bank

HRMS is being implemented in the Bank. It is a centralized HRMS solution for handling the functions of different divisions of personnel department, regional offices, branches and other administrative offices covering all employees/ pensioners of the Bank. Annual performance appraisal report, attendance, leave modules and few functionalities of salary, employee record management, personnel administration, transfer modules have been made live. Remaining features of these modules and other modules like manpower planning, terminal benefits, training and development, recruitment etc., are in different stages of implementation.

STAFF WELFARE MEASURES

Scheme for Compassionate Appointment and Payment of Ex-gratia Lump sum amount in lieu of Compassionate Appointment

The Bank has formulated a scheme for appointment on compassionate grounds and payment of Ex-Gratia lump sum amount in lieu of compassionate appointment to the dependents of the employee who dies while in service and employee retiring on medical grounds due to incapacitation before reaching the age of 55 years. The scheme covers all the cases where death of employee occurs on or after 05.08.2014.

The cadre wise ceiling on Ex-Gratia lump sum amount payable is as under:

Cadre	Maximum amount
Officers	₹8.00 lakh
Clerical	₹7.00 lakh
Subordinate Staff	₹6.00 lakh

Compensation to Bank Employees Killed in Bank Robberies & Terrorist incidents

Bank has formulated a scheme as per Govt. guidelines for payment of compensation and reward so as to motivate

पुरस्कृत करने और मुआवजा भुगतान के लिए बैंक द्वारा एक योजना बनाई गई है। मृत्यु होने की स्थिति में, मृतक के परिवार को दी जानेवाली मुआवजा राशि इस प्रकार है:

संवर्ग	श्रेणी	अधिकतम राशि
बैंक कर्मचारी	अधिकारी	₹20.00 लाख
	लिपिक/अधीनस्थ कर्मचारी	₹10.00 लाख
बैंक कर्मचारी के अतिरिक्त	ग्राहक/आम जनता	₹3.00 लाख

यदि बैंक कर्मचारियों/ग्राहकों/आम जनता में से कोई व्यक्ति बैंक-लूट तथा बैंक पर आतंकी हमले का सक्रिय रूप से प्रतिरोध करता है तो बैंक, इसके लिए ₹2.00 लाख तक की नकद इनाम राशि देने पर विचार कर सकता है।

मृतक के बच्चों की स्नातक तक की शिक्षा की देखभाल बैंक करता है तथा परिवार के एक सदस्य को तत्काल नौकरी देने की व्यवस्था भी नियमानुसार बैंक करता है।

प्रशिक्षण और विकास

शीर्ष स्तर पर सिंडिकेट बैंक प्रबंधन संस्थान (एसआईबीएम), मणिपाल तथा बेंगलूरु, चेन्नई, दिल्ली, एरणाकुलम, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई स्थित सात प्रशिक्षण केंद्र, विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर बैंक की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। टीम नेतृत्व की भूमिका विकसित करने तथा संगठन के विज़न को दृष्टिगत रखते हुए कार्यपालकों/अधिकारियों को एनआईबीएम, आईआईएम आदि द्वारा आयोजित बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किए जाते हैं।

वर्ष 2016 -17 के दौरान, प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा 496 कार्यक्रमों में 9008 अधिकारियों और 5742 कामगार कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, 1305 अधिकारियों/कार्यपालकों को भारत में स्थित प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया तथा 5 कार्यपालकों/अधिकारियों को विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी प्रतिनियुक्त किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा बैंक में कार्यग्रहण करने वाले 3322 परिवीक्षाधीन कर्मचारियों (अधिकारी - 1791 तथा लिपिक- 1531) को प्रशिक्षण दिया गया। इसी अवधि के दौरान अजा/अजजा/अपिव के 7,452 कर्मचारियों (अधिकारी- 4,659 एवं लिपिक/अधीनस्थ कर्मचारी- 2,793) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिनमें से अजा/अजजा/अपिव के 2230 कर्मचारियों (अधिकारी - 1166 एवं लिपिक - 1064) को अगली श्रेणी में पदोन्नति के लिए पदोन्नतिपूर्व प्रशिक्षण दिया गया।

the Bank employees and members of public resisting Bank robberies, terrorist incidents including left-wing extremism. In case of death, the family of deceased will be given compensation by the Bank as follows:

Category	Cadre	Maximum amount
Bank Employee	Officers	₹20.00 lakh
	Clerks /Sub Staff	₹10.00 lakh
Other than bank employee	Customers/ members of the public	₹3.00 lakh

In case of Bank employees/customers/members of public who actively resist Bank robberies and terrorist attacks on Banks, the Bank may consider a cash reward not exceeding ₹2 lakhs.

The Bank will look after educational expenses of the children of the deceased up to and inclusive of graduation and will give immediate employment to one member of the family of the deceased as per applicable rules.

TRAINING AND DEVELOPMENT

Syndicate Institute of Bank Management (SIBM) apex training institute at Manipal and the seven training centres at Bangalore, Chennai, Delhi, Ernakulam, Hyderabad, Kolkata and Mumbai are catering to the training needs of the Bank by conducting various types of training programmes for different cadres of employees. To develop team leadership roles and to align organization vision, the performing executives/officers are being deputed to external training programmes conducted by NIBM, IIM, etc.

During the year 2016-17, 496 programmes covering 9008 officers and 5742 workmen employees were conducted by the training system. In addition, 1305 officers/ executives were deputed to external training programmes conducted by training institutes of repute in India and 5 executives/officers were deputed to overseas training programmes. The training system has imparted induction training to 3322 probationary employees (officers –1791 and clerks –1531) during the year 2016-17. During the same period 7,452 employees belonging to SC/ST/OBC category (officers – 4,659 and clerks/sub staff – 2,793) were trained, out of which, pre-promotion training to prepare for promotion to the next cadres was imparted to 2230 SC/ST/ OBC employees (officers –1166 and clerks - 1064).

वर्ष 2016-17 के दौरान प्रदत्त प्रशिक्षण-एक नज़र

	अधिकारी	लिपिक	कुल
(ए) आंतरिक			
सामान्य	4,830	2,949	
अपिव	1,939	1,425	
अ.जा.	1,608	1,130	
अ.ज.जा	631	238	
कुल	9,008	5,742	14,750
(बी) बाह्य			
सामान्य	829		
अपिव	284		
अ.जा.	150		
अ.ज.जा.	47		
कुल	1,310	0	1310
सकल योग	10,318	5,742	**16,060**

भारी संख्या में सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को अभिप्रेरित करने तथा सशक्त बनाने के लिए एसआईबीएम ने नए कार्यक्रमों को तैयार किया है ताकि वे उच्चतर जिम्मेदारियों को निभा सकें। संवेदनशील क्षेत्रों तथा शाखाओं को परिचालित करनेवाले नामोदिष्ट कार्यपालकों के लिए एसआईबीएम ने कौशल विकास निहित विशेष कार्यपालक विकास कार्यक्रम की व्यवस्था की है। कौशल अंतराल को दूर करने के लिए एसआईबीएम तथा प्रशिक्षण केंद्रों ने कोर क्रेडिट, एमएसएमई एवं प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पर विशेष प्रशिक्षण के द्वारा 1605 अधिकारियों को वर्ष के दौरान प्रशिक्षित किया गया।

मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्रा.लि., बेंगलूरु और एनआईटीटीई एजूकेशनल इंटरनेशनल प्राइवेट लि., मंगलूरू एवं नोएडा के सहयोग से बैंक ने ''फस्ट डे, फस्ट अवर-प्रोडक्टिव'' के उद्देश्य से स्ट्रेटेजिक टेलेंट पाइपलाइन बिल्डिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत दोनों संस्थान आईबीपीएस से चयनित प्रशिक्षणार्थियों को 12 महीनों का प्रशिक्षण देता है, जिनमें से 9 महीनों की सैद्धांतिक शिक्षा व 3 महीने का शाखा में इंटर्नशिप शामिल है। 12 महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद इन प्रशिक्षणार्थियों को बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में ले लिया जाता है। 384 अभ्यर्थियोंवाले पहले बैच ने प्रशिक्षण पूरा कर बैंक में कार्यभार ग्रहण किया तथा 584 अभ्यर्थियों का दूसरा बैच प्रशिक्षणाधीन है।

राजभाषा का कार्यान्वयन

बैंक द्वारा हिंदी के प्रयोग और प्रोत्साहन को विभिन्न रूपों में निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। यह केवल इसलिए नहीं कि यह भारत सरकार की नीति है बल्कि इसलिए भी कि यह समावेशी बैंकिंग के लिए एक आदर्श एवं शक्तिशाली माध्यम भी है। भारत सरकार द्वारा राजभाषा संबंधी महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिये, आंतरिक वार्षिक

Training imparted during the year 2016-17- at a glance

	Officers	Clerks	Total
(a) Internal			
General	4,830	2,949	
OBC	1,939	1,425	
SC	1,608	1,130	
ST	631	238	
Total	9,008	5,742	14,750
(b) External			
General	829		
OBC	284		
SC	150		
ST	47		
Total	1,310	0	1,310
Grand Total	10,318	5,742	**16,060**

Considering the large scale retirements, SIBM has devised new programmes to groom the officers by motivating and empowering them to assume higher responsibilities. For the identified executives handling sensitive Regions and Branches, SIBM has arranged special Executive Development Programmes, consisting of mainly soft skills. To bridge the skill gap, SIBM & Training Centres have conducted special training programmes on Core Credit, MSME and Priority Sector Lending covering 1605 Officers during the year.

The Bank, with the objective of "first day, first hour - productive" has introduced Strategic Talent Pipeline Building Programme in association with Manipal Global Education Services Pvt. Ltd, Bangalore and NITTE Educational International Pvt. Ltd. Mangalore & Noida, wherein both the Institutes train the candidates selected through IBPS process for a period of 12 months' consisting of 9 months' academic input and 3 months' internship in the branch. On successful completion of 12 months training, these trainees are absorbed as probationary officers of the Bank. The first such batch 384 candidates completed the training and joined the Bank and second batch of 584 candidates are undergoing training.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

The Bank has been displaying a strong and abiding commitment to encourage the greater use of Hindi in various ways not only because it is the policy of the Government of India but also as an ideal and powerful medium of inclusive banking. With an object of timely implementation of important guidelines pertaining to

राजभाषा कार्यान्वयन कार्य योजना जारी कर शाखाओं/कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को राजभाषा के कार्यान्वयन में मदद करने के लिये, बैंक ने विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है।

बैंक ने राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और वर्ष के दौरान विभिन्न स्तर के पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आपके बैंक को 'ग' क्षेत्र में (वर्ष 2015-16) राजभाषा कार्यान्वयन में श्रेष्ठ निष्पादन हेतु भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रथम पुरस्कार, **''राजभाषा कीर्ति पुरस्कार''** से लगातार दूसरी बार सम्मानित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता (2015-16) में आपके बैंक की हिंदी पत्रिका 'जागृति' को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। हमारे कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों और कर्मचारियों ने संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से राजभाषा शील्ड/पुरस्कार प्राप्त किये हैं। इसके अतिरिक्त, राजभाषा सेवा संस्थान तथा परिवर्तन जन कल्याण समिति, नई दिल्ली द्वारा आपके बैंक को उत्तम राजभाषा कार्यान्वयन तथा उत्तम प्रकाशन (जागृति गृह पत्रिका एवं ''आइए प्रांतीय भाषा में बात करें'' पुस्तक) पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

बैंक की आंतरिक पुरस्कार योजनाएँ जैसे; क्षेत्रवार व्यक्तिगत कर्मचारियों को हिंदी का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग करना; कंप्यूटर में हिंदी का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग करना और बैंक/अनुभाग स्तर पर शील्ड प्रतियोगितायें/निबंध प्रतियोगितायें प्रचलन में हैं। जायंट और जागृति गृह पत्रिकाओं में हिंदी लेख लिखनेवाले लेखकों को आकर्षक नकद मानदेय दिए जाते हैं।

हिन्दी का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु, बैंक ने 3251 शाखाओं/कार्यालयों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया है। गृहमंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों को, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट का ऑनलाइन भेजना सुनिश्चित किया गया है। रोज़ाना के कार्यकलापों में हिंदी के कार्यान्वयन से संबंधित सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के अलावा, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रयोजनमूलक हिंदी कार्यशालाओं, हिंदी आशुलिपि, हिंदी अनुवाद प्रशिक्षण, हिंदी समन्वयकों/कार्यपालकों के लिये राजभाषा संगोष्ठी, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों/स्टाफ सदस्यों के लिये हिंदी प्रतियोगिताओं और वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय के ''राजभाषा प्रयोग-आपसी संवाद-सार्थक दिशा'' जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

बैंक ने वेबसाइट का हिन्दी अनुवाद करके उसे अद्यतन बनाने के साथ-साथ मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन को भी हिन्दी में तैयार किया है। बैंक अनंतपुर, विजयपुर, कारवार, कण्णूर, मेरठ, गाज़ियाबाद, ओंगोल, उडुपि

Official Language issued by the Government of India, various types of initiatives have been taken up by your Bank for providing assistance to the employees working in branches/offices in the implementation of official language duly issuing internal annual OL implementation action plan.

The Bank has made noteworthy progress under the implementation of official language and won prizes at various levels during the year. Your bank was awarded with first prize **"Rajbhasha Kirti Puraskar"** by the Government of India, Ministry of Home Affairs, Dept. of Official Language for its outstanding performance in official language (OL) implementation in 'C' region (2015-16) consecutively for second time. Your bank's quarterly Hindi magazine "Jagriti" got 3rd prize in Hindi House Journal Competition (2015-16) conducted by Reserve Bank of India. Some of regional offices and staff members of the bank have received Rajbhasha shields/awards from respective town official language implementation committees. In addition, your Bank has received first prize for best official language (OL) Implementation and best publication (Jagriti house journal & let us speak in regional language book) awards from Rajbhasha Seva Sansthan and Parivartan Jan Kalyan Samiti, New Delhi.

Bank's internal award schemes like cash incentive schemes for 'excellent performance in use of Hindi and excellent performance in use of Hindi on computers' for region wise individual employees and also 'bank level/branch level/department level shield competitions/essay competitions' are in vogue. Attractive cash incentives are being given to the writers of Hindi articles published in-house magazines i.e. Giant & Jagriti.

Bank has notified 3251 branches/offices under Rule 10(4) of OL Rule, 1976 to ensure maximum usage of Hindi. Ensured online submission of quarterly Hindi progress reports of various regional offices to the concerned regional implementation offices of MHA. Functional Hindi workshops, translation trainings, Hindi coordinator/executive OL seminars, Hindi competitions for school children/staff members in connection with 'vigilance awareness week, independence day/republic day/teachers' day' and 'Rajbhasha Prayog-Apasi Samvad-Sardhak Disha' programmes of DFS-MOF were conducted by various regional offices in addition to attending Govt. guidelines related to OL implementation in day to day official work. In addition to the above 'let us speak regional language' guidance programmes at various regions and soft skills programme in Hindi-English mixed medium for OL officers were conducted.

Bank has launched mobile banking application in Hindi in addition to updating Hindi translation of revamped website. Bank is the convenor of town official language

और फरीदाबाद में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का संयोजक है। राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सभी शाखाओं/कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने दि.12.04.2016 को मथुरा में क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा का निरीक्षण किया तथा आलेख एवं साक्ष्य उपसमिति ने दिनांक 06.09.2016 और 20.12.2016 को क्रमश: क्षे.का. चेन्नई एवं क्षे.का. गाजियाबाद के साथ राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी चर्चा की।

डॉ बिपिन बिहारी, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने दि. 13.01.2017 को लक्षद्वीप स्थित हमारी शाखाओं की समीक्षा की और उनके प्रयासों तथा प्रधान कार्यालय, राजभाषा प्रभाग की राजभाषायी निगरानी की काफी प्रशंसा की।

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के पदाधिकारियों ने क्रमश: पुणे और दिल्ली में समीक्षा बैठकें आयोजित की तथा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंक के प्रयासों की सराहना की।

आलोच्य अवधि के दौरान आयोजित विशेष गतिविधियाँ: बैंक ने आलोच्य अवधि के दौरान निम्नलिखित विशेष गतिविधियों का आयोजन किया।

i. दिनांक 09.01.2017 को एसआईबीएम, मणिपाल में ''सरकार के सामाजिक - आर्थिक विकास में विभिन्न महत्वपूर्ण पहल'' विषय पर हिंदी में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया।

ii. ''वैकल्पिक वितरण चैनल: बैंकरों और ग्राहकों के लिए वरदान एवं चुनौती'' नामक पुस्तक (फरवरी 2016 में आयोजित सेमिनार में प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत लेखों का संग्रह) का विमोचन किया गया।

iii. आपके बैंक ने 91वाँ स्थापना दिवस तथा हिंदी दिवस 2016 के अवसर पर हिंदी, तमिल और कन्नड प्रचारकों (हिंदी: श्रीमती माधवी भंडारी एवं एम. श्रीधरन, तमिल: मेघनाथन तथा कन्नड: श्री एन. मोगसाले तथा डॉ. बी. नरसिंह मूर्ति) को सम्मानित किया।

iv. बैंक के पूर्व स्टाफ सदस्य श्री बोल्वार मोहम्मद कुन्हि तथा गोविंद चंद्र माझी को क्रमश: कन्नड़ और संथाली साहित्य में अमूल्य योगदान के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किये जाने पर 26.01.2017 को आपके बैंक ने उन्हें सम्मानित किया।

v. राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अखिल भारतीय हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

vi. क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त लंदन शाखा और द्वीप शाखाओं में भी हिंदी दिवस का आयोजन किया गया।

बैंक ने वित्तीय समावेशन संबंधी जानकारी, योजनाओं/उत्पादों से संबंधित सामग्री/पैंफ्लेट, प्रदर्शन सामग्री आदि को हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में

implementation committees at Ananthapur, Bijapur, Karwar, Kannur, Meerut, Ghaziabad, Faridabad, Ongole and Udupi. Official language implementation committees were constituted in all the branches/offices for the effective implementation of official language. The third subcommittee of the Committee of Parliament on Official Language inspected RO Agra at Mathura on 12.04.2016 and the drafting & evidence subcommittee of the Committee of Parliament on Official Language had discussion with R.O. Chennai and RO Ghaziabad respectively on 06.09.2016 and 20.12.2016.

Dr. Bipin Bihari, Joint Secretary, Department of Official Language, MHA had reviewed Official Language (OL) implementation activities of Lakshadweep branches on 13.01.2017 and appreciated their efforts and also effective monitoring of Head Office in the area of Official Language implementation.

The officials of Department of Financial Services, MOF and Department of Official Language, MHA had conducted review meeting at Pune & Delhi respectively and appreciated the efforts of the Bank in the area of Official Language implementation.

Special activities conducted during the period: Bank has conducted special activities during the period as under.

i. Organized National Level Seminar in Hindi on "Various Important Initiatives of the Government in Socio-Economic Development" at SIBM, Manipal on 09.01.2017.

ii. Released a book titled "Alternate Delivery Channels: A Boon and Challenge for Bankers and Customers" (collection of articles won first prize in the seminar conducted in February 2016).

iii. Your bank has honored Hindi, Tamil and Kannad Pracharaks (Hindi: Mrs. Madhavi Bhandari & M Sridharan, Tamil: Meganadan and Kannada: Sri N Mogasale and Dr. B Narasimha Murthi) on 91st foundation day and Hindi day 2016.

iv. Your bank has honoured ex-staff members, Sri Bolwar Mohammad Kunhi and Gobinda Chandra Majhi in recognition of receiving Kendriya Sahitya Academy Award 2016 for their outstanding contribution in Kannada literature and Santali literature respectively on 26.01.2017.

v. Conducted All India Hindi Essay Competition for Nationalised Banks/FIs/RRBs.

vi. Conducted Hindi day at London branch and Island branches in addition to regional offices.

Bank has paid special attention on providing information related to financial inclusion matters, schemes/products related literature / pamphlets / advertisements / display

उपलब्ध करने पर विशेष ध्यान दिया है। अपने मूल्यवान ग्राहकों की सुविधा के लिए विविध नवोन्मेषी उपाय अपनाते हुए हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने में बैंक द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

ग्राहक सेवा

संतोषजनक ग्राहक सेवा के लिए बैंक मौजूदा प्रणाली की लगातार समीक्षा करता रहा है। बैंक का ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण, भविष्य की व्यापार क्षमता का निर्माण करने तथा ग्राहक जुटाने एवं इसे बनाए रखने तथा ग्राहक आधार बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

बैंक के पास ग्राहक सेवा, जमा, ग्राहक शिकायत निवारण, चेक संग्रहण, सेवा में विभिन्न प्रकार की कमियों के संदर्भ में बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित नीतियाँ हैं। सभी ग्राहकों की सुविधा हेतु बैंक की सभी शाखाओं में उपलब्ध होने के अतिरिक्त ये बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

शाखा प्रारंभ/स्थापना दिवस को हमारी शाखाएँ ग्राहक सम्मेलन दिवस के रूप में मनाती हैं। ऐसी सभाओं/बैठकों में स्थानीय सरकारी कार्मिकों व शाखा के ग्राहकों के साथ-साथ प्र.का./कॉ.का./क्षे.का. के कार्यपालक भी भाग लेते हैं। ऐसी बैठकों में बैंक के उत्पादों तथा सेवाओं के बारे में ग्राहकों को शिक्षित किया जाता है और ग्राहकों के विचार/प्रतिपुष्टि ली जाती है। ग्राहकों/वरिष्ठ नागरिकों की सहभागिता सहित शाखाओं/कार्यालयों में आवधिक रूप से आयोजित बैठक में ग्राहक सेवा एवं ग्राहक शिकायत संबंधी विषयों पर चर्चा की जाती है।

बैंक की शिकायत निवारण नीति को ग्राहकों की शिकायतों को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई है तथा उचित सेवा समीक्षा तंत्र के द्वारा ग्राहकों की शिकायतों का यथाशीघ्र निवारण सुनिश्चित किया जाता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान ग्राहक सेवा पहल:

- ❖ बैंक ने बीसीएसबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी शाखाओं में व्यापक सूचनापट्टों पर नोटिस प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित किया है।
- ❖ शाखाओं में ग्राहक सेवा में और अधिक सुधार लाने तथा स्टाफ सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाते हुए 'ग्राहक सेवा' नीति बनाई गई है, जैसे, शिष्टाचार, संप्रेषण, कार्यक्षमता एवं समयबद्धता, शाखाओं का सामान्य प्रबंधन, जानकारी आदि।
- ❖ बैंक, भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है और ग्राहकों एवं एमएसई ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संबंधी कोड के प्रावधानों को अक्षरश: लागू करने के लिए वचनबद्ध है।
- ❖ ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता से संबंधित संशोधित कोड बीसीएसबीआई 2014 और एमएसई ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता से संबंधित कोड 2015 को सभी शाखाओं/

material etc., in Hindi and regional language in addition to English. Bank is very particular in promoting Hindi and regional languages introducing various innovative models to facilitate its proud customers.

CUSTOMER SERVICE

Bank has been constantly reviewing the efficacy of existing system of attaining the customer service. Bank's customer centric approach acts as a key differential in shaping future business potential and also in acquiring, retaining and growing the customer base.

The Bank has policies duly approved by the Board on customer service, deposits, customer grievance redressal, cheque collection, compensation payable on account of various deficiencies in service etc. These are well displayed on the Bank's website for the convenience of the customers, besides displaying at each branches of the Bank.

Branches are celebrating branch opening / foundation day as customer meet day. Meeting would be attended by executives from HO/CO/RO, local Government officials and customers of that branch. During the meeting customer were educated about products and services offered by the bank and customer feedback would be obtained. Matters relating to customer service and customer complaints are discussed in the periodical meeting held at branches/regional offices with the involvement of customers / senior citizens.

The grievances redressal policy of the Bank is meant for minimizing instances of customer complaints and grievances through proper service delivery and review mechanism and to ensure prompt redressal of customer complaints and grievances.

Customer Service Initiatives taken during 2016-17:

- ❖ Bank has ensured display of the comprehensive notice board as per BCSBI guidelines in all the branches.
- ❖ With a view to improving the customer service in the branches and sensitize the staff, policy on 'customer service' has been adopted based on the following basic principles viz., courtesy, communication, efficiency & timeliness, general management of the branches, knowledge, etc.
- ❖ The Bank is a member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and committed to implement the provisions of Code of Bank's Commitment to Customers and Code of Bank's Commitment to MSE Customers in letter and spirit.
- ❖ Revised code of Bank's commitment to customers BCSBI 2014 and the 'Code of Bank's Commitment to Micro and Small Enterprises' 2015 have been

कार्यालयों में भेज दिए गए हैं एवं बैंक की शाखाओं में ग्राहकों हेतु संशोधित प्रतिबद्धता कोड की प्रति उपलब्ध कराई गई है। इसे वेबसाइट तथा इन-हाउस अप्लिकेशन पर भी अपलोड किया गया है।

❖ बीसीएसबीआई कोड के प्रावधानों के बारे में ग्राहकों को शिक्षित/संवेदी बनाने तथा जागरूकता लाने के लिए बैंक ने अपने नियमित प्रयास के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में बीसीएसबीआई द्वारा आयोजित ''ग्राहक सभा'' में सक्रिय रूप से सहभागिता की जिसमें शाखा के कार्मिकों एवं ग्राहकों ने बीसीएसबीआई के प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।

❖ वित्तीय समावेशन-ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संबंधी संहिता में निहित मूल अधिकारों का सचित्र प्रस्तुतिकरण ग्राहकों के उपयोग हेतु सभी शाखाओं में उपलब्ध कराया गया है।

❖ बीएसबीडी खाता *(सामान्य बचत बैंक जमाराशि)* खोलने संबंधी बीसीएसबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देश सभी शाखाओं में प्रदर्शित किए गए हैं।

❖ शाखा दौरे के दौरान कार्यपालक, शाखाओं में ग्राहकों से मिलते हैं और ग्राहक सेवा/शिकायत निवारण संबंधी मामलों एवं बीसीएसबीआई कोड के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वयन की समीक्षा करते हैं।

❖ बीसीएसबीआई के सूचना-पत्रों को वेबसाइट पर तिमाही आधार पर उपलब्ध/अद्यतन कराया जाता है।

❖ ग्राहक सेवा संबंधी स्थाई समिति की बैठक तिमाही आधार पर कॉरपोरेट कार्यालय में आयोजित की जाती है तथा उसमें ग्राहक सेवा संबंधी मामलों/शिकायतों आदि पर समीक्षा की जाती है। ग्राहक सेवा संबंधी मामलों पर बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति की तिमाही बैठक में भी चर्चा की जाती है।

❖ बचत बैंक खाता में ब्याज भुगतान की आवधिकता को छमाही से बदलकर तिमाही कर दिया गया है।

❖ सिंड पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) की शुरुआत-पीडीएस वितरकों के लिए शून्य शेष आधारित चालू खाता खोलने की शुरुआत की गई है।

❖ अनन्या शाखाओं के लिए वेतनभोगी खातों हेतु शून्य शेष सहित तत्काल खाता खोलने की शुरुआत की गई है।

❖ ग्राहकों की शिकायतों के शीघ्रतापूर्वक समाधान के लिए सुदृढ़ ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था की गई है। शिकायतों की संख्या एवं उनके निवारण में लिए गए समय के आधार पर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को ग्रेड प्रदान किए गए हैं। उत्कृष्ट के लिए ए; अच्छा के लिए बी; संतोषजनक के लिए सी; एवं खराब के लिए डी दिया जाता है।

ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र

बैंक ने दिनांक 18.08.2015 से लाइव ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र की शुरुआत की है। बैंक के वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण किया जा

circulated to all branches/offices and a copy of revised code of commitment to customers is available for the customers. It also uploaded and displayed in website and in-house application.

❖ In its continued efforts to spread awareness and to educate/sensitize customers about provisions of BCSBI Codes, Bank has also actively participated in the "customer meets" organized by BCSBI at various regions and branch officials and customers have interacted with BCSBI officials.

❖ Financial inclusion – pictorial presentation of basic rights contained in the Code of Bank's commitment to customers are made available in all the branches for use of the customers.

❖ The guidelines for opening of BSBD *(Basic Savings Bank Deposit)* accounts issued by BCSBI are exhibited in all branches.

❖ Executives during their visit to branches interact with customers and review matters relating to customer service/complaints redressal and implementation of BCSBI codes provisions.

❖ News letters from BCSBI is made available/updated in website quarterly.

❖ Standing committee on customer service meet at quarterly intervals at corporate office and review the customer service related matters/complaints etc. The customer service related matters are also deliberated during quarterly meeting of customer service committee of the Board.

❖ Savings bank account interest payment periodicity is changed from half yearly to quarterly.

❖ Introduction of Synd PDS (Public Distribution System) – current account with zero balance for PDS distributors.

❖ At Ananya branches Instant account opening has been introduced with zero balance for salaried accounts.

❖ Bank has put in place a robust customer grievance redressal mechanism for quick redressal of customer grievances. Based on number of complaints received and time taken for redressal of complaints, all ROs are being graded A: Outstanding, B: Good, C: Satisfactory and D: Poor on quarterly basis.

Online Grievance Redressal System

Bank has made online grievance redressal system live from 18.08.2015. The online grievance system provides for online registration of grievance through bank's website. The online grievance system provides access to the customers

सकता है। ऑनलाइन शिकायत तंत्र ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देती है; जैसे; शिकायत दर्ज करना, शिकायत की स्थिति का पता लगाना और बैंक से प्राप्त प्रतिक्रिया, आदि। यह प्रणाली संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है।

आंतरिक लोकपाल

बैंक ने दिनांक 01.08.2015 से आंतरिक लोकपाल (मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी) की नियुक्ति की है। बैंक का आंतरिक लोकपाल उन मामलों की जाँच करता है जहाँ ग्राहकों के दावे खारिज अथवा आंशिक रूप से स्वीकार किए गए हैं।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

एक जागरूक कॉरपोरेट नागरिक होने के नाते आपके बैंक ने, अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को महसूस किया है और समाज के विभिन्न वर्गों के सामाजिक/ आर्थिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए दलित वर्ग के उत्थान हेतु विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता की है।

बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी गतिविधियाँ निम्नवत् हैं –

ए) बैंक के प्रचालन क्षेत्र में सामुदायिक विकास की गतिविधियाँ

बी) प्राकृतिक आपदाओं का न्यूनीकरण।

सी) समाज के अति निर्धन वर्ग के लिए स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएँ विकसित करना।

डी) कैपिटल फी की निर्भरता से मुक्त संस्थानों में शैक्षणिक सुविधाओं का विकास।

ई) कला एवं संस्कृति का संवर्धन ।

एफ) बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियाँ।

जी) ''स्वच्छ भारत अभियान'': संपूर्ण सफाई प्रबंध तथा स्वच्छता हासिल करने संबंधी भारत सरकार का एक राष्ट्रीय आंदोलन।

एच) ''स्वच्छ विद्यालय मिशन'': पूरे देश के विभिन्न विद्यालयों में शौचालय उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार का मिशन।

आई) खेलकूद को प्रोत्साहित करना तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सम्मानित करना।

जे) जल-निकायों का अनुरक्षण।

के) कोई अन्य श्रेष्ठ सामाजिक कार्य।

वर्ष 2016-17 के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत कुछ प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं:

एंबुलेंस का दान, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण, राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ), भारतीय पैरालिंपिक स्पोर्टस अकादमी और युद्धोपरांत दिव्यांग सैनिकों को योगदान, बच्चों की शिक्षा व्यय हेतु वित्तीय सहायता, आधुनिक शैक्षणिक सहायता उपलब्ध करना, आदिवासी बच्चों को शिक्षा, वरिष्ठ नागरिकों को घर, शिक्षा में वंचित बच्चों के समूह की सहायता, निम्न आय के विद्यालयों में पढ़ रहे गरीब विद्यार्थियों की सहायता, उन्हें गणवेश, पुस्तक, लेखन सामग्री आदि उपलब्ध कराना, शारीरिक रूप से दिव्यांगों, नेत्रहीनों तथा विभिन्न अस्पतालों में भर्ती गरीब मरीजों की सहायता।

for recording the complaint, compliant status tracking and receiving response from the bank. The system is running satisfactorily.

Internal Ombudsman

Bank had appointed internal ombudsman (Chief Customer Service Officer) w.e.f. 01.08.2015. The bank's internal ombudsman examines the cases where the customers claim is either rejected or partially accepted.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

As a sincere corporate citizen, your Bank has been fulfilling its social responsibilities by actively participating in activities aimed at socio/economic transformation of various facets of society and upliftment of the downtrodden.

The Bank is undertaking CSR activities for –

a. Community development activities in the areas of operation of the Bank.

b. Mitigating natural calamities.

c. Development of health care facilities for poorer sections of the society.

d. Development of educational facilities at institutions, not dependent on capital fees.

e. Promotion of Art and Culture.

f. Activities to encourage research and development in fields related to Banking.

g. "Swachh Bharat Abhiyaan": A national movement, launched by Govt. of India to achieve total sanitation and cleanliness.

h. "Swachh Vidyalaya Mission": Launched by Govt. of India with a mission to provide toilets in different schools across the country.

i. Promoting sports and recognizing the performance of outstanding sportspersons.

j. Upkeep of water bodies.

k. Any other worthy social causes.

Some of the major contributions under Corporate Social Responsibility during the financial year 2016-17 are: Donation of ambulance, construction of toilets under Swachh Bharat Abhiyan, contribution to National Sports Development Fund (NSDF), Paralympic Sports Academy of India and Disabled War Veterans. Financial assistance towards study expenses of children, providing modern educational aids, education of tribal children, senior citizen's home, supporting education of disadvantaged group of children, poor students studying in low income schools, providing uniforms, books, stationery items, etc., supporting physically challenged, blind and poor patients in various hospitals, etc.

नए उत्पाद पहल

नए उत्पाद में सुधार तथा इनका विकास एक निरंतर चलनेवाली प्रक्रिया है तथा ग्राहकों के बदलती आवश्यकताओं, तकनीकि नवोन्मेष एवं बाज़ार अनुसंधान को ध्यान में रखते हुए आपका बैंक इनका कुशलतापूर्वक अनुपालन कर रहा है।

वर्ष के दौरान, अपने ग्राहकों के लाभार्थ बैंक द्वारा कई नए उत्पादों की शुरूआत की गई। देयता उत्पाद के क्रम में, सिंड पीडीएस (पीडीएस ग्राहकों/वितरकों के दैनिक कारोबारी लेनदेनों के लिए चालू खाता) तथा आस्ति उत्पाद के क्रम में, गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए ईएमआई सुविधा के साथ सिंड स्वर्ण और विदेशों में अध्ययन के इच्छुक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सिंड विद्या-विदेश।

विपणन एवं शुल्क आय उत्पाद

मार्केटिंग वर्टिकल

बैंकिंग की मूलभूत गतिविधियों में विस्तार के दबाव को देखते हुए शुल्क आधारित आय को बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई है जो बैंक की आय को बढ़ाने की दृष्टि से मददगार है। शुल्क आधारित आय को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से बैंक ने कॉरपोरेट कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में विपणन प्रयासों को गति देने के लिए एक अलग स्कन्ध बनाया है।

कारोबार विकास की गति को बढ़ाने के लिए 168 विपणन अधिकारी तत्पर हैं तथा देश भर में कार्यरत हैं। बैंक ने विपणन टीम को कौशलपूर्ण बनाने के लिए सिंडिकेट बैंक प्रबंधन संस्थान मणिपाल में तीन दिवसीय विपणन सभा का आयोजन किया था। इस टीम को बैंक के उच्च प्रबंधन द्वारा संबोधित करते हुए विपणन की विशेषताओं तथा ब्रांड विकास के बारे में बताया गया। ज्ञान आधारित विक्रय के लिए बैंक के सभी उत्पादों और पैरा बैंकिंग उत्पादों की बुनियादी जानकारी सहित उत्पाद पुस्तिका की सॉफ्ट प्रति बैंक के सभी कर्मचारियों को दी गई है ताकि उत्पादों की बिक्री हेतु उन्हें पर्याप्त जानकारी मिले।

बैंकाश्योरेंस

1. जीवन बीमा

- जीवन बीमा उत्पादों के संवितरण के लिए कारपोरेट एजेंट के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बैंक का कारपोरेट एजेंसी गठजोड़ है। जीवन बीमा कारोबार को संपन्न करने के लिए बैंक के पास 196 विशेषज्ञों की एक टीम है।
- बैंक, आवास ऋण उधारकर्ताओं, शिक्षा ऋण उधारकर्ताओं, बचत खाताधारकों तथा वित्तीय समावेशन के तहत बचत खाताधारकों के लिए प्रतिस्पर्धी प्रीमियम राशि उपलब्ध सामूहिक पॉलिसी के तहत जीवन बीमा कवर भी कराता है।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹836.45 लाख (एलआईसी पीएमजेजेबीवाई सहित) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के

NEW PRODUCT INITIATIVES

Improving & developing new product is an ongoing task which your Bank is dexterously following keeping in view the changing customer requirements, technological innovation and market research.

During the year, Bank has come up with several new products for the benefits of its customers. On liability side, Synd PDS (a current account to meet the PDS customers/ distributors day to day business transactions) and Synd Pravasi Poonj, an SB product for NRE customers. On asset side, are Synd Swarna for non-agricultural purposes with EMI facility and Synd-Vidya – Abroad to meet requirements of students who would like to purse studies abroad.

MARKETING AND FEE INCOME PRODUCTS

Marketing Vertical

With the compression of spreads from the core activities of banking, the necessity is felt in augmenting fee based income which acts as cushion for Bank's income. In order to have a focused approach to augment fee based income, Bank has a separate vertical at Corporate Office and Regional Offices to accelerate marketing efforts to augment fee based income.

Bank's marketing setup is consisted of a team of 168 marketing officers spread across the country, with clear thrust on the business development. Bank conducted three days Marketing Conclave at Syndicate Institute of Bank Management, Manipal for skill enhancement of the marketing team. The team was addressed by the top management of the Bank highlighting the significance of marketing and brand development. For knowledge based selling, soft copy of the product booklet covering the basic information on all the Bank's products and para banking products was shared with all the staff members of the Bank.

Bancassurance

1. Life Insurance

- Bank has a Corporate Agency tie-up with Life Insurance Corporation of India, as a corporate agent for distribution of life insurance products. Bank has a team of 196 specified persons for soliciting life insurance business.
- Bank also offers life insurance cover under group policy to educational loan borrowers, saving account holders and saving account holders under financial inclusion.
- Bank earned commission of ₹914.28 Lakh (inclusive of LIC PMJJBY) during FY 2016-17 against a commission

दौरान ₹914.28 लाख (एलआईसी पीएमजेजेबीवाई सहित) का कमीशन अर्जित किया।

2. सामान्य बीमा

- अपने खाताधारकों के लिए सिंड आरोग्य (फैमिली-फ्लोटर लाभ सहित समूह मेडिक्लेम सह निजी दुर्घटना) सहित सामान्य बीमा उत्पादों के संवितरण के लिए बैंक ने यूनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ गठजोड़ किया है ।
- सामान्य बीमा कारोबार से बैंक ने पिछले वर्ष के दौरान ₹945.84 लाख (यूआईआईसीओ पीएमएसबीवाई सहित) कि तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹1009.60 लाख (यूआईआईसीओ पीएमएसबीवाई सहित) का कमीशन अर्जित किया।

3. सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं (पीएमजेजेबीवाई और पीएम एसबीवाई)

ए) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ गठजोड़ किया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंक ने कुल 6,73,113 पीएमजेजेपीवाई पॉलीसी पंजीकृत किए हैं।

बी) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

बैंक ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत मृत्यु बीमा प्रदान करने के लिए यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूआईआईसीओ) के साथ गठजोड़ किया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंक ने कुल 21,50,094 पीएमबीएसवाई पॉलीसी पंजीकृत किए हैं।

म्यूचुअल फंड (एमएफ)

एक वित्तीय सुपर मार्केट के रूप में कार्य करते हुए एक ही छत के नीचे विभिन्न वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए बैंक ने 9 अग्रणी आस्ति प्रबंधन कंपनियों के साथ गठजोड़ किया है। सूचित बिक्री उपलब्ध कराने हेतु बैंक के पास 31.03.2017 की स्थिति में 209 एनआईएसएम (सीरीज-V-ए) प्रमाणित व्यक्ति एवं 204 ईयूआईएन अनुवर्ती स्टाफ थे।

म्यूचुअल फंड कारोबार से बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के ₹38.16 लाख के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹68.80 लाख का कमीशन अर्जित किया।

नकद प्रबंधन सेवाएँ (सीएमएस)

लेनदारी लेखा और भुगतान के कुशल प्रबंधन के लिए हमारा बैंक, कॉरपोरेट, निजी और विदेशी बैंकों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद प्रदान करता है। बैंक, देश भर में सभी शाखाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों के लिए सीएमएस सेवाएं प्रदान करता है। ऑटो डेबिट अधिदेश सुविधा और केंद्रीकृत चेक डेबिट सुविधाएँ दी जा रही हैं। लाभांश वारंट/ब्याज वारंट का भुगतान/डीडी आहरण व्यवस्था और दूरस्थ डीडी मुद्रण सुविधाएँ भुगतान के तहत प्रदान की जा रही हैं।

of ₹836.45 Lakh (inclusive of LIC PMJJBY) during FY 2015-16.

2. General Insurance

- Bank has a Corporate Agency tie-up with United India Insurance Company Limited (UIICO) for distribution of general insurance products, including Synd Arogya (a Group Mediclaim-Cum-Personal Accident Policy with family floater advantage) at competitive premium for its Account Holders.
- During the FY 2016-17, Bank has earned a commission of ₹1009.60 lakh (inclusive of UIICO PMSBY), compared to commission of ₹945.84 lakh (inclusive of UIICO PMSBY) during the previous year, from general insurance business.

3. Social Security Insurance Schemes (PMJJBY & PMSBY)

a. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY)

Bank has tie up with LIC of India for providing life insurance cover under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY). During FY 2016-17, Bank has enrolled 6,73,113 PMJJBY policies.

b. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY)

Bank has tie-up with United India Insurance Company limited (UIICO) for providing accidental death insurance under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY). During FY 2016-17, Bank has enrolled 21,50,094 PMSBY policies.

Mutual Funds (MF)

Acting as a financial supermarket, offering various financial products under one umbrella, Bank has tied up with nine leading Asset Management Companies for distributing mutual fund products. As on 31.03.2017, the Bank had a team of 209 NISM (Series-V-A) certified persons and 204 EUIN compliant staff bank facilitating informed selling.

Bank earned commission of ₹68.80 lakh during FY 2016-17 against a commission of ₹38.16 lakh in FY 2015-16 from Mutual Fund business.

Cash Management Services (CMS)

The Bank offers a state-of-the-art technology driven products to corporate, private and foreign banks for efficient management of account receivables and payments. The Bank also offers CMS services to its clients through all branches across the country. Auto Debit Mandates facility and centralized cheque debit facilities are being offered. Payment of dividend warrants/interest warrants/DD drawing arrangement and remote DD printing facilities are being offered under payments.

पूंजी बाजार सेवाएँ

अवरुद्ध रकम पर आधारित आवेदन पत्र (आस्बा)

बैंक में आस्बा (अवरुद्ध रकम पर आधारित आवेदन पत्र) सुविधा का आरंभ अक्तूबर 2010 में किया गया। अपने ग्राहकों को अवरुद्ध रकम आधारित आवेदन पत्र उपलब्ध कराने के लिए बैंक, स्वयं प्रमाणित सिंडिकेट बैंक (एससीएसबी) के रूप में सेबी के साथ पंजीकृत है। बैंक ने अपने कोर बैंकिंग समाधान के साथ एएसबीए सुविधा को एकीकृत किया है। बही निर्माण प्रक्रिया और अधिकार निर्गम के माध्यम से किए गए सभी सार्वजनिक निर्गमों के लिए एएसबीए प्रक्रिया उपलब्ध है। इस योजना का लक्ष्य आईपीओ/एफपीओ के माध्यम से शेयरों और बांड में निवेश करने में हमारे ग्राहकों की बोली की राशि की सीमा तक राशि अवरुद्ध करने की सुविधा प्रदान करना है।

निक्षेपागार सहभागी सेवाएँ

आपका बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी निक्षेपागार सहभागी के रूप में स्थायी रूप से पंजीकृत है। बैंक सीडीएसएल का एक निक्षेपागार भागीदार है। यह सुविधा, ग्राहकों को उनकी पूंजी बाजार प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने में मदद करता है। 24 अक्तूबर 2011 को ''सिंड-ई-ट्रेड'' ब्रांडनाम के तहत बैंक द्वारा 3-इन-1 खाते सह ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा शुरु की गई थी। इस सुविधा में कासा खाते, डीमैट खाता और ट्रेडिंग खाता शामिल है जो शेयर में ऑनलाइन ट्रेड करने के लिए कासा खाते में धन और डीपी खाते में डीमैट प्रतिभूतियों का उपयोग कर सीधी प्रक्रिया के माध्यम से ग्राहकों को सक्षम बनाती है।

नकदी प्रबंधन और पूँजी बाज़ार परिचालन से बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹239.25 लाख के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹320.00 लाख की आय अर्जित की।

अन्य सेवाएँ

नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

वृद्धावस्था में आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई पेंशन योजना के तहत विभिन्न प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए बैंक,पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(पीएफआरडीए) के साथ उपस्थिति बिंदु (पीओपी) के रूप में पंजीकृत है । हमारे बैंक की 3481 शाखाएँ उपस्थिति बिंदु-सेवा प्रदाता (पीओपी-एसपी) के रूप में एनपीएस के दायरे के तहत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है ।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

देश के सभी नागरिकों, खासकर गरीब, वंचित वर्ग और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के सृजन हेतु 1 जून, 2015 से भारत सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत की गई है । एपीवाई को पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की समग्र प्रशासनिक एवं संस्थागत ढ़ांचे के अंतर्गत प्रशासित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए कुल 3,819 शाखाओं को एनएलसीसी के रूप में पंजीकृत किया गया है। एपीवाई के तहत अंशदानकर्ता 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर, अपने अंशदानों,

Capital Market Services

Applications Supported by Blocked Amount (ASBA)

The ASBA [Application Supported by Blocked Amount] facility was introduced in the bank during October 2010. Bank is registered with SEBI as Self Certified Syndicate Bank (SCSB) for providing Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) to its customers. Bank has integrated ASBA facility with its core banking solution. ASBA process is available in all public issues made through the book building route and rights issues. This scheme aims at providing the facility of blocking of amount to the extent of the bid amount of the customers investing in shares and bonds through the IPO/FPO.

Depository Participant Services

Your Bank is holding permanent registration as Depository Participant issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI). The Bank is a Depository Participant of CDSL. This facility enables customers to keep their Capital Market Securities in electronic form. The 3-in-1 account cum on-line trading facility under the brand name "Synd-e-Trade" was launched by the Bank on October 24, 2011. The facility comprises of the CASA account, Demat account and Trading account for enabling customers to trade in shares online, using the funds in the CASA account and dematerialized securities in the DP account through the Straight through Process.

During FY 2016-17, Bank has earned an income of ₹320.00 lakh from Cash Management and Capital Market operations against an income of ₹239.25 lakh during FY 2015-16.

Other Services

New Pension System (NPS)

The Bank is registered with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) as Point of Presence (POP) for offering various services under the New Pension System – a scheme introduced by the Government of India for providing old age income security. 3481 branches of your Bank are registered with NSDL for offering various services under the scope of the NPS as Point of Presence – Service Provider (POP-SP).

Atal Pension Yojana (APY)

The Government of India introduced the Atal Pension Yojana (APY), with effect from 1st June, 2015, for creating a universal social security system for all Indians, especially the poor, the under-privileged and the workers in the unorganised sector. APY is being administered by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) under the overall administrative and institutional architecture of the National Pension System (NPS). 3,819

जो एपीवाई में उनके प्रवेश की आयु के आधार पर भिन्न-भिन्न होता है, के अनुसार ₹1,000 प्रतिमाह, ₹2,000 प्रतिमाह, ₹3,000 प्रतिमाह, ₹4,000 प्रतिमाह और ₹5,000 प्रतिमाह की निर्धारित पेंशन राशि प्राप्त करते हैं।

कार्ड कारोबार

1. क्रेडिट कार्ड उत्पाद

बैंक, 20.10.2003 से वीजा इंटरनेशनल के सहयोग से गोल्ड और क्लासिक क्रेडिट कार्ड प्रदान कर रहा है जिनका प्रयोग एटीएम, बिक्री केंद्र टर्मिनल (पीओएस) तथा इंटरनेट में किया जा सकता है। बैंक, 31.03.2017 तक कुल 93,857 क्रेडिट कार्ड जारी कर चुका है। बैंक ने 04.02.2015 से मेसर्स एटॉस वर्ल्डलाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को क्रेडिट कार्ड सेवाओं के संपूर्ण प्रबंधन कार्य सौंपा है ।

बैंक के वेबसाइट पर कार्डधारकों के लिए पोर्टल की शुरुआत

सिंडिकेट ग्लोबल क्रेडिट कार्ड के लिए कार्डधारक, बैंक के वेबसाइट में ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और लॉगिन कर वे अपना लेनदेन विवरण, बिल के ब्यौरे / विवरण आदि देख सकते हैं । शाखाओं को ''वन व्यू'' सुविधा के माध्यम से उनके द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड के ब्यौरे को देखने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है ।

2. डेबिट कार्ड उत्पाद

बैंक ने 29.03.2003 को वीआईएसए (वीजा) तथा 22.06.2011 को मास्टर कार्ड (मेस्ट्रो ब्रांड) के सहयोग से ग्लोबल डेबिट कार्ड की शुरूआत की। दिनांक 20.10.2012 से बैंक उच्च लेनदेन की सीमावाला वीजा इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड जारी कर रहा है। वर्ष 2016 के दौरान, बैंक द्वारा वीजा/एनपीसीआई के सहयोग से नए प्रकार के निम्नलिखित डेबिट कार्डों की शुरुआत की गई है :

- रुपे मुद्रा कार्ड
- रुपे प्लेटिनम कार्ड
- एईपीएस रुपे डेबिट कार्ड (आधार सक्षम)
- वर्ष के दौरान बैंक ने, ओटीपी के माध्यम से ई-कॉमर्स लेन-देनों के लिए एनपीसीआई रुपे डेबिट कार्ड को सक्षम बनाया है।

बैंक ने 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कुल 190.52 लाख डेबिट कार्ड जारी किए हैं जिनमें से 46.91 लाख से अधिक कार्ड प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

ईएमवी चिप डेबिट कार्ड जारी करना

दिनांक 01.09.2015 से बैंक ने नए पिन के साथ ईएमवी/चिप आधारित क्रेडिट कार्ड जारी करने की शुरुआत की है। मौजूदा सभी मैगस्ट्रीप क्रेडिट कार्डों को ईएमवी/चिप वाले कार्डों से प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक, वीसा और रुपे के लिए ईएमवी चिप डेबिट कार्ड जारी करना प्रारंभ किया है। मास्टर कार्ड से ईएमवी चिप कार्ड जारी करने के लिए प्रमाणीकरण का कार्य प्रगति पर है।

branches have been registered as NLCCs to offer the services under this scheme to customers. Under the APY, the subscribers would receive the fixed pension of ₹1,000 per month, ₹2,000 per month, ₹3,000 per month, ₹4,000 per month, ₹5,000 per month, at the age of 60 years, depending on their contributions, which itself would vary on the age of joining the APY.

Card Business

1. Credit Card Product

Bank, in association with VISA International, offers Gold and Classic Credit Cards which can be used at ATMs, Point-of Sale Terminals (POS) and Internet, w.e.f. 20.10.2003. Bank has issued 93,857 credit cards till 31.03.2017. Bank has entrusted end-to-end management of credit card services through M/s Atos Worldline India Pvt. Ltd since 04.02.2015.

Introduction of Cardholder's Portal in Bank's website

Card holders can register on-line in the Bank's website portal for Syndicate Global Credit Card and by logging in; they can view their transaction details, billing details/statement etc. Branches have been facilitated to view the details of credit cards issued by them through "One View" facility.

2. Debit Card Product

The Bank launched Global Debit Cards in association with VISA on 29.03.2003 and in association with Master Card (Maestro Brand) on 22.06.2011. The Bank has been issuing VISA International Gold Debit Cards with higher transaction limits w.e.f. 20.10.2012. During 2016, the Bank has launched the following new variants of Debit Cards in association with VISA/NPCI.

- RuPay Mudra Cards
- RuPay Platinum Cards
- AEPS RuPay Debit Cards (Aadhaar enabled)
- During the year, Bank has enabled NPCI's RuPay Debit Cards for e-commerce transactions through OTP.

The Bank has issued 190.52 lakhs Debit Cards as on 31.03.2017, out of which, over 46.91 lakh RuPay cards were issued under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana.

Issuance of EMV Chip Cards

Bank has commenced issuance of EMV/Chip based credit cards with new PIN with effect from 01.09.2015. All the existing Magstripe credit cards are being replaced with EMV/Chip based Cards.

In compliance to the directives of RBI, Bank has commenced issuance of EMV chip Debit Cards for VISA and RuPay variants. Certification for issuing EMV chip cards from Master Card is under process. Bank has enabled

दि.01.02.2016 से तत्काल ईएमवी चिप रुपे कार्ड जारी करने हेतु शाखाओं को सुविधा दी गई है।

बिक्री केंद्र (पीओएस) प्राप्त करना

बैंक, 02.10.2009 से मर्चेंट एक्वायरिंग कारोबार क्षेत्र में प्रवेश किया है। इसके सभी बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल, बैंकों द्वारा जारी किए गए सभी प्रकार के कार्डों के लिए वीसा/मास्टर कार्ड/रूपे विनिर्दिष्ट मानकों तथा ईएमवी एवं पिन आधारित लेन-देनों के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं। 31.03.2017 की स्थिति में बैंक ने कुल 4,496 बिक्री केंद्र टर्मिनल स्थापित किए थे जिनमें से 1,705 टर्मिनल इस वर्ष के दौरान स्थापित किए गए। बैंक ने अपनी सदस्यता के तहत मास्टर कार्ड लेनदेनों की प्राप्ति कर लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड तथा धनलक्ष्मी बैंक द्वारा लगाए गए बिक्री केंद्र टर्मिनलों के माध्यम से भी अप्रत्यक्ष बिक्री केंद्र कारोबार में प्रवेश किया है।

उत्पाद नवोन्मेषण एवं कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर)

बैंक की उत्पाद नवोन्मेषण तथा कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास गतिविधियों के लिए बैंक में उत्पाद नवोन्मेष तथा बीपीआर विभाग कार्यरत है।

उत्पाद नवोन्मेषण

बेहतर ग्राहक सेवा पर बैंक का प्रमुख ध्यान रहा है। इस गतिशील आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बैंक अपनी सेवाओं का निरंतर उन्नयन कर रहा है। युवा पीढ़ी के ग्राहकों को दृष्टिगत रखते हुए समय की मांग के अनुसार बैंक ने उत्पादों व सेवाओं के निर्माण में अपनी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। उत्पाद नवोन्मेषन हेतु बैंक ने सक्रियता से कार्य करते हुए निम्न उत्पादों की शुरूआत की है।

1. **''सिंड स्वयं''** बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध यह ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने वाली सेवा है, जो सरल व सहज प्रक्रिया का अनुसरण कर तीन सरल चरणों में अपनी वैयक्तिक जानकारी दर्ज कर ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा प्रदान करती है।
2. **''सिंड वसीयत''** यह एक ऑनलाईन **''वसीयत''** लेखन की सुविधा है, जिसे एनएसडीएल ई-जीओवी और वारमंड ट्रस्ट्रीज़ के साथ त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत ग्राहकों के लिए वेबसाइट पर अन्य पक्षकार रेफरल सेवा संबंधी लिंक उपलब्ध कराया जाता है।
3. **फास्टैग्स: ''एनईटीसी'' स्वचालित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली :** इस प्रणाली के अंतर्गत बैंक द्वारा यात्रियों को अपनी नोडल शाखाओं के जरिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन टैग (आरएफआईडी) प्रदान करने की प्रथा शुरू की गई है, जो टोल में लगे आईएफआईडी स्कैनर को डिजिटल बनाकर राशि के स्वचालित कलेक्शन की सुविधा प्रदान करता है। विनिर्दिष्ट टोल प्लाज़ा पर ग्राहकों को नकदी रहित सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु एनपीसीआई के तरफ से बैंक द्वारा आरएफआईडी टैग जारी किया जाता है।
4. **सोशल मीडिया लिसनिंग :** आजकल लोग उत्पादों/ ब्रांड/संस्थान आदि के बारे में अपना विचार या प्रशंसा व्यक्त करने के लिए सोशल

branches for issuance of Instant EMV chip RuPay cards from 01.02.2016.

Point of Sale (POS) Acquiring

Bank ventured into the merchant acquiring business on 02.10.2009. All its POS terminals do comply with VISA/ MasterCard/RuPay specified standards and are fully compliant to handle EMV and PIN based transactions for all types of cards issued by Banks. As on 31.03.2017, Bank had installed 4,496 POS Terminals, out of which 1,705 terminals were installed during the year. Bank has also ventured into Indirect POS business by acquiring Master Card transactions under its membership through POS terminals deployed by Lakshmi Vilas Bank Ltd., and Dhanalakshmi Bank.

PRODUCT INNOVATION & BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING (BPR)

Bank has Product Innovation and BPR department to carry out product innovation and business process re-engineering activities of the Bank.

Product Innovation

Better customer service is the prime focus of the Bank. Bank is continuously upgrading its services to cater to the ever growing needs of customers in the dynamic economic scenario. Keeping in view the dominant Y-gen customers Bank has leveraged its technology to create need of the hour products and services. Bank actively undertaken product innovation and the following are products that have been introduced.

1. **"Synd Swayam"** on-line account opening service has been launched on Bank's website which facilitates customers to open account on-line at ease and convenience by simply filling their personal data in three simple steps.
2. **"Synd WASIYAT"** on-line "**WILL**" writing services under tripartite agreement with NSDL e-Gov and Warmond Trustees as third party referral services link is made available on website to the Customers.
3. **Fastags: "NETC" Automated National Electronic Toll Collection System**: Bank initiated issue of Radio Frequency Identification Tags (RFID) to the commuters through Nodal Branches, which will facilitate automatic collection of toll amount at toll plazas by RFID scanners installed at the tolls making it digital. Bank is issuer of RFID tags on behalf of NPCI to provide cashless services to the customers at specified toll plazas.
4. **Social Media Listening:** Lot of people these days are using Social Media platforms for venting out their criticism or appreciation for products/brands/

मीडिया प्लैटफार्म का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया लिसनिंग, किसी संस्था या ब्रांड या उत्पाद के बारे में सोशल मीडिया प्लैटफार्म में प्रचलित विचार व विमर्श को जानने की एक प्रक्रिया है। बैंक ने भी बड़े स्तर पर अपने उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में सोशल मीडिया प्लैटफार्म में प्रचलित जनमानस की प्रतिक्रिया का अवलोकन कर उसकी समीक्षा करने की प्रथा शुरू की है और बहुत जल्द बैंक अपने आधिकारिक सोशल पेज़ के जरिए पक्षसमर्थन सेवाएँ प्रदान करने की योजना बना रहा है।

''अनन्या'' परियोजना

नई पीढ़ी के निजी क्षेत्रक बैंकों, भुगतान बैंकों, लघु वित्त बैंकों तथा वैश्विक बैंकों से उभरती प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए यह वांछित है कि आपका बैंक भी पुनर्संरचना का कार्य प्रारंभ करे जैसा कि अन्य समकक्ष बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों द्वारा किया जा रहा है। बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, बैंक के लिए आरएफपी प्रक्रिया के तहत कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास कार्य हेतु बैंक ने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इंडिया प्रा.लि. (बीसीजी) को प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। दिनांक 15.02.2016 से 24 महीनों की अवधि के लिए ''अनन्या परियोजना'' शुरू की गई है। इस परियोजना के चार प्रमुख स्तंभ निम्नलिखित हैं:

- कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर)
- डिजिटल बैंकिंग
- बिक्री एवं सीआरएम
- मानव संसाधन विकास

कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास

इसके तहत बैंक की नियमित प्रक्रियाओं जैसे, बचत खाता खोलना, खुदरा व एसएमई ऋणों का प्रसंस्करण आदि को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाता है। इसका उद्देश्य केंन्द्रीय बैक ऑफिसों की स्थापना कर प्रक्रियाओं को केन्द्रीकृत करना है। प्रक्रियाओं का व्यवस्थितीकरण एवं केन्द्रीकरण, निजी और अन्य प्रतिस्पर्धी बैंकों में शाखाओं के कार्यभार को घटाने में सफल साबित हुए हैं जिससे शाखा अपने कारोबार व ग्राहक सेवा पर ध्यान केन्द्रित कर सकती है। इस स्तंभ का उद्देश्य, शाखा परिवेश (नई पीढ़ी के बैंक की तरह), ग्राहक सुविधा, डिजिटल सेवाएँ और वर्धित उत्पादकता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए शाखा रूपांतरण हासिल करना भी है। तदनुसार, अनन्या परियोजना के अंतर्गत 31 मार्च 2017 की स्थिति में कुल 372 शाखाओं का रूपांतरण किया गया है और 428 अन्य शाखाओं को रूपांतरित कर, 31 दिसंबर 2017 तक रूपांतरित अनन्या शाखाओं की कुल संख्या 800 तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। बैंक की कुल 864 शाखाओं के लिए तत्काल खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रसंस्करण केन्द्र (दक्षिण) की स्थापना मणिपाल में की गई है और अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक यह सुविधा 2000 शाखाओं को उपलब्ध करायी जाएगी । बेंगलूरु एवं मंगलूर स्थित बैंक की शाखाओं के खुदरा ऋण प्रस्तावों के प्रसंस्करण के लिए वहाँ खुदरा ऋण केन्द्रों की स्थापना की गई है।

डिजिटल बैंकिंग

ग्राहकों की ज़िंदगी में डिजिटल वस्तुओं के बढ़ते अस्तित्व और बैंकिंग सेवा में डिजिटलीकरण के संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के मद्देनज़र डिजिटल बैंकिंग चैनलों का विकास और ग्राहकों द्वारा उसे अपनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा

institution etc. Social Media Listening is a process of identifying and assessing what is being said about an institution or a Brand or a Product. Bank also started listening and analyzing the sentiments of the public on social media platform at large regarding products and services and is planning to launch advocacy services shortly through Bank's official social pages.

Project "ANANYA"

In order to face competition, emerging from new generation private sector banks, payment Banks, Small Finance Banks and Universal Banks, it is desired that your Bank also embark into a restructuring exercise as being done by other peer Banks including PSU Banks. Bank engaged M/s Boston Consulting Group India Pvt. Ltd. (BCG) as Management consultant under RFP process for carrying out Business Process Re-engineering for the Bank as per the Board direction. "Project Ananya" commenced from 15.02.2016 for a period of 24 months. The four broad pillars of the project are as outlined below:

- Business Process Re-engineering (BPR)
- Digital Banking
- Sales & CRM
- Human Resource Development

Business Processes Re-engineering

Streamline regular Bank processes like SB account opening, retail loan processing, SME loan processing. Aim is to centralize processes through setting up of central back-offices. Process streamlining and centralization has been proven among private and public banking peers to be an important lever to help reduce branch work load, so as to enable the branches to focus on sales and customer service. This pillar also aims to achieve branch transformation, ensuring focus on branch ambience as a new-age bank, customer convenience, digital services and increased productivity. Accordingly total of 372 branches have been transformed as Ananya Branches across India as on 31st March 2017 and another 428 branches are targeted to be transformed by 31st Dec. 2017 taking the total to 800 Ananya Branches. National Processing Centre (South) is established at Manipal catering to the instant account opening services for 864 branches of the Bank and it will be extended to 2000 branches by the next financial year. Opened loan processing centers at Bangalore and Mangalore for processing of retail loans for respective city branches.

Digital Banking

With the advent of heavy digitization in the life of customers, as well as the significant digital push by the Government in Banking, improving digital banking channels and driving

देना, अनन्या परियोजना का एक मुख्य लक्ष्य है। साथ ही, बैंक के मौजूदा डिजिटल चैनलों जैसे, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाईल बैंकिंग की विशिष्टताओं को बढ़ाने, मौजूदा प्रक्रियाओं को सरलीकृत करने, और मौजूदा एवं नए ग्राहकों द्वारा उसे पूर्ण रूप से अपनाने की प्रवृत्ति को बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। डिजिटल चैनलों को अपनाने हेतु स्वतः सेवा मशीन जैसे एटीएम, नकद जमा मशीन एवं पासबुक अद्यतन मशीनों आदि से लैश डिजी जोन युक्त अनन्या शाखाओं की स्थापना की जा रही है।

बिक्री एवं सीआरएम

अनन्या परियोजना का उद्देश्य बिक्री एवं सीआरएम को एक संपूर्ण प्रक्रिया -संभाव्य ग्राहकों के चयन से लेकर उसके परिवर्तन तक, के रूप में व्यवस्थित करना है। इस संबंध में व्यापक कारोबार (लीड) प्रबंधन प्रणाली के लिए एक ऐप बनाया गया है जो बिक्री और विपणन की सुविधा प्रदान करता है। इस लक्ष्य को हासिल करने और इस क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, यह परियोजना बैंक के विपणन संसाधनों को सशक्त बनाने और उसे बल प्रदान करने पर भी ध्यान केन्द्रित करता है।

मानव संसाधन रूपांतरण

इसके अंतर्गत संगठनात्मक उद्देश्यों के अनुरूप सर्वस्तरीय परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को सर्वदा अभिप्रेरित और नियोजित रखने के लिए संगठन को प्रतिभा आधारित संगठन के रूप उभरने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए संगठनात्मक पुनर्संरचना किया जाता है। इस माड्यूल के अंतर्गत बैंक की कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली, प्रशिक्षण संरचना और कर्मचारी उत्पादकता व क्षमता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास भी किया जाता है।

परियोजना की प्रगति एवं प्रभाव

इस परियोजना को पूरा करने में दो वर्ष लगे। फरवरी 2017 में इस परियोजना की अर्ध-अवधि पूरी हो जाएगी। पहले वर्ष के दौरान इस परियोजना के सभी चार स्तंभों को हासिल करने के लिए अपेक्षित समाधान किया गया और भाग 1 एवं भाग 2 पहल (बीपीओ एवं डिजिटल चैनल) को पाईलेट समाधान के आधार पर क्रियान्वित किया गया। इस अवधि के दौरान कई मील के पत्थर हासिल किए गए, जो निम्नवत् हैं :-

- ❖ अब तक कुल 372 शाखाओं का रूपांतरण किया गया और 428 शाखाओं का रूपांतरण का कार्य प्रगति पर है ।
- ❖ बचत खाता खोलने की प्रक्रिया का पुनर्विन्यास किया गया है और 864 शाखाओं में तत्काल बचत खाता वेलकम किट के साथ, ग्राहकों को तत्काल बचत खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।
- ❖ तत्काल खाता खोलने के लिए शाखाओं को अपेक्षित बैक ऑफिस परिचालन प्रदान करने में सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रसंस्करण केन्द्र, मणिपाल की स्थापना की गई है ।
- ❖ ग्राहक सेवा को बढ़ाने और ऋण प्रसंस्करण समय (टीएटी) को कम करने के लिए बेंगलूरु और मंगलूरु में ऋण प्रसंस्करण केन्द्र खोले गए हैं। मार्च 2018 तक ऐसे 24 और केन्द्र खोले जाएँगे।
- ❖ कम टीएटी और बेहतर ग्राहक सेवा को हासिल करने के लिए 12 एमएसएमई ऋण केन्द्र खोले जाएंगे ।
- ❖ ग्राहकों को केंद्रीकृत सहायता सेवा प्रदान करने हेतु हैदराबाद/मोहाली में संपर्क केन्द्र खोले गये हैं।

adoption among customers is prime pillar of project Ananya. It aims to improve features of existing digital channels- internet banking, mobile banking, simplified on-boarding process and drive for better adoption among existing and new customers. Equipped Ananya Branches with DigiZones powered by self service machines such as ATM, Cash Deposit Machines and Passbook update Machines for adoption of digital channels.

Sales & CRM

Project Ananya aims to streamline sales and CRM as an end to end process - from targeting potential customers to final conversion. An App is developed for comprehensive Lead Management System which would facilitate sales and marketing. In order to achieve all this and ensure sustainability, the project also aims to strengthen and focus on the marketing resources.

HR Transformation

Organizational restructuring to ensure a top to bottom alignment with organizational objective, while paving the path for a meritocracy based organization, keeping employees motivated and engaged. This module also aims to address the Bank's performance management system, training structure and employee efficiency and productivity.

Project Progress and Impact

The project was undertaken as a two year exercise. It reached its midway mark of completion in February 2017. The first year was spent designing solutions for all the four pillars of the project and then piloting solutions for part 1 and part 2 initiatives (BPR and Digital Channels). Many milestones have been reached, some highlights being:

- ❖ Branch transformation completed in 372 Branches and is underway for the next lot of 428 Branches.
- ❖ Saving Account Opening process was re-engineered and Instant Account opening is introduced in 864 branches with issue of instant SB Welcome Kit to the customers.
- ❖ National Processing Center, Manipal is opened to cater to the back office operations centrally facilitating the Branches in Instant account opening.
- ❖ Opened loan processing centers at Bangalore and Mangalore for improving the customer service with reduced Turn Around Time (TAT) of loan processing. 24 more centers will be opened by March 2018.
- ❖ 12 MSME Loan Centers will be opened to achieve low TAT and better customer service.
- ❖ Contact Centers at Hyderabad/Mohali are opened as a single point of help desk for the customers.

- इंटरनेट बैंकिंग/मोबाईल बैंकिंग में नई विशिष्टताएँ जोड़ी गई हैं ।
- इंटरनेट बैंकिंग/मोबाईल बैंकिंग के लिए नई ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया बनाई गई है।
- स्वतः सेवा मशीनों जैसे, एटीएम, नकद जमा मशीनों, पासबुक अद्यतन मशीनों आदि के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनन्या शाखाओं में ''डिजिजोन'' बनाएं गए हैं।
- प्रभावी कारोबार प्रबंधन के लिए अंचल व क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन कर संगठनात्मक संरचना को नया रूप दिया गया है।
- ग्राहक सेवा संबंध तथा बिक्री को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों एवं हबों में विशेषीकृत विपणन की भूमिका बनाई गई है।
- कारोबार जुटाने हेतु सभी कर्मचारियों की सहायता हेतु ''सेल्स साथी'' नामक कारोबार (लीड) प्रबंधन ऐप की शुरुआत की गई है।

परियोजना के अगले एक वर्ष में दो पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा i) शेष पहलों का प्रायागिक आधार पर कार्यान्वयन ii) प्रायोगिक रूप में कार्यान्वित पहलों का बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन। शाखा रूपांतरण का दूसरा चरण क्रियान्वित करके अगले 428 शाखाओं का रूपांतरण संपन्न किया जाएगा। इसी प्रकार, अगले चरण के 24 खुदरा ऋण केन्द्रों और 12 एमएसएमई ऋण केन्द्रों को मार्च 2018 तक परिचालन में लाया जाएगा। इसी प्रकार, डिजिटल कार्यनीति से संबंधित विभिन्न पहलों को पूरा किया जाएगा। उपरोक्त बृहद् रोल-आउट के साथ-साथ, बिक्री एवं सीआरएम तथा एचआर रूपांतरण संबंधी पहलों को भी सफल रूप से संपन्न किया जाएगा।

उपरोक्त बीपीआर परियोजना, बैंक के लिए अपने बहुत पुराने संचालन को स्फूर्तिदायक बनाने, अपने व्यापार और बिक्री योजनाओं को बढ़ाने, लाभप्रदता को बढ़ाने,मानव संसाधनों की क्षमता प्रकट करने और बैंक द्वारा प्रदान किए जानेवाले विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के लेनदेन की लागत को कम करने तथा भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सबसे पसंदीदा बैंक बनने के बैंक द्वारा किए गए प्रयासो में सहायक होगा।

वर्ष के दौरान समितियों का दौरा

- आंतरिक कामकाज में राजभाषा के प्रयोग के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 12.04.2016 को संसदीय राजभाषा समिति ने मथुरा का दौरा किया।
- अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समिति ने आरबीआई के मास्टर परिपत्र, 1 जुलाई, 2015- गारंटी एवं सह-स्वीकृति, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्टैंड-अप इंडिया योजना, उच्च गुणवत्तावाले जाली भारतीय मुद्रा नियम, 2013 के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 21.05.2016 से 23.05.2016 तक बेंगलूरु का दौरा किया।
- उद्योग संबंधी संसदीय स्थाई समिति ने एमएसएमई के वित्तीयन पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 25.05.2016 से 27.05.2016 तक बेंगलूरु का दौरा किया।

- New features incorporated in Internet Banking/Mobile Banking.
- New on boarding process designed for Internet Banking/Mobile Banking.
- "Digizones" created in Ananya Branches, to encourage uptake of Self Service machines such as ATMs, Cash Deposit Machines, Passbook Update Machines.
- Organizational structure is redesigned with creation of Zones and Regions for efficient business management.
- Specialized marketing roles created in Regional Offices and Hubs to improve Customer Service Relations and Sales.
- "Sales Saathi" a Lead Management App is introduced to facilitate every Syndian to scout for the business.

In the next one year of the project, the focus will shift in two aspects (i) pilot rollout of remaining initiatives (ii) large scale implementation of piloted initiatives. Phase 2 of branch transformation exercise shall be taken up to extend to next set of 428 branches. Similarly, next set of 24 Retail Loan Centers and 12 MSME Loan Centers will be made operational by March 2018. Similarly, multiple initiatives under digital strategy shall be driven to completion. Along with the large scale rollout mentioned above, initiatives around Sales and CRM, and HR Transformation will also be completed successfully.

The said BPR project is expected to help the Bank to re-energize its good old operations, step up its business and sales plans to enhance profitability, unfold the potential of the human resources and to reduce the overall transaction costs of various products & services offered and help in its endeavors to become the most preferred Public Sector Bank of India.

COMMITTEES VISITED DURING THE YEAR

- Parliamentary Official Language Committee visited Mathura on 12.04.2016 to have discussion on use of Official Language in internal work.
- Parliamentary committee on subordinate legislation visited Bengaluru from 21.05.2016 to 23.05.2016 to have discussion on RBI Master Circular of 1st July, 2015 - Guarantees and Co-acceptances, Pradhan Mantri Mudra Yojana & Stand up India Schemes, high quality counterfeit Indian currency rules, 2013.
- Parliamentary standing committee on industry visited Bengaluru from 25.05.2016 to 27.05.2016 to have discussion on implementation of RBI guidelines regarding financing MSMEs.

- याचिका संबंधी संसदीय समिति ने कृषि क्षेत्र के अंतर्गत बढ़ते एनपीए को रोकने व उनका निपटान करने और वैयक्तिक आवास क्रेताओं को खुदरा ऋण का उपभोग करने का बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदम, जिससे आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ा सकें और एनपीए को रोक सकें, विषय पर विचार-विमर्श के लिए दिनांक 31.05.2016 से 02.06.2016 तक कूर्ग का दौरा किया।
- सरकारी आश्वासनों संबंधी संसदीय समिति ने मूल्य.लेन-देन के माध्यम.हिताधिकारियों पर सीमा निर्धारण के लिए ग्राहक प्रेरित विकल्प हेतु प्रावधान करने के संबंध में सरकार.आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श के लिए दिनांक 02.06.2016 को बेंगलूरु का दौरा किया।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर संसदीय स्थाई समिति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों को प्रदान किए जाने वाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार पर विचार-विमर्श के लिए दिनांक 20.06.2016 से 23.06.2016 तक लखनऊ का दौरा किया।
- मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थाई समिति ने शिक्षा ऋण सुविधा, सुकन्या समृद्धि योजना, कौशल विकास कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले छात्रों को ऋण प्रदान करने की दिशा में बैंक द्वारा किए जाने वाले प्रयासों पर विचार-विमर्श के लिए दिनांक 01.07.2016 को विशाखापट्टनम का दौरा किया।
- सरकारी आश्वासनों संबंधी संसदीय समिति ने आश्वासन, प्रतिज्ञा, घोषणा आदि की कार्यान्वयन सीमा और बैंक की ऋण नीति पर विचार-विमर्श के लिए दिनांक 04.07.2016 को शिमला का दौरा किया।
- अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समिति ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों, किसानों के हित में चलाई जाने वाली योजनाओं और सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बैंक के निष्पादन पर विचार-विमर्श के लिए दिनांक 12.07.2016 को चंडीगढ़ का दौरा किया।
- वित्त संबंधी संसदीय स्थाई समिति ने बढ़ती एनपीए को रोकने के लिए बैंक द्वारा उठाए गए. उठाए जाने वाले कदमों, आर्थिक संकट की ससमय पहचान के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों. अनुदेशों के परिप्रेक्ष्य में बैंक की विशिष्ट प्रतिक्रिया के बारे में विचार-विमर्श के लिए दिनांक 13.07.2016 से 15.07.2016 तक बेंगलूरु का दौरा किया।
- संसद के पटल पर प्रस्तुत दस्तावेज़ों संबंधी पर संसदीय समिति ने संगठन में उपलब्ध लेखापरीक्षा प्रक्रिया, प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के लिए सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों के चयन एवं नियुक्ति और निधियों के दुरुपयोग संबंधी उजागर मामलों पर विचार विमर्श के लिए दिनांक 29.09.2016 से 30.09.2016 तक बेंगलूरु का दौरा किया।
- अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समिति ने (i) अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देश, 2016 (ii) एनआरईजीए (iii) अनुपालन, लेन-देन की निगरानी, सूचना की साझेदारी व रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करने हेतु प्रधान अधिकारी की भूमिका और (iv) जनसामान्य को, खास

- Parliamentary committee on petition visited Coorg from 31.05.2016 to 02.06.2016 to have discussion on the steps to correct the increasing NPAs, dealing with NPAs under agriculture and encouraging retail loans to end users or individual home buyers so that economic activity is enhanced and NPAs don't increase.
- Parliamentary committee on government assurances visited Bengaluru on 02.06.2016 to have discussion on the implementation of guidelines issued by RBI/ Govt. on provision for customer induced options for fixing a cap on the value/mode of transactions/ beneficiaries.
- Parliamentary standing committee on social justice and empowerment visited Lucknow from 20.06.2016 to 23.06.2016 to have discussion on priority sector lending to scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, persons with disabilities and minorities.
- Parliamentary standing committee on HRD visited Vishakapatnam on 01.07.2016 to have discussion on education loan facilities and Sukanya Samridhi Yojana, steps taken by the Banks to provide loans to the students pursuing skill development courses.
- Parliamentary committee on government assurances visited Shimla on 04.07.2016 to have discussion on the extent of implementation of assurances, promises, undertaking etc. and Bank's credit policy.
- Parliamentary committee on subordinate legislation visited Chandigarh on 12.07.2016 to have discussion on performance of Bank under priority sector advances, schemes available for the benefit of the farmers, and government sponsored schemes.
- Parliamentary standing committee on finance visited Bengaluru from 13.07.2016 to 15.07.2016 to have discussion on the steps/measures being taken by bank to address the rising NPAs, Bank's specific response to RBI guidelines/instructions on early recognition of financial distress.
- Parliamentary committee on papers laid on the table visited Bengaluru from 29.09.2016 to 30.09.2016 to have discussion on the type of audit procedure, available in organisation, selection and appointments of statutory central auditors to the individual public sector banks and any case/cases of misappropriation of funds being detected.
- Parliamentary committee on subordinate legislation visited Tirupathi on 13.10.2016 to have discussion on (i) Know Your Customer (KYC) Directions, 2016 (ii) NREGA (iii) Role of principal officer for ensuring compliance, monitoring transactions, sharing &

कर वित्तीय या सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली बैंकिंग.वित्तीय सुविधा संबंधी मदों पर विचार विमर्श के लिए दिनांक 13.10.2016 को तिरुपति का दौरा किया।

- अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समिति ने भारतीय रिज़र्व बैंक के (प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित प्रदेशों में बैंक द्वारा कृत राहत उपाय) दिशानिर्देश, 2016 पर विचार विमर्श के लिए दिनांक 15.10.2016 को विशाखापट्टनम का दौरा किया।
- सरकारी आश्वासनों संबंधी संसदीय समिति ने खाता. सेग्मेंट स्तर पर संकट के ससमय पहचान करने में आईटी एवं एमआईएस तंत्र का प्रयोग; आस्ति गुणवत्ता पर विश्वसनीय एवं गुणवत्ता संबंधी सूचना का सृजन और धोखेबाज उधारकर्ताओं की पहचान विषय पर विचार-विमर्श के लिए दिनांक 17.10.2016 से 18.10.2016 तक बेंगलूरु का दौरा किया।
- ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थाई समिति ने कर्नाटक राज्य और समिति द्वारा दौरा किए जानेवाले जिलों में मनरेगा, एनआरएलएम, पीएमएवाई (जी) आदि ग्रामीण विकास योजनाओं में बैंकों की भूमिका पर विचार-विमर्श के लिए दिनांक 21.10.2016 से 23.10.2016 तक बेंगलूरु और मैसूरु का दौरा किया।
- अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समिति ने (i) आरक्षित नकदी निधि अनुपात एवं सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी आरबीआई मास्टर परिपत्र (ii) दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय संरचना के लिए आरबीआई की योजना (iii) विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत बढ़ती एनपीए से बैंक द्वारा सामना की जानेवाली समस्याएँ (iv) विमुद्रीकरण पर जारी अधिसूचना एवं विमुद्रीकरण के कारण बैंक द्वारा कृत नोट वसूली एवं वितरण के संबंध में गुजरात राज्य में ग्राहकों को हुई परेशानियों. शिकायतों के विषय पर विचार-विमर्श के लिए दिनांक 04.01.2017 से 05.01.2017 तक अहमदाबाद का दौरा किया।
- अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समिति ने (i) आरक्षित नकदी निधि अनुपात एवं सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी आरबीआई मास्टर परिपत्र (ii) दबावग्रस्त आस्तियों की संतत पुनर्संरचना पर आरबीआई की योजना (iii) विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत बढ़ती एनपीए से बैंक द्वारा सामना की जानेवाली समस्याएँ (iv) विमुद्रीकरण पर जारी अधिसूचना एवं विमुद्रीकरण के कारण बैंक द्वारा कृत नोट वसूली एवं वितरण के संबंध में कर्नाटक राज्य में ग्राहकों को हुई परेशानियों.शिकायतों के विषय पर विचार-विमर्श के लिए दिनांक 07.01.2017 से 08.01.2017 तक बेंगलूरु का दौरा किया।
- वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थाई समिति ने दक्षिण-पश्चिम एशियाई राज्य संघ (आशियान) के साथ व्यापार पर विचार-विमर्श के लिए दिनांक 07.01.2017 से 08.01.2017 तक बेंगलूरु का दौरा किया।
- महिला सशक्तीकरण संबंधी संसदीय समिति ने कार्यस्थल एवं शैक्षिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ हो रही यौन उत्पीड़न विषय पर विचार-विमर्श के लिए दिनांक 10.01.2017 से 11.01.2017 तक लक्षद्वीप का दौरा किया।

reporting information and (iv) issues related to banking/financial facility to members of the general public, especially those, who are financially or socially disadvantaged.

- Parliamentary committee on subordinate legislation visited Vishakhapatnam on 15.10.2016 to have discussion on the Reserve Bank of India (relief measures by banks in areas affected by natural calamities) directions, 2016.
- Parliamentary committee on government assurances visited Bengaluru from 17.10.2016 to 18.10.2016 to have discussion on the use of IT & MIS mechanism on identification of early detection of distress at account level/segment level & generation of reliable and quality information on asset quality and Identification of fraudulent borrowers.
- Parliamentary standing committee on rural development visited Bengaluru & Mysuru from 21.10.2016 to 23.10.2016 to have discussion on role of Banks in rural development schemes like MGNREGA, NRLM, PMAY (G) etc. in the state of Karnataka and in districts being visited by the committee.
- Parliamentary committee on subordinate legislation visited Ahmedabad from 04.01.2017 to 05.01.2017 to have discussion on (i) RBI master circular on cash reserve ratio and statutory liquidity ratio (ii) RBI scheme for sustainable structuring of stressed assets. (iii) Problems faced by banks due to rising NPA of different categories. (iv) Notification issued on demonetisation and problems/grievances of the customers regarding collection and disbursement of cash by banks due to demonetisation in Gujarat.
- Parliamentary committee on subordinate legislation visited Bengaluru from 07.01.2017 to 08.01.2017 to have discussion on (i) RBI master circular on cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. (ii) RBI scheme for sustainable structuring of stressed assets. (iii) Problems faced by banks due to rising NPA of different categories. (iv) Notification issued on demonetisation and problems/grievances of the customers regarding collection and disbursement of cash by banks due to demonetisation in Karnataka.
- Parliamentary standing committee on commerce visited Bengaluru from 07.01.2017 to 08.01.2017 to have discussion on trade with Association of South-East Asian Nations (ASEAN).
- Parliamentary committee on empowerment of women visited Lakshadweep from 10.01.2017 to 11.01.2017 to have discussion on sexual harassment for women at workplace and in educational institutions.

अनुपालन विभाग

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति में स्पष्ट किया गया है कि आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के साथ-साथ अनुपालन कार्य, अभिशासन का एक अभिन्न अंग है। अनुपालन विभाग का नेतृत्व मुख्य अनुपालन अधिकारी (उप महाप्रबंधक श्रेणी के) करते हैं, जो बैंक के अनुपालन संबंधी कार्यों को देखते हैं और शीर्ष प्रबंधन को जोखिम अनुपालन के प्रबंधन में सहायता करते हैं।

उच्च अनुपालन मानक हेतु बैंक की वचनबद्धता को सुचारू बनाए रखने के साथ-साथ सुधार लाने के लिए अनुपालन प्रकार्य की नियमित समीक्षा की जाती है। अनुपालन नीति की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है और अर्जित अनुभव एवं उपयोगिता पहलू के आधार पर अपेक्षित संशोधन किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

बैंक द्वारा अक्तूबर 2005 से इस अधिनियम के संगत प्रावधानों का कार्यान्वयन किया गया है। अधिनियम के तहत निर्धारित बैंक संबंधी सूचना बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अधिनियम के अंतर्गत बैंक के लिए अपील प्राधिकारी और विभिन्न स्तरों पर जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) एवं वैकल्पिक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ) पदनामित किए गए हैं। अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न स्तरों की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को बैंक ने स्पष्ट किया है। वर्ष के दौरान बैंक ने 24 अपीलीय प्राधिकारियों, 71 जनसूचना अधिकारियों, 85 वैकल्पिक जनसूचना अधिकारियों एवं एक ट्रान्सपैरेन्सी अधिकारी को आरटीआई मामलों के सही ढंग से संचालन के लिए नामोदिष्ट किया है।

संसदीय समिति के निदेशों के अनुसार, बैंक ने शीर्ष स्तर पर एक अनुप्रवर्तन समिति का गठन किया है जो आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। वर्ष के दौरान समिति ने बैंक में आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा की। बैंक ने आरटीआई मामले संभालनेवाले अपील प्राधिकारियों/जन सूचना अधिकारियों/वैकल्पिक जन सूचना अधिकारियों तथा नोडल अधिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए बैंक के इंट्रानेट पर ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल प्रारंभ किया है। पीएसयू/सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ-साथ हमारा बैंक भी ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल <https://rtionline.gov.in/RTIMIS> के साथ जुड़ा हुआ है। बैक के पीआईओ/एफएए, ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के जरिए प्राप्त आवेदनों/अपीलों का भी निपटान करते हैं। वर्ष के दौरान, बैंक को 3030 आरटीआई आवेदन तथा 404 प्रथम अपीलें प्राप्त हुईं। बैंक ने निर्धारित समय के भीतर सभी आवेदनों एवं अपीलों का निपटान किया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

प्रधान कार्यालय, मणिपाल, कर्नाटक में बैंक का निरीक्षण विभाग कार्यरत है जो नियंत्रण प्रक्रिया से स्वतंत्र है और बैंक की प्रणालियों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की जाँच करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार से प्राप्त आंतरिक नियंत्रण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक का निदेशक मंडल, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति तथा कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति, बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का हिस्सा होते हैं।

COMPLIANCE DEPARTMENT

Compliance policy approved by the Board of Directors of the Bank articulates that the compliance function is an integral part of governance along with the internal control and risk management process. The compliance department headed by a Chief Compliance Officer (in the rank of Deputy General Manager) oversees the compliance functions in the Bank and assists the top management in managing the compliance risk.

Continuing with the Bank's commitment to high compliance standards, compliance function is reviewed regularly for making improvements. The compliance policy is reviewed every year and amendments, if necessary, are carried out based on the experience gained and utility aspect.

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

The Bank has implemented the relevant provisions of the act with effect from October 2005. The information related to the Bank as stipulated under the act is displayed on the Bank's website.

The Appellate Authorities for the Bank under the act and the Public Information Officers (PIOs) and Alternate Public Information Officers (APIOs) at various levels have been designated. The Bank has clearly spelt out the roles and responsibilities at different levels under the act. During the year the Bank has designated 24 Appellate Authorities, 71 PIOs and 85 Alternate PIOs and one transparency officer for smooth functioning of RTI matters.

As directed by the Parliamentary Committee, the Bank has constituted a monitoring committee at apex level to oversee the implementation of the RTI Act. During the year, the committee has reviewed the effectiveness of implementation of the RTI act in the Bank. The Bank has started on-line RTI portal on Bank intranet for assisting Appellate Authorities/PIOs/Alternate PIOs and Nodal officers handling RTI matters. Bank is also linked to the online RTI portal at https://rtionline.gov.in/RTIMIS along with other PSUs/Public Authorities. The PIOs/FAAs of the Bank are receiving and replying to applications/appeals through online RTI portal also. The bank has received 3030 No. of RTI applications and 404 first appeals in the year. During the year, the Bank has disposed of all the applications and all appeals received, within the stipulated time.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Bank has an Inspection Department, independent from control process at Head Office, Manipal, Karnataka that examines the adherence to systems, procedures, and policies of the Bank. The guidelines received on internal control from RBI, GOI, Bank's Board, ACB and ACE constitutes part of the internal control system for better Risk Management.

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यकलापों पर नजर रखती है और बैंक में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के विकास हेतु मार्गदर्शन देती है। यह कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति (एसीई) और बैंक के निरीक्षण विभाग के कार्यों की भी निगरानी करती है।

एसीई, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में गठित है और प्रधान कार्यालय व कॉरपोरेट कार्यालय के पाँच महाप्रबंधक इसके सदस्य होते हैं तथा यह निरीक्षण विभाग के स्तर से ऊपर की समिति है। यह समिति महत्वपूर्ण लेखा टिप्पणियों के अनुपालन की निगरानी करती है तथा कमियों को दूर करने के लिए दिशानिर्देश देती है।

नीतियों, प्रक्रियाओं एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के अनुपालन की जाँच करते हुए शाखाओं तथा कार्यालयों की विभिन्न प्रकार के लेखा-परीक्षणों को अंजाम देने के लिए आठ प्रादेशिक निरीक्षणालय, निरीक्षण विभाग की मदद करते हैं।

बैंक के पास बोर्ड अनुमोदित पूर्ण परिभाषित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति उपलब्ध है जिसके तहत जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, संगामी लेखापरीक्षा, ऋण लेखापरीक्षा, विशेष लेखापरीक्षा, अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारण (केवाईसी/एएमएल) अनुपालन आदि आते हैं। वार्षिक आधार पर नीति की समीक्षा/अद्यतन किया जाता है।

हमारा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पहला बैंक है, जिसने सॉफ्टवेयर आधारित आरबीआईए क्रियान्वित किया है। 01.07.2014 से बैंक ने सॉफ्टवेयर आधारित संगामी लेखापरीक्षा भी क्रियान्वित किया है। संगामी लेखापरीक्षकों/शाखाओं से प्राप्त फीड बैक के आधार पर, बैंक ने संगामी लेखापरीक्षा सॉफ्टवेयर का पुन: मुआयना करके अधिक प्रयोक्तानुकूल विशेषताओं के साथ उसका पुनरोत्थान किया है।

सभी शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) के साथ उच्च जोखिम क्षेत्र; जैसे: विशिष्ट शाखाएँ, कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग, विदेशी विनिमय संसाधन केंद्र (एफएक्सपीसी), निधि एवं निवेश प्रबंधन प्रभाग, पूँजी बाज़ार सेवाएँ, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कार्ड सेंटर तथा उच्च प्रमात्रावाली कारोबारी शाखाएँ आदि को जोड़ा गया है।

वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के अनुरूप बनाया गया है जिसमें वर्ष के लिए लेखापरीक्षा योजना की अनुसूची और सिद्धांत शामिल होते हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान, निरीक्षण विभाग ने कुल 3898 लेखापरीक्षा पूर्ण कर लिए हैं, जिनमें 2636 आरबीआईए, 308 अनुपालन लेखापरीक्षा, और 954 ऋण लेखापरीक्षा शामिल हैं। दि. 31.03.2017 तक शाखाओं में संपन्न कुल 2636 आरबीआईए में से 1808 शाखाएँ कम जोखिम श्रेणी के, 826 शाखाएँ मध्यम जोखिम श्रेणी के और 02 शाखाएँ उच्च जोखिम श्रेणी के हैं।

इसी प्रकार, वर्ष 2016-17 के दौरान प्रथमा बैंक, जो बैंक द्वारा प्रायोजित एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, की द्विवार्षिक प्रबंधन लेखापरीक्षा की गई।

बैंक के निरीक्षण विभाग ने बैंक के 19 बाह्यस्रोत की गतिविधियों के लिए निर्धारित ''आउटसोर्सड फिनांशियल सर्विस प्रोवाइडर्स'' का जोखिम आधारित और आईएस लेखापरीक्षा करवाया तथा पाई गई बड़ी विसंगतियों को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

Audit Committee of the Board (ACB) oversees the internal audit function of the Bank and guides the Bank in developing effective internal control systems. It also monitors the functioning of the Audit Committee of Executives (ACE) and Inspection Department of the Bank.

The ACE, comprising of the Executive Director as Chairman and five General Managers of Head Office & Corporate Office as members is a layer above the Inspection Department. The committee monitors the compliances of the major audit observations and gives directions for rectification of the deficiencies.

Eight Regional Inspectorates operate as extended arms of the Inspection Department (ID) to carry out various types of audits of the branches and offices to examine adherence to systems of internal control, procedures and policies.

The Bank has a well defined, Board approved Internal Audit Policy covering RBIA, Information System Audit, Concurrent Audit, Credit Audit, Special Audits, Know Your Customer/ Anti Money Laundering (KYC / AML) Compliances, etc. The Policy is being reviewed/updated on annual basis.

Bank is the first Bank to implement software driven RBIA among all Public Sector Banks. Bank has also implemented the software driven concurrent audit w.e.f. 01.07.2014. Based on the feedback received from the concurrent auditors/branches, Bank revisited the Concurrent Audit software has been revamped by introducing more user friendly features.

The Risk Based Internal Audit (RBIA) of all the branches is supplemented with concurrent audit of high risk areas like specialized branches, Treasury & International Banking Division, Foreign Exchange Processing Centers (FXPC), Funds and Investment Management Division, Capital Market Services, Dept. of Information Technology, Card Centre and High Volume Business Branches etc.

The Annual Action Plan (AAP), drawn in accordance with the internal audit policy involves the schedule & rationale of the audits planned for the year. For the year 2016-17, Inspection Department has completed 3898 audits consisting of 2636 RBIA, 308 Compliance Audit and 954 Credit Audit. Out of the 2636 RBIA of branches held upto 31.03.2017, 1808 branches were in low risk, 826 branches were in medium risk and 02 branches were in high risk category.

Similarly, bi-annual management audit of Prathama Bank, one of the Bank sponsored Regional Rural Bank is carried out by the Bank during the year 2016-17.

Inspection Department of the Bank conducted IS Audit and Risk Based Audit of the "Outsourced Financial Service Providers" for all 19 outsourced activities of the Bank and placed the major observations before the Board of Directors.

₹500/- एवं ₹1000/- के विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) की वैधता समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप, एसबीएन के विनिमय/ विप्रेषण संबंधी अनाचारों को रोकने के उद्देश्य से निरीक्षण विभाग द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किए गए। निरीक्षण विभाग द्वारा बैंक के सभी मुद्रा तिजोरियों में मौजूद एसबीएन की भौतिक जांच भी की गई। शाखाओं से जुड़े संगामी लेखापरीक्षकों द्वारा भी एसबीएन लेनदेनों की छानबीन की गई।

संगामी लेखा परीक्षा कवरेज केलिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुल कारोबार के न्यूनतम 70% भाग के लक्ष्य को बैंक द्वारा हासिल किया गया है। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत कुल 844 शाखाओं को शामिल किए गए हैं जिसमें बैंक के कारोबार का 75.53 प्रतिशत, अग्रिमों का 86 प्रतिशत और जमाराशियों का 66.01 प्रतिशत हिस्सा शामिल है।

वर्ष के दौरान आईएसओ 27001 प्रमाणीकरण के तहत निरीक्षण विभाग में नए रूप से नियोजित 35 विशेषज्ञ अधिकारियों को एनआईबीएम, पुणे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया और आईएस लेखापरीक्षा खंड के चार अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

परोक्ष निगरानी प्रणाली, आंतरिक निगरानी तंत्र को सशक्त बनाने का एक प्रभावी प्रबंधन उपाय है। इसके अंतर्गत प्रधान कार्यालय स्तर पर एक ओएमसी यूनिट और आठ प्रादेशिक निरीक्षणालयों में हरेक में एक-एक यूनिट शामिल किए गए हैं। संदिग्ध लेन-देनों संबंधी मामलों में एफआईयू-आईएनडी को एसटीआर प्रस्तुत किए गए हैं।

बैंक की निरीक्षण प्रणाली द्वारा भारत सरकार, विनियामक और बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रणालियों व पद्धतियों के अनुपालन की प्रभावी निगरानी की जाती है।

आंतरिक नियंत्रण और सतर्कता

प्रबंधन कार्यों का एक महत्वपूर्ण भाग सतर्कता प्रशासन है, जिसका उद्देश्य संगठन की दक्षता एवं प्रभावशीलता में सुधार लाना है। प्रणालियों एवं कार्यविधियों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शाखाओं में निवारक सतर्कता संबंधी अध्ययन की शुरुआत करके, एसआईबीएम एवं बैंक के अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों में निवारक सतर्कता संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके तथा शाखाओं में निवारक सतर्कता समितियों का गठन करते हुए निवारक सतर्कता पर ज़ोर दिया जाता है।

प्रणालीगत विकास

- बेईमान व्यक्तियों द्वारा बैंक का अनुचित लाभ उठाने हेतु प्रणाली का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए सीबीएस प्रणाली में ऑटोमेटिक लॉग आउट समय को घटाकर 5 मिनट कर दिया गया है।
- विधिक लेखापरीक्षा के लिए खाते की पहचान की प्रक्रिया के औचित्य की जांच हेतु निवारक सतर्कता के अंग के रूप में ''विधिक लेखापरीक्षा'' संबंधी जांच की गई है। सुधार हेतु दिए गए सुझावों को लागू लिए गए हैं।

Subsequent to withdrawal of legal tender character of Specified Bank Notes (SBNs) of ₹500/- and ₹1000, in order to check the malpractices in exchange/remittance of SBNs, random verifications were carried out by Inspection Department. Physical verification of SBNs in all currency chests of the Bank were also conducted by inspection department. The scrutiny of SBN transactions was also carried out by the concurrent auditors attached to the branches.

The Bank has surpassed the Ministry of Finance, Govt. of India stipulation of minimum concurrent audit coverage of 70% of total business. The coverage under concurrent audit at 844 branches stood at 75.53 percent of business, 86 percent of advances and 66.01 percent of deposits of the Bank as at 31.03.2017.

Orientation and refresher training programmes were conducted for the officials from inspection system during the year. Thirty-five specialist officers inducted for inspection stream were trained at NIBM, Pune and four officers from IS Audit wing were trained under ISO 27001 certification during the year.

The Offsite Monitoring System is an effective management tool to strengthen the internal control mechanism. It comprises of one OMC unit at Head Office, and one unit at each of the eight Regional Inspectorates. STRs were filed with FIU-IND in case of suspicious transactions.

The Bank's inspection system has been effectively monitoring the compliance of systems & procedures laid down by the Board, the Regulator and the Government of India.

INTERNAL CONTROL AND VIGILANCE

Vigilance administration is a crucial part of the management function aimed at improving the efficiency and ethical health of the organization. Stress is laid on preventive vigilance by initiating preventive vigilance studies at branches, conducting preventive vigilance training programmes at SIBM and other training centers of the Bank and constitution of Preventive Vigilance Committees at the branches with a view to ensuring strict adherence to systems and procedures.

Systemic Improvements

- To avoid the scope for misuse of the system by unscrupulous persons for gaining undue benefit at the cost of Bank the automatic log out time in CBS has been brought down to 5 Minutes.
- The study on 'Legal Audit' has been done as part of preventive vigilance exercise to examine whether the process of identification of accounts for Legal Audit is appropriate. The improvements suggested have been implemented.

- निवारक सतर्कता प्रयास के अंग के रूप में ''स्विफ्ट संदेश- सुधार के क्षेत्र'' पर परीक्षण किया गया है।

समीक्षा वर्ष के दौरान 620 शाखाओं में निवारक सतर्कता प्रयास किए गए हैं तथा 1043 खातों में बैंक को दृष्टिबंधक किए गए मालों का आकस्मिक सत्यापन किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

बैंक ने 26.10.2016 से 31.10.2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। देश भर में शाखाओं / प्रशासनिक कार्यालयों द्वारा युवाओं और ग्राहकों को लक्ष्य बनाकर स्कूलों एवं कॉलेजों, ग्राम सभाओं में "भ्रष्टाचार / निवारक सतर्कता" संबंधी विषयों पर विभिन्न गतिविधियाँ/कार्यक्रम/प्रतियोगिताएं, जैसे भाषण, चर्चा, निबंध लेखन आदि, आयोजित की गईं । केंद्रीय जाँच ब्यूरो, पुलिस, सरकारी संगठन, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों आदि विशिष्ट व्यक्तियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया और ग्राहकों / विद्यार्थियों / हमारे स्टॉफ सदस्यों को संबोधित किया।

आपके बैंक द्वारा प्रायोजित तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात प्रथमा बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक में भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

- सतर्कता जागरूकता सप्ताह के प्रत्येक दिन समस्त स्टाफ सदस्यों के लिए निवारक सतर्कता एवं कंप्यूटर सुरक्षा पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में कुल 18,932 स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया।
- धोखाधड़ी रोकने में सक्रिय भूमिका निभानेवाले दो स्टाफ सदस्यों को मुख्य सतर्कता अधिकारी सहित प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया।
- शाखाओं और कार्यालयों में कार्यशालाएं एवं सुग्राही कार्यक्रम (सं. 564) आयोजित किए गए।
- 1,657 ग्रामसभाओं में तथा 1,636 शैक्षिक संस्थाओं मे सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें कुल 66,225 लोगों ने सहभागिता की।

बुनियादी संरचना – सहयोग

बैंक के आस्ति मूल्य में वृद्दि

बैंक ने भोपाल में क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल और स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र को जगह देने के लिए एक तैयार परिसर को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आईएफसीआई लि.) से खरीदा है। क्षेत्रीय कार्यालय, करेंसी चेस्ट, आंचलिक कार्यालय एवं एक शाखा की स्थान व्यवस्था के लिए भवन निर्माण करने के उद्देश्य से लखनऊ में प्लॉट खरीदा गया है। बैंक ने विजयपुर क्षेत्र के अंतर्गत बागलकोट में 2 प्लॉट खरीदे हैं जो बागलकोट शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित किए गए हैं।

करेंसी चेस्ट, बैंक की एक शाखा, एटीएम एवं क्षे.का. भुवनेश्वर की स्थान व्यवस्था के लिए जगमारा, भुवनेश्वर, ओडीशा में बैंक के अपने भवन का निर्माणकार्य पूर्ण हो चुका है और तीसरी मंजिल तक भवन के विस्तार का कार्य

- A study on "SWIFT Messaging–Scope for Improvement" has been conducted as part of preventive vigilance exercise.

During the year under review, preventive vigilance exercises were conducted in 620 branches and surprise verification of goods hypothecated to Bank was conducted in 1043 accounts.

Vigilance Awareness week

Bank observed vigilance awareness week from 26.10.2016 to 31.10.2016. Various activities/events/competitions like elocution, debate, essay writing, etc., on issues relating to "Corruption/Preventive Vigilance" at schools and colleges, Gramasabhas targeting youth and customers were conducted by branches/administrative offices throughout the country. Prominent personalities from CBI, Police, Government, Retired Judges, etc., participated and addressed staff/customers/students.

The three Regional Rural Banks sponsored by your Bank, viz., Prathama Bank, Karnataka Vikas Grameena Bank and Andhra Pragathi Grameena Bank also observed vigilance awareness week.

- On-line quiz competition on preventive vigilance and computer security for all the staff was conducted on each day of the Vigilance Awareness Week. 18,932 staff members participated in the quiz competition.
- Two staff members who were instrumental in averting frauds were felicitated by the Managing Director & CEO along with the CVO.
- Workshops and Sensitization programmes (564 nos.) were conducted across branches and offices.
- Vigilance awareness events/programmes were conducted at 1,657 gramsabhas and 1,636 events at educational institutions were held consisting of 66,225 participants.

INFRASTRUCTURE SUPPORT

Enhancement in Asset Value of the Bank

Bank has purchased ready built premises from Industrial Finance Corporation of India Ltd (IFCI Ltd.) at Bhopal for accommodating Regional Office & Staff Training Center at Bhopal. A plot of land at Lucknow was purchased for constructing a building for housing Regional Office, Currency Chest, Zonal Office and a Branch. Bank has also purchased 2 plots of land at Bagalkot under Vijayapura Region allotted by Bagalkot Town Development Authority.

Construction of Bank's own building at Jagmara, Bhubaneswar, Odisha for housing Currency Chest, Branch, ATM and RO Bhubaneswar is completed and extension of building for 3rd floor is also nearing completion. Construction of Bank owned Building at Mannagudda, Mangalore for housing Currency Chest, Branch with ATM/e-lounge and

भी जल्द ही पूर्ण होने जा रहा है। इसी प्रकार, मण्णगुड्डा मंगलूर में करेंसी चेस्ट, एटीएम/ई-लाउंज सहित शाखा एवं आवासीय मकानवाले बैंक के निजी भवन निर्माण का कार्य, जो पिछले वर्ष पूरा नहीं हो सका, उसे भी इस वित्तीय वर्ष के दौरान फिर से प्रारंभ किया गया है।

छवि निर्माण

बैंक ने, शाखाओं के परिवेश में सुधार लाने के लिए अनन्या परियोजना के अंतर्गत शाखाओं की रूपांतरण प्रक्रिया शुरु की है ताकि ग्राहकों के लिए अधिकतम सुविधा सुनिश्चित किया जा सके; जैसे अन्य समकक्ष बैंकों की तरह ग्राहकों के लिए ज्यादा जगह, वातानुकूलन, एक समान रंग समायोजन आदि उपलब्ध कराना ताकि कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ ग्राहकों को आकर्षित करके नए कारोबार जुटाए जा सकें। नई पीढ़ी के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ-साथ शाखाओं में उपलब्ध अतिरिक्त जगह के सदुपयोग के लिए बैंक, ई-लाउंज भी खोल रहा है। पहले चरण में 370 शाखाओं का रूपांतरण किया गया है। अपनी छवि में सुधार लाने के लिए बैंक, महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी शाखाएं खोल रहा है। यथा संभव शाखाएँ भूतल पर ही खोली गई हैं।

अन्य

- भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के तहत, बैंक ने विभिन्न शाखाओं के लिए डेस्क टॉप नोट सॉर्टिंग मशीनें खरीदने हेतु निविदा मंगाया है। तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है। बोली की छानबीन के बाद प्रतिवर्ती नीलामी की जाएगी और आदेश दिए जाएंगे। विमुद्रीकरण की वजह से कुछेक करेंसी चेस्टों में अनसॉर्टेड पुराने ₹500/- एवं ₹1000/- मूल्य वर्ग की नकदी संचित होने से बैंक ने, इनके लिए 10 बड़ी नोट सॉर्टिंग मशीनें मंगाई है।
- शाखाओं, कार्यालयों और एटीएम के लिए पट्टे पर लिए गए परिसरों के ब्यौरे प्राप्त करने के लिए डीआईटी द्वारा विकसित इन-हाउस ऑनलाइन वेब पोर्टल से बैंक को, परिसर संबंधी पट्टे की वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है जिससे एमआईएस रिपोर्ट प्राप्त करने के अलावा बेहतर निगरानी प्रणाली के जरिए समय पर नवीकरण सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। बैंक ने, अनन्या परियोजना हेतु निर्दिष्ट शाखाओं के परिसर, जिनकी पट्टा अवधि थोड़ी अवधि के बाद समाप्त होनेवाली है, के मालिकों के साथ पत्राचार किया है और पट्टे के शीघ्र नवीकरण हेतु अनुरोध किया है ताकि सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त होने से निर्दिष्ट शाखाओं में निर्बाध रूप से परियोजना का कार्यान्वयन किया जा सके।
- बैंक ने, फर्नीचर, जुड़नार, बिजली के सामानों एवं मोटर वाहनों के लेखाकरण के लिए सभी शाखाओं/कार्यालयों में ऑनलाइन एसेट मेनेजमेंट सॉफ्टवेयर 'सम्मिट' को सफल रूप से लागू किया है। अधिकारियों की फर्नीचर योजना के अंतर्गत लिए गए फर्नीचरों सहित समस्त चल संपत्तियों के ब्यौरे एक बटन दबाते ही तत्काल उपलब्ध होंगे। इससे बैंक, संगठनात्मक ढाँचे के समस्त स्तर पर आस्तियों की निगरानी करने और प्रबंधन निर्णय लेने के लिए विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम हुआ है।
- वर्ष 2016-17 के दौरान मूल्यह्रास करने की पद्धति एवं दर को डब्ल्यूडीवी पद्धति से एसएलएम पद्धति में परिवर्तित किया गया है और इस प्रक्रिया को

residential quarters which could not materialize last year is also taken up during this financial year.

Image Building

Bank has initiated the process of Branch Transformation under Project Ananya for improving the ambience of Branches for ensuring maximum comfort to the customers like providing larger customer space, air conditioning, following uniform colour scheme, at par with other peer Banks to attract customers and garner new business besides giving comfort to the employees. Bank is also opening e-Lounge for effective utilization of space of the branches, besides attracting new generation customers to our fold. Branch transformation of nearly 370 branches has already been taken up in the first stage. Bank is going for opening of branches in prominent locations to improve the visibility. Branches are invariably opened on ground floors unless it is not available.

Others

- Under RBI's clean note policy, Bank has already floated the tender for procurement of Desk Top Note Sorting Machines to various branches. The Technical Evaluation is under process. On completion of scrutiny of bids, reverse auction will be conducted and orders will be placed. In the meantime, Bank has procured another 10 Heavy Duty Note Sorting Machines for a few currency chests where huge unsorted cash had accumulated on account of demonetization of old ₹500/- and ₹1000/- notes.
- The in-house on-line web portal developed by DIT for capturing details of leased premises of branches, offices and ATMs has enabled the Bank to have a real-time status of premises leases for better monitoring system to ensure timely renewal apart from getting useful MIS reports. Bank has corresponded with the premises owners of Branches identified for Ananya Project and having short unexpired lease period, requesting them for early renewal of lease and received good response thus enabling smooth implementation of the project in identified branches. .
- The Bank has successfully implemented on-line Asset Management Software "Summit" in all the branches/offices to account the furniture, fixtures, electric fittings and motor vehicles. The details of all movable assets including those availed by officers under officer's furniture scheme are available on real-time at the press of a button. This has enabled the Bank to monitor assets at all levels of organizational hierarchy and generate different types of reports to take management decisions.
- The method of application and rate of depreciation has been changed during 2016-17 from WDV method

सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। आस्तियों की स्थिति उपयोगी होने पर भी उन पर मूल्यह्रास प्रभारित हो जाता है, ऐसे में इस बदलाव से वित्तीय विवरणियों के बेहतर प्रस्तुतीकरण का प्रयास किया गया।

➢ बैंक ने, अधिकारियों को व्यक्तिगत पट्टे पर आबंटित क्वार्टर एवं बैंक के स्वामित्व वाले आबंटित क्वॉर्टर के ब्यौरों को प्राप्त करने के लिए डीआईटी द्वारा विकसित इन-हाउस ऑनलाइन वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस अप्लिकेशन से अधिकारियों को आबंटित क्वार्टर एवं मालिकों को दिए गए अग्रिम किराये से संबंधित स्पष्ट चित्रण प्राप्त होगा और एमआईएस रिपोर्ट के जरिए प्रबंधन को निर्णय लेने में आसानी होगी।

क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन

कारोबार विकास और बेहतर निगरानी एवं नियंत्रण लाने के उद्देश्य से, बैंक ने वर्ष 2016-17 के दौरान मौजूदा आगरा, लखनऊ और वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालयों से कुछ शाखाओं को निकालकर ''कानपुर'' में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है।

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान बैंक के औद्योगिक संबंध मैत्रीपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण रहे, जिससे बैंक को कारोबार के समग्र विकास में सहायता मिली है। बैंक के यूनियन/संघ भी कॉरपोरेट लक्ष्य के प्रति संवेदनशील तथा सक्रिय रहे है।

पुरस्कार एवं सम्मान

वर्ष 2016-17 के दौरान आपके बैंक को प्राप्त विभिन्न पुरस्कार एवं सम्मान निम्नवत् हैं

❖ 'ग' क्षेत्र स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' के तहत बैंक को लगातार दूसरी बार वर्ष 2015-16 के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

❖ राजभाषा सेवा संस्थान एवं परिवर्तन जन कल्याण समिति, नई दिल्ली से सर्वोत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन और सर्वोत्तम प्रकाशन ('जागृति' गृह पत्रिका) और सर्वश्रेष्ठ संदर्भ पुस्तक (आइए प्रांतीय भाषा में बात करें) हेतु वर्ष 2015-16 के लिए बैंक को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

❖ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता में वर्ष 2015-16 के लिए बैंक की त्रैमासिक हिंदी पत्रिका ''जागृति'' को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

❖ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (फरवरी 2015 से मार्च 2016 तक) के वित्तपोषण हेतु संपार्श्व मुक्त किसान हितैषी पहल के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा बैंक को ''**प्रशस्ति प्रमाणपत्र**'' प्राप्त हुआ है।

❖ ग्रामीण युवा पुरुष एवं महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए बैंक को रॉटरी क्लब बेंगलूरु द्वारा ''**स्टर्लिंग ट्रायलब्लेज़र्स**'' पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

to SLM and the process was successfully completed in time. The changes have been done to make more appropriate presentation of financial statements by way of even charge of depreciation over useful life of assets.

➢ Bank has also launched in-house on-line web portal developed by DIT to capture the details of quarters allotted to Officers both on personal lease and those owned by the Bank. The application will give a clear picture about quarter facility to officers and advance rent paid to owners and would go a long way in taking Management decisions through MIS reports.

Re-organization of Regions

With the aim of business development and better monitoring and control, Bank has opened 1 new regional office at "*Kanpur*" by carving out branches from existing Agra, Lucknow and Varanasi Regions during the year 2016-17.

INDUSTRIAL RELATIONS

During the year industrial relations in the Bank has been cordial and harmonious facilitating all-round growth in the business of the Bank. The Unions/Associations have also been responsive and proactive to the corporate goals.

ACCOLADES AND AWARDS

The details of various awards and accolades received by your Bank during the year 2016-17 which have been mentioned as under.

❖ Bank has been awarded "Rajbhasha Kirti Puraskar" for 2015-16 with first prize in the public sector bank category by the Government of India for its outstanding performance in official language implementation in 'C' region consecutively for second time.

❖ First Prize for best official language implementation and best publication ("Jagriti" house journal) & Best Reference Book (let us speak in Regional Language) awards for 2015-16 from Rajbhasha Seva Sansthan and Parivartan Jan Kalyan Samiti, New Delhi.

❖ Bank's quarterly Hindi magazine "Jagriti" received third prize in Hindi House Journal Competition for 2015-16 conducted by Reserve Bank of India.

❖ Bank has been awarded "Certificate of Commendation" from Ministry of New and Renewable Energy Government of India for collateral free farmers friendly initiatives for financing of renewable energy projects (during Feb. 2015 to Mar. 2016).

❖ Bank has conferred "Sterling Trailblazers" award for Economic Empowerment of Rural Young Men and Women from Rotary Club, Bengaluru.

❖ उत्तरी क्षेत्र के शीर्ष वित्तीय संस्थाओं की निर्यात उत्कृष्टता हेतु वर्ष 2014-15 के लिए भारतीय निर्यात संघ(एफआईईओ) द्वारा बैंक को **''एफआईईओ निर्यात उत्कृष्टता-गोल्ड ट्राफी''** पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

❖ आपके बैंक को निम्न वर्गों में स्कॉच अवार्ड प्राप्त हुआ है:

- डीजीएलएल के लिए ऑनलाइन भुगतान समाधान के लिए स्कॉच स्मार्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड जून 2016 : वेसेल/कार्गो कनसाइनमेंट से बिजली बकाया (डीजीएलएल-लाइट हाउस एंड लाइट शिप महानिदेशालय) की ऑनलाइन वसूली की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैंक को ''स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार'' प्राप्त हुआ है।
- स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार 2016: एनपीए ट्रैकर, जिओ टैगिंग, लघु संस्थानों को ऑनलाईन शुल्क वसूली सुविधा प्रदान करने एवं भारत के शीर्ष 100 परियोजनाओं के लिए एटीएम फेन्स के विकास एवं क्रियान्वयन के लिए बैंक को ''स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिसंबर 2016'' प्राप्त हुआ है।
- स्कॉच स्मार्ट टेक्नोलॉजी रजत पुरस्कार 2016 : एनपीए ट्रैकर, जिओ टैगिंग, लघु संस्थानों को ऑनलाईन शुल्क वसूली सुविधा आदि एप्लिकेशनों के विकास एवं क्रियान्वयन हेतु बैंक को ''स्कॉच स्मार्ट टेक्नोलॉजी रजत पुरस्कार 2016'' प्राप्त हुआ है।

❖ विभिन्न एनपीसीआई उत्पादों के चयनित मापदंडों में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए बैंक को ''एनपीसीआई- राष्ट्रीय भुगतान उत्कृष्टता पुरस्कार 2016'' प्राप्त हुआ है।

❖ सेलको फाउंडेशन द्वारा सोलर वित्तपोषण के अंतर्गत बैंक की पहल व प्रदर्शन के लिए बैंक को ''सूर्य मित्र पुरस्कार'' प्राप्त हुआ है।

सुरक्षा

बैंक का सुरक्षा विभाग हमारी सभी शाखाओं, एटीएम, करेंसी चेस्टों और कार्यालयों को अपेक्षित समयानुकूल प्रभावी, कारगर तथा प्रगतिपरक बेहतर सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इसी प्रतिबद्धता के कारण इस विभाग को मई 2007 में आईएसओ 9001:2000 प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है जिसे सितंबर 2010 में आईएसओ 9001:2008 में अपग्रेड किया गया है। 2015 अंतर्राष्ट्रीय मानक में परिवर्तन होने के कारण, विभाग विस्तृत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लेखापरीक्षा (क्यूएमएस) के अधीन है और संशोधित मानकों के अनुरूप इसका मूल्यांकन किया गया है। तदनुसार, इस विभाग को 15.09.2016 से आईएसओ 9001:2015 प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस विभाग ने सभी सरकारी बैंकों के बीच आईएसओ 9001:2015 प्रमाणीकरण प्राप्त करनेवाला प्रथम सुरक्षा विभाग के रूप में श्रेष्ठता प्राप्त की है। फिलहाल यह प्रमाणीकरण 14 सितंबर 2019 तक के लिए वैध है और विभाग की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की आवधिक निगरानी लेखापरीक्षा के अधीन है।

❖ Bank has received "FIEO Export Excellence-Gold Trophy" award by the Federation of India Export Organization (FIEO) for the FIEO Export Excellence of the top financial institution of Northern Region for the year 2014-15.

❖ Your bank has received Skoch Awards under the following categories:

- Skoch Smart Technology Award June 2016 for "On-line payment solution for DGLL: Bank was awarded "Skoch Order-of-Merit award" for facilitating on-line collection of light dues (DGLL-Directorate General of Light Houses & Light Ships) from vessel/cargo consignments.
- Skoch Order of Merit Award December 2016: Bank was received "Skoch Order of Merit Award 2016" for developing and implementing NPA Tracker, Geo Tagging, On-line Fee Collection Facility to Small Institutions & ATM Fence for amongst top 100-projects in India.
- Skoch Smart Technology Silver Award 2016: Bank was awarded the "Skoch Smart Technology Silver Award 2016" for developing and implementing NPA Tracker, Geo Tagging & on-line fee collection facility to small institutions applications.

❖ Bank was conferred "NPCI–National Payments Excellence Award 2016" in recognition of excellent performance in select parameters of various NPCI products.

❖ Bank was received "Surya Mitra Award" for Bank's initiatives and performance under solar financing by SELCO foundation.

SECURITY

The security department of the Bank is making constant efforts to provide effective, efficient and progressively better security services to all Branches, ATMs, currency chests and administrative offices based on real time needs. This commitment resulted in the department obtaining the ISO 9001:2000 certification in May 2007 which was later in September 2010 upgraded to ISO 9001:2008. With the transition to 2015 International Standard, department was subjected to an extensive audit of Quality Management Systems (QMS) and was assessed to having conformed with the revised standards. Accordingly the department has been conferred with the ISO 9001:2015 certification with effect from 15.09.2016. The department has thus achieved this unique distinction of being the first and only security department among all the Public Sector Banks to become ISO 9001:2015 compliant. The certification is currently valid till 14th September 2019 subject to periodic surveillance audits of the Department's Quality Management Systems.

वार्षिक सुरक्षा कार्ययोजना के जरिए क्षेत्रीय कार्यालयों में सुरक्षा मामलों के दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन किया गया है। शाखाओं, एटीएम, मुद्रा तिजोरियों और प्रशासनिक कार्यालयों की सुरक्षा के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी दिशानिर्देशों एवं अनुदेशों का कार्यान्वयन एवं अनुपालन किया गया है। मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, सभी मुद्रा तिजोरियों की सुरक्षा लेखापरीक्षा की गई है। सभी मुद्रा तिजोरियों को सुरक्षा तथा निगरानी उपकरण जैसे, सीसीटीवी, ऑटोमेटिक टाइम लॉक, बायो-मेट्रिक एक्सेस कंट्रोल, हॉटलाइन्स, पैसिव इंफ्रारेड डिवाइस, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम और ऑटो डायलर्स उपलब्ध कराए गए हैं। बैंक के सभी कैश वैन में ग्लोबल पोजिशनिंग रेडियो सिस्टम (जीपीआरएस) उपलब्ध कराए गए हैं ताकि मार्गस्थ विप्रेषण का तत्काल पता लगाया जा सके।

शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने और सरकार के निदेशों के अनुपालन हेतु सभी शाखाओं में सीसीटीवी लगाए गए हैं। शाखा स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए, आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार शाखाओं में जोखिम श्रेणीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है ताकि सभी शाखाओं की जोखिम श्रेणी के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा संरचना उपलब्ध कराई जा सके। इसके अतिरिक्त, जहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, उन स्थानों में, स्थिति में सुधार होने तक अस्थायी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है।

एटीएम में बढ़ते अपराध को देखते हुए, सुरक्षा बढ़ाई गई है जिसके तहत लॉबी तथा बाह्य क्षेत्र को कवर करते हुए पैनिक स्विच वाले साउंड अलार्म सिस्टम के साथ अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा लगाए गये हैं। सभी एटीएम को जमीन पर गाड़कर स्थापित किया गया है ताकि कोई उसे ले जा न सके। ऑफ साईट एवं जोखिम भरे एटीएम के अतिरिक्त, उन एटीएम केन्द्रों में चौबीस घंटे शस्त्ररहित गार्ड तैनात किए गए हैं जहाँ न्यायिक/ पुलिस प्राधिकारी ने गार्ड तैनात करने की सलाह दी है और उन स्थानों में भी जहाँ, कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी हो। अपराध परिदृश्य और आतंकी संभावनाओं के आधार पर, सुरक्षा व्यवस्थाओं की आवधिक समीक्षा एवं अद्यतन किए जाते हैं। बैंक के हितों की पर्याप्त सुरक्षा के लिए समुचित सक्रिय, निवारक एवं सावधानी उपायों को अपनाए गए हैं।

सिंड बैंक सर्विसेस लिमिटेड

सिंड बैंक सर्विसेस लिमिटेड (एसबीएसएल) की स्थापना दि. 25.01.2006 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सिंडिकेटबैंक, उसके ग्राहकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को बैक-ऑफिस सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से ₹10 करोड़ की प्राधिकृत पूँजी और ₹25 लाख की प्रदत्त पूंजी के साथ सिंडिकेटबैंक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के रूप में की गई । वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए हैं:

I. कंपनी, बैंक द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर एसएमए उधारकर्ताओं को मासिक रूप से एसएमएस संदेश भेजने के अलावा खुदरा ऋणों के अनुवर्तन नोटिसों का मुद्रण करके मासिक आधार पर उसे भेजने का कार्य

The guidelines on security matters are disseminated to all the Regional Offices for implementation through annual security action plan. All the guidelines and instructions received from RBI during the year relating to the security of branches, ATMs, currency chests and administrative offices have been implemented and complied with. As per guidelines, security audit has been conducted in respect of currency chests. All currency chests are provided with security and surveillance equipment like CCTVs, Automatic Time Lock, Biometric Access Control, Hotlines, Passive Infra Red Devices, Automatic Fire Detection & Alarm Systems and Auto dialers. All the cash vans of the Bank have been provided with Global Positioning Radio System (GPRS) to facilitate real time tracking of remittance in transit.

To augment the security arrangements at branches and in compliance to the directions of the Government, CCTV has been installed at all branches. As part of the ongoing process of strengthening the security at branch level, the system of risk categorization of branches has been adopted in line with IBA guidelines so as to provide adequate security infrastructure commensurate with the risk category at all branches. In addition, in places where the law & order situation deteriorates, flexibility to provide security guards temporarily till security scenario improves has been made.

In view of the increasing crimes on ATMs, security has been enhanced and additional CCTV cameras have been installed to cover the lobby and exterior areas along with sound alarm system with panic switch. The ATMs are being grouted to the ground so that they cannot be easily carted away. Apart from offsite and critically sited ATMs, round the clock unarmed guards have been deployed at those ATM centers where the police authorities have advised for posting of guards and also at places where the law and order situation so warrants. Based on the crime scenario and threat perceptions, the security arrangements are periodically reviewed and updated. Suitable pro-active preventive and precautionary measures are put in place to adequately safeguard the interests of Bank.

SYND BANK SERVICES LIMITED

SyndBank Services Limited (SBSL) was incorporated under the companies act, 1956, on 25.01.2006, as a wholly owned subsidiary of SyndicateBank, with an authorized capital of ₹10 crores and paid up capital of ₹ 25 lakhs to extend back-office services to SyndicateBank, its clients and other financial institutions. The company has undertaken the following activities during the year 2016-17:

I. The company prints and dispatches retail loan follow up notices to SMA borrowers on monthly basis based on the data received from the Bank apart from sending SMS messages on monthly basis which

भी करती है जिससे बैंक को अपने खुदरा ऋण संविभाग को समृद्ध रखने में मदद मिली है।

II. सीओ:पीएससीडी की ओर से कंपनी ने हिंदी, कन्नड़, तेलुगू, तमिल, मराठी, मलयालम, बांग्ला, ओड़िया आदि स्थानीय भाषाओं में फसल ऋण नवीकरण सूचनाओं को मुद्रित करने की व्यवस्था की है।

III. कंपनी, बेंगलूरु उत्तर एवं दक्षिण के साथ कुछ अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत आनेवाली शाखाओं के खुदरा उधारकर्ताओं और एसएमए खाताधारकों को बैंक की तरफ से फोन कर उनका अनुवर्तन करने के लिए लघु कॉल सेंटर सेवा भी प्रदान करती है। 60 प्रतिशत से अधिक बकाया खातों में वसूली के साथ इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।

IV. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी क्रय आदेश के अनुरूप, सिंडिकेट बैंक एवं उसके द्वारा प्रायोजित ग्रामीण बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए खरीदे गए कंप्यूटर हार्डवेयर की आईटी अधिकारियों द्वारा लदान पूर्व/लदानोत्तर परीक्षण की जाती है।

V. सिंडिकेट बैंक और उसके द्वारा प्रायोजित ग्रामीण बैंकों को बाह्यनियोजन के माध्यम से डेबिट कार्ड पर्सनलाइजेशन की सेवा प्रदान करती है।

VI. सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का मुद्रण व प्रेषण।

VII. सिंडिकेट बैंक की तरफ से बीडब्ल्यूएसएसबी कियोस्क से नकदी व चेकों का संग्रहण करता है और बाह्य स्रोतों के माध्यम से सीबीएस में अपलोड करने के लिए क्लियरिंग अपलोडेबल फाईल तैयार करता है।

VIII. आउटसोर्सिंग गतिविधियाँ जैसे, सीओ: डीआईटी बेंगलूरु में इंटरनेट बैंकिंग हेल्पडेस्क की चौबीसों घंटे सेवा तथा सिंडिकेट बैंक कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के कॉल डेस्क के लिए संसाधन उपलब्ध कराना।

IX. सिंडिकेट बैंक की शाखाओं को मोबाइल बैंकिंग से संबंधित पिन मेलर का प्रेषण।

X. वर्ष के दौरान कंपनी ने मोबाइल बैंकिंग हेल्प डेस्क एवं एटीएम मॉनिटरिंग डेस्क के लिए सीओ:डीआईटी को स्टाफ सदस्यों की सेवाएँ प्रदान की।

XI. कंपनी ने वर्ष के दौरान मूल बैंक के विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर दिए गए प्रमुख कार्यों को तथा सीओ: पीएससीडी की ओर से बाह्यनियोजन के माध्यम से आंध्र प्रदेश में उचित मूल्य डीलरों को टेली कॉलिंग के माध्यम से नकदी रहित लेनदेनों के कार्यान्वयन में तथा उससे संबंधित तकनीकी परेशानियों के बारे में उनको शिक्षित करने के लिए उनकी तैयारी/अनुपालन स्तर के संबंध में सूचना एकत्रित करने जैसी गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

XII. कंपनी ने सीओ: पीएससीडी की ओर से देश भर में फैले हुए कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) को वर्तमान स्थिति की जानकारी देने हेतु टेली कॉल करती है।

helped the Bank to maintain a healthy retail loan portfolio.

II. The Company made arrangements to print crop loan renewal notices in local languages like Hindi, Kannada, Telugu, Tamil, Marathi, Malayalam, Bengali , Oriya etc. on behalf of CO: PSCD.

III. The Company has continued the service of managing a small call center service on behalf of the Bank to tele-call the retail loan borrowers and follow up SMA Accounts of the Branches coming under Bengaluru North and South Regions and also few other Regions. There is a good response to this with recovery in over 60% of delinquent accounts.

IV. Pre-shipment/Post-shipment testing of computer hardware procured by SyndicateBank and RRBs sponsored by SyndicateBank and also of other public sector Banks/financial institutions by IT officers to ensure that the hardware meets the specifications, as per the purchase order issued by the banks/financial institutions.

V. Debit card personalization services for SyndicateBank and RRBs sponsored by the Bank through outsourced model.

VI. Printing & Dispatch of internet banking passwords for customers of SyndicateBank.

VII. Collection of cheques and cash from BWSSB Kiosks spread across Bengaluru city and preparing clearing uploadable files on CBS system on behalf of Syndicate Bank, through outsourced model.

VIII. Outsourcing activities like providing resources for manning 24 x 7 internet banking help desk at CO: DIT, Bengaluru and resources for call desk for State Level Bankers Committee (SLBC), at SyndicateBank's Corporate Office at Bengaluru.

IX. Dispatch of PIN mailers to the branches of SyndicateBank in respect of Mobile Banking.

X. During the year the company provided man power service support to CO:DIT to set up Mobile Banking Help Desk and ATM Monitoring Desk.

XI. The company during the year has taken up Ad-hoc work from time to time from various departments of the parent Bank and successfully completed the assignments, one such activity being, tele-calling fair price dealers in Andhra Pradesh and to collect information on their readiness / compliance level with regard to implementation of cashless transactions and also educating them on technical issues involved, on behalf of CO: PSCD, through outsourced model.

XII. The company also tele called Business Correspondents (BCs) spread across the country to ascertain the present status on behalf of CO: PSCD.

अपनी शुरुआत से ही एसबीएसएल, एक लाभदायक कंपनी रही है और लगातार अपने राजस्व में संवृद्धि कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख मानदंडों के अंतर्गत इसकी निष्पादन विशेषताएँ निम्नवत् हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	मार्च 2015	मार्च 2016	मार्च 2017
प्राधिकृत पूंजी	1,000	1,000	1,000
प्रदत्त पूंजी	25	25	25
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	780	978	1,270
अचल आस्तियाँ (निवल)	6	6	3
कुल आय	479	555	791
कर पूर्व लाभ	235	296	429
कर पश्चात लाभ	158	198	291

निदेशक मंडल में परिवर्तन

1. श्री सीएच एसएस मल्लिकार्जुन राव ने दिनांक 15.09.2016 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया है।
2. भारत सरकार द्वारा सनदी लेखाकार निदेशक के रूप में नामित श्री जयंत पुरुषोत्तम गोखले ने दि.30.08.2016 को बोर्ड में कार्यग्रहण किया है।
3. भारत सरकार द्वारा नामिती निदेशक के रूप में नामित सुश्री वंदना कुमारी जेना ने दि.25.04.2016 को बोर्ड में कार्यग्रहण किया है।
4. भारत सरकार द्वारा नामिती निदेशक के रूप में नामित श्री जी रमेश ने दि.25.04.2016 को बोर्ड में कार्यग्रहण किया है।
5. श्री सुनील वशिष्ठ को दि.17.09.2016 को शेयरधारक निदेशक के रूप में चयनित किया गया है।
6. श्री अतुल ए गलांडे, शेयरधारक निदेशक ने दि.25.06.2016 को अपनी अवधि पूरी कर ली।
7. गैर- कामगार निदेशक, श्री संजय ए मांजरेकर ने दि.16.07.2016 को अपनी अवधि पूरी कर ली।
8. कार्यपालक निदेशक, श्री टी के श्रीवास्तव दि.30.07.2016 को सेवानिवृत्त हुए हैं।
9. कामगार निदेशक, श्री शंकरन भास्कर अय्यर ने दि.03.09.2016 को अपनी अवधि पूरी कर ली।

निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी वक्तव्य

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष से संबंधित वार्षिक लेखों को तैयार करते समय निदेशक मंडल निम्नवत् पुष्टि करते हैं;

कि, वार्षिक लेखा तैयार करते समय लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है तथा उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं।

कि, लेखाकरण नीतियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और उनका निरंतर प्रयोग किया गया है।

कि, समुचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए हैं ताकि वे वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक के कारोबार तथा 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ व हानि से संबंधित यथार्थ एवं स्पष्ट आलोकन प्रस्तुत कर सकें।

SBSL, a profit making company since its inception, is consistently improving its revenues. The performance highlights under key parameters during the last three years is as under -

(₹ in lakhs)

Particulars	March '15	March '16	March '17
Authorised Capital	1,000	1,000	1,000
Paid-Up Capital	25	25	25
Reserves & Surplus	780	978	1,270
Fixed Assets (Net)	6	6	3
Total Income	479	555	791
Profit before Tax	235	296	429
Profit after Tax	158	198	291

CHANGES IN THE BOARD

1. Shri CH. S S Mallikarjuna Rao has assumed charge as Executive Director of the Bank on 15.09.2016.
2. Shri Jayant Purushottam Gokhale nominated as CA Director by the Government of India has joined the Board w.e.f. 30.08.2016.
3. Ms. Vandana Kumari Jena nominated as Nominee Director by the Government of India has joined the Board w.e.f. 25.04.2016.
4. Shri G Ramesh nominated as Nominee Director by the Government of India has joined the Board w.e.f. 25.04.2016.
5. Shri Sunil Vashisht elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f. 17.09.2016.
6. Shri Atul A Galande, Shareholder Director, completed his tenure of Office on 25.06.2016.
7. Shri Sanjay A Manjrekar, Non-Workmen Director, completed his term on 16.07.2016.
8. Shri T K Srivastava, Executive Director, superannuated on 30.07.2016.
9. Shri Sankaran Bhaskar Iyer, Workman Director, completed his term on 03.09.2016.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2017, confirm the following:

That the applicable accounting standards have been followed in the preparation of annual accounts along with proper explanation relating to making departures.

That the accounting policies, framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.

That reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at the end of financialy year and of the profit or loss of the Bank for the year ended March 31, 2017.

कि, बैंक की आस्तियों की रक्षा करने तथा धोखाधड़ी और अन्य प्रकार की विसंगतियों को रोकने व उसका पता लगाने के लिए उन्होंने भारत में बैंकों पर लागू होनेवाली विधि संबंधी उपबंधों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों का रख-रखाव करने हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

कि, वार्षिक लेखों को निरंतर आधार पर तैयार किया गया है।

कि, सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु यथोचित प्रणाली बनाए गए हैं तथा ये प्रणाली पर्याप्त हैं एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

आभार

भारत और विदेश की आम जनता, अपने मूल्यवान ग्राहकों, शेयरधारकों और कर्मचारी सदस्यों से प्राप्त निरंतर सहयोग और संरक्षण के लिए, अपनी सच्ची सराहना को निदेशक मंडल प्रसन्नतापूर्वक अभिलेखित करता है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक प्राधिकारियों, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा भारत में और भारत से बाहर के प्रतिनिधियों के प्रति भी समय-समय पर दिए गए उनके अटल एवं महत्वपूर्ण समर्थन व मार्गदर्शन के लिए निदेशक मंडल आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव, बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चयनित श्री सुनील वशिष्ठ, बैंक के सरकारी सीए निदेशक के रूप में नामित श्री जयंत पुरुषोत्तम गोखले, बैंक के सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नामित सुश्री वंदना कुमारी जेना, बैंक के सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नामित श्री जी रमेश का स्वागत करता है।

निदेशक मंडल, श्री टी के श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक, श्री अतुल ए गलांडे, शेयरधारक निदेशक, श्री संजय ए मांजरेकर, गैर-कामगार निदेशक तथा श्री शंकरन भास्कर अय्यर, बैंक के कामगार निदेशक को, जिन्होंने वर्ष के दौरान अपनी अवधि पूरी कर ली है, उनके द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए मार्गदर्शन, नेतृत्व और समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(अरुण श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 25.05.2017

That proper and sufficient care was taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

That the annual accounts have been prepared on a 'going concern' basis.

That proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

ACKNOWLEDGEMENT

The Directors wish to place on record their sincere appreciation to the public, valuable customers, shareholders and staff members for their continued support and patronage in India and abroad.

The Directors are also indebted to the Ministry of Finance, Government of India, RBI, SEBI and other regulatory authorities, various Financial Institutions, Banks and Correspondents in India and abroad for their unflinching and valuable support and guidance from time to time.

The Board wishes to welcome Shri CH. S S Mallikarjuna Rao, who has been appointed as the Executive Director of the Bank; Shri Sunil Vashisht, who has been elected as Shareholder Director of the Bank and Shri Jayant Purushottam Gokhale, who has been nominated as Government CA Director of the Bank; Ms. Vandana Kumari Jena, who has been nominated as Government Nominee Director of the Bank; Shri G Ramesh, who has been nominated as Government Nominee Director of the Bank.

The Board also expresses their indebtedness to Shri T K Srivastava, Executive Director, Shri Atual A Galande, Shareholder Director, Shri Sanjay A Manjrekar, Non-Workmen Director and Shri Sankaran Bhaskar Iyer, Workman Director of the Bank who have completed their term during the year for their able guidance, leadership and support that they had provided during their tenure in the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors.

(Arun Shrivastava)
Managing Director & CEO

Place : Manipal
Date : 25.05.2017

कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

भविष्य दृष्टि एवं लक्ष्य संबंधी कथन

बैंक का भविष्य-दृष्टि एवं लक्ष्य कथन दीर्घ कालिक कॉरपोरेट लक्ष्यों को साकार करने के साथ ही नये कारोबार जुटाने, ग्राहक सेवा में सुधार करने, भावी बाजार की संभवनाओं का अनुमान लगाने व इसे आँकने और इन अवसरों को दीर्घकालिक व्यवसाय लक्ष्यों में बदलने एवं इनका लाभ उठाने के लिए भी मार्गदर्शन करता है।

हमारी भविष्य दृष्टि :

''ग्राहक केंद्रित, तकनीकी संचालित और कर्मचारी हितैषी बनकर हिताधिकारियों को महत्व देते हुए एक अग्रणी वित्त सक्षम वैश्विक बैंक बनना।''

हमारा लक्ष्य

1. समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हुए बैंकिंग समाधान का एक अग्रणी सुविधादाता बनना।
2. अपनी ग्राहक सेवा के लिए मशहूर एक अतिमान्य व दृश्यमान ब्रांड बनना।
3. अति सुविधाजनक कार्यस्थल का निर्माण जहाँ कर्मचारी गर्व एवं अभिप्रेरणा महसूस करें।
4. अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी सुविधाओं द्वारा सभी हिताधिकारियों में सुखद माहौल बनाना।
5. प्रभावशाली वित्तीयन एवं परिचालनगत निष्पादन।

2016-17 के लिए मूल्य कथन

बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निम्नलिखित मूल्य कथन अपनाया गया है:

''नीतिपरक कारोबार अपनाने के लिए लेन-देन में पारदर्शिता द्वारा बेहतर कॉरपोरेट अभिशासन''।

2016-17 के लिए कॉरपोरेट कार्यनीति

कारोबार स्तर, ग्राहक सेवा, अभिशासन एवं अनुपालन में सुधार और भावी लक्ष्यों को साकार करने एवं बदलते बाजार परिदृश्य के अनुमान के द्वारा बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए व अपने प्रतिद्वंदियों से आगे रहने के लिए बैंक सावधानीपूर्वक कॉरपोरेट कार्यनीति के अनुसार कार्य कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के कारोबारी लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनाई जानेवाली कार्यनीति पर विचार विमर्श करने के लिए बैंक ने 6 व 7 अप्रैल 2016 को बेंगलूर में कार्यनीति मिलन (स्ट्रेटिजी मीट) 2016-17 का आयोजन किया।

2016-17 के लिए कॉरपोरेट थीम

बैंक की कॉरपोरेट थीम ''एस्पायर'' है जिसे निम्नत: व्यक्त किया गया है:

गुणवत्तायुक्त कारोबार हासिल करना
धारणीय संवृद्धि
संपूर्ण निष्पादन
अभिशासन में सुधार
दबावग्रस्त आस्तियों को कम करना
उत्कृष्ट ग्राहक सेवा

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (का का मं) द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन में किए गए हरित पहल

प्रलेखों को ई-मोड से उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार मेसर्स कार्वी कप्यूटर शेयर (प्रा) लि. बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के साथ अपने ई-मेल आईडी रजिस्टर करने वाले सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017 की सॉफ्ट प्रति भेजी जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017 की एक प्रति बैंक की वेबसाइट www.syndicatebank.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017 की कागजी प्रतियाँ ऐसे सदस्यों को भेजी जाएगी जिन्होंने बैंक के साथ अपने ई-मेल आईडी रजिस्टर नहीं किए हैं।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

VISION & MISSION STATEMENTS

Bank has a Vision & Mission Statement which acts as a guiding force not only for pursuing long term corporate goals but also paving way to acquire new business, improving customer service, visualize and sizing future market potentials and converting these opportunities into a long term business goal and advantages.

Our Vision:

"Be a leading financially strong universal Bank, creating value for stakeholders through customer centric, technology driven and employee friendly approach".

Our Mission:

1. Be a leading provider of banking solutions providing range of financial services to all strata of society.
2. Be a highly recognized and visible brand, known for its customer service.
3. Be the most preferred place to work where employees feel proud and motivated.
4. Have state of the art technology & infrastructure creating delight among all stakeholders.
5. To deliver strong financial and operational performance.

VALUE STATEMENT FOR 2016-17

Bank adopted "value statement" during the financial year 2016-17 which underlines as under:

"Good Corporate Governance through transparency in dealings in undertaking ethical business".

CORPORATE STRATEGY FOR 2016-17

In order to improve the business level, customer service, governance and compliance and address the key issues with an anticipation of meeting future goal and changing market conditions, Bank is prudently pursing corporate strategies to be ahead in race of its rivals. Bank conducted strategy meet 2016-17 on 6th & 7th April, 2016 at Bengaluru to discuss the strategies to be adopted for achieving the business goals of FY' 2016-17 and identify and realize opportunities for future growth.

CORPORATE THEME FOR 2016-17

The corporate theme of the Bank is "ASPIRE' which signifies as under:

A – Acquire Quality Business
S – Sustainable Growth
P – Perform 360 Degree
I – Improve Governance
R – Reduced Stressed Assets
E – Excellence in Customer Service

Green Initiatives in the Corporate Governance taken by Ministry of Corporate Affairs (MCA)

As per the guidelines of Ministry of Corporate Affairs regarding service of documents by e-mode, soft copies of Annual Report 2016-2017 of the Bank will be sent to those members, who have registered their e-mail IDs with M/s. Karvy Computershare (P) Ltd, Registrar and Share Transfer Agents of the Bank. Soft copy of Annual Report 2016-2017 will be placed on the website of the Bank www.syndicatebank.in.

Hard copies of Annual Report 2016-2017 will be sent to the members who have not registered his/her e-mail address with the Bank.

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के अनुसार तथा केंद्र सरकार के राजपत्र अधिसूचना सं. एफ 4/1/94-BO.I(1) दि. 03.04.1995 जोकि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) एवं वित्तीय संस्थान नियम (संशोधन) अधिनियम 2006 के तहत संशोधित किया गया है।

संप्रति, मंडल में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 पूर्णकालिक निदेशक यानी केद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा 2 कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित एक निदेशक, भा.रि.बैं. द्वारा नामित एक निदेशक, 1 सीए निदेशक, 2 नामित निदेशक तथा 2 निर्वाचित शेयरधारक निदेशक हैं। बैंक के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशकों को छोड़कर, सभी गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। अध्यक्ष एवं मु.का.अ. की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम कार्यपालक निदेशक मंडल की अध्यक्षता करेंगे। बैंक का सामान्य पर्यवेक्षण, निदेश, कारोबार एवं कार्यों का प्रबन्धन बैंक के निदेशक मंडल में निहित है।

बैंक के निदेशक मंडल का वर्तमान संघटन एवं श्रेणी निम्नानुसार है (31.03.2017 की स्थिति में):

क्र. सं.	निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	निदेशक पद पर श्रेणी	धारा 9(3) की उप धारा के अंतर्गत	कार्यग्रहण की तारीख
1.	श्री अरुण श्रीवास्तव	एम.एस.सी., सी.ए.आई.आई.बी., ए.आई.बी.एम.	अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	खंड (ए)	15.05.2015
2.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	बी.कॉम., एम.ए.(अर्थ), एल.एल.बी. (एकेडमिक) सी.ए.(इंटर), पीजीडी (बैंकिंग), सी.ए.आई.आई.बी.	कार्यपालक निदेशक	खंड (ए)	10.03.2015
3.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	बी.एस.सी., एल.एल.बी (जी), सी.ए.आई.आई.बी.	कार्यपालक निदेशक	खंड (ए)	15.09.2016
4.	श्री रा ना दुबे	एम.ए. (अर्थशास्त्र), एम.एस.सी. (एम.आई.डी.पी.)	भारत सरकार के नामिती निदेशक (केंद्र सरकार के कार्मिक)	खंड (बी)	15.01.2016
5.	श्री रुद्र नारायण कर	एम.ए., एम.फिल., एम.एस. (फिनांस)	भा.रि.बैं. के नामिती निदेशक (भा.रि.बैं. के पदाधिकारी)	खंड (सी)	23.02.2015
6.			कामगार कर्मचारी निदेशक	खंड (ई)	04.09.2016 से रिक्त
7.			अधिकारी कर्मचारी निदेशक	खंड (एफ)	17.07.2016 से रिक्त
8.	श्री जयंत पी गोखले	बी.कॉम., एल.एल.बी., एफ.सी.ए.	सी.ए. निदेशक	खंड (जी)	30.08.2016
9.	सुश्री वन्दना कुमारी जेना	आईएएस	नामित निदेशक	खंड (एच)	25.04.2016
10.	श्री जी रमेश	एम.ए.(अर्थ.) फेलो आई.आई.एम.	नामित निदेशक	खंड (एच)	25.04.2016
11.			नामित निदेशक	खंड (एच)	31.03.2015 से रिक्त
12.			नामित निदेशक	खंड (एच)	01.02.2016 से रिक्त
13.	श्री कमल किशोर सिंघल	बी.कॉम., एम.ए., एल.एल.बी., एफ.सी.ए.	शेयरधारक निदेशक	खंड (आई)	31.10.2015
14.	श्री सुनील वशिष्ठ	बी.काम., एफ.सी.ए.	शेयरधारक निदेशक	खंड (आई)	17.09.2016

BOARD OF DIRECTORS

The Board has been constituted in accordance with Section 9 (3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as per the Central Government Gazette Notification No. F 4/1/94-BO.I(1) dated 03.04.1995 as amended vide Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006.

Presently the Board comprises of 3 whole time Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer and the 2 Executive Directors, appointed by Central Government, 1 Government Nominee Director, 1 RBI Nominee Director, 1 CA Director, 2 Nominee Directors, and 2 elected Shareholder Directors. All the Directors of the Bank, except the Managing Director & Chief Executive Officer and the Executive Directors, are non-Executive Directors. The Managing Director & Chief Executive Officer, in his absence the senior most among the Executive Directors, presides over the Board. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank are vested with the Board of Directors of the Bank.

The present composition and category of the Board of Directors of the Bank are furnished below (as on 31.03.2017):

Sl. No.	Name of the Director	Qualifications	Category of Directorship	Under sub-section of Section 9 (3)	Date of assuming office
1.	Shri Arun Shrivastava	M.Sc., CAIIB, AIBM	Managing Director & Chief Executive Officer	Clause (a)	15.05.2015
2.	Shri Ravi Shanker Pandey	B.Com., M.A. (Eco). LLB (Academic), C.A. (Inter), PGD (Banking), CAIIB	Executive Director	Clause (a)	10.03.2015
3.	Shri CH. S S Mallikarjuna Rao	B.Sc, LLB (G), CAIIB	Executive Director	Clause (a)	15.09.2016
4.	Shri R N Dubey	M.A. (Eco), M.Sc. (MIDP)	Govt. Nominee Director (Official of Central Government)	Clause (b)	15.01.2016
5.	Shri Rudra Narayan Kar	M.A., M.Phil, M.S. (Finance)	RBI Nominee Director (Official of RBI)	Clause (c)	23.02.2015
6.			Workmen Employee Director	Clause (e)	Vacant from 04.09.2016
7.			Officer Employee Director	Clause (f)	Vacant from 17.07.2016
8.	Shri Jayant P Gokhale	B.Com., LLB, F.C.A.	CA Director	Clause (g)	30.08.2016
9.	Ms. Vandana Kumari Jena	IAS	NoD	Clause (h)	25.04.2016
10.	Shri G Ramesh	M.A. (Econ). Fellow IIM	NoD	Clause (h)	25.04.2016
11.			NoD	Clause (h)	Vacant from 31.03.2015
12.			NoD	Clause (h)	Vacant from 01.02.2016
13.	Shri Kamal Kishore Singhal	B.Com., M.A., LLB, F.C.A.	Shareholder Director	Clause (i)	31.10.2015
14.	Shri Sunil Vashisht	B.Com., F.C.A.	Shareholder Director	Clause (i)	17.09.2016

जिन निदेशकों ने 2016-17 के दौरान कार्यग्रहण किया है, उनका एक संक्षिप्त बॉयो-डेटा निम्न प्रस्तुत है:

श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव :

श्री सी.एच.एस.एस. मल्लिकार्जुन राव ने 15.09.2016 को सिंडिकेट बैंक के कार्यपालक निदेशक का पदभार ग्रहण किया है।

सिंडिकेट बैंक में आने से पहले वे ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स में महाप्रबन्धक एवं सी.एफ.ओ. के पद पर सेवाएँ प्रदान कर चुके हैं। वे विज्ञान (गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र) में स्नातक हैं। उन्होंने एलएलबी, कम्प्यूटर ओरिएण्टेशन्स में सर्टिफिकेट कोर्स व रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एड्वान्सड डिप्लोमा किया है। इसके अलावा वे भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं। उनके पास बैंकिंग व्यवसाय के 31 वर्षों का अपार अनुभव है जिसमें ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स के महाप्रबन्धक व सीएफओ, तत्कालीन ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में सहायक उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने का भी अनुभव शामिल है। उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1985 में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में अपने कैरियर की शुरूआत की थी और कई शाखाओं के शाखा प्रमुख भी रहें। ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स में आने के पश्चात उन्होंने क्षेत्रीय प्रधान व बैंक के विभिन्न विभागों के प्रभारी महा प्रबंधक के रूप में भी अपनी सेवाएँ दीं । क्रेडिट, वसूली, ट्रेजरी, जोखिम प्रबंधन, सूचना प्रोद्योगीकी, प्रबंधन सूचना प्रणाली, खुदरा बैंकिंग, विपणन, प्रचार-प्रसार व वैकल्पिक वितरण चैनल के श्रेत्र में अपार अनुभव है।

श्री जयंत पुरुषोत्तम गोखले

श्री जयंत पुरुषोत्तम गोखले को भारत सरकार द्वारा बैंक के बोर्ड में सनदी लेखाकार निदेशक के रूप में नामित किया गया है और वे दिनांक 30.08.2016 से बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किए हैं।

सी.ए. जयंत गोखले ने 1981 में चार्टर्ड अकाउंटेंट उत्तीर्ण करने के पश्चात कानून की उपाधि ग्रहण की। श्री गोखले ने 1982 में गोखले एंड साठे नामक फर्म की सह स्थापना की और 90 के दशक में दो पुस्तकें - ''टैक्स डिडक्शन एट सोर्स'' व ''अकाउंटिंग स्टैंडर्डस नोटिफाइड अंडर द इन्कम टैक्स एक्ट लिखीं''। 1994 में सीए जयंत गोखले वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आई.सी.ए.आई) के सदस्य के रूप में चयनित हुए तथा हैं इसके सचिव (1997-18) व चेयरमैन (1998-99) बने। वे चैंबर ऑफ टैक्स कन्सल्टेंट्स के संयुक्त सचिव रहने के अतिरिक्त शीर्ष अनेक वर्षों तक इसकी मैनेजिंग कमेटी के सदस्य रहे। 2000 में वे सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ द आईसीएआई के सदस्य के रुप में चयनित हुए। वे इस शीर्ष व्यवसायिक संगठन में लगातार 12 वर्षों तक अर्थात 2012 में स्वेच्छा से पदत्याग करने तक चयनित होते रहे। वे एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी, एकाउंटिंग स्टैंडर्डस बोर्ड, आडिटिंग स्टैंडर्डस बोर्ड, बोर्ड ऑफ स्टडीज, डायरेक्ट टैक्स कमेटी सहित कई कमेटी के - अध्यक्ष व सदस्य रहे। सीए गोखले इंडियन एएस को आईएफआरएस से जोड़ने वाले रोड मैप को प्रतिपादित करनेवाली कमेटी के सदस्य भी रहे। 2010 में, डायरेक्ट टैक्स कमेटी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए, उन्होंने वित्त मंत्रालय एवं एमसीए के लिए ''टैक्स इश्यू अराइजिंग आउट ऑफ कन्वरजेन्श विद आईएफआरएस'' पर पेपर प्रस्तुत किया, जिसने ''इनकम कम्प्यूटेशन एंड डिस्कलोजर स्टैंडड'' (आईसीडीएस) के लिए एक संदर्भ बिन्दुऐ तैयार की जिन्हे अब भारत सरकार-वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। उन्होंने बड़े पैमाने पर सरकारी व शहरी स्थानीय निकायों (यू,एलबी), लेखा सुधारों पर कार्य किया है और शहरी स्थानीय निकायों के लिए लेखा मानकों के अध्यक्ष रहे। वे ''स्थानीय निकायों में लेखा आधुनिकीकरण'' पर ईयू में आयोजित एक सम्मेलन मे भारतीय प्रतिनिधि थे और इस संबंध में शहरी विकास मंत्रालय, जीएएसएबी, एवं सीऐडजी द्वारा गठित समितियों में नामित हुए। वे सरकारी, सीऐडजी और पीएसयू कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए नियमित संकाय और भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय एवं महाराष्ट्र सरकार के लिए भी इसी विषय पर परामर्शदाता रहे। उन्होंने बैंक शाखाओं की लेखा-परीक्षा में भी सम्मिलित थे एवं उन्होंने केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में भी कार्य किया।

सुश्री वन्दना कुमारी जेना

सुश्री वन्दना कुमारी जेना को भारत सरकार द्वारा बैंक के बोर्ड में नामिति निदेशक के रूप में नामित किया गया है और वे दिनांक 25.4.2016 से बोर्ड में कार्यभार ग्रहण की है।

सुश्री वन्दना कुमारी जेना, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव पद से सेवा निवृत हुई हैं। वे 1979 बैच की (ओडिश कैडर) भारतीय प्रशासनिक अधिकारी रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में परास्नातक के साथ ही विकास प्रशासन में बार्मिंघम विश्वविद्यालय (यू.के.) से स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे भूमि संबंधी मुद्दे जैसे भूमि अधिग्रहण, भूमि सुधार भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण, रजिस्ट्रेशन अधिमियम,

A brief bio-data of directors who joined the Board in 2016-17 is given here below:

Shri CH. S S Mallikarjuna Rao:

Shri CH. S S Mallikarjuna Rao has assumed charge as Executive Director of SyndicateBank on 15.09.2016.

Prior to joining the Bank, he served as General Manager & CFO in Oriental Bank of Commerce. He holds Bachelor's Degree in Science (Mathematics, Physics & Chemistry), LLB, Certificate Course in Computer Orientations, Advanced Diploma in Relational Database Management System. In addition he is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He has been a professional banker for over 31 years having held position as General Manager & CFO in Oriental Bank of Commerce, Assistant Vice-President in erstwhile Global Trust Bank. He started his career in 1985 as a Probationary Officer in Bank of Maharashtra and has also headed various Branches. After joining Oriental Bank of Commerce he served as Regional Head & also as General Manager in charge of various departments of the Bank. He has vast exposure in Credit, Recovery, Treasury, Risk Management, Information Technology, Management Information System, Retail Banking, Marketing, Publicity & Alternative Delivery Channels.

Shri Jayant Purushottam Gokhale:

Shri Jayant Purushottam Gokhale has been nominated as CA Director on the Board of the Bank by the Government of India and has joined the Board w.e.f. 30.08.2016.

CA Jayant Gokhale qualified as chartered accountant in 1981, and thereafter obtained his Bachelor of Laws Degree. Mr. Gokhale co-founded the firm Gokhale & Sathe in 1982, and in the 90's authored two books - "Tax Deduction at Source" & "Accounting Standards Notified under the Income Tax Act". In 1994, CA Jayant Gokhale was elected as a Member of the Western India Regional Council of Institute of Chartered Accountant of India (ICAI), where he became its Secretary (1997-98) and Chairman (1998-99). He was also the Jt. Sec. of Chamber of Tax Consultants and member of its Managing Committee for many years. In 2000, he was elected as Member of the Central Council of the ICAI. He was re-elected to this apex professional body for a consecutive period of 12 years until voluntarily stepping down in 2012. He was Chairman & member of numerous committees, including the Expert Advisory Committee, Accounting Standards Board, Auditing Standards Board, Board of Studies, Direct Tax Committee. CA Gokhale was also a Member of the Committee for formulating roadmap for Convergence of Indian AS with IFRS. In 2010, as Chairman of Direct Tax Committee he wrote a paper for Finance Ministry & MCA on 'Tax Issues Arising out of Convergence with IFRS' which formed one of the reference points for formulation of the 'Income Computation and Disclosure Standards' (ICDS) - now notified by Finance Ministry, GOI. He has worked extensively on the Government & Urban Local Bodies (ULBs) Accounting Reforms and been Chairman of Accounting Standards for ULBs. He was the Indian representative to an EU Conference on 'Modernising Accounting in Local Bodies' and has been nominated on committees constituted by the Ministry of Urban Development, GASAB, C&AG in this regard. He is a regular faculty for training government C&AG and PSU officials, and has been a consultant to Ministry of Defence - GOI & Govt. of Maharashtra on the same subject. He was also involved in Audit of Bank Branches and worked as Central Statutory Auditor.

Ms. Vandana Kumari Jena:

Ms. Vandana Kumari Jena has been nominated as Nominee Director on the Board of the Bank by the Government of India and has joined the Board w.e.f. 25.04.2016.

Ms. Vandana Kumari Jena, retired as Secretary, Government of India, Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, Government of India, belonged to the 1979 batch (Odisha Cadre) of the Indian Administrative Service. A Master's in Political Science, University of Delhi as well as Development Administration, University of Birmingham, UK, she has worked extensively in various fields of administration including Land related matters like land acquisition, land reforms, modernization of land records, the Registration Act, Integrated Watershed Development and Financial Inclusion for the poor. Her core area of interest lies in the field of Human Resource Development, including adult education and literacy, lifelong education, skill development, elementary and secondary education. She worked in the Education Sector in

इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट और गरीबों के लिए वित्तीय समावेशन में बृहद कार्य किया है। उनके प्रमुख रुचि के क्षेत्र मानव संसाधन विकास, प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता, जीवनपर्यन्त शिक्षा, कौशल विकास, प्राथमिक व सेकण्डरी शिक्षा है। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न पदों पर कार्य किया है जैसे निदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शैक्षिक सलाहकार, अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग, (डीएफआईडी) भारत, संयुक्त सचिव, प्रौढ़ शिक्षा एवं महानिदेशक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, प्रधान सचिव, स्कूल एंड मास एजुकेशन, ओडिशा सरकार के साथ ही वे बरहमपुर विश्वविद्यालय ओडिशा के उप कुलपति रहे हैं। उन्होंने युवा विकास एवं सशक्तीकरण के क्षेत्र में युवा मामले एवं खेल, संयुक्त सचिव व महा निदेशक, नेहरु युवा केन्द्र संगठन के रूप में भी कार्य किया है। योजना आयोग के प्रधान सलाहकार के तौर पर उन्होंने महिला एवं बाल प्रभाग तथा स्वास्थ्य प्रभाग का नेतृत्व किया और पोषण केन्द्र मंच लेकर आई। उन्होंने ब्रहत रूप से महिला एजेंसी, बाल अधिकारों, कौशल विकास, एवं महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में योगदान दिया है। वे स्वैच्छिक क्षेत्र में राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन, एनजीओ पीएस भागीदारी पोर्टल के रख-रखाव एवं सरकार एवं एनजीओ के बीच सिविल सोसायटी के माध्यम में इन्टरफेस प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाई हैं। वे एक लेखक भी हैं। उन्होंने एक उपन्यास, दो लघु कहानियों के संकलन व एक पहेलियों का संकलन प्रकाशित किया है।

श्री जी रमेश

श्री जी रमेश को भारत सरकार द्वारा बैंक के बोर्ड में नामिति निदेशक के रूप में नामित किया गया है और वे दिनांक 25.4.2016 से बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किए हैं।

प्रोफेसर रमेश आईआईएम , अहमदाबाद से प्रबंधन के अध्येता हैं। वे भारतीय आर्थिक सेवाओं के सदस्य रह चुके हैं। वे विवेकानन्द कालेज, चेन्नई से अर्थशास्त्र में स्नातक हैं तथा मद्रास विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। उनकी अनुसंधान रुचियों के क्षेत्रों में राष्ट्र नीति, जन प्रबंधन, विनियमन, एवं आधार भूत अवसंरचनाओं व उपयोगिताओं का वित्तीयन एवं प्रबंधन शामिल हैं। वे शहरी अवसंरचना एवं शहरी स्थानीय निकायों, लोक प्रशासन, उपयोगिताओं, अस्पताल व स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर रमेश की अध्यापन रुचियों में राष्ट्र नीति, जन-प्रबंधन, निष्पादन प्रबंधन, आधारभूत अवसंरचनाओं व उपयोगिताओं का वित्तीयन एवं विनियमन शामिल हैं। उन्होंने संघ सेवा के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन्होंने परियोजना प्रबंधन, कार्यक्रम मूल्यांकन, नीति क्षेत्र आदि में परामर्श कार्य किए हैं। ये हेल्थकेयर, शहरी प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन, ठोस अपाश्टि प्रबंधन, लोक शिकायत प्रबंधन, ऊर्जा आदि क्षेत्रों के अन्तर्गत थे। शिक्षण में आने से पूर्व, वे एक वित्तीय परामर्श कंपनी, डॉटकॉम और सॉफ्टवेयर फर्म में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने बैंगलूर में एक चुनाव क्षेत्र जयनगर को अपनाया है और विगत चार वर्षों से वहाँ कार्य कर रहे हैं। वे इस चुनाव क्षेत्र में बहुत ही निकटता से निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवकों के साथ मिलकर करते रहे हैं तथा छोटी से छोटी समस्याओं को समझकर उनका निराकरण करते रहे हैं। वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में भी सक्रिय हैं। उन्होंने एक एनजीओ का प्रबन्धन किया है जो स्वैच्छिक क्षेत्र को विपणन एवं क्षमता निर्माण संबंधी सहायता देता है।

श्री सुनील वशिष्ठ

श्री सुनील वशिष्ठ बैंक के शेयरधारकों में से (केन्द्र सरकार के अलावा) 17 सितम्बर 2016 से 16 सितंबर 2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए निदेशक के रूप में निर्वाचित किए गए हैं।

सीए सुनील वशिष्ठ 1985 से योग्य चार्टर्ड एकाउटेंट हैं और तब से एक चार्टर्ड एकाउंटेंट के रुप में कार्य कर रहे हैं। वे, द इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकांउटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विभिन्न समितियों में सक्रिय रहे हैं। वे बैंकिंग स्टडी ग्रुप एवं आईसीएआई की कमेटी ऑफ मेजर्स इन इंडस्ट्री के पूर्व सलाहकार थे। उन्होंने बैंकिंग, वित्त, और लेखा परीक्षण के क्षेत्र में अपार अनुभव ग्रहण किया है और पूर्व में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बोर्ड में 2001- 2004 तक निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। वे वर्तमान में भारत सरकार के उद्यम मद्रास उर्वरक लिमिटेड (एमएफएल) के बोर्ड में भी सेवारत हैं। वह पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कामर्स, एशोचम, भिवाड़ी मैनुफैक्चर्स एसोशिएशन (बीएमए) और निवेशक मंच जैसी संस्थाओं भी सक्रियता से शामिल हैं। पूर्व में भी वे अनेक संगठनों जैसे फेडरेशन ऑफ आल इंडिया स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (एफआईएसएमई) आदि में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। वे 2009-10 के दौरन वे लायंस क्लब इंटरनेशनल के जिला 323 ई आई के जिला गवर्नर रहे और उन्होंने अनेक विविध कार्यक्रम व शिविर आयोजित किए। उन्हें मानव सेवा के लिए आस्ट्रेलिया में ,लायन्स क्लब इंटरनेशनल द्वारा 01.07.2010 को अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वे राष्ट्रीय विचार मंच (रजि) एवं सद्भावना, शांति एवं जागृति मिशन फाउंडेशन (रजि) जैसे संगठनों के माध्यम से अनेक सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं।

various capacities, as Director National Literacy Mission, Ministry of Human Resource Development; Education Adviser Department for International Development (DFID) India; Joint Secretary Adult Education & Director General National Literacy Mission, Ministry of HRD, Government of India; Principal Secretary, School and Mass Education, Government of Odisha as well as Vice-Chancellor, Berhampur University, Odisha. She has also worked in the area of Youth Development and Empowerment as Joint Secretary, Youth Affairs and Sports and Director General, Nehru Yuva Kendra Sangathan. As Principal Adviser Planning Commission she headed the Women and Child Division & Health Division and brought Nutrition centre stage, and contributed extensively to Women's Agency and Child Rights, skills development and financial inclusion for women. She was engaged in the implementation of National Policy on the Voluntary Sector, maintenance of the NGO-PS Partnership portal and was instrumental in providing an interface between the NGOs and the Government through the Civil Society Window. She is also a writer and has published a novel, two collections of short stories and one compilation of middles.

Shri G Ramesh:

Shri G Ramesh has been nominated as Nominee Director on the Board of the Bank by the Government of India and has joined the Board w.e.f. 25.04.2016.

Professor Ramesh is a Fellow in Management from IIM, Ahmedabad. He was member of the Indian Economic Services. He holds a Bachelor's Degree in Economics from Vivekananda College, Chennai and Master's Degree in Economics from Madras University. His research interests include Public Policy and Public Management, Regulation, and Financing and Management of Infrastructure and Utilities. He specializes in the sectors of urban infrastructure and urban local bodies, public administration, utilities, and hospitals and health insurance. Professor Ramesh's teaching interests include Public Policy, Public Management, Performance Management, Financing and Regulation of Infrastructure and Utilities. He specializes in the sectors of urban infrastructure and urban local bodies, public administration, utilities, and hospitals and health insurance. He has conducted several training programmes for senior officers from various civil services. He has undertaken consulting assignments in the areas of Project Management, Programme Evaluations, Policy areas, etc. These were in the sectors of Healthcare, Urban Management, Public Transport, Solid Waste Management, Public Grievances Management, Power, etc. Prior to joining academics, he was with a financial consulting company, a dotcom and a software firm. He has adopted a constituency - Jayanagar in Bengaluru - and has been working on it for the last four years. He has been working closely with the elected representative and volunteers in this constituency to understand the last mile problems and to bridge them. He is also engaged actively in the area of solid waste management. He was managing an NGO which provided marketing and capacity building support to the voluntary sector.

Shri Sunil Vashisht:

Shri Sunil Vashisht has been elected as a Director from amongst shareholders of the Bank (other than Central Government) for a period of three years from 17th September, 2016 to 16th September, 2019.

CA Sunil Vashisht is a qualified Chartered Accountant since 1985 and practicing as a Chartered Accountant since then. He has been actively involved in various Committees of The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). He was the Ex-advisor of the Banking Study Group and Committee of Members in Industry of ICAI. He has gained vast experience in banking, finance and auditing and has previously served as Director on the board of Bank of Maharashtra from 2001-2004. He is presently also serving on the board of Madras Fertilizers Limited (MFL), A Govt. of India Enterprise. He is actively involved with various organisations like PHD Chambers of Commerce, Assocham, Bhiwadi Manufacturers Association (BMA) and Investors Forum. In the past also he has held important positions with various organizations like Federation of All India Small and Medium Enterprises (FISME) etc. He was the District Governor of Lions Club International, District 323 EI, during 2009-2010 and organized various programs and camps. He was also awarded an International Award for Humanitarian Services, by Lions Club International on 01.07.2010 in Australia. At present he is actively involved with various social activities through the organisations Rashtriya Vichar Manch (Regd.) and Sadbhawna, Shanti and Jagrati Mission Foundation (Regd).

वर्ष 2016-17 के दौरान सेंटर फॉर एडवान्सड फिनांसियल एंड लर्निंग (सीएएफआरएएल –भा.रि.बै. द्वारा प्रायोजित) द्वारा गैर कार्यपालक निदेशकों के लिए 29.11.2016 से 30.11.2016 तक बेंगलूरु में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा बैंक द्वारा नामित निम्नलिखित 4 निदेशकों ने इसमें भाग लिया:

श्री जयंत पी गोखले	सुश्री वंदना कुमारी जेना
श्री जी रमेश	श्री सुनील वशिष्ठ

निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन:

निदेशक मंडल की बैठक राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1970 के अनुसार सामान्यत: एक वर्ष में कम से कम 6 बार और एक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जानी है। निदेशक मंडल ने वर्ष 2016-2017 के दौरान निम्नलिखित तारीखों में 13 बैठकें आयोजित कीं।

06.04.2016	17.05.2016	23.06.2016	28.07.2016	04.08.2016
24.08.2016	23.09.2016	26.10.2016	28.11.2016	29.12.2016
31.01.2017	02.03.2017	24.03.2017	—	—

निदेशक मंडल की बैठकों में मंडल के सदस्यों की पिछली वार्षिक आम बैठक, बैंक के मंडल की अन्य समितियों में उनकी सदस्यता तथा अन्य कंपनियों में निदेशकों के रूप में उनकी साझेदारी इत्यादी के पूर्ण ब्यौरे निम्नवत् हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति		निदेशक मंडल की अन्य समितियों में सदस्यता	अन्य कंपनियों में निदेशक पद*
		बोर्ड	पिछली ए.जी.एम. 24.06.2016		
1.	श्री अरुण श्रीवास्तव	13/13	उ	एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आइटीएससी, एचआरसी, सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी, सीएमआर, डीपीसी, सीडीपीएईएस	2
2.	श्री टी के श्रीवास्तव@	03/04	उ	एसीबी, एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आईटीएससी, एचआरसी, एसटीसी, सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी, सीएम आर, डीपीसी, सीडीपीएईएस, एसएचआरसी	1
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	13/13	उ	एसीबी, एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आईटीएससी, एचआरसी, एसटीसी, सीएमआर, डीपीसी, एसएचआरसी, सीडीपीएईएस	1
4.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव #	07/07	–	एसीबी, एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, आईटीएससी, एचआरसी, एसटीसी, सीएमआर, डीपीसी, एसएचआरसी, सीडीपीएईएस	1
5.	श्री रा ना दुबे	08/13	अ	एसीबी, डीपीसी, आरसी, एससीएमएफएफसी, एचआरसी, एनसी	-
6.	श्री रुद्र नारायण कर	10/13	अ	एमसीबी, एसीबी, आरसी	-
7.	श्री जयंत पी गोखले	07/07	–	एसीबी, एसटीसी, आरसी, आईटीएससी	1
8.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर$	06/06	उ	सीएससी, एसटीसी, एमसीबी, एचआरसी, सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी	-
9.	श्री संजय ए मांजरेकर%	03/03	उ	एमसीबी, आरएमसी, एसएचआरसी, एससीएमएफएफसी, एचआरसी	-
10.	सुश्री वंदना कुमारी जेना ^	11/12	उ	एसीबी, एनसी, आरसी, एससीएमएफएफ, सीएमआर, सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी	-
11.	श्री जी रमेश ^	12/12	उ	आरएमसी, सीएससी, आईटीएससी, एसएचआरसी, एनसी	-
12.	श्री अतुल अशोक गलांडे ^ ^	03/03	उ	एसीबी, एचआरसी, आरसी, सीएमआर, सीएससी	4
13.	श्री के के सिंघल	10/13	उ	एमसीबी, आरएमसी, सीएमआर, आरसी	1
14.	श्री सुनील वशिष्ठ ^ ^ ^	07/07	-	सीएससी, एसटीसी, एचआरसी, एसएचआरसी, सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी	3

* कंपनी अधिनियम 2000 की धारा 275 के अनुसार
@ दिनांक 30.07.2016 को सेवानिवृत्त हुए
\# दिनांक 15.09.2016 को पदग्रहण किए
$ दिनांक 03.09.2016 को कार्यकाल पूरे किए
% दिनांक 16.07.2016 को कार्यकाल पूरे किए
^ दिनांक 25.04.2016 को पदभार ग्रहण किए
^ ^ दिनांक 24.06.2016 को कार्यकाल पूरे किए
^ ^ ^ दिनांक 17.09.2016 को कार्यकाल पूरे किए

During the year 2016-2017, a 2-day training Programme for Non-Executive Directors on the Boards of Commercial Banks conducted by Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL – promoted by RBI) from 29.11.2016 to 30.11.2016 at Bengaluru and nominated by the Bank was attended by the following 4 Directors:

Shri Jayant P Gokhale	Ms. Vandana Kumari Jena
Shri G Ramesh	Shri Sunil Vashisht

CONDUCT OF BOARD MEETINGS:

The Meetings of the Board shall ordinarily be held at least 6 times in a year and at least once in a quarter in accordance with Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. During the year 2016-2017 the Board held 13 meetings on the following dates:

06.04.2016	17.05.2016	23.06.2016	28.07.2016	04.08.2016
24.08.2016	23.09.2016	26.10.2016	28.11.2016	29.12.2016
31.01.2017	02.03.2017	24.03.2017	—	—

The details of the Board members at the Board meetings and last AGM, their membership in other Committees of the Board of the Bank and their association with other Companies as Directors are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance		Membership in other Committees of the Board	Directorship in other Companies*
		Board	Last AGM 24.06.2016		
1.	Shri Arun Shrivastava	13/13	P	MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, CRDWDIC, CMR, DPC, CDPAES	2
2.	Shri T K Srivastava@	03/04	P	ACB, MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, STC, CRDWDIC, CMR, DPC, CDPAES, SHRC	1
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	13/13	P	ACB, MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, STC, CMR, DPC, SHRC, CDPAES	1
4.	Shri CH. S S Mallikarjuna Rao#	07/07	-	ACB, MCB, RMC, SCMFFC, CSC, ITSC, HRC, STC, CMR, DPC, SHRC, CDPAES	1
5.	Shri R N Dubey	08/13	A	ACB, DPC, RC, SCMFFC, HRC, NC	-
6.	Shri Rudra Narayan Kar	10/13	A	MCB, ACB, RC	-
7.	Shri Jayant P Gokhale	07/07	-	ACB, STC, RC, ITSC	1
8.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer$	06/06	P	CSC, STC, MCB, HRC, CRDWDIC	-
9.	Shri Sanjay A Manjrekar%	03/03	P	MCB, RMC, SHRC, SCMFFC, HRC	-
10.	Ms. Vandana Kumari Jena ^	11/12	P	ACB, NC, RC, SCMFF, CMR, CRDWDIC	-
11.	Shri G Ramesh ^	12/12	P	RMC, CSC, ITSC, SHRC, NC	-
12.	Shri Atul A Galande ^ ^	03/03	P	ACB, HRC, RC, CMR, CSC	4
13.	Shri K K Singhal	10/13	P	MCB, RMC, CMR, RC	1
14.	Shri Sunil Vashisht ^ ^ ^	07/07	-	CSC, STC, HRC, SHRC,CRDWDIC	3

*As per Section 275 of Companies Act, 2000
@superannuated on 30.07.2016
#assumed charge on 15.09.2016
$completed term of Office on 03.09.2016
%completed term of Office on 16.07.2016
^ assumed charge w.e.f. 25.04.2016
^ ^ completed term of Office on 24.06.2016
^ ^ ^ elected as Shareholder Director w.e.f. 17.09.2016

उ	–	उपस्थित	अ	–	अनुपस्थित
एमसीबी	–	मंडल की प्रबंधन समिति	एसीबी	–	मंडल की लेखा परीक्षा समिति
डीपीसी	–	विभागीय पदोन्नति समिति/अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति	आरएमसी	–	जोखिम प्रबंधन समिति
एसएचआरसी	–	शेयरधारक संपर्क समिति	एनसी	–	नामांकन समिति
एससीएमएफएफसी	–	कपटपूर्ण मामलों की जांच एवं अनुवर्तन के लिए विशेष समिति	आरसी	–	पारिश्रमिक समिति
सीएससी	–	ग्राहक सेवा समिति	एसटीसी	–	शेयर अंतरण समिति
आईटीएससी	–	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति	एचआरसी	–	मानव संसाधन समिति
सीडीपीएईएस	–	ईक्विटी शेयर के अधिमानी आबंटन हेतु निदेशकों की समिति	सीएमआर	–	वसूली निगरानी समिति
सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी	-	इरादतन चूक कर्ता पहचान समिति के निर्णय की समीक्षा हेतु समिति			

इसके अलावा, परिचालन द्वारा निदेशक मंडल की 3 बैठकें आयोजित की गईं तथा आवश्यक प्रावधानों का पालन किया गया।

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एम.सी.बी.):

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी) का गठन भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.4/1/86/बी.ओ.आई. (1) दिनांक 11.07.1986 के अनुसार की गई थी और भारत सरकार द्वारा उनके परिपत्र सं.एफ.सं.4/1/94 - बीओआई (i) दिनांक 10.11.1995 के जरिए सूचित किए गए अनुसार उसका पुनर्गठन किया गया। आगे, भारत सरकार ने भा.रि.बैं. के साथ परामर्श करके 'योजना 1970' में संशोधन किया जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध उपबंध) (संशोधन) योजना, 2007 कहा गया और जिसे दि. 08.03.2007 के शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाए। प्रबंधन समिति, ऋण प्रस्तावों को मंजूर करने, ऋणों का समझौता निपटान, बट्टे खाते डाले गए प्रस्ताव, राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसर और भवनों का अधिग्रहण और किराये पर देना, दावा/अपील दायर करना, निवेश, अंशदान अन्य मामले जो बोर्ड द्वारा समिति को सौंपे जाते हैं/प्रत्यायोजित किए जाते हैं, के संबंध में सभी अधिकारों का प्रयोग करती है ।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित 13 बैठकें आयोजित की गईं:

06.04.2016	16.05.2016	23.06.2016	15.07.2016	28.07.2016
24.08.2016	23.09.2016	25.10.2016	28.11.2016	28.12.2016
30.01.2017	01.03.2017	24.03.2017	—	—

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति के सदस्य और बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधित विवरण निम्न प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अरुण श्रीवास्तव	13/13
2.	श्री टी के श्रीवास्तव	04/05
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	13/13
4.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	07/07
5.	श्री रुद्र नारायण कर	13/13
6.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	05/05
7.	श्री संजय ए मांजरेकर	04/04
8.	श्री जी रमेश	06/06
9.	श्री के के सिंघल	02/02

उक्त के अलावे समिति की 2 बैठकें परिचालन के आधार पर आयोजित की गईं जिसमें आवश्यक प्रावधानों का पालन किया गया।

निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति (ए.सी.बी.):

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया, जो बैंक में संपूर्ण लेखा परीक्षा परिचालन हेतु निदेश देने के साथ-साथ उसकी निगरानी भी करती है, जिसमें संगठन, परिचालनकरण और आंतरिक लेखा परीक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक के भीतर निरीक्षण और बैंक की सांविधिक/बाहरी लेखा परीक्षा पर अनुप्रवर्तन तथा भा.रि.बैं. द्वारा निरीक्षण आदि कार्यों को करती है । बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति बैंक की आंतरिक

P	- Present	A	- Absent
MCB	- Management Committee of the Board	ACB	- Audit Committee of the Board
DPC	- Directors' Promotion Committee / Disciplinary Proceeding Committee	RMC	- Risk Management Committee
		NC	- Nomination Committee
SHRC	- Stake Holders Relationship Committee	RC	- Remuneration Committee
SCMFFC	- Special Committee for Monitoring & Follow up of Fraud Cases	STC	- Share Transfer Committee
		HRC	- Human Resources Committee
CSC	- Customer Service Committee	CMR	- Committee for Monitoring Recovery
ITSC	- Information Technology Strategy Committee		
CDPAES	- Committee of Directors for Preferential Allotment of Equity Shares		
CRDWDIC	- Committee for Reviewing Decision of Willful Defaulters Identification Committee		

Besides, 3 meetings of the Board were held by circulation and the mandatory norms were followed.

MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD (MCB):

The Management Committee of the Board was constituted in terms of Govt. of India Notification No. F 4/1/86.BO.I (I) dated 11.07.1986 and was reconstituted as advised by Govt. of India vide their Notification No. F No. 4/1/94-BO.I (i) dated 10.11.1995. Further Government of India after consultation with the RBI made the Scheme to amend the 'Scheme 1970' called Nationalised Banks' (Management & Miscellaneous Provisions) (Amendment) Scheme 2007, read with corrigendum dated 08.03.2007. The Management Committee exercises all the powers vested in the Board in respect of sanctioning of credit proposals, compromise settlement of loans, write off proposals, approval of capital & revenue expenditure, acquisition & hiring of premises, filing suits/appeals, investments, donations and any other matter referred to / delegated to the Committee by the Board.

During the year, the Committee met 13 times on the following dates:

06.04.2016	16.05.2016	23.06.2016	15.07.2016	28.07.2016
24.08.2016	23.09.2016	25.10.2016	28.11.2016	28.12.2016
30.01.2017	01.03.2017	24.03.2017	—	—

The members of the Management Committee of the Board and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Arun Shrivastava	13/13
2.	Shri T K Srivastava	04/05
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	13/13
4.	Shri CH. S S Mallikarjuna Rao	07/07
5.	Shri Rudra Narayan Kar	13/13
6.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	05/05
7.	Shri Sanjay A Manjrekar	04/04
8.	Shri G Ramesh	06/06
9.	Shri K K Singhal	02/02

Besides, 2 meetings of the Committee were held by circulation and the mandatory norms were followed.

AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD (ACB):

The Audit Committee of the Board was constituted as per the instructions/guidelines issued by Reserve Bank of India to provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank which includes the organising, operationalising and quality of Internal Audit and Inspection within the Bank and follow up of the statutory/external Audit

निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली की समीक्षा करती है। यह विशिष्ट और असाधारण रूप से बड़ी शाखाओं और असंतोषजनक श्रेणी निर्धारित शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की भी समीक्षा करती है ।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित 9 बैठकें आयोजित की गईं:

06.04.2016	16/17.05.2016	23.06.2016	27.07.2016	23.09.2016
25/26.10.2016	28.12.2016	30/31.01.2017	01.03.2017	—

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के सदस्य और बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अतुल ए गलांडे	03/03
2.	श्री के के सिंघल	03/04
3.	श्री जयंत पी गोखले	05/05
4.	श्री टी के श्रीवास्तव	03/04
5.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	09/09
6.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	05/05
7.	श्री रा ना दुबे	07/09
8.	श्री रुद्र नारायण कर	08/09
9.	सुश्री वंदना कुमारी जेना	05/05

इसके अलावा, समिति की 2 बैठकें परिचालन के आधार पर आवश्यक नियमों का पालन करते हुए आयोजित की गई।

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी):

भा.रि.बैं. के निदेशानुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक में जोखिम प्रबंधन पद्धति का सफल कार्यान्वयन हेतु बोर्ड की ''जोखिम प्रबंधन समिति'' का गठन किया है।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 7 बैठकें आयोजित की गईं :

23.06.2016	28.07.2016	23.09.2016	25.10.2016
28.11.2016	29.12.2016	01.03.2017	—

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्न प्रस्तुत है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अरुण श्रीवास्तव	07/07
2.	श्री टी के श्रीवास्तव	02/02
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	07/07
4.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	05/05
5.	श्री रा ना दुबे	01/04
6.	श्री संजय ए मांजरेकर	01/01
7.	श्री के के सिंघल	02/03
8.	श्री सुनील वशिष्ठ	03/03
9.	श्री जी रमेश	01/01

of the Bank and Inspection of RBI. The ACB reviews the internal Inspection/Audit function in the Bank. It also reviews the inspection reports of specialized and exceptionally large branches and also branches with unsatisfactory ratings.

The Committee met 9 times during the year on the following dates:

06.04.2016	16/17.05.2016	23.06.2016	27.07.2016	23.09.2016
25/26.10.2016	28.12.2016	30/31.01.2017	01.03.2017	—

The details with regard to the members of the Audit Committee of the Board and their attendance at the meetings are as given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Atul A Galande	03/03
2.	Shri K K Singhal	03/04
3.	Shri Jayant P Gokhale	05/05
4.	Shri T K Srivastava	03/04
5.	Shri Ravi Shanker Pandey	09/09
6.	Shri CH. S S Mallikarjuna Rao	05/05
7.	Shri R N Dubey	07/09
8.	Shri Rudra Narayan Kar	08/09
9.	Ms. Vandana Kumari Jena	05/05

Besides, 2 meetings of the Committee were held by circulation and the mandatory norms were followed.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC):

In terms of RBI direction, the Board of Directors of the Bank constituted "Risk Management Committee" of the Board for successful implementation of proper Risk Management Systems in the Bank.
During the year the Committee held 7 meetings on the following dates:

23.06.2016	28.07.2016	23.09.2016	25.10.2016
28.11.2016	29.12.2016	01.03.2017	—

The members of the Committee and their attendance at the meetings is furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Arun Shrivastava	07/07
2.	Shri T K Srivastava	02/02
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	07/07
4.	Shri CH. S S Mallikarjuna Rao	05/05
5.	Shri R N Dubey	01/04
6.	Shri Sanjay A Manjrekar	01/01
7.	Shri K K Singhal	02/03
8.	Shri Sunil Vashisht	03/03
9.	Shri G Ramesh	01/01

धोखाधड़ी मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति (एससीएमएफएफसी):

भा.रि.बैं. के परिपत्र सं.डीबीएसएफजीवी(एफ) सं.1004/23.04.01ए/2003-2004 दिनांक 14.01.2004 के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने ₹1 करोड़ तथा उससे अधिक राशि के ''कपटपूर्ण मामलों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति'' का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की 5 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

28.07.2016	23.09.2016	28.12.2016	30.01.2017	01.03.2017

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्न प्रस्तुत हैं।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अरुण श्रीवास्तव	05/05
2.	श्री टी के श्रीवास्तव	01/01
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	05/05
4.	श्री सीएच. एस एस मल्लिकार्जुन राव	04/04
5.	श्री रा ना दुबे	04/05
6.	श्री के के सिंघल	03/03
7.	सुश्री वंदना कुमारी जेना	01/01

हितधारक संपर्क समिति (एसएचआरसी):

निदेशक मंडल ने सूचीकरण करार के खंड 49 के उप खंड VI सी में कथित नियमों के अनुसार शेयरधरकों एवं निवेशकों की शिकायतों जैसे शेयरों का हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट की अप्राप्ति, लाभांश वारंट न मिलना, आदि का निपटान व समाधान करने के लिए बैंक की निदेशक मंडल ने ''शेयरधारक/निवेशक'' शिकायत समिति का नाम बदलकर हितधारक संपर्क समिति'' के रूप में परिवर्तित किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें निम्नवत हुई:

28.07.2016	28.12.2016

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नवत हैं:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री टी के श्रीवास्तव	01/01
2.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	02/02
3.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	01/01
4.	सुश्री वंदना कुमारी जेना	01/01
5.	श्री के के सिंघल	02/02

वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंक के शेयरधारकों/निवेशकों से 710 शिकायतें/परिवाद/प्रश्न प्राप्त हुए तथा सभी शिकायतों/परिवादों/प्रश्नों को ध्यान में लिया गया तथा उनका निराकरण कर दिया गया। 31.03.2017 की स्थिति में तक कोई भी शिकायत लंबित नहीं रही। दि. 31.03.2017 की स्थिति में स्थानांतरण हेतु कोई भी शेयर लंबित नहीं है।

अनुपालन अधिकारी

सूचीकरण करार के खंड 47 के अनुसार श्रीमती टी एस कृपा देवी, बैंक की कंपनी सचिव, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्स्चेंजों के सूचीकरण करार, कंपनी के रजिस्ट्रार, कॅरपोरेट कार्य मंत्रालय के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के उद्देश्य से तथा शेयर अंतरण प्रक्रिया की निगरानी इत्यादि के संबंध में अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य कर रही हैं।

ग्राहक सेवा समिति (सीएससी):

भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीओडी सं एलईजी 96/09.07.007/2004-05, दि. 17.08.2004 के अनुसार बैंक में प्रदन की जानेवाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु बोर्ड की ''ग्राहक सेवा समिति'' का गठन किया गया है।

SPECIAL COMMITTEE FOR MONITORING AND FOLLOW UP OF FRAUD CASES (SCMFFC):

In terms of RBI circular No. DBS.FGV(F) No. 1004/23.04.01A/2003-2004 dated 14.01.2004, the Board of Directors of the Bank constituted "Special Committee for Monitoring and Follow up of Fraud Cases" involving amount of ₹1 Crore and above.

During the year the Committee held 5 meetings on the following dates:

28.07.2016	23.09.2016	28.12.2016	30.01.2017	01.03.2017

The members of the Committee and their attendance at the meeting is furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Arun Shrivastava	05/05
2.	Shri T K Srivastava	01/01
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	05/05
4.	Shri CH. S S Mallikarjuna Rao	04/04
5.	Shri R N Dubey	04/05
6.	Shri K K Singhal	03/03
7.	Ms. Vandana Kumari Jena	01/01

STAKEHOLDERS' RELATIONSHIP COMMITTEE (SHRC):

In terms of Sub-clause VI C of Clause 49 of the Listing Agreement, the Board of Directors of the Bank constituted "Shareholders'/Investors' Grievance Committee – rechristened as Stakeholders Relationship Committee" of the Board, specifically to look into redressing shareholder and investor complaints/grievances like transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of dividend warrants etc.

During the year the Committee held 2 meetings on the following dates:

28.07.2016	28.12.2016

The members of the Committee and their attendance at the meetings are furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri T K Srivastava	01/01
2.	Shri Ravi Shanker Pandey	02/02
3.	Shri CH. S S Mallikarjuna Rao	01/01
4.	Ms. Vandana Kumari Jena	01/01
5.	Shri K K Singhal	02/02

During the year 2016-17, 710 complaints / grievances / queries were received from the Shareholders / Investors of the Bank and all of them, have been resolved / attended to. No complaint, was pending as on 31.03.2017. There were no shares pending for transfer as at 31.03.2017.

COMPLIANCE OFFICER

In terms of Clause 47 of the Listing Agreement, Smt. T S Kripa Devi, Company Secretary of the Bank is functioning as the Compliance Officer for the purpose of complying with various provisions of Securities & Exchange Board of India, Listing Agreements with Stock Exchanges, Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs and for monitoring the share transfer process etc.

CUSTOMER SERVICE COMMITTEE (CSC):

In terms of RBI DBOD letter No. Leg 96/09.07.007/2004-05 dated 17.08.2004; "Customer Service Committee" of the Board was constituted to bring improvement in the quality of customer service in the Bank.

वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं :

23.06.2016	23.09.2016	28.12.2016	02.03.2017

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अरुण श्रीवास्तव	04/04
2.	श्री टी.के. श्रीवास्तव	01/01
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	04/04
4.	श्री सीएच. एस एस मल्लिकार्जुन राव	02/02
5.	श्री रा ना दुबे	01/03
6.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	01/01
7.	श्री ए ए गलांडे	01/01
8.	सुश्री वंदना कुमारी जेना	01/01
9.	श्री के के सिंघल	01/01
10.	श्री सुनील वशिष्ठ	01/01

पारिश्रमिक समिति (आरसी)

भारत सरकार के पत्रांक एफ सं. 20/01/2005 – बी.ओ. 1 दिनांक 09.03.2007 में दी गई शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल ने एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया है जो भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन हेतु गठित बोर्ड की एक उप समिति है।

वर्ष के दौरान समिति ने दि. 12.09.2016 को एक बैठक आयोजित की ।

समिति के सदस्यों तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री रा ना दुबे	01/01
2.	श्री रुद्र नारायण कर	01/01
3.	सुश्री वंदना कुमारी जेना	01/01
4.	श्री जी रमेश	01/01

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी):

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बोर्ड की एक उप समिति गठित की गई है जो प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु समुचित निगरानी का कार्य करती है।

वर्ष के दौरान समिति की 5 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं:

06.04.2016	23.06.2016	28.07.2016	28.12.2016	01.03.2017

During the year the Committee held 4 meetings on the following dates:

23.06.2016	23.09.2016	28.12.2016	02.03.2017

The members of the Committee and their attendance at the meetings is furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Arun Shrivastava	04/04
2.	Shri T K Srivastava	01/01
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	04/04
4.	Shri CH. S S Mallikarjuna Rao	02/02
5.	Shri R N Dubey	01/03
6.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	01/01
7.	Shri A A Galande	01/01
8.	Ms. Vandana Kumari Jena	01/01
9.	Shri K K Singhal	01/01
10.	Shri Sunil Vashisht	01/01

REMUNERATION COMMITTEE (RC):

In terms of Government of India letter F.No. 20/1/2005-BO.1 dated 09.03.2007, Remuneration Committee was constituted - a sub-Committee of the Board to evaluate the performance of MD & CEO and EDs as per the Government of India guidelines.

During the year the Committee met once on 12.09.2016.

The members of the Committee and their attendance at the meeting is furnished here below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri R N Dubey	01/01
2.	Shri Rudra Narayan Kar	01/01
3.	Ms. Vandana Kumari Jena	01/01
4.	Shri G Ramesh	01/01

INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE (ITSC):

A sub-Committee of the Board was constituted in the meeting to have proper monitoring system in place to evaluate and ensure that the projects are progressing as planned.

During the year the Committee held 5 meetings on the following dates:

06.04.2016	23.06.2016	28.07.2016	28.12.2016	01.03.2017

समिति के सदस्य तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्नवत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अरुण श्रीवास्तव	05/05
2.	श्री टी के श्रीवास्तव	02/03
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	05/05
4.	श्री सीएच. एस एस मल्लिकार्जुन राव	02/02
5.	श्री रा ना दुबे	03/03
6.	श्री के के सिंघल	02/03
7.	श्री जयंत पी गोखले	02/02
8.	श्री जी रमेश	02/02

शेयर अंतरण समिति (एसटीसी):

सिंडिकेटबैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली, 1998 के उपबंधों के अनुसार बैंक द्वारा शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया है।

उक्त समिति, शेयरों का अंतरण, अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, शेयरों का हस्तांतरण और नामों को हटाना तथा शेयरों का पुन: कागज़ीकरण तथा उससे संबंधित अन्य मुद्दों की निगरानी करती है और उनका अनुमोदन करती है ।

वर्ष के दौरान समिति की 2 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं ।

23.06.2016	28.12.2016

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्नवत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री टी के श्रीवास्तव	01/01
2.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	02/02
3.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	01/01
4.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	01/01
5.	श्री के के सिंघल	01/02
6.	श्री जी रमेश	01/01

नामांकन समिति (एनसी):

भा.रि.बैं. के पत्र डी.बी.ओ.डी. सं.बी.सी. 47/29.39.001/2007-2008 दि. 01.11.2007 के अनुसार निदेशक मंडल ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980, 2006 में यथा संशोधित, की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत मौजूदा निदेशक के रूप में चयन किए जानेवाले व्यक्ति की ''उपयुक्त तथा उचित'' स्थिति का निर्धारण करने के लिए सम्यक तत्परतावाली प्रक्रिया शुरू करने हेतु ''नामांकन समिति'' का गठन किया है।

भा.रि.बैं. ने निदेश दिया है कि ''उपयुक्त और उचित'' मानदंड को चयनित निदेशकों (शेयरधारक निदेशक) – वर्तमान और भावी दोनों पर लागू किया जाए ।

जिन उम्मीद्वारों ने शेयरधारक निदेशक के चुनाव हेतु अपना नामांन दिया है उनके ''उपयुक्त तथा उचित'' मानदंड को सुनिश्चित करने के लिए समिति ने वर्ष के दौरान 03.09.2016 एवं वर्तमान शेयरधारक निदेशक के स्तर को ''उपयुक्त तथा उचित'' सुनिश्चित करने के लिए 30.01.2017 को बैठक आयोजित की।

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्नवत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री रा ना दुबे	02/02
2.	सुश्री वंदना कुमारी जेना	02/02
3.	श्री जी रमेश	02/02

The members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Arun Shrivastava	05/05
2.	Shri T K Srivastava	02/03
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	05/05
4.	Shri CH. S S Mallikarjuna Rao	02/02
5.	Shri R N Dubey	03/03
6.	Shri K K Singhal	02/03
7.	Shri Jayant P Gokhale	02/02
8.	Shri G Ramesh	02/02

SHARE TRANSFER COMMITTEE (STC):

In accordance with the Syndicate Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1998, was constituted Share Transfer Committee.

The Committee monitors and approves share transfers, issue of duplicate share certificates, transmission, transposition and deletion of names and re-materialisation of shares and matters relating thereto.

During the year the committee held 2 meetings on the following dates:

23.06.2016	28.12.2016

The members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri T K Srivastava	01/01
2.	Shri Ravi Shanker Pandey	02/02
3.	Shri CH. S S Mallikarjuna Rao	01/01
4.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	01/01
5.	Shri K K Singhal	01/02
6.	Shri G Ramesh	01/01

NOMINATION COMMITTEE (NC):

In terms of the RBI letter DBOD No. BC No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007, the Board of Directors constituted "Nomination Committee" to undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing/the persons to be elected as a director under Sec. 9 (3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 as amended in 2006.

RBI has directed that the "Fit and Proper" Criteria as of now, be made applicable to the elected Directors (Shareholder Directors) - both present and future.

The Committee met during the year on 03.09.2016 to determine the "fit & proper" of the candidates, who filed their nomination for election of shareholder directors and on 30.01.2017 for determining the 'fit and proper' status of existing shareholder Directors.

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri R N Dubey	02/02
2.	Ms. Vandana Kumari Jena	02/02
3.	Shri G Ramesh	02/02

एच आर समिति (एचआरसी):

बैंक में एच. आर. प्रणाली/प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए दि. 30.10.2009 को मंडल की एच. आर. समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की 8 बैठकें निम्नलिखित तारीख में आयोजित की गयीं।

06.04.2016	23.06.2016	24.08.2016	25.10.2016
28.11.2016	30.01.2017	01.03.2017	24.03.2017

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अरुण श्रीवास्तव	08/08
2.	श्री टी के श्रीवास्तव	01/02
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	08/08
4.	श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव	05/05
5.	श्री रा ना दुबे	04/04
6.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	03/03
7.	श्री संजय ए मांजरेकर	02/02
8.	श्री ए ए गलांडे	02/02
9.	श्री जयंत पी गोखले	03/03
10.	सुश्री वंदना कुमारी जेना	04/04
11.	श्री जी रमेश	04/04
12.	श्री सुनील वशिष्ठ	02/02

वसूली निगरानी समिति (सीएमआर):

भारत सरकार के निदेशानुसार वसूली की प्रगति पर नियमित निगरानी रखने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान इस समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तारीख में आयोजित की गई:

23.06.2016	24.08.2016	28.11.2016	02.03.2017

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अरुण श्रीवास्तव	04/04
2.	श्री टी के श्रीवास्तव	01/01
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	04/04
4.	श्री सीएच. एस एस मल्लिकार्जुन राव	02/02
5.	श्री रा ना दुबे	01/03
6.	श्री ए ए गलांडे	01/01
7.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	01/01
8.	श्री सुनील वशिष्ठ	01/01
9.	सुश्री वंदना कुमारी जेना	01/01
10.	श्री के के सिंघल	01/01

ईक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन हेतु निदेशक मंडल की समिति (सीडीपीएईएस):

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप इस समिति का गठन किया गया है।

H.R. COMMITTEE (HRC):

H.R. Committee of the Board was first constituted on 30.10.2009 for the review of HR Systems / practices in the Bank.

During the year the Committee held 8 meetings on the following date:

06.04.2016	23.06.2016	24.08.2016	25.10.2016
28.11.2016	30.01.2017	01.03.2017	24.03.2017

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Arun Shrivastava	08/08
2.	Shri T K Srivastava	01/02
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	08/08
4.	Shri CH. S S Mallikarjuna Rao	05/05
5.	Shri R N Dubey	04/04
6.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	03/03
7.	Shri Sanjay A Manjrekar	02/02
8.	Shri A A Galande	02/02
9.	Shri Jayant P Gokhale	03/03
10.	Ms. Vandana Kumari Jena	04/04
11.	Shri G Ramesh	04/04
12.	Shri Sunil Vashisht	02/02

COMMITTEE FOR MONITORING RECOVERY (CMR):

The Committee was constituted in terms of Government of India Guidelines to monitor the progress in recovery on regular basis.

During the year the Committee held 4 meetings on the following dates:

23.06.2016	24.08.2016	28.11.2016	02.03.2017

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Arun Shrivastava	04/04
2.	Shri T K Srivastava	01/01
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	04/04
4.	Shri CH. S S Mallikarjuna Rao	02/02
5.	Shri R N Dubey	01/03
6.	Shri Atul A Galande	01/01
7.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	01/01
8.	Shri Sunil Vashisht	01/01
9.	Ms. Vandana Kumari Jena	01/01
10.	Shri K K Singhal	01/01

COMMITTEE OF DIRECTORS FOR PREFERENTIAL ALLOTMENT OF EQUITY SHARES (CDPAES):

The Committee was constituted in terms of Government of India guidelines.

वर्ष के दौरान इस समिति की 3 बैठकें निम्नलिखित तारीख में आयोजित की गई :

05.05.2016	17.08.2016	30.09.2016

समिति के सदस्यों के विवरण तथा बैठक में उनकी उपस्थिति निम्नवत है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अरुण श्रीवास्तव	03/03
2.	श्री टी के श्रीवास्तव	01/01
3.	श्री रवि शंकर पाण्डेय	03/03
4.	श्री सीएच. एस एस मल्लिकार्जुन राव	01/01
5.	श्री जी रमेश	02/02

इरादतन चूककर्ता पहचान समिति के निर्णय की समीक्षा हेतु समिति (सीआरडीडब्ल्यूडीआईसी):

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. डी.बी.आर. सं. सी.आई.डी.बी.सी. 57/20.16.003/2014-15 दि. 01.07.2014 तथा अद्यतन दि. 07.01.2015 में निहित दिशानिदेशों के अनुसार समिति का गठन किया गया।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों को 2 बैठकें हुई।

23.06.2016	23.09.2016

समिति के सदस्यों तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नलिखित है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री अरुण श्रीवास्तव	02/02
2.	श्री रा ना दुबे	02/02
3.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	01/01
4.	श्री के के सिंघल	01/01

ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी)

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (राजपत्रित अधिसूचना दि. 05.12.2011 के तहत शामिल) के खंड 13 ए के अनुसार ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। किसी व्यक्ति/कंपनी या एक ही समूह के सभी उधारकर्ताओं/कंपनियों को प्रस्तावित एक्सपोज़र सहित कुल एक्सपोज़र के तहत इस समिति को बोर्ड द्वारा ₹400.00 करोड़ तक के अधिकार दिए गए हैं।

समिति के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्य हैं:

(ए) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – समिति के अध्यक्ष
(बी) कार्यपालक निदेशक
(सी) महाप्रबंधक (ऋण)
(डी) महाप्रबंधक (लेखा)
(ई) महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन)
(एफ) महाप्रबंधक (वसूली विभाग)

वर्ष के दौरान समिति की 27 बैठकें सपंन्न हुई ।

बोर्ड में परिवर्तन

1. श्री सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव ने प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में दि. 15.09.2016 को कार्यभार ग्रहण किया ।
2. श्री जयंत पुरुषोत्तम गोखले को दिनांक 30.08.2016 से सनदी लेखाकार निदेशक के रूप में भारत सरकार द्वारा नामित किया गया। ।
3. सुश्री वंदना कुमारी जेना को दिनांक 25.04.2016 से नामिती निदेशक के रूप में भारत सरकार द्वारा नामित किया गया। ।
4. श्री जी रमेश को दिनांक 25.04.2016 से नामिती निदेशक के रूप में भारत सरकार द्वारा नामित किया गया। ।
5. श्री सुनील वशिष्ठ को दिनांक 17.09.2016 से बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया ।

During the year the Committee met thrice on the following dates:

05.05.2016	17.08.2016	30.09.2016.

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Arun Shrivastava	03/03
2.	Shri T K Srivastava	01/01
3.	Shri Ravi Shanker Pandey	03/03
4.	Shri CH. S S Mallikarjuna Rao	01/01
5.	Shri G Ramesh	02/02

COMMITTEE FOR REVIEWING DECISION OF WILLFUL DEFAULTERS INDENTIFICATION COMMITTEE (CRDWDIC):

The Committee was constituted in terms of Reserve Bank of India guidelines issued vide Circular No. DBR.No.CID. BC.57/20.16.003/2014-15 dated 01.07.2014 and updated on 07.01.2015.

During the year the Committee held 2 meetings on the following dates:

23.06.2016	23.09.2016

The members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Arun Shrivastava	02/02
2.	Shri R N Dubey	02/02
3.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	01/01
4.	Shri K K Singhal	01/01

CREDIT APPROVAL COMMITTEE (CAC):

The Credit Approval Committee was constituted in terms of Clause 13A of Nationalized Banks' (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (inserted vide Gazette Notification dated 05.12.2011). The Committee exercises such powers of the Board subject to total exposure including proposed exposure to an individual / company or to all the borrowers / companies in the same group not exceeding ₹400.00 Crore.

The Committee consists of the following members:

(a) Managing Director & Chief Executive Officer – Chairman of the Committee
(b) Executive Directors;
(c) General Manager (Credit);
(d) General Manager (Accounts)
(e) General Manager (Risk Management)
(f) General Manager (Recoveries Department)

During the year, the Committee met 27 times.

CHANGES IN THE BOARD:

1. Shri CH. S S Mallikarjuna Rao has assumed charge as Executive Director of the Bank on 15.09.2016.
2. Shri Jayant Purushottam Gokhale nominated as CA Director by the Government of India has joined the Board w.e.f. 30.08.2016.
3. Ms. Vandana Kumari Jena nominated as Nominee Director by the Government of India has joined the Board w.e.f. 25.04.2016.
4. Shri G Ramesh nominated as Nominee Director by the Government of India has joined the Board w.e.f. 25.04.2016.
5. Shri Sunil Vashisht elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f. 17.09.2016.

6. श्री अतुल ए गलांडे, शेयरधारक निदेशक ने दिनांक 25.06.2016 को अपनी अवधि पूरी कर ली।
7. श्री संजय ए मांजरेकर, गैर-कामगार निदेशक ने दिनांक 16.07.2016 को निदेशक के रूप में अपनी अवधि पूरी कर ली।
8. श्री टी के श्रीवास्तव, कार्यपालक निदेशक दिनांक 30.07.2016 को सेवानिवृत्त हुए।
9. श्री शंकरन भास्कर अय्यर, कामगार निदेशक ने दिनांक 03.09.2016 को निदेशक के रूप में अपनी अवधि पूरी कर ली।

निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यपालक निदेशक के पारिश्रमिक का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक, गैर-सरकारी निदेशकों को बैठक में भाग लेने हेतु बैठक शुल्क, यात्रा व्यय तथा विराम भत्ता के अलावा अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं देता है।

बैठक शुल्क

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के संदर्भ सं. 15/1/2011/बी.ओ.आई. दि. 20.07.2015 के अनुसार, गैर-सरकारी निदेशक को, निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ₹20,000/- प्रति बैठक तथा अन्य समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ₹10,000/- प्रति बैठक की दर से बैठक शुल्क के रूप में अदा करना होगा।

दि. 01.04.2016 से दि. 31.03.2017 तक की अवधि के दौरान निदेशकों को प्रदत्त शुल्क के विवरण:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	बैठक शुल्क (₹)
1.	श्री शंकरन भास्कर अय्यर	2,40,000
2.	श्री संजय ए मांजरेकर	1,30,000
3.	श्री अतुल ए गलांडे	1,30,000
4.	श्री के के सिंघल	3,90,000
5.	श्री जयंत पी गोखले	2,40,000
6.	सुश्री वंदना कुमारी जेना	3,90,000
7.	श्री जी रमेश	4,40,000
8.	श्री सुनील वशिष्ठ	2,10,000
	कुल	**21,70,000**

आचार संहिता

मंडल ने अपने सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए आचार संहिता का अनुमोदन किया है। इसे बैंक के वेबसाइट पर ''**शेयरहोल्डर इन्फार्मेशन**'' के अंतर्गत रखा गया है।

मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग ने संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

निवेशकों की शिकायत

निवेशकों को और भी बेहतर सेवा प्रदान करने तथा उनकी शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए हमारे बैंक ने शिकायतों की प्राप्ति/समाधान के लिए एक विशेष ई-मेल आई.डी. – "syndinvest@syndicatebank.co.in", खोल रखा है ताकि बैंक ऐसी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई कर सके ।

दि. 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार गैर-कार्यपालक निदेशकों के शेयरधारण के विवरण:

निदेशक का नाम	धारित शेयरों की संख्या
श्री रा ना दुबे	शून्य
श्री रुद्र नारायण कर	शून्य
श्री जयंत पी गोखले	शून्य
सुश्री वंदना कुमारी जेना	शून्य
श्री जी रमेश	शून्य
श्री कमल किशोर सिंघल	200
श्री सुनील वशिष्ठ	300

6. Shri Atul A Galande, Shareholder Director, completed his tenure of Office on 25.06.2016.
7. Shri Sanjay A Manjrekar, Non-Workmen Director, completed his term on 16.07.2016.
8. Shri T K Srivastava, Executive Director, superannuated on 30.07.2016.
9. Shri Sankaran Bhaskar Iyer, Workman Director, completed his term on 03.09.2016.

REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration of the Managing Director & Chief Executive Officer and the Executive Directors is fixed by the Central Government. As per the guidelines of Government of India, the Bank does not pay any remuneration to the non-official Directors of the Bank apart from sitting fees, travelling expenses and halting expenses for attending meetings.

SITTING FEES:

Sitting fees is to be paid to the non-official Directors at the rate of ₹20,000/- and ₹10,000/- per meeting for attending Board and other Committee meetings respectively, in terms of Govt. of India, Ministry of Finance, Dept. of Financial Services, New Delhi Ref. No. 15/1/2011-BO.I dated 20.07.2015.

Details of Sitting Fees paid to Directors during the period from 01.04.2016 to 31.03.2017:

Sl. No.	Name of the Director	Sitting Fees (₹)
1.	Shri Sankaran Bhaskar Iyer	2,40,000
2.	Shri Sanjay A Manjrekar	1,30,000
3.	Shri Atul A Galande	1,30,000
4.	Shri K K Singhal	3,90,000
5.	Shri Jayant P Gokhale	2,40,000
6.	Ms. Vandana Kumari Jena	3,90,000
7.	Shri G Ramesh	4,40,000
8.	Shri Sunil Vashisht	2,10,000
	TOTAL	**21,70,000**

Code of Conduct

The Board has approved the Code of Conduct for all Board members and Senior Management of the Bank. The same is also placed on the Bank's website i.e. under **"shareholders information".**

All Board members and Senior Management Personnel have affirmed compliance to the code.

Investor Grievance

As part of the initiative to provide enhanced levels of service to the investors, our Bank has designated an **e-mail ID "syndinvest@syndicatebank.co.in"** exclusively for the purpose of receiving /addressing complaints and to enable the Bank to attend to such complaints on priority.

Details of shareholding of Non-executive Directors as on 31.03.2017

Name of the Director	Number of shares held
Shri R N Dubey	Nil
Shri Rudra Narayan Kar	Nil
Shri Jayant Gokhale	Nil
Ms. Vandana Kumari Jena	Nil
Shri G Ramesh	Nil
Shri Kamal Kishore Singhal	200
Shri Sunil Vashisht	300

अधिदेशात्मक/गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन

बैंक ने, सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का पालन सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन 2015 के अनुसार किया है।

अधिदेशात्मक/गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के कार्यान्वयन की प्रमात्रा निम्न प्रस्तुत है:

आवश्यकताएँ	अनुपालन
बैंक से अपेक्षित है कि वे अपनी ओर से तथा शेयरधारकों की ओर से तयशुदा शर्तों के साथ, पेंशन के अधिकारों और प्रतिपूर्ति भुगतान सहित कार्यपालक निदेशक के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेजों पर बैंक की नीति निर्धारित करने हेतु एक पारिश्रमिक समिति का गठन करें।	भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यपालक निदेशक(कों) की प्रोत्साहन राशि निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।
चेतावनी सूचक नीति बैंक में अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधडी या बैंक की आचरण संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन के बारे में संबंधित प्रबंधन को रिपोर्ट करने हेतु बैंक कर्मचारियों के लिए एक प्रणाली लागू करें और कर्मचारियों को उत्पीडन से बचाव के प्रति पर्याप्त रक्षोपाय प्रदान करें।	बैंक समय-समय पर अपने परिपत्रों के माध्यम से यह दोहरा रहा है कि कर्मचारी सदस्य शिकायतों/सुझावों के रूप में संगठन के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना को उचित माध्यम से संबोधित कर सकते हैं। वर्ष के दौरान परिपत्र के माध्यम से चेतावनी सूचक नीति पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए । आवश्यकता/अनिवार्यता की स्थिति में बिना किसी झिझक या डर के उसे सीधे समुचित प्राधिकारी को संबोधित किया जा सकता है। इस प्रकार कर्मचारी सदस्य विचलनों को लिखित रूप में और विधिवत हस्ताक्षर करके प्रबंधन के ध्यान में ला सकते हैं जिनको रोकना/परिशोधित करना संगठन के हित की दृष्टि में आवश्यक है। बैंक, पब्लिक इंट्रेस्ट डिसक्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फोर्मर्स (पी आई डी पी आई) रेजोल्यूशन के अंतर्गत व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी अनुपालन पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है। बैंक ने चेतावनी सूचक नीति बनाई है, जो बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध है।
वित्तीय निष्पादन की अर्ध-वार्षिक घोषणा तथा पिछले 6 महीने से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश प्रत्येक शेयरधारकों को प्रेषित किया जाए।	इसे बैंक के वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।
लेखा परीक्षा अर्हताएं - बैंक अनर्हक वित्तीय विवरण प्रणाली अपना सकता है।	बैंक द्वारा इस आवश्यकता के अनुपालन में कदम उठाए जा रहे हैं।
बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण - बैंक अपने बोर्ड सदस्यों को कंपनी के कारोबार मॉडेल तथा कारोबार की जोखिम प्रोफाइल के संबंध में प्रशिक्षण दे सकती हैं जिनके अंतर्गत मंडल के सदस्यों को अपने दायित्व तथा कर्तव्य के निर्वाह में सुविधा होगी।	बैंक अपने निदेशकों को भरपूर प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें। वर्ष 2016-17 के दौरान सीएएफआरएएल द्वारा गैर कार्यपालक निदेशकों के लिए वाणिज्यिक बैंकों के बोर्ड पर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में चार निदेशकों ने भाग लिया।
गैर कार्यपालक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन किसी समकक्ष समूह द्वारा करवाया जाए, जिसमें सभी निदेशक शामिल हों और समकक्ष समूह के मूल्यांकन को गैर कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तों को बढ़ाने/उसे जारी रखने की प्रणाली के रूप अपनाया जाए।	भारतीय रिज़र्व बैंक के दि. 01.11.2007 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार शेयरधारक निदेशकों का वार्षिक आधार पर चयन करते समय और बैंक बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा उपयुक्त और उचित स्थिति का पालन किया जाता है।

Compliance to mandatory/non-mandatory requirements

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The extent of implementation of mandatory/non-mandatory requirements is furnished as under:

Requirement	Compliance
The Bank should set up a remuneration committee to determine on their behalf and on behalf of the shareholders with agreed terms of reference, the Bank's policy on specific remuneration packages for executive directors including pension rights and any compensation payment	Remuneration Committee of the Board has been constituted to determine the incentive payments to Managing Director and Chief Executive Officer/Executive Directors in terms of the Government of India guidelines
Whistle Blower Policy The Bank may establish a mechanism for employees to report to the management concerns about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of the Bank's code of conduct or ethics policy and provide for adequate safeguards against victimization of employees	The Bank has reiterated time and again through internal circulars that staff members can address genuine information of significant value to the organization in the form of complaints/suggestions/grievances through proper channel. Guidelines on whistle blower policy were also issued during the year by way of circular. In case of urgency/exigency, it can be addressed directly to the appropriate authority without any reservation or fear. Staff members can, thus effectively perform the role of a genuine 'Whistle Blower' in bringing to the notice of the management, in writing duly signed, any deviation which is not in the interest of the organization and needs to be checked/rectified. Bank follows Central Vigilance Commission guidelines on Whistle Blower Policy complaints under Public Interest Disclosure and Protection of informers (PIDPI) resolution. Bank has framed Whistle Blower Policy, which is placed on website of the Bank.
A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant event in the last six months may be sent to each shareholder	It is being uploaded on the website of the Bank.
Audit qualifications – Bank may move towards a regime of unqualified financial statements	The Bank is taking steps to comply with this requirement.
Training of Board Members – Bank may train its Board members in the business model of the company as well as the risk profile of the business parameters of the company, their responsibilities as directors, and the best ways to discharge them.	The Bank is providing ample training opportunities to its directors to enable them to discharge their duties effectively. During the year 2016-17, a two day training programme for non executive directors on Board of Commercial banks conducted by CAFRAL was attended by four Directors.
The performance evaluation of non-executive directors could be done by a peer group comprising the entire Board of Directors, excluding the director being evaluated; and Peer Group evaluation could be the mechanism to determine whether to exceed/ continue the terms of appointment of non-executive directors	As per RBI guidelines dated 01.11.2007, a fit and proper status is being looked into by the Nomination Committee of the Board of the Bank at the time of election of the Shareholder Directors and on annual basis.

कंपनी की शेयर पूंजी

बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹3000 करोड़ है जो प्रत्येक ₹10 के 300 करोड़ ईक्विटी शेयरों के रूप में विभाजित हैं। बैंक की प्रदत्त पूँजी, दि. 31.03.2016 की स्थिति में जो ₹703.37 करोड़ थी, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के विनियम 76(1) के अनुसार निर्धारित प्रति शेयर ₹77.79 (सतहत्तर रुपए उन्नासी पैसे मात्र) के निर्गम मूल्य पर के नकद हेतु प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य वाले ₹740.00 करोड़ सकल मुल्य के 9,51,27,908 (नौ करोड़ इक्यावन लाख सत्ताईस हजार नौ सौ आठ) ईक्विटी शेयर अधिमानी आधार पर भारत सरकार को आबंटित करने के पश्चात् दिनांक 30.06.2016 को बढ़कर ₹798.49 करोड़ हो गई। बैंक की चुकता पूंजी, पुनः ₹904.53 करोड़ तक बढ़ी है क्योंकि, बैंक ने सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के विनियम 76(1) के अनुसार निर्धारित ₹73.18 (तिहत्तर रुपए अठारह पैसे मात्र) के निर्गम मूल्य पर नकद हेतु प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य वाले ₹776.00 करोड़ सकल मूल्य के 10,60,39.901 (दस करोड़ साठ लाख उनचालीस हज़ार नौ सौ एक) ईक्विटी शेयर अधिमान्य आधार पर दिनांक 30.09.2016 को भारत सरकार के पक्ष में जारी किए। बैंक में भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत 69.32% से बढ़कर 72.92% (3.60% की वृद्धि) हो गया। तथापि, भारत सरकार को 10,60,39,901 अधिमान्य शेयर आबंटित करने के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार का शेयरधारण 7.75% (जोकि 5 प्रतिशत से अधिक है) बढ़ा है। चूंकि वृद्धि 5 प्रतिशत से अधिक थी, सेबी (शेयरों का भौतिक अधिग्रहण एवं अधिग्रहण) विनियमन के प्रावधानों के अनुसार, अल्पसंख्यक शेयरधारकों को शेयर प्रदान करने आदि के संबंध में सेबी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

आम बैठकें

i) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 ए (2) के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आम बैठक में उपस्थित शेयरधारकों को गत 31 मार्च तक के तुलन-पत्र, बैंक के लाभ व हानि खाते, लेखों द्वारा व्याप्त की गई अवधि के लिए बैंक के कार्यों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र तथा खातों के बारे में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने, अनुमोदन करने और अंगीकार करने का हक होगा।

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के विवरण निम्नवत हैं।

आम बैठक का स्वरूप	दिनांक	समय	स्थान
पंद्रहवीं वार्षिक आम बैठक	20.06.2014	प्रातः 11.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल
सोलहवीं वार्षिक आम बैठक	26.06.2015	प्रातः 11.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल
सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक	24.06.2016	प्रातः 10.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

ii) शेयरधारकों की पिछली तीन असाधारण आम बैठकों (ई.जी.एम.) के ब्यौरे निम्नवत हैं:

दिन एवं दिनांक	समय	स्थान	उद्देश्य
सोमवार , 28 मार्च 2016	प्रातः 10.30 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	भा.जी.बी. निगम के पक्ष में अधिमानी आधार पर ईक्विटी शेयरों का आबंटन
शनिवार, 30 अप्रैल 2016	प्रातः 11.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	भरत सरकार के पक्ष में अधिमानी आधार पर ईक्विटी शेयरों का आबंटन
शुक्रवार, 16 सितंबर 2016	प्रातः 10.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	भरत सरकार के पक्ष में अधिमानी आधार पर ईक्विटी शेयरों का आबंटन तथा केंद्र सरकार के अलवा शेयरधारकों में से एक निदेशक के चयन करने हेतु.

16.09.2016 को आयोजित असाधारण आम बैठक में श्री सुनील वशिष्ठ को बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया।

वार्षिक आम बैठक/असाधारण आम बैठक में पिछले 3 वर्षों में पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण:

दि. 28.03.2016, 30.04.2016 तथा 16.09.2016 को संपन्न असाधारण आम बैठकों में भारत सरकार तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के पक्ष में अधिमानी ईक्विटी शेयर जारी करने और एक शेयरधारक निदेशक का चयन करने संबंधी विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

Share Capital of the Company

The Authorized Capital of the Bank is ₹3,000 Crore, divided into 300 Crore of equity shares of ₹10/- each. The Paid Capital of the Bank, which stood at ₹703.37 Crore as on 31.03.2016 increased to ₹798.49 Crore as on 30.06.2016 after the allotment of 9,51,27,908 (Nine Crore fifty one lakh twenty seven thousand nine hundred and eight) equity shares of the face value of ₹10/- each for cash at an issue price of ₹77.79 (Rupees seventy seven and paise seventy nine only) per share determined in accordance with regulation 76(1) of SEBI (ICDR) Regulations, aggregating upto ₹740.00 Crore to the Government of India on preferential basis. The paid up capital further increased to ₹904.53 Crore as at 31.03.2017 as the Bank had, on 30.09.2016, allotted 10,60,39,901 (Ten Crore Sixty Lakh thirty nine thousand nine hundred and one) equity shares of face value of ₹10/- each for cash at an issue price of ₹73.18 (Rupees seventy three and paise eighteen only) determined in accordance with regulation 76(1) of SEBI (ICDR) Regulations, aggregating upto ₹776.00 Crore on preferential basis in favour of Government of India. The percentage of Government of India shareholding in the Bank went up from 69.32% to 72.92% (an increase of 3.60%). However, subsequent to the allotment of preferential shares of 10,60,39,901 to the GOI, the shareholding of the GOI increased by 7.75% (i.e., more than 5%) during the financial year 2016-17. Since the increase was more than 5%, approval of SEBI was obtained in terms of the provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations with regard to obtaining SEBI Approval, offering shares to minority shareholders etc.

GENERAL BODY MEETINGS:

i) In accordance with the provisions under Section 10A (2) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the shareholders of our Bank present at an Annual General Meeting shall be entitled to discuss, approve and adopt the Balance-Sheet and Profit and Loss account of the Bank made up to the previous 31st day of March, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance-Sheet and accounts.

The details of the last three Annual General Meetings of the Bank are furnished here below.

Nature of General Meeting	Date	Time	Venue
Fifteenth Annual General Meeting	20.06.2014	11.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL
Sixteenth Annual General Meeting	26.06.2015	11.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL
Seventeenth Annual General Meeting	24.06.2016	10.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL

ii) The details of the last three Extraordinary General Meetings (EGM) of shareholders are as follows:

Day & Date	Time	Venue	Purpose
Monday, March 28, 2016	10.30 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Allotment of equity shares on preferential basis in favour of LIC of India
Saturday, April 30, 2016	11.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Allotment of equity shares on preferential basis in favour of Government of India
Friday, September 16, 2016	10.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Allotment of equity shares on preferential basis in favour of Government of India and To elect one Director from amongst shareholders of the bank other than Central Government.

In the Extraordinary General Meeting held on 16.09.2016, Shri Sunil Vashisht, was Elected as Shareholder Director of the Bank.

Details of Special Resolutions passed at AGM /EGM during the last 3 years: Special resolutions were passed in the EGM held on 28.03.2016, 30.04.2016 and 16.09.2016 for approving preferential issue of equity shares in favour of LIC of India and Government of India and election of one Shareholder Director.

डाक मत, यदि कोई हो, के द्वारा पारित विशेष प्रस्तावों के विवरण:
बैंक में डाक मतदान संबंधी प्रावधान लागू नहीं है।

प्रकटीकरण

बैंक का नियंत्रण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 द्वारा किया जाता है। सेबी ने स्पष्ट किया है कि वे सूचीबद्ध संस्थाएँ जो कंपनियां नहीं है, परंतु वे अन्य संविधि के अंतर्गत निगमित निकाय (यानी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां इत्यादि) हैं तो सेबी (सूचीकरण आवश्यकताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के अनुसार उस सीमा तक लागू होंगे कि वे अपने संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी संगत संविधि तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

i. **निदेशकों का पारिश्रमिक**

बैंक द्वारा स्वतंत्र निदेशकों को निम्नलिखित बैठक शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है जो इस प्रकार है:
बोर्ड की बैठक के लिए : ₹20,000/- प्रति बैठक
समिति की बैठक के लिए : ₹10,000/- प्रति बैठक

ii. **महत्वपूर्ण लेन-देन और आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण**

बैंक ने अपने सामान्य बैंकिंग कारोबार से भिन्न अपने किसी भी प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, अपनी सहायक संस्थाओं या रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया है जिससे बैंक के हितों पर विरोध होने की संभावना हो । वर्ष के दौरान गैर कार्यपालक निदेशक(कों) के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं हुआ है ।

बैंक की यह सुस्थापित पद्धति है कि जब निदेशकों या उनके रिश्तेदारों के संबंध में बैठक में चर्चा होती है तो वे निदेशक मंडल या अन्य उप-समितियों के विचार-विमर्श में सहभागिता नहीं करते हैं ।

iii. **सार्वजनिक निर्गम, अधिमानी निर्गम इत्यादि की प्राप्य राशि:**

समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक ने नकद हेतु प्रति शेयर ₹77.79 (सतहत्तर रुपए उन्नासी पैसे मात्र) के निर्गम मूल्य पर प्रति ₹10/- के अंकित मूल्यवाले कुल ₹740 करोड़ मूल्य के 9,51,27,908 (नौ करोड़, इक्यावन लाख, सत्ताईस हजार, नौ सौ आठ) ईक्विटी शेयरों और प्रति शेयर ₹73.18 के निर्गम मूल्य पर प्रति ₹10/- के अंकित मूल्यवाले कुल ₹776.00 करोड़ मूल्य के 10,60,39,901 (दस करोड़ साठ लाख उनचालीस हजार नौ सौ एक) ईक्विटी शेयरों को अधिमान्य रूप से भारत सरकार को जारी किया है।

निधियों को जुटाने का मुख्य उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता अनुपात को मज़बूत बनाने हेतु टियर-I पूंजी जुटाना तथा बैंक के सामान्य कारोबार की आवश्यकताओं को पूरा करना है और उसका उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए किया गया है।

iv. बैंक के संगत-पार्टी लेन-देनों का प्रकटीकरण दि. 31.03.2017 के तुलन-पत्र की लेखा संबंधी टिप्पणी में किया गया है। संगत-पार्टी के लेन-देनों से संबंधित नीति निम्नलिखित वेबलिंक पर उपलब्ध है:
https://www.syndicatebank.in/downloads/Related-Party-Transanction-policy-25042016.pdf

v. ''महत्त्वपूर्ण समनुषंगी'' निर्धारण हेतु नीति निम्नलिखित वेबलिंक पर उपलब्ध है:
https://www.syndicatebank.in/downloads/Policy_on_Determination_of_material_subsidiary.pdf

vi. महत्त्वपूर्ण इवेंट के निर्धारण एवं प्रकटीकरण संबंधी नीति निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध है:
https://www.syndicatebank.in/downloads/Policy on determination and disclosure of material events.pdf

vii. कॉमोडिटी मार्केट गतिविधियों में बैंक भाग नहीं लेता है।

viii. बैंक ने जब से शेयरों को सूचीबद्ध किया है तब से पूँजी बाज़ार से संबंधित सभी मामलों का पालन किया है।

ix. जनहित में प्रकटीकरण व सूचनादाताओं की सुरक्षा संबंधी (पी.आई.डी.पी.आई.) प्रस्ताव के तहत की गई शिकायतों के बारे में बैंक चेतावनी सूचक नीति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निदेशों का पालन करता है। बैंक ने एक चेतावनी सूचक नीति बनाई है जो निम्न वेबलिंक पर उपलब्ध है:
https://www.syndicatebank.in/downloads/Whistle-Blower-Policy.pdf
किसी कार्मिक ने मंडल की लेखा परीक्षा समिति की कार्रवाई से इनकार नहीं किया है।

x. **दि. 31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाज़ार से संबंधित किसी भी मामले में शेयर बाज़ार या सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा बैंक पर न तो कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की आलोचना की गयी है ।**

Details of Special Resolutions passed through Postal Ballot, if any :

Provisions relating to Postal Ballot are not applicable to the Bank.

DISCLOSURES:

The Bank is governed under the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. SEBI has clarified that for listed entities which are not companies, but body corporate (e.g. private and public sector banks, financial institutions, insurance companies, etc.) incorporated under other statutes, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 will apply only to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines issued by the relevant regulatory authorities.

i. **Remuneration of Directors**

The Bank does not pay any remuneration to the non-executive Directors excepting sitting fees, which is as under:
For Board Meeting : ₹20,000/- per meeting
For Committee Meeting : ₹10,000/- per meeting

ii. **Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship**

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director(s) vis-à-vis the Bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or their relatives are discussed.

iii. **Proceeds from public issues, preferential issues, Bonds, etc.**

During the year under review, the Bank issued 9,51,27,908 (Nine Crore fifty one Lakh twenty seven thousand nine hundred and eight) equity shares of the face value of ₹10/- each for cash at an issue price of ₹77.79 (Rupees seventy seven and paise seventy nine only) per share aggregating to ₹740 Crore and 10,60,39,901 (Ten Crore Sixty Lakh thirty nine thousand nine hundred one) equity shares of the face value of ₹10/- each at an issue price of ₹73.18 to Government of India by way of Preferential Issue of Equity Shares aggregating up to ₹776.00 Crore.

The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier – I Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and to fund general business needs of the Bank and same were utilized for the said purpose.

iv. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Notes on Accounts of the Balance Sheet as on 31.03.2017. Policy on dealing with related party transactions is available under the following web link:
https://www.syndicatebank.in/downloads/Related-Party-Transaction-policy-25042016.pdf

v. Policy for determining "material subsidiaries" is available under the web link :
https://www.syndicatebank.in/downloads/Policy_on_Determination_of_material_subsidiary.pdf

vi. Policy on determination and disclosure of material events is available under the following web link :
https://www.syndicatebank.in/downloads/Policy_on_determination_and_disclosure_of_material_events.pdf

vii. The Bank does not undertake Commodity market activities.

viii. The Bank has complied with all matters related to Capital Market since its listing of shares.

ix. Bank follows Central Vigilance Commission guidelines on Whistle Blower Policy complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank has framed Whistle Blower Policy, which is available under the following web link:
https://www.syndicatebank.in/downloads/Whistle-Blower-Policy.pdf
No personnel has been denied access to the Audit Committee of the Board.

x. **There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the Stock Exchanges or SEBI or any other Statutory Authority on any matter related to Capital Markets during the last 3 years ended 31st March 2017**.

xi. बैंक ने वार्षिक आम बैठक आयोजित की है और पात्र शेयरधारकों को सांविधिक समय सीमा के भीतर लाभांश का भुगतान कर दिया है ।

xii. सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन 2015 के विनियमन 43ए के अनुसार बैंक ने लाभांश वितरण नीति बनाई है जो निम्नलिखित वेबलिंक पर उपलब्ध है ।
https://www.syndicatebank.in/downloads/Dividend-Distribution-Policy.pdf

xiii. सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 17 (8) के अंतर्गत सी.ई.ओ. और सी.एफ.ओ. के प्रमाणपत्रों को बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

xiv. सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 34(3) तथा अनुसूची V(ई) के अनुसार वर्ष 2016-2017 के लिए बैंक ने कॉर्पोरेट अभिशासन से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जिसकी प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

xv. सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 40(09) के अनुसार, प्रस्तुतीकरण के एक माह के भीतर अन्य बातों के साथ-साथ अंतरण, संप्रेषण, उप-विभाजन, समेकन, नवीकरण और ईक्विटी शेयरों के विनिमय के संबंध में व्यवसायी कंपनी सचिव यानी मेसर्स के. के. राव एण्ड एसोसिएट्स, हैदराबाद से हर छह महीने में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाता है । उक्त प्रमाण-पत्रों को उसकी प्राप्ति की तारीख से 24 घंटों के भीतर बी.एस.ई. और एन.एस.ई. को अग्रेषित कर दिया जाता है।

xvi. सेबी परिपत्र सं. डी. एण्ड सी.सी./एफ.आइ.टी.टी.सी./सी.आइ.आर. 16 दि. 31.12.2002 (ईक्विटी सूचीकरण करार विनियम 55ए) के अनुसार बैंक ने दोनों निक्षेपगारों यानी एन.एस.डी.एल. तथा सी.डी.एस.एल. के साथ कुल स्वीकृत पूंजी तथा बैंक की कुल निर्गत और सूचीबद्ध पूंजी के समाधान के उद्देश्य से और सेबी के निर्देशों के अंतर्गत आनेवाले अन्य मामलों में एक व्यवसायी कंपनी सचिव यानी मेसर्स के. के. राव एण्ड एसोसिएट्स, हैदराबाद द्वारा त्रैमासिक आधार पर सचिवीय लेखा परीक्षा की जाती है। **इस संबंध में निर्गत रिपोर्ट को क्रमश: दि. 12.04.2016, 08.07.2016, 17.10.2016 और 09.01.2017 को बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और तिमाही की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर बी.एस.ई. तथा एन.एस.ई. को अग्रेषित किया गया जहाँ पर बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है ।**

xvii. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3) के तहत भारत सरकार द्वारा बैंक का बोर्ड गठित है। सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 की अनुसूची II के भाग ई में उल्लिखित निम्नलिखित लागू विवेकाधिकार अपेक्षाओं का पालन करने के लिए बैंक कदम उठा रहा है:

- असंशोधित लेखा परीक्षा राय सहित वित्तीय विवरण संबंधी व्यवस्था की ओर अग्रसर होना।
- शेयरधारकों के प्रत्येक परिवार को, पिछले छ: महीनों के महत्वपूर्ण आयोजनों की संक्षिप्त विवरणी निहित वित्तीय निष्पादन के प्रकटीकरण को अर्धवार्षिक आधार पर भेजना।

xviii. बैंक, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनिमय 46 के उप-विनियम के खंड (बी) (i) एवं विनियम 17 से 27 में विनिर्दिष्ट कारपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।

संप्रेषण माध्यम

बैंक के परिचालन तथा वित्तीय निष्पादन से संबंधित जानकारी, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से दी जाती है, जिसमें कारपोरेट अभिशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखे, नकदी प्रवाह विवरण इत्यादि शामिल होते हैं। बैंक के निष्पादन/वित्तीय परिणामों, प्रेस विज्ञप्ति, विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुति की सूचना समाचार पत्रों, बैंक के वेबसाइट (www.syndicatebank.in) तथा स्टॉक एक्स्चेंजों की सूचना के ज़रिए शेयरधारकों को भी नियमित आधार पर दी जाती है। इसके अतिरिक्त, बैंक के त्रैमासिक/अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणामों को राष्ट्रीय अंग्रेज़ी समाचार पत्र जैसे, इकॉनॉमिक टाइम्स, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड आदि के साथ स्थानीय समाचार पत्र, उदयवाणी में प्रकाशित किया जाता है ।

xi. The Bank conducted the Annual General Meeting and paid dividend as and when declared, to the eligible shareholders within the statutory time frame.

xii. In terms of Regulation 43A of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation, 2015, Bank has framed Dividend Distribution Policy which is available under the following web link: https://www.syndicatebank.in/downloads/Dividend-Distribution-Policy.pdf

xiii. The Certificate of CEO and CFO in terms of Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this Report.

xiv. In terms of Regulation 34(3) and Schedule V(E) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a certificate has been obtained from the Auditors on Corporate Governance in the Bank for the year 2016-17 and the same is annexed to this Report.

xv. As required under Regulation 40(09) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a certificate is obtained every six months from a practicing Company Secretary viz. M/s. K K Rao and Associates, Hyderabad, with regard to inter-alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares within one month of the lodgement. The certificates are forwarded to BSE and NSE, within 24 hours of receipt.

xvi. In terms of SEBI's Circular No. D&CC/FITTC/CIR-16 dated 31.12.2002 (Regulation 55A of the equity listing agreement, a Secretarial Audit is conducted on a quarterly basis by a Practicing Company Secretary, viz. M/s. K K Rao and Associates, Hyderabad, for the purpose of reconciliation of the total admitted capital with both depositories i.e. NSDL and CDSL and the total Issued and Listed Capital of Syndicate Bank and in respect of other matters covered under the directions of SEBI. **Reports issued in this regard were placed before the Board of Directors of the Bank on 12.04.2016, 08.07.2016, 17.10.2016 and 09.01.2017, respectively and forwarded within 30 days from the end of the quarter to BSE and NSE, where the equity shares of the Bank are listed.**

xvii. Board of the Bank is constituted by Government of India in terms of Section 9(3) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980. Bank is taking steps for complying with the following applicable discretionary requirements as specified in Part E of Schedule II of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

- To move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.
- To send a half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, to each household of shareholders.

xviii. Bank is in compliance with Corporate Governance requirements specified in regulation 17 to 27 and clause (b) (i) of sub-regulation (s) of regulation 46 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

MEANS OF COMMUNICATION:

The information about the operations and financial performance of the Bank is mainly provided through the Annual Report of the Bank, which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors' Report, Audited Accounts, Cash Flow Statements, etc. The shareholders are also intimated of the Bank's performance/financial results, press releases, presentations made to analysts, on a regular basis through newspapers and Website of the Bank (www.syndicatebank.in), besides Notice to Stock Exchanges. Further, the quarterly/half-yearly financial results are published in the National English newspapers like Economic Times, Business Line, Business Standard, etc., and in the Regional newspaper, Udayavani.

वर्ष के दौरान, बैंक के त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक/वार्षिक परिणामों को अन्य समाचार पत्रों के अलावा निम्नलिखित समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया :

अवधि	समाचार पत्र का नाम		प्रकाशन की तारीख
	अंग्रेजी	कन्नड़	
मार्च 2016 को समाप्त वर्ष	बिजनेस स्टैंडर्ड	**उदयवाणी**	18.05.2016
जून 2016 को समाप्त तिमाही	फायनांशियल एक्सप्रेस	**प्रजावाणी**	29.07.2016
सितंबर 2016 को समाप्त अर्ध-वर्ष	बिजनेस स्टैंडर्ड	**विजय कर्नाटक**	27.10.2016
दिसंबर 2016 को समाप्त तिमाही	फायनांशियल एक्सप्रेस	**प्रजावाणी**	01.02.2017

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 33(3) एवं 52 के अनुसार, वित्तीय परिणाम एवं मूल्य संवेदी सूचना (ओं) की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत की जाती है।

शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी:

अठारहवीं वार्षिक आम बैठक एवं वित्तीय कैलेण्डर

बैंक के शेयरधारकों की अठारहवीं वार्षिक आम बैठक सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल - 576 104 में, दिनांक 23 जून, 2017 को प्रातः **10.00 बजे होगी और वर्ष 2017-2018 के लिए बैंक का वित्तीय कैलेण्डर निम्नानुसार है:**

क्र.सं.	कार्यकलाप का स्वरूप	तारीख
1.	31.03.2017 के वार्षिक वित्तीय लेखों का बोर्ड की बैठक द्वारा अनुमोदन एवं अंतिम लाभांश, यदि हो, की सिफारिश करना आदि	09.05.2017
2.	वार्षिक रिपोर्टों का प्रेषण	25.05.2017 से 30.05.2017 तक
3.	बही बंदी (दोनों दिन सहित)	17.06.2017 से 23.06.2017 तक
4.	प्रॉक्सी फार्मों की प्राप्ति की अंतिम तारीख	17.06.2017
5.	अठारहवीं वार्षिक आम बैठक	23.06.2017
6.	प्रथम तीन तिमाहियों के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का प्रकाशन	तिमाही की समाप्ति से 45 दिनों के भीतर
7.	पत्र-व्यवहार का पता	कंपनी सचिव, सिंडिकेट बैंक, निवेशक संपर्क केंद्र, कॉरपोरेट कार्यालय, गांधीनगर, बेंगलूरु - 560 009

सूचीकरण:

बैंक के शेयरों का निम्नलिखित स्टॉक एक्स्चेंजों में सूचीकरण किया गया है :

क्र.सं.	एक्स्चेंज का नाम	स्क्रिप कूट
ए.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड "एक्स्चेंज प्लाज़ा", बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051	–SYNDIBANK–
बी.	बंबई स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड फिरोज जीजीभाई टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400 001	532276

During the year, the quarterly/half yearly/annual results of the Bank were published in the following newspapers in addition to other newspapers:

Period	Name of the Daily		Date of Publication
	English	Kannada	
Year ended March 2016	Business Standard	**Udayavani**	18.05.2016
Quarter ended June 2016	Financial Express	**Prajavani**	29.07.2016
Half year ended September 2016	Business Standard	**Vijaya Karnataka**	27.10.2016
Quarter ended December 2016	Financial Express	**Prajavani**	01.02.2017

In terms of Regulation 33(3) and 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Financial Results and the price sensitive information(s) are furnished to stock exchanges.

GENERAL INFORMATION TO SHAREHOLDERS:

Eighteenth Annual General Meeting and the Financial Calendar:

The Eighteenth Annual General Meeting of the shareholders of the Bank will be held at Syndicate Bank Golden Jubilee Auditorium, Manipal – 576 104, on 23.06.2017 at **10.00 a.m. and Financial Calendar of the Bank for the year 2017-2018 is as follows.**

Sl. No.	Nature of activity	Date
1.	Board Meeting to approve Annual Financial Accounts as at 31.03.2017 and recommending Dividend, if any , etc.	09.05.2017
2.	Mailing of Annual Reports	25.05.2017 to 30.05.2017
3.	Book Closure (Both days inclusive)	17.06.2017 to 23.06.2017
4.	Last date for receipt of Proxy Forms	17.06.2017
5.	Eighteenth Annual General Meeting	23.06.2017
6.	Publication of un-audited financial results for the first 3 quarters	Within 45 days from the end of the quarter
7.	Address for Correspondence	The Company Secretary, Syndicate Bank, Investor Relations Centre, Corporate Office, Gandhinagar, Bengaluru – 560 009

Listing:

The shares of the Bank are listed at the following Stock Exchanges:

Sl. No.	Name of the Exchange	Scrip Code
a.	National Stock Exchange of India Ltd. "Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400 051	– SYNDIBANK–
b.	BSE Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001	532276

नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा बैंक को आबंटित आई.एस.आई.एन. कूट आई.एन.ई. 667ए 01018 है ।

दि. 31.03.2018 तक का वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान नियत तारीखों के भीतर संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को कर दिया गया है।

शेयर बाजार आंकड़े

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बी.एस.ई.) और नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एन.एस.ई.) के साथ किये गए शेयर लेन-देन की प्रमात्रा एवं मासिक उच्च तथा निम्न भाव दर निम्नानुसार हैं :

वर्ष-माह	बंबई स्टॉक एक्स्चेंज			नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज		
	उच्च (₹)	निम्न (₹)	लेन-देन की प्रमात्रा (सं.)	उच्च (₹)	निम्न (₹)	लेन-देन की प्रमात्रा (सं.)
2016 – अप्रैल	73.10	65.20	43,16,788	70.30	67.50	30,17,461
2016 – मई	72.30	59.50	95,78,983	67.60	63.45	42,98,358
2016 – जून	73.85	63.25	88,66,277	73.50	72.50	33,09,846
2016 – जुलाई	82.25	72.50	93,52,565	77.60	75.40	38,40,556
2016 – अगस्त	78.60	69.90	60,58,628	78.55	76.80	36,01,573
2016 – सितंबर	80.80	71.35	50,39,254	74.15	71.50	52,24,955
2016 – अक्तूबर	79.40	70.00	44,25,273	74.50	73.25	2,98,232
2016 – नवंबर	75.35	61.20	56,45,705	67.75	65.85	19,03,559
2016 – दिसंबर	68.35	59.20	26,42,091	62.50	61.10	12,83,964
2017 – जनवरी	71.00	60.85	36,90,372	70.30	66.50	69,15,429
2017 – फरवरी	74.00	66.25	53,49,036	69.80	68.35	17,02,551
2017 – मार्च	72.35	65.50	40,97,226	72.35	70.50	22,87,842

बीएसई बैंकेक्स एवं सीएनएक्स पीएसयू बैंक की तुलना में बैंक के शेयर मूल्य का निष्पादन निम्नवत है:

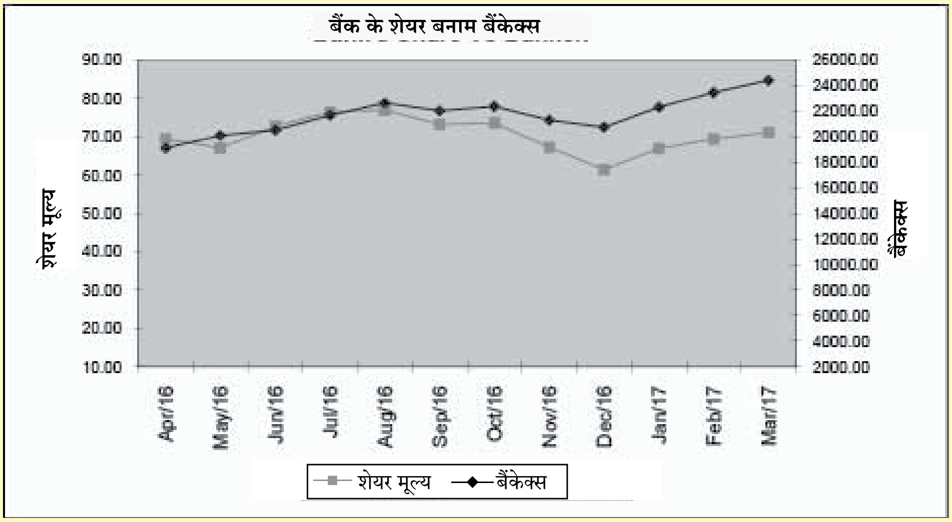

The ISIN Code allotted by National Securities Depositories Limited for the Bank is INE667A01018.

The Annual Listing fees upto 31.03.2018 have been paid to both the Stock exchanges within the prescribed due dates.

STOCK MARKET DATA

The monthly high & low quotations and the quantity of Shares traded on Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) and National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) during the Financial Year 2016-2017 is as follows:

Year-Month	BSE			NSE		
	High (₹)	Low (₹)	Traded Quantity (No.s)	High (₹)	Low (₹)	Traded Quantity (No.s)
2016– April	73.10	65.20	43,16,788	70.30	67.50	30,17,461
2016– May	72.30	59.50	95,78,983	67.60	63.45	42,98,358
2016– June	73.85	63.25	88,66,277	73.50	72.50	33,09,846
2016– July	82.25	72.50	93,52,565	77.60	75.40	38,40,556
2016– Aug	78.60	69.90	60,58,628	78.55	76.80	36,01,573
2016– Sept	80.80	71.35	50,39,254	74.15	71.50	52,24,955
2016– Oct	79.40	70.00	44,25,273	74.50	73.25	2,98,232
2016– Nov	75.35	61.20	56,45,705	67.75	65.85	19,03,559
2016– Dec	68.35	59.20	26,42,091	62.50	61.10	12,83,964
2017– Jan	71.00	60.85	36,90,372	70.30	66.50	69,15,429
2017– Feb	74.00	66.25	53,49,036	69.80	68.35	17,02,551
2017 – Mar	72.35	65.50	40,97,226	72.35	70.50	22,87,842

Performance of the Bank's Share Price vis-à-vis BSE Bankex and CNX PSU Bank are as under:

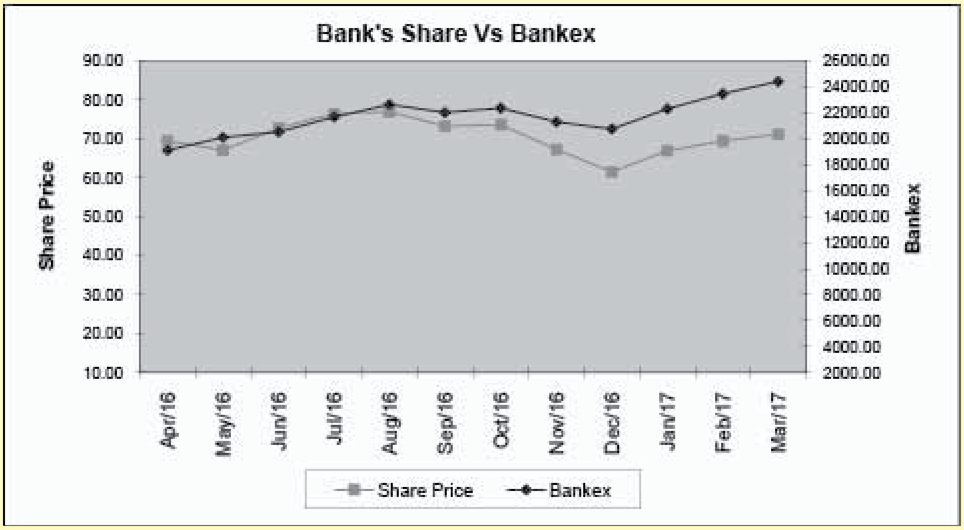

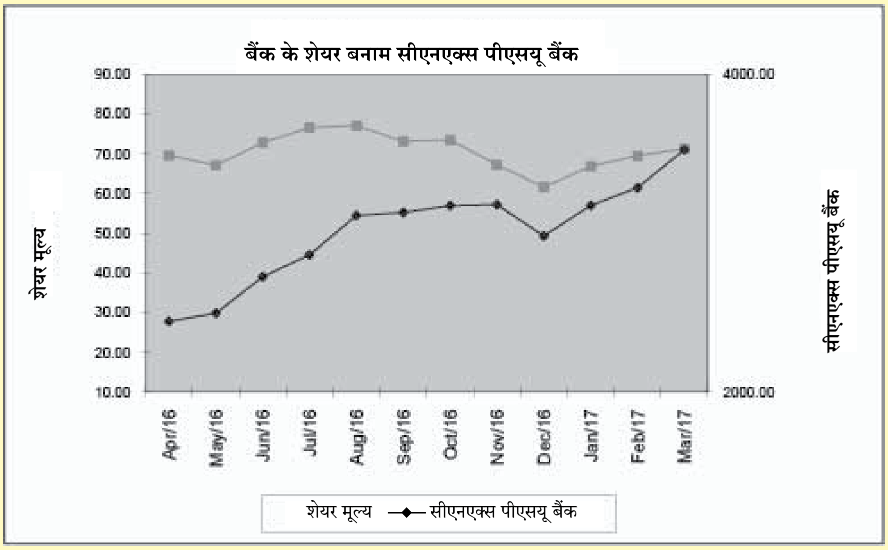

शेयर अंतरण प्रणाली, रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट

(ए) कागज़ी शेयर

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी कागज़ी शेयरों का अंतरण रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के पास दर्ज करने की तारीख से एक महीने की अवधि के अंदर प्रभावी हैं। बैंक द्वारा जारी किए गए शेयरों के प्रभावी अंतरण हेतु बोर्ड ने शेयर अंतरण समिति का गठन किया है जिसकी नियमित अन्तरालों में बैठक होती हैं ।

बैंक ने मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को अपने रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया है । रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ताओं के कार्यालय द्वारा शेयर अंतरण, लाभांश का भुगतान एवं सभी अन्य निवेशकों संबंधी कार्यकलाप देखे जाते हैं और संसाधित किए जाते हैं । शेयरधारक, अंतरण पत्र एवं कोई अन्य दस्तावेज, परिवाद तथा शिकायतें रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ताओं को नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं :

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्राइवेट) लिमिटेड
यूनिट : सिंडिकेटबैंक
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट सं. 31-32, गचीबौली
फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद – 500 032
दूरभाष : 040 67162222 अथवा 040 67161516 (सीधा)
फैक्स : 040-23420814
टोल फ्री सं : 1800-345-4001
ई-मेल : support@karvy.com

(बी) बेकागज़ी शेयर

बैंक के शेयरों का लेन-देन नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज आफ इण्डिया लिमिटेड के पास अनिवार्य रूप से आई एस आई एन कूट आइ एन ई 667A01018 और बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. के पास स्क्रिप कूट सं. 532276 के अंतर्गत किया जाता है। नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) बैंक के शेयरों को बेकागज़ीकृत रूप में रखनेवाले डिपॉजिटरी हैं।

दि. 31.03.2017 तक, बैंक के कुल शेयर होल्डिंग के 97.58 प्रतिशत को बेकागज़ीकृत किया गया है और केन्द्र सरकार द्वारा 65,95,62,697 ईक्विटी शेयर के रूप में रखी गयी संपूर्ण शेयर पूंजी जो कुल प्रदत्त पूंजी का 72.92 प्रतिशत है, बेकागज़ीकृत फार्म में है।

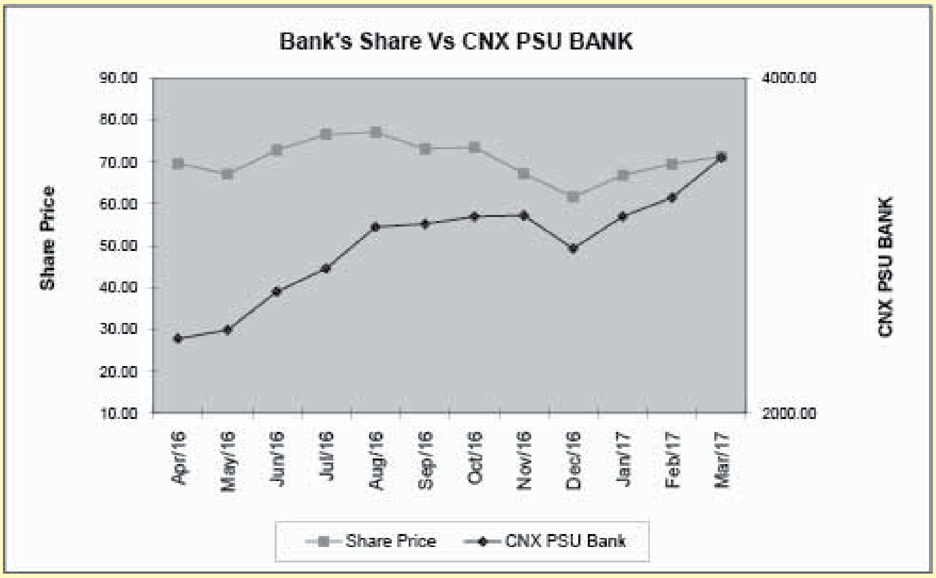

SHARE TRANSFER SYSTEM, REGISTRAR AND TRANSFER AGENTS

(a) Physical Shares

The Bank ensures that all transfers of physical shares are duly effected within a period of one month from the date of their lodgment with the Registrar and Share Transfer Agents. The Board has constituted Share Transfer Committee, which meets at regular intervals for effecting transfer of shares issued by the Bank.

The Bank has appointed M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad as its Registrar and Share Transfer Agents. Share transfers, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of the Registrar and Share Transfer Agents. Shareholders can lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints with the Registrar and Transfer agents at the following address:

M/s. Karvy ComputerShare (P) Ltd.
Unit: Syndicate Bank
Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 - 32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032
Phone No. 040 67162222 or 040 67161516 (D)
Fax No. 040 23420814
Toll Free No. 1800-345-4001
Email:support@karvy.com

(b) Shares in demat form

The Bank's shares are traded compulsorily in demat mode under ISIN Code INE667A01018 with National Stock Exchange of India Ltd. and Scrip Code No.532276 with Bombay Stock Exchange Ltd. The National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Central Depository Services Ltd. (CDSL) are the depositories holding the Bank's share in demat mode.

As on 31.03.2017, 97.58% of the total shareholding of the Bank has been dematerialized and the entire share capital held by the Central Government i.e. 65,95,62,697 equity shares constituting 72.92% of the total paid-up capital is in dematerialized form.

दि. 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों द्वारा बेकागज़ी रूप में और कागज़ी रूप में रखे गए शेयरों के विवरण:

	शेयरधारकों की संख्या	कुल की प्रतिशतता	शेयरों की संख्या	कुल की प्रतिशतता
ए. कागज़ी	1,06,905	41.09	2,17,92,243	2.42
बी. बेकागज़ी				
• एन.एस.डी.एल.	1,09,804	42.21	20,32,25,763	22.45
• सी.डी.एस.एल.	43,437	16.70	67,95,21,432	75.13
कुल	**2,60,146**	**100.00**	**90,45,39,438**	**100.00**

शेयरधारण का पैटर्न

दि. 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार शेयरधारण पैटर्न (ईक्विटी शेयर पूंजी) निम्नानुसार है:

क्र. सं.	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
ए.	**प्रवर्तक का धारण**		
1	प्रवर्तक		
	भारत सरकार	**65,95,62,697**	**72.92**
	विदेशी प्रवर्तक	शून्य	
2	सहमति से कार्य करनेवाले व्यक्ति	शून्य	
	कुल	**65,95,62,697**	**72.92**
बी.	**गैर–प्रवर्तक धारण**		
3	संस्थागत निवेशक		
ए.	म्यूच्युअल फंड्स	**26,92,031**	**0.30**
बी.	बैंक, वित्तीय संस्थाएँ	**13,17,679**	**0.15**
सी.	बीमा कंपनियाँ	**10,55,11,003**	**11.66**
डी.	एफ.आई.आई.	**31,56,509**	**0.35**
ई.	विदेशी पोर्टफोलियों निवेशक	**3,36,78,776**	**3.72**
एफ.	विदेशी नागरिक	**0**	**0.00**
	उप–जोड़	**14,63,55,998**	**16.18**
4	अन्य		
ए.	निजी कॉरपोरेट निकाय	1,11,46,343	1.23
बी.	भारतीय जनता	8,40,92,252	9.30
सी.	एनआरआई/ओसीबी	24,53,348	0.27
डी.	एनबीएफ सी	39,581	0.00
ई.	अन्य	8,89,219	0.09
	उप–जोड़	**9,86,20,743**	**10.90**
	गैर–प्रवर्तक धारण की जोड	**24,49,76,741**	**27.08**
	कुल जोड़	**90,45,39,438**	**100.00**

दि. 31.03.2017 की स्थिति में 1% से अधिक के चुकता शेयर पूँजी रखनेवाले शेयरधारकों के ब्यौरे :

श्रेणी	शेयरधारकों के नाम	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
प्रवर्तक	**भारत का राष्ट्रपति, भारत सरकार** निदेशक, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), संसद मार्ग, नई दिल्ली	65,95,62,697	72.92
बीमा	**भारतीय जीवन बीमा निगम**	10,19,88,886	11.28
	कुल	76,15,51,583	**84.20**

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the Shareholders as on 31.03.2017 are as under:

	No. of Shareholders	% to Total	No. of Shares	% to Total
A. PHYSICAL	1,06,905	41.09	2,17,92,243	2.42
B. DEMAT				
• NSDL	1,09,804	42.21	20,32,25,763	22.45
• CDSL	43,437	16.70	67,95,21,432	75.13
TOTAL	**2,60,146**	**100.00**	**90,45,39,438**	**100.00**

Shareholding Pattern

The shareholding pattern (equity share capital) as on 31.03.2017 is as follows:

Sl. No.	Category	No. of Shares Held	Percentage of Shareholding
A	**Promoter's Holding**		
1	Promoters		
	Government of India	**65,95,62,697**	**72.92**
	Foreign promoters	NIL	
2	Persons acting in concert	NIL	
	Total	**65,95,62,697**	**72.92**
B	**Non - Promoter Holding**		
3	Institutional Investor		
a	Mutual Funds	**26,92,031**	**0.30**
b	Banks, Financial Institutions	**13,17,679**	**0.15**
c	Insurance Companies	**10,55,11,003**	**11.66**
d	FII's	**31,56,509**	**0.35**
e	Foreign Portfolio Investors	**3,36,78,776**	**3.72**
f	Foreign Nationals	**0**	**0.00**
	Sub Total	**14,63,55,998**	**16.18**
4	Others		
a	Private Corporate Bodies	1,11,46,343	1.23
b	Indian Public	8,40,92,252	9.30
c	NRIs/OCBs	24,53,348	0.27
d	NBFCs	39,581	0.00
e	Any Others	8,89,219	0.09
	Sub Total	**9,86,20,743**	**10.90**
	Total Non-Promoters Holding	**24,49,76,741**	**27.08**
	Grand Total	**90,45,39,438**	**100.00**

Details of shareholding of more than 1% of the paid up share capital as on 31.03.2017.

Category	Name of the Shareholder	No. of Shares	% of Shareholding
Promoters	**President of India, Government of India** The Director, Ministry of Finance Department of Economic Affairs (Banking Division) Sansad Marg, New Delhi	65,95,62,697	72.92
Insurance	**Life Insurance Corporation of India**	10,19,88,886	11.28
	Total	76,15,51,583	**84.20**

दि. 31.03.2017 की स्थिति में शेयर वितरण पैटर्न

क्र.सं.	नाममात्र मूल्य के शेयरधारण (₹)	शेयरधारकों की संख्या	कुल की प्रतिशतता	शेयरों की सं.	रकम (₹)	कुल की प्रतिशतता
1	1 - 500	237623	91.34	40371447	403714470.00	4.46
2	501 - 1000	13238	5.09	10353449	103534490.00	1.14
3	1001 - 2000	5161	1.98	7678630	76786300.00	0.85
4	2001 - 3000	1422	0.55	3648158	36481580.00	0.40
5	3001 - 4000	664	0.26	2394414	23944140.00	0.26
6	4001 - 5000	561	0.22	2638974	26389740.00	0.29
7	5001 - 10000	749	0.29	5478950	54789500.00	0.61
8	10001 - 50000	564	0.22	11418810	114188100.00	1.26
9	50001 - 100000	74	0.03	5294753	52947530.00	0.60
10	100001 and above	90	0.03	815261853	8152618530.00	90.13
	TOTAL:	**260146**	**100.00**	**904539438**	**9045394380.00**	**100.00**

दि. 31.03.2017 की स्थिति में शेयरधारकों का भौगोलिक फैलाव

स्थान	कागज़ी			बेकागजी			कुल		
	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता
दिल्ली									
–भारत सरकार	0	0	0	1	659562697	72.92	1	659562697	72.92
– अन्य	10411	2142481	0.24	12909	5456992	0.60	23320	7599473	0.84
बेंगलूर	3345	669600	0.07	7107	3555827	0.39	10452	4225427	0.47
चेन्नई	6611	1732401	0.19	11266	7363222	0.81	17877	9095623	1.01
हैदराबाद	3848	828827	0.09	6043	3807237	0.42	9891	4636064	0.51
कोलकाता	1355	327101	0.04	4567	3284716	0.36	5922	3611817	0.40
मंगलूर	1585	337425	0.04	2798	1313867	0.15	4383	1651292	0.18
मुंबई	3922	949113	0.10	14901	160582578	17.75	18823	161531691	17.86
उडुपि	74133	14468595	1.60	91333	36761427	4.06	165466	51230022	5.66
अन्य स्थान	1695	336700	0.04	2316	1058632	0.12	4011	1395332	0.15
कुल	**106905**	**21792243**	**2.41**	**153241**	**882747195**	**97.58**	**260146**	**904539438**	**100.00**

स्थायी खाता संख्या (पैन)

सेबी के निदेशों और सूचीकरण करार में किए गए संशोधन के अनुसार, कागजी शेयरों के निम्नलिखित लेन-देनों के लिए अंतरिती/अंतरितियों द्वारा पैन कार्ड की साक्ष्यांकित प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है :

- शेयरों का अंतरण (शेयरों के अंतरण में अंतरणकर्ता का पैन कार्ड भी अपेक्षित है)
- दिवंगत शेयरधारकों के नाम को हटाना
- विधिक वारिस के नाम पर शेयरों को अंतरित करना
- शेयरों का क्रम परिवर्तन - यदि नामों के क्रम में परिवर्तन हो
- पते में हुए परिवर्तन को नोट करने के लिए
- ई. सी. एस. अधिदेश नोट करने के लिए

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एन.ई.सी.एस.)

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एन.ई.सी.एस.) भुगतान की एक आधुनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लाभांश/ब्याज आदि की राशि सीधे संबंधित निवेशकों के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। बैंक ने शेयरधारकों को राष्ट्रीय ई.सी.एस. सुविधा के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शामिल किए गए सभी केंद्रों में सुविधा प्राप्त करने के विकल्प के साथ यह सेवा प्रदान की है।

एनईसीएस अधिदेश प्रपत्र वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

Distribution Pattern as on 31.03.2017

Sl. No.	Shareholding of Nominal Value of (₹)	No. of Shareholders	% age of Total	No. of Shares	Amount (₹)	% age of Total
1	1 - 500	237623	91.34	40371447	403714470.00	4.46
2	501 - 1000	13238	5.09	10353449	103534490.00	1.14
3	1001 - 2000	5161	1.98	7678630	76786300.00	0.85
4	2001 - 3000	1422	0.55	3648158	36481580.00	0.40
5	3001 - 4000	664	0.26	2394414	23944140.00	0.26
6	4001 - 5000	561	0.22	2638974	26389740.00	0.29
7	5001 - 10000	749	0.29	5478950	54789500.00	0.61
8	10001 - 50000	564	0.22	11418810	114188100.00	1.26
9	50001 - 100000	74	0.03	5294753	52947530.00	0.60
10	100001 and above	90	0.03	815261853	8152618530.00	90.13
	TOTAL:	**260146**	**100.00**	**904539438**	**9045394380.00**	**100.00**

Geographical Spread of Shareholders as on 31.03.2017

Places	PHYSICAL			DEMAT			TOTAL		
	No. of Share-holders	No. of Shares	% Holding	No. of Share-holders	No. of Shares	% Holding	No. of Share-holders	No. of Shares	% Holding
Delhi									
- GOI	0	0	0	1	659562697	72.92	1	659562697	72.92
- Others	10411	2142481	0.24	12909	5456992	0.60	23320	7599473	0.84
Bangalore	3345	669600	0.07	7107	3555827	0.39	10452	4225427	0.47
Chennai	6611	1732401	0.19	11266	7363222	0.81	17877	9095623	1.01
Hyderabad	3848	828827	0.09	6043	3807237	0.42	9891	4636064	0.51
Kolkata	1355	327101	0.04	4567	3284716	0.36	5922	3611817	0.40
Mangalore	1585	337425	0.04	2798	1313867	0.15	4383	1651292	0.18
Mumbai	3922	949113	0.10	14901	160582578	17.75	18823	161531691	17.86
Udupi	74133	14468595	1.60	91333	36761427	4.06	165466	51230022	5.66
Others	1695	336700	0.04	2316	1058632	0.12	4011	1395332	0.15
TOTAL	**106905**	**21792243**	**2.41**	**153241**	**882747195**	**97.58**	**260146**	**904539438**	**100.00**

PERMANENT ACCOUNT NUMBER (PAN)

As per SEBI directive and amendment to the Listing Agreement, submission of attested copy of PAN card by the Transferee/s, is made mandatory for the following type of transactions of physical shares:

- Transfer of Shares (PAN Card of the transferor is also required in respect of transfer of shares)
- Deletion of name of the deceased shareholder/s.
- Transmission of shares to the legal heir/s
- Transposition of shares – when there is a change in the order of names
- For noting Change of Address
- For noting ECS Mandate

National Electronic Clearing Services (NECS)

National Electronic Clearing Services (NECS) is a modern method of payment where the amounts of dividend /interest, etc. are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under National ECS facility.

NECS mandated form is appended with the Annual Report.

नामांकन सुविधा

बैंक का प्रत्येक शेयरधारक किसी भी समय निर्धारित ढंग से किसी एक व्यक्ति को नामित कर सकता है, जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात् बैंक में धारित शेयर प्रदान किए जा सकें । जहाँ शेयर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित हैं तो संयुक्त धारक मिलकर नियत तरीके से एक व्यक्ति को नामित करें जिससे सभी संयुक्त धारियों की मृत्यु के संदर्भ में बैंक शेयरों के सभी हक प्रदान किए जा सकें।

तदनुसार, कागज़ी रूप से शेयरों को रखनेवाले शेयरधारी बैंक के साथ या रजिस्ट्रार और बैंक के अंतरण अभिकर्ताओं के साथ विधिवत भरे गए फार्म 2बी (संलग्न) दायर करके नामांकन सुविधा प्राप्त कर सकते हैं । बेकागज़ीकृत शेयरों के संदर्भ में निक्षेपण सहभागी द्वारा नियत की गई प्रक्रिया के अनुसार नामांकन किया जा सकता है।

अदावी लाभांश

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 जो दि. 16.10.2006 से लागू है, के अनुसार बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 में एक नयी धारा 10 बी. शामिल की गयी है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :

i. यदि कोई शेयरधारक लाभांश घोषित करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि समाप्ति के बाद 7 दिनों के भीतर लाभांश का नकदीकरण/दावा नहीं किया है तो बैंक के चालू खाते में रही ऐसी रकम को ''वर्ष .... के लिए सिंडिकेटबैंक के अप्रदत्त लाभांश'' नामक एक पृथक खाते में अंतरित किया जाए।

ii. ''अप्रदत्त लाभांश खाते'' में अंतरित धन राशि जो ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावी रहती है तो, उक्त धनराशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आई ई पी एफ) को अंतरित किया जाए।

तदनुसार, पिछले वर्षो से संबंधित अप्रदत्त लाभांश को सिंडिकेटबैंक अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित किया गया है। अतएव, ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अप्रदत्त या अदावी रहनेवाली ऐसी धनराशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत अपेक्षित, बैंक के वर्ष 2000-2001 से 2007-2008 तक के अंतिम लाभांश के अप्रदत्त लाभांश खाते की शेष राशि को कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आई ई पी एफ) में 2014, 2015 और 2016 के दौरान अंतरित किया गया था जिनके ब्यौरे क्रम सं. 1 से 16 तक निम्न प्रकार है:

क्रम सं.	अप्रदत्त लाभांश के ब्यौरे	घोषणा की तारीख	आई ई पी एफ में अंतरित राशि (₹)	आई ई पी एफ में अंतरण की तारीख
1	लाभांश 1999-2000	25.05.2000	21,73,984/-	25.07.2014
2	लाभांश 2000-01	02.07.2001	42,90,243/-	25.07.2014
3	लाभांश 2001-02	30.05.2002	51,25,533/-	17.07.2014
4	लाभांश 2002-03	11.06.2003	65,93,738/-	18.07.2014
5	अंतरिम लाभांश 2003-04	10.12.2003	49,85,761/-	18.07.2014
6	अंतिम लाभांश 2003-04	11.06.2004	46,27,478/-	18.07.2014
7	अंतरिम लाभांश 2004-05	31.03.2005	29,47,635/-	18.07.2014
8	अंतिम लाभांश 2004-05	07.06.2005	59,01,848/-	18.07.2014
9	अंतरिम लाभांश 2005-2006	16.02.2006	63,69,848/-	18.07.2014
10	अंतिम लाभांश 2005-2006	20.07.2006	45,89,891/-	18.07.2014
11	अंतरिम लाभांश 2006-2007	20.12.2006	61,04,266/-	18.07.2014
12	अंतिम लाभांश 2006-2007	16.07.2007	63,66,422/-	16.08.2014
13	अंतरिम लाभांश 2007-2008	11.04.2008	78,19,953/-	11.05.2015
14	अंतिम लाभांश 2007-2008	18.07.2008	67,27,757/-	17.08.2015
15	अंतिम लाभांश 2008-2009	29.04.2009	85,69,040/-	23.05.2016
16	अंतिम लाभांश 2008-2009	21.07.2009	89,21,209/-	19.08.2016
	कुल		**9,21,14,606**	

NOMINATION FACILITY

Every shareholder of the Bank may, at any time, nominate, in the prescribed manner, a person to whom his/her shares in the Bank shall vest in the event of his/her death. Where more than one person holds the shares jointly, the joint holders may together nominate, in the prescribed manner, a person to whom all the rights in the shares of the Bank shall vest, in the event of death of all the joint holders.

Accordingly, the shareholders holding the shares in physical form can avail the nomination facility by filing Form 2B (annexed) with the Bank or with the Registrars and Share Transfer Agents of the Bank. In case of dematerialised holdings, nomination may be done as per the procedure prescribed by Depository Participant.

UNCLAIMED DIVIDEND

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, which has come into force on 16.10.2006, has inserted a new Section 10 B in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, which provides as under:

i. Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed / claimed the dividend, such amounts lying in the bank current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend of SyndicateBank for the year ...."

ii. Any money transferred to the Unpaid Dividend account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 125 of the Companies Act, 2013.

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend accounts of Syndicate Bank and hence, such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund.

Amounts lying under unpaid dividend accounts from 2000-2001 till Final 2007-2008 of the Bank, numbering 16 detailed hereunder were transferred to Investor Education Protection Fund (IEPF) maintained by Ministry of Corporate Affairs, New Delhi, during 2014, 2015 and 2016 as required under Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970:

Sl. No.	Details of Unpaid Dividend	Date of Declaration	Amount transferred to IEPF (₹)	Date of transfer to IEPF
1	Dividend 1999-2000	25.05.2000	21,73,984/-	25.07.2014
2	Dividend 2000-2001	02.07.2001	42,90,243/-	25.07.2014
3	Dividend 2001-2002	30.05.2002	51,25,533/-	17.07.2014
4	Dividend 2002-2003	11.06.2003	65,93,738/-	18.07.2014
5	Interim Dividend 2003-2004	10.12.2003	49,85,761/-	18.07.2014
6	Final Dividend 2003-2004	11.06.2004	46,27,478/-	18.07.2014
7	Interim Dividend 2004-2005	31.03.2005	29,47,635/-	18.07.2014
8	Final Dividend 2004-2005	07.06.2005	59,01,848/-	18.07.2014
9	Interim Dividend 2005-2006	16.02.2006	63,69,848/-	18.07.2014
10	Final Dividend 2005-2006	20.07.2006	45,89,891/-	18.07.2014
11	Interim Dividend 2006-2007	20.12.2006	61,04,266/-	18.07.2014
12	Final Dividend 2006-2007	16.07.2007	63,66,422/-	16.08.2014
13	Interim Dividend 2007-2008	11.04.2008	78,19,953/-	11.05.2015
14	Final Dividend 2007-2008	18.07.2008	67,27,757/-	17.08.2015
15	Interim Dividend 2008-2009	29.04.2009	85,69,040/-	23.05.2016
16	Final Dividend 2008-2009	21.07.2009	89,21,209/-	19.08.2016
	TOTAL		**9,21,14,606**	

बैंक के अन्य अप्रदत्त लाभांश खातों के विवरण तथा आईईपीएफ में अंतरण हेतु नियत तिथि निम्नलिखित है:

क्रम सं.	अप्रदत्त लाभांश के ब्यौरे	चालू खाता सं.	घोषणा की तिथि	दि. 31.03.2017 को शेष (₹)	आईईपीएफ में अंतरण हेतु नियत तारीख
1.	लाभांश 2009-10	3008.101.8416	06.07.2010	1,68,23,100	06.08.2017
2.	लाभांश 2010-11	3008.101.8720	07.07.2011	2,16,73,061	07.08.2018
3.	लाभांश 2011-12	3008.101.9176	27.07.2012	2,54,81,997	17.09.2019
4.	लाभांश 2012-13	3008.101.9567	28.06.2013	4,35,68,862	28.07.2020
5.	अंतरिम लाभांश 2013-14	3008.101.9793	28.01.2014	1,98,43,806	28.02.2021
6.	अंतिम लाभांश 2013-2014	3008.101.9943	27.06.2014	2,02,33,408	27.07.2021
7.	लाभांश 2014-2015	3008.101.10283	08.07.2015	3,19,38,362	08.08.2022

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों को नहीं भुनाया है, उनसे अनुरोध है कि सहायता हेतु बैंक के निवेशक संपर्क केंद्र, कारपोरेट कार्यालय, बेंगलूरू से संपर्क करें।

निवेशकों के नाम तथा लाभांश के वर्ष सहित अप्रदत्त लाभांशों के विवरण भी शेयरधारकों के लिए बैंक के वेबसाइट पर शेयरहोल्डर्स इन्फोर्मेशन के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है।

बकाया जीडीआर/एडीआर या अन्य परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और ईक्विटी पर संभाव्य प्रभाव:

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य परिवर्तनीय लिखतों को जारी नहीं किया है।

बॉण्ड

पूंजी वृद्धि के उद्देश्य से बैंक ने ईक्विटी में परिवर्तित न होने योग्य असुरक्षित एवं प्रतिदेय बॉण्ड जारी किया है। दि. 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार बकाया रहनेवाले ऐसे बॉण्ड के विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	श्रेणी सं.		हिताधिकारियों की सं.	आईएसआईएन सं.	राशि ₹ करोड में	ब्याज दर	जारी करने की तारीख	परिपक्वता की तारीख	न्यासी का नाम और पता
1.	X	लोवर टियर II	2	आईएनई667A09136	300.00	8.60	26.12.2008	26.12.2018	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. एशियन बिल्डिंग 17 R, ,कमानी मार्ग बलार्ड इस्टेट, मुंबई- 400 001 ई-मेल : itsl@idbitrustee.co.in दूरभाष : 022-66311771-3
2.	XI	लोवर टियर II	4	आईएनई667A09151	200.00	8.49	15.06.2009	15.06.2019	
3.	आईपीडीआई I*	टियर I	71	आईएनई667A09102	240.00	9.90	25.03.2008	बेमीयादी	
4.	आईपीडीआई II	टियर I	152	आईएनई667A09110	339.00	9.40	12.01.2009	बेमीयादी	
5.	आईपीडीआई III	टियर I	49	आईएनई667A09128	194.00	8.90	29.06.2009	बेमीयादी	
6.	XII	लोवर टियर II	9	आईएनई667A09144	1000.00	9.00	31.12.2012	31.12.2022	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लि. दूसरा तल, एक्सिस हाउस बाम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई – 400 025 दूरभाष : 022-2425 5215/2425 5216
7.	बासेल III	टियर II	15	आईएनई667A09169	750.00	8.95	02.12.2014	02.12.2024	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि., एपीजे हाउस, छठा तल, 3 दिनशॉ वाछा रोड, चर्च गेट, मुंबई – 400 005 दूरभाष : 022-43055555 ई-मेल : corporate@sbicaptrustee.com
8.	बासेल III	टियर II	8	आईएनई667A09177	400.00	8.75	23.03.2015	23.03.2025	
9.	बासेल III	टियर II	13	आईएनई667A08013	1000.00	8.58	28.09.2015	28.09.2025	
10.	बासेल III	टियर II	12	आईएनई667A08021	750.00	8.62	18.12.2015	18.12.2025	
11.	बासेल III	एटी I एसआर I	381	आईएनई667A08039	370.00	11.25	30.03.2016	बेमीयादी	
12.	बासेल III	एटी I एसआर II	1	आईएनई667A08047	500.00	11.25	30.03.2016	बेमीयादी	
13.	बासेल III	एटी I एसआर III	157	आईएनई667A08054	930.00	11.25	15.07.2016	बेमीयादी	
14.	बासेल III	एटी I एसआर IV	9	आईएनई667A08070	1000.00	9.95	24.10.2016	बेमीयादी	
			883	**कुल**	**7973.00**				

* आईपीडीआई – नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत

The Details of other Unpaid Dividend accounts of the Bank and the due date for transfer to IEPF are as under:

Sl. No.	Details of Unpaid Dividend	Current Account No.	Date of Declaration	Balance as on 31.03.2017 (₹)	Due date of transfer to IEPF
1	Dividend 2009-10	3008.101.8416	06.07.2010	1,68,23,100	06.08.2017
2	Dividend 2010-11	3008.101.8720	07.07.2011	2,16,73,061	07.08.2018
3	Dividend 2011-12	3008.101.9176	27.07.2012	2,54,81,997	17.09.2019
4	Dividend 2012-13	3008.101.9567	28.06.2013	4,35,68,862	28.07.2020
5	Interim Dividend 2013-14	3008.101.9793	28.01.2014	1,98,43,806	28.02.2021
6	Final Dividend 2013-14	3008.101.9943	27.06.2014	2,02,33,408	27.07.2021
7	Dividend 2014-15	3008.101.10283	08.07.2015	3,19,38,362	08.08.2022

Such of those shareholders, who have not encashed their Dividend Warrants, are requested to approach Investor Relations Centre of the Bank at Corporate Office, Bengaluru for assistance.

Details of unpaid dividends containing names of the investor and Year of Dividend have also been placed on the website of the Bank under shareholders information.

Outstanding GDRs/ADRs or any Convertible Instruments, Conversion Date and likely impact on Equity:
The Bank has not issued any GDRs / ADRs / warrants or any convertible instruments.

Bonds:
Bank has raised unsecured, redeemable bonds in order to augment capital, which are not convertible to equity. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2017 are as follows:

Sl. No.	Series No.		No. of Benefi-ciaries	ISIN No.	Size ₹ in Crore	Interest Rate	Date of Issue	Date of Maturity	Trustee Name & Address
1	X	Lower Tier II	2	INE667A09136	300.00	8.60	26.12.2008	26.12.2018	IDBI Trusteeship Services Ltd. Asian Building 17 R Kamani Marg, Ballard Estate Mumbai – 400 001 e-mail: itsl@idbitrustee.co.in Tel:022-6631 1771- 3.
2	XI	Lower Tier II	4	INE667A09151	200.00	8.49	15.06.2009	15.06.2019	
3	IPDI I*	Tier I	71	INE667A09128	240.00	9.90	25.03.2008	Perpetual	
4	IPDI II	Tier I	152	INE667A09144	339.00	9.40	12.01.2009	Perpetual	
5	IPDI III	Tier I	49	INE667A09169	194.00	8.90	29.06.2009	Perpetual	
6	XII	Lower Tier II	9	INE667A09177	1000.00	9.00	31.12.2012	31.12.2022	AXIS Trustee Services Ltd. 2nd Floor, Axis House, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai – 400 025 Tel: 022-2425 5215/2425 5216
7	Basel III	Tier II	15	INE667A08013	750.00	8.95	02.12.2014	02.12.2024	SBICAP Trustee Company Ltd. Apeejay House, 6th Floor 3 Dinshaw Wachha Road Churchgate Mumbai – 400 005 Tel: 022-4305 5555 e-mail: corporate@sbicaptrustee.com
8	Basel III	Tier II	8	INE667A08021	400.00	8.75	23.03.2015	23.03.2025	
9	Basel III	Tier II	13	INE667A08039	1000.00	8.58	28.09.2015	28.09.2025	
10	Basel III	Tier II	12	INE667A08047	750.00	8.62	18.12.2015	18.12.2025	
11	Basel III	AT I SR. I	381	INE667A08062	370.00	11.25	30.03.2016	Perpetual	
12	Basel III	AT I SR. II	1	INE667A08054	500.00	11.25	30.03.2016	Perpetual	
13	Basel III	AT I SR.III	157	INE667A08070	930.00	11.25	15.07.2016	Perpetual	
14	Basel III	AT I SR.IV	9	INE667A08088	1000.00	9.95	24.10.2016	Perpetual	
			883	**TOTAL**	**7973.00**				

* IPDI – Innovative Perpetual Debt Instruments

अदावी शेयर

''सेबी'' द्वारा अपने परिपत्र सं सेबी/सीएफडी/डीआईएल/एलए/1/2009/24/04, दिनांक 24.04.2009 के जरिए प्रस्तुत सूचीकरण समझौते के खंड 5 ए में कथित नियमों के अनुसार बैंक द्वारा अदावी शेयरों को किसी एक निक्षेपागार सहभागी के पास जारीकर्ता द्वारा खोले गए डीमैट उचंत खाते में जमा किया जाए।

बैंक, एफपीओ के अदावी शेयरों के संबंध में एक एस्क्रो खाता रखता है। दि. 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, उक्त खाते के ब्यौरे निम्नवत् हैं:

निक्षेपागार सहभागी का नाम	**सिंडिकेटबैंक**
डीपीआईडी/सीएलआईडी	1305060000006734
नाम	सिंडिकेटबैंक - अदावी उचंत खाता-डीमैट शेयर
निक्षेपागार सहभागी का पता	सिंडिकेटबैंक, बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद - 500 034

बैंक के अदावी शेयरों (बेकागज़ी) के विवरण निम्नवत् हैं:

विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
1. पिछले वर्ष के प्रारंभ में यानी दि. 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	111	20525
2. उन शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2016-17 के दौरान उचंत खाते से शेयरों के निर्गम/रजिस्टर के लिए संपर्क किया है	0	0
3. उन शेयरधारकों की संख्या जिनके मामले में वर्ष 2016-17 के दौरान उचंत खाते से शेयरों को अंतरित किया गया है।	0	0
4. वर्ष के अंत में यानी दि. 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	111	20525

दि. 31.03.2017 की स्थिति में बैंक कागजी रूप में रखे गए अदावी शेयरों के संबंध में निम्नलिखित एस्क्रो खाता रखता है :

निक्षेपागार सहभागी का नाम	सिंडिकेटबैंक
डीपीआईडी/सीएलआईडी	1305060000006734
नाम	सिंडिकेटबैंक - अदावी उचंत खाता-कागजी शेयर
निक्षेपागार सहभागी का पता	सिंडिकेटबैंक, बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद - 500 034

बैंक के अदावी शेयरों (कागजी) के विवरण निम्नवत् हैं:

विवरण	मामलों की सं.	शेयरों की सं.
1. पिछले वर्ष के प्रारंभ में अर्थात दि. 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	531	95400
2. उन शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2016-17 के दौरान उचंत खाते से शेयरों के निर्गम/रजिस्टर के लिए संपर्क किया है	4	700
3. उन शेयरधारकों की संख्या जिनको वर्ष 2016-17 के दौरान उचंत खाते से शेयरों को अंतरित किया गया है।	4	700
4. वर्ष के अंत में अर्थात दि. 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कुल शेयरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेयरों की संख्या	527	94700

अदावी शेयरों पर मतदान का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक उन शेयरों का सही मालिक उन पर अपना दावा नहीं करता।

सेबी विनियमावली, 1992/2015 (भेदिया व्यापार प्रतिबंध) का अनुपालन

उक्त विनियमावली के अनुसार, बैंक ने प्रतिभूतियों के लेन-देन हेतु पदनामित कर्मचारियों और निदेशकों के लिए भेदिया व्यापार को रोकने हेतु आचार संहिता निरूपित की है। इन विनियमों की शर्तों के अनुसार बैंक के पदनामित कर्मचारियों और निदेशकों से आवधिक सूचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न फार्म तैयार किए गए हैं । पुन:, बैंक के निदेशकों और पदनामित कर्मचारियों द्वारा बैंक शेयरों के लेन-देन हेतु ट्रेडिंग विंडो निम्नलिखित विवरण के अनुसार बंद कर दिया गया है:

Unclaimed Shares

In terms of Clause 5A of the Listing Agreement introduced by SEBI, vide their circular no. SEBI/CFD/DIL/LA/1/2009/24/04 dated 24.04.2009, the unclaimed shares of the Bank in respect of Demat Shares shall be credited to a demat Suspense account opened by the issuer with one of the depository participants.

The Bank is maintaining an Escrow account relating to Unclaimed Shares of FPO as per following details as on 31.03.2017:

Name of the Depository Participant	SyndicateBank
DPID/CLID	1305060000006734
Name	SyndicateBank – Unclaimed Suspense Account – Demat Shares
Address of the Depository Participant	SyndicateBank, Banjara Hills Branch, Hyderabad 500 034

The details of Unclaimed Shares of the Bank (Demat) are as under:

Particulars	No. of cases	No. of shares
1. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the beginning of the previous year i.e. as on 01.04.2016	111	20525
2. Number of shareholders who approached for issue / Register of shares from suspense account during the year 2016-17	0	0
3. Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year 2016-2017	0	0
4. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the end of the year i.e. as on 31.03.2017	111	20525

The Bank is maintaining an Escrow account relating to Unclaimed Shares issued in physical form as per following details as on 31.03.2017:

Name of the Depository Participant	SyndicateBank
DPID/CLID	1305060000006734
Name	SyndicateBank – Unclaimed Suspense Account – Physical Shares
Address of the Depository Participant	SyndicateBank, Banjara Hills Branch, Hyderabad 500 034

The details of Unclaimed Shares of the Bank (Physical) are as under:

Particulars	No. of cases	No. of shares
1. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the beginning of the previous year i.e. as on 01.04.2016	531	95400
2. Number of shareholders who approached for issue / Register of shares from suspense account during the year 2016-17	4	700
3. Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year 2016-17	4	700
4. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the end of the year i.e. as on 31.03.2017	527	94700

Voting rights on the unclaimed shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

COMPLIANCE WITH SEBI (PROHIBITION OF INSIDER TRADING) REGULATIONS, 1992 /2015

In pursuance of the Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in securities of the Bank. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and Directors of the Bank, as required in terms of these regulations. Further, the trading Window for dealing in shares of the Bank was closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details:

ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की तारीख	बंद करने का उद्देश्य
दि. 07.05.2016 से 19.05.2016 तक	31 मार्च 2016 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय परिणामों की घोषणा तथा वर्ष 2015-2016 के लिए लाभांश, यदि हो।
दि. 20.07.2016 से 30.07.2016 तक	30 जून 2016 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा
दि. 17.10.2016 से 28.10.2016 तक	30 सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा
दि. 22.01.2017 से 02.02.2017 तक	31 दिसंबर 2016 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा

बैंक ने सेबी (भेदिया व्यापार प्रतिबंध) विनियमावली, 2015 के संदर्भ में आचार संहिता बनाई है, जो 16.05.2015 से प्रभावी है।

टेक ओवर संहिता

बैंक ने समय-समय पर संशोधित, सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेक ओवर) विनियमावली, 2011 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कारोबार दायित्व रिपोर्ट 2016-2017

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 का विनियम 34

भाग ए : कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1. बैंक की कार्पोरेट पहचान संख्या (सी आई एन)	लागू नहीं
2. बैंक का नाम	सिंडिकेटबैंक
3. प्रधान कार्यालय	मणिपाल – 576 104
4. वेबसाइट	www.syndicatebank.in
5. ई-मेल	inrc@syndicatebank.co.in
6. रिपोर्ट की गई वित्तीय वर्ष	2016-2017
7. उस क्षेत्र का नाम जिसमें बैंक जुड़ा हो (औद्योगिक गतिविधि कूटवार)	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं
8. 3 मुख्य उत्पाद/सेवाएँ जिन्हें उत्पादनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है (जैसा कि तुलन पत्र में है)	जमा उत्पाद, ऋण उत्पाद तथा विप्रेषण इत्यादि
9. कंपनी द्वारा कारोबार किये जाने के कुल स्थानों की संख्या स्थानों की संख्या I. राष्ट्रीय II. अंतर्राष्ट्रीय	 दिनांक 31.03.2017 की स्थिति में 3932 शाखाएं 1 (लंदन)
10. कंपनी द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराए जानेवाले बाजार – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर	राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक की शाखाएं हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूके में बैंक की शाखा है।

Dates of closure of Trading Window	Purpose of closure
From 07.05.2016 to 19.05.2016	Declaration of Annual Financial Results for the quarter and year ended 31st March 2016 and dividend for 2015-16 if any.
From 20.07.2016 to 30.07.2016	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 30th June 2016.
From 17.10.2016 to 28.10.2016	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 30th September 2016.
From 22.01.2017 to 02.02.2017	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 31st December 2016.

Bank has framed code of conduct in terms of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, which is effective from 16.05.2015.

Takeover Code

The Bank has complied with the applicable provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended, from time to time

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT– 2016-2017

Regulation 34 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Section A: General Information about the Company

1. Corporate Identity Number (CIN) of the Company	Not Applicable
2. Name of the Company	Syndicate Bank
3. Head Office	Manipal 576 104
4. Website	www.syndicatebank.in
5. Email	inrc@syndicatebank.co.in
6. Financial Year Reported	2016-2017
7. Sectors that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Financial Services
8. List of 3 key products/services that the manufacturers provides (as in Balance Sheet)	Deposit Products, Loan Products and Remittances etc.
9. Total number of locations where business activity is undertaken by the Company No. of Locations I. National II. International	 3932 branches as on 31.03.2017 1 (London)
10. Markets served by the Company-Local/State/National/International	National and International Markets Bank has branches in all the States and Union Territories of India and International presence in UK

भाग बी : बैंक के वित्तीय विवरण

1. चुकता पूंजी (भारतीय रुपये)	₹904.53 करोड़
2. कुल लेन-देन (भारतीय रुपये)/राजस्व	₹26461.18 करोड़
3. कर के बाद कुल लाभ (भारतीय रुपये)	₹358.95 करोड़
4. कर (%) पश्चात लाभ की प्रतिशतता के रूप में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्च	वर्ष 2016-17 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों के अंतर्गत ₹1.45 करोड खर्च हुई है।
5. कार्यकलापों की सूची जिन पर उपर्युक्त (4) खर्च हुई है।	बैंक द्वारा निम्नांकित सीएसआर क्रियाकलाप किया जा रहा है: ए) बैंक के परिचालन क्षेत्र में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आयोजन करना बी) प्राकृतिक आपदाओं का घटाना सी) समाज के गरीब वर्गों की स्वास्थ्य सुविधाओं में विकास लाना डी) पूँजी पर अनाश्रित संस्थाओं में शैक्षिक सुविधाओं का विकास करना ई) कला एवं संस्कृति का प्रचार -प्रसार एफ) बैंकिंग से संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना जी) स्वच्छ भारत अभियान- पूर्ण स्वच्छता हासिल करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय अभियान एच) स्वच्छ विद्यालय मिशन- देशभर में स्थित विभिन्न विद्यालयों को शौचालय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया आई) खेल को बढ़ावा देना और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना जे) जल स्रोतों का उन्नयन के) कोई अन्य योग्य सामाजिक कारण वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण योगदान: एम्बुलेंस का दान, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण, राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ), भारतीय पैरालिंपिक खेल अकादमी और विकल युद्धवीर निधि को अंशदान, छात्रों की शिक्षा संबंधी खर्चों के लिए वित्तीय सहायता, आधुनिक शिक्षण उपकरण प्रदान करना, आदिवासी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास, वंचित छात्रों व न्यून आय विद्यालय के छात्रों की शिक्षा हेतु समर्थन प्रदान करना, यूनिफार्म, बुक, लेखन-सामग्री आदि प्रदान करना, दिव्यांग, दृष्टिहीन और गरीब मरीजों को विभिन्न अस्पतालों में सहयोग प्रदान करना आदि ।

Section B: Financial Details of the Company

1. Paid up Capital (INR)	₹904.53 Crore
2. Total Turnover (INR) / Revenue	₹26461.18 Crore
3. Total Profit after Tax (INR)	₹358.95 Crore
4. Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of Profit after Tax (%)	Amount spent under CSR activity during 2016-17 is ₹1.45 Crore
5. List of the activities in which expenditure on (4) above has been incurred:	The Bank is undertaking CSR activities for a. Community development activities in the areas of operation of the Bank. b. Mitigating natural calamities. c. Development of Health Care facilities for poorer sections of the society. d. Development of Educational facilities at Institutions, not dependent on Capital fees. e. Promotion of Art and Culture. f. Activities to encourage research and development in fields related to Banking. g. "Swachh Bharat Abhiyaan": A national movement, launched by Govt. of India to achieve total sanitation and cleanliness. h. "Swachh Vidyalaya Mission": Launched by Govt. of India with a mission to provide toilets in different schools across the country. i. Promoting sports and recognizing the performance of outstanding sportspersons. j. Upkeep of water bodies. k. Any other worthy social causes. Some of the major contributions under Corporate Social Responsibility during the financial year 2016-17 are: Donation of ambulance, construction of toilets under Swachh Bharat Abhiyan, contribution to National Sports Development Fund (NSDF), Paralympic Sports Academy of India and Disabled War Veterans. Financial assistance towards study expenses of children, providing Modern Educational Aids, education of tribal children, Senior Citizens' Home, supporting education of disadvantaged group of children, poor students studying in low income schools, providing uniforms, books, stationery items, etc., supporting physically challenged, blind and poor patients in various hospitals, etc.

भाग सी : अन्य विवरण

1. क्या बैंक की कोई सहायक बैंक/कंपनियाँ है/हैं	हाँ 1. सिंडबैंक सर्विसेस लिमिटेड
2. क्या सहायक बैंक अपने मूल बैंक के बीआर पहल का कार्यान्वयन करती हैं ? यदि हाँ, तो ऐसे सहायक बैंकों की संख्या	▪ सिंडबैंक सर्विसेस लिमिटेड के पिछले 3 वर्षों का निवल लाभ बड़े पैमाने पर किसी भी सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए पर्याप्त नहीं था।
3. कोई अन्य संस्था/संस्थाएं (उदाहरण, आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि), जिनके साथ बैंक का कारोबार हो, क्या बैंक के बी आर पहल में शामिल होते है? यदि हाँ, तो ऐसी संस्था/संस्थाओं की प्रतिशतता (30% से कम, 30% से 60%, 60% से अधिक)	नहीं

भाग डी : बी आर सूचना

1. बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण

I. बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार निदेशक/निदेशकों के विवरण

डीआईएन संख्या	लागू नहीं
नाम	लागू नहीं
पदनाम	लागू नहीं

II. बीआर प्रमुख के ब्यौरे

क्रम सं.	ब्यौरे	विवरण
1.	डीआईएन सं. (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2.	नाम	श्री ए स्टीवन वास
3.	पदनाम	महा प्रबंधक
4.	दूरभाष	080 22201903
5.	ई-मेल आईडी	gmplanning@syndicatebank.co.in

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियाँ : (हाँ/नहीं में जवाब दें)

क्र. सं.	प्रश्न	व्यवसाय सार	उत्पाद दायित्व	कर्मचारियों का कल्याण	हितधारकों की वचनबद्धता	मानवाधिकार	पर्यावरण	सार्वजनिक नीति	समावेशी वृद्धि	ग्राहक संपर्क
1.	क्या आपके पास इनके लिए नीति/नीतियाँ हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2.	क्या संबंधित हितधारकों के संपर्क से इन नीतियों को सूत्रबद्ध किए जा रहे हैं ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करती है ? यदि हाँ तो (50 शब्दों में) स्पष्ट करें।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	क्या यह नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हाँ, तो क्या यह प्रबंध निदेशक/मालिक/सीईओ/उचित बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5.	क्या कंपनी में इस नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए बोर्ड/निदेशक/कर्मचारियों की समिति निर्धारित की गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6.	नीति को ऑनलाईन देखने के लिए लिंक के ब्यौरे दें?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7.	क्या इस नीति से संबंधित आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों को औपचारिक रूप से अवगत कराया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

Section C: Other Details

1. Does the Bank have any Subsidiary Company / Companies:	YES 1. SyndBank Services Ltd.
2. Do the subsidiaries implement BR initiatives of the parent company? If YES, then indicate the number of such subsidiaries.	• Net profit of SyndBank Services Ltd for last 3 years was not sufficient to carry out any social responsibility in large scale.
3. Do any other entity / entities (e.g., suppliers, distributors etc.) that the Bank does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity / entities? (Less than 30%, 30%-60%, more than 60%).	NO

Section D: BR Information

1. Details of Director / Directors responsible to BR

I. Details of the Director / Directors responsible for implementation of the BR policy / policies

DIN Number	NA
Name	NA
Designation	NA

II. Details of the BR head

Sl. No.	Particulars	Details
1	DIN No. (if applicable)	NA
2	Name	Sri A Steven Vas
3	Designation	General Manager
4	Telephone No.	080-22201903
5	e-mail id	gmplanning@syndicatebank.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy / Policies: (Reply in Y / N)

Sl. No.	Questions	Business Ethics	Product Responsibility	Well being of Employees	Stakeholder Engagement	Human Rights	Environment	Public Policy	Inclusive growth	Customer relations
1	Do you have a policy/policies for	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	Does the policy confirm to any national / international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD / Owner / CEO / appropriate Board Director	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board / Director / Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

8.	क्या बैंक में नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए आंतरिक ढांचा उपलब्ध है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9.	क्या बैंक के पास नीति/नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायत निवारण हेतु शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10.	क्या बैंक ने इस नीति के कार्य प्रचालन के लिए किसी आंतरिक/बाह्य एजेंसी से स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन करवाई है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

2ए. यदि क्रम सं. 1 के खिलाफ किसी भी सिद्धांत का उत्तर 'नहीं' है, तो ऐसा क्यों है? कृपया व्याख्या करें (2 विकल्पों तक चिह्न लगाएँ)

क्रम सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	बैंक इन सिद्धांतों को समझ नहीं पायी है									
2.	बैंक उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्धारित सिद्धांतों पर नीतियों को सूत्रबद्ध तथा कार्यान्वित कर सके									
3.	बैंक के पास इस कार्य हेतु वित्तीय अथवा मानव शक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।									
4.	इसे अगले 6 महीनों के भीतर करने हेतु योजना बनाई गयी है।									
5.	इसे अगले1 वर्ष के भीतर करने हेतु योजना बनाई गयी है ।									
6.	कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें)									

3. बीआर से संबन्धित अभिशासन

▪ निदेशक मंडल, बोर्ड समिति अथवा सीईओ द्वारा बैंक के बीआर निष्पादन के निर्धारण के अंतराल को दर्शाएँ	▪ **बीआर रिपोर्ट को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करके उसका अनुमोदन प्राप्त किया गया।**
▪ क्या बैंक बीआर अथवा धारणीय रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसे कितने अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है?	▪ इसे उचित समय पर उपलब्ध कराया जाएगा

भाग ई : सिद्धांत–वार निष्पादन

सिद्धांत 1: कारोबार का लेन–देन एवं अभिशासन उनकी नीति, पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के साथ की जानी चाहिए

1. क्या नैतिक मूल्य, घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार से संबन्धित पॉलिसी केवल बैंक तक ही सीमित है? क्या इसका विस्तार, समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर–सरकारी संगठनों/अन्य तक है?	▪ फरवरी 2006 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वतंत्र स्वायत्त पर्यवेक्षक के रूप में भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की स्थापना की ताकि यह सुनिश्चित की जा सके कि ग्राहकों को बैंक के साथ अपने लेन–देनों में बेहतर सेवा मिल सके । ▪ बीसीएसबीआई ने 'ग्राहक के प्रति बैंक प्रतिबद्धताओं की संहिता - जनवरी 2014' और 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति प्रतिबद्धताओं की संहिता - अगस्त 2015' का प्रकाशन किया जिससे बैंकों के अनुपालन हेतु बैंकिंग प्रक्रिया के न्यूनतम मानक तथा ग्राहक सेवा के बेंचमार्क तय किए गए । ▪ हमारा बैंक बीसीएसबीआई का एक सदस्य है और इसलिए, अपने ग्राहकों के साथ लेन–देनों में उपर्युक्त संहिताओं को अपने सर्वोत्तम व्यवहार संहिता के रूप में स्वैच्छिक रूप से अपनाया है । ▪ ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धताओं की संहिता कार्यान्वयन हेतु निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष रखा गया है । ▪ ग्राहक के प्रति प्रतिबद्धताओं की संहिता और एमएसई के प्रति प्रतिबद्धताओं की संहिता, ऋण से संबंधित कार्यों का विस्तार से वर्णन करती है, जिसमें ऋण आवेदनों की पावती, आवेदनों का निपटान, ग्राहकों को दी जानेवाली दस्तावेजों की प्रतियाँ, विभिन्न ऋण उत्पादों से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें इत्यादि शामिल हैं ।

8	Does the Bank have in-house structure to implement the policy / policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	Does the Bank have grievance redressal mechanism related address stakeholders' grievances related to the policy / policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	Has the Bank carried out independent audit / evaluation of the working of this policy by internal or external agencies?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

2a. If the answer to S. No. 1 against any principle is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

Sl. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The Bank has not understood the Principles									
2	The Bank is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The Bank does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within next 1 year									
6	Any other reason (Please specify)									

3. Governance related to BR

• Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Bank	• **BR Report was placed before the Board and its approval obtained**
• Does the Bank publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	• Would be made available in due course

Section E: Principle-wise-performance

Principle 1 : Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the Bank? Does it extend to the group / Joint Venture / Suppliers / Contractors / NGOs / Others?	• In February 2006, Reserve Bank of India set up the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) as an independent autonomous watchdog to ensure that customers get fair treatment in their dealings with Banks. • The BCSBI has published the "Code of Banks' Commitments to Customers-January 2014" and "Code of Commitment to Micro and Small Enterprises – August 2015" which sets out minimum standards of banking practice and benchmarks in customer service for banks to follow. • Bank is a member of BCSBI and has therefore, voluntarily adopted the above Codes as its Fair Practice Code in dealings with its customers. • Code of commitment to customers has been placed to the Customer Service Committee of the Board for implementation. • Code of commitment to customers and Code of commitment to MSE deal elaborately with credit functions including acknowledgement of credit applications, disposal of applications, copies of documents to be provided to customers, most important terms and conditions in respect of various loan products etc.

	▪ संहिता की पूरी प्रति www.syndicatebank.in पर उपलब्ध है। ▪ 'सिंडिकेटबैंक का सिटिजन चार्टर', बैंक की शाखाओं में ग्राहकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं/सेवाओं की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ▪ सिटिजन चार्टर के साथ उक्त संहिता से ग्राहकों के साथ बैंक के लेन-देनों में जवाबदेही, जिम्मेदारी एवं पारदर्शिता का उच्च स्तर सुनिश्चित किया जा सकेगा। ▪ चार्टर, बैंक की शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित व्यापक जानकारी भी उपलब्ध कराता है । इससे, बैंकर-ग्राहक के बीच सुदृढ़ संबंध स्थापित करने के लिए ग्राहकों के दायित्व की भी जानकारी मिलती है ।
2. गत वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा प्रबंधन द्वारा इनमें से कितने प्रतिशत शिकायतों का निवारण संतोषप्रद तरीके से किया गया। यदि हो तो, 50 शब्दों में इसके ब्यौरे दें।	
▪ वर्ष के शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	797
▪ वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	34083
▪ वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	33189
▪ वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	1691
▪ निवारण की गई शिकायतों की प्रतिशतता	97.38

सिद्धांत 2 : कारोबार द्वारा ऐसी वस्तुएँ तथा सेवाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए जो अपने संपूर्ण जीवन काल में सुरक्षित हो तथा अपने संपूर्ण जीवन काल तक बने रहे

1. आपके 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची जिन्हें सामाजिक या पर्यावरण सरोकारों, जोखिमों तथा/अथवा अवसरों को देखते हुए तैयार किया गया है।	बैंक निम्नांकित वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है जिनमें सामाजिक सरोकार और अवसरों को शामिल किया गया है: ▪ स्वयं सहायता समूह तथा संयुक्त देयता समूह ▪ वित्तीय साक्षरता केन्द्र और वित्तीय समावेशन संसाधन केन्द्र ▪ सिंडिकेट ग्रामीण विकास ट्रस्ट (एस आर डी टी) ▪ किसान क्लब एवं ग्रामीण विस्तार शिक्षा कार्यक्रम
2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, संसाधन के उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संदर्भ में उत्पाद की प्रति इकाई (वैकल्पिक): i) पूरे मूल्य कड़ी में पिछले वर्ष से प्राप्त वितरण/उत्पादन/सोर्सिंग के दौरान कटौती ii) उपभोक्ता द्वारा उपयोग के दौरान (ऊर्जा, जल) पिछले वर्ष से प्राप्त हुई कटौती	लागू नहीं
3. क्या बैंक में स्थिर सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए कोई कार्रवाई हो रही है i) यदि हाँ तो, आपके इनपुट का कितना प्रतिशत सस्टेनेबिलिटी सोर्स किया गया? साथ ही, 50 शब्दों में उसका विवरण प्रस्तुत करें	लागू नहीं लागू नहीं
4. क्या बैंक ने अपने कार्यस्थल के आस-पास के समुदायों सहित स्थानीय एवं लघु उत्पादकों से वस्तुओं एवं सेवाओं की प्राप्ति हेतु कोई कदम उठाए हैं? यदि हाँ तो, स्थानीय एवं लघु विक्रेताओं की क्षमता एवं सामर्थ्य को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?	हाँ ▪ परिवहन खर्च कम करने तथा समय की बचत करने के खास उद्देश्य से वस्तुएँ खरीदने में नजदीकी विक्रेताओं को प्राथमिकता दी जाती है ।
5. क्या बैंक के पास उत्पादों तथा अवशिष्टों को रीसाइकिल करने की व्यवस्था उपलब्ध है? यदि हाँ तो, उत्पादों तथा अवशिष्टों के रीसाइकिलिंग की प्रतिशतता दर्शाएँ (<5%, 5%-10% के रूप में अलग से)। साथ ही, 50 शब्दों में इसके ब्यौरे प्रस्तुत करें।	हाँ <5%

	• Complete copy of the Code is available at www.syndicatebank.in. • "Citizens' Charter of SyndicateBank" provides key information on various facilities/services provided to customers in the branches of the Bank. • The Code together with the Citizens' Charter will ensure high standards of accountability, responsibility and transparency in the Bank's dealings with customers. • The Charter also provides comprehensive information on Bank's Grievance redressal mechanism. It also specifies the obligations on the part of the customers for healthy banker-customer relationship.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	
• No. of complaints pending at the beginning of the year	797
• No. of complaints received during the year	34083
• No. of complaints redressed during the year	33189
• No. of complaints pending during the year	1691
• %age of complaints resolved	97.38

Principle 2 : Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List upto 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and / or opportunities.	Bank offers the following financial services which has incorporated social concerns, and opportunities: • Self Help Groups and Joint Liability Groups • Financial Literacy Centre and Financial Inclusion Resource Centres • Syndicate Rural Development Trust (SRDT) • Farmers' Clubs & Rural Extension Education Programmes
2. For each such product, provide in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional): i) Reduction during sourcing / production / distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since previous year?	NOT APPLICABLE
3. Does the Bank have proceedings in place for sustainable sourcing (including transportation) i) If yes, What percentage of your inputs was sourced sustainability? Also provide details thereof in about 50 words or so	NOT APPLICABLE NOT APPLICABLE
4. Has the Bank taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	YES • Preferably, the materials are sourced from nearby vendors to reduce transportation cost and time lag.
5. Does the Bank have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5%-10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	YES <5%

सिद्धांत 3 : कारोबार से समस्त कर्मचारियों के कल्याण में बढ़ावा मिले

<table>
<tr><td>1. कुल कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ</td><td>घरेलू : (अंशकालिक सफाई कर्मियों को छोड़कर)
32518</td></tr>
<tr><td>2. किराये पर/अस्थाई/ठेके पर/आकस्मिक आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शाएँ (वर्ष के दौरान)</td><td>बैंक, ठेका मज़दूर की सेवाओं का उपयोग नहीं करता है। तथापि, बैंक निजी सुरक्षा एजेन्सियों (पी एस ए) और अभिरक्षा सेवाओं का उपयोग कर रहा है।</td></tr>
<tr><td>3. स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ</td><td>8922</td></tr>
<tr><td>4. स्थायी विकलांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ</td><td>813</td></tr>
<tr><td>5. क्या आपके यहाँ कर्मचारी संघ हैं, जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त हो</td><td>हाँ</td></tr>
<tr><td>6. इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों की प्रतिशतता</td><td>सिंडिकेटबैंक अधिकारी संघ (एसबीओए) - 92.68%
सिंडिकेटबैंक कर्मचारी यूनियन (एसबीईयू) - 79.22%</td></tr>
<tr><td>7. पिछले वित्तीय वर्ष एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बालश्रम, जबरन मजदूरी, अस्वैच्छिक मजदूरी, यौन शोषण से संबंधित शिकायतों की कुल संख्या दर्शाएँ</td><td>
<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>श्रेणी</th><th>वित्तीय वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की सं.</th><th>वित्तीव वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की सं.</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>बालश्रम/जबरन मजदूरी/अस्वैच्छिक मजदूरी</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>यौन शोषण</td><td>6</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>भेदभाव रोजगार</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8. आपके निम्नलिखित कर्मचारियों की प्रतिशतता, जिन्हें पिछले वर्ष के दौरान सुरक्षा एवं कौशल स्तरोन्नयन प्रशिक्षण दिए गए?
▪ स्थायी कर्मचारी
▪ स्थायी महिला कर्मचारी
▪ अनियत/अस्थायी/ठेका कर्मचारी
▪ विकलांग कर्मचारी</td><td>

45.35%
46.97%
शून्य
42.80%</td></tr>
</table>

सिद्धांत 4 : कारोबार, समस्त हितधारकों, विशेषकर लाभ से वंचित, असुरक्षित तथा सीमांत हितधारकों के हितों का ख्याल रखें तथा उनके प्रति जवाबदेह हो

<table>
<tr><td>1. क्या बैंक ने अपने आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों की वित्तीय स्थिति का पता लगाया है? हाँ/नहीं</td><td>हाँ
• शेयरधारकों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसे, सरकारी, विदेशी संस्थागत निवेशक, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों, म्यूच्युअल फंड, बैंकों एवं वैयक्तिक
• ग्राहकों को बृहद कॉरपोरेट, मध्य कॉरपोरेट, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा खुदरा ग्राहकों में विभाजित किया गया है
• एच.आर.डी. विभाग बैंक कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखता है</td></tr>
<tr><td>2. उपर्युक्त में से, क्या बैंक ने सुविधाओं से वंचितों, असुरक्षित तथा सीमांत हितधारकों की पहचान की है?</td><td>हाँ
बैंक ने सुविधाओं से वंचित, असुरक्षित और सीमांत हितधारकों की पहचान भी की है, जिसमें लघु एवं सीमांत कृषक, काश्तकारी और पट्टाधारी किसान, भूमिहीन मजदूर और ग्रामीण महिलाएं शामिल हैं । इन्हें, विशेष ऋण सुविधाओं सहित किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि, आभूषण ऋण, संयुक्त देयता समूह आदि शामिल हैं, ताकि स्थानीय साहूकारों के चंगुल से किसानों को मुक्त किया जा सके और उनका पुनर्वास किया जा सके।</td></tr>
</table>

Principle 3 : Businesses should promote the well-being of all employees

<table>
<tr><td>1. Please indicate the Total number of employees</td><td colspan="4">Domestic: (excl. Part Time Sweepers)
32518</td></tr>
<tr><td>2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary / contractual / casual basis (during the year)</td><td colspan="4">The Bank does not engage contract labour. However, the Bank is utilizing the services of private security agencies (PSA) and ward services</td></tr>
<tr><td>3. Please indicate the number of permanent women employees</td><td colspan="4">8922</td></tr>
<tr><td>4. Please indicate the permanent number of employees with permanent disabilities</td><td colspan="4">813</td></tr>
<tr><td>5. Do you have an employee association that is recognized by the management</td><td colspan="4">YES</td></tr>
<tr><td>6. What percentage of your employees are members of this recognized employees association</td><td colspan="4">SyndicateBank Officers Association (SBOA) 92.68%
SyndicateBank Employees Union (SBEU) – 79.22%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year</td><td>Sr. No.</td><td>Category</td><td>No. of complaints filed during the financial year</td><td>No. of complaints pending as on end of the financial year</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Child labour / forced labour / involuntary labour</td><td>Nil</td><td>Nil</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sexual harassment</td><td>6</td><td>Nil</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Discriminatory Employment</td><td>Nil</td><td>Nil</td></tr>
<tr><td>8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?
• Permanent Employees
• Permanent Women Employees
• Casual / Temporary / Contractual Employees
• Employees with Disabilities</td><td colspan="4">

45.35%
46.97%
Nil
42.80%</td></tr>
</table>

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

<table>
<tr><td>1. Has the Bank mapped its internal and external stakeholders? Yes / No</td><td>YES
• Shareholders are classified into different categories viz. Government, Foreign Institutional Investors, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, Banks and Individuals.
• Customers are segmented into Large Corporate, Mid-Corporate, Small and Medium enterprises and retail customers.
• HRD dept. looks after the interest of the Bank Employees.</td></tr>
<tr><td>2. Out of the above, has the Bank identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?</td><td>YES
Bank has also identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders which include Small and Marginal Farmers, Tenant and Leased Farmers, Landless Labourers and Rural Women. They are provided with special credit facilities Kisan Credit Card, Agri. Jewel Loan, Joint Liability Group, etc., with the objective of liberating and rehabilitation of farmers from the clutches of local money lenders.</td></tr>
</table>

3. क्या बैंक द्वारा किया गया कोई भी विशेष पहल वहाँ वंचित, असुरक्षित और सीमांत हितधारकों से संबंधित है ? यदि हाँ तो, 50 शब्दों में तत्संबंधित ब्यौरा उपलब्ध कराएं।	हाँ सिंडिकेटबैंक और विजया बैंक ने दोनों बैंकों के अग्रणी जिलों में वित्तीय साक्षरता केंद्रों (पहले वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र के रूप में प्रसिद्ध) को खोलने के लिए दिनांक 20.10.2010 को मणिपाल में ज्ञान ज्योति एफएलसीसी ट्रस्ट की संयुक्त रूप से स्थापना की है । एफएलसीसी की स्थापना पर आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.02. 2009 के आधार पर जारी मॉडल योजना के अनुरूप एफएलसीसी की स्थापना की गई । बैंक की ओर से ट्रस्ट ने अब तक 55 एफएलसी को खोला है । मार्च 2016 को विजया बैंक ने ट्रस्ट से अपने को अलग किया है और कर्नाटक बैंक लिमिटेड, एपीजीबी तथा केवीजीबी ट्रस्ट संस्थागत प्रायोजक के रूप में जुड़ गए हैं। • बैंक की ओर से न्यास द्वारा 55 एफ एल सी खोले गए हैं। • आरंभ होने की तारीख से ट्रस्ट द्वारा 61518 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । • इन एफएलसी द्वारा 2617597 व्यक्तियों को परामर्श दिया गया ।

सिद्धांत 5 : व्यवसाय मानवाधिकारों को बढ़ावा एवं सम्मान देने वाला हो

1. क्या मानवाधिकारों पर बैंक की नीति केवल बैंक तक ही सीमित है या ग्रुप/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी फैला है?	बैंक के पास अलग से कोई मानवाधिकार नीति नहीं है। तथापि, ये पहलू बैंक की मानव संसाधन नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं।
2. पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक समाधान किया गया?	शून्य

सिद्धांत 6 : व्यवसाय से सम्मान, सुरक्षा मिले एवं वातावरण को बहाल करने का अवसर मिले

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल बैंक तक ही सीमित है या ग्रुप/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्य तक भी फैला है?	हरित पहल हेतु बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं: • जिन शेयरधारकों के ई-मेल आईडी पंजीकृत हैं, उन्हें वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के द्वारा भेजे जा रहे हैं। • जिन क्रेडिट कार्ड धारकों के ई-मेल आईडी पंजीकृत हैं, उन्हें विवरण ई-मेल के द्वारा भेजे जाते हैं, और • सभी विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं आदि के भुगतान केवल आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा किए जाते हैं।
2. क्या बैंक के पास वैश्विक वातावरण के मुद्दे, जैसे, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, आदि पर ध्यान देने के लिए कोई रणनीति/पहल उपलब्ध है? हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि हेतु हाईपरलिंक दें।	कई जगहों में बैंक पार्क एवं बगीचों का रख-रखाव करता है।
3. क्या बैंक को संभावित वातावरणीय जोखिम की पहचान है और वह वहाँ तक पहुँच रखता है ? हाँ / नहीं	हाँ
4. क्या बैंक की कोई स्वच्छ विकास नीति से संबंधित परियोजना है ? यदि हाँ, तो 50 शब्दों में तत्संबंधित ब्यौरा उपलब्ध कराएँ। साथहीं यदि हाँ, तो क्या कोई वातावरण अनुपालन दायर किया गया है ?	कारोबार की प्रकृति के तौर पर बैंक के पास कोई स्वच्छ विकास नीति नहीं है।

3. Are there any special initiative taken by the Bank to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	YES Syndicate Bank and Vijaya Bank have jointly established Jnana Jyothi FLCC Trust, Manipal on 20.10.2010 to set up Financial Literacy Centres (earlier called Financial Literacy and Credit Counselling Centres) in the Lead Districts of both the Banks. The FLCs are established on the lines of Model Scheme for setting up of FLCCs issued by RBI vide their circular dated 04.02.2009. The Trust has so far set up 55 FLCs on behalf of our Bank. Vijaya Bank has opted out of the trust in March 2016 and Karnataka Bank Ltd, APGB and KVGB have joined as institutional sponsors. • 55 FLCs are opened by the trust on behalf of the Bank; • 61518 programmes were conducted by the trust, since inception; • 2617597 individuals have been provided counseling through these FLCs.

Principle 5 : Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the Bank on human rights cover only the Bank or extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs/Others?	Bank does not have a separate Human Rights Policy. However these aspects are covered under Human Resources Policies and Practices of the Bank.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	NIL

Principle 6 : Business should respect, protect and make efforts to restore the environment

1. Does the policy relates to Principle 6 cover only the Bank or extends to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs/others.	Bank has taken the following steps towards Green Initiative: • Sending Annual Reports through email to the Shareholders whose email ids are registered; • Credit Card statements are sent to the card holders whose email ids are registered; and • All payments to vendors, service providers etc. are made through RTGS/NEFT only.
2. Does the Bank have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. if yes, please give hyperlink for webpage etc.	In many places, Bank is maintaining Parks and Gardens.
3. Does the Bank identify and assess potential environmental risks? Y/N	YES
4. Does the Bank have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if yes, whether any environmental compliance is filed?	Given the nature of business, Bank does not have a Clean Development Mechanism.

5. क्या बैंक ने स्वच्छ तकनीकी , उर्जा दक्षता, नवीकरणीय उर्जा, आदि पर कोई अन्य पहल की शुरुआत की है ? हाँ / नहीं। यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि हेतु हाईपरलिंक दें।	हाँ • उर्जा दक्षता वाले उपकरण कार्यालय में लगाए गए हैं। • संसाधनों और उर्जा के अपव्यय को कम करने हेतु कदम उठाए गए हैं। • भुगतानों/लेन-देनों को नेट बैंकिंग द्वारा किया जाता है (चेक बुक, चालान, रसीद आदि के प्रयोग में पर्याप्त कमी की गई है)
6. क्या रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा उत्पादित उत्सर्जन/कचरा, सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा अनुमोदित सीमा के दायरे में है?	लागू नहीं
7. वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/विधिक नोटिस की संख्या, जो लंबित हैं (संतोषजनक रूप से निपटाया नहीं)	शून्य

सिद्धांत 7 : व्यवसाय जब एक सार्वजनिक और विनियामक नीति के अनुसार कार्य करने लगे तो, एक जिम्मेदार ढंग से ऐसा करना चाहिए

1. क्या आपका बैंक कोई ट्रेड एवं चैम्बर या संगठन का सदस्य है ? यदि हाँ तो केवल उन प्रमुख संगठनों के नाम बताएं जिनसे आप व्यवसाय करते हैं।	हाँ आईबीए, आईआईबीएफ, आईबीपीएस, एनआईबीएम
2. क्या आपने उपरोक्त संगठनों के माध्यम से जनहित के सुधार या उन्नति हेतु वकालत/पैरवी की है? हाँ/नहीं; यदि हाँ, तो विस्तृत क्षेत्र बताएं (ड्रॉप बॉक्स : शासन और प्रशासन। आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीति, उर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, संपोषणीय व्यवसाय सिद्धांत, अन्य)	उद्योग के सतत विकास हेतु नीति निर्माता के साथ घनिष्ठता से बैंक कार्य करता है।

सिद्धांत 8 : व्यवसाय से समग्र विकास और समान विकास को बढ़ावा मिले

1. क्या बैंक के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति की तलाश में विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं? यदि हाँ, तो बताएं।	ए) बेरोजगार युवकों को अल्पावधि प्रशिक्षण और एसकार्ट सेवाएं प्रदान करते हुए स्वरोजगार इकाइयों को स्थापित करने में मदद करने के उद्देश्य से हमारे बैंक ने वर्ष 1982 में एसडीएमई ट्रस्ट और केनरा बैंक के सहयोग से ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रूडसेटी) की स्थापना की है । देशभर में 16 राज्यों में 27 रूडसेटी कार्यरत हैं । बी) बैंक, देशभर में समाज के बैंकिंग सुविधा रहित क्षेत्रों में मूल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय समावेशन का कार्यान्वयन कर रहा है । बैंक ने देशभर में विभिन्न वितरण चैनलों के माध्यम से 6950 गाँवों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं । वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आनेवाले गाँवों में 120.18 लाख ग्राहकों के मूल बचत बैंक खाते खोले गये । लेवरेज तकनीकी अपनाऐ हुए बैंक कारोबार प्रतिनिधियों के माध्यम से ग्राहकों के घर पर ही बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहा है । सी) आगे, बैंक, ग्राहकों को छोटी रकम के ओवरड्राफ्ट, सामान्य क्रेडिट कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पात्र परिवारों को अपेक्षित ऋण सुविधाएँ प्रदान कर रहा है । समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों को अपनी कमाई और जीविका में सुधार लाने में इससे मदद मिलती है, जो समग्र रूप से सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देता है ।

5. Has the Bank undertaken any other initiative on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.	YES • Energy efficient equipment installed in the offices • Steps taken to reduce wastage of resources and energy • Payments/transactions are effected through Net banking (considerable reduction in use of cheque books, challans, receipts etc.)
6. Are the Emissions/Waste generated by the Bank within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	N A
7. Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.	NIL

Principle 7 : Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your Bank a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with.	YES IBA, IIBF, IBPS, NIBM
2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration. Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).	Bank works closely with the Policy makers for the sustainable development of the industry.

Principle 8 : Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the Bank have specified programmes/ initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof	a) With a view to enable the unemployed youth to set up self-employment ventures by imparting them short term training and providing escort services, our Bank started Rural Development and Self Employment Training Institute (RUDSETI) in collaboration with SDME Trust and Canara Bank in 1982. There are 27 RUDSETI s across 16 states in the country. b) Bank is implementing Financial Inclusion Plan with a vision to provide basic banking services to the unbanked segments of the society, across the country. Bank has so far extended banking facilities to 6950 villages pan India through various delivery channels. Basic Savings Bank Deposit Accounts have been opened to 120.18 lakh customers in the villages covered under financial inclusion. By leveraging technology, bank is providing the facilities at the doorstep of the customers through Business Correspondents. c) Further, Bank is extending required credit facilities to the eligible households by way of Small Overdraft, General Credit Card and Kisan Credit Card for the customers. This helps the needy people in the society to improve their earnings and the livelihood which aids in social and economic development of the nation, as a whole.

2. क्या कार्यक्रम/परियोजना इन-हाउस टीम/अपनी संस्था/बाह्य एनजीओ/सरकारी ढांचा/कोई अन्य संस्था के माध्यम से ली गई है?	• जैसा कि पहले ही बताया गया है प्राधिकृत बैंकों तथा संस्थागत प्रायोजकों की तरफ से वित्तीय साक्षरता केंद्रों की देख-रेख के लिए मणिपाल में दिनांक 20.10.2010 को ज्ञान ज्योति एफएलसीसी ट्रस्ट की स्थापना की गई है। वर्ष के अंत तक बैंक के पास 55 एफएलसी हैं। ये एफ़एलसीसी जरूरतमंद लोगों को वित्तीय साक्षरता के साथ-साथ ऋण परामर्श तथा ऋण संरचना योजनाओं से अवगत कराती है । • सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास (एसआरडीटी) की स्थापना गरीब ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं को ग्रामीण उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2000 में की गई । एसआरडीटी के माध्यम से बैंक ने 5 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में अब तक 16 सिंड ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (सिंडआरसेटी) की स्थापना की है। • इन-हाउस तथा बाह्य एजेंसियाँ दोनों।
3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभावी मूल्यांकन किया है?	इस क्षेत्र में हमारे प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा एफ़एलसी के असर तथा प्रभाव के अध्ययन के लिए सर्वेक्षण किया गया है ।
4. समाज विकास परियोजना में आपके बैंक का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - भारतीय रुपये में रकम तथा ली गई परियोजना के ब्यौरे	वर्तमान वर्ष में रूडसेटी द्वारा 964 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 26284 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से 17913 प्रशिक्षार्थी रोजगार में जुट गए । सिंड ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (सिंड आरसेटी) ने वर्तमान वर्ष में 444 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये, जिनमें 11778 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में 10514 अभ्यर्थी रोजगार में जुट गए ।
5. समाज द्वारा इन समुदाय विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया गया है, इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या आपने कोई कदम उठाया है? 50 शब्दों में वर्णन करें	हमारे रूडसेटी तथा एसआरडीटी द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को स्वरोजगार की शुरुआत करने हेतु परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रणालीबद्ध रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।

सिद्धांत 9 : कारोबार, अपने ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं को जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से सम्मान दें तथा उनसे जुड़े रहें।

1.	वित्तीय वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायत/उपभोक्ता मामले लंबित हैं?	ग्राहक शिकायत - 4.85 % उपभोक्ता मामले - 30 %
2.	क्या बैंक, उत्पादों के लेबल पर उत्पाद संबंधी वैसी सूचना दर्शाता है, जो स्थानीय कानून के अनुसार अधिदेशी से अतिरिक्त हो? हाँ/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)	लागू नहीं
3.	क्या पिछले 5 वर्षों में किसी भी हितधारक द्वारा बैंक के विरुद्ध अनुचित व्यापार, व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या गैर प्रतियोगी व्यवहार के लिए कोई मामला दर्ज किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार कोई मामला लंबित है? यदि हाँ, तो इससे संबंधित ब्यौरे 50 शब्दों में दें	नहीं
4.	क्या आपका बैंक, कोई उपभोक्ता सर्वे/उपभोक्ता संतुष्टि ट्रेंड चलाता है?	हाँ

2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/ external NGO/government structures/any other organization?	• As already stated, Jnana Jyothi FLCC Trust has been established at Manipal on 20.10.2010 for overseeing the Financial Literacy Centres (FLCs) on behalf of the author Banks and the Institutional sponsors. Bank is having 55 FLCs as at the end of the year. The FLCs spread financial literacy among public and also offer credit counseling and debt restructure plans to the needy people. • Syndicate Rural Development Trust (SRDT) was established in the year 2000 to promote rural entrepreneurship and self-employment among the rural poor, especially women. Through SRDT, Bank has so far established 16 SyndRural Self Employment Training Institutes (SYNDRSETIs) in 5 states and one Union Territory. • Both in-house and external agencies.
3. Have you done any impact assessment of your initiative?	Survey has been conducted by the Bank to study the impact and effectiveness of FLCs for strengthening our efforts in these lines.
4. What is your Bank's direct contribution to community development projects-Amount in INR and the details of the projects undertaken	964 training programmes were conducted by RUDSETIs during the year; 26284 candidates were trained during the year and out of them 17913 trainees were settled. SYNDRSETIs conducted 444 training programmes during the year, imparted training for 11778 candidates and 10514 candidates are settled during the year out of the trained candidates.
5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	Systematic follow up and counseling services are being undertaken by our RUDSETIs and SRDTs to facilitate the trained candidates to adopt self-employment initiatives

Principle 9 – Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

1. What percentage of customer complaints/ consumer cases are pending as on the end of financial year.	Customer complaints – 4.85% Consumer cases – 30%
2. Does the Bank display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/NA/ Remarks (additional information)	Not applicable
3. Is there any case filed by any stakeholder against the Bank regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so	NO
4. Did your Bank carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?	YES

कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

[सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ)
विनियमन, 2015 के विनियम 34(3) तथा अनुसूची V (ई) के अनुसार)]

सेवा में,

बैंक के सभी शेयरधारक

हमने दि. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए, सिंडिकेटबैंक द्वारा स्टॉक एक्स्चेंज के साथ किए गए सूचीकरण करारों के संगत खण्डों में यथानिर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है ।

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है । हमारी जाँच, कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं तथा उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी । यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है न ही उसकी राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा रखे गए अभिलेखों तथा दस्तावेजों और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय यह है कि बैंक उपरोक्त विनियमन में यथानिर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन की निम्नलिखित शर्तों का पालन किया है:

1) निदेशक मंडल – गठन और क्षतिपूर्ति, समिति में निदेशकों की सदस्यता, निदेशक मंडल की बैठक और आचार संहिता (प्रारूपण बैंक के वेबसाइट में प्रस्तुत करना)
2) लेखा परीक्षा समिति – गठन, अधिकार, बैठक, भूमिका, सूचना की समीक्षा इत्यादि।
3) नामांकन, परिश्रमिक, हितधारक संबंध तथा जोखिम प्रबंधन समिति, आदि – संरचना, अधिकार, बैठकें, भूमिका आदि।
4) सहायक कंपनियाँ
5) प्रकटीकरण:
   - ए) संबद्ध पार्टी लेन-देन का आधार
   - बी) लेखाकरण का आधार
   - सी) जोखिम प्रबंधन
   - डी) निदेशकों का पारिश्रमिक
   - ई) प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण
6) वित्तीय विवरणों की समीक्षा के संबंध में सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. का प्रमाणीकरण
7) वार्षिक रिपोर्ट में कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट
8) कॉरपोरेट अभिशासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र

हम यह कहना चाहते हैं कि हितधारक संबंध समिति द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक-शिकायत एक महीने से अधिक अवधि तक लंबित नहीं है ।

हम आगे कहना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन देता है न ही उसकी दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके सहारे प्रबंधक वर्ग ने बैंक का कारोबार संभाला है ।

कृते अगस्ति एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

ह/-
(सीए राज कुमार अगस्ति)
सदस्यता सं. 304920

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 09.05.2017

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

(In terms of Regulation 34(3) and Schedule V (E) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To
All the Shareholders of the Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Syndicate Bank for the year ended 31.03.2017 as stipulated in the relevant Clauses of the Listing Agreements of the said Bank with the Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Regulation, as detailed under:

1) Board of Directors – Composition, Compensation, Membership of Directors in various Committees, Board Meetings and Code of Conduct (placing on the website of the Bank)
2) Audit Committee – Composition, Powers, Meetings, Role, Review of information, etc.
3) Nomination, Remuneration, Stakeholders' Relationship and Risk Management Committee, etc. – Composition, Powers, Meetings, Role, etc.
4) Subsidiary Companies
5) Disclosures:
    a) Related party transactions
    b) Basis of Accounting
    c) Risk Management
    d) Remuneration of Directors
    e) Management Discussion and Analysis
6) CEO / CFO Certification with respect to review of financial statements.
7) Report on Corporate Governance in Annual Report.
8) Compliance Certificate on Corporate Governance.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per records maintained by the Stakeholders' Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Agasti & Associates
Chartered Accountants

Sd/-
(CA Raj Kumar Agasti)
Membership No. 304920

Place : Bengaluru
Date : 09.05.2017

निदेशक मंडल को मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी का प्रमाणीकरण

[सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत]

मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि:

ए. हमने वर्ष 2016-2017 के वित्तीय विवरणों और नकदी उपलब्धता विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

1. इन विवरणों में कोई भी असत्य कथन शामिल नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या इसमें ऐसा कोई कथन शामिल नहीं है जो भ्रामक हो;
2. ये विवरण बैंक के कारोबार की सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और उन्हें वर्तमान लेखा मानदण्डों, प्रायोज्य विधियों तथा विनियमों का अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है ।

बी. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध या बैंक की आचरण संहिता का उल्लंघन करता हो।

सी. हम बैंक में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसका निर्वहण करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा या परिचालन की विसंगतियों, यदि कोई हो, जिसकी हम भली भांति जानकारी रखते हैं, और इन विसंगतियों का परिशोधन करने के लिए उठाए गए या उठाए जानेवाले कदमों को लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति के ध्यान में लाया है ।

डी. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में सूचना दी है:

1. वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक नियंत्रण के मामलों में वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन
2. वर्ष 2016-17 के दौरान लेखाकरण नीतियों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका उल्लेख वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है; और
3. हमारे ध्यान में लाए गए महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले और उनमें प्रबंधक वर्ग या किसी कर्मचारी का शामिल होना, यदि कोई हो, जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय रिपोर्ट में बैंक के आंतरिक नियंत्रण पर पड़ता है ।

	ह/	ह/
स्थान : बेंगलूरु	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
दिनांक : 09.05.2017		

निदेशक मंडल के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक द्वारा बैंक की आचार संहिता के अनुपालन संबंधी घोषणा

[(सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 26(3)]

एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है कि बैंक ने अपने मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के कर्मचारियों के लिए दि. 22.09.2005 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्दिष्ट आचार संहिता को अपनाया है जिसका कार्यान्वयन दि. 01.10.2005 से प्रारंभ हुआ है और आचार संहिता को बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

उपर्युक्त का अनुसरण करते हुए, आगे यह पुष्टि की जाती है कि मंडल के सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के कार्मिकों ने दि. 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की उपर्युक्त आचार संहिता का पालन करने की पुष्टि की है।

ह/-

(अरुण श्रीवास्तव)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 09.05.2017

CEO/CFO CERTIFICATION TO THE BOARD

(In terms of Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

I/We Certify that -

A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year 2016-2017 and that to the best of our knowledge and belief:

(1) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(2) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2016-2017 which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware of and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We have indicated to the auditors and the Audit committee:

(1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year 2016-2017;

(2) Significant changes in accounting policies during the year 2016-2017 and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Sd/-
CHIEF FINANCIAL OFFICER

Sd/-
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Place : BENGALURU
Date : 09.05.2017

DECLARATION REGARDING COMPLIANCE WITH THE CODE OF CONDUCT OF THE BANK BY BOARD MEMBERS AND SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL

[Regulation 26(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

It is hereby confirmed that the Bank has on 22.09.2005 adopted the Code of Conduct for the Board Members and Senior Management Personnel as laid down by SEBI, for implementation with effect from 01.10.2005 and the said Code of Conduct is posted on the website of the Bank.

In pursuance of the above, it is now further confirmed that the Board Members and Senior Management Personnel have affirmed compliance with the aforesaid Code of Conduct of the Bank for the year ended 31.03.2017.

Sd/-
(Arun Shrivastava)
Managing Director and
Chief Executive Officer

Place : Bengaluru
Date : 09.05.2017

31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए बासेल III पिलर 3 का प्रकटीकरण

सिंडिकेट बैंक की स्थापना 1925 को केनरा इंडस्ट्रियल एंड बैंकिंग सिंडिकेट लिमिटेड के नाम से प्रधानत: स्थानीय बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कर्नाटक राज्य के उडुपि में हुई। 1963 में बैंक ने अपने नाम को केनरा इंडस्ट्रियल एंड बैंकिंग सिंडिकेट लि. से सिंडिकेट बैंक में बदल दिया। 1969 में बैंक राष्ट्रीयकृत होकर एक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक बना।

31 मार्च 2017 को बैंक में भारत सरकार का हिस्सा 72.92% रहा है। बैंक के शेयर, मुंबई शेयर बाजार (बीएसई: 532276) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई: सिंडिबैंक) की सूची में हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बासेल III पूँजी विनियामक कार्यान्वयन की तिथि 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी निर्धारित किया है । बैंकों द्वारा बासेल III पूँजी विनियामक के तहत निर्धारित नियामक पूँजी सीमा तथा निम्नतम सीआरएआर का अनुपालन निरंतर रूप से किया जाना है । बासेल III में सुचारू रूप से पारगमन सुनिश्चित करने के लिए, निम्नतम बासेल पूँजी अनुपात, पूँजी की घटकों का पूर्ण नियामक समायोजन आदि की प्राप्ति के लिए उचित परिवर्ती व्यवस्थाएं की गई हैं । बासेल III पूँजी विनिमय का 31 मार्च 2019 तक पूर्ण रूप से कार्यान्वयन हो जाएगा।

प्रयोग की परिधि तथा पूँजी पर्याप्तता

पिलर 3 प्रकटीकरण सिंडिकेटबैंक पर लागू है तथा समेकित संस्था होने के नाते बैंक द्वारा पूँजी पर्याप्तता अनुपात का अनुपालन दो स्तरों पर अपेक्षित है ।

(ए) समेकित ("समूह") स्तर की पूँजी पर्याप्तता अनुपात अपेक्षाएं, जो बैंक की ऐसी संस्थाएं जो बीमा तथा गैर-वित्तीय कार्यकलापों में जुड़े हैं, को छोड़कर बैंक की अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/ सहयोगियों आदि की परिसंपत्तियों तथा देयताओं का समेकन कर इसकी पूंजी शक्ति तथा जोखिम प्रोफाइल के आधार पर बैंककी पूंजी पर्याप्तता की माप करता है; तथा

(बी) स्टैंडएलोन ("एकल") स्तर की पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाएं, जो बैंक की स्टैंडएलोन पूंजी शक्ति तथा जोखिम प्रोफाइल के आधार पर बैंक की पूंजी पर्याप्तता की माप करता है।

सिंडिकेटबैंक का विदेशी परिचालन, लंदन स्थित इसकी शाखा के माध्यम से उपर्युक्त दोनों ही स्थितियों में किया जाता है।

सारिणी डी एफ-1: प्रयोग की परिधि

i. गुणात्मक प्रकटीकरण

पूंजी पर्याप्तता के लिए समेकन आधार

पूंजी पर्याप्तता के लिए विचारणीय संस्थाओं में बैंक की अनुषंगियों, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यम शामिल हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार विवेकपूर्ण समेकित रिपोर्ट तैयार करने की परिधि में उल्लिखित बैंकिंग या वित्तीय प्रकृति के कार्यकलापों का निर्वहन करते हैं।

BASEL-III, PILLAR 3 DISCLOSURES FOR THE YEAR ENDED 31.03.2017

Syndicate Bank was established in 1925 in Udupi in Karnataka State as Canara Industrial and Banking Syndicate Ltd., mainly to provide financial assistance to local weavers. In 1963, the Bank changed its name from Canara Industrial and Banking Syndicate Ltd. to Syndicate Bank Ltd. In 1969, the Bank was nationalised and became a Public Sector Bank.

As of 31st March 2017, the Government of India has held 72.92% stake in the Bank. The Bank's shares are listed with Bombay Stock Exchange (BSE: 532276) and the National Stock Exchange (NSE: SYNDIBANK).

RBI has prescribed implementation of the Basel-III capital regulations in India with effect from April 1, 2013. Banks have to comply with the regulatory capital limits and minimum CRAR as prescribed under Basel-III capital regulations, on an ongoing basis. To ensure smooth transition to Basel-III, appropriate transitional arrangements have been provided for meeting the minimum Basel-III capital ratios, full regulatory adjustments to the components of capital etc. Basel-III capital regulations would be fully implemented as on March 31, 2019.

Scope of Application and Capital Adequacy

Pillar 3 disclosures apply to SyndicateBank and Bank being a consolidated entity, has to comply with the capital adequacy ratio requirements at two levels:

(a) Consolidated ("Group") level capital adequacy ratio requirements, which measure the capital adequacy of a bank based on its capital strength and risk profile after consolidating the assets and liabilities of its subsidiaries / joint ventures / associates etc. except those engaged in insurance & any non-financial activities; and

(b) Standalone ("Solo") level capital adequacy ratio requirements, which measure the capital adequacy of a Bank based on its standalone capital strength and risk profile.

Overseas operations of SyndicateBank through its branch in London are covered in both the above scenarios.

Table DF-1: Scope of Application

i. Qualitative Disclosures

Basis of consolidation for capital adequacy

The entities considered for consolidation for capital adequacy include subsidiaries, associates and joint ventures of the Bank, which carry on activities of banking or financial nature as stated in the scope for preparing consolidated prudential reports as prescribed by RBI.

समेकन के लिए विचार करने योग्य समूह संस्थाओं की सूची (लेखांकन/नियामक)

संस्था का नाम/ उद्गम देश	क्या संस्था समेकन की लेखांकन परिधि में है (हाँ/नहीं)	समेकन की विधि बताएं (लेखांकन परिधि)	समेकन विधि में अंतर के कारण दें	यदि केवल एक ही समेकन परिधि के भीतर है तो इसके कारण स्पष्ट करें
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड (भारत)	हाँ	एएस 21 सिलसिलेवार तरीके से	गैर वित्तीय अनुषंगी (100% स्वामित्ववाली)	नियामक पूंजी से घटायी गई
प्रथमा बैंक (भारत)	हाँ	एएस 23 ईक्विटी विधि से	सहयोगी	पूँजी पर्याप्तता प्रयोजन हेतु जोखिम भारित
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (भारत)	हाँ	एएस 23 ईक्विटी विधि से	सहयोगी	
आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (भारत)	हाँ	एएस 23 ईक्विटी विधि से	सहयोगी	

ए. समेकन की लेखांकन तथा विनियामक दोनों की परिधि के अंतर्गत समेकन हेतु विचार न किए जाने योग्य समूह संस्थाओं की सूची।

सिंडिकेटबैंक में ऐसी कोई समूह संस्था नहीं है जो समेकन की लेखांकन संभाव्यता तथा समेकन की विनियामक संभाव्यता दोनों की परिधि के तहत विचारणीय न हों ।

ii. परिमाणात्मक प्रकटीकरण

ए. समेकन के लिए विचार किए जाने योग्य समूह संस्थाओं की सूची (विनियामक संभाव्यता):

शून्य

बी. समस्त अनुषंगियों में पूँजी अपर्याप्तता की कुल रकम जो समेकन की विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं है अर्थात जिन्हें घटा दिया गया हो:

बैंक की अनुषंगी में कोई पूँजी अपर्याप्तता नहीं है ।

सी. बीमा कंपनियों में बैंक की कुल ब्याज का संकलित रकम (जैसे चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित है:

बैंक का बीमा कंपनियों में किसी प्रकार का निवेश नहीं है ।

List of group entities considered for consolidation (Accounting/Regulatory)

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is Included under Accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation (Accounting scope)	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of Consolidation
Syndbank Services Limited (India)	Yes	AS 21 line–by–line basis	Non Financial subsidiary (100% owned)	Deducted from Regulatory Capital
Prathama Bank (India)	Yes	AS 23 Equity Method	Associate	Risk Weighted for Capital adequacy purposes
Karnataka Vikas Grameena Bank (India)	Yes	AS 23 Equity Method	Associate	
Andhra Pragathi Grameena Bank (India)	Yes	AS 23 Equity Method	Associate	

a) List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no group entities of SyndicateBank that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

ii. Quantitative Disclosures

a) List of group entities considered for consolidation (Regulatory scope):

NIL

b) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no capital deficiency in subsidiary of the bank

c) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Bank does not have any investment in insurance entitles.

डी. बैंकिंग समूह में निधियों के अंतरण अथवा नियामक पूँजी में किसी प्रकार का गतिरोध अथवा बाधा:
शून्य

सारिणी डीएफ–2: पूँजी पर्याप्तता

i. गुणात्मक प्रकटीकरण

पूँजी निर्धारण: बैंक के पास अपनी जोखिम प्रोफाइल के संबंध में अपनी समग्र पूँजी की पर्याप्तता का निर्धारण की एक प्रक्रिया है और अपनी पूँजी स्तरों के अनुरक्षण के लिए एक कार्यनीति है। यह प्रक्रिया एक प्रकार से आश्वासन देती है कि बैंक के कारोबार में निहित सभी जोखिमों के सम थर्न में बैंक के पर्याप्त पूँजी बफर उपलब्ध हैं। बैंक, मजबूत अभिशासन तथा नियंत्रणकारी उपायों, मजबूत जोखिम प्रबंधन ढाँचा तथा पूँजी गणना एवं योजना के लिए विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से प्रकट होनेवाले समस्त जोखिमों का व्यापक रूप से पहचान, निर्धारण तथा प्रबंधन करता है ।

बैंक के पास बोर्ड से अनुमोदित एक व्यापक आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) तथा तनाव परीक्षण नीति है जिसे 2008 में अपनाया गया। बैंक द्वारा आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) को प्राप्त अनुभवों, परिष्कार तथा साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसके एएफआई/पर्यवेक्षी समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान दिए गए सुझावों/टिप्पणियों के आधार पर परिवर्तन/संशोधन किया जाता है।

बैंक की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले ऐसे समस्त जोखिमों के महत्व की पहचान तथा मूल्यांकन के लिए बैंक के पास आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया में संरचनागत प्रबंधन ढाँचा उपलब्ध है । बैंक अपने कारोबार में निम्नलिखित जोखिमों को महत्वपूर्ण मानता है; जो आईसीएएपी के तहत है।

(ए) ऋण जोखिम

(बी) ऋण संकेंद्रण जोखिम
- संकेंद्रण नाम
- संकेंद्रण समूह
- संकेंद्रण क्षेत्र
- अंचल संकेंद्रण
- आस्ति स्वरूप संकेंद्रण
- बाह्य एवं आंतरिक श्रेणी रेटिंग का संकेंद्रण

(सी) बाज़ार जोखिम (पिलर 1 के अंतर्गत कवर नहीं)

(डी) परिचालन जोखिम (पिलर 1 के अंतर्गत कवर नहीं)

(ई) तरलता जोखिम

(एफ़) बैंक बही में ब्याज दर जोखिम

अन्य जोखिम आईसीएएपी के पिलर 2 में कवर हैं : उपर्युक्त जोखिमों के अतिरिक्त बैंक निम्नलिखित जोखिमों को भी पिलर 2 के अंश के रूप में गुणात्मक तरीके से निर्धारित करता है ।

(ए) प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम
(बी) कार्यनीति जोखिम
(सी) सामूहिक जोखिम
(डी) निपटान जोखिम
(ई) पेंशन दायित्व जोखिम

d) Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:
NIL

Table DF-2: Capital Adequacy

i. Qualitative Disclosures

Assessment of capital: The Bank has a process for assessing its overall capital adequacy in relation to the Bank's risk profile and a strategy for maintaining its capital levels. The process provides an assurance that the Bank has adequate capital to support all risks inherent to its present business and to support the planned business growth and an appropriate capital buffer based on its business profile. The Bank identifies, assesses and manages comprehensively all risks that it is exposed to, through sound governance and control practices, robust risk management framework and an elaborate process for capital calculation and planning.

Bank has, Board approved comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and Stress test policy which was adopted in 2008. Bank has been modifying/revising the ICAAP policy on an annual basis based on the experience gained, sophistication achieved and also as per the suggestions/observations made by RBI during its AFI/Supervisory Review and Evaluation Process.

The Bank has a structured management framework in the Internal Capital Adequacy Assessment Process for the identification and evaluation of the significance of all risks that the Bank faces, which may have an adverse material impact on its financial position. The Bank considers the following as material risks; it is exposed to, in the normal course of its business and therefore, factors these in ICAAP

(a) Credit Risk

(b) Credit Concentration Risk
- Name concentration
- Group Concentration
- Sector concentration
- Zone concentration
- Asset Type concentration
- External & Internal rating grade concentration

(c) Market Risk (not covered under Pillar I)

(d) Operational Risk (not covered under Pillar I)

(e) Liquidity Risk

(f) Interest Rate Risk in Banking Book

Other Risks covered as part of Pillar 2, in ICAAP: In addition to the above mentioned risks, Bank also assesses the following risks as part of Pillar 2 in qualitative manner.

(a) Reputational Risk
(b) Strategic Risk
(c) Group Risk
(d) Settlement Risk
(e) Pension Obligation Risk

(एफ) मुख्य कार्मिकों की कमी
(जी) मॉडल जोखिम

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर बोर्ड द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण ढाँचा का कार्यान्वयन किया है जौ बैंक के आईसीएएपी का अभिन्न भाग है तथा पूँजी आवश्यकताओं के निर्धारण तथा बैंक द्वारा परिकल्पित तनाव के तहत बैंक के लाभ को प्रभावित करता है ।

तनाव परीक्षण का उद्देश्य बैंक संविभाग की गुणवत्ता पर विविध "झटकों " के असर निर्धारण तथा ऐसी घटनाओं के कम होने पर बैंक को इस झटकों से उबारने की क्षमता का निर्धारण करना है । जब ऐसी घटनाएँ वास्तव में घटित होती है तो, बैंक के आस्तियों की गुणवत्ता में कमी आती है जिससे बैंक का लाभ घटता है या अधिक पूंजी रखने पर मजबूर हो जाता है।

बैंक के सीआरएआर तथा आय पर प्रभाव के निर्धारण के लिए तिमाही आधार पर तनाव परीक्षण किया जाएगा । बैंक, तनाव परीक्षण के सिलसिले में निम्नलिखित जोखिमों पर असर का निर्धारण करता है:

(ए) ऋण जोखिम
- अनर्जक आस्तियाँ
- पुनर्संरचित आस्तियाँ
- संपार्श्विक
- संकेंद्रण जोखिम

(बी) बाज़ार जोखिम
- विदेशी विनिमय जोखिम
- ब्याज दर जोखिम
  - व्यापार बही
  - बैंकिंग बही
- ईक्विटी मूल्य बही

(सी) तरलता जोखिम

तनाव परीक्षण हेतु मुख्यतः दो महत्वपूर्ण श्रेणियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं; सेंसिटिविटी परीक्षण तथा सिनारियो एनालिसिस।

ii. परिमाणात्मक प्रकटीकरण

ए) ऋण जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता:

ब्यौरे	रकम ₹ मिलियन में
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	155056.04
प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र*	-
कुल	**155056.04**

* बैंक के पास प्रतिभूतीकरण के लिए किसी प्रकार का एक्सपोज़र नहीं है ।

बी) बाज़ार जोखिम के लिए पूँजी की अपेक्षाएँ :

मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	रकम (₹ मिलियन में)
ब्याज दर जोखिम	8741.84
विदेशी मुद्रा जोखिम (सोना सहित)	138.38
ईक्विटी जोखिम	3306.39
कुल	**12186.61**

(f) Loss of Key Personnel
(g) Model Risk

The Bank has implemented a Board approved Stress Testing Framework taking into consideration RBI guidelines which forms an integral part of the Bank's ICAAP and provides an assessment of the capital requirement and impact on Profits of the Bank under stressed conditions envisaged by the Bank.

The purpose of stress testing is to assess the impact of various 'shocks' on the quality of the bank's portfolio and an assessment of the bank's ability to withstand such shocks if such an event/s materializes. When such events actually take place, the quality of assets held by a bank will deteriorate and may lead to reduced profits or constrain the bank to keep more capital.

In order to assess the impact on CRAR and income of the bank, the Stress Test will be conducted on quarterly basis. The Bank assesses the impact on the following risks, as part of Stress Test:

(a) Credit Risk
- Non-performing assets
- Restructured assets
- Collateral
- Concentration Risk

(b) Market Risk
- Foreign Exchange Risk
- Interest Rate Risk
  - Trading Book
  - Banking Book
- Equity Price Risk

(c) Liquidity Risk

The two broad categories of stress tests used are sensitivity tests and scenario analysis.

ii. Quantitative Disclosures:

a) Capital requirement for Credit Risk:

Particulars	Amount (₹ in Millions)
Portfolios subject to Standardised Approach	155056.04
Securitisation exposures*	-
Total	**155056.04**

* Bank does not have any exposure to securitisation transactions

b) Capital requirements for Market risk:

Standardised duration approach	Amount (₹ in Millions)
Interest rate risk	8741.84
Foreign exchange risk (including gold)	138.38
Equity risk	3306.39
Total	**12186.61**

सी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएँ :

ब्यौरे	रकम (₹ मिलियन में)
मूल संकेतक दृष्टिकोण	14675.52

डी) कॉमन ईक्विटी टियर1, टियर1 और कुल पूँजी अनुपात (बासेल III) :

ब्यौरे	%
कॉमन ईक्विटी टियर1 अनुपात	7.50%
टियर1 अनुपात	9.26%
कुल पूंजी अनुपात	12.03%

iii. **जोखिम एक्सपोजर और मूल्यांकन**

ऋण जोखिम

ए) **परिभाषा:** ऋण जोखिम को, प्रतिपक्षकार के ऋण की गुणवत्ता में होनेवाले ह्रास से जुड़ी हुई संभाव्य हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है। बैंक के संविभाग में, ग्राहक या प्रतिपक्षकार द्वारा उधार, व्यापार, समझौता और अन्य वित्तीय लेन-देन से संबंधित दायित्व की पूर्ति में क्षमता के अभाव से या अनिच्छा से भुगतान में चूक होने से हानि उत्पन्न होती है। इससे, वास्तविक या आस्तियों की ऋण गुणवत्ता में दिखती अवनति से उत्पन्न संविभाग मूल्य में कमी के कारण हानि उत्पन्न होगी।

बी) **ऋण जोखिम कार्यनीति:** ऋण जोखिम प्रबंधन ढाँचे के एक महत्वपूर्ण घटक ऋण जोखिम कार्यनीति है। बैंक के पास ऋण जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सुदृढ़ ऋण जोखिम कार्यनीति है। बैंक की ऋण जोखिम कार्यनीति बैंक के ऋण फिलॉसफी के अनुरूप है, जो गुणवत्तापरक आस्तियों, लाभप्रद संबंध और विवेकपूर्ण वृद्धि पर जोर देता है।

तदनुसार, बैंक की ऋण जोखिम कार्यनीति निम्नांकित सिद्धांतों पर आधारित है :

- बैंक के ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया के अंतर्गत सावधानीपूर्वक उधारकर्ताओं का चयन किया जाता है और विवेकपूर्ण रूप से ऋणों की मंजूरी की जाती है।
- उपार्जन या उसके परिमाण के लिए ऋण की गुणवत्ता में समझौता न किया जाए। कारोबार वृद्धि का उद्देश्य ग्राहक आधार को बढ़ाने, क्षेत्रवार विविधीकरण और भौगोलिक वितरण के माध्यम से ऋण जोखिमों को फैलाना है।
- बैंक की ऋण जोखिम कार्यनीति, यह सुनिश्चित करती है कि वह क्लिनिकल इकनॉमिकल ट्रेड को दूर करे ताकि ऋण संरचना में हुए परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव ऋण संविभाग की समग्र गुणवत्ता पर न पड़े।

बैंक अपनी ऋण जोखिम कार्यनीतियों की पूर्ति के लिए निम्नांकित प्रक्रियाओं को अपनाता है :

- सक्रिय जोखिम प्रबंधन पद्धतियों की स्थापना
- ऋण मंजूरी से ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य को अलग करना

c) **Capital requirements for Operational risk:**

Particulars	Amount (₹ in Millions)
Basic indicator approach	14675.52

d) **Common Equity Tier-1, Tier-1 and Total Capital ratios (Basel III):**

Particulars	%
Common Equity Tier-1 Ratio	7.50%
Tier-1 Ratio	9.26%
Total Capital Ratio	12.03%

iii. **Risk exposure and assessment**

Credit Risk

a) **Definition:** Credit Risk is defined as the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of counterparties. In a Bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions. Alternatively, losses result from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality of the assets.

b) **Credit Risk Strategy:** One of the key components of credit risk management framework is credit risk strategy. Bank has sound credit risk strategy to meet the objectives of credit risk management. Bank's Credit Risk Strategy is in consonance with credit philosophy of the Bank, which emphasizes quality assets, profitable relationships and prudent growth.

Accordingly, Bank's Credit Risk Strategy is guided by the following principles:

- Credit granting process of the Bank would be marked by careful assessment in selecting borrowers and prudence in approving loans.
- Credit quality shall not be compromised for the sake of earnings or volumes. The business development would aim to diffuse credit risks through broadening of the client base, sectoral diversification and geographical distribution.
- Credit Risk strategy of the Bank would also seek to mitigate the cyclical economic trends and ensure that, the shifts in the composition of credit do not have an adverse effect on overall quality of the credit portfolio.

Bank employs the following processes to accomplish its credit risk strategies.

- Establishment of pro-active risk management practices
- Separation of credit risk management functions from credit sanction

- जोखिम आधारित मूल्यांकन और मंजूरी
- बहुस्तरीय ऋण स्वीकृति प्रणाली
- रकम, लेन-देन जोखिमों और रेटिंग के आधार पर विभेदकारी मंजूरी स्तर
- स्वतंत्र ऋण समीक्षा क्रियाविधि
- समस्यावाले/कमज़ोर ऋण एक्सपोजर पर केंद्रीकृत ध्यान
- निम्न गुणवत्ता की आस्तियों के मामले में समीक्षा/निर्गम
- ऋण की उच्चतम सीमाओं या सीमाओं का जोखिम आधारित प्रबंधन
- ऋण जोखिम का अधिग्रहण, विश्लेषण और मापन
- जोखिम आधारित कीमत निर्धारण
- विशेषीकृत उधार पर केंद्रीकृत दृष्टिकोण। इसे, बड़ी/कॉरपोरेट वित्त/ मिड कॉरपोरेट शाखाओं और खुदरा ऋण केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से किया जा रहा है।
- चालू एक्सपोजर और एनपीए स्तरों के आधार पर कम प्राथमिकतावाले उद्योगों की पहचान।

इस प्रकार कार्यनीति, आर्थिक क्रियाकलाप का स्वरूप, भौगोलिक स्थान, मुद्रा, बाजार, परिपक्वता और प्रत्याशित लाभप्रदता के आधार पर ऋण प्रदान करने में बैंक की रुचि का निर्धारण करेगी। इससे लक्षित बाजारों और कारोबार क्षेत्रों की पहचान, अधिमान्य स्तर का विविधीकरण और संकेंद्रीकरण, ऋण प्रदान करने में पूँजी की लागत और अशोध्य ऋण की लागत का अवश्य पता लगाया जा सकता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली:

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली में निम्नांकित मदें शामिल हैं :

i. **जोखिम की पहचान:** बैंक के पास ऋण जोखिम को पहचानने या पता लगाने की पद्धतियाँ और प्रक्रियाएँ हैं। समय पर जोखिम की पहचान करने से बैंक समय पर सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

ii. **जोखिम का निर्धारण:** एक खास जोखिम श्रेणी के अंतर्गत उधारकर्ता की रेटिंग और उसका वर्गीकरण करते हुए जोखिम का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक जोखिम श्रेणी संविभाग के अंतर्गत अन्य के साथ-साथ उधारकर्ता के संबंधित जोखिम का संकेत देता है। जोखिम निर्धारण को ग्रेडिंग तथा तुलना के उद्देश्य से परिमाणित किया जाता है।

iii. **जोखिम की निगरानी:** यदि एक बार जोखिम की पहचान और निर्धारण कर लिया जाता है, तो बैंक निरंतर रूप से उसकी निगरानी करता है और सुनिश्चित करता है कि जोखिम संचालनीय सीमाओं के भीतर है। आस्ति की गुणवत्ता को रक्षित करने और एनपीए से बचाने के लिए बैंक की जोखिम निगरानी एक महत्वपूर्ण साधन है।

iv. **जोखिम का नियंत्रण और कम करना:** जोखिम के नियंत्रण को, 'विशेष उल्लेख खाते', जो आस्ति की गुणवत्ता में हुई गिरावट का संकेत करते हैं, उनका बैंक द्वारा, ऋण अनुप्रवर्तन और समीक्षा विभाग नामक अलग वर्टिकल के अंतर्गत निरंतर रूप से निगरानी करने और मासिक आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों

- Risk based appraisal and sanction
- Multi-tiered credit approval system
- Discriminatory sanction levels based on amount, transaction risks and rating
- Independent loan review mechanism
- Focused attention on problem/weak credit exposures
- Review / exit in case of low quality assets.
- Risk driven management of credit ceilings or limits
- Capture, Analysis and Measurement of Credit Risk
- Risk based pricing
- Focused approach to specialized lending. This is being done through establishment of Large/ Corporate Finance/Mid-corporate branches, and retail loan centres
- Identify Low Priority Industries based on the current exposure and NPA levels

Thus the strategy would determine the Bank's willingness to grant loans based on the type of economic activity, geographical location, currency, market, maturity and anticipated profitability. This would necessarily translate into the identification of target markets and business sectors, preferred levels of diversification and concentration, cost of capital in granting credit and cost of bad debts.

Credit Risk Management System

The credit risk management system encompasses the following:

i. **Identification of Risk:** Bank has methods and procedures to identify or locate the credit risk. Timely identification of risk will enable the Bank to initiate timely corrective action.

ii. **Assessment of Risk:** Assessment is done by rating the borrower and classifying the borrower under a particular risk grade. Each risk grade indicates the relative riskiness of the borrower vis-à-vis others in the portfolio. Risk assessment is quantified for the purpose of grading and comparison.

iii. **Monitoring of Risk:** Once the risk is identified and assessed, Bank continuously monitors and ensure that the risk remains within manageable limits. Risk monitoring is an important tool of the Bank to protect the quality of the asset and avoid slippage to NPA.

iv. **Control and Mitigation of Risk:** Controlling of risk is ensured by the Continuous monitoring undertaken in respect of 'Special Mention Accounts' by the bank under a separate vertical called Credit Monitoring and Review department showing signs

के एक्सपोज़र की निगरानी करते हुए, सुनिश्चित किया जाता है। जोखिम को कम करने के प्रयास किए जाते हैं। संपार्श्विक प्रतिभूतियों और गारंटियों को प्राप्त करते हुए जोखिम को कम किया जाता है।

सी) ऋण जोखिम का प्रबंधन:

बैंक में स्वतंत्र ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है, जिसका संचालन महा प्रबंधक द्वारा किया जाता है और वे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और कुल मिलाकर सभी जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह विभाग, ऋण विभाग और अन्य परिचालन एवं निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। पहचान, निर्धारण, निगरानी और नियंत्रण तथा विभिन्न घटकों में जोखिमों को कम करने के कार्य पर जोखिम प्रबंधन विभाग ध्यान केंद्रित करता है।

i) संगठनात्मक संरचना:

बैंक ने सुदृढ़ तथा व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन ढाँचे का कार्यान्वयन किया है। निदेशक मंडल ऋण जोखिम प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी लेता है और ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, कार्यनीतियों का निर्णय करता है और विवेकपूर्ण तथा अन्य सीमाओं का भी निर्धारण करता है।

जोखिम प्रबंधन विभाग की संरचना निम्नवत है :

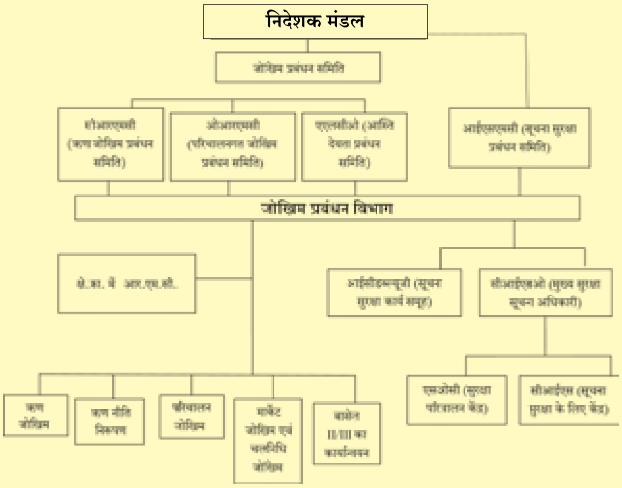

1. **मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी):** जोखिम प्रबंधन समिति, मंडल की उप-समिति है, जिसका संचालन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और कार्यनीति बनाते हैं, जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम एक्सपोज़र शामिल हैं।

   आरएमसी की निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ हैं:

   ए) जोखिम कार्यनीतियाँ, जोखिम नीतियाँ, जोखिम-वहन क्षमता और जोखिम की सहनशीलता।

of slippage in asset quality and monitoring of exposure to sensitive sectors are undertaken on a monthly basis. Efforts are made to mitigate the risk. Risk is mitigated by way of obtaining collaterals or guarantees.

c) Credit Risk Governance:

The Bank has an independent Risk Management Department, which is headed by General Manager and is responsible for managing credit risk, market risk, operational risk and integration of all risks. The department functions independent of Credit Department and other operations and decision making processes. The Risk Management Department focuses on identification, assessment, monitoring and controlling and mitigating of risks across various segments.

i) Organisation Structure:

The Bank has implemented a robust and comprehensive Credit Risk Management framework. The Board of Directors assumes the overall responsibility for credit risk management and decides the credit risk management policy, strategies and sets prudential & other limits.

The set-up of Risk Management Department is hereunder:

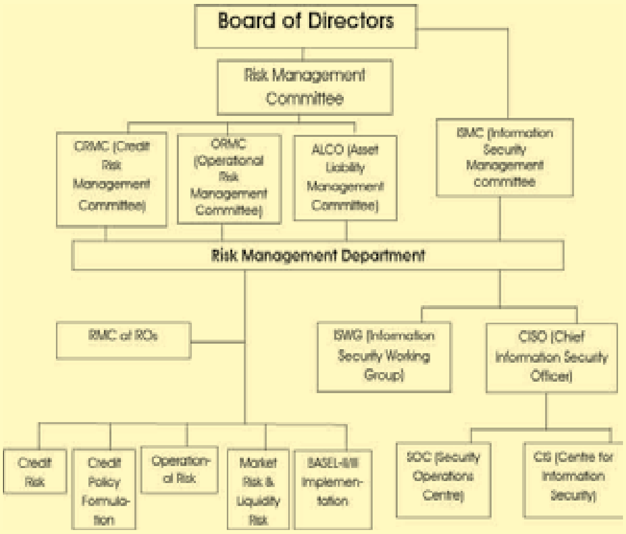

1. **Risk Management Committee (RMC) of the Board:** The Risk Management Committee, a sub-committee of the Board headed by Managing Director & CEO, devises the policy and strategies for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank, including the credit risk.

   The responsibilities of RMC include:

   a) Setting risk strategies, risk policies, risk appetite and risk tolerance of the Bank.

बी) ऋण जोखिम, मार्केट जोखिम और परिचालनगत जोखिम के मापन/प्रबंधन/निगरानी/रिपोर्टिंग के लिए नीतियाँ और मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करना। ऋण नीति, ऋण जोखिम नीति, फोरेक्स (विदेशी मुद्रा) राजकोष नीति और परिचालनगत मार्गदर्शी सिद्धांत, देशी राजकोष नीति और परिचालनगत मार्गदर्शी सिद्धांत, एएलएम नीति, परिचालनगत जोखिम नीति आदि सभी संबद्ध नीतियों का अनुमोदन।

सी) विभिन्न जोखिमों को विश्लेषित करने, मापन करने और निगरानी के लिए प्रक्रियाओं का अनुमोदन, जो बैंक के कारोबार में होनेवाली सभी महत्वपूर्ण जोखिम का पता लगाने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक हो।

डी) प्रभावी परिचालनों, विश्वसनीय रिपोर्टिंग, आस्तियों की रक्षा को प्रोत्साहित करने और जोखिम सीमाओं, विधि, विनियमन और अनुमोदित नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था।

ई) ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम तथा परिचालनगत जोखिमों के अंतर्गत जोखिम सीमाओं का अनुमोदन और समीक्षा।

एफ) निरंतर आधार पर ऋण जोखिम, मार्केट जोखिम, चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, ईक्विटी मूल्य जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम, परिचालन जोखिम, विधि जोखिम आदि का निर्धारण करना।

जी) ऋण/मार्केट/परिचालनगत जोखिमों के परिकलन के लिए उपयोग की जानेवाली सभी प्रणालियों की प्रभावकारिता और वित्तीय मॉडलों की सशक्तता सुनिश्चित किया जाना।

एच) विभिन्न परिचालन विभागों द्वारा जोखिम मानदंडों के अनुपालन की निगरानी और बैंक के कार्यकलापों द्वारा उत्पन्न जोखिमों को ध्यान में रखकर जोखिम नियंत्रण प्रक्रिया के औचित्य को सुनिश्चित करना।

आई) महत्वपूर्ण कमजोरियों को पहचानने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के प्रति तुरंत ध्यान देना।

जे) जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएँ (जनता, प्रणालियों, परिचालन, सीमाओं और नियंत्रणों से संबंधित) बैंक की नीति के अनुरूप है इसे सुनिश्चित करना।

के) ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) के साथ उनकी कार्यवृत्तों की समीक्षा करते हुए समन्वय और पर्यवेक्षण करना।

एल) आरएमसी बैठकों के कार्यवृत्त को प्रस्तुत करते हुए निदेशक मंडल को रिपोर्ट किया जाना।

एम) मामले के महत्व के आधार पर निदेशक मंडल को अनुमोदन/चर्चा के लिए नोट प्रस्तुत किया जाना।

विभिन्न जोखिमों का प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए अलग उप-समितियाँ गठित की गईं।

- ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)
- आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)

b) Setting policies and guidelines for measurement/ management/ monitoring/reporting of Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. Approving all related policies i.e., Credit Policy, Credit Risk Policy, Forex Treasury Policy and Operational guidelines, Domestic Treasury Policy and Operational Guidelines, ALM policy, Operational risk policy, etc.

c) Approving procedures for analysing, measuring and monitoring various risks, which should be sufficiently comprehensive to capture all material risk inherent in the Bank's business.

d) Setting up efficient internal control system to promote effective operations, reliable reporting, safeguarding assets and ensuring compliance with risk limits, laws, regulations and approved policies.

e) Approving and Reviewing risk limits under credit risks, market risks and operational risks.

f) Undertaking on an ongoing basis an assessment of credit risk, market risk, liquidity risk, interest rate risk, equity price risk, foreign exchange risk, operational risk, legal risk, etc.

g) Ensuring robustness of financial models and effectiveness of all systems used to calculate Credit/Market/Operational risks.

h) Monitoring compliance with risk parameters by various operating departments and ensure the appropriateness of risk control process, keeping in view the level of risks posed by the bank's activities.

i) Paying prompt attention to identify material weaknesses and take remedial action.

j) Ensuring that risk management processes (related to people, systems, operations, limits and controls) satisfy Bank's policy.

k) Co-ordinate and supervise Credit Risk Management Committee (CRMC), Asset-Liability Management Committee (ALCO) and Operational Risk Management Committee (ORMC) through review of minutes of these committees.

l) Report to the Board of Directors by placing the minutes of RMC meetings.

m) Place any note to the Board for approval / discussion depending upon the importance of the matter.

Separate sub-committees, are set up to manage and control various risks:

- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- Operational Risk Management Committee (ORMC)
- Asset Liability Management Committee (ALCO)

2. **ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी आर एम सी):** ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी आर एम सी) का संचालन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है और बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजनाओं एवं ऋण जोखिम नीति का कार्यान्वयन करने हेतु उत्तरदायी है। समिति, ऋण जोखिम की निगरानी, नीतियों का अनुमोदन एवं नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

3. **क्षेत्रीय कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन कक्ष:** बासेल II संबंधी कार्य सहित समस्त ऋण एवं परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के कार्यों हेतु क्षेत्रीय कार्यालय का जोखिम प्रबंधन कक्ष उत्तरदायी है। जोखिम प्रबंधन कक्ष के कार्यों में रिपोर्टिंग रजिस्टर की समीक्षा, मंजूरी की समीक्षा, रेटिंग की पुष्टि, बासेल II का कार्यान्वयन, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन, समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट, एसएम खातों की निगरानी, मित्रा समिति की रिपोर्ट, विधिक अनुपालन और समुचित सावधानी प्रमाणपत्र जारी किए जाने की निगरानी आदि आते हैं ।

ऋण जोखिम रिपोर्टिंग की प्रकृति एवं क्षेत्र और /या मापन प्रणाली

1) ऋण रेटिंग प्रणाली के द्वारा उधारकर्ता के ऋण जोखिम या उधारकर्ता को संस्वीकृत ऋण सुविधा का मूल्यांकन किया जाता है। उधारकर्ता की रेटिंग ऋण की मंजूरी के पहले की जाती है और नियमित आधार पर रेटिंग की समीक्षा की जानी है। रेटिंग की संपुष्टि संस्वीकृति पर निर्भर करती है। बोर्ड द्वारा विभिन्न निवेश सूची हेतु एक प्रस्ताव को विचार करने या अस्वीकृत करने के लिए न्यूनतम प्रतिलाभ दर को निर्धारित किया जाता है। मंजूरी प्राधिकारी, मार्जिन, कीमत निर्धारण और निगरानी उद्देश्य आदि से भी ऋण रेटिंग जुड़ा हुआ है।

2) निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत ऋण जोखिम निवेश सूची को एक्स्पोज़र के अध्ययन के द्वारा निर्धारित किया जाता है और उच्च प्रबंधन, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और नियमित आधार पर गठित समिति के द्वारा मूल्यांकित की जाती है।
   - वैयक्तिक एवं समूह उधारकर्ता के लिए विवेकसम्मत सीमाएं-वैयक्तिक उधारकर्ता/ समूह उधारकर्ता के लिए माने जानेवाली अधिकतम ऋण सीमा।
   - शीर्ष 20 समूह और शीर्ष 20 वैयक्तिक उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोज़र सीमा
   - उद्योगवार / क्षेत्रवार एक्स्पोज़र की उच्चतम सीमा
   - संवेदनशील क्षेत्रों हेतु एक्स्पोज़र
   - पूंजी बाज़ार हेतु एक्स्पोज़र
   - सभी ऋणों का रेटिंग दृष्टि से वितरण
   - रेटिंग का स्थानांतरण – विभिन्न समयावधियों में ऋण निवेश-सूची में ऋण रेटिंग की अदला बदली

3) बैंक के पास ऋण समीक्षा तंत्र (एलआरएम) है जो अग्रिम के गुण, ऋण प्रबंधन की प्रभावशीलता, बैंक के आंतरिक नीति का अनुपालन और विनियामक ढांचा एवं निवेश-सूची के गुण को स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन

2. **Credit Risk Management Committee (CRMC):** The Credit Risk Management Committee (CRMC) chaired by Managing Director & CEO is responsible for the implementation of the Credit Risk Policy and strategies approved by the Board. The committee monitors credit risk, clears policies and ensures compliance of policies.

3. **Risk Management Cells at ROs:** The Risk Management Cell at RO is responsible for overall credit and operational risk management functions including Basel-II related work. The functions of Risk Management cell include review of reporting register, review of sanctions, confirmation of ratings, Basel-II implementation, operational risk management, review of concurrent audit reports, monitoring of SM accounts, Mitra committee reports, monitoring issuance of Legal Compliance and Due Diligence certificate.

The scope and Nature of Credit Risk Reporting and/or measurement system

1) The credit risk of a borrower or that of a credit facility sanctioned to a borrower is assessed through a credit rating system. The rating of the borrower is done prior to sanction of the loan and review of the rating is to be done on regular basis. The confirmation of the rating is independent of sanction. Hurdle rates are prescribed by the Board for considering or rejecting a proposal for various portfolios. Credit Rating is also linked to decide Sanctioning Authority, Margin, Pricing and monitoring purposes.

2) Portfolio credit risk is assessed by studying the exposures under the following categories and appraised to Top Management, Risk Management Committee of the Board, Audit Committee of the Board and Board of Directors on a regular basis.
   - Prudential limits for individual and group borrowers – Ceiling on maximum credit that can be considered for an individual borrower / group of borrowers
   - Exposure ceiling for Top 20 Group and Top 20 Individual Borrowers
   - Industry-wise/sector-wise exposure ceilings
   - Exposure to Sensitive Sector
   - Exposure to Capital Market
   - Rating-wise distribution of all the advances
   - Migration of ratings – Movement of credit ratings in the credit portfolio as a whole over different time periods.

3) Bank is having Loan Review Mechanism (LRM), which involves independent assessment of the quality of an advance, effectiveness of loan administration,

करता है। यह खाता में उत्पन्न कमजोरी की जानकारी को देता है ताकि प्रारंभिक समय में ही इसे दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें।

बचाव-व्यवस्था हेतु नीतियाँ और / या जोखिम को कम करने एवं कार्यनीति और प्रतिरक्षा/प्रशामक की प्रभावशीलता को जारी रखने हेतु निगरानी की विधि

ऋण जोखिम को कम करने एवं जांच के लिए बैंक ने विभिन्न प्रकार की नीतियों/प्रणालियों/विधियों को विकसित किया है। नियंत्रण प्रणाली एवं जोखिम निगरानी के संबंध में बैंक में प्रचलित परिचालनगत दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं ।

- बैंक के पास खाता की सभी समस्याओं को पहचानने के लिए ऋण निगरानी एवं समीक्षा हेतु स्वतंत्र विभाग है जो उन समस्याओं को उच्च प्रबंधन के सम्मुख प्रस्तुत करता है एवं विशेष उल्लेख खातों/पुनर्गठित खातों की प्रभावी निगरानी के लिए कॉ.का./प्र.का. से समन्वय करता है और प्रणाली/नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन हेतु सुझाव प्राप्त करता है। आस्तियों की गुणवत्ता को सुधारने एवं अनर्जक आस्ति की श्रेणी में जाने से रोकने के लिए ससमय उपचारी कार्यवाही की जाती है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एकसमान संरचना विद्यमान है।
- उधार खातों में ₹1 करोड़ और उससे अधिक रकम के बकाया की निगरानी के लिए बैंक के पास मासिक निगरानी रिपोर्ट की प्रणाली है जो अग्रिमों का अनुवर्तन करती है एवं एनपीए में जाने से रोकती है।
- प्रारंभिक सीमा के ऊपर एक्सपोज़र हेतु बैंक में आवधिक ऋण लेखा-परीक्षा और स्टॉक लेखा-परीक्षा के संचालन की प्रणाली है।
- ऋण जोखिम को कम करने में सुरक्षा प्रबंधन महत्वपूर्ण साधन है। यह बैंक के पक्ष में उधारकर्ता/तीसरी पार्टी की आस्तियों पर प्रवर्तनीय प्रभार सृजित करता है और नियमित अंतरालों पर उचित मूल्यांकन/भंडारण/अनुरक्षण एवं प्रतिभूतियों की बीमा सुनिश्चित करता है ताकि बैंक के अग्रिम/ऋण की प्रतिभूतियों के द्वारा मूल्य पूरी तरह कवर किया जा सके। प्रभारित प्रतिभूतियों का आवधिक अंतरालों पर मूल्यांकन होता हैं एवं हमेशा निर्दिष्ट मार्जिन को बनाए रखा जाता है।

सारिणी डीएफ-3: ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटीकरण

i. गुणात्मक प्रकटीकरण

वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने हेतु अनिश्चित काल के लिए एक दृढ़ एवं दक्ष बैंकिंग प्रणाली अनिवार्य शर्त है। बैंक की आस्तियों में ऋण एवं अग्रिम महत्वपूर्ण है जो आय का प्रमुख स्रोत है। आस्ति गुणवत्ता बैंक की सुदृढ़ता के संकेतक हैं। इसलिए आस्ति गुणवत्ता को सुधारने के लिए विशेष बल दिया जाता है। ऋणों एवं अग्रिमों की ससमय वसूली केवल बैंक की तरलता एवं लाभ स्तर को ही नहीं बढ़ाता बल्कि प्रत्यावर्ती उत्पादकारी गतिविधियों तथा संवृद्धि हेतु निधियों का पुनर्निवेश करने के लिए बैंक को सक्षम बनाता है।

compliance with internal policies of bank and regulatory framework and portfolio quality. It also helps in tracking weaknesses developing in the account for initiating corrective measures in time.

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants

Bank has evolved several strategies/systems/procedures to mitigate and monitor credit risk. The operational guidelines pertaining to the Risk Monitoring and control systems put in place by the bank are as under.

- The Bank has an independent Credit Monitoring & Review Department for identifying all problem accounts which places the same before Top Management and coordinates with functional departments at CO/HO, for effective monitoring of Special Mention accounts/ Restructured accounts and takes feedback for any changes in the system/policy. Timely remedial action is taken to improve the quality of the assets and arrest slippage to NPA category. Similar structure exists in each RO.
- Bank is having the system of Monthly Monitoring Report for borrowal accounts with balance outstanding of ₹1 crore and above for monitoring and follow up of advances and preventing from slipping to NPA.
- Bank has also system of conducting periodic credit audits and stock audit for exposure beyond a threshold limit.
- Security management is instrumental in mitigating credit risk. It involves creation of enforceable charge over the borrower/third party assets in favour of the Bank, proper valuation/storage/maintenance and insurance of the securities so charged at regular intervals, in order that the Bank's advances/loans remain fully covered by the realizable value of the securities charged to it. Further, the charged securities are valued at periodic intervals and stipulated margins are maintained at all times.

Table DF-3: Credit Risk: General Disclosures

i. Qualitative Disclosures

A sound and efficient banking system is a sine qua non for maintaining financial stability. Loans and advances constitute major portion of the assets of the Bank and also a vital source of income. Asset quality is one of the major soundness indicators of a bank. Therefore considerable emphasis has been placed on improving asset quality. Prompt recovery of loans and advances not only increases the liquidity and profitability position of the Bank, but also enables the Bank to recycle the funds for alternate productive activities and to improve the bottom line.

आस्ति वर्गीकरण, आय की पहचान और अग्रिम निवेश-सूची के प्रावधानों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंक अपने अग्रिमों को (ऋण और साख अग्रिम की प्रकृति में प्रतिस्थापन है) अर्जक एवं अनर्जक ऋणों में वर्गीकृत करता है। अर्जक आस्ति को ऋण या अग्रिम के रूप में परिभाषित किया जाता है जहाँ :

- ❖ एक आस्ति, पट्टा आस्ति सहित अनर्जक आस्ति बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देती है।
- ❖ जहाँ एक ऋण या अग्रिम अनर्जक आस्ति (एनपीए) मानी जाती है :
  - ➢ मीयादी ऋण के संदर्भ में ब्याज और/या मूल राशि की किस्त 90 दिनों की अवधि से अधिक के लिए अतिदेय हो।
  - ➢ ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण (ओडी/सीसी) के मामले में खाते अनियमित हों।
  - ➢ खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में जहाँ बिल 90 दिन से अधिक अवधि से अतिदेय हो।
  - ➢ अल्पावधि फसलों के लिए जब मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त दो फसली मौसम से अतिदेय हो।
  - ➢ लंबी अवधि के लिए मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त एक फसली मौसम से अतिदेय हो।
  - ➢ भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिभूतीकरण 1 फरवरी 2006 के दिशानिर्देशानुसार प्रतिभूतीकरण अंतरण के संदर्भ में तरलता सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक के लिए अतिदेय हो।
  - ➢ व्युत्पन्नी संव्यवहारों के मामले में व्युत्पन्नी संविदा में बाजार भाव पर दर्शाए गए मूल्य की अतिदेय प्राप्तियाँ यदि निर्दिष्ट तारीख के भुगतान से 90 दिन तक अप्रदत्त हो।
  - ➢ किसी क्रेडिट कार्ड खाते को अनर्जक आस्ति के रूप में माना जाएगा यदि, विवरण में वर्णित देय न्यूनतम राशि का पूर्ण भुगतान देय विवरणों में उल्लिखित तारीख से 90 दिनों के भीतर नहीं किया जाए।
  - ➢ ब्याज भुगतान के मामले में, खाते को एनपीए के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाएगा जब किसी तिमाही के दौरान बकाया और प्रभारित ब्याज का पूर्ण भुगतान तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर न हो।

क्रम में नहीं रहने की स्थिति: यदि किसी खाते की बकाया राशि 90 दिनों के लिए निरंतर संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक होती है, तो उस खाते को 'क्रम में नहीं' खाते के रूप में मानना चाहिए। यदि सक्रिय खाते की बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम है बल्कि तुलन-पत्र की तारीख से निरंतर 90 दिनों की अवधि तक कोई राशि जमा नहीं की गई है या जमा की गई रकम उसी अवधि के दौरान नामे डाले गए ब्याज की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसे खातों को 'क्रम में नहीं' खातों के रूप में मानना चाहिए।

The Bank classifies its advances (loans and credit substitutes in the nature of an advance) into performing and non-performing loans in accordance with the extant RBI guidelines on Asset classification, Income Recognition and Provisioning to Advances portfolio. An NPA is defined as a loan or an advance where:

- ❖ An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate Income for the bank.
- ❖ A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where;
  - ➢ Interest and / or installment of principal remains overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
  - ➢ The account remains 'out of order', in respect of an Overdraft / Cash Credit (OD/ CC),
  - ➢ The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
  - ➢ The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
  - ➢ The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops,
  - ➢ The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of RBI guidelines on Securitization dated February 1, 2006.
  - ➢ In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.
  - ➢ A Credit card account will be treated as non-performing asset if the minimum amount due, as mentioned in the statement is not paid fully within 90 days from the payment due date mentioned in the statement.
  - ➢ In case of interest payments, the account shall be classified as NPA only if the interest due and charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

Out of Order status: An account should be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit / drawing power for 90 days. In case where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit / drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts also should be treated as 'out of order'.

अतिदेय: किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक द्वारा निर्धारित देय तारीख तक रकम अदा नहीं की जाती है।

ii. परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

भौगोलिक वितरण-वार कुल सकल ऋण जोखिम निवेश (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित):

(राशि ₹ मिलियन में)

श्रेणी	31 मार्च 2017 की स्थिति में		
	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल
घरेलू	1,713,773.45	219,999.51	1,933,772.96
विदेशी	356,874.37	0.65	356,875.02
कुल	**2,070,647.82**	**220,000.16**	**2,290,647.98**

उद्योग-वार निवेश का वितरण (सकल निधि आधारित और गैर-निधि आधारित):

(राशि ₹ मिलियन में)

उद्योग	निधि आधारित ओ/एस	गैर-निधि आधारित ओ/एस	कुल
कृषि	318,781.83	-	318,781.83
खनन एवं उत्खनन (कोयला सहित)	7,851.74	2,297.40	10,149.14
खाद्य प्रसंस्करण	**33,396.18**	**1,504.04**	**34,900.22**
चीनी	7,651.63	39.82	7,691.45
खाद्य तेल एवं वनस्पति	4,078.57	441.37	4,519.94
चाय	415.47	2.1	417.57
अन्य	21,250.51	1,020.75	22,271.26
मादक पेय एवं तंबाकू	1,500.75	82.22	1,582.97
कपड़ा उद्योग	**27,941.18**	**1,424.21**	**29,365.39**
सुती वस्त्र उद्योग	10,287.05	769.79	11,056.84
जूट वस्त्र उद्योग	118.15	25.36	143.51
मानव-निर्मित वस्त्र उद्योग	1,253.71	33.17	1,286.88
अन्य वस्त्र उद्योग	16,282.27	595.89	16,878.16
चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	1,222.30	36.86	1,259.16
लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	1,707.95	532.06	2,240.01
कागज़ एवं कागज़ उत्पाद	8,834.66	829.84	9,664.50
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं न्यूक्लियर इंधन	**41,935.10**	**25,725.21**	**67,660.31**
उनमें से:			
पेट्रोलियम	36,348.91	25,716.04	62,064.95
रासायनिक एवं रासायनिक उत्पाद	**30,572.04**	**6,157.24**	**36,729.28**
उर्वरक	5,683.53	4,421.85	10,105.38

Overdue: Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

ii. Quantitative Disclosures:

Total gross credit risk exposures – Gross Outstanding Advances (Fund based and Non-fund based) Geographical distribution-wise:

(Amount ₹ in Millions)

Category	As on March 31, 2017		
	Fund Based	Non-fund Based	Total
Domestic	1,713,773.45	219,999.51	1,933,772.96
Overseas	356,874.37	0.65	356,875.02
Total	**2,070,647.82**	**220,000.16**	**2,290,647.98**

Industry - wise distribution of exposures (Gross Fund based and Non-Fund based Advances):

(Amount ₹ in Millions)

INDUSTRIES	FUND BASED BALANCE O/S	NON-FUND BASED BALANCE O/S	TOTAL
Agriculture	318,781.83	-	318,781.83
Mining & Quarrying (incl. Coal)	7,851.74	2,297.40	10,149.14
Food Processing	**33,396.18**	**1,504.04**	**34,900.22**
Sugar	7,651.63	39.82	7,691.45
Edible Oils & Vanaspati	4,078.57	441.37	4,519.94
Tea	415.47	2.1	417.57
Others	21,250.51	1,020.75	22,271.26
Beverage & Tobacco	1,500.75	82.22	1,582.97
Textiles	**27,941.18**	**1,424.21**	**29,365.39**
Cotton Textiles	10,287.05	769.79	11,056.84
Jute Textiles	118.15	25.36	143.51
Man-Made Textiles	1,253.71	33.17	1,286.88
Other Textiles	16,282.27	595.89	16,878.16
Leather & Leather Products	1,222.30	36.86	1,259.16
Wood & Wood Products	1,707.95	532.06	2,240.01
Paper & Paper Products	8,834.66	829.84	9,664.50
Petroleum, Coal Products & Nuclear Fuels	**41,935.10**	**25,725.21**	**67,660.31**
Of which:			
Petroleum	36,348.91	25,716.04	62,064.95
Chemicals & Chemical Products	**30,572.04**	**6,157.24**	**36,729.28**
Fertiliser	5,683.53	4,421.85	10,105.38

उद्योग	निधि आधारित ओ/एस	गैर–निधि आधारित ओ/एस	कुल
ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	9,005.83	372.19	9,378.02
पेट्रो केमिकल्स	12,217.93	381.14	12,599.07
अन्य	3,664.75	982.06	4,646.81
रबर, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	7,731.81	675.31	8,407.12
कांच एवं कांच के बर्तन	2,110.16	155.63	2,265.79
सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	8,237.47	1,441.49	9,678.96
मूल धातु और धातु उत्पाद	**100,202.24**	**3,940.72**	**104,142.96**
लोहा और इस्पात	89,771.16	3,544.13	93,315.29
अन्य धातु और धातु उत्पाद	10,431.08	396.59	10,827.67
सभी इंजीनियरिंग	**20,255.42**	**40,326.51**	**60,581.93**
इलेक्ट्रॉनिक्स	2,305.34	3,720.8	6,026.14
अन्य	17,950.08	36,605.71	54,555.79
वाहन, वाहन पुर्जे एवं परिवहन उपकरण	9,558.57	704.37	10,262.94
रत्न और आभूषण	18,704.91	1,189.70	19,894.61
निर्माण (इन्फ्रास्ट्रक्चर से भिन्न)	26,450.71	32,462.27	58,912.98
इन्फ्रास्ट्रक्चर	**275,144.26**	**40,460.81**	**315,605.07**
पावर	150,881.48	8,351.34	159,232.82
उनमें से:			
राज्य-स्वामित्व पावर उपयोगिता	88,322.90	653.80	88,976.70
दूरसंचार	28,529.97	25,099.65	53,629.62
रोड	28,065.18	4,414.79	32,479.97
एयरपोर्ट	1,731.01	-	1,731.01
पोर्ट	3,113.28	-	3,113.28
रेलवे (भारतीय रेल्वे को छोड़कर)	11,642.35	45.86	11,688.21
अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	51,180.99	2,549.17	53,730.16
अन्य उद्योग (एनबीएफसी को छोड़कर)	**45,912.19**	**7,226.65**	**53,138.84**
एनबीएफसी	**202,967.49**	**281.77**	**203,249.26**
उद्योगों की कुल संख्या (एनबीएफसी सहित)	**1,191,018.96**	**167,454.31**	**1,358,473.27**
अवशिष्ट अग्रिम	879,628.86	52,545.85	932,174.71
कुल अग्रिम	**2,070,647.82**	**220,000.16**	**2,290,647.98**

उद्योग के कुल निवेश से 5% अधिक निवेश:

उद्योग	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल	कुल निवेश का%
कृषि	318,781.83	-	318,781.83	13.92%
इन्फ्रास्ट्रक्चर	275,144.26	40,460.81	315,605.07	13.78%
उनमें पावर	150,881.48	8,351.34	159,232.82	6.95%
एनबीएफसी	202,967.49	281.77	203,249.26	8.87%

INDUSTRIES	FUND BASED BALANCE O/S	NON-FUND BASED BALANCE O/S	TOTAL
Drugs & Pharmaceuticals	9,005.83	372.19	9,378.02
Petro Chemicals	12,217.93	381.14	12,599.07
Others	3,664.75	982.06	4,646.81
Rubber, Plastic & their Products	7,731.81	675.31	8,407.12
Glass & Glassware	2,110.16	155.63	2,265.79
Cement & Cement Products	8,237.47	1,441.49	9,678.96
Basic Metal & Metal Product	**100,202.24**	**3,940.72**	**104,142.96**
Iron & Steel	89,771.16	3,544.13	93,315.29
Other Metal & Metal Product	10,431.08	396.59	10,827.67
All Engineering	**20,255.42**	**40,326.51**	**60,581.93**
Electronics	2,305.34	3,720.8	6,026.14
Others	17,950.08	36,605.71	54,555.79
Vehicles, Vehicle Parts & Transport Equipment	9,558.57	704.37	10,262.94
Gems & Jewellery	18,704.91	1,189.70	19,894.61
Construction (other than Infrastructure)	26,450.71	32,462.27	58,912.98
Infrastructure	**275,144.26**	**40,460.81**	**315,605.07**
Power	150,881.48	8,351.34	159,232.82
Of which:			
State-owned Power Utilities	88,322.90	653.80	88,976.70
Telecommunication	28,529.97	25,099.65	53,629.62
Roads	28,065.18	4,414.79	32,479.97
Airports	1,731.01	-	1,731.01
Ports	3,113.28	-	3,113.28
Railways (other than Indian Railways)	11,642.35	45.86	11,688.21
Other Infrastructure	51,180.99	2,549.17	53,730.16
Other Industries (EXCLUDING NBFC)	**45,912.19**	**7,226.65**	**53,138.84**
NBFC	**202,967.49**	**281.77**	**203,249.26**
Total of Industries (INCLUDING NBFC)	**1,191,018.96**	**167,454.31**	**1,358,473.27**
Residual Advances	879,628.86	52,545.85	932,174.71
TOTAL ADVANCES	**2,070,647.82**	**220,000.16**	**2,290,647.98**

Exposure to Industries in excess of 5% of total exposure:

INDUSTRY	FUND BASED	NON-FUND BASED	TOTAL	% of Total Exposure
Agriculture	318,781.83	-	318,781.83	13.92%
Infrastructure	275,144.26	40,460.81	315,605.07	13.78%
Of which Power	150,881.48	8,351.34	159,232.82	6.95%
NBFC	202,967.49	281.77	203,249.26	8.87%

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता के अलग-अलग आंकड़े

Residual contractual maturity breakdown of assets as on 31.03.2017

(रकम ₹ मिलियन में)/(Amount in ₹ Million)

परिपक्वता अवधि Maturity Buckets	नकद Cash	भा.रि.बैं. में शेष Balances with RBI	अन्य बैंकों में शेष Balances with other banks	निवेश Investments	निवल अग्रिम Net Advances	स्थिर आस्तियां Fixed Assets	अन्य आस्तियां Other Assets	कुल Total
अगले दिन/Next Day	9,241	27,558	1,143	0	45,802	0	427	84,171
2 -7 दिन/2 to 7 days	0	3,411	86,028	1,034	42,689	0	165	133,327
8 -14 दिन/8 to 14 days	0	1,697	0	0	25,501	0	151	27,349
15 -30 दिन/15 to 30 days	0	2,934	0	800	50,608	0	1,296	55,638
31 दिन से 2 महीने तक/31 days & upto 2 m	0	2,695	0	3,582	83,319	0	1,357	90,952
2 महीने से अधिक और 3 महीने तक/ > 2 mths & upto 3 mths	0	6,490	0	2,602	88,257	0	2,182	99,532
3 महीने से अधिक और 6 महीने तक/ > 3 mths and upto 6 mths	0	11,223	0	13,275	159,940	0	5,567	190,005
6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक/ > 6 mths and upto 1 y	0	25,065	9,404	11,646	175,753	0	2,577	224,445
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक/ > 1 year and upto 3 years	0	36,860	1,593	128,281	652,395	0	36,014	855,143
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक/ > 3 years and upto 5 years	0	3,275	21,855	114,299	279,132	0	3,001	421,561
5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक/ > 5 years and upto 7 years	0	212	1,210	146,436	110,409	0	4,739	263,005
7 वर्षों से अधिक और 10 वर्षों तक/ > 7 years and up to 10 years	0	201	0	158,527	106,968	0	3,084	268,781
10 वर्षों से अधिक और 15 वर्षों तक/ > 10 years and up to 15 years	0	158	0	58,851	77,293	0	1,189	137,491
15 वर्षों से अधिक/>15 years	0	70	0	15,320	98,625	24,541	775	139,331
कुल/Total	**9,241**	**121,848**	**121,232**	**654,654**	**1,996,694**	**24,541**	**62,523**	**2,990,733**

अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल):

आस्तियों की श्रेणी	राशि (₹ मिलियन में)
अवमानक	48,731
संदिग्ध 1	61,710
संदिग्ध 2	52,123
संदिग्ध 3	12,042
हानि	1487
कुल अनर्जक आस्ति	**176,093**
निवल अनर्जक आस्ति	**104,109**

Amount of NPAs (Gross):

Category of assets	Amount (₹ in Millions)
Substandard	48,731
Doubtful 1	61,710
Doubtful 2	52,123
Doubtful 3	12,042
Loss	1487
Total NPA	**176,093**
Net NPAs	**104,109**

अनर्जक आस्ति अनुपात

सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	8.50
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	5.21

NPA Ratios:

Gross NPAs to Gross Advances	8.50
Net NPAs to Net advances	5.21

अनर्जक आस्तियों में बदलाव

विवरण	राशि (₹ मिलियन में)
एनपीए (प्रारंभिक शेष 31.12.2016)	169,481
एनपीए में वृद्धि	
नया एनपीए	17,843
परिचालन की वजह से वृद्धि	845
विदेशी मुद्रा में अंतर की वजह से वृद्धि	-
अन्य कुछ (कृपया सूचित करें)	-
कुल (ए)	**18,688**
एनपीए में कटौती	
मूलधन के प्रति वसूली	5,013
बट्टे खाते डालना	1,310
पीडब्ल्यूओ	3,070
उन्नयन	1,849
परिचालन की वजह से कमी	239
विदेशी विनिमय की वजह से कमी	595
अन्य कुछ (कृपया सूचित करें)	-
कुल (बी)	**12,076**
एनपीए (अंतिम शेष 31.03.2017)	**176,093**

अनर्जक आस्तियों के लिए रखे गए प्रावधानों में बदलाव:

विवरण	राशि (₹ मिलियन में)
प्रारंभिक शेष (31.12.2016)	61,958
जोड़ें: अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	12,252
घटाएं :	
• बट्टे खाते डालना	3,070
• अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन	643
अंतिम शेष (31.03.2017)	**70,497**

अनर्जक निवेश

विवरण	राशि (₹ मिलियन में)
अनर्जक निवेशों की रकम	5,705.89
- अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान की रकम	3,705.52
- निवेशों पर मूलह्रास के लिए प्रावधान की रकम	2,442.30
कुल: अनर्जक निवेशों और निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान की रकम	6,147.82

Movement of NPAs:

Particulars	Amount (₹ in Millions)
NPA (Opening balance 31.12.2016)	169,481
Increase in NPA	
Fresh NPA	17,843
Increase due to operations	845
Increase due to Diff in FX exchange	-
Any other (Pl specify)	-
Total (A)	**18,688**
Reduction in NPAs	
Recovery towards Principal	5,013
Write off	1,310
PWO	3,070
Upgradation	1,849
Decrease due to operations	239
Decrease due FX Exchange	595
Any other (Pl specify)	-
Total (B)	**12,076**
NPA (Closing balance 31.03.2017)	**176,093**

Movement of Provisions for NPAs:

Particulars	Amount (₹ in Millions)
Opening balance (31.12.2016)	61,958
Add : Provisions made during the period	12,252
Less :	
• Write Off	3,070
• Write back of excess provisions	643
Closing Balance (31.03.2017)	**70,497**

Non-Performing Investments:

Particulars	Amount (₹ in Millions)
Amount of Non-Performing Investments	5,705.89
- Amount of provisions held for non-performing investments	3,705.52
- Amount of provisions for Depreciation on investments	2,442.30
Total: Provision for non-performing investments & Depreciation on investments	6,147.82

अनर्जक निवेशों तथा निवेशों में होनेवाले मूल्यह्रास के प्रावधान में बदलाव (मूल्यांकन)

विवरण	राशि (₹ मिलियन में)
प्रारंभिक शेष (31.12.2016)	5,900.13
आलोच्य अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	1,111.29
प्रावधान में बट्टे खाते डालना/कटौती	863.60
अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन	0.00
अंतिम शेष (31.03.2017)	**6,147.82**

सारिणी डीएफ–4 – ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन लाए गए निवेश संविभाग पर प्रकटीकरण

i. गुणात्मक प्रकटीकरण :

1. उपयोग किए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम और किसी परिवर्तन के लिए कारण :-

   बासेल II के अंतर्गत संशोधित ढाँचे के प्रावधानों के अनुरूप जहाँ बैंक द्वारा प्रदान की गई सुविधा की रेटिंग, जो पात्र ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई है, वही रेटिंग दावा के जोखिम भार का आधार होगी। बैंक, पूंजी पर्याप्तता के उद्देश से दावों के जोखिम भार हेतु निम्नलिखित देशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के रेटिंग का उपयोग करता है :
   - क्रेडिट रेटिंग एण्ड इनफारमेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया (क्रिसिल)
   - क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (केयर)
   - इंडिया रेटिंग्स एण्ड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स)
   - इनवेस्टमेंट इनफारमेशन एण्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईक्रा)
   - ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिकवर्क)
   - एसएमईआरए रेटिंग्स लि.

   बैंक पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य के लिए दावों के जोखिम भार हेतु निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग का उपयोग करता है :
   - फिच
   - मूडीज़
   - स्टैण्डर्ड एण्ड पूवर्स

2. उन ऋणों के प्रकार जिनके लिए श्रेणी का निर्धारण किया जाता है :-
   - बैंक ने ऑन–बैलेंस शीट और ऑफ–बैलेंस शीट दोनों के पात्र सभी ऋणों, चाहे अल्पावधि हो या दीर्घावधि, के लिए उपर्युक्त अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा तय किए गए याचित रेटिंग्स का उपयोग किया है। बैंक ने न तो इन एजेंसियों द्वारा तय किए गए रेटिंग्स में कोई विभेद किया है न ही उनका प्रयोग किसी विशिष्ट प्रकार के ऋण के लिए सीमित रखा है।
   - यदि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए दो रेटिंग्स हैं, जिनसे विभिन्न जोखिम भार का परिकलन किया जाता है, तो निचले स्तर के रेटिंग के अनुरूप ऊँचे स्तर का जोखिम भार लागू किया जाता है।
   - यदि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा विभिन्न रेटिंग्स के साथ अधिक रेटिंग्स दिए जाते हैं, तो संदर्भ में लिए गए दो निचले स्तर के जोखिम भार के अनुरूप रेटिंग और उन दो जोखिम भार में से उच्च स्तर अर्थात् द्वितीय निचले स्तर के रेटिंग को लागू किया जाता है।

Provision movement of Non-Performing Investments & Depreciation on investments (Valuation)

Particulars	Amount (₹ in Millions)
Opening balance (31.12.2016)	5,900.13
Provisions made during the period	1,111.29
Write Off / Reduction in provisions	863.60
Write back of excess provisions	0.00
Closing Balance (31.03.2017)	**6,147.82**

Table DF-4 : Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised approach

i. Qualitative Disclosures:

1. Names of the credit Rating Agencies used, plus reasons for any changes :-

   In line with the provisions of the Revised Framework under Basel-II, where the facility provided by the Bank possesses rating assigned by an eligible credit rating agency, the risk weight of the claim will be based on this rating. Bank uses the ratings of the following domestic credit rating agencies for the purposes of risk weighting their claims for capital adequacy purposes:
   - Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL)
   - Credit Analysis and Research Limited (CARE)
   - India Ratings and Research Private Limited (India Ratings)
   - Investment Information and Credit Rating Agency of India (ICRA)
   - Brickwork Ratings India Pvt. Limited (Brickwork)
   - SMERA Ratings Ltd.

   Bank use, the ratings of the following international credit rating agencies for the purposes of risk weighting their claims for capital adequacy purposes:
   - Fitch
   - Moody's
   - Standard & Poor's

2. Types of exposures for which ratings are used:-
   - The Bank has used the solicited ratings assigned by the above approved credit rating agencies for all eligible exposures, both on balance sheet and off balance sheet, whether short term or long term. The Bank has not made any discrimination among ratings assigned by these agencies nor has restricted their usage to any particular type of exposure.
   - If there are two ratings accorded by credit rating agencies that map into different risk weights, the higher risk weight corresponding to lowest rating applied.
   - If multiple ratings accorded by credit rating agencies with different ratings, then the ratings corresponding to the two lowest risk weights referred to and the higher of those two risk weights applied. i.e., the second lowest risk weight.

3. बैंकिंग बही में तुलनयोग्य आस्तियों पर सार्वजनिक निर्गम रेटिंग्स के अंतरण के लिए प्रयोग की जानेवाली प्रक्रिया का वर्णन:
   - बैंक किसी विशिष्ट निर्गम में निवेश करता है जिसका चुनिंदा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा तय किया गया निर्गम विशिष्ट रेटिंग होता है; दावे का जोखिम भार इसके निर्धारण पर आधारित होगा।
   - निर्गम विशिष्ट रेटिंग (बैंक का निजी ऋण या उसी उधारकर्ता घटक/काउंटरपार्टी द्वारा दिया गया अन्य ऋण निर्गम) या जारीकर्ता रेटिंग (उधारकर्ता घटक/काउंटरपार्टी) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उसी उधारकर्ता घटक/काउंटरपार्टी के गैर-श्रेणी निर्धारित ऋण के लिए लागू किया जाता है :
   - निर्गम विशिष्ट रेटिंग का उपयोग तभी किया जाता है जब बैंक का गैर-श्रेणी निर्धारित दावा श्रेणी निर्धारित निर्गम/ऋण के समरूप होता है या अधिक होता है।
   - जहाँ कहीं गैर-श्रेणी निर्धारित दावों के जोखिम भार निर्धारित करने हेतु जारीकर्ता रेटिंग या निर्गम विशिष्ट रेटिंग का उपयोग किया जाता है, ऐसे रेटिंग उसी काउंटरपार्टी पर दावे की संपूर्ण रकम के लिए दिया जाता है।

ii. **परिमाणात्मक प्रकटीकरण:**

मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम को कम करने (सीआरएम) के बाद प्रमुख जोखिम बकेट्स में बैंक के निवेश बकाया सकल अग्रिम (श्रेणी निर्धारित और गैर श्रेणी निर्धारित सहित) की रकम

जोखिम भार वर्ग	रकम (₹ मिलियन में)
अग्रिम	
निधि आधारित	
100% से कम जोखिम भार	1,129,503.61
100% जोखिम भार	585,051.22
100% से अधिक जोखिम भार	195,013.21
कटौती - सी.आर.एम.	161,079.78
कुल	**2,070,647.82**
गैर-निधि आधारित	
100% से कम जोखिम भार	104,789.60
100% जोखिम भार	61,148.43
100% से अधिक जोखिम भार	37,358.58
ऋण जोखिम न्यूनकारक से कटौती	16,703.55
कुल	**220,000.16**
निवेश (बैंकिंग बही)	
100% से कम जोखिम भार	490,418
100% जोखिम भार	0
100% से अधिक जोखिम भार	808
पूंजी से कटौती	3
कुल	**491,229**

सारिणी डीएफ - 5: ऋण जोखिम में कमी : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

i. **गुणात्मक प्रकटीकरण:**

बैंक द्वारा ऋण जोखिम में कमी का प्रकटीकरण करने की प्रणाली अपनाई जा रही है जिसे ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं को कम करने हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत मान्यता दी गई है और यह ओटीसी व्युत्पन्न के काउंटरपार्टी जोखिम प्रभारों के परिकलन

3. Description of the process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book.
   - Bank invests in a particular issue that has an issue specific rating by a chosen credit rating agency; the risk weight of the claim will be based on this assessment.
   - Issue Specific Ratings (Bank's own exposures or other issuance of debt by the same borrower constituent/counterparty) or Issuer Ratings (borrower constituent/ counterparty) are applied to unrated exposures of the same borrower constituent/ counterparty subject to the following:
   - Issue specific ratings are used where the unrated claim of the Bank ranks *pari-passu* or senior to the rated issue / debt.
   - Wherever issuer rating or issue specific ratings are used to risk weight unrated claims, such ratings are extended to entire amount of claim on the same counterparty.

ii. **Quantitative Disclosures:**

Amount of the Bank's Exposures – Outstanding Gross Advances (including Rated & Unrated) in Major Risk Buckets after factoring Risk Mitigants under Standardized Approach

Risk Weight Category	Amount (₹ in Millions)
Advances	
Fund Based	
Risk weight Below 100 %	1,129,503.61
Risk weight of 100 %	585,051.22
Risk weight more than 100 %	195,013.21
Deducted - CRM	161,079.78
Total	**2,070,647.82**
Non-Fund Based	
Risk weight Below 100 %	104,789.60
Risk weight of 100 %	61,148.43
Risk weight more than 100 %	37,358.58
Deducted - CRM	16,703.55
Total	**220,000.16**
Investments (Banking Book)	
Risk weight Below 100 %	490,418
Risk weight of 100 %	0
Risk weight more than 100 %	808
Deducted from capital	3
Total	**491,229**

Table DF - 5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

i. **Qualitative Disclosures:**

Disclosures on credit risk mitigation methodology are being adopted by the Bank which are recognized under the Standardized Approach for reducing capital requirements for credit risk and this will also be applicable for calculation of the counterparty risk

के लिए तथा ट्रेडिंग बही में किए गए रेपो-स्टाईल लेन-देनों के लिए भी लागू होगी।

1. **संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए नीति एवं प्रक्रिया**
नियंत्रण की मूल प्रक्रियाएँ एवं ब्यौरे तथा मानक/स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के प्रकार, ऋण प्रदान करने के लिए आवश्यक गारंटी, विभिन्न प्रकार के ऋण एवं संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्यांकन प्रक्रिया, संपार्श्विक प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन की आवृत्ति और निर्गमन आदि बैंक द्वारा जारी ऋण नीति तथा ऋण जोखिम नीति में सूचित किए जाते हैं।

2. **बैंक द्वारा स्वीकार किए जानेवाले मुख्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों का वर्णन**
मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पूंजी परिकलन हेतु जोखिम को कम करनेवाली पात्र संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ निम्नवत् हैं :
- नकद या नकद समान (उधारकर्ता बैंक द्वारा जारी मीयादी जमाराशि रसीदों सहित)
- सोना (दोनों बुलियन और आभूषण सहित)
- केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
- किसान विकास पत्र (केवीपी) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी)
- आईआरडीए द्वारा विनियमित, किसी बीमा कंपनी की घोषित अभ्यर्पण मूल्य की जीवन बीमा पालिसियाँ
- बीबीबी श्रेणी निर्धारित ऋण प्रतिभूतियाँ - या अल्पावधी मीयादी ऋण लिखतों के लिए बेहतर/पीआर3/पी3/एफ3/ए3

3. **गारंटर काउंटरपार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी ऋण-पात्रता**
बैंक उन गारंटियों के रूप में ऋण सुरक्षा पर विचार करता है जो प्रत्यक्ष, विहित, अविकल्पी और अप्रतिबंधित हैं। बैंक, पूंजी आवश्यकताओं के परिकलन में ऐसी ऋण सुरक्षा को ध्यान में रखता है।

ऋण जोखिम को कम करने के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार हैं - केंद्र सरकार, राज्य सरकार की गारंटी, ईसीजीसी (राज्य सरकार और ईसीजीसी के गारंटीकृत हिस्से के लिए लागू 20% जोखिम भार), सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआईएच (निम्न आयवाले आवास के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट)।

काउंटरपार्टी एक्सपोजर का गारंटीकृत हिस्से से गारंटर के लिए लागू जोखिम भार तय किया जाता है तथा असुरक्षित हिस्से से काउंटरपार्टी का जोखिम भार निर्धारित किया जाता है। अतः काउंटरपार्टी से कम जोखिम भारवाली कंपनियों द्वारा जारी गारंटियों से पूंजी प्रभार में कमी होती है।

ii. परिमाणात्मक प्रकटीकरण

पात्र सीआरएम द्वारा आरक्षित एक्सपोजर (निधि आधारित और गैर निधि आधारित)

विवरण	रकम (₹ मिलियन में)
पात्र संपार्श्विक प्रतिभूति	146,820.99
पात्र गारंटी (0% ऋण भारवाली) [सीजीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआईएच, केंद्र सरकार]	30,962.34
कुल	**177,783.33**

charges for OTC derivatives and repo-style transactions booked in the trading book.

1. **Policies and processes for collateral valuation and management**
Basic procedures and descriptions of controls as well as types of standard/acceptable collaterals, guarantees necessary in granting credit, evaluation methods for different types of credit and collateral, frequency of revaluation and release of collateral are stipulated in the Credit Policy & Credit Risk Policy framed by the Bank.

2. **A description of the main collaterals taken by the Bank**
Collaterals eligible as risk mitigants for capital computation under Standardized Approach comprise namely:
- Cash or Cash equivalent (including fixed deposit receipts, issued by the lending Bank).
- Gold (include both bullion and jewellery)
- Securities issued by Central and State Governments.
- Kisan Vikas Patra (KVP) and National Savings Certificates (NSC).
- Life insurance policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by IRDA.
- Debt Securities rated BBB- or better/ PR3/P3/F3/A3 for Short-Term Debt Instruments

3. **Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness:**
The Bank considers credit protection in terms of the guarantees which are direct, explicit, irrevocable and unconditional. The bank takes into account such credit protection in calculating capital requirements.
The types of guarantees recognized for credit risk mitigation are guarantees by Central Government, State Governments, ECGC (Risk Weight at 20% for guaranteed portion of State Govt. & ECGC), CGTMSE, CRGFTLIH (Credit Guarantee Fund Trust for Low income housing).
As the guaranteed portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the applicable to guarantor and the uncovered portion retains the risk weight of the underlying counterparty. Hence Guarantees issued by entities with attracting lower risk weight than the counterparty will lead to reduced capital charges.

ii. Quantitative Disclosures

Exposures (Fund Based and Non Fund Based) covered by Eligible CRMs:

Particulars	Amount (₹ in Millions)
Eligible Collaterals	146,820.99
Eligible Guarantees (having 0% RW) [Central Govt., CGMSE, CRGFTLIH]	30,962.34
Total	**177,783.33**

सारिणी डीएफ–6: प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

नियत अवधि तक सिंडिकेटबैंक ने किसी प्रकार की प्रतिभूतीकरण एक्सपोज़र में भाग नहीं लिया है।

सारिणी डीएफ–7: व्यापार बही में बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम का संदर्भ उन आगामी अर्जनों की अनिश्चितता से है जो ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, मार्केट मूल्य में होनेवाले परिवर्तन और उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश और बाज़ार जोखिम नीति तथा उस पर परिचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धांत मौजूद हैं, जिनकी समीक्षा वार्षिक तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि प्रतिभूतियों, विदेशी विनिमय और व्युत्पन्न का परिचालन सुदृढ़ और स्वीकार्य कारोबार नीतियों के अनुरूप किया जाता है तथा वे मौजूदा विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

व्यापार बही में बाज़ार जोखिम का निर्धारण मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अनुसार किया जाता है। व्यापार बही में बाज़ार जोखिम के पूंजी प्रभार अर्थात् धारित संविभाग (एच.एफ.टी.) तथा बिक्री के लिए उपलब्ध (ए.एफ.एस.) संविभाग का परिकलन भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।

बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ

मानक अवधि दृष्टिकोण	रकम ₹ मिलियन में
ब्याज दर जोखिम	8,741.84
विदेशी विनिमय जोखिम (सोना सहित)	138.38
ईक्विटी जोखिम	3,306.39
कुल	**12,186.61**

सारिणी डीएफ–8: परिचालन जोखिम प्रकटीकरण

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम हानि की जोखिम है, जो आंतरिक प्रक्रियाओं की अपर्याप्तता या असफल होने के कारण, लोगों या प्रणालियों की वजह से होती है या बाह्य कारणों से होती है। परिचालन जोखिम के अंतर्गत कानूनी जोखिम आती है बल्कि कार्यनीतिक जोखिम और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं हैं।

बैंक के पास ऐसी अनुदेश पुस्तिका है, जिसमें उसका संपूर्ण कारोबार क्षेत्र शामिल है। बैंक को आंतरिक एवं बाह्य गतिविधियों की अद्यतन सूचना से अवगत कराने हेतु आवधिक तौर पर परिपत्र जारी किए जाते हैं। बैंक के पास एक परिचालन जोखिम प्रबंधन ढ़ाँचा है, जिसमें मुख्य नीति के रूप में परिचालन प्रबंधन नीति और निम्नलिखित पर नीति शामिल हैं।

1. जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए)
2. प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) और
3. हानि डेटा प्रबंधन (एलडीएम)

Table DF-6: Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach

As on date, SyndicateBank has not entered into any kind securitization transaction.

Table DF-7: Market Risk in Trading Book

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, foreign exchange rates, market prices and volatilities. The Board approved Investment and Market Risk policies and operational guidelines thereon are in place, reviewed annually to ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines.

Market Risk in Trading Book is assessed as per the Standardised Duration approach. The capital charge for Market Risk in Trading Book, i.e., Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) portfolios is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

Capital requirements for market risk

Standardized Duration Approach	Amount ₹ in Millions
Interest rate risk	8,741.84
Foreign exchange risk (including gold)	138.38
Equity risk	3,306.39
Total	**12,186.61**

Table DF-8 : Operational Risk Disclosures

Operational Risk

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems, or from external events. Operational Risk includes legal risk but excludes strategic risk and reputation risk.

Bank has well laid down manual of instructions covering the entire gamut of its business. These manuals are periodically supplemented with circulars to update the information with the developments internal and external to the bank. Bank has a well developed Operational risk management framework, which includes operational management policy, as parent policy and other policies on

1. Risk and Control Self Assessment (RCSA)
2. Key Risk Indicators (KRIs) and
3. Loss Data Management (LDM).

इसके अतिरिक्त बैंक के पास बिज़नेस लाइन मैपिंग नीति, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति, केवाईसी और एएमएल उल्लंघन को रोकने के लिए केवाईसी और एएमएल नीति हैं। दैनिक आधार पर संवेदनशील लेन-देनों की निगरानी हेतु बैंक ने प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों मे परोक्ष निगरानी कक्ष की स्थापना की है जो प्रारंभिक चेतावनी प्रक्रिया प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। बैंक ने हित विरोध पर भी नीति का ढाँचा बनाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि संगठन के प्रति व्यवसायिक दायित्वों का निर्वहन करते समय व्यक्तिगत हित बाधा न बन जाए।

बैंक ने प्राप्त अनुभव के आधार पर और भा.रि.बैं. द्वारा गठित गोपाल कृष्ण समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भी कारोबार निरंतरता योजना नीति को परिशोधित किया है। एक विस्तृत आपदा निवारण योजना बनाई गई है और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी विघटनों से बचने तथा कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु, सूचना सुरक्षा नीति के माध्यम से सूचना सुरक्षा का प्रबंधन किया जाता है।

परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी प्रभार की गणना का दृष्टिकोण

भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक वर्तमान में परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी प्रभार की गणना करने हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपना रहा है।

मानक दृष्टिकोण (टीएसए) की सुविधा के लिए, बैंक ने बिजनेस लाइन के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया को अपनाया है। बैंक ने दिनांक 31.03.2017 तक 24 क्वार्टरों की आय के प्रस्तुतीकरण को पूर्ण किया है। भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित विभिन्न बिजनेस लाइन में स्थित सकल आय के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया तिमाही आधार पर अपनायी गई है और उसे अनुमोदन के लिए परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) को प्रस्तुत किया जाता है।

उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) का प्रवजन करने के लिए बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समाधान (ओआरएमएस) को कार्यान्वित किया है ताकि आंतरिक हानि डेटा; प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई), जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए), परिवेश जैसी पूँजी गणना तथा परिचालनात्मक जोखिम के लिए जोखिम पर मूल्य (वीएआर) की गणना के लिए भी अपेक्षित आवक के सिस्टम चालित फ्लो हो सके। बैंक, परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी प्रभार की गणना के लिए उन्नत दृष्टिकोण के प्रवजन का विश्लेषण भी कर रहा है।

बैंक, भारतीय बैंक संघ द्वारा स्थापित ऋण व परिचालन जोखिम आंकड़ा विनिमय हेतु बैंक कनसोर्सियम (सीओआरडीईएक्स) का संस्थापक सदस्य है। यह बैंक को बाह्य हानि डेटा प्राप्त करने और उसके बाद के परिवेश को विकसित करने में सहायक होता है जो उन्नत मापन दृष्टिकोण के अधीन पूँजी गणना के लिए भी एक आवक है। वर्तमान में, बैंक ने हमारे डेटा सेंटर मुंबई के माध्यम से एक डेडिकेटड लाइन द्वारा कोरडेक्स से कनेक्टिविटी स्थापित की है, जो बाह्य हानि डेटा को प्राप्त करने में सहायक होगा।

सारिणी डीएफ-9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

i. गुणात्मक प्रकटीकरण:

संगठनात्मक ढाँचा :

बोर्ड या निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा बनाए गए जोखिम मानदंडों के तहत बैंक द्वारा बाज़ार जोखिम एक्सपोजर की व्यवस्था करने हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) उत्तरदायी है। आस्ति देयता

In addition to this, Bank has policy on Business Line Mapping, Fraud Risk Management Policy, KYC and AML policies to prevent KYC and AML violations. Bank had created off-site monitoring cells at HO and ROs to monitor sensitive transactions on a daily basis which serves as an early warning system. Bank has also framed a Policy on Conflicts of Interest to ensure that Personal interests are not coming in the way of discharging the Professional duties towards the Organization.

Bank has revised the Business Continuity Plan Policy on the basis of experience gained and also on the basis of the recommendations made by the Gopala Krishna Committee formed by RBI. A detailed disaster recovery plan has been put in place and to address the IT related disruptions & to ensure Business Continuity. Information security is managed through information security policy.

Approach for Computation of Capital Charge for Operational Risk

In accordance with Reserve Bank of India guidelines, the Bank is presently adopting the Basic Indicator Approach (BIA) for measurement of Operational Risk Capital Charge.

For facilitating migration towards The Standardized Approach (TSA), Bank has undertaken the process of Business Line Mapping. Bank has completed mapping of income for 24 quarters as on 31.03.2017. The mapping of Gross Income to various Business Lines as defined by RBI is undertaken on a quarterly basis and the same is being placed before the Operational Risk Management Committee (ORMC) meeting for approval.

For enabling migration to the Advanced Measurement Approach (AMA), Bank has implemented Operational Risk Management Solution (ORMS) to enable system driven flow of the inputs required for Capital Calculation like the Internal loss data, Key Risk Indicators (KRIs), Risk and Control Self Assessment (RCSA), Scenarios and also for the computation of Value at Risk (VaR) for Operational Risk. The Bank is also undertaking analysis for migration to Advanced Approaches for computation of Capital Charge for Operational Risk.

Bank is one of the founder members of CORDEX (Consortium of Banks for Credit & Operational Risk Data Exchange), a company formed by Indian Banks' Association (IBA). This will enable the Bank in collecting External Loss Data and subsequent developing of Scenarios which is also one of the inputs for Capital Calculation under the Advanced Measurement Approach. Presently, Bank has established connectivity to CORDEX through a dedicated line through our data center Mumbai which will facilitate the capture of External loss data.

Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

i. Qualitative Disclosures:

Organizational set-up

ALCO (Asset-Liability Management Committee) is responsible for management of the balance sheet of the

प्रबंधन समिति के पर्यवेक्षण में आस्ति देयता प्रबंधन समूह निगरानी करता है और जोखिम का प्रबंधन करता है। समुद्रपारीय लंदन शाखा के लिए आस्ति-देयता प्रबंधन समूह ब्याज दर जोखिम और तरलता जोखिम की निगरानी करता है।

बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन नीति में निदेशक मंडल जोखिम समिति/ आस्ति-देयता प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित तरलता और ब्याज दर जोखिम पर विवेकपूर्ण मानदंड निहित रहता है। विवेकपूर्ण सीमाओं की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। सीमाओं का व्यतिक्रम होने पर इसकी सूचना, आस्ति-देयता प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति/बोर्ड को दी जाएगी।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम निम्न दो दृष्टिकोणों से व्युत्पन्नित हैं :

- पारंपरिक अंतराल विश्लेषण - अर्जन परिप्रेक्ष्य
- अवधि अंतराल विश्लेषण - आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य

अंतराल विश्लेषण : ब्याज दर अंतराल या असंतुलित जोखिम का आकलन, घरेलू और समुद्रपारीय परिचालनों के लिए दी गई तिथि पर विभिन्न समय-अंतरालों की गणना के आधार पर होता है। अंतराल विश्लेषण का आकलन दर संवेदनशील देयताएँ (आरएसएल) या दर संवेदनशील आस्तियों (आरएसए) (जिनमें तुलनपत्रेतर स्थिति शामिल है) के अंतर के आधार पर होता है। रिपोर्ट, अवशिष्ट परिपक्वता या अगले पुनर्मूल्यांकन, जो भी पहले हो, के अनुसार निर्धारित समय पर, समूह दर संवेदनशील देयताओं, आस्तियों तथा तुलन-पत्रेतर स्थितियों के आधार पर तैयार की जाती है। अपरिपक्व आस्तियों/देयताओं (जैसे आस्ति कॉलम में कार्यकारी पूँजी सुविधा और देयता कॉलम में चालू और बचत बैंक जमा)का वर्गीकरण समयानुसार भा.रि.बैं. के निश्चित मानदंडों के अनुरूप की जाती है। आर.एस.ए. और आर.एस.एल. के बीच प्रत्येक समयसूची का अंतर उस समय के अंतर को दर्शाता है। अंतर की अभिदशा यह दर्शाती है कि निवल आय सकारात्मक है या नकारात्मक और ब्याज दर में परिवर्तन की ओर इंगित करती है और अनुमानतः ब्याज आय में आए अंतर को पूर्ण करने हेतु ब्याज पर परिवर्तन किया जाता है। बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन नीति का अभिप्राय असंतुलन के लिए बकेटवार सीमाओं को दूर करता है।

जोखिम पर अर्जन (ईएआर): अंतर यह दर्शाता है कि बैंक (आरएसए>आरएसएल) के सकारात्मक अंतर के कारण ब्याज दर घटाने की स्थिति में है। बैंक ब्याज दरों के स्तर में 200 बेसिक प्वाइंट के आधार पर निवल ब्याज आय (एनआईआई) केईएआर की निगरानी करता है। पिछले वर्ष की एनआईआई की प्रतिशतता से इस वर्ष की एनआईआई की प्रतिशतता का प्रभाव हमें बैंक के अरक्षित जोखिम की स्पष्ट गणना करने में सहायक होता है। ईएआर की गणना बैंकिंग बही व ट्रेडिंग बही में शामिल की गई है।

ईक्विटी का आर्थिक मूल्य (ईवीई): ब्याज दरों में परिवर्तन, बैंक की ईक्विटी के बाज़ार मूल्य पर दीर्घावधि प्रभाव डालता है; साथ ही, बैंक का आर्थिक मूल्य, बैंक की आस्ति एवं देयताएं और बैंक की तुलनपत्रेत्तर स्थितियाँ भी प्रभावित होती हैं। आस्ति देयताओं और ईक्विटी पर ब्याज दर की संवेदनशीलता का मापदंड अवधि है। ब्याज दर में परिवर्तन करने पर आस्ति या देयताओं (या ईक्विटी) के बाज़ार मूल्य में अंतर की प्रतिशतता

Bank with a view to managing the market risk exposure assumed by the Bank within the risk parameters laid down by the Risk Management Committee of the Board or the Board of Directors. The Asset Liability Management Group at the Bank monitors and manages the risk under the supervision of ALCO. At overseas branch, London, ALM group monitors interest rate risk along with liquidity risk.

The ALM Policy of the Bank contains the prudential limits on liquidity and interest rate risk, as prescribed by the Board of Directors/Risk Committee/ALCO. The prudential limits are monitored on regular basis. Any breach in the limits will be reported to ALCO/ RMC/ Board.

Interest Rate Risk in Banking Book is derived under following two approaches:

- Traditional Gap Analysis – Earnings perspective
- Duration Gap Analysis – Economic value perspective

Gap analysis: The interest rate gap or mismatch risk is measured by calculating gaps over different time intervals at a given date for domestic and overseas operations. Gap analysis measures mismatches between Rate Sensitive Liabilities (RSL) and Rate Sensitive Assets (RSA) (including off-balance sheet positions). The report is prepared by grouping rate sensitive liabilities, assets and off-balance sheet positions into time buckets according to residual maturity or next re-pricing period, whichever is earlier. For non-maturity assets/ liabilities (for instance, working capital facilities on the assets side and current and savings account deposits on the liabilities side) grouping into time buckets is done based on behavioral studies or by making certain assumptions in line with RBI guidelines. The difference between RSA and RSL for each time bucket signifies the gap in that time bucket. The direction of the gap indicates whether net interest income is positively or negatively impacted by a change in the direction of interest rates and the extent of the gap approximates the change in net interest income for that given interest rate shift. The ALM Policy of the Bank stipulates bucket-wise limits for mismatches.

Earnings at Risk (EaR): The gap reports indicate whether the Bank is in a position to benefit from rising interest rates by having a positive gap (RSA > RSL) or whether it is in a position to benefit from declining interest rates by a negative gap (RSL > RSA). The Bank monitors the EaR with respect to net interest income (NII) based on a 200 basis points adverse change in the level of interest rates. The magnitude of the impact over a one year period, as a percentage of the NII of the previous year gives a fair measure of the earnings risk that the Bank is exposed to. The EaR computations include the banking book as well as the trading book.

Economic Value of Equity (EvE): Change in the interest rates also have a long-term impact on the market value of equity of the Bank, as the economic value of the Bank's assets, liabilities and off-balance sheet positions is impacted. Duration is a measure of interest rate sensitivity of assets, liabilities and also equity. It may be defined as the percentage change in

को परिभाषित करता है। इस प्रकार से ब्याज दरों में परिभाषित परिवर्तन के कारण किसी कंपनी की ईक्विटी के बाज़ार मूल्य में परिवर्तन होता है तो ईवीई उसका मापदंड होता है। बैंक, अपने घरेलू और समुद्रपारीय परिचालनों के आईआरआरबीबी की व्यवस्था करने के लिए ईवीई के एक ढाँचे के रूप में इस्तेमाल करता है। एसएलएम नीति बैंक की समग्र ईवीई को अनुबंधित करती है।

ii. परिमाणात्मक प्रकटीकरण:

ब्याज दर जोखिम पर प्रभाव

अर्जन परिप्रेक्ष्य (पारंपरिक अंतराल विश्लेषण)–बैंक अर्जन पर प्रभाव

राशि (₹ मिलियन में)

	ब्याज दर में वृद्धि		ब्याज दर में कमी	
	100 बीपीएस	200 बीपीएस	100 बीपीएस	200 बीपीएस
आई एन आर	4969	9938	(4969)	(9938)
यू एस डी	(78)	(156)	78	156
अन्य	33	65	(33)	(65)
योग	**4924**	**9847**	**(4924)**	**(9847)**

आर्थिक परिप्रेक्ष्य (अवधि अंतराल विश्लेषण)–निवल मालियत पर प्रभाव

क्रम संख्या	विवरण	मूल्य
1	दर संवेदनशील देयताओं हेतु भारित औसत संशोधित अवधि	1.07
2	दर संवेदनशील आस्ति की भारित औसत संशोधित अवधि	1.27
3	ब्याज दर में 1% बदलाव हेतु निवल मालियत पर प्रभाव	6394.49
4	ब्याज दर में 2% बदलाव हेतु निवल मालियत पर प्रभाव	12801.36

ब्याज–दर जोखिम को मापने की आवृत्ति

बैंकिंग बही में ब्याज–दर जोखिम की संगणना बैंक द्वारा मासिक आधार पर की जाती है। बैंक, ब्याज–दर में बदलाव के साथ ईक्विटी के बाज़ार मूल्य में संभावित गिरावट की भी मासिक आधार पर गणना करता है। मासिक आधार पर जोखिम पर अर्जन की माप पारंपरिक अंतराल विश्लेषण के द्वारा की जाती है।

सारिणी डीएफ–10–प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्स्पोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण

i. गुणात्मक प्रकटीकरण

- बैंक के पास व्युत्पन्नी जमाओं हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक उत्तम नीति है।
- बैंक, अपने तुलनपत्र में जोखिम से बचने के लिए और व्यापार/मर्केट तैयार करने के उद्देश्य से व्युत्पन्नी कारोबार करता है। बैंक,

the market value of an asset or liability (or equity) for a given change in interest rates. Thus EvE is a measure of change in the market value of equity of a firm due to the identified change in the interest rates. The Bank uses EvE as a part of framework to manage IRRBB for its domestic and overseas operations. The ALM Policy stipulates a limit on the overall EvE of the Bank.

ii. Quantitative disclosures:

Impact of interest rate risk

Earnings perspective (Traditional Gap Analysis) - Impact on Bank earning

Amount (₹ in Millions)

	Interest rate rise by		Interest rate fall by	
	100 bps	200 bps	100 bps	200 bps
INR	4969	9938	(4969)	(9938)
USD	(78)	(156)	78	156
Others	33	65	(33)	(65)
Total	**4924**	**9847**	**(4924)**	**(9847)**

Economic perspective (Duration Gap Analysis) – Impact on Net worth

Sl. No.	PARTICULARS	Value
1	Weighted Average Modified Duration of Rate Sensitive Liabilities	1.07
2	Weighted Average Modified Duration of Rate Sensitive Assets	1.27
3	For 1% change in interest rate – Impact on Net Worth	6394.49
4	For 2% change in interest rate – Impact on Net Worth	12801.36

Frequency of Measurement of interest rate risk

Measurement and Computation of Interest rate risk in Banking Book is carried out by the Bank on a monthly basis. Bank also calculates on a monthly basis, the likely drop in Market Value of Equity with change in interest rates. Earnings-at-Risk is measured on a monthly basis using Traditional Gap Analysis.

Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

i. Qualitative Disclosures

- The Bank has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- The Bank is undertaking derivative transactions for hedging risks on its Balance Sheet as well as for trading/market-making purposes. Bank is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest

एफआरए, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली तथा मुद्रा विकल्प जैसे व्युत्पन्नी कारोबार बैंक एवं गैर-बैंक प्रतिपक्षकारों के साथ करता है। बैंक केवल मुद्रा वायदा एक्सचेंज के मालिकाना ट्रेडिंग की स्थिति बताता है।

- भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए तथा सिंड 01 - सिंड 04 रेटिंग वाले ग्राहकों के लिए पिछले निष्पादन-श्रेणी के तहत वायदा संविदाएँ बुक की गई।
- वर्ष के दौरान बैंक ने बचाव के उद्देश्य से ब्याज दर अदला-बदली और एफआरए को अपनाया ताकि लंदन शाखा में देयताओं के लिए बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम को कम किया जा सके।
- मूल और ब्याज दोनों के लिए एक-एक करके विदेशी मुद्रा अदला-बदली अपनाई गई और इस प्रकार से बिना किसी लागत व्यय के विनिमय दर जोखिम और ब्याज दर जोखिम से बचाव हो गया।
- लगातार 10 वर्षों तक बिना किसी जोखिम के उसी परिस्थिति में विदेशी मुद्रा अदला-बदली जारी रही।
- केवल सिंड 01 से 04 रेटिंग के ज़रिये गैर-बैंक प्रतिपक्षकार के लिए मुद्रा अदला-बदली की गई।
- निगरानी करने के बजाए व्युत्पन्नों एवं एमआईएस के साथ जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए बैंक ने नियमित निगरानी की एक प्रणाली तैयार की है।
- बैंक ने, प्रतिपक्षकारों की ऋण जोखिम सीमाओं के मूल्यांकन तथा नियमित निगरानी की व्यवस्था की है।
- चालू ऋण एक्सपोज़र विधि (सीईएम) के आधार पर व्युत्पन्न लेन-देनों के लिए ऋण एक्सपोज़र की निगरानी की जाती है।
- सीसीआइएएल/सीएलएस के द्वारा प्रतिपक्षकार एक्सपोज़र सीमाओं, देशी जोखिम एक्सपोज़र सीमाओं और निपटान जोखिम को न्यूनतम करके ऋण जोखिम की निगरानी की जाती है।
- हमारे प्रतिपक्षकार बैंकों और गैर-बैंक प्रतिपक्षकार के साथ बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा के अंतर्गत लेन-देन किए जाते हैं। बिना किसी बाज़ार जोखिमों के एक-एक करके गैर-बैंक प्रतिपक्षकारों के साथ लेन-देन किया जाता है।
- बैंक जटिल व्युत्पन्नों में कोई एक्सपोज़र नहीं रखता है और न ही उप-प्रमुख आस्तियों में कोई सीधा एक्सपोज़र रखता है।
- बैंक ने किसी खाते को न तो क्रिस्टिलाइज या अपलिखित किया है और न ही व्युत्पन्नों के लेन-देन में बचाव के अंतर्गत किसी प्रकारी की हानि उठाई है।
- ब्याज पर प्रतिकूल असर से बचने और जोखिम के स्तर को कम करने के लिए फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस में विभाजन किया गया है। मिड ऑफिस सीधे जोखिम प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट कार्यालय, बेंगलूरु को रिपोर्ट करता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार आईएसडीए करार प्रत्येक प्रतिपक्षकार बैंक/गैर-बैंक ग्राहकों के साथ निष्पादित /विनिमय किए जाते हैं।
- मिड ऑफिस व्यापारिक लेन-देनों में उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को स्वतंत्र रूप से कदम उठाते हुए निगरानी करता है।
- बोर्ड/भा.रि.बैं. द्वारा स्वीकृत समग्र अंतराल सीमाओं तथा निवल ओवरनाइट जोखिमरहित सीमाओं के तहत लेन-देन किए गए।

rate swaps, Currency swaps and Currency Options, with bank and Non-bank Counter parties. The Bank is only undertaking proprietary trading position in Currency Futures on two Exchanges.

- Forward contracts under past performance category are booked for clients with Rating SYND 01 - SYND 04 only and on complying with RBI guidelines.
- During the year Bank undertook Interest Rate Swaps and FRA for hedging Purpose to Mitigate Interest Rate Risk in Banking Book for Liabilities at London Branch.
- Cross Currency swaps are undertaken for both principal and interest, back-to-back, thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.
- Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 10 years, covering the same back-to-back without any open position.
- Currency swaps are undertaken for non-bank counterparty with ratings SYND 01 to 04 only.
- The bank has set in place appropriate control system to assess the risks associated with Derivatives and MIS in place to monitor the same.
- The Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of Credit Risk limits of counter-parties.
- Credit exposures for derivative transactions are monitored on the basis of Current Exposure Method (CEM).
- Credit Risk is monitored by setting up counterparty exposure limits setting country risk exposure limits and mitigating settlement risk through CCIL / CLS.
- The transactions with our Counterparty Banks and non-bank counterparty are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counterparties are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- The Bank is not having any exposure in complex derivatives nor has it any direct exposure to the sub-prime assets.
- The Bank has not crystallized and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking derivative transactions.
- The segregation of Front Office, Mid Office and Back Office is ensured to avoid conflict of interests and to mitigate the degree of risk. The Mid Office is directly reporting to Risk Management Department at Corporate Office, Bangalore.
- ISDA agreements are executed / exchanged with every counterparty banks and non-bank clients as per RBI guidelines.
- Mid Office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.
- The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits and Net Overnight Open position limits sanctioned by the Board / RBI.

- बचाव के उद्देश्य से किया गया कोई भी लेन-देन यदि अप्रतिभूत होता है तो उसे ट्रेडिंग लेन-देन माना जाता है और उसे परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति होती है।
- लेन-देनों को सुरक्षित या असुरक्षित लेन-देन के रूप में अलग से वर्गीकृत किया जाता है और उसे अच्छे मूल्य के रूप में माना गया।
- एक-एक करके कवर किए गए लेन-देनों तथा बैंक की आस्ति और देयताओं को जोखिम से बचाव सहित किए गए लेन-देनों का मूल्यांकन निर्धारित मूल्य और उपार्जन के आधार पर गणना किए गए ब्याज के अनुसार किया गया।
- निवेश हेतु: यदि खरीदी के समय कोई प्रीमियम लिया गया हो तो उसका परिशोधन लेन-देन की अवधि के आधार पर किया जाएगा। लाभ का परिशोधन परिपक्वता पर किया गया। अग्रिम लेखा में प्राप्त आय के साथ बट्टे को रखा गया है और परिपक्वता पर उसे लाभ व हानि खाते में समायोजित किया जाता है।
- बेजमानती होने से बाज़ार में हानि दर्शानेवाला बनने से बचाव के उद्देश्य से किए गए लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाता है। फिरभी, अवधि के दौरान कोई बचाव वाली लेने-देन बेजमानती नहीं हुई।
- बाज़ार निर्माण के उद्देश्य से किए गए लेन-देन पाक्षिक आधार पर चिह्नित किए गए हैं और जो बचाव के उद्देश्य से किए गए हैं उसे उपार्जित आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- स्वीकृति की शर्तों के अनुसार संपार्श्विकों को भी लिया जाता है।
- परिपक्वता में एक वर्ष से कम बची लघु अवधि के अंतर्गत 85.46 प्रतिशत की व्युत्पन्न गिरावट।

ii. परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(ए) हमारी लंदन शाखा में, वायदा दर करार/ ब्याज दर अदला-बदली/विदेशी मुद्रा अदला-बदली। एफआरए/आईआरएस करार यूएसडी मुद्रा में होते हैं।

क्रम संख्या	मद	रकम (₹ मिलियन में)
i)	अदला-बदली करार के आनुमानिक मूलधन	66,147.00
ii)	यदि प्रतिपक्षकार, करार (1) के अंतर्गत अपनी दायित्व को पूर्ण कर नहीं पाता है तो होनेवाली हानि (सीसीई का मूल्य)	1,209.30
iii)	अदला-बदली में भाग लेने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	0.00
iv)	अदला-बदली से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण	0.00
v)	अदला-बदली बही (2) का उचित मूल्य (धनात्मक एवं ऋणात्मक एमटीएम का निवल)	586.70

नोट : तुलन पत्र के अंतर से बचने के लिए बैंक के प्रति सभी एफआरए एवं आईआरएस किया जाता है। समतुल्य परिपक्वतावाले ब्याज दर अदला-बदली करार में शामिल होते हुए निश्चित ब्याज दर देयता को अस्थिर दर देयता में परिवर्तित किया जाता है।

- Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Bank assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- For Investment: Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transaction. Profit is recognized on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to Profit and Loss account on maturity.
- Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which became naked resulting in mark-to market losses. However during the period no Hedge Transaction turns naked.
- Transactions for market making purposes are marked-to-market at monthly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.
- Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.
- 85.46% of Derivatives fall under the short tenure of less than one year of remaining Maturity.

ii. Quantitative Disclosures

A. Forward Rate Agreements//Interest Rate Swaps at London Branch. The FRAs/IRS' are contracted in USD.

Sl. No.	Items	Amount (₹ in Millions)
i)	The notional principal of the swap agreements	66,147.00
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfill their obligations under the agreements (1) (value of CCE)	1,209.30
iii)	Collateral required by the bank upon entering the swap	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00
v)	The fair value of the swap book (2) (Net of Positive and Negative MTM)	586.70

Note: All FRA and IRS undertaken are against Banks to hedge Balance sheet gaps. The fixed interest rate liability was converted in to Floating rates by entering in to Interest Rate Swaps of matching maturity.

हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग मुंबई में यूएसडी/आईएनआर में मुद्रा की अदला-बदली:

क्रम संख्या	मद	रकम (₹ मिलियन में)
i)	अदला-बदली करार के आनुमानिक मूलधन	6,542.50
ii)	यदि प्रतिपक्षकार, करार (1) के अंतर्गत अपनी दायित्व को पूर्ण कर नहीं पाता है तो होनेवाली हानि	294.90
iii)	अदला-बदली में भाग लेने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	0.00
iv)	अदला-बदली से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण	0.00
v)	अदला-बदली बही (2) का उचित मूल्य	20.8

- हानियों को, ऋण एवं पुन:स्थापन जोखिम सहित कुल ऋण निवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- उपर्युक्त अदला-बदली पर प्राप्य या देय निवल एमटीएम ही अदला-बदली बही का उचित मूल्य है।
- आस्थियों एवं देयताओं के असंतुलन का प्रबंधन और अपने बही खातों की बचाव व्यवस्था के लिए बैंक द्वारा वायदा दर करार (एफ आरए) और ब्याज दर अदला-बदली (आईआरएस) की जाती है। एक्सपोजरों से बचाव तथा समान शर्तों सहित दुतरफा रक्षा के लिए ग्राहकों के साथ मुद्रा अदला-बदली की गयी है।
- ऋण एवं राजकोष नीतियों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करनेवाले प्रतिपक्षकारों के साथ इन व्युत्पन्न संव्यवहारों को किया जाता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित इन नीतियों में ऋण एवं बाज़ार जोखिमों के प्रबंधन एवं निगरानी के लिए विभिन्न मानदंड/सीमाएं होती हैं ।
- भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार ही इन व्युत्पन्न संव्यवहारों के लिए लेखाकरण नीति बनाई गई है।

बी. विनिमय बाज़ार में व्यापारित व्युत्पन्न

मुद्रा वायदे:

बैंक, तीन विनिमय कंपनियों में यूएसडी/आईएनआर में मुद्रा वायदों पर स्वामित्व व्यापार करता है। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदों के अंतर्गत कोई बकाया संविदा नहीं है।

ब्याज दर वायदे:

दि. 31.03.2017 की स्थिति में विनिमय व्यापारित ब्याज दर उत्पन्न **शून्य** है। बैंक, द्वारा विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न संबंधी व्यवहार नहीं किया जा रहा है।

डी एफ 11, 12, 13,14,17 एवं 18 के तहत प्रकटीकरण – पूंजी और समाधान अपेक्षाओं का गठन, विनियामक पूंजी उपकरणों को मुख्य विशेषताएं और निर्गम के नियम व शर्तें, लेखांकन आस्तियों के तुलना सार बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र उपाय तथा लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेंपलेट बैंक के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

Currency swaps at International Division, Mumbai in USD/INR :

Sl. No.	Items	Amount (₹ in Millions)
i)	The notional principal of the swap agreements	6,542.50
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfill their obligations under the agreements (1)	294.90
iii)	Collateral required by the bank upon entering the swap	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00
v)	The fair value of the swap book (2)	20.8

- Losses have been defined as the Total Credit Exposure inclusive of Credit and Replacement Risk.
- Fair Value of Swaps book is the Net MTM receivable or Payable on the above Swaps.
- Forward Rate Agreement (FRA's) and Interest Rate Swaps (IRS's) were undertaken by the Bank to hedge its own books and for managing assets and Liability mismatches. Currency Swaps has been undertaken with customer for hedging their exposures and covered back-to-back with identical terms.
- These Derivatives transactions are entered with counter parties satisfying the criteria as prescribed by the Credit and Treasury Policies. These Board approved policies prescribes various parameters/limits to manage and monitor Credit and Market Risks.
- The accounting Policy for Derivatives has been drawn up in accordance with the RBI guidelines.

B. Exchange Traded Derivatives

Currency Futures:

The Bank undertakes proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on two recognized Exchanges. There is no Outstanding Contracts under Currency future as on 31.03.2017.

Interest Rate Futures:

Exchange Traded Interest Rate Derivative is **NIL** as on 31.03.2017. The Bank is not dealing in Exchange Traded Interest Rate Derivatives.

Disclosures under DF 11,12,13,14,17 & 18 – Composition of capital and reconciliation requirements, Main features of regulatory capital instruments and terms and conditions of issue, Summary comparison of accounting assets vs leverage ratio exposure measure and Leverage Ratio common disclosure template are placed on the website of the Bank.

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने सिंडिकेटबैंक के संलग्न वित्तीय विवरण तथा उसके साथ प्राप्त 31 मार्च, 2017 की स्थिति में तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी उपलब्धता विवरण और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का लेखा-परीक्षण किया। इन वित्तीय विवरणियों के अंतर्गत हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित 20 शाखाओं के विवरण शामिल हैं, शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1,862 शाखाओं की रिपोर्ट हैं तथा स्थानीय लेखा-परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षित एक विदेशी शाखा की रिपोर्ट भी शामिल है। हमारे द्वारा लेखा परीक्षण की जानेवाली शाखाएँ तथा अन्य लेखा परीक्षकों का चयन, बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा निदेशों के अनुसार किया है। तुलन पत्र तथा लाभ व हानि खाते में वैसी 2,050 शाखाओं के विवरण शामिल हैं जिनका लेखा-परीक्षण अभी नहीं किया गया है। इन लेखा-अपरीक्षित शाखाओं के लेखा में 4.98 प्रतिशत अग्रिम, 24.24 प्रतिशत जमाराशियाँ, 6.47 प्रतिशत ब्याजी आय तथा 27.19 प्रतिशत ब्याजी व्यय शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निदेशों और सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों की तैयारी का दायित्व प्रबंधन का है। इस दायित्व के अंतर्गत, वित्तीय विवरण की तैयारी से संबंधित उसकी संरचना, कार्यान्वयन तथा आंतरिक नियंत्रण कायम रखना शामिल है जो गलत विवरणी से मुक्त है भले ही वह जालसाजी या भूल से हुआ हो।

लेखा-परीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व है कि अपने लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रस्तुत करें। हमने, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानक के अनुसार लेखा-परीक्षण किया है। उन मानदंडों के अनुसार हम आवश्यक योजना बनाते हैं तथा लेखा-परीक्षा करते समय पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करते हैं कि संबंधित वित्तीय विवरण गलत विवरणों के आधार पर तैयार नहीं किया गया है।

4. लेखा-परीक्षा के अंतर्गत रकम तथा वित्तीय विवरणों के स्पष्टीकरण से संबंधित लेखा-परीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। अपनाई गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें यह भी शामिल है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The President of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of SYNDICATE BANK, which comprise the Balance Sheet as on March 31, 2017, Profit and Loss Account, Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us, 1,862 branches audited by branch auditors and 1 foreign branch audited by a local auditor. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 2,050 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 4.98 percent of advances, 24.24 percent of deposits, 6.47 percent of interest income and 27.19 percent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India guidelines from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend upon the auditors' judgment, including the

गलत तरीके से विवरण प्रस्तुत तो नहीं किया गया है जो भले ही धोखाधडीवश हो या भूलवश, और इन बातों से संबंधित जोखिमों का भी निर्धारण करना पड़ता है। इस प्रकार के जोखिमों का निर्धारण करते समय लेखा परीक्षक, बैंक से संबंधित आंतरिक नियंत्रण तथा वित्तीय विवरणों के सही ढंग से प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित ढंग से लेखा-परीक्षा प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जा सके। किन्तु बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर राय प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए नहीं है। अपनाई गई लेखा नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए लेखा आकलनों की उपयुक्तता और इसके साथ-साथ वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण भी लेखा-परीक्षा में शामिल है।

5. हम विश्वास करते हैं कि हमें जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं वे हमारी लेखा-परीक्षा राय के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं।

राय

6. हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और बैंक की लेखा बहियों में दर्शाए गए अनुसार:
   i) सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित तुलन पत्र पूर्ण और सही है तथा उसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है एवं उसे इस प्रकार उचित तरीके से तैयार किया गया है कि उसमें बैंक के 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार उसके कामकाज का सही और वास्तविक चित्र प्रदर्शित होता है।
   ii) सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में महत्वपूर्ण लेखाकार नीतियों और उनकी टिप्पणियों के साथ पठित लाभ-हानि लेखा उस लेखे से संबंधित लाभ को लेखाकरण वर्ष का सही शेष दर्शाता है।
   iii) नकदी उपलब्धता विवरण अपनी वर्ष समाप्ति तिथि की स्थिति में सत्य एवं उचित विवरण दर्शाता है।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

7. तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं।

8. उपर्युक्त 1 से 5 पैराग्राफ में निर्दिष्ट लेखा-परीक्षा की मर्यादा के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 द्वारा यथा अपेक्षित तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन रहते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
   ए) हमने अपनी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा हेतु सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है।

assessment of the risks of material misstatement of the financial statements whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion and as shown by books of the Bank and to the best of our information and according to the explanations given to us:
   i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as on March 31, 2017 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
   ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of Profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the accounts; and
   iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
   a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

बी) बैंक के जो लेन-देन हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं।

सी) बैंक की शाखाओं और उसके कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

9. आगे हम रिपोर्ट करते है कि

ए) इस रिपोर्ट के साथ तैयार तुलन पत्र और लाभ एवं हानि लेखा के साथ विवरणियों और खाता-बहियों के करार है।

बी) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा परीक्षित शाखा कार्यालय की लेखा-रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा पर्याप्त ध्यान रखा गया है।

सी) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानदंडों के अनुरूप हैं।

कृते गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 000859एस

कृते मणियन एंड राव
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 001983एस

कृते मेसर्स **पी जी भागवत**
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 101118डब्ल्यू

जी हरि गोविन्द
साझेदार
सदस्यता सं.: 206563

परेश डागा
साझेदार
सदस्यता सं.: 211468

संदीप राव
साझेदार
सदस्यता सं.: 047235

कृते एस एन कपूर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 001545सी

कृते अगस्ती एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ आर एन: 313043ई

एस एन कपूर
साझेदार
सदस्यता सं.: 014335

राज कुमार अगस्ती
साझेदार
सदस्यता सं.: 304920

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 09.05.2017

b. The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

9. We further report that:

a. The Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;

b. The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

c. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

For GANESAN AND COMPANY
Chartered Accountants
FRN : 000859S

For MANIAN & RAO
Chartered Accountants
FRN : 001983S

For M/s P G BHAGWAT
Chartered Accountants
FRN : 101118W

G HARI GOVIND
Partner
Membership No. 206563

PARESH DAGA
Partner
Membership No. 211468

SANDEEP RAO
Partner
Membership No. 047235

For S N KAPUR & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN : 001545C

For AGASTI & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN : 313043E

S N KAPUR
Partner
Membership No. 014335

RAJ KUMAR AGASTI
Partner
Membership No. 304920

Place : Bengaluru
Date : 09.05.2017

तुलन–पत्र BALANCE SHEET

31 मार्च, 2017 का तुलन–पत्र
BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2017

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

पूंजी और देयताएँ CAPITAL & LIABILITIES	अनुसूची सं. Schedule No.	As on दि. 31.03.2017 को	As on दि. 31.03.2016 को
पूंजी/Capital	1	**904 53 94**	703 37 16
शेयर आवेदन मुद्रा बकाया आबंटन Share Application Money Pending Allotment		**0**	740 00 00
आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves and Surplus	2	**13279 64 19**	11634 60 94
जमाराशियाँ/Deposits	3	**260560 86 35**	261735 34 40
उधार/Borrowings	4	**17475 52 42**	25501 20 09
अन्य देयताएँ और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions	5	**6852 76 67**	7652 91 89
योग/TOTAL		**299073 33 57**	307967 44 48
आस्तियाँ/ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशियाँ Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**13108 94 79**	13338 55 74
बैंकों के पास शेषराशियाँ और माँग और अल्प सूचना पर देय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**12123 22 61**	15876 82 67
निवेश/Investments	8	**65465 39 96**	68621 86 68
अग्रिम/Advances	9	**199669 35 26**	201368 48 99
अचल आस्तियाँ/Fixed Assets	10	**2454 07 04**	2406 90 84
अन्य आस्तियाँ/Other Assets	11	**6252 33 91**	6354 79 56
योग/TOTAL		**299073 33 57**	307967 44 48
आकस्मिक देयताएँ/Contingent Liabilities	12	**93278 71 95**	81329 95 45
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection		**5527 89 68**	6029 94 97
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ/Notes on Accounts	18		

सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव कार्यपालक निदेशक | **आर एस पाण्डेय** कार्यपालक निदेशक | **अरुण श्रीवास्तव** प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ.

रा ना दुबे निदेशक | **रुद्र नारायण कर** निदेशक | **जयंत पी गोखले** निदेशक

वंदना कुमारी जेना निदेशक | **जी रमेश** निदेशक | **कमल किशोर सिंघल** निदेशक

सुनील वशिष्ठ निदेशक | **दीपेश डी देढ़िया** सहायक महा प्रबंधक | **जी मोहन राव** महा प्रबंधक

CH S S Mallikarjuna Rao Executive Director | **R S Pandey** Executive Director | **Arun Shrivastava** Managing Director & CEO

R N Dubey Director | **Rudra Narayan Kar** Director | **Jayant P Gokhale** Director

Vandana Kumari Jena Director | **G Ramesh** Director | **Kamal Kishore Singhal** Director

Sunil Vashisht Director | **Deepesh D Dedhia** Asst. General Manager | **G Mohan Rao** General Manager

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 09.05.2017

Place : Bengaluru
Date : 09.05.2017

लाभ व हानि लेखा PROFIT & LOSS ACCOUNT

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2016
I.	**आय/INCOME**			
	अर्जित ब्याज/Interest Earned	13	**23003 78 71**	23197 78 02
	अन्य आय/Other Income	14	**3457 39 38**	2508 73 26
	योग/TOTAL		**26461 18 09**	25706 51 28
II.	**व्यय/EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज/Interest Expended	15	**16727 81 72**	17213 07 80
	परिचालन व्यय/Operating Expenses	16	**5500 13 31**	5242 12 20
	प्रावधान और आकस्मिकताएँ/Provisions and Contingencies		**3874 28 13**	4894 79 83
	योग/TOTAL		**26102 23 16**	27349 99 83
III.	**लाभ/PROFIT**			
	वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)/Net Profit / (Loss) for the Year		**358 94 93**	-1643 48 55
	आगे लाया गया लाभ/(हानि)/Profit / (Loss) brought forward		**0**	0
	योग/TOTAL		**358 94 93**	-1643 48 55
IV.	**विनियोजन/APPROPRIATIONS**			
	अंतरण/Transfer to :			
ए/A	सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve		**89 73 73**	
बी/B	आरक्षित पूंजी/Capital Reserve		**96 36 98**	48 15 26
सी/C	राजस्व आरक्षित निधि/Revenue Reserve			-1691 63 81
डी/D	आयकर अधिनियम 1961, धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि Special Reserve under Section 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		**172 84 22**	
ई/E	प्रस्तावित अंतिम लाभांश/Proposed Final Dividend			
एफ/F	प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर/Tax on Proposed Final Dividend			
	योग/TOTAL		**358 94 93**	-1643 48 55
	प्रति शेयर मूल/मिश्रित अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- अंकित मूल्यवाले) Basic/Diluted Earnings per share (Face value of ₹10 each)		**4.21**	-24.82
	महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां/Significant Accounting Policies	17		
	लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts	18		

कृते गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 000859एस)

(जी हरि गोविंद)
साझेदार
सदस्यता सं.: 206563

कृते मणियन एंड राव
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 001983एस)

(परेश डागा)
साझेदार
सदस्यता सं.: 211468

कृते मेसर्स पी जी भागवत
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 101118डब्ल्यू)

(संदीप राव)
साझेदार
सदस्यता सं.: 047235

कृते एस एन कपूर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 001545सी)

(एस एन कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं.: 014335

कृते अगस्ती एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 313043ई)

(राज कुमार अगस्ती)
साझेदार
सदस्यता सं.: 304920

For **Ganesan and Company**
Chartered Accountants
(FRN : 000859S)

(G Hari Govind)
Partner
Membership No. 206563

For **Manian & Rao**
Chartered Accountants
(FRN : 001983S)

(Paresh Daga)
Partner
Membership No. 211468

For **M/S P G Bhagwat**
Chartered Accountants
(FRN : 101118W)

(Sandeep Rao)
Partner
Membership No. 047235

For **S N Kapur & Associates**
Chartered Accountants
(FRN : 001545C)

(S. N. Kapur)
Partner
Membership No. 014335

For **Agasti & Associates**
Chartered Accountants
(FRN : 313043E)

(Raj Kumar Agasti)
Partner
Membership No. 304920

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 09.05.2017

Place : Bengaluru
Date : 09.05.2017

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 1 : पूँजी/SCHEDULE-1 : CAPITAL

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2017 को	As on दि. 31.03.2016 को
	प्राधिकृत पूँजी 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 **AUTHORISED CAPITAL: 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each**	**3000 00 00**	3000 00 00
I.	**निर्गत, अभिदत्त, मांगी गई और प्रदत्त पूँजी**/ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED and PAID UP CAPITAL		
	अथशेष/Opening Balance	**703 37 16**	662 05 92
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the Year	**201 16 78**	41 31 24
	90,45,39,438 (पिछले वर्ष 70,33,71,629) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 90,45,39,438 (Previous year 70,33,71,629) Equity Shares of ₹10/- each	**904 53 94**	703 37 16
	ए) केंद्र सरकार द्वारा धारित/Held by Central Government 65,95,62,697 (पिछले वर्ष 45,83,94,888) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 65,95,62,697 (Previous Year 45,83,94,888) Equity Shares of ₹10/- each	**659 56 27**	458 39 49
	बी) जनता तथा अन्य द्वारा धारित/ Held by Public and Others 24,49,76,741 (पिछले वर्ष 24,49,76,741) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 24,49,76,741 (Previous Year 24,49,76,741) Equity Shares of ₹10/- each	**244 97 67**	244 97 67
II.	बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान्य शेयर Perpetual Non-Cumulative Preference Share	**0**	0
	योग/TOTAL	**904 53 94**	703 37 16
III.	शेयर आवेदन मुद्रा बकाया आबंटन (केंद्र सरकार) Share Application Money Pending Allotment (Central Government)	**0**	740 00 00

अनुसूची – 2 : आरक्षित निधि और अधिशेष/SCHEDULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2017 को		As on दि. 31.03.2016 को	
I.	**सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	3383 01 82		3383 01 82	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	89 73 73	3472 75 55	0	3383 01 82
II.	**आरक्षित पूंजी/Capital Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	189 70 90		141 55 64	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	96 36 98	286 07 88	48 15 26	189 70 90
III.	**शेयर प्रीमियम/Share Premium**				
	अथशेष/Opening Balance	1855 73 11		1680 11 19	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	1314 83 22	3170 56 33	175 61 92	1855 73 11
IV.	**पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि/Revaluation Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	1612 36 02		918 47 95	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	1 98 30		752 22 81	
		1614 34 32		1670 70 76	
	घटाएं: राजस्व आरक्षित निधि में अंतरण/Less: Transferred to Revenue Reserve	18 72 33	1595 61 99	58 34 74	1612 36 02
V.	**सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	581 16 40		581 16 40	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	0	581 16 40	0	581 16 40
VI.	**राजस्व और अन्य आरक्षित निधि/Revenue and Other Reserves**				
	अथशेष/Opening Balance	2592 37 54		4283 64 81	
	जोडें: पुनर्मूल्य आरक्षित निधि से अंतरण Add: Transferred from Revaluation Reserve:	18 72 33		36 54	
		2611 09 87		4284 01 35	
	जोडें: लाभ व हानि खाते से अंतरण/Add: Transfer from Profit and Loss Account	0	2611 09 87	-1691 63 81	2592 37 54
VII.	**विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि/Foreign Currency Translation Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	56 62 44		45 11 17	
	जोडें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less): Adjustments during the year	-30 73 20	25 89 24	11 51 27	56 62 44
VIII.	**विशिष्ट आरक्षित निधि/Special Reserve** **(आय कर अधिनियम1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत)** **(Under Section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961)**				
	अथशेष/Opening Balance	1363 62 71		1363 62 71	
	जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	172 84 22	1536 46 93		1363 62 71
	योग/TOTAL		**13279 64 19**		**11634 60 94**

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 3 : जमाराशियाँ/SCHEDULE – 3 : DEPOSITS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2017 को	As on दि. 31.03.2016 को
ए./A.I. **मांग जमाराशियाँ/Demand Deposits**		
i) बैंकों से/ From Banks	**83 57 13**	53 39 88
ii) अन्यों से/ From Others	**11523 92 41**	15876 51 06
II. **बचत बैंक जमाराशियाँ/Savings Bank Deposits**	**64257 19 18**	52048 71 23
III. **सावधि जमाराशियाँ/ Term Deposits**		
i) बैंकों से/From Banks	**27757 94 01**	32562 08 50
ii) अन्यों से/ From Others	**156938 23 62**	161194 63 73
योग ए/TOTAL A (I+II+III)	**260560 86 35**	261735 34 40
बी./B. i) भारत की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches in India	**234542 64 26**	235161 59 33
ii) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches outside India	**26018 22 09**	26573 75 07
योग बी/TOTAL B (I+II)	**260560 86 35**	261735 34 40

अनुसूची – 4 : उधार/SCHEDULE – 4 : BORROWINGS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2017 को	As on दि. 31.03.2016 को
I. **भारत में उधार/Borrowings in India**		
ए/a. भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India	**0**	5951 00 00
बी/b. अन्य बैंक/Other Banks	**3337 77 72**	2772 71 69
सी/c. अन्य संस्थाएँ और एजेन्सियाँ/Other Institutions and Agencies	**359 59 60**	604 77 35
डी/d. नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आई.पी.डी.आई.)/Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDE)	**773 00 00**	773 00 00
ई/e. अतिरिक्त टियर-I बांड/Additional Tier-I bonds	**2800 00 00**	870 00 00
एफ/f. गौण ऋण/Subordinated Debt	**4400 00 00**	5219 70 00
योग/TOTAL	**11670 37 32**	16191 19 04
II. **भारत के बाहर उधार/Borrowings Outside India**	**5805 15 10**	9310 01 05
योग/TOTAL (I + II)	**17475 52 42**	25501 20 09
उपर्युक्त I और II में शामिल जमानती उधार/Secured Borrowings included in I and II above	**0**	5951 00 00

अनुसूची – 5 : अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE – 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2017 को	As on दि. 31.03.2016 को
I. देय बिल/Bills Payable	**889 67 77**	840 20 79
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**56 94 82**	0
III. उपचित ब्याज/Interest Accrued	**1395 87 02**	1359 07 37
IV. मानक आस्तियों के संदर्भ में आकस्मिक प्रावधान/Contingent Provision against Standard Assets	**1186 68 77**	1376 73 16
V. अन्य (प्रावधान सहित)/Others (including provisions)	**3323 58 29**	4076 90 57
योग/TOTAL	**6852 76 67**	7652 91 89

अनुसूची – 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशि
SCHEDULE – 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2017 को	As on दि. 31.03.2016 को
I. रोकड़ शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	**924 14 98**	894 56 07
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि Balances with Reserve Bank of India		
चालू खाते में/In Current Account	**12184 79 81**	12443 99 67
अन्य खातों में/In Other Accounts	**0**	0
योग/TOTAL	**13108 94 79**	13338 55 74

अनुसूची – 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE – 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2017 को	As on दि. 31.03.2016 को
I. **भारत में/In India**		
i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
ए)/a) चालू खातों में/Current Accounts	**102 34 75**	74 43 82
बी)/b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts	**3406 11 85**	2527 91 79
ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/रिवर्स रेपो के अंतर्गत ऋण Money at Call and Short Notice/Lending under reverse repo		
ए)/a) बैंकों के पास/with Banks	**7305 84 97**	11296 37 38
बी)/b) अन्य संस्थाओं के पास/with Other Institutions	**0**	0
योग/Total	**10814 31 57**	13898 72 99
II. **भारत के बाहर/Outside India**		
i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
ए)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	**11 91 04**	56 70 18
बी)/b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts	**1297 00 00**	1921 39 50
ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice	**0**	0
योग/Total	**1308 91 04**	1978 09 68
योग/TOTAL	**12123 22 61**	15876 82 67

अनुसूची – 8 : निवेश/SCHEDULE – 8 : INVESTMENTS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2017 को	As on दि. 31.03.2016 को
I. **भारत में निवेश (सकल)/Investments in India (Gross)**	**64766 41 52**	68285 58 21
घटाएं: मूल्यहास/एन.पी.आई. के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation / NPI	**614 78 18**	439 08 62
भारत में निवल निवेश/Net Investments in India	**64151 63 34**	67846 49 59
सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	**58645 14 78**	60027 41 60
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other Approved Securities	**90 50**	90 50
शेयर/Shares	**357 23 50**	286 85 39
डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**3916 70 35**	6008 10 02
अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/Subsidiaries and / or Associates	**26 52 22**	26 52 22
अन्य (वाणिज्यिक पत्र, जोखिम पूँजी, सी.ओ.डी. इत्यादि)/ Others (Commercial Paper, Venture Capital, CODs etc.)	**1205 11 99**	1496 69 86
योग/ TOTAL	**64151 63 34**	67846 49 59
II. **भारत के बाहर निवेश (सकल)/Investments Outside India (Gross)**	**1313 76 62**	775 37 09
घटाएं: मूल्यहास के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation	**0**	0
भारत के बाहर निवल निवेश/Net Investments Outside India	**1313 76 62**	775 37 09
सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	**0**	0
डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**1313 76 62**	775 37 09
अन्य/Others	**0**	0
योग/Total	**1313 76 62**	775 37 09
योग/TOTAL	**65465 39 96**	68621 86 68

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 9: अग्रिम (प्रावधानों का निवल)/SCHEDULE – 9: ADVANCES (Net of Provisions)

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2017 को	As on दि. 31.03.2016 को
ए./A. i) खरीदे और भुनाए गए बिल/Bills Purchased and Discounted	**1513 97 31**	1343 35 12
ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रदेय ऋण/ Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**43286 72 70**	40944 70 70
iii) मीयादी ऋण/Term Loans	**154868 65 25**	159080 43 17
योग/Total	**199669 35 26**	201368 48 99
बी./B. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिम सहित)/ Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	**140856 91 04**	145583 48 81
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित/Covered by Bank / Government Guarantees	**27964 16 14**	32322 68 77
iii) अरक्षित/Unsecured	**30848 28 08**	23462 31 41
योग/Total	**199669 35 26**	201368 48 99
सी./C. I) **भारत में अग्रिम/Advances in India**		
i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sector	**67262 21 70**	62552 13 82
ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector	**2586 45 48**	7574 09 35
iii) बैंक/Banks	**164 97 90**	4907 91 83
iv) अन्य/Others	**94925 83 90**	88755 53 89
योग/Total	**164939 48 98**	163789 68 89
II) **भारत के बाहर के अग्रिम/Advances outside of India**		
i) बैंकों से देय/Due from Banks	**24150 71 94**	26563 54 43
ii) अन्यों से देय/Due from Others		
ए)/a) खरीदे गए और भुनाए गए बिल/ Bills Purchased and Discounted	**381 12 18**	322 53 76
बी)/b) सिंडिकेटेड ऋण/Syndicated Loans	**5772 55 36**	5926 73 83
सी)/c) अन्य/Others	**4425 46 80**	4765 98 08
योग/Total	**34729 86 28**	37578 80 10
योग सी/TOTAL C (I + II)	**199669 35 26**	201368 48 99

अनुसूची – 10 : अचल आस्तियाँ/SCHEDULE – 10 : FIXED ASSETS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2017 को	As on दि. 31.03.2016 को
I. **परिसर/Premises**		
पिछले वर्ष के 31 मार्च के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यन पर At cost/revaluation as on March 31, of the preceding year	**2071 38 47**	1264 90 31
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन (₹ 752,22,81,177 वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए पुनर्मूल्यन सहित) Add: Additions during the year (For FY 2015-16 includes Revaluation of ₹ 752,22,81,177)	**24 80 07**	808 27 70
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन/Less: Deductions/Adjustments during the year	**2 28 18**	1 79 54
	2093 90 36	2071 38 47
घटाएं: अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date	**276 50 64**	273 02 09
योग/Total	**1817 39 72**	1798 36 38
II. **प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital work in progress**	**25 95 38**	30 90 66
III. **अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर तथा उपस्कर सहित)/ Other Fixed Assets (including Furniture and Fixture)**		
पिछले वर्ष के मार्च 31की लागत पर/ At cost as on March 31, of the preceding year	**1644 50 15**	1383 05 54
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	**169 96 88**	315 54 62
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/Less: Deductions during the year	**70 14 18**	54 10 01
	1744 32 85	1644 50 15
घटाएं: अब तक मूल्यह्रास/Less: Depreciation to date	**1133 60 91**	1066 86 35
योग/Total	**610 71 94**	577 63 80
योग/TOTAL (I+II+III)	**2454 07 04**	2406 90 84

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 11: अन्य आस्तियाँ/SCHEDULE – 11: OTHER ASSETS

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2017 को	As on दि. 31.03.2016 को
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**0**	1 89 42
II. उपचित ब्याज/Interest accrued	**1473 29 56**	1530 49 51
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान घटाकर) Tax paid in advance/Tax deducted at source (net of provisions)	**2586 10 64**	2242 27 43
IV. लेखन सामग्री व स्टांप/Stationery and Stamps	**24 94 97**	23 17 35
V. दावों की चुकौती में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ (मूल्यह्रास घटाकर) Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims (Net of Depreciation)	**3 39**	3 14
VI. अन्य/Others	**2167 95 35**	2556 92 71
योग/TOTAL	**6252 33 91**	6354 79 56

अनुसूची – 12 : आकस्मिक देयताएँ/SCHEDULE – 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2017 को	As on दि. 31.03.2016 को
I. बैंक के विरुद्ध किए गये दावे जो कर्ज़ के रूप में अभिस्वीकृत नहीं है Claims against the Bank not acknowledged as debts	**143 81 93**	146 99 19
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के प्रति देयता/जोखिम निधि Liability for partly paid Investments/Venture Funds	**21 08 14**	23 16 17
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं से संबंधित देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	**58435 14 50**	46630 85 86
IV. ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ/Guarantees given on behalf of constituents		
ए)/a) भारत में/In India	**16294 89 17**	14372 26 88
बी)/b) भारत के बाहर/Outside India	**6 47**	7 64
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and Other Obligations	**5705 05 98**	5652 37 70
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable		
i) उन संविदाओं की अनुमानित रकम जिनको पूंजीगत लेखे में निष्पादित किया जाता है और जिन के लिए प्रावधान नहीं किया गया है/ Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account not provided for	**7 79 08**	13 36 19
ii) अन्य/Others	**12670 86 68**	14490 85 82
योग/TOTAL	**93278 71 95**	81329 95 45

अनुसूची – 13: अर्जित ब्याज/SCHEDULE – 13: INTEREST EARNED

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2016
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा/Interest/Discount on Advances/Bills	**16856 16 47**	17318 51 17
II. निवेशों पर आय/Income on Investments	**5331 08 33**	5284 57 57
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds	**621 37 25**	593 65 38
IV. अन्य/Others	**195 16 66**	1 03 90
योग/TOTAL	**23003 78 71**	23197 78 02

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 14 : अन्य आय/SCHEDULE – 14 : OTHER INCOME

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2016
I. कमीशन, विनिमय और दलाली/Commission, Exchange and Brokerage	**756 85 72**	741 42 02
II. निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ/Profit on sale of Investments	**1739 70 94**	898 50 96
घटाएँ: निवेशों की बिक्री से हुई हानि/Less: Loss on sale of Investments		
III. जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/Profit on sale of Land, Buildings & Other Assets	**1 60 86**	89 72
घटाएँ: जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई हानि/Less: Loss on sale of Land, Buildings & Other Assets	**-1 63 50**	-1 72 27
IV. विनिमय लेनदेन पर लाभ/Profit on Exchange Transactions	**185 87 66**	206 59 31
घटाएँ: विनिमय लेनदेन पर हुई हानि/Less: Loss on Exchange Transactions	**-7 60**	-70 64 45
V. लाभांश इत्यादि के माध्यम से प्राप्त आय/Income earned by way of Dividends	**0**	0
VI. विविध आय/Miscellaneous Income	**775 05 30**	733 67 97
योग/TOTAL	**3457 39 38**	2508 73 26

अनुसूची – 15: व्ययगत ब्याज/SCHEDULE – 15: INTEREST EXPENDED

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2016
I. जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	**15406 23 99**	15995 78 68
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank borrowings	**67 85 37**	42 38 70
III. अन्य/Others	**1253 72 36**	1174 90 42
योग/TOTAL	**16727 81 72**	17213 07 80

अनुसूची – 16: परिचालन व्यय/SCHEDULE – 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हज़ार में/₹ in Thousands)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2016
I. कर्मचारियों को संदाय और उनके लिए प्रावधान/Payments to and Provisions for Employees	**3793 94 56**	2790 87 87
II. किराया, कर और बिजली/ Rent, Taxes and Lighting	**330 16 12**	297 88 54
III. मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**32 63 84**	25 88 42
IV. विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	**29 69 94**	31 27 58
V. बैंक की संपत्तियों पर मूल्यहास/Depreciation on Bank's Property	**137 30 07**	199 28 61
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्च/Directors' Fees, Allowances and Expenses	**76 06**	71 09
VII. लेखापरीक्षकों का शुल्क और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों सहित)/Auditors' Fees and Expenses (including for Branch Auditors)	**31 33 78**	30 88 84
VIII. विधि प्रभार/Law Charges	**4 87 66**	5 26 18
IX. डाक व्यय, तार, दूरभाष आदि/Postage, Telegrams, Telephones etc.	**81 19 46**	71 20 13
X. मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	**112 15 19**	117 52 91
XI. बीमा/Insurance	**206 63 28**	186 92 20
XII. अन्य व्यय/Other Expenditure**	**739 43 35**	1484 39 83
योग/TOTAL	**5500 13 31**	5242 12 20

** वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ₹882,64,80,235/- की आपवादिक मद शामिल है।/

** For FY 2015-16, this Includes exceptional item of ₹882,64,80,235/-

अनुसूची – 17
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति: 2016-2017

1. **(ए) लेखांकन पद्धति**

विदेशी कार्यालय सहित बैंक की वित्तीय विवरणियों को पारंपरिक लागत पद्धति के अंतर्गत नवीन मामलों और सिद्धांतों का पालन करते हुए तैयार किया जाता है यदि अन्यथा वर्णन न हो। वे भारत में सामान्यतया अंगीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी), जो सांविधिक प्रावधानों, नियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों/दिशानिर्देश नोट से युक्त होते हैं और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धति के अनुरूप होते हैं। तथापि, विदेशी कार्यालयों के मामले में, संबंधित देश में प्रचलित सांविधिक एवं प्रक्रियाओं से अनुपालित होते हैं।

(बी) आकलन का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन से अपेक्षा है कि वे वित्तीय विवरण की तारीख को घोषित की जाने वाली आस्तियों एवं देयताओं की राशि (आकस्मिक देयताएं सहित) और कथित अवधि के लिए घोषित आय एवं व्यय का अनुमान लगाते हुए आकलन करें। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हो। लेखांकन अनुमानों में किसी भी प्रकार के संशोधन को चालू अवधि तथा भावी रूप में माना जाता है बशर्ते अन्यथा न हो।

(सी) लेखांकन नीति का प्रयोग

विधान अथवा लेखांकन मानक के अनुरूप लेखांकन नीतियों में परिवर्तन अपेक्षित नहीं होने पर या इनमें परिवर्तन से वित्तीय विवरणियों की प्रस्तुति बेहतर हो जाएगी, लेखांकन नीतियों का निरंतर प्रयोग होता रहता है।

2. **विदेशी मुद्रा संबंधी लेन–देन**

2.1 रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर विदेशी मुद्रा रकम तथा रिपोर्टिंग मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय को लागू करते हुए विदेशी मुद्रा लेन–देनों का अभिलेखन किया जाता है। प्रारंभिक पहचान हेतु निम्न विनिमय दरों का प्रयोग किया जाता है:

ए) शाखाओं में (एफसीएनआर, ईईएफसी, आरएफसी) विदेशी मुद्रा देयता संबंधी लेनदेनों के लिए विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यूएआर) प्रकाशित किया जाता है।

बी) शाखाओं में विदेशी मुद्रा संबंधी आस्तियों तथा ए नामित शाखाओं (कोष व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग) में आस्तियों व देयताओं संबंधी लेन–देन में संव्यवहार की तिथि में बाजार दर।

SCHEDULE – 17
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:2016-2017

1. **(A) BASIS OF ACCOUNTING**

The financial statements of the Bank including foreign office have been prepared following the going concern concept under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise statutory provisions, regulatory/Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. However, in respect of foreign office, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign country are complied with.

(B) USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Any revision to the accounting estimate is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

(C) USE OF ACCOUNTING POLICY

Accounting Policy are consistently used unless change is required by statute or for compliance with Accounting Standard or the change would result in a more appropriate presentation of the financial statements.

2. **TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE**

2.1 Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency. Following exchange rates are used for initial recognition:

a) For transactions involving foreign currency liabilities at branches (FCNR, EEFC, RFC) Weekly Average Rate (WAR) published by the Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).

b) For transactions involving foreign currency assets at branches and assets and liabilities at 'A' designated branch (Treasury and International Banking Department) market rate on the date of transaction.

2.2 सभी विदेशी मुद्रा मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनियम स्पॉट/वायदा दर पर रिपोर्ट किया गया है और परिणामी लाभ या हानि, लाभ और हानि लेखा में परिलक्षित होते हैं।

2.3 विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयाताओं को फेडाई का अंतिम स्पॉट दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है।

2.4 व्यापार हेतु बकाया विदेशी विनिमय स्पॉट एवं वायदा का पुनर्मूल्यांकन ''बीच की परिपक्वताओं'' वाले संविदाओं के लिए अंतर्वेषित दरों तथा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं हेतु फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर किया जाता है। सीसीआईएल-शूल्य कूपन प्रतिफल (जेडसीवाईसी) दरों के प्रयोग द्वारा एमटीएम लाभ/हानि का वर्तमान मूल्य प्राप्त करने के लिए बाजार के लिए चिह्नित (एमटीएम) लाभ/हानि परिणाम घटाया जाता है और ये लाभ व हानि लेखा में परिलक्षित होते हैं।

2.5 गैर व्यापार वाले विदेशी विनिमय वायदा करारों के मामले में शुरुआत के प्रीमियम या छूट का परिशोधन करार की समयावधि के प्रति व्यय अथवा आय के रूप में किया जाता है।

2.6 बैंक की एक शाखा लंदन में है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक 11 (एएस-11) के अनुपालन में इसके परिचालन को गैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ए) विदेशी परिचालनों वाली सभी आस्तियों एवं देयताओं, आकस्मिक सहित मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक दोनों ही देयताएं प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित अंतिम स्पॉट दर पर परिवर्तित किए गए हैं।

बी) आय तथा व्यय का परिवर्तन प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर (क्यूएआर) पर किया जाता है।

सी) एएस-11 के अनुसार किए गए परिवर्तन से हुए परिणामी विनिमय अंतर को, विदेशी परिचालन के निवल निवेश का निपटान होने तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि'' में संचित किया गया।

डी) शाखा की विदेशी मुद्रा वाली (शाखा की स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) आस्तियों एवं देयताओं को प्रत्येक तिमाही के अंत में लागू स्पॉट दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

3. निवेश

प्रतिभूतियों में लेन-देन ''निपटान दिनांक'' पर अभिलेखित किया जाता है ।

3.1 वर्गीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निवेश संविभाग निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं:

ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) निवेशों को परिपक्वता तक धारण करने के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है। सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम एवं उनकी सहयोगी संस्थाओं में किए

2.2 All the foreign currency monetary assets and liabilities are reported at closing exchange spot/forward rates notified by the FEDAI at the end of each quarter and the resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss A/c.

2.3 Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rate.

2.4 Outstanding foreign exchange spot and forward for trading are revalued at the exchange rates notified by the FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of "in between maturities". The resultant Marked to Market (MTM) gain/loss is discounted to arrive at present value MTM gain/loss by using CCIL- Zero Coupon Yield Curve (ZCYC) rates and the same is recognized in Profit and Loss A/c.

2.5 In the case of foreign exchange forward contacts which are not intended for trading, premium or discount arising at the inception is amortised as expenses or income over the life of the contract.

2.6 The Bank has a branch at London and the operations of the same is classified as "Non-Integral Operations" in accordance with Accounting Standard 11(AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

a) All assets and liabilities of the foreign operations, both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities are translated at closing spot rates notified by the FEDAI at end of each quarter.

b) Income and Expenditure are translated at Quarterly Average Rates (QAR) notified by the FEDAI at end of each quarter.

c) The resulting Exchange Difference arising from translation as per AS-11 is accumulated in a "Foreign Currency Translation Reserve" until disposal of net investment of the foreign branch.

d) The Assets and liabilities of the branch in foreign currency (other than local currency of the branch) are translated into local currency using applicable spot rate at the end of each quarter.

3. INVESTMENTS

The transactions in Securities are recorded on "Settlement Date".

3.1 Classification:

The Investment portfolio of the Bank is classified, in accordance with the Reserve Bank of India guidelines, into:

a) "Held to Maturity" (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity. Investments in subsidiaries, joint ventures

गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित निवेश वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

बी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) निवेश को अल्पावधि कीमत/ब्याज दर में उतार-चढ़ाव का लाभ उठाते हुए व्यापर करने के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है। इनको खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंतर्गत व्यापार करने की अपेक्षा है।

सी) विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस) निवेश उपर्युक्त (ए) एवं (बी) दोनों में शामिल नहीं है अर्थात वे निवेश, जो परिपक्वता तक धारित या व्यापार के लिए धारित वर्ग में नहीं आते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में तुलन पत्र में निवेश छह वर्ग में प्रकट किए जाते हैं:

(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
(iii) शेयर
(iv) डिबेंचर और बंध पत्र
(v) अनुषंगी/सहयोगी
(vi) अन्य

वीसीएस इकाइयों में बैंक के निवेश को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है तथा इनका मूल्यांकन लागत पर होता है। वितरण की तिथि से तीन वर्षों के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार एएफएस तथा बाजार के लिए चिह्नित में परिवर्तित कर दिया जाता है।

3.2 निवेश का अधिग्रहण लागत:

ए) निवेशों के अधिग्रहण हेतु प्रदत्त ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसआईटी) को लागत से हटाकर एक बारगी व्यय के रूप में लिया जाता है।

बी) ऋण लिखतों पर प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि ब्याज को लागत/बिक्री संबंधी विचार से हटाकर ब्याज व्यय/आय माना जाता है।

सी) निवेशों की लागत को भारित औसत मूल्य पद्धति पर निश्चित किया जाता है।

डी) अंशदान से प्राप्त रकम को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया जाता है। प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से संबंधी ब्रोकरेज/कमीशन/स्टांप शुल्क की गणना राजस्व व्यय के रूप में की जाती है।

3.3 मूल्यांकन पद्धति:

ए) परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अधीन वर्गीकृत निवेश का मूल्यांकन यदि उसका मूल्य अंकित मूल्य से ज्यादा है तो भारित औसत अर्जन लागत पर किया जाता है, जिस मामले में प्रीमियम का परिशोधन प्रतिभूति की शेष अवधि तक स्थिर परिपक्वता आधार पर किया जाता है। ऐसे प्रीमियम का परिशोधन ''निवेश पर ब्याज'' शीर्ष के तहत आय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

बी) अस्थाई स्वभाव के अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों को छोड़कर अन्य अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों में किया गया निवेशों का मूल्यनिर्धारण अभिग्रहण लागत से ह्रास को कम करके किया जाता है।

सी) एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तारीख पर न्यूनतम अभिग्रहण लागत/बही

and associates are also categorised under Held to Maturity.

b) "Held for Trading" (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. These are intended to be traded within 90 days from the date of purchase.

c) "Available for Sale" (AFS) comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those investments which do not fall under in "Held to Maturity" or "Held for Trading" classification.

In the balance sheet, the investments are disclosed as per the following six classifications in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India:

(i) Government Securities
(ii) Other Approved Securities
(iii) Shares
(iv) Debentures and Bonds
(v) Subsidiaries and/or Associates
(vi) Others

Bank's investments in units of VCS's are classified under HTM category and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it is shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

3.2 Acquisition Cost of Investment:

a) Brokerage, Commission, Securities Transaction Tax (STT) etc., paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.

b) Broken period interest paid/received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from cost/sale consideration.

c) Cost of investments is determined at weighted average price method.

d) Incentive received on subscriptions is deducted from the cost of securities. Brokerage/Commission/Stamp Duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expense.

3.3 Method of Valuation:

a) Investments classified as HTM are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity, on constant yield basis. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".

b) Investments in subsidiaries and joint ventures are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

c) Transfer of securities from HFT/AFS category to HTM category is carried out at the lower of acquisition

मूल्य/बाजार मूल्य के आधार पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाता है। फिर भी, एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण अभिग्रहण मूल्य/बही मूल्य के आधार पर किया जाता है। अंतरण के बाद, इन प्रतिभूतियों को पुनः मूल्य निर्धारण किया जाता है और मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाता है।

डी) एएफएस तथा एचएफटी के तहत धारित निवेशों का मूल्यांकन निम्न अनुसार किया जाता है:

ए) सरकार/अनुमोदित प्रतिभूतियाँ i) केंद्र सरकारी प्रतिभूतियाँ ii) राज्य सरकारी प्रतिभूतियाँ	भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रकाशित बाजार मूल्य/वाईटीएम पर एफआईएमएमडीए/आरबीआई के दिशा-निर्देशानुसार उचित परिपक्वता पर प्रतिलाभ के आधार पर
बी) केंद्र/ राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम के बाँड द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियाँ (अग्रिम प्रकृति का नहीं)	एफआईएमएमडीए/आरबीआई के दिशा-निर्देशानुसार परिपक्वता पर उचित प्रतिलाभ के आधार पर
सी) ईक्विटी शेयर	यदि उद्धृत हो तो बाजार मूल्य पर अन्यथा अद्यतित तुलन पत्र के अनुसार शेयरों के ब्रेकअप मूल्य पर (18 माह से अधिक पुराना नहीं), अन्यथा ₹1 प्रति कंपनी
डी) अधिमानी शेयर	यदि उद्धृत हो तो बाजार मूल्य पर या आरबीआई/फिम्मडा के दिशानिर्देशों के अनुसार परिपक्वता पर प्रतिलाभ पर जो निर्मोचन मूल्य से अधिक न हो।
ई) ब्रांड एवं डिबेंचर (अग्रिम प्रकृति का नहीं)	यदि उद्धृत हो तो बाजार मूल्य पर या (अग्रिम प्रवृत्ति का नहीं) आरबीआई/फिम्मडा के दिशानिर्देशों के अनुसार परिपक्वता पर उचित प्रतिलाभ पर जो निर्मोचन मूल्य से अधिक न हो।
एफ) म्यूच्युअल फंड की यूनिट	उद्धृत हो तो शेयर बाजार के कोटेशन के अनुसार, उद्धृत न होने पर पुनर्खरीद/एनएवी के अनुसार
जी) जोखिम पूँजी	18 महीने से अनधिक लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार घोषित एनएवी या विघटित एनएवी। यदि 18 से अधिक महीने के लिए निरंतर आधार पर एनएवी/लेखा परीक्षित तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो, ₹1 प्रति जोखिम पूँजी निधियों की दर पर किया जाता है।
एच) प्राप्त प्रतिभूतियाँ	भारिबैं/सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा घोषित एनएवी
आई) वाणिज्यिक पेपर/ सीओडी	लागत पर मूल्यांकित

cost/book value/market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for. However, transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out on acquisition price/book value. After transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided.

d) Investments held under AFS and HFT are valued as under:

a)	Government / Approved Securities I. Central Govt. Securities II. State Govt. Securities	At market prices/YTM as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/RBI guidelines.
b)	Securities guaranteed by Central/State Government, PSU Bonds (not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/RBI guidelines.
c)	Equity Shares	At market price if quoted, otherwise at breakup value of the Shares as per latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise at Re.1 per company.
d)	Preference Shares	At market price, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI/FIMMDA guidelines.
e)	Bonds & Debentures (Not in nature of advances)	At market price, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI/FIMMDA guidelines.
f)	Units of Mutual Funds	As per stock exchange quotation, if quoted at repurchase price/NAV, if unquoted.
g)	Venture Capital	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF.
h)	Security Receipts	Declared NAV by the Asset Reconstruction Company as per RBI/SEBI guidelines.
i)	Commercial Paper/COD	Valued at cost.

बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित श्रेणी का उपर्युक्त मूल्यांकन स्क्रिपवार तिमाही आधार पर किया जाता है तथा प्रत्येक वर्गीकरण के लिए अवमूल्यन/अधिमूल्यन समुच्चयित होता है। प्रत्येक वर्गीकरण के लिए यदि कोई निवल अवमूल्यन हो तो, प्रदान किया जाता है जबकि निवल अधिमूल्यन छोड़ दिए जाते हैं। अवमूल्यन हेतु प्रावधान होने पर बाजार को चिह्नित करने के पश्चात व्यक्तिगत प्रतिभूति का बहीमूल्य अपरिवर्तित रहता है। परिवर्तन के द्वारा प्राप्त मानक या एनपीए के रूप में वर्गीकृत लिखत पर अवमूल्यन एएफएस प्रतिभूति के तहत धारित किसी अन्य प्रतिभूति में अधिमूल्यन के विरुद्ध ऑफसेट नहीं होता।

3.4 देश में स्थित कार्यालयों के लिए आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तथा विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामकों के अनुसार निवेशों को अर्जक एवं अनर्जक श्रेणी में विभाजित किया जाता है। देश में स्थित कार्यालयों के निवेश अनर्जक बन जाते हैं, यदि:

- ब्याज/किस्त (परिपक्वता प्रतिलाभ सहित) के 90 से अधिक दिनों तक बकाया या भुगतान न किए जाने पर।
- ईक्विटी शेयर के मामले में, कंपनी में तुलन पत्र के उपलब्ध न रहने पर कंपनी के शेयरों में निवेश करने पर उसकी गणना ₹1 प्रति कंपनी किए जाने की स्थिति में ऐसे इक्विटी शेयर एनपीआई के रूप में माने जाएंगे।
- किसी संस्था द्वारा ऋण सुविधा ली गई हों और वह बैंक की बही में एनपीए की स्थिति में हो तो, उसी संस्था द्वारा जारी प्रतिभूतियों में एवं बैंक द्वारा जारी प्रतिभूतियों में संस्था द्वारा निवेश एवं इसके विपरीत को भी एनपीआई समझा जाएगा। निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किए गए अधिमानी शेयरों पर यथोचित परिवर्तन सहित उपर्युक्त शर्त लागू होंगे।
- अग्रिम प्रकृति वाले डिबेंचर/बांड में निवेश इस हेतु लागू मानदंडों के अनुसार एनपीआई की शर्तों के अधीन है।
- अनर्जक प्रतिभूतियों के संदर्भ में आय की पहचान नहीं होती तथा आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इन प्रतिभूतियों पर अवमूल्यन हेतु प्रावधान किए जाते हैं। अनर्जक निवेशों के लिए किया गया प्रावधान अन्य अर्जक आस्तियों के संदर्भ में अधिमूल्यन हेतु किए गए प्रावधान के विरुद्ध सेट-ऑफ नहीं होता।

3.5 प्रतिभूति रसीदों (एसआर) के विरुद्ध प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) को एनपीए (वित्तीय आस्ति) की बिक्री के मामले में प्रतिभूति रसीद (एसआर) में किया गया निवेश-i) निवल बही मूल्य (एनबीवी) अर्थात वित्तीय आस्तियों के बही मूल्य में से प्रावधान घटाना) तथा ii) प्रतिभूति रसीद (एसआर) का निर्मोचन मूल्य, कम होता है। किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा निर्गत प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन गैर एसएलआर लिखतों के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुपालन

The above valuation in category of Available for Sale and Held for Trading is done scrip wise on quarterly basis and depreciation/appreciation is aggregated for each classification. Net depreciation for each classification, if any, is provided for while net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual security remains unchanged after marking to market. Depreciation on the instrument acquired by way of conversion, whether classified as standard or NPA, is not offset against the appreciation in any of other securities held under the AFS category.

3.4 Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in the case of domestic offices and respective regulators in the case of foreign offices. Investments of domestic offices become non-performing where:

- Interest/instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at ₹ 1 per company on account of non-availability of the latest balance sheet, those equity shares will be reckoned as NPI.
- If any credit facility availed by an entity is NPA in the books of the Bank, investments in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa. The above would apply mutatis-mutandis to Preference Shares where the fixed dividend is not paid.
- The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.
- In respect of non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation for such securities as per RBI guidelines. Provision made on non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.

3.5 In case of sale of NPA (financial asset) to securitisation Company (SC)/Asset. Reconstruction Company (ARC) against issue of Security Receipts (SR), investment in SR is recognised at lower of (i) Net Book Value (NBV) (i.e.)., book value less provisions held of the financial asset: and (ii) Redemption value of SR. SRs issued by an SC/ARC are valued in accordance with the guidelines applicable to non SLR instruments. Accordingly, in cases where the SRs issued by the SC/ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained

में किया जाता है। तदनुसार, संबंधित योजना के अंतर्गत एससी/एआरसी द्वारा निर्गत प्रतिभूति रसीद वास्तविक प्राप्ति तक सीमित होने की स्थिति में ऐसे निवेशों के मूल्यांकन हेतु एससी/एआरसी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य की गणना की जाती है।

3.6 निवेशों का निपटान

ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ/हानि की पहचान लाभ एवं हानि खाते में संबंधित निवेशों के भारित औसत लागत/बहीमूल्य के आधार पर की जाती है और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) वर्गीकरण में निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ के समान एक राशि का विनियोजन पूँजी खाते में होता है।

बी) एएफएस/एचएफटी प्रवर्ग में निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि की पहचान लाभ एवं हानि लेखा में की जाती है।

3.7 अस्थिर/स्थिर दर नोट तथा ऋण से जुड़ा नोट विदेशी शाखा में निवेश 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं और उनका मूल्यांकन नाममात्र मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम हो, पर किया जाता है। ये निवेश तिमाही अंतराल पर बाजार के लिए चिह्नित होते हैं तथा इन निवेशों का मूल्य नाममात्र मूल्य से कम होने की स्थिति में तुलनपत्र में मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है तथा लाभ व हानि लेखे में संबंधित प्रभार प्रकट होता है।

3.8 रेपो/प्रतिवर्ती रेपो के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियाँ संपार्श्विक उधार देय और उधार लेने के संव्यवहारों के रूप में लेखांकित हैं। तथापि प्रतिभूतियाँ सामान्य एकमुश्त बिक्री/खरीद संव्यवहारों के मामलों के अनुरूप अंतरित की जाती है और प्रतिभूतियों का ऐसा चलन रेपो/प्रतिवर्ती रेपो खातों और प्रतिप्रविष्टियों के प्रयोग में प्रतिबिंम्बित होता है। उपर्युक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता के दिनांक पर प्रतिवर्तित बनाई जाती हैं। लागतों और राजस्वों का लेखांकन जो भी स्थिति है उसके अनुसार ब्याज व्यय/आय के रूप में होता है। रेपो खाते के शेष उधारों के रूप में वर्गीकृत है और प्रतिवर्ती रेपो खाते के शेष का वर्गीकरण बैंकों में नकदी शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि के रूप में किया गया है।

3.9 विदेशी शाखा का निवेश

ए) अस्थिर/स्थिर दर नोट विदेशी शाखा में निवेश 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं और उनका मूल्यांकन नाममात्र मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम हो, पर किया जाता है।

बी) खरीद के समय कोई प्रीमियम होने पर लिखत की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किए जाएंगे जबकि खरीद पर किसी भी प्रकार की छूट को अनदेखा किया गया है।

सी) ये निवेश तिमाही अंतराल पर बाजार के लिए चिह्नित होते हैं तथा इन निवेसों का मूल्य नाममात्र मूल्य से कम होने की स्थिति में तुलनपत्र में मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है तथा लाभ व हानि लेखा में संबंधित प्रभार प्रकट होता है।

from the SC/ ARC, is reckoned for valuation of such investments.

3.6 Disposal of Investments

a) Profit/ loss on sale of Investments classified as HTM is recognized in the Profit and Loss Account based on the weighted average cost/book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in HTM classification is appropriated to Capital Reserve Account.

b) Profit/loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in Profit and Loss Account.

3.7 Floating/Fixed Rate Note and Credit Linked Note, Investments at Foreign Branch are classified as 'Available for Sale' category and are valued at nominal value or market value, whichever is lower. These Investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these Investments is lower than the nominal value, provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a corresponding charge is recognized in the Profit and Loss Account.

3.8 The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice.

3.9 Foreign Branch's Investment

a) Floating and Fixed Rate Note investments at Foreign Branch are classified as Available for Sale category and are valued at nominal value or market value, whichever is lower.

b) Premium at time of purchase if any shall be amortised over the residual period of the instrument while any discount on purchase is ignored.

c) These investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these investments is lower than the nominal value, a provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a corresponding charge is recognized in the Profit & Loss A/c.

4. व्युत्पन्न

4.1 ऑन बैलेंस शीट/ऑफ बैलेंस शीट की प्रतिरक्षा अथवा कारोबार उद्देश्य से बैंक ने विदेशी विनिमय वायदा करार, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप तथा प्रति मुद्रा ब्याज दर स्वैप एवं वायदा दर करार जैसे व्युत्पन्न करार किए हैं। ऑन बैलेंस शीट आस्ति एवं देयताएं संबंधी किए गए स्वैप करार की संरचना इस प्रकार की है कि मुख्य बैलेंस शीट के मदों पर प्रतिकूल तथा ऑफसेटिंग प्रभाव नहीं पड़ने देता।

4.2 उद्योग के सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के अनुसार सभी वायदा करार बाजार हेतु चिह्नित हैं।

4.3 बैंक ने मुद्रा फ्युचर्स के रूप में मान्यताप्राप्त शेयर बाजार के सहयोग से विनिमय व्यापार व्युत्पन्न अपनाया है। मुद्रा फ्युचर्स दैनिक आधार पर बाजार के लिए चिह्नित होते हैं।

4.4 व्युत्पन्न लेनदेन हेतु ऋण जोखिम की गणना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में की जाती है जिसकी निगरानी चालू ऋण मंजूरी पद्धति पर की जाती है।

4.5 अप्रतिभूत प्रतिरक्षा लेन-देन को सौदा लेन-देन समझा जाएगा और उन्हें परिपक्तवा की तारीख तक चालू रखा जाता है।

5. अग्रिम

5.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे अग्रिमों से हुई हानियों के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखा के मामले में, आस्तियों का वर्गीकरण तथा ऋण की हानि का प्रावधान, स्थानीय अपेक्षाओं या भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदण्डों, इनमें से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों का उल्लेख अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर किया जाता है।

5.3 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/बैंक/एफआई/एनबीएफसी को निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम लागत पर यानि प्राप्त प्रावधान से कम बही मूल्य, बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के मामलों में, कमी को लाभ एवं हानि लेखे में नामे डाला जाता है तथा एनबीवी मूल्य से अधिक मूल्य की बिक्री के मामले में अतिरिक्त प्रावधान उस साल के लाभ एवं हानि लेखा में वापस कर दिया जाता है जिस साल वह प्राप्त हुआ है।

4. DERIVATIVES

4.1 The Bank enters into derivative contracts, such as Foreign Exchange Forward contracts, Interest Rate Swaps, Currency Swaps, and Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate agreements in order to hedge on-balance sheet/off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes. The Swap contracts entered to hedge on-balance sheet assets and liabilities are structured in such a way that they bear an opposite and offsetting impact with the underlying on-balance sheet items.

4.2 All Forward Contracts are marked to market as per the generally accepted accounting practices prevalent in the industry.

4.3 Bank is undertaking the Exchange Trade Derivatives in form of Currency Futures with recognized Stock Exchanges. Currency Futures are marked to market on daily basis.

4.4 The credit exposures for derivative transactions are calculated in accordance with the guidelines issued by RBI monitored on Current Credit Exposure method.

4.5 The naked hedging transactions are considered as a trading transaction and allowed to run till maturity.

5. ADVANCES

5.1 Advances are classified into Performing and Non-Performing Assets and provisions for losses on such advances are made as per-prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In respect of foreign branch, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirements or as per RBI prudential norms, whichever are more stringent.

5.2 Advances are stated net of provisions made for Non-Performing Assets except general provisions for Standard Advances.

5.3 In case of sale of financial assets to the Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC) / Banks / FIs / NBFCs at a price below the Net Book Value (NBV), i.e. Book Value less Provision held, the shortfall is debited to the Profit and Loss Account and in case of sale at a value higher than the NBV, the excess provision is reversed to Profit and Loss Account in the year in which the amounts are received.

6 परिसर, अन्य अचल आस्तियां एवं अवमूल्यन

6.1 परिसर और अन्य अचल आस्तियों में से, मूल्यह्रास को घटाने के बाद परंपरागत लागत और/या पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दर्शाया गया है। परिसरों का पुनर्मूल्यांकन, अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य पर हर पाँच वर्ष में किया जाता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त होनेवाली राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

6.2 परिसर पर मूल्यह्रास का प्रावधान सम्मिश्र लागत पर किया गया है, जहाँ जमीन की लागत को अलग नहीं किया जा सकता है।

6.3 आस्तियों के पुनर्मल्यांकन के मामले में अचल आस्तियों से संबंधित मूल्यह्रास की गणना लागत या पुनर्मूल्यांकित रकम के संदर्भ में की जाती है तथा यह लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित होते हैं। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यांकित रकम के संदर्भ में की जाती है तथा लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित होते हैं। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप होनेवाले अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से स्वतंत्र आरक्षित निधि में अंतरित कर दिया जाता है।

6.4 आस्तियों पर मूल्यह्रास निम्नलिखित दर पर एसएलएम आधार पर प्रभारित होता है:

(ए) परिसर	दरें (एसएलएम)
i) बैंक के स्वामित्ववाले (पूर्ण स्वामित्ववाले/ पट्टे पर लिए गए)	1.58%
ii) पट्टे पर लिए गए परिसरों के संबंध में पूंजीगत व्यय – जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट नहीं है – जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट है	10% पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित

(बी) अन्य आस्तियां		
क्रम सं.	आस्ति का प्रकार	अवमूल्यन दर (एसएलएम)
1.	फर्नीचर व फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल उपकरण – कंप्यूटर एवं एटीएम को छोड़कर	9.50%
2.	यूपीएस	15.83%
3.	अन्य उपकरण	13.57%
4.	इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	20.00%
5.	कंप्यूटर एवं एटीएम	XX
5. (i)	सर्वर हार्डवेयर, नेटवर्क उपकरण तथा स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम)	20.00%
5. (ii)	उपर्युक्त 5 (i) उद्धृत को छोड़कर अन्य कंप्यूटर	33.33%
6.	मोटर कार, मोटर साइकिल आदि सहित वाहन	20.00%

6. PREMISES, OTHER FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and/or revalued value less accumulated depreciation. The premises are revalued every three years at value determined based on the appraisal by approved valuers. Surplus arising at such revaluation is credited to Revaluation Reserve.

6.2 Depreciation on premises has been provided on composite cost wherever cost of land cannot be segregated.

6.3 Depreciation in respect of fixed assets is calculated on with reference to cost or revalued amount, in case of assets revalued and the same is charged to Profit and Loss account. In the case of Revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation reserve to Free Reserve in the Balance Sheet.

6.4 Depreciation on assets in charged on SLM basis as per the rates stated below:

(A) PREMISES:	Rates (SLM)
i) Bank owned (freehold / leasehold) - Useful life of Building is 60 Years	1.58%
ii) Capital Expenditure on premises taken on lease - where lease period is not specified - where lease period is specified	10% Amortised over the residual period of lease.

(B) OTHER ASSETS:		
Sl. No.	Type of Asset	Dep. Rate (SLM)
1.	Furniture & Fittings, Electrical Equipments – Other than Computers and ATMs	9.50%
2.	UPS	15.83%
3.	Other Equipments	13.57%
4.	Electronic Equipments	20.00%
5.	Computers and ATMs	XX
5. (i)	Server Hardware, Network Equipments and Automated Teller Machines (ATMs)	20.00%
5. (ii)	Computers other than mentioned at 5 (i) above	33.33%
6.	Vehicles including Motor Car, Motor Cycle etc.	20.00%

6.5 अचल आस्तियों में जोड़ी गई आस्तियों पर मूल्यह्रास इसमें जोड़ने की तिथि से आनुपातिक आधार पर दी गई है।

7. कर्मचारियों के लाभ

7.1 कर्मचारियों के अल्पावधि लाभ :

ए. सेवा प्रदान किए जाने के 12 महीनों के भीतर देय संपूर्ण कर्मचारी लाभ को कर्मचारियों के अल्पावधि लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा ये कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा अवधि के लिए परिलक्षित होते हैं।

7.2 कर्मचारियों के दीर्घावधि लाभ :

ए. भविष्य निधि के रूप में कर्मचारी लाभ एक निर्धारित अंशदान योजना है और भविष्य निधि हेतु, विकल्प देनेवाले कर्मचारियों के संबंध में जिस वर्ष में अंशदान देय हैं उस वर्ष में अंशदानों को लाभ एवं हानि खाते में डाला जाता है।

बी. i) जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना के लिए विकल्प दिया है उनके संबंध में पेंशन लाभ एक निर्धारित बाध्यता है और उसे 31 मार्च, 2010 तक बैंक में कार्यग्रहण करनेवाले कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष के अंत पर वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

ii) नई पेंशन योजना जो 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक में कार्यग्रहण करनेवाले कर्मचारियों के लिए लागू है। यह एक पूर्व निर्धारित दर युक्त निर्धारित अंशदान योजना है और बैंक की बाध्यता ऐसे अंशदान तक सीमित है। अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में डाला जाता है।

सी. उपदान निधि देयता एक निर्धारित लाभ योजना है और उसे वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए वास्तविक मूल्यांकन पर दिया जाता है। उपनिधि देयता को बैंक के उपनिधि न्यास में संचित किया जाता है।

डी. छुट्टी के नकदीकरण जैसी संचित और क्षतिपूरक अनुपस्थितियां वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर दी जाती है।

8. राजस्व / व्यय का निर्धारण

ए) राजस्व और व्यय का हिसाब सामान्यत: उपचय के आधार पर किया जाता है, सिवाय म्यूच्युअल फंड संव्यवहारों पर शुल्क/कमीशन के गैर बैंकिंग आस्तियों पर आय, लॉकर किराया, अतिदेय बिलों पर ब्याज/कर वापसी, अनर्जक आस्तियों से आय और दावा दायर खातों पर विधिक व्यय, जिनका लेखकरण नकदी आधार पर किया जाता है।

6.5 Depreciation on any additions to fixed assets is provided on a pro rata basis from the date of such addition.

7. EMPLOYEE BENEFITS

7.1 Short Term Employee Benefits:

a. Employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the service is classified as short term employee benefits and are recognized in the period in which the employee renders the related service.

7.2 Long term Employee Benefits:

a. Employee Benefits in the form of Provident Fund is a Defined Contribution Scheme and the contributions are charged to Profit & Loss Account in the year in which the contributions are due in respect of employees who have opted for Provident Fund.

b. i. In respect of employees who have opted for Pension Scheme, Pension Benefit is a Defined Benefit Obligation and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the Financial Year for the employees who have joined the Bank up to 31st March, 2010. The Pension liability is funded by the Bank to the Pension Fund Trust of the Bank.

ii. New Pension Scheme which is applicable to employees who joined the Bank on or after 1st April, 2010 is a Defined Contribution Scheme at pre-determined rate and the obligation the Bank is limited to such contribution. The Contribution is charged to Profit & Loss Account.

c. Gratuity liability is a Defined Benefit Plan and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the Financial Year. The gratuity liability is funded to the Gratuity Fund Trust of the Bank.

d. Accumulated Compensated absences such as Leave Encashment are provided for based on actuarial valuation.

8. RECOGNITION OF REVENUE/EXPENSES

a) Revenue and expenses are generally accounted for on accrual basis except in respect of fees/ commission on transactions with Mutual Funds, income from non-banking assets, locker rent, interest on overdue bills/tax refunds, income from non-performing assets, SDR/S4A accounts and legal expenses on suit filed accounts which are accounted for on cash basis.

बी) जब शेयरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है तब उससे प्राप्त आय का लेखाकरण उपचय आधार पर किया जाता है और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

सी) परिपक्व जमाराशियों पर ब्याज को नवीकरण के समय पर हिसाब में लिया जाता है। परिपक्व जमाराशियों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कारपोरेट कार्यालय में प्रावधान किया गया है।

डी) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि का ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व मद माना जाता है।

ई) बचाव हेतु व्युत्पन्न लेन-देन पर ब्याज आय तथा व्यय का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है।

एफ) परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टा भुगतान, आईसीएआई द्वारा जारी एएस-19 (पट्टा) के अनुपालन में पट्टे की शर्तों पर लाभ एवं हानि लेखा में परिलक्षित होते हैं।

9. आय पर कर

9.1 चालू कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के आधार पर किया जाता है।

9.2 कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच समय के अंतर होने की वजह से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का अभिनिर्धारण आईसीएआई द्वारा जारी किए गए मूल्य की बिक्री के मामले में अतिरिक्त प्रावधान उस साल के लाभ एवं हानि लेखे में वापस कर दिया जाता है जिस साल वह प्राप्त हुआ है।

10. देशी जोखिम प्रबंधन

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार देशी जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है। निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) ने गैर-महत्वपूर्ण, कम, मध्यम, उच्च, अति उच्च, प्रतिबंधित तथा ऑफ-क्रेडिट नाम से सात देशी जोखिम श्रेणी का वर्गीकरण प्रकाशित किया है। देशी ऋण जोखिम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए बैंक का देशी जोखिम कुल विधिक आस्तियों के 1% से अधिक न होने पर ऐसे देशी जोखिम पर किसी प्रकार की प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है। देशी जोखिम प्रबंधन के लिए प्रावधान (यदि आवश्यक हो तो) तुलनपत्र की अनुसूची 5 के ''अन्य देयताएँ और प्रावधान'' के अंतर्गत प्रदर्शित होता है।

11. आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र बढ़ते हुए ऋण जोखिम को रोकने के लिए एक नीति अपनाई है तथा उसे अनुमोदित किया है।

12. आस्तियों की हानि

आंतरिक/बाह्य तथ्यों के आधार पर हानि की किसी सूचना के लिए हर एक तुलन-पत्र के दिनांक पर आस्तियों के रखाव की रकम का

b) Income from dividend on shares is accounted for on accrual basis when the same is declared and the right to receive the dividend is established.

c) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item as per RBI guidelines.

d) Income from consignment sale of imported gold coins is accounted for as other income after the sale is completed.

e) The Interest Income and Expenditure on Derivatives Transactions entered for hedging is accounted on accrual basis.

f) Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS-19 (Leases) issued by ICAI.

9. TAXES ON INCOME

9.1 Current tax is determined as per the provisions of the Income tax Act, 1961.

9.2 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences between taxable and accounting income, is recognized keeping in view, the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets in accordance with the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

10. COUNTRY RISK MANAGEMENT

The Bank has adopted the Country Risk Management policy in accordance with the RBI guidelines. Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) publishes the Seven Country Risk Category classification, namely, Insignificant, Low, Moderate, High, Very High, Restricted and Off-credit. Provision for country risk exposure is made as per extant RBI Guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is required on such country exposures. The Country Risk Provision (if required) is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under "Other Liabilities and Provisions".

11. UNHEDGED FOREIGN CURRENCY EXPOSURE

The Bank has framed and approved a policy for administration of credit risk rising out of Unhedged foreign currency exposures in accordance with extant RBI guidelines.

12. IMPAIRMENT OF ASSETS

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date for any indication of impairment

पुनरीक्षण किया जाता है। किसी हानि की पहचान उसी समय हो जाती है जब किसी आस्ति के रखाव की रकम उसकी वसूली योग्य रकम से अधिक हो जाती है।

13. निवल लाभ

निवल लाभ का निर्धारण 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' के अधीन निम्नलिखित मदों को हिसाब में लेने के पश्चात किया गया है:

- आय कर और संपत्ति कर के लिए प्रावधान
- अनर्जक अग्रिमों और निवेशों के लिए प्रावधान/अपलेखन
- मानक आस्तियों के प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए समायोजन
- आकस्मिकताओं को अंतरण
- अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान

14. प्रति शेयरअर्जन

प्रति शेयर के लिए अर्जन का परिकलन उस अवधि के दौरान बकाया रहनेवाले ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा ईक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि से भाग देकर की जाती है। ईक्विटी शेयर के लिए कम हुए अर्जन की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्षांत पर बकाया होनेवाले डाल्युटिव संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग कर की जाती है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा अकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी एएस 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां) के अनुसार पहले की घटना के परिणाम स्वरूप वर्तमान बाध्यता होने पर ही बैंक प्रावधान करता है। यह अनुमानित है कि संसाधनों के बहिर्गमन से बाध्यता का निपटान करने के लिए संगठित आर्थिक लाभ की आवश्यकता होगी और तब बाध्यता संबंधी रकम का उचित अनुमान लगाया जा सकता है। संगठित आर्थिक लाभ संबंधी संसाधन की बहिर्गमन की संभाव्यता न होने पर आकस्मिक देयता प्रकट किया जाता है। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देयताएं परिलक्षित नहीं होती हैं क्योंकि यह आय के परिणामस्वरूप परिलक्षित होता है, इसे वसूला नहीं जा सकता है।

based on internal/external factor. An impairment loss is recognised whenever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount.

13. NET PROFIT

Net Profit is arrived at after accounting for the following under "Provisions and Contingencies":

- Provision for Income Tax and Wealth Tax
- Provision/Write off of Non-Performing Advances and Investments
- Provision on Standard Assets
- Adjustment for appreciation/depreciation on Investments
- Transfer to Contingencies
- Other usual and necessary provisions.

14. EARNINGS PER SHARE

Earnings per Share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the end of the year.

15. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote. Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

अनुसूची –18 लेखा संबंधी टिप्पणियाँ –2016-2017

1. पूँजी

ए. बासेल III के अनुसार पूँजी पर्याप्तता अनुपात (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	7.50	7.01
ii) टियर 1 पूँजी अनुपात (%)	9.26	7.75
iii) टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	2.77	3.41
iv) कुल पूँजी अनुपात (सी.आर.ए.आर) (%)	12.03	11.16
v) भारत सरकार के शेयर धारण की प्रतिशतता	72.92	65.17
vi) जुटाई गई ईक्विटी पूँजी की राशि (शेयर प्रीमियम सहित)	776.00	956.93
vii) जुटाई गई अतिरिक्त टियर। पूँजी, जिसमें;		
– पी.एन.सी.पी.एस.	0.00	0.00
– पी.डी.आई.	0.00	0.00
– अतिरिक्त टियर–1 बाँड	1,930.00	870.00
viii) जुटाई गई टियर 2 पूँजी, जिसमें;		
– ऋण पूँजी लिखत	0.00	1,750.00
– अधिमानी शेयर पूँजी लिखत (बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पी.सी.पी.एस.)/प्रतिदेय असंचयी अधिमानी शेयर (आर.एन.सी.पी.एस.)/प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आर.सी.पी.एस.)	0.00	0.00

नोट: दि. 31.03.2017 की स्थिति में बासेल II के सिद्धांतों के अनुसार बैंक की पूँजी पर्याप्तता अनुपात 12.52 प्रतिशत है जबकि दि. 31.03.2016 की स्थिति में यह 11.68 प्रतिशत था।

बी. वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत सरकार को, ₹10/- अंकित मूल्य के 10,60,39,901 ईक्विटी शेयरों को ₹63.18 प्रीमियम में अधिमानी आधार पर आबंटित किया जिसकी कुल राशि ₹775,99,99,955 है। तदनुसार, भारत सरकार के शेयरधारण की प्रतिशतता 31.03.2017 को 72.92% हो गया।

2. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1) निवेश का मूल्य		
(i) निवेश का सकल मूल्य		
(ए) भारत में	64,766.42	68,285.58
(बी) भारत के बाहर	1,313.77	775.37
(ii) मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान		
(ए) भारत में	614.79	439.09
(बी) भारत के बाहर	0.00	0.00
(iii) निवेश का निवल मूल्य		
(ए) भारत में	64,151.63	67,846.49
(बी) भारत के बाहर	1,313.77	775.37
2) निवेश के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधान का संचलन		
(i) प्रारंभिक शेषराशि	439.09	218.20
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	262.06	220.89
(iii) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	86.36	0.00
(iv) इतिशेष	614.79	439.09

(विदेशी निवेशों को पहले ब्रिटिश पाउंड के समतुलन में और बाद में ब्रिटिश पाउंड के लिए लागू फेडाई दर पर भारतीय रुपए में परिवर्तित किया जाएगा।)

2.1 रेपो लेन–देन (अंकित मूल्य की शर्तों के अनुसार) (₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दि.31.03.2017 को इतिशेष
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
(i) चलनिधि समयोजन रेपो सुविधा हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	208.00 (104.00)	1,250.08 (603.20)	511.01 (532.10)	0.00 (0.00)
(ii) सीमांत स्थाई सुविधा	936.00 (208.00)	1,560.00 (286.00)	1,248.00 (247.00)	0.00 (0.00)
(iii) मियादी रेपो हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	208.00 (16.64)	6,448.00 (8,515.52)	3,328.00 (4,146.45)	0.00 (6,189.04)

SCHEDULE – 18 NOTES ON ACCOUNTS: 2016 - 2017

1. CAPITAL

a. Capital Adequacy Ratio as per Basel-III (₹ in crores)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i) Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	7.50	7.01
ii) Tier 1 Capital Ratio (%)	9.26	7.75
iii) Tier 2 Capital Ratio (%)	2.77	3.41
iv) Total Capital Ratio (CRAR) (%)	12.03	11.16
v) Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	72.92	65.17
vi) Amount of equity capital raised (Including Share Premium)	776.00	956.93
vii) Amount of Additional Tier 1 Capital raised; of which		
- PNCPS	0.00	0.00
- PDI	0.00	0.00
- Additional Tier I Bonds	1,930.00	870.00
viii) Amount of Tier 2 Capital raised; of which		
- Debt Capital Instrument	0.00	1,750.00
- Preference Share Capital Instruments (Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	0.00	0.00

Note: The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31-03-2017 as per Basel - II norms is 12.52% and as on 31-03-2016 it was 11.68%.

b. During the year, the Bank has allotted on preferential basis 10,60,39,901 equity shares of face value of ₹10 each at a premium of ₹63.18 aggregating ₹775,99,99,955 to the Government of India. Consequently the Government of India shareholding is at 72.92% as on 31.03.2017.

2. INVESTMENTS

(₹ in crores)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
1) Value of Investments		
i) Gross Value of Investments		
a) In India	64,766.42	68,285.58
b) Outside India	1,313.77	775.37
ii) Provisions for Depreciation and NPI		
a) In India	614.79	439.09
b) Outside India	0.00	0.00
iii) Net Value of Investments		
a) In India	64,151.63	67,846.49
b) Outside India	1,313.77	775.37
2) Movement of provisions held towards depreciation on Investments		
i) Opening balance	439.09	218.20
ii) Add: Provisions made during the year	262.06	220.89
iii) Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year	86.36	0.00
iv) **Closing balance**	614.79	439.09

(Outside India Investments are converted to GBP equivalent and then converted to INR at FEDAI rates of GBP Currency.)

2.1 Repo Transactions (in face value terms) (₹ in crores)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Closing Balance as on 31-03-2017
Securities sold under Repo				
(i) Government Securities for Liquidity Adjustment Facility Repo	208.00 (104.00)	1,250.08 (603.20)	511.01 (532.10)	0.00 (0.00)
(ii) Marginal Standing Facility	936.00 (208.00)	1,560.00 (286.00)	1,248.00 (247.00)	0.00 (0.00)
(iii) Government Securities for Term Repo	208.00 (16.64)	6,448.00 (8,515.52)	3,328.00 (4,146.45)	0.00 (6,189.04)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दि.31.03.2017 को इतिशेष
(iv) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(v) सीआरओएमएस उधार	987.59 (60.00)	987.59 (1,122.33)	987.59 (428.99)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
(i) चलनिधि समायोजन रिवर्स रेपो सुविधा हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	67.60 (52.00)	4,004.00 (5,616.00)	633.55 (562.14)	1,144.00 (3,744.00)
(ii) मियादी रिवर्स रेपो हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	10.40 (62.40)	18,978.96 (21,320.00)	4,252.53 (7,821.19)	3,120.00 (0.00)
(iii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv) सीआरओएमएस उधार	97.55 (25.23)	9,496.95 (7,952.36)	2,964.29 (2,172.57)	3,006.97 (2,393.14)

(कोष्ठक में मौजूद आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।)

उपर्युक्त आंकड़ों में मार्जिन सम्मिलित है यानि सीआरओएमएस उधार को छोड़कर उधार देते समय गिरवी रखे गए/प्राप्त प्रतिभूतियों का मूल्य उधार की राशि का 104% होगा ।

2.2. गैर एस.एल.आर. निवेश संविभाग

i) दि. 31.03.2017 को गैर एस.एल.आर. निवेशों के जारीकर्तावार संरचना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	रकम	प्राइवेट नियोजन की मात्रा	"निम्न निवेश श्रेणी" प्रतिभूतियों की मात्रा	"अनिर्धारित" प्रतिभूतियों की मात्रा	"असूचीबद्ध" प्रतिभूतियों की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
(i)	सा.क्षे.उ.	1,875.35 (3,926.63)	930.00 (1,291.33)	0.00 (187.50)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ (एन बी एफ सी सहित)	1,317.33 (1,329.03)	726.32 (837.46)	38.69 (81.04)	0.39 (0.88)	0.39 (0.88)
(iii)	बैंक	1,332.64 (2,235.77)	243.51 (418.30)	642.91 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	निजी नैगम	2,779.91 (2,255.06)	2,076.27 (1,674.62)	207.36 (189.38)	0.02 (0.02)	0.02 (0.02)
(v)	सहयोगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम	26.52 (26.52)	26.52 (26.52)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vi)	अन्य	102.39 (35.00)	35.00 (35.00)	67.38 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vii)	मूल्यह्रास के प्रति रखा गया प्रावधान	614.79 (439.09)	***	***	***	***
	कुल*	**6,819.35** (9,368.92)	**4,037.62** (4,283.23)	**956.34** (457.92)	**0.41** (0.90)	**0.41** (0.90)

(कोष्ठक में मौजूद आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।)

नोट: (1) कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य नहीं है।

(2) ईक्विटी, ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड, उद्यम पूँजी, दरांकित आस्ति द्वारा समर्थित प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, और प्रतिभूति रसीद इन श्रेणियों के अंतर्गत पृथक नहीं किया गया है, क्योंकि इन्हें दरांकित/सूचीकृत दिशानिर्देशों से छूट प्राप्त है। पुन:संरचना के अंतर्गत जारी प्रतिभूतियाँ दरांकन के पात्र नहीं हैं।

ii) अनर्जक गैर एस.एल.आर. निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017			31.03.2016		
	देशी	लंदन	कुल	देशी	लंदन	कुल
प्रारंभिक शेष	**389.21**	**0.00**	**389.21**	282.38	0.00	282.38
वर्ष के दौरान परिवर्धन 01 अप्रैल से	**268.78**	**0.00**	**268.78**	106.83	0.00	106.83
उपरोक्त अवधि के दौरान कमी	**87.41**	**0.00**	**87.41**	-	0.00	-
इतिशेष	**570.58**	**0.00**	**570.58**	389.21	0.00	389.21
रखे गए कुल प्रावधान	**370.55**	**0.00**	**370.55**	288.05	0.00	288.05

नोट: *निवेश के रुपया मूल्यांकन में जो वृद्धि/कमी हुई है उसका कारण मुद्रा दरों/आई.एन.आर. दरों में उतार-चढ़ाव से है।

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Closing Balance as on 31-03-2017
(iv) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(v) CROMS Borrowing	987.59 (60.00)	987.59 (1,122.33)	987.59 (428.99)	0.00 (0.00)
Securities purchased under Reverse Repo				
(i) Government Securities for Liquidity Adjustment Facility Reverse Repo	67.60 (52.00)	4,004.00 (5,616.00)	633.55 (562.14)	1,144.00 (3,744.00)
(ii) Government Securities for Term Reverse Repo	10.40 (62.40)	18,978.96 (21,320.00)	4,252.53 (7,821.19)	3,120.00 (0.00)
(iii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv) CROMS Lending	97.55 (25.23)	9,496.95 (7,952.36)	2,964.29 (2,172.57)	3,006.97 (2,393.14)

(Figures in brackets are previous year figure)

The above figures are inclusive of margin i.e. while borrowing / lending the value of the securities pledged / received will be 104% of the amount borrowed / lent excluding CROMS Lending/Borrowings.

2.2 Non-SLR Investment Portfolio

i) Issuer composition of Non-SLR investments as on 31.03.2017

(₹ in crores)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of "Below Investment Grade" Securities	Extent of "Unrated" Securities	Extent of "Unlisted" Securities
1	2	3	4	5	6	7
(i)	PSUs	1,875.35 (3,926.63)	930.00 (1,291.33)	0.00 (187.50)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	Financial Institutions (including NBFCs)	1,317.33 (1,329.03)	726.32 (837.46)	38.69 (81.04)	0.39 (0.88)	0.39 (0.88)
(iii)	Banks	1,332.64 (2,235.77)	243.51 (418.30)	642.91 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	Private Corporates	2,779.91 (2,255.06)	2,076.27 (1,674.62)	207.36 (189.38)	0.02 (0.02)	0.02 (0.02)
(v)	Subsidiaries / Joint Ventures	26.52 (26.52)	26.52 (26.52)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vi)	Others	102.39 (35.00)	35.00 (35.00)	67.38 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vii)	Provision held towards depreciation	614.79 (439.09)	***	***	***	***
	TOTAL *	**6,819.35** (9,368.92)	**4,037.62** (4,283.23)	**956.34** (457.92)	**0.41** (0.90)	**0.41** (0.90)

(Figures in brackets are previous year figure.)

Note: 1. Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

2. Investment in Equities, Equity Oriented Mutual Funds, Venture Capital, Rated Assets backed Securities, Central Government Securities, and Security Receipts are not segregated under these categories as they are exempt from ratings / listing guidelines. Securities issued under restructuring are not subjected to ratings.

ii) Non performing Non-SLR Investments (₹ in crores)

Particulars	31-03-2017			31-03-2016		
	Domestic	London	Total	Domestic	London	Total
Opening balance	**389.21**	**0.00**	**389.21**	282.38	0.00	282.38
Additions during the year since 1st April	**268.78**	**0.00**	**268.78**	106.83	0.00	106.83
Reduction during the above period	**87.41**	**0.00**	**87.41**	-	0.00	-
Closing balance	**570.58**	**0.00**	**570.58**	389.21	0.00	389.21
Total provisions held	**370.55**	**0.00**	**370.55**	288.05	0.00	288.05

Note: * Appreciation/Reduction in rupee valuation of Investments include fluctuation in currency rates /INR rates.

iii) ***एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री और अंतरण***

प्रतिभूतियों की बिक्री और एच.टी.एम. श्रेणी को/से उनका अंतरण का मूल्य भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में एच.टी.एम. श्रेणी (छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर) में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

iv) ***एसजीएल उछाल***

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान एस.जी.एल. का कोई उछाल नहीं था।

2.3 एचटीएम वर्ग से प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ की राशि ₹196,49,66,264 (पिछली वर्ष ₹73,63,68,167) को लाभ एवं हानि लेखा में लिया गया और तदनंतर पूँजी आरक्षित खाते में (कर एवं सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरण को घटाकर) विनियोजन किया गया है।

2.4 एच.टी.एम. वर्ग की प्रतिभूतियों पर प्राप्त परिशोधन प्रभार ₹130,33,21,707 (पिछले वर्ष ₹96,94,09,766.59) को लाभ एवं हानि खाते में नामे डाल दिया गया है और वह, भा.रि.बैं. मास्टर परिपत्र के अनुसार अर्जित ब्याज: मद सं II – निवेश पर आय में कटौती के रूप में अनुसूची-13 में प्रतिबिंबित होता है।

3. व्युत्पन्न

3. ए वायदा दर करार/ब्याज दरों की अदला-बदली/ पारस्परिक मुद्रा की अदला-बदली

- **वायदा दर करार और ब्याज दर अदली-बदली**

वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2014-15 के दौरान बैंक ने यूएसडी 1400.00 मिलियन के स्थिर ब्याज दर एमटीएन फंड को 3 हिस्से में संचयी करके 5½ वर्ष के लिए बढ़ाया है। बैंक ने 1265 मिलियन डॉलर (यूएसडी) के लिए मध्यम अवधि नोटों पर लागू स्थाई ब्याज दर को लिबॉर से जुड़ी अस्थाई दर में परिवर्तित करने के लिए ब्याज दर स्वैप सुविधा अपनाया है।

वर्ष 2016-17 के दौरान यूएसडी 500 मिलियन के मध्यम अवधि नोटों का पहला हिस्सा परिपक्व हुआ है, और इसकी पुनर्भुगतान की गई है। साथ यूएसडी 365.00 मिलियन के 'ब्याज दर स्वैप' का निपटान किया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	31.03.2017	31.03.2016
i)	अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	**6,614.70**	9,043.81
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रतिपक्षकार विफल होती हैं तो, होने वाली हानि	**120.93**	1.80
iii)	अदला-बदली में प्रवेश होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**0.00**	0.00
iv)	अदला-बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	**0.00**	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	**58.67**	1.80

नोट: किये गए सभी वायदा करार दर और ब्याज दर अदला-बदली प्रतिपक्षी बैंकों के परिप्रेक्ष में है ताकि तुलनपत्र के अंतर की प्रतिरक्षा की जा सके।

- ***मुद्रा अदला-बदली***

'मुद्रा अदला-बदली' सुविधा व्यापारियों को दी जाती है और यह अंतर-बैंक प्रतिक्षाकार के साथ परस्पर आधार पर संरक्षित की जाती है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	31-03-2017	31-03-2016
i)	अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	**654.25**	28.68
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रतिपक्षकार विफल होता हैं तो, उठाई जाने वाली हानि	**29.49**	4.64
iii)	अदला-बदली में प्रवेश होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**0.00**	0.00
iv)	अदला-बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	**0.00**	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	**2.08**	0.04

(1) हानियों को कुल ऋण निवेश के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें वर्तमान ऋण निवेश (संभाव्य भावी निवेश) और प्रतिस्थापन जोखिम (सकारात्मक एमटीएम) भी शामिल हैं ।

(2) अदला-बदली बही का उचित मूल्य उपर्युक्त अदला-बदली पर एमटीएम प्राप्य और देय को घटाकर है।

(3) वायदा दर करार (एफ.आर.ए.) और ब्याज दर अदला-बदली (आई.आर.एस.) को अपनी बहियों को बचाने के लिए तथा आस्ति और देयता अंतर से बचने के लिए किया गया है । मुद्रा अदला-बदली को ग्राहकों के निवेशों को बचाने के लिए किया गया है और उन्हीं शर्तों पर बैक-टु-बैक आधार पर कवर किया गया है ।

(iii) *Sale and transfers to / from HTM category*

The value of sales and transfers of securities to / from HTM category does not exceed 5 percent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

(iv) *SGL Bouncing*

There was no instance of SGL bouncing during the financial year 2016-17.

2.3 Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to ₹196,49,66,264 (Previous Year ₹73,63,68,167) has been taken to Profit and Loss Account and thereafter appropriated towards Capital Reserve Account (net of taxes and transfer to Statutory Reserve).

2.4 The amortization charges of ₹130,33,21,707 (Previous Year ₹96,94,09,766.59) on the HTM category of securities is debited to Profit and Loss Account and reflected in Schedule - 13, Interest Earned: Item II – Income on Investments as a deduction as per RBI Master Circular.

3. DERIVATIVES

3.A Forward Rate Agreements / Interest Rate Swap / Cross Currency Swaps

- **Forward Rate Agreement and Interest Rate Swaps**

During the financial years 2011-12, 2012-13 and 2014-15, Bank had raised Fixed Interest rate MTN funds in 3 tranches cumulating to USD 1400.00 Mio for 5 ½ Years.

Bank had entered into Interest Rate Swaps for USD 1265 Mio for converting the Fixed Interest Rates on Medium Term notes with the floating rates linked to Libor.

During the year 2016-17,Tranche -I of USD 500.00 Mio of Medium Term Notes were matured and repaid and also the Interest Rate Swaps of USD 365.00 Mio were settled.

(₹ in crores)

Sl. No.	Items	31-03-2017	31-03-2016
i)	The notional principal of swap agreements	**6,614.70**	9,043.81
ii)	Losses which would be incurred if the counter parties fail to fulfil their obligations under the agreements	**120.93**	1.80
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	**0.00**	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	**0.00**	0.00
v)	The fair value of the swap book	**58.67**	1.80

Note: All Forward Rate Agreements and Interest Rate Swaps undertaken are against counterparty Banks to hedge Balance Sheet gaps.

- ***Currency Swaps***

Currency Swaps was offered to Merchant and covered on Back-to-Back basis with Interbank Counterparty.

(₹ in crores)

Sl. No.	Items	31-03-2017	31-03-2016
i)	The notional principal of the swap agreements	**654.25**	28.68
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	**29.49**	4.64
iii)	Collateral required by the bank upon entering the swap	**0.00**	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	**0.00**	0.00
v)	The fair value of the swap book	**2.08**	0.04

(1) Losses have been defined as Total Credit Exposure which is inclusive of Current Credit Exposure (Potential Future Exposure) and Replacement Risk (Positive MTM).

(2) Fair Value of Swaps book is the Net of MTM receivable and Payable on the above Swaps.

(3) Forward Rate Agreement (FRA's) and Interest Rate Swaps (IRS's) were undertaken by the Bank to hedge its own books and for managing assets and Liabilities mismatches. Currency Swap has been undertaken with customer for hedging their exposures and covered back-to-back with identical terms.

(4) इन व्युत्पन्न लेन-देनों को उन प्रतिपक्षकारों के साथ किया गया है जो ऋण और राजकोषीय नीतियों की पूर्ति करती हैं । बोर्ड द्वारा अनुमोदित इन नीतियों में ऋण और बाजार जोखिमों के प्रबंधन और अनुप्रवर्तन से संबंधित विभिन्न मानदण्डों/सीमाओं का उल्लेख किया गया है ।

(5) व्युत्पन्नों की लेखाकरण नीति को भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है । उक्त नीति के ब्यौरे अनुसूची-17- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 2016-17 में प्रस्तुत हैं ।

3. बी विनिमय व्यापार ब्याज दर व्यूत्पन्न

मुद्रा वायदा:

बैंक तीन विनिमयों पर यू.एस.डॉलर/भारतीय रुपयों में मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है। दि. 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदे के अंतर्गत कोई बकाया संविदा नहीं है।

ब्याज दर वायदा:

विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न शून्य है। बैंक विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न में लेन-देन नहीं कर रहा है।

क्रम सं.	विवरण	(₹ करोड़ में)
i)	वर्ष के दौरान किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित मूल धन राशि (लिखतवार)	शून्य
ii)	दि. 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित बकाया मूलधन राशि (लिखतवार)	
iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार के लिए निर्दिष्ट मूल्य जो ''अत्यंत प्रभावकारी'' नहीं है। (लिखतवार)	
iv)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का बकाया बाजार-दर-बाजार मूल्य जो ''अत्यंत प्रभावकारी'' नहीं है। (लिखतवार)	

3. सी. व्युत्पन्नों में जोखिम निवेशों का प्रकटीकरण

ए) गुणात्मक प्रकटीकरण

- ✓ व्युत्पन्न लेन-देन करने के लिए बैंक के पास अच्छी खासी नीति है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।
- ✓ बैंक अपने तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार/बाजार को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक और बैंकेतर प्रतिपक्षकारों के साथ एफ.आर.ए., ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप तथा करेंसी विकल्प जैसे व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक केवल विनिमय दर मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है।
- ✓ पिछली निष्पादन श्रेणी के अंतर्गत वायदा संविदा को सिंड-01- सिंड-04 के अंतिम निर्धारण के साथ तथा भा.रि. बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही ग्राहकों के लिए बुक किया जाता है।
- ✓ वर्ष के दौरान बैंक ने लंदन शाखा की देयताओं के लिए बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु ब्याज दर अदला-बदली और एफ.आर.ए. किया ।
- ✓ मूल धन और ब्याज समर्थक लेन-देन दोनों को परस्पर मुद्रा अदला-बदली में शामिल किया गया। इस प्रकार किसी लागत को शामिल किए बिना विनिमय दर जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम दोनों को प्रतिरक्षा प्रदान किया गया।
- ✓ परस्पर मुद्रा अदला-बदली को 10 वर्षों तक की अवधि के लिए किया गया जिसमें किसी कोई जोखिम के बिना उसी प्रकार के समर्थक लेन-देन शामिल किए गए हैं।
- ✓ केवल गैर-बैंक प्रतिपक्षकार के लिए मुद्रा अदला-बदली लेन-देन किया गया। जिनका श्रेणी निर्धारण सिंड-01 से सिंड-04 है ।
- ✓ बैंक ने व्युत्पन्न से जुडी जोखिमों का निर्धारण करने के लिए समुचित नियंत्रण प्रणाली और एम.आई.एस. को अपनाया है ।
- ✓ बैंक में प्रतिपक्षकारों की ऋण जोखिम सीमाओं की निरंतर निगरानी तथा मूल्यांकन की प्रणाली है ।
- ✓ व्युत्पन्न लेन-देनों से संबंधित ऋण जोखिमों की निगरानी चालू ऋण जोखिम पद्धति (सी ई एम) के आधार पर की जा रही है।
- ✓ ऋण जोखिम की निगरानी काउंटर पार्टी निवेश सीमाएं निर्धारित करके, देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम निर्धारित करके और सीसीआईएल/सीएलएस के माध्यम से निपटान संबंधी जोखिम को कम करके की जाती है ।

(4) These Derivatives transactions are entered with counter parties satisfying the criteria as prescribed by the Credit and Treasury Policies. These Board approved policies prescribe various parameters/limits to manage and monitor Credit and Market Risks.

(5) The Accounting Policy for Derivatives has been drawn up in accordance with the RBI guidelines, the details of which are presented under Schedule 17 – Significant Accounting Policies 2016-17.

3.B Exchange Traded Interest Rate Derivatives

Currency Futures:

The Bank is undertaking proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on the three Exchanges.There is no Outstanding Contracts under Currency future as at 31-03-2017.

Interest Rate Future:

Exchange Traded Interest Rate Derivative is NIL. The Bank is not dealing in Exchange Traded Interest Rate Derivatives.

Sl. No.	Particulars	(₹ in Crores)
i)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	NIL
ii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding as on March 31, 2016 (instrument-wise)	
iii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstandingand not "highly effective" (instrument-wise)	
iv)	Marked-to-Market value of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstandingand not "highly effective" (instrument-wise)	

3.C Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

a) Qualitative Disclosure

- ✓ The Bank has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- ✓ The Bank is undertaking derivative transactions for hedging risks on its Balance Sheet as well as for trading / market-making purposes. Bank is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest rate swaps, Currency swaps and Currency Options, with bank and Non-bank Counter parties. The Bank is only undertaking proprietary trading position in Currency Futures on two Exchanges.
- ✓ Forward contracts under past performance category are booked for clients with Rating SYND 01 - SYND 04 only and on complying with RBI guidelines.
- ✓ During the year Bank undertook Interest Rate Swaps and FRA for hedging Purpose to Mitigate Interest Rate Risk in Banking Book for Liabilities at London Branch.
- ✓ Cross Currency swaps are undertaken for both principal and interest, back-to-back, thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.
- ✓ Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 10 years, covering the same back-to-back without any open position.
- ✓ Currency swaps are undertaken for non-bank counterparty with ratings SYND 01 to 04 only.
- ✓ The Bank has set in place appropriate control system to assess the risks associated with Derivatives and MIS in place to monitor the same.
- ✓ The Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of Credit Risk limits of counter-parties.
- ✓ Credit exposures for derivative transactions are monitored on the basis of Current Exposure Method (CEM).
- ✓ Credit Risk is monitored by setting up counterparty exposure limits setting country risk exposure limits and mitigating settlement risk through CCIL / CLS.

- ✓ प्रतिपक्षकारों, बैंकों और बैंकेतर ग्राहकों के साथ संचालनों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर किया जाता है। गैर बैंक ग्राहकों के साथ लेन-देनों को पृष्ठाधान रक्षा के आधार पर बाज़ार जोखिम उठाए बिना किया जाता है।
- ✓ बैंक के पास सम्मिश्र व्युत्पन्न के अंतर्गत न ही कोई निवेश है और न ही उनके पास न्यून-ब्याजदर वाली आस्तियों के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष निवेश है ।
- ✓ बैंक ने न तो किसी लेखे का क्रिस्टलीकरण और अपलेखन किया है और न ही व्युत्पन्न लेन-देन से कोई हानि उठाई है।
- ✓ ब्याज संबंधी विवाद को रोकने तथा जोखिम की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस को अलग-अलग कर दिया गया। मिड ऑफिस, नैगम कार्यालय, बेंगलूर में स्थित जोखिम प्रबंधन विभाग को सीधे रिपोर्ट करता है।
- ✓ भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रतिपक्षकार बैंक और गैर-बैंक ग्राहक के साथ आई.एस.डी.ए. करार निष्पादित/विनिमय किया गया है।
- ✓ मिड ऑफिस, व्यापार लेन-देन से उत्पन्न होनेवाली जोखिम का स्वतंत्र रूप से निगरानी एवं आकलन करता है।
- ✓ संचालनों को निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. द्वारा संस्वीकृत समग्र कुल सीमा और कुल दिनों की खुली स्थिति सीमा के भीतर किया जाता है।
- ✓ प्रतिरक्षा हेतु किया गया कोई भी लेन-देन, यदि असुरक्षित हो जाता है तो उसे व्यापार लेन-देन समझा जाता है और उसे परिपक्वता तक चालू रखा जाता है।
- ✓ लेन-देनों को प्रतिरक्षा या गैर-प्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में अलग से वर्गीकृत किया गया है और उसे उचित मूल्य पर आंका गया।
- ✓ बैक-टू-बैक आधार पर किए गए लेन-देन और बैंक की आस्ति एवं देयता के जोखिम की प्रतिरक्षा का मूल्यांकन निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के द्वारा किया जाता है तथा ब्याज का लेखांकन उपचयन आधार पर होता है।
- ✓ प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु किए गए उन सभी लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जो असुरक्षित हो जाते हैं और बाज़ार के लिए अंकित हानि हो जाती है। फिर भी, अवधि के दौरान कोई प्रतिरक्षा लेनदेन असुरक्षित नहीं हुआ है।
- ✓ विपणन उद्देश्य हेतु किए गए लेन-देनों को मासिक आधार पर बाजार के लिए अंकित किया जाता है और प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु रखे गए लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है ।
- ✓ मंजूरी की शर्तों के अनुसार संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं।
- ✓ 85.46% व्युत्पन्न, शेष परिपक्वता की एक वर्ष से कम अवधि के अंतर्गत आते हैं।

बी) दि. 31.03.2017 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2017		31.03.2016	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1.	**व्युत्पन्न (काल्पनिक मूल राशि)**				
	ए) प्रतिरक्षा के लिए	**654.25**	**6,614.70**	28.68	9,043.81
	बी) व्यापार के लिए	–	–	–	–
2.	**बाजार स्थितियों को अंकित**				
	ए) आस्तियाँ (+)	**9.87**	**58.67**	4.64	1.80
	बी) देयताएँ (–)	**7.79**	**0.00**	4.60	0.00
3.	**ऋण विनिवेश**	**29.49**	**120.93**	5.21	76.84
4.	**ब्याज दरों में 1% परिवर्तन होने से होनेवाला प्रभाव (100* पीवीओ 1)**				
	ए) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर	**-0.02**	**43.13**	0.15	8.63
	बी) व्यापार व्युत्पन्न पर	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
5.	**वर्ष के दौरान पाया गया 100* पीवीओ 1 का अधिकतम एवं न्यूनतम**				
	ए) प्रतिरक्षा पर				
	न्यूनतम	--	--	--	--
	अधिकतम	--	--	--	--
	बी) व्यापार पर				
	न्यूनतम	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	लागू नहीं	लागू नहीं
	अधिकतम	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	लागू नहीं	लागू नहीं

- ✓ The transactions with our Counterparty Banks and non-bank counterparty are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counterparties are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- ✓ The Bank is neither having any exposure in complex derivatives nor it has any direct exposure to the sub-prime assets.
- ✓ The Bank has neither crystallized and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking derivative transactions.
- ✓ The segregation of Front Office, Mid Office and Back Office is ensured to avoid conflict of interests and to mitigate the degree of risk. The Mid Office is directly reporting to Risk Management Department at Corporate Office, Bangalore.
- ✓ ISDA agreements are executed / exchanged with every counterparty banks and non-bank clients as per RBI guidelines.
- ✓ Mid Office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.
- ✓ The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits and Net Overnight Open position limits sanctioned by the Board / RBI.
- ✓ Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- ✓ The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- ✓ The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Bank assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- ✓ Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which became naked resulting in mark-to market losses. However during the period no Hedge Transaction turned naked.
- ✓ Transactions for market making purposes are marked-to-market at monthly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.
- ✓ Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.
- ✓ 85.46% of Derivatives fall under the short tenure of less than one year of remaining Maturity.

b) Quantitative Disclosures as on 31.03.2017.

(₹ in crores)

Sl. No.	Particulars	31-03-2017		31-03-2016	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1	**Derivatives (Notional Principal Amount)**				
	a) For Hedging	**654.25**	**6,614.70**	28.68	9,043.81
	b) For Trading	**--**	**--**	--	--
2	**Marked To Market Positions**				
	a) Asset (+)	**9.87**	**58.67**	4.64	1.80
	b) Liability (-)	**7.79**	**0.00**	4.60	0.00
3	**Credit Exposure**	**29.49**	**120.93**	5.21	76.84
4	**Likely impact of 1% change in interest rates (100*PV01)**				
	a) On Hedging Derivatives	**-0.02**	**43.13**	0.15	8.63
	b) On Trading Derivatives	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
5	**Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during year**				
	a) On Hedging				
	Minimum	**--**	**--**	--	--
	Maximum	**--**	**--**	--	--
	b) On Trading				
	Minimum	**NA**	**NA**	NA	NA
	Maximum	**NA**	**NA**	NA	NA

3.डी ऋण चूक अदला बदली

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने ऋण चूक अदला बदली में व्यापार नहीं किया है।

3.ई आरबीआई में साथ एफसीएनआर बी डिपाजिट की अदला-बदली

वर्ष 2013 में आरबीआई से 3 वर्ष की अवधि के लिए नई एफसीएनआर बी जमा के लिए स्वीकृत मुद्रा में 3 या उससे अधिक वर्षों की अवधि के लिए, एक 'यूएस डॉलर रियायती अदला-बदली खिडकी' उपलब्ध कराया है।

बैंक इस अवधि के दौरान आरबीआई के साथ यूएसडी 70.00 मिलियन डॉलर की अदला-बदली की है। यह अदला बदली आरबीआई के साथ बाज़ार की तुलना रियायती दरों पर की गई है। बैंक ने संपूर्ण अदला-बदली अवधि के दौरान बिक्री/खरीदी अदला-बदली प्रीमियम के परिशोधन को, आरबीआई द्वारा यथा प्रस्तावित प्रदान किया है।

4. आस्ति गुणवत्ता

ए) *अनर्जक आस्ति* (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31-03-2016
(i) निवल अग्रिमों की निवल अनर्जक आस्ति (%)	**5.21%**	4.48%
(ii) (सकल) अनर्जक आस्तियों का संचलन		
ए. प्रारंभिक शेष राशि	**13,832.16**	6,442.38
बी. वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	**8,137.95**	12,200.54
सी. वर्ष के दौरान कटौती	**4,360.80**	4,810.76
डी. इतिशेष	**17,609.31**	13,832.16
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों का संचलन		
ए. प्रारंभिक शेषराशि	**9,014.87**	3,843.65
बी. वर्ष के दौरान परिवर्धन	**4,522.41**	8,380.38
सी. वर्ष के दौरान कटौती	**3,126.30**	3,209.16
डी. इतिशेष	**10,410.98**	9,014.87
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों के लिए किए प्रावधानों को छोड़कर)		
ए. प्रारंभिक शेषराशि	**4,670.44**	2,466.88
बी. वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**3,615.54**	3,820.16
सी. अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**1,236.24**	1,616.60
डी. इतिशेष	**7,049.74**	4,670.44
ई. प्रावधान शामिल अनुपात (%)	**56.37%**	**53.73%**

बी. आस्ति वर्गीकरण में विचलन एवं अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए प्रावधान – (संदर्भ डी.बी.आर. बीपी. बीसी. सं. 63/21.04.018/2016-17, दि. 18 अप्रैल 2017)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2015-16
1.	31 मार्च, 2016 तक की स्थिति में सकल एनपीए, बैंक की रिपोर्ट के अनुसार	13,832.16
2.	31 मार्च, 2016 तक की स्थिति में सकल एनपीए, आरबीआई द्वारा कृत मूल्यांकन के अनुसार	14,486.26
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	654.10
4.	31 मार्च, 2016 तक की स्थिति में निवल एनपीए, बैंक की रिपोर्ट के अनुसार	9,014.87
5.	31 मार्च, 2016 तक की स्थिति में निवल एनपीए, आरबीआई द्वारा कृत मूल्यांकन के अनुसार	9,242.28
6.	सकल एनपीए में विचलन (5-4)	227.41
7.	31 मार्च, 2016 तक की स्थिति में एनपीए के लिए प्रावधान, बैंक की रिपोर्ट के अनुसार	4,670.44
8.	31 मार्च, 2016 तक की स्थिति में एनपीए के लिए प्रावधान, आरबीआई द्वारा कृत मूल्यांकन के अनुसार	5,097.13
9.	प्रावधानीकरण में विचलन (8-7)	426.69
10.	रिपोर्ट की अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का कर पश्चात् निवल लाभ (पीएटी)	-1,643 48
11.	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का समायोजित कर पश्चात् निवल लाभ (पीएटी), प्रावधानीकरण में पाए गए विचलन को जोड़ने के बाद (10-9)	-2,070.17

नोट: बैंक में एनपीए का निर्धारण करने के लिए एक सोद्देशित प्रणाली मौजूद है, जो एनपीए के शीघ्र वर्गीकरण और प्रावधानीकरण को सुनिश्चित करता है। आरबीआई का पर्यवेक्षक दल इनकी दिनांक 31.03.2016 तक की स्थिति का मूल्यांकन कर कुछ खातों को (उन खातों को भी, जहाँ एसडीआर लागू किया गया है) तकनीकी आधार पर (कुछ मामले विचाराधीन होने और कुछ में बैंक की मंजूरी के बाद आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों में मौजूद कुछेक विवेचनपरक मामले के चलते निर्णय न ले पाने की स्थिति) पुन: वर्गीकृत किया है। आगे, इस वर्ष के दौरान उनमें से अधिक खातों को बैंक द्वारा उपरोक्त मूल्यांकन रिपोर्ट की प्राप्ति से पहले डाऊनग्रेड किया गया है। बैंक के पास पर्याप्त प्रावधानों का सामान्य धारण के लिए एक विवेकपूर्ण प्रणाली मौजूद है और यह अस्थाई प्रावधानों को भी धारण करता है।

3.D Credit Default Swaps

During the Financial Year, the Bank has not traded in Credit Default Swaps.

3.E FCNR B Deposit Swap with RBI

In 2013, RBI introduced a US Dollar concessional Swap window for Fresh FCNR B Deposit for the period of 3 YEAR in any permissible currency for the minimum tenor of 3 years or more.

Bank had swapped USD 70.00 million with RBI for the corresponding tenure. The Swaps was done with RBI were at concessional rates against the market. As prescribed by the RBI, Bank has adopted the amortization of Sell/buy Swaps Premium throughout the tenure of the Swaps.

4. ASSET QUALITY

a) *Non-Performing Assets* (₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
(i) Net NPA to Net Advances (%)	**5.21%**	4.48%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a. Opening balance	**13,832.16**	6,442.38
b. Additions (Fresh NPAs) during the year	**8,137.95**	12,200.54
c. Reductions during the year	**4,360.80**	4,810.76
d. Closing balance	**17,609.31**	13,832.16
(iii) Movement of Net NPAs		
a. Opening balance	**9,014.87**	3,843.65
b. Additions during the year	**4,522.41**	8,380.38
c. Reductions during the year	**3,126.30**	3,209.16
d. Closing balance	**10,410.98**	9,014.87
(iv) Movement of Provisions for NPAs (Excluding Provisions on Standard Assets)		
a. Opening balance	**4,670.44**	2,466.88
b. Provisions made during the year	**3,615.54**	3,820.16
c. Write Off / Write Back of Excess Provisions	**1,236.24**	1,616.60
d. Closing balance	**7,049.74**	4,670.44
e. Provision Coverage Ratio (%)	**56.37%**	**53.73%**

b) Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs – (ref DBR.BP.BC.No. 63/21.04.018/2016-17 dated April 18, 2017)

(₹ in crores)

Sr. No.	Particulars	FY 2015-16
1.	Gross NPAs as on March 31, 2016 as reported by the Bank	13,832.16
2.	Gross NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	14,486.26
3.	Divergence in Gross NPAs (2-1)	654.10
4.	Net NPAs as on March 31, 2016 as reported by the Bank	9,014.87
5.	Net NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	9,242.28
6.	Divergence in Net NPAs (5-4)	227.41
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2016 as reported by the Bank	4,670.44
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	5,097.13
9.	Divergence in provisioning (8-7)	426.69
10.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2016	-1,643 48
11.	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2016 after taking into account the divergence in provisioning (10-9)	-2,070.17

Note: The Bank has an objective system driven process of identification of NPA which enables prompt classification and provisioning of NPA. The Supervisory team of RBI had assessed as of 31-03-2016 and reclassified certain accounts (including accounts where SDR had been invoked), on technical grounds (unable to decide due to certain matters remaining subjudice, certain interpretation issue of RBI circulars issued after Bank's sanction, etc). Further, during the current year most of these accounts were downgraded by the Bank before receipt of assessment indicated above. The Bank has a prudent system of generally holding adequate provisions and also holds floating provisions.

सी/c) वर्ष 2016-17 के दौरान पुनर्संरचित खातों का विवरण/Details of Accounts Restructured during the Year 2016 – 17

(₹ करोड़ में/₹ in crores)

SL. No.	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण/DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON 31-03-2017																					
	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत UNDER CDR MECHANISIM					एस एम ई के अंतर्गत UNDER SME					अन्य OTHERS					कुल TOTAL				
	आस्ति वर्गीकरण ASSET CLASSIFICATION		एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डीए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डीए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डीए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL
1.	दि. 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते Restructured Accounts as on 01.04.2016	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	11	4	18	0	**33**	196	405	3169	731	**4501**	45928	26891	22234	2041	**97094**	46135	27300	25421	2772	**101628**
		बकाया राशि/AMT O/S	1211.79	153.22	1367.16	0.00	**2732.17**	117.94	27.38	106.31	15.68	**267.31**	4424.17	879.55	833.49	34.47	**6171.68**	5753.90	1060.15	2306.96	50.15	**9171.16**
		प्रावधान/PROVISION	25.90	2.00	31.85	0.00	**59.75**	3.07	0.86	2.34	0.00	**6.27**	273.76	27.17	11.71	0.00	**312.64**	302.73	30.03	45.90	0.00	**378.66**
2.	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	0	0	0	0	**0**	0	14	5	0	**19**	23298	143	27	19	**23487**	23298	157	32	19	**23506**
		बकाया राशि/AMT O/S	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	3.64	0.51	0.00	**4.15**	820.85	6.25	13.61	0.48	**841.19**	820.85	9.89	14.12	0.48	**845.34**
		प्रावधान/PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.09	0.03	0.00	**0.12**	40.46	0.31	0.05	0.00	**40.82**	40.46	0.40	0.08	0.00	**40.94**
3.	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में स्तरोन्नत Upgradations to restructured standard category during the Financial Year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	1	0	0	0	**1**	15	-15	0	0	**0**	179	-179		0	**0**	195	-194	0	0	**1**
		बकाया राशि/AMT O/S	19.26	0.00	0.00	0.00	**19.26**	5.89	-5.89	0.00	0.00	**0.00**	231.76	-231.76		0.00	**0.00**	256.91	-237.65	0.00	0.00	**19.26**
		प्रावधान/PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.05	-0.05	0.00	0.00	**0.00**	4.49	-4.49	0.00	0.00	**0.00**	4.54	-4.54	0.00	0.00	**0.00**
4.	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम जो उच्च प्रावधानों और/या अतिरिक्त जोखिम भार से बाहर हो गया हो और इस कारण अगले वित्तीय वर्ष की शुरूआत में उसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में नहीं दर्शाया जाए।/ Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of Financial Year and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next Financial Year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	0	0	0	0	**0**	68	0	0	0	**68**	4281	0	0	0	**4281**	4349	0	0	0	**4349**
		बकाया राशि/AMT O/S	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	15.47	0.00	0.00	0.00	**15.47**	131.01	0.00	0.00	0.00	**131.01**	146.49	0.00	0.00	0.00	**146.49**
		प्रावधान/PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.18	0.00	0.00	0.00	**0.18**	3.01	0.00	0.00	0.00	**3.01**	3.19	0.00	0.00	0.00	**3.19**
5.	वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की गिरावट/ Downgradations of restructured accounts during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	-3	1	2	0	**0**	-56	54	2	0	**0**	-3583	3127	340	116	**0**	-3642	3182	344	116	**0**
		बकाया राशि/AMT O/S	-314.46	167.99	146.47	0.00	**0.00**	-16.11	3.63	12.46	0.00	**-0.02**	-333.23	310.89	20.29	2.07	**0.02**	-663.80	482.51	179.22	2.07	**0.00**
		प्रावधान/PROVISION	-6.94	6.42	0.52	0.00	**0.00**	-0.77	0.18	0.59	0.00	**0.00**	-7.46	7.44	0.02	0.00	**0.00**	-15.17	14.04	1.13	0.00	**0.00**
6.	वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेख/Written - off restructured accounts during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	2	3	6	0	**11**	1	311	1903	730	**2945**	7653	12604	-14260	2176	**8173**	7656	12918	-12351	2906	**11129**
		बकाया राशि/AMT O/S	260.22	124.35	525.22	0.00	**909.79**	42.04	9.53	-6.62	14.75	**59.70**	1426.94	440.05	-236.80	37.02	**1667**	1729.20	573.93	281.80	51.77	**2636.70**
		प्रावधान/PROVISION	11.67	1.84	13.41	0.00	**26.92**	1.69	0.70	-0.21	0.00	**2.18**	77.59	12.39	-15.98	0.00	**74**	90.95	14.93	-2.78	0.00	**103.10**
7.	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते* Restructured accounts as on 31.03.2017 *	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	7	2	14	0	**23**	86	147	1273	1	**1507**	53888	17378	36861	0	**108127**	53981	17527	38148	1	**109657**
		बकाया राशि/AMT O/S	656.37	196.86	988.41	0.00	**1841.64**	50.21	19.23	125.90	0.93	**196.27**	3585.60	524.88	1104.19	0.00	**5214.67**	4292.18	740.97	2218.50	0.93	**7252.58**
		प्रावधान/PROVISION	7.29	6.58	18.96	0.00	**32.83**	0.48	0.38	3.17	0.00	**4.03**	230.65	18.04	27.76	0.00	**276.45**	238.42	25.00	49.89	0.00	**313.31**

*पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिसमें उच्च प्रावधान या जोखिम भारांक (यदि लागू हो) नहीं है उनके आंकडों को हटाकर तथापि दि. 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार इन खातों को भी दिखाया गया है।

*Excluding the figures of standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable). However, the provisions as on 31-03-2016 have been shown including these accounts.

Note:

1. इतिशेष = प्रारंभिक शेष + नया – अपवर्जित – बट्टे खाते डाले गये बंद किया गया आदि अर्थात, 7 = 1 + 2 – 4 – 6/Closing Balance = Opening Balance + Fresh – Excluded – Write Off, Closed, etc, i.e. 7 = 1 + 2 – 4 – 6.
2. मौजूदा खाता के अंतर्गत स्तर उन्नयन और गिरावट संपन्न होती है। अत: उन्हे मिलान के उद्देश्य के लिए ध्यान में नहीं लिया जाता है।/Upgradations and Slippages happen within the existing accounts. Hence they are not taken account for tallying purpose

डी) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(i) खातों की संख्या	**5**	4
(ii) प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री किए गए खातों के कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	**94.11**	281.89
(iii) कुल प्रतिफल	**225.42**	502.88
(iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	**0.00**	0.00
(v) निवल बही मूल्य के प्रति कुल लाभ/हानि	**131.31**	220.99
(vi) अनर्जक आस्ति की बिक्री पर लाभ-हानि खाते को प्रतिवर्तित की गई अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा	**0.31**	0.00

d) Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
(i) No. of accounts	**5**	4
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to Securitisation Company / Reconstruction Company	**94.11**	281.89
(iii) Aggregate consideration	**225.42**	502.88
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	**0.00**	0.00
(v) Aggregate gain / loss over net book value.	**131.31**	220.99
(vi) The quantum of excess provision reversed to the Profit & Loss A/c on account of sale of NPAs	**0.31**	0.00

ई) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस सी)/पुन:निर्माण कंपनी (आर सी) के प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्निहित रूप में बैंक द्वारा बेचा गया समर्थित एनपीए		अंतर्निहित रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचा गया समर्थित एनपीए		कुल	
	31-03-17	31-03-16	**31-03-17**	31-03-16	**31-03-17**	31-03-16
प्रतिभूति रसीद में निवेश का बही मूल्य	**1,148.94**	1,065.54	**0.00**	0.00	**1,148.94**	1,065.54

प्रतिभूति रसीदों में निवेश संबंधी अतिरिक्त प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	पिछले 5 वर्ष के दौरान जारी एसआर	5 वर्ष से अधिक पहले किन्तु पिछले 8 वर्ष के भीतर जारी एसआर	8 वर्ष से अधिक पहले जारी एसआर
(i)	मौलिक रूप में बैंक द्वारा भेजी गयी अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	1131.21	0.00	17.73
	उपरोक्त (i) के सापेक्ष धारित प्रावधान	73.05	0.00	17.73
(ii)	मौलिक रूप में अन्य बैंक/वित्तीय संस्थाएँ/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्ति द्वारा समर्थित	0.00	0.00	0.00
	उपरोक्त (ii) के सापेक्ष धारित प्रावधान	0.00	0.00	0.00
	कुल (i)+(ii)	**1131.21**	**0.00**	**17.73**

एफ) कार्यनीतिक ऋण पुन:संरचना योजना संबंधी प्रकटीकरण (वे खाते जो फिलहाल निष्क्रिय अवधि के अधीन है।)

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एसडीआर लागू किया है	31-03-2017 तक की स्थिति के अनुसार बकाया राशि		31-03-2017 तक की स्थिति के अनुसार उन खातों के संबंध में बकाया राशि, जहाँ ऋण का ईक्विटी के रूप में परिवर्तन शेष है।		31-03-2017 तक की स्थिति के अनुसार उन खातों के संबंध में बकाया राशि, जहाँ ऋण का ईक्विटी के रूप में परिवर्तन हो गया है।	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
9	1,616.20	180.24	शून्य	शून्य	1,616.20	180.24

जी) 31-03-2017 तक की स्थिति के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों की दीर्घकालिक संरचना योजना (एसएस4ए) संबंधी प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एस4ए का अनुप्रयोग किया गया है।	कुल बकाया राशि	बकाया राशि		धारित प्रावधान
		भाग ए	भाग बी	
मानक रूप में वर्गीकृत (नोट 1 एवं 2 का संदर्भ लें)				
2	270.76	145.55	125.21	52.58
एनपीए के रूप में वर्गीकृत (नोट 3 का संदर्भ लें)				
-	-	-	-	-

नोट:

1. (ए) उपरोक्त दो मानक खातों में से एक मानक खाता संबंधी मामले में योजना का कार्यान्वयन प्रणाली में किया गया है और दिनांक 31-03-2017 तक की स्थिति के अनुसार बकाया शेष की भाग ए और भाग बी को स्वीकार किया गया है।

   बी) उपरोक्त दो मानक खातों में से दूसरा मानक खाता संबंधी मामले दिनांक 28-12-2016 तक की स्थिति के अनुसार बकाया शेष को जेएलएफ बैठक में स्वीकृत टीईवी अध्ययन रिपोर्ट में प्रभावित विभाजन (भाग ए और भाग बी के रूप में) के लिए परिगणना ली गयी है।
2. चूँकि भाग ए एवं भाग बी का निर्धारण नहीं किया गया है। मानक खाता 1 को ऊपर जोडा नहीं गया है।
3. चूँकि भाग ए एवं भाग बी का निर्धारण नहीं किया गया है, एनपीए खाता 2 ऊपर नहीं जोडा गया है।

e) **Book value of Investments in Security Receipts of Securitisation Company (SCs)/Reconstruction Company (RCs).**

(₹ in crores)

Particulars	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		Backed by NPAs sold by other Banks / Financial Institutions/non-banking financial companies as underlying		Total	
	31-03-17	31-03-16	**31-03-17**	31-03-16	**31-03-17**	31-03-16
Book Value of Investments in Security Receipts	**1,148.94**	1,065.54	**0.00**	0.00	**1,148.94**	1,065.54

Additional Disclosures pertains to the Investment in Security Receipts:

(₹ in crores)

	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 year ago
(i)	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying	1131.21	0.00	17.73
	Provisions held against (i)	73.05	0.00	17.73
(ii)	Backed by NPAs sold by other Banks / Financial Institutions/ non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
	Provisions held against (ii)	0.00	0.00	0.00
TOTAL (i) + (ii)		**1131.21**	**0.00**	**17.73**

f) **Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)**

(₹ in crores)

No. of accounts Where SDR has Been invoked	Amount outstanding as on 31-03-2017		Amount outstanding as on 31-03-2017 with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on 31-03-2017 with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
9	1,616.20	180.24	Nil	Nil	1,616.20	180.24

g) **Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31-03-2017**

(₹ in crores)

No. of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision Held
		In Part A	In Part B	
Classified as Standard (Refer Note 1 & 2)				
2	270.76	145.55	125.21	52.58
Classified as NPA (Refer Note 3)				
-	-	-	-	-

Note:

1. *(a) In case of one Standard account out of above 2 standard accounts, the scheme has been implemented in the system and outstanding balance as on 31-03-2017 of Part A & Part B has been taken.*

   (b) In case of another standard account out of above 2 Standard accounts, balance outstanding as on 28-12-2016 (being reference date) is considered for bifurcation in Part A Part B as per the TEV study report accepted in the JLF meeting. Further balance in the account are not bifurcated in branch books.
2. *1standard account has not been included above, as Part A & Part B has not yet been decided.*
3. *2 NPA accounts have not been included above, as Part A & Part B has not yet been decided.*

एच) मौजूदा ऋणों की सुविधानुसार संरचना संबंधी प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

अवधि	सुविधानुसार संरचना के लिए चुने गए उधार कर्ताओं की संख्या	सुविधानुसार संरचान के लिए चुने गए ऋणों की राशि		सुविधानुसार संरचना के लिए चुने गए ऋणों की एक्सपोजर आधारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	सुविधानुसार संरचना का अनुप्रयोग करने से पहले	सुविधानुसार संरचना का अनुप्रयोग करने के बाद
वित्तीय वर्ष 2015-16	08	572.87	1,664.99	7.76 वर्ष	19.81 वर्ष
वित्तीय वर्ष 2016-17	03	195.04	0.00	14.67 वर्ष	15.82 वर्ष

आई) एसडीआर योजना से पृथक स्वामित्व में परिवर्तन संबंधी प्रकटीकरण (खाते जो फिलहाल स्थगन अवधि के अधीन है।)

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या, जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को लागू किया है	31-03-2017 के अनुसार बकाया राशि		31-03-2017 के अनुसार बकाया राशि, जहाँ ऋण को ईक्विटी के रूप में परिवर्तन/ ईक्विटी शेयरों की गिरवी लागू करना शेष है।		31-03-2017 के अनुसार बकाया राशि, जहाँ ऋण को ईक्विटी में परिवर्तन/ईक्विटी शेयरों की गिरवी को लागू किया गया है।		31-03-2017 के अनुसार बकाया राशि जहाँ स्वामित्व में परिवर्तन की परिकल्पना प्रवर्तक ईक्विटी की बिक्री के नए शेयर जारी की गयी है।	
	वर्गीकृत		वर्गीकृत		वर्गीकृत		वर्गीकृत	
	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए
01	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.95	0.00

जे) क्रियान्वयन के अधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन संबंधी प्रकटीकरण (खाते जो फिलहाल स्थगन अवधि के अधीन है)

(₹ करोड़ में)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहाँ बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को लागू किया है।	रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	पुन:संरचित के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

के) खरीदे/बेचे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए. खरीदे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1. (ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं.	शून्य	शून्य
(बी) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2. (ए) उनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की सं.	शून्य	शून्य
(बी) कुल बकाया	शून्य	शून्य

बी. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1. बेचे गए खातों की सं.	शून्य	शून्य
2. कुल बकाया	शून्य	शून्य
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

h) Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans

(₹ in crores)

Period	No. of borrowers taken up for flexibly structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible Structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
FY 2015-16	08	572.87	1,664.99	7.76 Years	19.81 Years
FY 2016-17	03	195.04	0.00	14.67 Years	15.82 Years

i) Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in crores)

No. of accounts where banks have decide to effect change in ownership	Amount outstanding as on 31-03-2017		Amount outstanding as on 31-03-2017 with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on 31-03-2017 with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on 31-03-2017 with respect to accounts where change in the ownership is envisaged by issuance of fresh shares of sale of promoters equity	
	Classified as		Classified as		Classified as		Classified as	
	Standard	NPA	Standard	NPA	Standard	NPA	Standard	NPA
01	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.95	0.00

j) Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in crores)

No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		
	Classified as standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
NIL	NIL	NIL	NIL

k) Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of Non-Performing Financial Assets Purchased

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
1. (a) No. of Accounts Purchased during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate Outstanding	NIL	NIL
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
(b) Aggregate Outstanding	NIL	NIL

B. Details of Non-Performing Financial Assets Sold

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
1. No. of Accounts Sold	NIL	NIL
2. Aggregate Outstanding	NIL	NIL
3. Aggregate Consideration Received	NIL	NIL

एल) मानक आस्तियों पर प्रावधान (₹ करोड़ में)

विवरण	दि. 31.03.2017 को	दि. 31.03.2016 को
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	**1,186.69**	1,376.73

l) **Provisions on Standard Assets** (₹ in crores)

Particulars	As on 31-03-2017	As on 31-03-2016
Provisions towards Standard Assets	**1,186.69**	1,376.73

5. कारोबार अनुपात

क्रम सं.	विवरण	31-03-2017	31-03-2016
(i)	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय की प्रतिशतता (%)	**7.60%**	7.92%
(ii)	कार्यशील निधियों की तुलना में गैर ब्याजी आय की प्रतिशतता (%)	**1.14%**	0.86%
(iii)	कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ की प्रतिशतता (%)	**1.40%**	1.11%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	**0.12%**	-0.56%
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि +अग्रिम) (₹ करोड़ में)	**13.51**	14.61
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	**1.10**	-5.51

नोट: कार्यशील निधियाँ, प्रबंधन वर्ग द्वारा परिकलित मासिक औसत पर आधारित है और लेखा परीक्षको द्वारा माना गया है ।

5. BUSINESS RATIOS

Sl. No.	Particulars	31-03-2017	31-03-2016
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds **(%)**	**7.60%**	7.92%
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds **(%)**	**1.14%**	0.86%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds **(%)**	**1.40%**	1.11%
(iv)	Return on Assets **(%)**	**0.12%**	-0.56%
(v)	Business (Deposits plus Advances) per Employee **(₹ in Crores)**	**13.51**	14.61
(vi)	Profit per Employee **(₹ in Lakhs)**	**1.10**	-5.51

Note: Working funds are based on monthly average as calculated by the management and relied upon by the Auditors.

6. आस्ति देयता प्रबंधन/ASSET LIABILITY MANAGEMENT

ऋण एवं अग्रिम, निवेश, जमा और उधार के परिपक्वता स्वरूप **/ THE MATURITY PATTERN OF LOANS & ADVANCES, INVESTMENTS, DEPOSITS AND BORROWINGS (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विभिन्न परिपक्वता समूह के तहत/ UNDER VARIOUS MATURITY BUCKETS PRESCRIBED BY THE RESERVE BANK OF INDIA)**

AS ON 31-03-2017 तक (₹ करोड़ में/₹ in crores)

अवशिष्ट परिपक्वता Residual Maturity	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन और 2 महीने तक 31 days &upto 2 months	2 महीने से अधिक और 3 महीने तक >2 months &upto 3 months	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक >3 months &upto 6 months	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक > 6 months &upto 1 yr	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक >1 yr to 3 yr	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक >3 yr to 5 yr	5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक >5 yr to 7 yr	7 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक >7 yr to 10 yr	10 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष तक 10 yr to 15 yr	15 वर्ष से अधिक तक Over 15 years	कुल Total
जमाराशि/Deposits	2,006.01	10,747.99	6,395.05	11,661.90	18,879.50	14,331.27	30,458.16	65,256.29	93,844.45	6,150.25	533.61	251.56	39.11	5.71	2,60,560.86
अग्रिम/Advances	4,580.23	4,268.90	2,550.13	5,060.83	8,331.86	8,825.74	15,994.02	17,575.30	65,239.54	27,913.22	11,040.91	10,696.84	7,729.32	9,862.51	1,99,669.35
निवेश/Investments	0.00	103.43	0.00	80.01	358.22	260.25	1,327.51	1,164.60	12,828.12	11,429.87	14,643.56	15,852.71	5,885.07	1,532.06	65,465.40
उधार/Borrowings	10.81	2.51	0.00	0.00	0.00	102.03	66.72	1,112.56	7,371.46	2,109.33	1,000.10	5,700.00	0.00	0.00	17,475.52
विदेशी मुद्रा आस्तियां/ Foreign Currency Assets	60.43	2,883.82	1,165.73	2,021.74	6,148.93	3,290.51	6,414.17	5,170.00	2,437.46	5,512.16	655.28	832.92	0.00	946.67	37,539.82
विदेशी मुद्रा देयताएँ/ Foreign Currency Liabilities	19.77	2,228.68	2,117.03	3,090.97	7,625.64	4,005.34	3,032.56	4,203.46	7,896.28	2,107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	36,327.36

नोट: विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं को संबंधित जमा, अग्रिम, निवेश और उधार में शामिल किया गया है।
Note: Foreign Currency Assets and liabilities are included in respective Deposits, Advances, Investments and Borrowings.

7. निवेश

ए. रियल इस्टेट क्षेत्र में निवेश (₹ करोड़ में)

श्रेणी	31-03-2017	31-03-2016
ए) प्रत्यक्ष निवेश	**28,451.01**	27,825.77
(i) आवासीय बंधक– उधारकर्ता द्वारा निवास करनेवाली या किए जाने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित उधार;	**15,531.24**	16,276.40
इनमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत शामिल करने हेतु पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	**9,298.50**	10,860.77
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन खुदरा स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक भवन, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक भवन, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा रक्षित उधार। निवेश में गैर-निधि आधारित (एन.एफ.बी.) सीमाएँ भी शामिल होंगी;	**11,280.73**	9,849.33
(iii) गैर सी.आर.ई. को अन्य प्रत्यक्ष ऋण	**1,639.04**	1,700.04
(iv) बंधक समर्थित जमानत (एम.बी.एस.) में निवेश और अन्य प्रतिभूतिकृत निवेश –		
ए. आवासीय	**0.00**	0.00
बी. वाणिज्यिक रियल इस्टेट	**0.00**	0.00
बी) परोक्ष निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कंपनियों (एच एफ सी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश	**666.35**	2,836.13
रियल इस्टेट क्षेत्र में कुल निवेश	**29,117.36**	30,661.90

बी. पूंजी बाजार में निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी निधियों को नैगम ऋण में निवेश नहीं किया गया है	**192.93**	243.15
(ii) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या ईक्विटी शेयरों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस सहित) परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में ईक्विटी उन्मुख निवेश करने हेतु बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	**0.22**	0.32
(iii) अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋण जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है ।	**0.00**	0.00
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस सीमा तक दिए गए अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा रक्षित हो, यानी, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बंध पत्रों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों से भिन्न प्राथमिकता प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया रक्षित नहीं करती है।	**0.00**	0.00
(v) स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए जमानती और बेज़मानती अग्रिम और स्टाक ब्रोकरों तथा शेयर विपणनकर्ताओं की ओर से जारी की गयी गारंटियां	**0.00**	0.00
(vi) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की ज़मानत पर या संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति के लिए बेजमानती आधार पर कंपनी को दिए गए ऋण	**453.27**	816.37
(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण	**0.00**	0.00
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के प्राथमिक निर्गमों के संबंध में मूल कंपनी द्वारा उठायी गयी हामीदारी प्रतिबद्धता	**0.00**	0.00
(ix) मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉकब्रोकरों को दी गयी वित्तीय सहायता	**0.25**	0.25
(x) जोखिम पूंजी को दिए गए सभी ऋण (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	**140.53**	152.90
पूंजी बाजार में किए गए कुल निवेश	**787.20**	1,212.99

7. EXPOSURES

A. Exposure to Real Estate Sector (₹ in crores)

Category	31-03-2017	31-03-2016
a) Direct Exposure	**28,451.01**	27,825.77
(i) Residential Mortgages Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	**15,531.24**	16,276.40
Out of the above, individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	**9,298.50**	10,860.77
(ii) Commercial Real Estate (Fund-based and non-fund based) Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse spaces, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure would also include non-fund based limits.	**11,280.73**	9,849.33
(iii) Any other Direct Exposure to Non-CRE	**1,639.04**	1,700.04
(iv) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposure		
a. Residential	**0.00**	0.00
b. Commercial Real Estate	**0.00**	0.00
b) Indirect Exposure Fund-based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	**666.35**	2,836.13
Total Exposure to Real Estate Sector	**29,117.36**	**30,661.90**

B. Exposure to Capital Market (₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	**192.93**	243.15
(ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	**0.22**	0.32
(iii) Advances for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds are taken as primary security.	**0.00**	0.00
(iv) Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e., where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures/units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	**0.00**	0.00
(v) Secured and unsecured advances to Stock brokers and guarantees issued on behalf of Stock brokers and Market Makers.	**0.00**	0.00
(vi) Loans sanctioned to Corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting Promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	**453.27**	816.37
(vii) Bridge loans to Companies against expected equity flows / issues.	**0.00**	0.00
(viii) Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issues of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds.	**0.00**	0.00
(ix) Finance to Stock brokers for margin trading	**0.25**	0.25
(x) All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	**140.53**	152.90
Total Exposure to Capital Market	**787.20**	**1,212.99**

सी) बैंक ने निम्नांकित कंपनियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यनीतिक ऋण पुन:संरचना एसडीआर एवं एस4ए को लागू कर ईक्विटी शेयर हासिल किया है। दिनांक 31-3-2017 तक बकाया ईक्विटी शेयर संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:

क्रम सं.	कंपनी का नाम	एसडीआर एवं एस 4 ए के तहत प्राप्त ईक्विटी शेयरों की संख्या
1.	आधुनिक पॉवर एण्ड नैचुरल रिसोर्सस लिमिटेड	47,70,000
2.	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड	18,18,713
3.	जीएमआर राजमंड्री एनर्जी लिमिटेड	5,59,00,000
4.	पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड	1,28,074
5.	गम्मान इंडिया लिमिटेड	2,26,96,508
6.	एलएनटी हलोल शामलाजी टॉलवे लिमिटेड	5,94,92,481
7.	प्रतिभा इंडस्ट्रीज	49,02,369
8.	डायमंड पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर	9,23,433
9.	जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स लिमिटेड	7,00,00,000
10.	बीजीआर आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड	1,45,48,286
11.	आईकॉम टेली कंपनी लिमिटेड	66,59,707
12.	हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी	96,93,580
13.	बेलोना ईस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड	1,15,646

डी. जोखिम श्रेणी वार देशी निवेश (₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्ग	31 मार्च, 2017 को निवेश (निवल)	31 मार्च, 2017 को धारित प्रावधान	31 मार्च 2016 को निवेश (निवल)	31 मार्च 2016 को धारित प्रावधान
नगण्य	**1,943.64**	**शून्य**	4,485.10	शून्य
कम	**4,841.99**	**शून्य**	1,410.42	शून्य
मध्यम कम	**9.95**	**शून्य**	16.47	शून्य
मध्यम	**0.00**	**शून्य**	18.43	शून्य
मध्यम अधिक	**0.00**	**शून्य**	0.00	शून्य
9298.50 उच्च	**0.00**	**शून्य**	0.00	शून्य
अति उच्च/प्रतिबंधित	**0.00**	**शून्य**	0.00	शून्य
ऋणेतर	**0.00**	**शून्य**	0.00	शून्य
कुल	**6,795.58**	**शून्य**	**5,930.42**	**शून्य**

नोट: बैंक ने 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार विभिन्न देशों में अपनी निवल निधि निवेश का विश्लेषण किया है और ऐसे निवेश बैंक की कुल आस्तियों में से अन्य देशों में निवेश के लिए निर्धारित बैंक के कुल आस्तियों के 1% की लक्ष्य के अंतर्गत है ।

ई. **एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) में, बैंक द्वारा सीमा से अधिक आहरण के ब्यौरे: शून्य**

एफ. **बेजमानती अग्रिम**
उन अग्रिमों की राशि जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियाँ ली गयी है:

(₹ करोड़ में)

कुल अग्रिमों की राशि जहां अमूर्त प्रतिभूतियां ली गयी है जैसे अधिकारों पर चार्ज, लाइसेंसों, प्राधिकारों इत्यादि पर प्रभार	**1,019.06**
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	**2,319.90**

8. प्रावधान

ए) **आय कर प्रावधान**
कर सलाहकारों की सलाह के अनुसार संगत नीति का अनुसरण करने पर यानी यह कि एमएटी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए लागू नहीं है; बैंक द्वारा चालू वर्ष की कर देयता की गणना की गई है।

बी) **वर्ष के दौरान कर के लिए किए गए प्रावधान की राशि** (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
आयकर (लंदन शाखा सहित) के लिए प्रावधान	**888.00**	536.95
(डीटीए)/डीटीएल	**(594.99)**	85.00
कुल	**293.01**	**621.95**

C. The Bank has invoked Strategic Debt Restructuring (SDR) and S4A as per RBI guidelines in the following companies and acquired equity shares pursuant to invocation of SDR. The details of outstanding equity shares as on 31-03-2017 are as follows:

Sl. No.	Name of the Company	No. of Equity Shares acquired under SDR & S4A
1	Adhunik Power and Natural Resources Ltd	47,70,000
2	Monnet Ispat & Energy Ltd.	18,18,713
3	GMR Rajahmundry Energy Ltd.	5,59,00,000
4	Patel Engineering Ltd.	1,28,074
5	Gammon India Ltd.	2,26,96,508
6	LNT HalolShamlajiTollway Ltd.	5,94,92,481
7	Prathiba Industries	49,02,369
8	Diamond Power Infrastructure	9,23,433
9	Jaiprakash Power Ventures Ltd.	7,00,00,000
10	BRG Iron and Steel Co Ltd.	1,45,48,286
11	ICOMM Tele Ltd.	66,59,707
12	Hindustan Construction Co.	96,93,580
13	Bellona Estate Developers Ltd.	1,15,646

D. Risk Categorywise Country Exposure (₹ in crores)

Risk Category	Exposure (net funded) as at 31st March 2017	Provision held as at 31st March, 2017	Exposure (net funded) as at 31st March, 2016	Provision held as at 31st March, 2016
Insignificant	**1,943.64**	**Nil**	4,485.10	Nil
Low	**4,841.99**	**Nil**	1,410.42	Nil
Moderately Low	**9.95**	**Nil**	16.47	Nil
Moderate	**0.00**	**Nil**	18.43	Nil
Moderately High	**0.00**	**Nil**	0.00	Nil
9298.50 High	**0.00**	**Nil**	0.00	Nil
Very High / Restricted	**0.00**	**Nil**	0.00	Nil
Off-Credit	**0.00**	**Nil**	0.00	Nil
Total	**6,795.58**	**Nil**	**5,930.42**	**Nil**

Note: The Bank has analysed its net funded exposures to various countries as on 31-03-2017 and such exposures to countries is well within the stipulation of 1% of total assets of the Bank.

E. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank: NIL

F. Unsecured Advances
Amount of advance for which, intangible securities has been taken:

(₹ In Crores)

The total amount of advances for which intangible securities such as charge over rights, licences, authority etc., has been taken.	**1,019.06**
Estimated value of such intangible collaterals.	**2,319.90**

8. PROVISIONS

a) Income Tax Provision
Following its consistent policy based on the advice of its tax consultants that MAT is not applicable to the Public Sector Banks, the Bank has calculated its current year tax liability.

b) Amount of provisions made for Tax during the year

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
Provision for Income Tax (including London Branch)	**888.00**	536.95
(DTA)/ DTL	**(594.99)**	85.00
Total	**293.01**	**621.95**

9. चलनिधि कवरेज अनुपात

ए) परिमाणात्मक प्रकटीकरण (₹ करोड़ में)

		चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
		कुल अभारित[3] मूल्य (औसत)	कुल भारित[4] मूल्य (औसत)	कुल अभारित[3] मूल्य (औसत)	कुल भारित[4] मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ					
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)		42,274.90		26,231.40
	नकद बहिर्गमन				
2	खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों से जमा, जिसमें :				
	(i) स्थायी जमा	53,704.29	2,685.21	47,362.84	2,368.14
	(ii) कम स्थायी जमा	80,353.46	8,035.35	70,365.39	7,036.54
3	असुरक्षित थोक निधीयन, जिसमें :				
	(i) परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकारों)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकारों)	26,977.04	10,790.82	29,422.25	11,768.90
	(iii) असुरक्षित ऋण	13,152.42	13,152.42	14,520.11	14,520.11
4	सुरक्षित थोक निधीयन		2.12		3.06
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें :				
	(i) व्युत्पन्नी एक्सपोजर्स से संबंधित बहिर्गमन और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएं	0.00	0.00	24.78	24.78
	(ii) ऋण उत्पादों पर कोष की हानि संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00	0.00	0.00
	(iii) ऋण और चलनिधि सुविधा	23,191.09	4,071.41	22,235.73	3,066.92
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	408.64	408.64	112.15	199.25
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	20,844.74	625.34	20,014.62	1,018.53
8	**कुल नकद की बहिर्गमन**		**39,771.30**		**40,006.22**
	नकद का आगमन				
9	रक्षित उधार (उदाहरण रिवर्स रेपो)	4,121.77	4,121.77	5,153.21	5,153.21
10	पूर्णरूप से निष्पादन एक्सपोजरों से आगमन	23,571.89	17,395.46	20,285.90	13,868.55
11	अन्य नकद आगमन	66.54	66.54	13.59	13.59
12	**कुल नकद आगमन**	**27,760.20**	**21,583.77**	**25,452.70**	**19,035.36**
			समायोजित कुल मूल्य		**समायोजित कुल मूल्य**
13	**कुल एचक्यूएलए**		**42,274.90**		**26,231.40**
14	**कुल निवल नकद बहिर्गमन**		**18,187.53**		**20,970.86**
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%)**		**232.44%**		**125.08%**

बी) गुणात्मक प्रकटीकरण:

1. एल सी आर में योगदान हेतु मुख्य संचालक एस एल आर की आवश्यकता में अधिक तरल निवेश, आर बी आई द्वारा उपलब्ध, मार्जिनल स्टैंडिंग फेसलिटी (सीमांत/अल्प स्थायी सुविधा) और एल सी आर के लिए उपलब्ध तरलता की सुविधा है। जमा मुख्य बहिर्गमन है।
2. उच्च गुणवत्ता तरल आस्ति (एच क्यू एल ए) में मुख्यत: नकद, अतिरिक्त सी आर आर, अतिरिक्त एस एल आर की आवश्यकता में सरकारी प्रतिभूतियाँ, उपलब्ध एम एस एफ सुविधा, एल सी आर के लिए उपलब्ध तरलता की सुविधा आदि शामिल होते हैं।
3. निधीयन स्त्रोत मुख्य रूप से खुदरा जमा, गैर वित्तीय कॉर्पोरेट द्वारा जमा, अन्य वैध संस्थाओं द्वारा निधीयन पर संकेंद्रित है।
4. ब्याज दर परिदृश्य में परिवर्तन होने से एल सी आर भी बदल जाता है और ऋण में भी वृद्धि होती है।
5. बैंक के पास संतुलित व्युत्पन्नी एक्सपोजर है और एल सी आर को उसका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान संपार्श्विक मांगे भी महत्वपूर्ण नहीं है।
6. भारतीय रुपया महत्वपूर्ण मुद्रा है तथा अन्य मुद्रा में एलसीआर का महत्व नहीं है।
7. निवेश समिति उच्च स्तरीय समिति है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक तथा महत्वपूर्ण विभागों; जैसे ट्रेजरी (राजकोष), जोखिम प्रबंधन, ऋण एवं आयोजना आदि के महा प्रबंधकों को शामिल किया जाता है। यह समिति प्राय: दैनिक आधार पर एवं तत्काल आवश्यकता पडने पर

9. LIQUIDITY COVERAGE RATIO

A) Quantitative Disclosures (₹ in crores)

		Current year		Previous Year	
		Total Unweighted[3] Value (average)	Total Weighted[4] Value (average)	Total Unweighted[3] Value (average)	Total Weighted[4] Value (average)
High Quality Liquid Assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		42,274.90		26,231.40
	Cash Outflows				
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:				
	(i) Stable deposits	53,704.29	2,685.21	47,362.84	2,368.14
	(ii) Less stable deposits	80,353.46	8,035.35	70,365.39	7,036.54
3	Unsecured wholesale funding, of which:				
	(i) Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) Non-operational deposits (all counterparties)	26,977.04	10,790.82	29,422.25	11,768.90
	(iii) Unsecured debt	13,152.42	13,152.42	14,520.11	14,520.11
4	Secured wholesale funding		2.12		3.06
5	Additional requirements, of which				
	(i) *Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements*	0.00	0.00	24.78	24.78
	(ii) *Outflows related to loss of funding on debt products*	0.00	0.00	0.00	0.00
	(iii) *Credit and liquidity facilities*	23,191.09	4,071.41	22,235.73	3,066.92
6	Other contractual funding obligations	408.64	408.64	112.15	199.25
7	Other contingent funding obligations	20,844.74	625.34	20,014.62	1,018.53
8	**Total Cash Outflows**		**39,771.30**		**40,006.22**
	Cash Inflows				
9	Secured lending (e.g.reverse repos)	4,121.77	4,121.77	5,153.21	5,153.21
10	Inflows from fully performing exposures	23,571.89	17,395.46	20,285.90	13,868.55
11	Other cash inflows	66.54	66.54	13.59	13.59
12	**Total Cash Inflows**	**27,760.20**	**21,583.77**	**25,452.70**	**19,035.36**
			Total Adjusted Value		**Total Adjusted Value**
13	**TOTAL HQLA**		**42,274.90**		**26,231.40**
14	**Total Net Cash Outflows**		**18,187.53**		**20,970.86**
15	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		**232.44%**		**125.08%**

B. Qualitative Disclosures:

1. The main drivers for the contribution to the LCR are liquid investments, surplus over the SLR requirement, the Marginal Standing Facility (MSF) available from RBI and the facility to avail liquidity for LCR. Major outflows are the deposits.
2. High Quality Liquid Assets (HQLA) mainly consists of Cash, Excess CRR, Government Securities in excess of SLR requirements, Available MSF facility, Facility to avail liquidity for LCR.
3. Mainly the funding sources are concentrated with the retail deposits, Deposits from non-financial corporate and funding from other legal entities.
4. The LCR would undergo change due to change in the interest rate scenario, likely pick-up in the credit etc.
5. Bank has modest derivative exposures and its contribution to the LCR is not significant.
6. Major currency is INR and the LCR in other currency is not significant.
7. Investment committee is the top level committee comprising of Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors and the General Managers from important departments like Treasury,

बैठती है। निवेश समिति की महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य बैंक की निवेश स्थिति एवं निधियों की समीक्षा है। इस बैठक के दौरान तरलता स्थिति एवं प्रक्षेपित नकद का आगमन और बहिर्गमन पर चर्चा की जायेगी।

8. एल्को एलसीआर की स्थिति कि मासिक आधार पर समीक्षा करती है और अपेक्षित होने पर आवश्यक दिशानिर्देश जारी करती है।
9. बैंक के पास एलसीआर की गणना के उद्देश्य से अन्य कोई महत्वपूर्ण नकद आगमन एवं बहिर्गमन विलोपित नहीं है।
10. भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र संख्या डीबीआर सं. बीपी. बीसी. 80/21.06.201/2014-15, दिनांक 31.03.2015 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए एलसीआर वर्ष की चारों तिमाहियों की औसत दर्शाती है। आगे, जून-2016, सितंबर-2016 और दिसंबर-2016 तिमाहियों की औसत संबंधि तिमाहियों की औसत को और मार्च-2017 तिमाही की दैनिक औसत को दर्शाती है।

10. लेखाकरण मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (एएस)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानकों (जहाँ तक लागू हो) के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं:

i) उक्त अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पिछली अवधि की मदें तथा लेखाकरण नीति में परिवर्तन (एएस 5):

<u>लेखाकरण नीति में परिवर्तन</u> – अचल आस्तियें पर मूल्यह्रास नीति

वर्ष के दौरान प्रयोज्य काल के आधार पर अबतक प्रयोग में लाई जानेवाली डब्ल्यूडीवी पद्धति के बदले अचल आस्ति पर मूल्यह्रास की विधि (कंप्यूटर और परिचालन सॉफ्टवेयर को छोड़कर जोकि एसएलएम के अंतर्गत 33.33% की दर से प्रभारित किया जाता था) का परिवर्तन सीधि रेखा पद्धति (एसएलएम) में किया गया।

आस्तियों के प्रयोज्य काल पर मूल्यह्रास के प्रभार के माध्यम से भी वित्तीय विवरणी के अधिक उपयुक्त प्रस्तुतीकरण हेतु यह परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन के बाद 31.03.2016 तक प्रदान किये गये मूल्यह्रास वाली ₹75.03 करोड़ राशियाँ अधिशेष के रूप में पायी गयी है और वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यह्रास के परिप्रेक्ष में समायोजित की गयी है। इसी प्रकार कथित परिवर्तन के चलते चालू वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास में भी ₹22.26 करोड़ की कमी आयी है।

आगे, वर्ष के दौरान अचल आस्तियों की पुनर्मूल्यन राशि पर मूल्यह्रास का सकल प्रभाव की ₹ 18.72 करोड़ वाली राशि को पी एण्ड एल खाते में जमा किया गया है जो कि 31.03.2016 तक किया गया है। और पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से निर्बंद आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है।

परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए ₹ 78.57 करोड़ कर पूर्व लाभ अधिक है।

<u>लेखाकरण प्राक्कलन में परिवर्तन</u>

वर्ष के दौरान कुछ आस्तियों के प्रयोज्य काल परिवर्तित हुए हैं। उन आस्तियों के लिए अपरिशोधित मूल्यह्रास राशि का परिशोधन प्रत्याशित रूप में आस्ति के शेष प्रयोज्य काल पर किया गया है।

ii) राजस्व की पहचान (एएस 9):

अनुसूची - 17, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अंतर्गत लेखाकरण नीति सं. 8 के अनुसार आय की कुल मदों को सांविधिक अपेक्षा या महत्व के कारण उनको उगाही के आधार पर पहचान की गयी है ।

iii) विदेशी विनिमय दर में होनेवाले परिवर्तनों का प्रभाव (एएस 11):

ए) वर्ष के लिए लाभ/हानि के तहत निवल लाभ में ₹26.30 करोड़ (पिछले वर्ष के लिए ₹9.44 करोड़ की हानि) की हानि भी शामिल है जिसे विदेशी मुद्रा आस्ति व देयताएं के ए एस 11 मूल्यांकन के कारण, विनिमय में अंतर के तहत दर्ज किया गया।

बी) वर्ष के लिए निवल लाभ 2016-17 हेतु ₹ 62.86 करोड़ (पिछले वर्ष के लिए ₹ 72.58 करोड़ हानि) के प्रतिरूप पुनर्मूल्यन हानि शामिल है।

सी) वर्ष के लिए निवल लाभ 2016-17 हेतु ₹ 87.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 94.23 करोड़) के वायदा पूनर्मूल्यन लाभ शामिल है।

डी) विनियामक निदेशों के अनुसार, फोरेक्स आस्तियों और देयताओं से संबंधित लेखाकरण मानक (ए.एस. 11) का पालन किया गया ताकि तुलन-पत्र में इसका उचित और सही प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

iv) कर्मचारी लाभ (एएस 15):

आई सी ए आई द्वारा जारी किया गया एएस 15 के अनुसार बैंक ने कर्मचारी लाभों का लेखांकन किया है।

परिनिश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की प्रारंभिक शेष और इतिशेष का समाधान और वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रत्येक मद पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नवत् है:

Risk Management, Credit and Planning etc. This committee meets regularly and also on need basis. One of the major functions of the Investment committee is to review the Funds & Investment position of the Bank. The liquidity position and the projected cash inflow and the outflows are discussed during this meeting.

8. ALCO reviews the position of LCR on monthly basis and provides the necessary directions if any.
9. Bank does not have any other major cash inflows and outflows omitted for LCR computation.
10. In line with the RBI guidelines vide Circular No. DBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated 31-03-2015, LCR for the FY-2016-17, represents the average of four quarters during the year. Further the quarterly average of June-2016, Sept-2016 and Dec-2016 represents the monthly average of respective quarters and the quarterly average of March -2017 represents the daily average of the quarter.

10. DISCLOSURE IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS)

The disclosures under Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (to the extent applicable) are given below:

i) Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (AS 5):

<u>Change in Accounting Policy</u> - Depreciation policy on Fixed Assets.

During the year the method of depreciation on Fixed Assets (except for Computers and Operating Software, which were being charged under SLM @33.33%) has been changed to Straight Line Method (SLM), on the basis of useful life, as against WDV method being used hitherto.

The changes have been done to make more appropriate presentation of financial statements by way of even charge of depreciation over useful life of assets. Consequent to the change, depreciation provided up to 31.03.2016 amounting to ₹75.03 Crores has been found to be in surplus and the same has been adjusted against the depreciation charged for the year. Similarly due to the change, the depreciation charged for the year is also lower by ₹22.26 Crores.

Further, during the year the net impact of depreciation on Revalued amount of Fixed Assets amounting to ₹18.72 Crores has not been credited to P & L Account, as done up to 31.03.2016, and the same has been transferred to Free Reserves from Revaluation Reserve.

As a result, the profit before tax for the year is higher by ₹78.57 Crores.

<u>Change in Accounting Estimate:</u>

During the year, useful life of some assets has been changed. For those assets, unamortised depreciable amount has been amortised prospectively over the remaining useful life of the assets.

ii) Revenue Recognition (AS 9):

As per Accounting Policy No. 8, given in Schedule – 17, Significant Accounting Policies, certain items of income are recognised on realisation basis on account of statutory requirement or on account of materiality.

iii) Effects of changes in Foreign Exchange Rate (AS 11):

a) The net profit for the year includes an amount of ₹26.30 Crores profit{₹9.44 CroresLoss for the previous year} being the profit/loss booked under difference in Exchange on account of AS-11 valuation of FX Assets & Liabilities (excluding Mirrors).

b) Net Profit for the year includes the Mirror Revaluation loss for 2016-17 of ₹62.86 Crores (₹72.58 Crores Loss for Previous year).

c) Net Profit for the year includes Forward Revaluation profit for 2016-17 of ₹87.29 Crores (₹94.23 Crores Profit for Previous year).

d) In terms of Regulatory directives, Accounting Standard (AS 11) in respect of Forex Assets and Liabilities has been implemented to ensure a fair and true disclosure of the value of the same in the Balance-Sheet.

iv) Employee Benefits (AS 15):

The Bank has accounted for employee benefits as per AS 15 issued by the ICAI.

A reconciliation of Opening and Closing Balances of the present value of the defined benefit obligations and the effects during the period attributable to each of the following is as under:

ए) तुलन–पत्र का मुख्य बीमांकिक अनुमान

	योजना का प्रकार		
	निधिक पेंशन	निधिक उपदान	गैर–निधिक छुट्टी का नकदीकरण
बट्टा दर	6.80%	6.80%	6.80%
प्रत्याशित वेतन वृद्धि की दर	5.25%	5.25%	5.25%
आस्तियों पर प्राप्ति	6.80%	6.80%	लागू नहीं

बी) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन–प्रारंभिक और इतिशेष का मिलान (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) वर्ष के आरंभ में पी वी ओ	**5,753.87**	**991.33**	**532.62**
बी) जोड़ें: ब्याज लागत	365.98	62.15	34.13
सी) जोड़ें: चालू सेवा लागत	557.18	54.28	55.96
डी) घटाएं : प्रदत्त लाभ	743.51	154.52	61.57
ई) जोड़ें: दायित्व पर बीमांकित हानि/लाभ प्राप्ति(–)	991.86	111.44	20.68
एफ) वर्ष के अंत में पी वी ओ	**6,925.38**	**1064.68**	**581.82**

सी) नियोजित आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष और इतिशेष का मिलान (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) वर्ष के आरंभ में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	**5,652.80**	**954.14**
बी) जोड़ें: नियोजित आस्तियों पर प्रत्याशित आय	384.39	64.88
सी) जोड़ें: अंशदान	1,457.96	143.30
डी) घटाएं: प्रदत्त लाभ	743.51	154.52
ई) जोड़ें: बीमांकित लाभ/(–)हानि	130.84	21.56
एफ) वर्ष के अंत में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	**6,882.48**	**1029.36**

डी) तुलन–पत्र में पहचानी गई रकम (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) वर्ष के अंत पर देयता का वर्तमान मूल्य	6,925.38	1,064.68
बी) वर्ष के अंत पर नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	6,882.48	1,029.36
सी) अंतर	-42.90	-35.32
डी) पहचान न की गई संव्यवहार देयता	0.00	0.00
ई) तुलन–पत्र में पहचानी गई देयता	-42.90	-35.32

ई) लाभ एवं हानि खाते में पहचाना गया व्यय (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) चालू सेवा लागत	557.18	54.28	55.96
बी) ब्याज लागत	365.98	62.15	34.13
सी) घटाएं: योजना अस्तियों पर प्रत्याशित आय	384.39	64.88	0.00
डी) निवल बीमांकित हानि/लाभ (–)	861.02	89.88	20.68
लाभ एवं हानि लेखा खाते में पहचाना गया व्यय	**1,399.79**	**141.43**	**110.77**

एफ) तुलन–पत्र में पहचानी गई देयता का परिचालन (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
प्रारंभिक निवल देयता	101.07	37.19	532.62
लाभ एवं हानि खाते में पहचाने गए व्यय	1,399.79	141.43	110.77
दिए गए/प्रयुक्त अंशदान	1,457.96	143.30	61.57
अंतिम निवल देयता	42.90	35.32	581.82

a. Principal Actuarial Assumptions at the Balance Sheet

	TYPE OF PLAN		
	FUNDED PENSION	FUNDED GRATUITY	UNFUNDED LEAVE ENCASHMENT
Discount Rate	6.80%	6.80%	6.80%
Expected Salary Escalation Rate	5.25%	5.25%	5.25%
Return on Assets	6.80%	6.80%	NA

b. Changes in the Present Value of the Obligations (PVO) - Reconciliation of opening and closing balances

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
a) PVO as at the beginning of the year	**5,753.87**	**991.33**	**532.62**
b) Add: Interest Cost	365.98	62.15	34.13
c) Add: Current Service Cost	557.18	54.28	55.96
d) Less: Benefits Paid	743.51	154.52	61.57
e) Add: Actuarial loss/gain(-) on obligation	991.86	111.44	20.68
f) PVO as at the end of the year	**6,925.38**	**1064.68**	**581.82**

c. Changes in the Fair Value of plan assets - Reconciliation of opening and closing balance

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN	
	PENSION	GRATUITY
a) Fair Value of plan assets at the beginning of the year	**5,652.80**	**954.14**
b) Add: Expected Return on Plan Assets	384.39	64.88
c) Add: Contributions	1,457.96	143.30
d) Less: Benefits Paid	743.51	154.52
e) Add: Actuarial gain / (-)loss	130.84	21.56
f) Fair Value of Plan Assets at the end of the year	**6,882.48**	**1029.36**

d) Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN	
	PENSION	GRATUITY
a) Present Value of obligation at the end of the year	6,925.38	1,064.68
b) Fair Value of plan assets at the end of the year	6,882.48	1,029.36
c) Net	-42.90	-35.32
d) Unrecognised transitional liability	0.00	0.00
e) Liability Recognised in the Balance Sheet	-42.90	-35.32

e. Expense Recognized in the Profit and Loss Account (₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
a) Current Service Cost	557.18	54.28	55.96
b) Interest Cost	365.98	62.15	34.13
c) Less: Expected Return on Plan Assets	384.39	64.88	0.00
d) Net Actuarial Loss / Gain(-)	861.02	89.88	20.68
Expenses Recognised in Profit and Loss Account	**1,399.79**	**141.43**	**110.77**

f. Movement in the Liability Recognized in Balance Sheet

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
Opening Net Liability	101.07	37.19	532.62
Expenses recognised in Profit and Loss Account	1,399.79	141.43	110.77
Contributions Paid / Utilised	1,457.96	143.30	61.57
Closing Net Liability	42.90	35.32	581.82

v) खण्डवार रिपोर्टिंग (एएस 17)/Segment Reporting (AS 17)

भाग ए: कारोबार खण्ड/Part A: Business Segments

(₹ करोड़ में/₹ in crores)

कारोबार खण्ड/Business Segments	कोष/Treasury		कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग/ Corporate / Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग/ Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल/Total	
विवरण/Particulars	CY	PY	CY	PY	CY	PY	CY	PY	CY	PY
राजस्व/Revenue	**7,878**	**6,913**	**9,273**	**9,005**	**8,711**	**9,457**	**405**	**331**	**26,267**	**25,706**
परिणाम/Result	1,582	1,122	(2,634)	(3,569)	2,515	3,395	(1,005)	(1,086)	458	(138)
अनांबटित व्यय/Unallocated Expenses	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0	883
अनांबटित आय/Unallocated Income	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	194	0
आय कर/Income Tax	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	293	622
असाधारण लाभ/हानि/Extraordinary Profit / Loss	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0	0
शुद्ध लाभ/Net Profit	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	359	(1,643)
अन्य सूचना/Other Information	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
खण्डवार आस्तियां/Segment Assets	72,771	79,918	1,29,600	1,42,882	70,070	58,486	24,179	24,274	2,96,620	3,05,560
अनाबंटित आस्तियां/Unallocated Assets	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	2,454	2,407
कुल आस्तियां/Total Assets	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	2,99,074	3,07,967
खण्डवार देयताएं/Segment Liabilities	69,893	77,127	1,24,475	1,37,893	67,299	56,444	23,222	23,426	2,84,889	2,94,890
अनाबंटित देयताएं/Unallocated Liabilities	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0	0
Total Liabilities	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	2,84,889	2,94,890

चालू वर्ष/CY – Current Year/ पिछला वर्ष/PY – Previous Year

भाग बी: भौगोलिक खंड (₹ करोड़ में)

	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व	25,513	24,764	949	942	26,462	25,706
आस्तियां	2,67,012	2,72,120	32,062	35,847	2,99,074	3,07,967

नोट:

1. जहाँ आवश्यक समझा गया हो वहाँ पिछली अवधि/वर्ष के आंकडों को पुन: वर्गीकृत/समूहित किया गया ताकि समीक्षाधीन अवधि के साथ उसकी तुलना की जा सके।
2. आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा मानकों के अनुपालन में, बैंक ने खजाना परिचालन, कॉरपोरेट, खुदरा और अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक कारोबार खंड और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय को द्वितीयक/भौगोलिक खंड के रूप में अपनाया है।

vi) संगत पार्टी प्रकटीकरण (एएस 18):

ए) संगत पार्टियों के नाम और उनके संबंध

ए) अनुषंगी:
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

बी) सहायक संस्थाएं:
प्रथमा बैंक
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक

सी) प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक एवं उनके पारिश्रमिक

प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	पदनाम	अवधि	पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ता (₹ लाख में)	
			2016-17	2015-16
श्री अरुण श्रीवास्तव	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	15.05.2015 से	**28.12**	18.94
श्री टी के श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	01.09.2013 से 31.07.2016 तक	**13.72**	23.02
श्री आर. एस. पाण्डेय	कार्यपालक निदेशक	10.03.2015 से	**24.03**	18.21
श्री सीएच. एस एस मल्लिकार्जुन राव	कार्यपालक निदेशक	15.09.2016 से	**12.90**	लागू नहीं
कुल			**78.77**	**60.17**

डी) संगत पार्टी लेन-देन (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक के संबंधी	कुल
1.	बकाया उधार	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.00	0.00	0.00
2.	बकाया जमा	0.49	0.01	0.50
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.55	0.01	0.56
3.	बकाया निवेश	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.00	0.00	0.00

Part B: Geographic Segments

(₹ in crores)

	Domestic		International		Total	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Revenue	25,513	24,764	949	942	26,462	25,706
Assets	2,67,012	2,72,120	32,062	35,847	2,99,074	3,07,967

Note:

1. Figures of the previous period/year have been reclassified/regrouped/recost wherever considered necessary to make them comparable with the period under review.
2. As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards, bank has adopted Treasury Operations, Corporate, Retail and other Banking Operations as Primary business segments and Domestic and International as Secondary/ Geographic segments.

vi) Related Party Disclosures (AS 18):

(A) Names of Related Parties and their Relationship:

a) Subsidiary:
Syndbank Services Limited

b) Associates:
Prathama Bank
Karnataka Vikas Grameena Bank
Andhra Pragathi Grameena Bank

c) Key Management Personnel and their remuneration:

Key Management Personnel	Designation	Period	Remuneration and other allowances (₹in lakhs)	
			2016-17	2015-16
Sri Arun Shrivastava	Managing Director & CEO	From 15-05-2015	**28.12**	18.94
Sri T. K. Srivastava	Executive Director	From 01-09-2013 To 31-07-2016	**13.72**	23.02
Sri R S Pandey	Executive Director	From 10-03-2015	**24.03**	18.21
Sri Ch. S S Mallikarjuna Rao	Executive Director	From 15-09-2016	**12.90**	NA
TOTAL			**78.77**	**60.17**

d) Related Party Transactions (₹ in Crores)

Sr. No.	Particulars	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	TOTAL
1.	Borrowings outstanding	0.00	0.00	0.00
	Maximum during the year	0.00	0.00	0.00
2.	Deposits outstanding	0.49	0.01	0.50
	Maximum during the year	0.55	0.01	0.56
3.	Investments outstanding	0.00	0.00	0.00
	Maximum during the year	0.00	0.00	0.00

क्र.सं.	विवरण	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक के संबंधी	कुल
4.	बकाया अग्रिम	0.20	0.41	0.61
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.22	0.42	0.64
5.	गैर निधिक प्रतिबद्धता	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.00	0.00	0.00
6.	पट्टे/एच-पी व्यवस्था ली गई	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.00	0.00	0.00
7.	पट्टे/एच-पी व्यवस्था प्रदान किया गया	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.00	0.00	0.00
8.	ब्याज प्रदत्त	0.02	0.00	0.02
9.	ब्याज प्राप्त	0.01	0.01	0.02
10.	पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ते	0.79	0.00	0.79
11.	सेवाएँ दी गई	0.00	0.00	0.00
12.	सेवाएँ ली गई	0.00	0.00	0.00
13.	संविदाओं के प्रबंध	0.00	0.00	0.00
14.	कोई अन्य प्राप्य	0.00	0.00	0.00
15.	कोई अन्य देय	0.00	0.00	0.00

नोट: एएस 18 के पैरा 9 ''संगत पार्टी प्रकटीकरण'' जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को अपने से संबंधित पार्टियों सहित अपने संव्यवहारों के बारे में किसी प्रकार का प्रकटीकरण से छूट देता है जो कि वे भी राज्य द्वारा नियंत्रित है ।

vii) प्रति शेयर अर्जन (एएस 20):

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
लाभ एवं हानि खाते (ए) के अनुसार निवल लाभ (₹ हजार में)	**358,94,93**	-1643,48,56
ईक्विटी शेयरों (बी) की भारित औसत संख्या	**85,16,64,748**	66,22,81,923
आमदनी प्रतिशेयर (रुपयों में) (सी = ए/बी)	**4.21**	-24.38
अंकित मूल्य प्रतिशेयर (₹)	**10.00**	10.00

viii) आय पर कर का लेखाकरण (एएस 22):

बैंक ने एएस 22 की अपेक्षाओं का पालन किया है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार डी.टी.ए./डी.टी.एल. का निवल शेष ₹170.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹424.73 करोड़) था जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (₹ करोड़ में)

आस्थगित कर आस्तियां	31-03-2017	31-03-2016
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	201.36	184.33
पुन:संरचित आस्तियों पर ब्याज के लिए प्रावधान	134.06	195.96
प्रावधानों के प्रति समय के अंतर के कारण	1,176.67	594.24
अन्य	52.11	76.85
कुल	**1,564.20**	**1,051.38**
आस्थगित कर देयताएं		(₹ करोड़ में)
ब्याज उपचित हुआ परंतु प्रतिभूतियों पर देय नहीं है।	414.84	450.50
धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षण	532.48	471.92
निवेशों पर मूल्यहास के कारण	414.69	545.85
स्थाई परिसंपत्तियों के डब्ल्यूडीवी में अंतर	31.94	7.84
कुल	**1,393.95**	**1,476.11**
निवल (डीटीए)/डीटीएल	**(170.25)**	**424.73**

ix) अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग (एएस 25):

बैंक, भा.रि.बैं. परिपत्र सं.डी.बी.एस.ए.आर.एस.सं. बी.सी. 2/08.91.001/2016-17 दिनांक 28 जुलाई, 2016 के अनुसार अपने खातों के त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित फार्मेट को अपना रहा है।

x) आस्तियों की हानि (ए एस 28):

बैंक के प्रबंधन के विचारानुसार बैंक की कोई भी आस्तियों की हानि नहीं है ।

xi) प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस 29)

प्रावधानों का चलन (अन्य प्रावधानों को छोडकर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएँ	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक शेष	3.44	12.52
वर्ष के दौरान उपलब्ध	0.26	-9.08
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	0.00	0.00
इतिशेष	3.70	3.44
निधियों का बहिर्गमन/अनिश्चितताएँ	निपटान पर बहिर्गमन/परिणति	

लेखापरीक्षकों पर विश्वास करते हुए प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया।

Sr. No.	Particulars	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	TOTAL
4.	Advances outstanding	0.20	0.41	0.61
	Maximum during the year	0.22	0.42	0.64
5.	Non-funded commitments	0.00	0.00	0.00
	Maximum during the year	0.00	0.00	0.00
6.	Leasing /HP arrangements availed	0.00	0.00	0.00
	Maximum during the year	0.00	0.00	0.00
7.	Leasing /HP arrangements provided	0.00	0.00	0.00
	Maximum during the year	0.00	0.00	0.00
8.	Interest paid	0.02	0.00	0.02
9.	Interest received	0.01	0.01	0.02
10	Remuneration and other allowances	0.79	0.00	0.79
11	Rendering of services	0.00	0.00	0.00
12	Receiving of services	0.00	0.00	0.00
13.	Management of contracts	0.00	0.00	0.00
14.	Any other receivable	0.00	0.00	0.00
15.	Any other payable	0.00	0.00	0.00

Note: The transactions with the subsidiaries and certain associates have not been disclosed in view of Para 9 of AS 18 "Related Party Disclosure" which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also State Controlled.

vii) Earnings Per Share (AS 20):

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
Net Profit as per Profit and Loss Account (A) (₹ in Thousands)	**358,94,93**	-1643,48,56
Weighted Average Number of Equity Shares (B)	**85,16,64,748**	66,22,81,923
Earnings Per Share (EPS in ₹) (C= A/B)	**4.21**	-24.38
Face Value Per Share (₹)	**10.00**	10.00

viii) Accounting for Taxes on Income (AS 22):

The Bank has complied with the requirements of AS 22. The net balance of (DTA) / DTL as on March 31, 2017 amounting to ₹(170.25) Crores {Previous Year DTL ₹424.73 Crores} consists of the following:

(₹ in crores)

Deferred Tax Assets	31-03-2017	31-03-2016
Provision for Leave Encashment	201.36	184.33
Provision for Restructured Assets	134.06	195.96
On account of timing difference towards provisions	1,176.67	594.24
Others	52.11	76.85
Total	**1,564.20**	**1,051.38**
Deferred Tax Liabilities		(₹ in crores)
Interest accrued but not due on securities	414.84	450.50
Special Reserve u/s 36(1)(viii)	532.48	471.92
On account of depreciation on Investments	414.69	545.85
Difference in WDV of Fixed Assets	31.94	7.84
Total	**1,393.95**	**1,476.11**
Net (DTA)/DTL	**(170.25)**	**424.73**

ix) Interim Financial Reporting (AS 25):

The Bank is adopting the format prescribed by the RBI for the purpose of quarterly return of its accounts as per RBI Circular No.: DBS.ARS. No.BC. 2/08.91.001/2016-17 dated July 28, 2016.

x) Impairment of Assets (AS 28):

In the opinion of the Management of the Bank, there is no indication of impairment of assets of the Bank.

xi) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS 29):

Movement of provisions (excluding provisions for other)

(₹ in Crores)

Particulars	Legal Cases / Contingencies	
	Current Year	Previous Year
Opening Balances	3.44	12.52
Provided during the year	0.26	-9.08
Amount used during the year	0.00	0.00
Closing Balance	3.70	3.44
Timing of Outflow / uncertainties	Outflow on settlement / crystallization	

Prepared by the management and relied upon by the Auditors.

11. अन्य प्रकटीकरण

ए) धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधानीकरण

वर्ष के दौरान कुल धोखाधड़ी के **191** मामले थे जिसकी कुल राशि ₹ **385. 07** करोड़ थी। उसे प्राप्त सीजीसी दावे को अलग करके पूर्णत: प्रदान किया गया और वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर अपरिशोधित प्रावधानों की प्रमात्रा अन्य ''आरक्षित निधियों'' से नामे करने पर शून्य है।

बी) प्रावधान और आकस्मिक व्यय (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	**175.70**	224.68
एन.पी.ए. के लिए प्रावधान	**3,545.44**	3,638.37
आय कर/आस्थगित कर के लिए प्रावधान (समायोजन का निवल)	**293.01**	621.94
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय	**(139.87)**	409.81
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**(190.04)**	409.80
पुन:संरचित खातों के लिए प्रावधान	**(178.83)**	(340.65)
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	**0.00**	140.00
कर्मचारी कल्याण निधि	**20.00**	20.00
अशोध्य ऋण बट्टे खाते डालना	**148.50**	83.12
सेनवेट प्रत्यावर्तन के लिए प्रावधान	**44.88**	37.01
पिग्मी एजंट को देयता के लिए प्रावधान	**(2.74)**	5.00
धोखाधड़ी के मामलों के लिए प्रावधान	**5.68**	21.43
उपभोक्ता/दीवानी मुकदमें लिए प्रावधान	**0.23**	(0.04)
अरक्षित विदेशी मुद्रा के लिए प्रावधान	**8.00**	17.00
अन्य प्रावधान/(अतिरिक्त प्रावधानों का प्रत्यावर्तन)	**4.45**	17.14
कुल	**3,874.28**	**4,894.80**

सी) अस्थायी प्रावधान के चलन (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
ए) अस्थायी प्रावधान लेखे में प्रारंभिक शेष	**102.21**	102.21
बी) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि	**0.00**	0.00
सी) लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि	**0.00**	0.00
डी) अस्थायी प्रावधान लेखे में इतिशेष	**102.21**	102.21

डी) भा.रि.बैं. द्वारा लगाए गए दंड

वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47(ए) (1) (सी) अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में मूल बैंक पर ₹3 करोड़ का सकल दंड प्रभारित किया गया है (पिछले वर्ष में शून्य)।

ई) आरक्षित निधियों से आहरण किए गए

वर्ष के दौरान आरक्षित निधि से आहरण शून्य है।

एफ) ग्राहक से प्राप्त शिकायतों की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	31-03-2017	31-03-2016
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**362**	143
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	**11,088**	5,060
3.	वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की सं.	**11,046**	4,841
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	**404**	362

जी) बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामले

क्र. सं.	विवरण	31-03-2017	31-03-2016
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**39**	31
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामले	**668**	610
3.	वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले	**656**	602
4.	वर्ष के अंत में लंबित मामले	**51**	39

11. OTHER DISCLOSURES

a) Provisioning pertaining to Fraud Accounts:

During the year, the total number of frauds incurred were **191** amounting to **₹385.07** Crores, the same are fully provided net of CGC claims received and quantum of unamortised provision debited from "other reserves" as at the end of FY 2016-17 is **NIL.**

b) Provisions and Contingencies: (₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
Provision for depreciation on investment	**175.70**	224.68
Provision towards NPA	**3,545.44**	3,638.37
Provision towards Income Tax and Deferred Tax	**293.01**	621.94
Other provisions and contingencies	**(139.87)**	409.81
Provision towards Standard Assets	**(190.04)**	409.80
Provision for Restructured Accounts	**(178.83)**	(340.65)
Provision for Wage Revision	**0.00**	140.00
Staff Welfare Fund	**20.00**	20.00
Bad Debts written off	**148.50**	83.12
Provision for Cenvat Reversal	**44.88**	37.01
Provision for Gratuity liability of Pigmy Agents	**(2.74)**	5.00
Provision for Fraud Cases	**5.68**	21.43
Provision for Consumer/Civil Cases	**0.23**	(0.04)
Provision for Unhedged Foreign Currency	**8.00**	17.00
Other Provisions/(Reversal of Excess provisions)	**4.45**	17.14
Total	**3,874.28**	**4,894.80**

c) Movement of Floating Provision

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
(a) Opening Balance in the floating provision account	**102.21**	102.21
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	**0.00**	0.00
(c) Amount of draw down made during the accounting year	**0.00**	0.00
(d) Closing Balance in the floating provision account	**102.21**	102.21

d) Penalties imposed by RBI

During the year, Reserve Bank of India has imposed aggregate penalty of ₹3 Crores (Rupees ThreeCrores only) on the Bank in the exercise of powers conferred under Section 47 (A) (1) (c) read with Section 46 (4) (i) of the Banking Regulation Act, 1949. (Previous Year Nil).

e) Draw down from Reserves

During the year, withdrawal from reserves is **NIL.**

f) Status of Customer Complaints

Sl. No.	Particulars	31-03-2017	31-03-2016
1	No. of complaints pending at the beginning of the year	**362**	143
2	No. of complaints received during the year	**11,088**	5,060
3	No. of complaints redressed during the year	**11,046**	4,841
4	No. of complaints pending at the end of the year	**404**	362

g) Cases referred to Banking Ombudsman

Sl. No.	Particulars	31-03-2017	31-03-2016
1	Complaints Pending at the beginning of the year	**39**	31
2	Cases referred to the Banking Ombudsman during the year	**668**	610
3	Cases Disposed during the year	**656**	602
4	Cases pending at the end of the year	**51**	39

एच) बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के विरूद्ध पारित अधिनिर्णय

क्र. सं.	विवरण	31-03-2017	31-03-2016
1.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	2	0
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं.	24	11
3.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	21	9
4.	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	5	2

आई) ग्राहकों की शिकायतें-कार्ड सेंटर से संबंधित-ए टी एम संव्यवहारों के लिए पंजीकृत

क्र. सं.	विवरण	31-03-2017	31-03-2016
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	396	238
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	22,327	15,351
3.	वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	21,487	15,193
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1,236	396

जे) बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

(ए) अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई और शाखाओं द्वारा हमारी लंदन शाखा के पक्ष में जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

बैंक ने निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. के अनुमोदन से यू.के. के एफ.एस.ए. (वित्तीय सेवाएं प्राधिकरण) को वचन दिया है कि एफ.एस.ए. यू.के. की नयी चलनिधि प्रणाली के अंतर्गत लंदन शाखा (यदि आवश्यकता है तो) के ''संपूर्ण चलनिधि संशोधन'' के लिए किए गए आवेदन के संबंध में अपनी लंदन शाखा को हमेशा चलनिधि संसाधन उपलब्ध कराएगा ।

राजस्व एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, मुंबई ने, बैंक के निदेशक मंडल व अनुमोदन से यू.एस.डॉलर 75 मिलियन की चुकौती संबंधी आश्वासन पत्र जारी किया और यू.एस. डॉलर 100.00 मिलियन का प्रतिबद्धता पत्र (दि. 31.12.2017 तक वैध) जारी किया है।

(बी) कॉरपोरेट ग्राहकों को क्रेता उधार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

शाखाओं ने अपने कॉरपोरेट ग्राहकों की ओर से क्रेता को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से सिंडिकेटबैंक, लंदन शाखा के पक्ष में 31.03.2017 को ₹ 32.56 करोड़ तक के चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं (पिछला वर्ष ₹568.62 करोड़)।

कॉरपोरेट ग्राहकों को क्रेता की साख पर उधार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा विदेशी बैंकों एवं भारत के बाहर स्थित विभिन्न भारतीय बैंकों की शाखाओं के पक्ष में जारी आश्वासन पत्र की रकम दि. 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार ₹1697.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3105.91करोड़) है ।

दि. 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार हमारी शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र की सकल बकाया राशि ₹ 1,729.73 करोड़ है । (पिछले वर्ष ₹3674.53 करोड़)

जब अंतर्निहित संपर्क संस्थाओं से/के आश्वासन पत्र की गुणवत्ता, साख श्रेणी/वैश्विक श्रेणी, प्रतिभूतियाँ, संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ और उपलब्ध प्रति-गारंटी का ध्यान रखा जाता है तब आश्वासन पत्र जारी करने के कारण वित्तीय प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है।

के) बीमा कारोबार

वर्ष 2016 - 17 के दौरान बैंकाश्योरेन्स कारोबार से प्राप्त आय ₹ 1,623.30 लाख है जबकि पिछले वर्ष ₹1,461.22 लाख था। इसमें ₹ 654.28 लाख (पिछले वर्ष ₹556.47 लाख) की राशि जीवन बीमा कारोबार से है और ₹ 969.02 लाख (पिछले वर्ष ₹ 904.75 लाख) की राशि गैर-जीवन बीमा कारोबार से है ।

एल) जमाराशियों, अग्रिमों, उधार तथा अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

ए. जमाराशियों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
20 बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	42,759.71	49,547.04
बैंक की कुल जमाराशियों में 20 बड़े जमाकर्ताओं की प्रतिशतता	16.41%	18.93%

h) Awards passed against the Bank by the Banking Ombudsman

Sl. No.	Particulars	31-03-2017	31-03-2016
1	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	2	0
2	No. of awards passed by the Banking Ombudsman during the year	24	11
3	No. of awards implemented during the year	21	9
4	No. of unimplemented Awards at the end of the year	5	2

i) Customer Complaints – Related to Card Centre – Registered for ATM Transaction

Sl. No.	Particulars	31-03-2017	31-03-2016
1	No. of complaints pending at the beginning of the year	396	238
2	No. of complaints received during the year	22,327	15,351
3	No. of complaints redressed during the year	21,487	15,193
4	No. of complaints pending at the end of the year	1,236	396

j) Letters of comfort issued by the Bank

(a) Letters of Comfort issued in favour of overseas branch at LONDON by International Division, Mumbai & Branches

The Bank has given an undertaking to FSA (Financial Services Authority) of U.K. with approval from the Board of Directors / RBI, that it will make available liquidity resources at all times to its London Branch (if needed) in connection with application made for "Whole form liquidity modification" of the London Branch under the new liquidity regime of FSA U.K.

Treasury and International Banking Department, Mumbai issued Letter of Comfort amounting to USD 75.00 Mio and also issued a letter of commitment amounting to USD 100.00 Mio (valid upto 31-12-2017) with approval from the Board of Directors of the Bank.

(b) Letters of Comforts issued by our Branches for the purpose of providing Buyer's Credit facility to Corporate Clients:

Branches have issued Letters of Comfort on behalf of their corporate customers in favour of SyndicateBank, London Branch for providing Buyer's Credit, to the extent of ₹32.56 Crores as on 31-03-2017 (Previous Year ₹568.62 Crores).

Letters of Comfort issued by the Branches for the purpose of providing buyers credit facility to corporate clients, in favour of various Foreign Banks and Indian Banks' Branches outside India, is ₹1,697.17 Crores as on 31-03-2017 (Previous Year ₹3,105.91 Crores).

The Outstanding Gross Amount of Letters of Comfort issued by our Branches as on 31-03-2017 stands at ₹1,729.73 Crores (Previous Year ₹ 3,674.53 Crores).

The financial impact on account of letters of comfort issued may not be significant when the quality of Letters of Comfort, Credit Ratings/World Rankings, Securities, Collaterals and Counter Guarantees available of/from the underlying reference entities are taken into account.

k) Insurance Business

The total income from the Bancassurance Business during the year 2016 - 17 is ₹1,623.30 Lakhs as against ₹1,461.22 Lakhs in the previous year. This comprises of ₹654.28 Lakhs (PY ₹556.47 Lakhs) from Life Insurance business and ₹969.02 Lakhs (PY ₹904.75 Lakhs) from Non-Life Insurance business.

l) Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs.

A. CONCENTRATION OF DEPOSITS (₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
Total Deposits of twenty largest depositors	42,759.71	49,547.04
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	16.41%	18.93%

बी. अग्रिमों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
20 बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	**29,179.16**	25,277.11
बैंक के कुल अग्रिमों में 20 बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों की प्रतिशतता	**10.56%**	11.16%

सी. निवेश का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल निवेश	**29,647.74**	30,438.07
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल निवेश में 20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के उधार की प्रतिशतता	**10.45%**	11.01%

डी. अंतरा –समूह एक्सपोजर (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
अंतरा-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	**1,626.27**	1,826.27
20 बड़ी आंतरिक-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	**1,626.27**	1,826.27
उधारकर्ता/ग्राहक पर बैंक के कुल एक्सपोजर में आंतरिक-समूह एक्सपोजर की प्रतिशतता	**0.57%**	0.66%
आंतरिक-समूह एक्सपोजर एवं विनियामक कार्यवाही में सीमाओं के भंग होने के विवरण	**शून्य**	शून्य

ई. अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
चार बड़े एन.पी.ए. खातों को दिए गए कुल उधार	**4,200.17**	3,483.93

एम) क्षेत्रवार अग्रिम (₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	क्षेत्र*	31-03-2017			31-03-2016		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एनपीए की प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एन पी ए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एनपीए की प्रतिशतता
ए	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	**31,878.17**	**2,246.17**	**7.05**	29,898.86	1,536.06	5.14
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के योग्य उद्योग क्षेत्रों को अग्रिम	**8,288.81**	**610.73**	**7.37**	8,201.21	534.77	6.52
3	सेवाएँ	**16,190.10**	**1,379.75**	**8.52**	15,978.94	818.82	5.12
4	वैयक्तिक ऋणों	**11,547.66**	**813.42**	**7.04**	11,865.97	503.14	4.24
	उप-जोड (ए)	**67,904.74**	**5,050.07**	**7.44**	65,944.98	3,392.79	5.14
बी	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2	उद्योग	**58,486.26**	**10,040.41**	**17.17**	57,684.11	8,297.80	14.38
3	सेवाएँ	**61,782.17**	**1,572.43**	**2.55**	65,514.39	1,099.14	1.68
4	वैयक्तिक ऋण	**18,891.61**	**946.40**	**5.01**	17,305.79	1,042.43	6.02
	उप-जोड (बी)	**1,39,160.04**	**12,559.24**	**9.03**	1,40,504.29	10,439.37	7.43
	कुल (ए+बी)	**2,07,064.78**	**17,609.31**	**8.50**	2,06,449.27	13,832.16	6.70

एन) अनर्जक आस्तियों का चलन (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
वर्ष के प्रारंभ में सकल अनर्जक आस्तियां	**13,832.16**	**6,442.38**
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां)	**8,137.95**	12.200.54
उप-जोड (ए)	**21,970.11**	**18,642.92**
घटाएं:		
i) स्तरोन्नयन	**1,589.90**	2,120.77
ii) वसूलियां (स्तरोन्नत खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	**1,500.21**	1,260.29
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते लिखना	**1,081.03**	1,344.26
iv) उपरोक्त (iii) के अंतर्गत उल्लेखित मदों को छोड़कर अन्य बट्टे खाते लिखे गए मामले	**189.66**	85.44
उप-जोड़ (बी)	**4,360.80**	**4,810.76**
वर्ष के अंत में सकल अनर्जक आस्तियां (ए-बी)	**17,609.31**	**13,832.16**

B. CONCENTRATION OF ADVANCES (₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
Total Advances to twenty largest borrowers	**29,179.16**	25,277.11
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	**10.56%**	11.16%

C. CONCENTRATION OF EXPOSURES (₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	**29,647.74**	30,438.07
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Bank on borrowers / customers	**10.45%**	11.01%

D. INTRA-GROUP EXPOSURES (₹ in crores

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
Total amount of intra-group exposures	**1,626.27**	1,826.27
Total amount of top-20 intra-group exposures	**1,626.27**	1,826.27
Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/customers	**0.57%**	0.66%
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon	**Nil**	Nil

E. CONCENTRATION OF NPAs (₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
Total Exposure to top four NPA accounts	**4,200.17**	3,483.93

m) Sector-wise Advances (₹ in crores)

Sl. No.	Sector*	31.03.2017			31.03.2016		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	% of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	**31,878.17**	**2,246.17**	**7.05**	29,898.86	1,536.06	5.14
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	**8,288.81**	**610.73**	**7.37**	8,201.21	534.77	6.52
3	Services	**16,190.10**	**1,379.75**	**8.52**	15,978.94	818.82	5.12
4	Personal loans	**11,547.66**	**813.42**	**7.04**	11,865.97	503.14	4.24
	Sub-total (A)	**67,904.74**	**5,050.07**	**7.44**	65,944.98	3,392.79	5.14
B	**Non-Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2	Industry	**58,486.26**	**10,040.41**	**17.17**	57,684.11	8,297.80	14.38
3	Services	**61,782.17**	**1,572.43**	**2.55**	65,514.39	1,099.14	1.68
4	Personal loans	**18,891.61**	**946.40**	**5.01**	17,305.79	1,042.43	6.02
	Sub-total (B)	**1,39,160.04**	**12,559.24**	**9.03**	1,40,504.29	10,439.37	7.43
	Total (A+B)	**2,07,064.78**	**17,609.31**	**8.50**	2,06,449.27	13,832.16	6.70

n) Movement of NPAs (₹ in crores)

PARTICULARS	31-03-2017	31-03-2016
Gross NPAs at the beginning of the year	**13,832.16**	**6,442.38**
Additions (Fresh NPAs) during the year	**8,137.95**	12.200.54
Sub-Total (A)	**21,970.11**	**18,642.92**
Less:		
(i) Upgradations	**1,589.90**	2,120.77
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	**1,500.21**	1,260.29
(iii) Technical/Prudential Write-offs	**1,081.03**	1,344.26
(iii) Write-offs other than those under (iii) above	**189.66**	85.44
Sub-Total (B)	**4,360.80**	**4,810.76**
Gross NPAs at the end of the year **(A - B)**	**17,609.31**	**13,832.16**

ओ) विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन का चलन (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
वर्ष के प्रारंभ में विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन खातों में प्रारंभिक शेष	**5,649.95**	**5,070.46**
जोड़े : वर्ष के दौरान विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन	**1,081.03**	1,344.26
उप-जोड़ (ए)	**6,730.98**	**6,414.72**
घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन खातों से की गई वसूलियाँ **(बी)**	**476.29**	764.77
वर्ष के अंत में इतिशेष **(ए-बी)**	**6,254.69**	**5,649.95**

पी) विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियां और राजस्व (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
कुल आस्तियां	**37,324.16**	39,552.18
कुल अनर्जक आस्तियां	**1,947.62**	1,858.28
कुल एनपीआई	**0.00**	0.00
कुल राजस्व	**948.57**	942.22

नोट : तुलन पत्र में कुल आस्तियों, कुल एनपीए और कुल एनपीआई के लिए आंकड़े को स्पॉट कॉन्वर्सेशन दर के साथ तैयार किया गया है। जब कि कुल राजस्व को तिमाही औसत दर (क्यूएआर) पर तिमाही सकल राजस्व के साथ तैयार किया गया है।

क्यू) तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी. (लेखाकरण मानदण्ड के अनुसार जिनको समेकित करना है)

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

आर) प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है चूँकि बैंक ने किसी एस पी वी का प्रायोजकत्व नहीं किया है ।

एस) अचल आस्तियाँ

बैंक के कुछ परिसरों के मामले में अधिकारों के हस्तांतरण संबंधी प्रलेखन औपचारिकताएँ अभी पूरी की जानी हैं। फिर भी, प्राप्त की गई कानूनी राय के अनुसार अपने स्वत्वाधिकार को प्रमाणित करने के प्रलेख बैंक के पास हैं।

टी) अंतर शाखा लेन-देन, अन्य बैंकों सहित खातों का समाशोधन एवं अन्य संयोजन जो समाधान के विभिन्न स्तरों पर होने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन की राय में ऐसे समाधान से होनेवाले वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं होगा ।

यू) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरुकता निधि (डीईएएफ)में अंतरण (₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2015-16
डीईएएफ को अंतरण के लिए प्रारंभिक शेष राशि	**411.95**	376.90
जोड़े: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	**180.42**	38.69
घटाएं: डीईएएफ द्वारा दावे के माध्यम से प्रतिपूरित राशियां	**7.27**	3.64
डीईएएफ को अंतरित इतिशेष राशि	**585.10**	**411.95**

वी) अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर : (₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2015-16
यूएफसीई प्रावधान के लिए प्रारंभिक शेष राशि	52.00	35.00
जोड़ें: चालू वर्ष के दौरान प्रावधान की वृद्धि/विपर्यय	8.00	17.00
यूएफसीई प्रावधान के विशेष	60.00	52.00

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीओडी 85/21.06.200/2013-14 दिनांक 15. जनवरी 2014 के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. बीडीओडी नं. बीपी.बीसी. 116/21.06.200 /2013-14 दिनांक 03. जून 2014 के द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) वाली संस्थाओं को एक्सपोजर हेतु पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के संबंध में बैंक के पास नीति है।

मूल बैंक की नीति के आधार पर उधारकर्ताओं से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं और तदनुसार वर्षांत 31.3.2017 के लिए न्यूनतम ₹ 119.34 करोड़ की पूंजी अपेक्षा के परिपेक्ष में ₹ 60 करोड़ राशि वाली यूएफसीई और ₹1,164.26 करोड़ का अतिरिक्त आरडब्ल्यूए का प्रावधान किया गया है।

डब्ल्यू) पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां आवश्यक पाया गया है वहां उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत किया गया है ।

o) Movement of Technical/Prudential Write-offs (₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
Opening balance of Technical / Prudential written- off accounts as at the beginning of the year	**5,649.95**	**5,070.46**
Add : Technical / Prudential write-offs during the Year	**1,081.03**	1,344.26
Sub-total (A)	**6,730.98**	**6,414.72**
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year **(B)**	**476.29**	764.77
Closing balance as at the end of the year **(A-B)**	**6,254.69**	**5,649.95**

p) Overseas Assets, NPAs and Revenue (₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
Total Assets	**37,324.16**	39,552.18
Total NPAs	**1,947.62**	1,858.28
Total NPIs	**0.00**	0.00
Total Revenue	**948.57**	942.22

Note: The figures for Total Assets, Total NPA and Total NPI are drawn with the Balance Sheet position at spot conversation rate, while Total Revenue has been drawn with Total of Quarterly Gross Revenue at Quarterly Average Rates (QAR).

q) Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

r) The disclosures relating to Securitisation is not applicable since the Bank has not sponsored any SPVs.

s) Fixed Assets

In respect of certain premises of the Bank, documentation formalities as to transfer of title are yet to be completed. However the Bank holds documents to prove its title as per the legal opinions obtained.

t) Inter Branch transactions, clearing and other adjustment accounts, including with other Banks, which being an on-going process are at various stages of reconciliation. In the opinion of the management, there will not be any material impact on the financial statements arising out of such reconciliation.

u) Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ in crores)

Particulars	FY 2016-17	FY 2015-16
Opening balance of amounts transferred to DEAF	**411.95**	376.90
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	**180.42**	38.69
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	**7.27**	3.64
Closing balance of amounts transferred to DEAF	**585.10**	**411.95**

v) Unhedged Foreign Currency Exposure : (₹ in Crores)

Particulars	FY 2016-17	FY 2015-16
Opening Balance of UFCE provision	52.00	35.00
Add: incremental/reversal of provision during the current year	8.00	17.00
Closing Balance of UFCE provision	60.00	52.00

The Bank has a policy with regard to capital and provisioning requirements for exposure to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) which is based on RBI Circular No.DBOD.No.BP.BC.85 / 21.06.200 / 2013-14 dated January 15, 2014 and clarifications received vide RBI Circular No. DBOD.No.BP.BC.116/21.06.200 / 2013-14 dated June 03, 2014.

Data has been obtained from the borrowers as per the Bank's policy and accordingly, provision of UFCE amounting to ₹60 Crores and additional RWA of ₹1,164.26 Crores has been provided, against which minimum capital requirement is ₹119.34 Crores for the year ended 31-03-2017.

w) Previous year figures

Previous year figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary to conform to the current year's classification.

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017
(अप्रत्यक्ष पद्धति/Indirect Method)

(₹ हजार में/₹ in thousands)

	विवरण/Particulars	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2016
ए. A.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	निवल लाभ/(हानि)/Net Profit/(Loss)	**358 94 93**	-1643 48 55
	जोड़िए/Add: कर प्रावधान/Tax Provision	**293 01 00**	621 93 58
	कर के पहले लाभ/(हानि)/Profit/(Loss) Before Taxes	**651 95 93**	-1021 54 97
	समायोजन के लिए Adjustments For:		
	अचल आस्तियों में मूल्यह्रास/Depreciation on Fixed Assets	**137 30 07**	199 28 61
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचर सहित) Depreciation on Investments (Including on Matured Debentures)	**175 69 55**	224 68 38
	बट्टा खाता डाले गए अशोध्य ऋण/अनर्जक/पुन: संरचित आस्तियों संबंधी प्रावधान Bad Debts Written-Off/Provision In Respect of NPA/Restructured assets	**3515 10 25**	3380 84 06
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision For Standard Assets	**-190 04 40**	409 80 16
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)/Provision For Other Items (Net)	**80 51 73**	257 53 65
	अचल आस्तियों (निवल) की बिक्री पर (लाभ)/हानि /(Profit)/Loss on Sale of Fixed Assets (Net)	**2 64**	82 55
	अधीनस्थ नामे पर (पृथक मान लिया गया) ब्याज की अदायगी/प्रावधान Payment/Provision for Interest on Subordinated Debt (Treated Separately)	**708 66 33**	451 54 86
	अप्राप्य विदेशी विनिमय आरक्षित निधि उतार-चढ़ाव के लिए समायोजन Adjustment for Unrealised Foreign Exchange Fluctuation Reserve	**-30 73 20**	11 51 27
	अनुषंगी/अन्य से प्राप्त लाभांश (पृथक मान लिया गया) Dividend received from subsidiaries/others (treated separately)	**-**	-
	उप जोड/Sub Total	**5048 48 90**	3914 48 57
	समायोजन/Adjustments for:		
	(वृद्धि)/हानि निवेश/(Increase)/Decrease in Investments	**2980 77 17**	493 11 63
	(वृद्धि)/हानि अग्रिम/(Increase)/Decrease in Advances	**-1815 96 52**	-2029 51 34
	(वृद्धि)/हानि अन्य आस्ति/(Increase)/Decrease in Other Assets	**688 22 66**	-599 55 89
	वृद्धि/(हानि) उधार/Increase/(Decrease) in Borrowings	**-9135 97 67**	-2621 78 41
	वृद्धि/(हानि) जमाराशियाँ/Increase/(Decrease) in Deposits	**-1174 48 05**	6347 24 69
	वृद्धि/(हानि) अन्य देयताएँ एवं प्रावधान/Increase/(Decrease) in Other Liabilities And Provisions	**-751 18 55**	-841 33 24
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (वापसी का निवल)/Direct Taxes Paid (Net of Refund)	**-818 22 01**	-724 71 16
	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता (ए) Net Cash From Operating Activities (A)	**-4978 34 07**	3937 94 85
बी. B.	**निवेश गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	अचल आस्तियों का क्रय/अंतरण / Purchase/Transfer in of Fixed Assets	**-182 50 61**	-304 78 03
	निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया निवल नकद (बी) Net Cash used in Investing Activities (B)	**-182 50 61**	-304 78 03
सी. C.	**वित्तीयन गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:**		
	शेयर पूँजी/Share Capital	**201 16 78**	41 31 24
	शेयर अप्लिकेशन रकम लंबित आबंटन/Share Application Money Pending Allottment	**-740 00 00**	740 00 00
	शेयर प्रीमियम/Share Premium	**1314 83 22**	175 61 92
	असुरक्षित अधीनस्थ बंधपत्र/Unsecured Subordinated Bonds	**1110 30 00**	1620 00 00
	लाभांश कर सहित लाभांश प्रदत्त Dividend Paid including Dividend Tax		-374 51 54
	असुरक्षित अधीनस्थ बंधपत्रों पर प्रदत्त/प्रदेय ब्याज/Interest Paid / Payable on Unsecured Subordinated Bonds	**-708 66 33**	-451 54 86
	वित्तीयन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता (सी) Net Cash From Financing Activities (C)	**1177 63 67**	1750 86 76
	नकद एवं नकद तुल्य में निवल वृद्धि/Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	**-3983 21 01**	5384 03 58

नोट: नकद एवं नकद तुल्य में उपलब्ध नकदी, भा.रि.बैं. एवं अन्य बैंकों के पास जमा राशि एवं माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल है।
Note: Cash & Cash Equivalents includes Cash on Hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017

(₹ हजार में/₹ in thousands)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017		31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2016	
I. वर्ष के प्रारंभ में शेष **Balances at the beginning of the Year:**				
भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with R.B.I.	**13338 55 74**		11974 53 81	
बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**15876 82 67**	**29215 38 41**	11856 81 02	23831 34 83
II. वर्ष के अंत में शेष **Balances at the end of the Year:**				
भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with R.B.I.	**13108 94 79**		13338 55 74	
बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**12123 22 61**	**25232 17 40**	15876 82 67	29215 38 41
III. वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह **TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR**		**-3983 21 01**		5384 03 58
नकदी प्रवाह में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Cash Flow				

दीपेश डी देढ़िया/DEEPESH D DEDHIA
सहायक महा प्रबंधक /Asst. General Manager

जी मोहन राव/G MOHAN RAO
महा प्रबंधक/General Manager

सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव/CH S S MALLIKARJUNA RAO
कार्यपालक निदेशक/Executive Director

आर एस पाण्डेय/R S PANDEY
कार्यपालक निदेशक/Executive Director

अरुण श्रीवास्तव/ARUN SHRIVASTAVA
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/MANAGING DIRECTOR & CEO

लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र/AUDITORS' CERTIFICATE

हम, सिंडिकेटबैंक के अधोहस्ताक्षरी सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों ने, बैंक (''समूह'') के 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के उपर्युक्त नकदी उपलब्धता विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 32 की अपेक्षा के अनुसार तैयार किया गया है और यह तत्संबंधी लाभ और हानि लेखे में प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट में शामिल बैंक के तुलन-पत्र पर आधारित है और उससे मेल खाता है।

We, the undersigned Statutory Central Auditors of the SyndicateBank, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2017. The Statement has been prepared in accordance with the requirements of Clause 32 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges and is based on and is in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our Report.

कृते गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **Ganesan and Company**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 000859एस/S

(जी हरि गोविंद)
साझेदार
(G Hari Govind)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 206563

कृते मणियन एंड राव
सनदी लेखाकार
For **Manian & Rao**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 001983एस/S

(परेश डागा)
साझेदार
(Paresh Daga)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 211468

कृते मेसर्स पी जी भागवत
सनदी लेखाकार
For **M/S P G Bhagwat**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 101118डब्ल्यू/W

(संदीप राव)
साझेदार
(Sandeep Rao)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 047235

कृते एस एन कपूर एंड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
For **S N Kapur & Associates**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 001545सी/C

(एस एन कपूर)
साझेदार
(S N Kapur)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 014335

कृते अगस्ती एंड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
For **Agasti & Associates**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 313043ई/E

(राज कुमार अगस्ती)
साझेदार
(Raj Kumar Agasti)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 304920

स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru
दिनांक/Date : 09.05.2017

समेकित वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

सेवा में

सिंडिकेटबैंक के निदेशक मंडल

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने सिंडिकेटबैंक (दि ग्रुप) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण तथा उसके साथ प्राप्त 31 मार्च 2017 की स्थिति में समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ व हानि लेखा तथा ततसंबंधी वर्षांत के समेकित नकदी उपलब्धता विवरण और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का लेखा-परीक्षण की जिसमें निम्न जानकारी शामिल है।
   - ए. हमारे द्वारा लेखा परीक्षीत हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट दि. 09 मई 2017 के अंतर्गत सिंडिकेटबैंक (दि बैंक) की वित्तीय विवरण।
   - बी. अपने लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित एकल अनुषंगा की वित्तीय विवरणियाँ, 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार जिनकी वित्तीय विवरणियों में ₹13.62 करोड़ की कुल आस्तियाँ तथा ततसंबंधी वर्षांत के लिए ₹7.91 करोड़ के कुल राजस्व प्रतिबिंबित होते हैं।
2. हमने एक एसोसिएट की लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणियों को विश्वास में लिया है जिनकी वित्तीय विवरणियों में 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार ₹15,654 करोड़ की कुल आस्तियाँ तथा ₹1,519 करोड़ का कुल राजस्व प्रतिबिंबित होता है।
3. हमने 2 एसोसिएट की गैर लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणियों को विश्वास में लिया है जिनकी वित्तीय विवरणियों में 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 27,235 करोड़ की कुल आस्तियाँ तथा ₹2,383 करोड़ की कुल राजस्व प्रतिबिंबित होता है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

4. इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी का दायित्व प्रबंधन का है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों और भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखा मानकों का अनुपालन करने के साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुरूप ग्रुप की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकद प्रवाह को निष्पक्ष और सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। इस दायित्व के अंतर्गत वित्तीय विवरण की तैयारी से संबंधित उसकी संरचना, आंतरिक नियंत्रण के कार्यान्वयन कायम रखना शामिल है जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबद्ध है। इससे सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रतिबिंबित होता है और यह गलत विवरणी से परे है भले ही वह जालसाजी या भूल से हुआ हो।

लेखा-परीक्षकों का दायित्व

5. हमारा दायित्व है कि अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रस्तुत करें। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानक के अनुसार हमने, लेखा-परीक्षा की

Independent Auditors' Report on the Consolidated Financial Statements

To

The Board of Directors of Syndicate Bank

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of SYNDICATE BANK ("the Group"), which comprise the Consolidated Balance Sheet as on March 31, 2017, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which the following are incorporated:
   - a. The financial statements of SYNDICATE BANK (The Bank), audited by us, vide our audit report dated May 09, 2017.
   - b. The financial statements of the standalone Subsidiary audited by its auditors, whose financial statements reflect total assets of ₹13.62 crores as on March 31, 2017 and total revenue of ₹7.91 crores for the year then ended.
2. We have also relied on the audited financial statements of the 1 Associate whose financial statements reflect total assets of ₹15,654 crores as on March 31, 2017 and total revenue of ₹1,519 crores.
3. We have also relied on the unaudited financial statements of the 2 Associates whose financial statements reflect total assets of ₹ 27,235 crores as on March 31, 2017 and total revenue of ₹ 2,383 crores.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

4. Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the Banking Regulation Act 1949, complying with Reserve Bank of India guidelines from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

5. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and

है। उन मानदंडों के अनुसार हम नीतिगत अपेक्षाओं का पालन करते हैं तथा योजनानुसार लेखा-परीक्षा करवाते हैं ताकि इससे यथोचित आश्वासन प्राप्त कर सकें कि समेकित वित्तीय विवरण, भौतिक अयथार्थ विवरणी से मुक्त हैं।

6. लेखा-परीक्षा के अंतर्गत रकम तथा वित्तीय विवरणों के स्पष्टीकरण से संबंधित लेखा-परीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। अपनाई गई प्रक्रिया लेखा-परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणी के समेकन में अयथार्थ विवरणी की प्रस्तुती के जोखिम का निर्धारण करना भी शामिल है भले ही वह धोधड़ी से या भूल से हुआ हो । इस प्रकार के जोखिमों का निर्धारण करते समय लेखा-परीक्षक, बैंक से संबंधित आंतरिक नियंत्रण तथा वित्तीय विवरणों के सही ढंग से प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित ढंग से लेखा-परीक्षा प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जा सकें किन्तु यह बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर राय प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए नहीं है। जिसमें यथार्थता और निष्पक्षता प्रतिबिंबित हो सके। अपनाई गई लेखा नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन करना तथा ग्रुप द्वारा तैयार किए गए लेखा आकलनों की उपयुक्तता प्रबंधन साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण भी लेखा-परीक्षा में शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमें जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं वे लेखा-परीक्षा राय देने के लिए हमें पर्याप्त हैं।

राय

7. हमारी राय तथा उत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं उपर्युक्तानुसार वित्तीय विवरणों के संबंध में अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने पर, सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखासिद्धांतों की अनुरूपता में समेकित वित्तीय विवरण वास्तविक और निष्पक्ष प्रतिबिंबित होते हैं:

ए) समेकित तुलनपत्र के मामले में, 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार समूह के कार्य स्वरूप के आधार पर;

बी) समेकित लाभ-हानि खाते के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के लाभ के आधार पर, तथा;

सी) समेकित नकद प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के नकद प्रवाह के आधार पर।

कृते गणेशन एंड कंपनी *सनदी लेखाकार* (एफ आर एन: 000859एस)	कृते मणियन एंड राव *सनदी लेखाकार* (एफ आर एन: 001983एस)	कृत मेसर्स पी जी भागवत *सनदी लेखाकार* (एफ आर एन: 101118डब्ल्यू)
जी. हरि गोविन्द *साझेदार* सदस्यता सं.: 206563	परेश डागा *साझेदार* सदस्यता सं.: 211468	संदीप राव *साझेदार* सदस्यता सं.: 047235
कृते एस एन कपूर एंड एसोसिएट्स *सनदी लेखाकार* (एफ आर एन: 001545सी)	कृते अगस्ती एंड एसोसिएट्स *सनदी लेखाकार* (एफ आर एन: 313043ई)	
एस एन कपूर *साझेदार* सदस्यता सं.: 014335	राज कुमार अगस्ती *साझेदार* सदस्यता सं.: 304920	

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 09.05.2017

plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

6. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected, depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Group's preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion

Opinion

7. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on consideration of the report of the other auditors on the financial statements as noted above, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as on March 31, 2017;

b) in the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the Profit of the Group for the year ended on that date and

c) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

For GANESAN AND COMPANY Chartered Accountants (FRN : 000859S)	**For MANIAN & RAO** Chartered Accountants (FRN : 001983S)	**For M/s P G BHAGWAT** Chartered Accountants (FRN : 101118W)
G HARI GOVIND Partner Membership No.206563	**PARESH DAGA** Partner Membership No. 211468	**SANDEEP RAO** Partner Membership No. 047235
For S N KAPUR & ASSOCIATES Chartered Accountants (FRN : 001545C)		**For AGASTI & ASSOCIATES** Chartered Accountants (FRN : 313043E)
S N KAPUR Partner Membership No. 014335		**RAJ KUMAR AGASTI** Partner Membership No.304920

Place : Bengaluru
Date : 09.05.2017

तुलन–पत्र BALANCE SHEET

31 मार्च, 2017 का समेकित तुलन–पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2017

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

पूंजी एवं देयताएँ **CAPITAL & LIABILITIES**	अनुसूची सं. Schedule No.	**As on दि. 31.03.2017 को**	As on दि. 31.03.2016 को
पूंजी/Capital	1	**904 53 94**	703 37 16
शेयर आवेदन मुद्रा बकाया आबंटन/Share Application Money Pending Allotment		**-**	740 00 00
आरक्षित निधि और अधिशेष / Reserves and Surplus	2	**14809 61 98**	13010 31 18
जमाराशियाँ/Deposits	3	**260547 94 92**	261726 23 65
उधार/Borrowings	4	**17475 52 42**	25501 20 09
अन्य देयताएँ और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions	5	**6852 74 34**	7652 22 84
योग/TOTAL		**300590 37 60**	309333 34 92
आस्तियाँ/ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशियाँ Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**13108 94 79**	13338 55 74
बैंकों के पास शेषराशियाँ और माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**12123 22 61**	15876 82 67
निवेश/Investments	8	**66982 43 16**	69987 53 56
अग्रिम/Advances	9	**199669 35 26**	201368 48 99
अचल आस्तियाँ/Fixed Assets	10	**2454 10 08**	2406 96 52
अन्य आस्तियाँ/Other Assets	11	**6252 31 70**	6354 97 44
योग/TOTAL		**300590 37 60**	309333 34 92
आकस्मिक देयताएँ/Contingent Liabilities	12	**93278 71 95**	81329 95 45
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection		**5527 89 68**	6029 94 97
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ/Notes on Accounts	18		

सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव कार्यपालक निदेशक | **आर एस पाण्डेय** कार्यपालक निदेशक | **अरुण श्रीवास्तव** प्रबंध निदेशक एवं सी.ई.ओ.

CH S S Mallikarjuna Rao Executive Director | **R S Pandey** Executive Director | **Arun Shrivastava** Managing Director & CEO

रा ना दुबे निदेशक | **रुद्र नारायण कर** निदेशक | **जयंत पी गोखले** निदेशक

R N Dubey Director | **Rudra Narayan Kar** Director | **Jayant P Gokhale** Director

वंदना कुमारी जेना निदेशक | **जी रमेश** निदेशक

Vandana Kumari Jena Director | **G Ramesh** Director

कमल किशोर सिंघल निदेशक | **सुनील वशिष्ठ** निदेशक

Kamal Kishore Singhal Director | **Sunil Vashisht** Director

दीपेश डी देढ़िया सहायक महा प्रबंधक | **जी मोहन राव** महा प्रबंधक

Deepesh D Dedhia Asst. General Manager | **G Mohan Rao** General Manager

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 09.05.2017

Place : Bengaluru
Date : 09.05.2017

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2016
I.	**आय/INCOME**			
	अर्जित ब्याज/Interest Earned	13	**23003 78 71**	23197 78 02
	अन्य आय/Other Income	14	**3457 86 05**	2509 36 56
	योग/TOTAL		**26461 64 76**	25707 14 58
II.	**व्यय/EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज/Interest Expended	15	**16727 06 93**	17212 40 40
	परिचालन व्यय/Operating Expenses	16	**5497 03 50**	5240 46 65
	प्रावधान और आकस्मिकताएँ/Provisions and Contingencies		**3875 68 18**	4895 77 94
	योग/TOTAL		**26099 78 61**	27348 64 99
III.	**लाभ/PROFIT**			
	वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/Net Profit for the year		**361 86 15**	-1641 50 41
	आगे लाया गया लाभ/(हानि) / Profit / (Loss) brought forward		**0**	0
	अनुषंगी उद्यमों में आय का शेयर/Share of earning in Associates	19	**155 59 06**	124 26 10
	योग/TOTAL		**517 45 21**	-1517 24 31
IV.	**विनियोजन/APPROPRIATIONS**			
	अंतरण/Transfer to:			
ए/A	सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve		**89 73 73**	
बी/B	आरक्षित पूंजी/Capital Reserve		**96 36 98**	48 15 26
सी/C	राजस्व आरक्षित निधि/Revenue Reserve		**158 50 28**	-1565 39 57
डी/D	आयकर अधिनियम 1961 धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि/Special Reserve Under Section 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		**172 84 22**	
	योग/TOTAL		**517 45 21**	-1517 24 31
	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹10/- अंकित मूल्यवाले)/ Earnings Per Share (Face Value of ₹10 each)		**4.25**	-22.91
	मूल एवं मिश्रित (वार्षिकीकृत)/Basic and Diluted (Annualized)			
	महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां/Significant Accounting Policies	17		
	लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts	18		

कृते गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 000859एस)

(जी हरि गोविंद)
साझेदार
सदस्यता सं.: 206563

कृते मणियन एंड राव
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 001983एस)

(परेश डागा)
साझेदार
सदस्यता सं.: 211468

कृते मेसर्स पी जी भागवत
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 101118डब्ल्यू)

(संदीप राव)
साझेदार
सदस्यता सं.: 047235

कृते एस एन कपूर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 001545सी)

(एस एन कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं.: 014335

कृते अगस्ती एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन: 313043ई)

(राज कुमार अगस्ती)
साझेदार
सदस्यता सं.: 304920

For **Ganesan and Company**
Chartered Accountants
(FRN : 000859S)

(G Hari Govind)
Partner
Membership No. 206563

For **Manian & Rao**
Chartered Accountants
(FRN : 001983S)

(Paresh Daga)
Partner
Membership No. 211468

For **M/S P G Bhagwat**
Chartered Accountants
(FRN : 101118W)

(Sandeep Rao)
Partner
Membership No. 047235

For **S N Kapur & Associates**
Chartered Accountants
(FRN : 001545C)

(S. N. Kapur)
Partner
Membership No. 014335

For **Agasti & Associates**
Chartered Accountants
(FRN : 313043E)

(Raj Kumar Agasti)
Partner
Membership No. 304920

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 09.05.2017

Place : Bengaluru
Date : 09.05.2017

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 1 : पूँजी/SCHEDULE – 1 : CAPITAL

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2017 को	As on दि. 31.03.2016 को
	प्राधिकृत पूँजी 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 **AUTHORISED CAPITAL: 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each**	**3000 00 00**	3000 00 00
I.	**निर्गत, अभिदत्त, मांगी गई और प्रदत्त पूँजी**/ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED and PAID UP CAPITAL		
	अथशेष/Opening Balance	**703 37 16**	662 05 92
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the Period	**201 16 78**	41 31 24
	90,45,39,438 (पिछले वर्ष 70,33,71,629) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 90,45,39,438 (Previous Year 70,33,71,629) Equity Shares of ₹10/- each.	**904 53 94**	703 37 16
	a) केंद्रीय सरकार द्वारा धारित/Held by Central Government 65,95,62,697 (पिछले वर्ष 45,83,94,888) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10 65,95,62,697 (Previous year 45,83,94,888) Equity Shares of ₹10/- each.	**659 56 27**	458 39 49
	b) जनता तथा अन्य द्वारा धारित/Held by Public and Others 24,49,76,741 (पिछले वर्ष 24,49,76,741) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10/- 24,49,76,741 (Previous Year 24,49,76,741) Equity Shares of ₹10/- each.	**244 97 67**	244 97 67
II.	बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान्य शेयर/Perpetual Non-Cumulative Preference Share	**0**	0
	योग/TOTAL	**904 53 94**	703 37 16
	शेयर आवेदन मुद्रा बकाया आबंटन (केंद्र सरकार) Share Application Money Pending Allotment (Central Government)	**0**	740 00 00

अनुसूची – 2 : आरक्षित निधि और अधिशेष/SCHEDULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2017 को		As on दि. 31.03.2016 को	
I.	**सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**3383 01 82**		3383 01 82	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**89 73 73**	**3472 75 55**	0	3383 01 82
II.	**आरक्षित पूंजी/Capital Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**189 70 90**		141 55 64	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**96 36 98**	**286 07 88**	48 15 26	189 70 90
III.	**शेयर प्रीमियम/Share Premium**				
	अथशेष/Opening Balance	**1855 73 11**		1680 11 19	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**1314 83 22**	**3170 56 33**	175 61 92	1855 73 11
IV.	**पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि/Revaluation Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**1612 36 02**		918 47 95	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**1 98 30**		752 22 81	
		1614 34 32		1670 70 76	
	घटाएँ: पुनर्मूल्य राजस्व आरक्षित निधि में अंतरण/Less: Transferred to Revenue Reserve	**18 72 33**	**1595 61 99**	58 34 74	1612 36 02
V.	**सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**581 16 40**		581 16 40	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	**0**	**581 16 40**	0	581 16 40
VI.	**राजस्व और अन्य आरक्षित निधि/Revenue and other Reserves**				
	अथशेष/Opening Balance	**3968 07 79**		5531 10 83	
	जोडें/(घटाएँ): समेकन में आरक्षित राजस्व में परिवर्तन Add/(Less) : Changes in Revenue reserve on Consolidation	**-4 22 74**		1 99 98	
	जोडें: पुनर्मूल्य आरक्षित निधि से अंतरण Add: Transferred from Revaluation Reserve	**18 72 33**		36 54	
		3982 57 38		5533 47 35	
	जोडें: लाभ व हानि लेखे से अंतरण/ Add: Transfer from Profit and Loss Account	**158 50 28**	**4141 07 66**	-1565 39 57	3968 07 78
VII.	**विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि/Foreign Currency Translation Reserve**				
	अथशेष/Opening Balance	**56 62 44**		45 11 17	
	जोडें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन Add/(Less): Adjustments during the year	**-30 73 20**	**25 89 24**	11 51 27	56 62 44
VIII.	**विशिष्ट आरक्षित निधि/Special Reserve** **आय कर अधिनियम1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत** (Under Section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961)				
	अथशेष/Opening Balance	**1363 62 71**		1363 62 71	
	जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	**172 84 22**	**1536 46 93**	0	1363 62 71
	योग/TOTAL		**14809 61 98**		13010 31 18

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 3 : जमाराशियाँ/SCHEDULE – 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2017 को	As on दि. 31.03.2016 को
ए/A. I.	**मांग जमाराशियाँ/Demand Deposits**		
	i) बैंकों से/ From Banks	**83 57 13**	53 39 88
	ii) अन्यों से/ From Others	**11523 45 90**	15876 36 39
II.	**बचत बैंक जमाराशियाँ/Savings Bank Deposits**	**64257 19 18**	52048 71 23
III.	**सावधि जमाराशियाँ/Term Deposits**		
	i) बैंकों से/From Banks	**27757 94 01**	32562 08 50
	ii) अन्यों से/ From Others	**156925 78 70**	161185 67 65
	योग (ए)/TOTAL A (I+II+III)	**260547 94 92**	261726 23 65
बी/B. i)	भारत की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches in India	**234529 72 83**	235152 48 58
ii)	भारत के बाहर की शाखाओं में जमाराशियाँ/Deposits of Branches outside India	**26018 22 09**	26573 75 07
	योग/TOTAL	**260547 94 92**	261726 23 65

अनुसूची – 4 : उधार/SCHEDULE – 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2017 को	As on दि. 31.03.2016 को
I.	**भारत में उधार/Borrowings in India**		
ए/a.	भारतीय रिज़र्व बैंक/Reserve Bank of India	**0**	5951 00 00
बी/b.	अन्य बैंक/Other Banks	**3337 77 72**	2772 71 69
सी/c.	अन्य संस्थाएँ और एजेन्सियाँ/Other Institutions and Agencies	**359 59 60**	604 77 35
डी/d.	नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आई.पी.डी.आई.) Innovative Perpetual Debt Instruments	**773 00 00**	773 00 00
ई/e.	अतिरिक्त टियर-I बांड/Additional Tier-I Bonds	**2800 00 00**	870 00 00
एफ/f.	गौण ऋण/Subordinated Debt	**4400 00 00**	5219 70 00
	योग/TOTAL	**11670 37 32**	16191 19 04
II.	**भारत के बाहर उधार/Borrowings Outside India**	**5805 15 10**	9310 01 05
	योग/TOTAL (I + II)	**17475 52 42**	25501 20 09
	उपरोक्त I और II में शामिल रक्षित उधार/Secured Borrowings included in I and II above	**0**	5951 00 00

अनुसूची – 5 : अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE – 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2017 को	As on दि. 31.03.2016 को
I.	देय बिल/Bills Payable	**889 67 77**	840 20 79
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	**56 94 82**	0
III.	उपचित ब्याज/Interest Accrued	**1395 87 02**	1359 07 37
IV.	मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान/Contingent Provision against Standard Assets	**1186 68 77**	1376 73 16
V.	अन्य (प्रावधान सहित)/Others (including provisions)	**3323 55 96**	4076 21 52
	योग/TOTAL	**6852 74 34**	7652 22 84

अनुसूची – 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशि
SCHEDULE – 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2017 को	As on दि. 31.03.2016 को
I.	रोकड़ शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	**924 14 98**	894 56 07
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि Balances with Reserve Bank of India		
	चालू खाते में/In Current Account	**12184 79 81**	12443 99 67
	अन्य खातों में/In Other Accounts	**0**	0
	योग/TOTAL	**13108 94 79**	13338 55 74

अनुसूची – 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE – 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2017 को	As on दि. 31.03.2016 को
I.	**भारत में/In India**		
	i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
	ए)/a) चालू खातों में/Current Accounts	**102 34 75**	74 43 82
	बी)/b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts	**3406 11 85**	2527 91 79
	ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice		
	ए)/a) बैंकों के पास/with Banks	**7305 84 97**	11296 37 38
	बी)/b) अन्य संस्थाओं के पास/with Other Institutions	**0**	0
	योग/Total	**10814 31 57**	13898 72 99
II.	**भारत के बाहर/Outside India**		
	i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
	ए)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	**11 91 04**	56 70 18
	बी)/b) अन्य जमा खातों में/in Other Deposit Accounts	**1297 00 00**	1921 39 50
	ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice	**0**	0
	योग/Total	**1308 91 04**	1978 09 68
	योग/TOTAL	**12123 22 61**	15876 82 67

अनुसूची – 8 : निवेश/SCHEDULE – 8 : INVESTMENTS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2017 को	As on दि. 31.03.2016 को
I.	**भारत में निवेश (सकल)/Investments in India (Gross)**	**66283 44 72**	69651 25 09
	घटाएं: मूल्यह्रास/एन.पी.आई. के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation / NPI	**614 78 18**	439 08 62
	भारत में निवल निवेश/Net Investments in India	**65668 66 54**	69212 16 47
	सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	**58645 14 78**	60027 41 60
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other Approved Securities	**90 50**	90 50
	शेयर/Shares	**357 23 50**	286 85 39
	डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**3916 70 35**	6008 10 02
	अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/Subsidiaries and/or Associates	**1543 55 42**	1392 19 10
	अन्य (वाणिज्यक पेपर, उद्यम पूँजी, सीओडी इत्यादि)/Others (Commercial Paper, Venture Capital, CODs etc.)	**1205 11 99**	1496 69 86
	योग/ Total	**65668 66 54**	69212 16 47
II.	**भारत के बाहर निवेश (सकल)/Investments Outside India (Gross)**	**1313 76 62**	775 37 09
	घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation		
	भारत के बाहर शुद्ध निवेश/Net Investments Outside India	**1313 76 62**	775 37 09
	सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	**0**	0
	डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	**1313 76 62**	775 37 09
	अन्य/Others	**0**	0
	योग/Total	**1313 76 62**	775 37 09
	योग/TOTAL	**66982 43 16**	69987 53 56

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 9: अग्रिम (प्रावधानों का निवल)/SCHEDULE – 9: ADVANCES (Net of Provisions)

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

			As on दि. 31.03.2017 को	As on दि. 31.03.2016 को
ए./A.	i)	खरीदे और भुनाए गए बिल/Bills Purchased and Discounted	**1513 97 31**	1343 35 12
	ii)	नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**43286 72 70**	40944 70 70
	iii)	मीयादी ऋण/Term Loans	**154868 65 25**	159080 43 17
		योग/Total	**199669 35 26**	201368 48 99
बी./B.	i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के विरुद्ध अग्रिम सहित)/ Secured by tangible assets (Includes advances against book debts)	**140856 9104**	145583 48 81
	ii)	बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित/Covered by Bank / Government Guarantees	**27964 16 14**	32322 68 77
	iii)	अरक्षित/Unsecured	**30848 28 08**	23462 31 41
		योग/Total	**199669 35 26**	201368 48 99
सी./C.	I)	**भारत में अग्रिम/Advances in India**		
		i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sector	**67262 21 70**	62552 13 82
		ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector	**2586 45 48**	7574 09 35
		iii) बैंक/Banks	**164 97 90**	4907 91 83
		iv) अन्य/Others	**94925 83 90**	88755 53 88
		योग/Total	**164939 48 98**	163789 68 89
	II)	**भारत के बाहर के अग्रिम/Advances outside of India**		
		i) बैंकों से देय/Due from Banks	**24150 71 94**	26563 54 43
		ii) अन्यों से देय/Due from others		
		ए)/a) खरीदे और भुनाए गए बिल/ Bills Purchased and Discounted	**381 12 18**	322 53 76
		बी)/b) सिंडिकेटेड ऋण/Syndicated Loans	**5772 55 36**	5926 73 83
		सी)/c) अन्य/Others	**4425 46 80**	4765 98 08
		योग/Total	**34729 86 28**	37578 80 10
		योग सी (I + II)/TOTAL C (I + II)	**1996 69 35 26**	201368 48 99

अनुसूची – 10 : अचल आस्तियाँ/SCHEDULE – 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		As on दि. 31.03.2017 को	As on दि. 31.03.2016 को
I.	**परिसर/Premises**		
	पिछले वर्ष के 31 मार्च के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यन पर/At cost/Revaluation as on March 31, of the preceding year	**2071 38 47**	1264 90 31
	जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन (वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 752, 22,81,1774 का पुनर्मूल्यांकन शामिल है) Add: Additions during the year (For FY 2015-16 includes Revaluation of ₹ 752, 22,81,1774)	**24 80 07**	808 27 70
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन/Less: Deductions/Adjustments during the year	**2 28 18**	1 79 54
		2093 90 35	2071 38 46
	घटाएं: अब तक मूल्यहास/Less: Depreciation to date	**276 50 64**	273 02 09
	योग/Total	**1817 39 71**	1798 36 37
II.	**प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital work in progress**	**25 95 38**	30 90 66
III.	**अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर और जुड़नार सहित)/Other Fixed Assets (Including Furniture and Fixture)**		
	पिछले वर्ष के मार्च 31की लागत पर/ At cost as on March 31, of the preceding year	**1644 66 70**	1383 20 81
	जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	**169 96 88**	315 55 91
	घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/Less: Deductions during the year	**70 15 02**	54 10 01
		1744 48 56	1644 66 71
	घटाएं: अब तक मूल्यहास/Less: Depreciation to date	**1133 73 57**	1066 97 22
	योग/Total	**610 74 99**	577 69 49
	योग/TOTAL (I+II+III)	**2454 10 08**	2406 96 52

अनुसूचियाँ SCHEDULES

अनुसूची – 11: अन्य आस्तियाँ/SCHEDULE – 11: OTHER ASSETS

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As at दि. 31.03.2017 को	As on दि. 31.03.2016 को
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	0	1 89 42
II. उपचित ब्याज/Interest accrued	1473 29 56	1530 49 51
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान घटाकर) Tax paid in advance/Tax deducted at source (net of provisions)	2586 11 15	2242 41 55
IV. लेखन सामग्री व स्टांप/Stationery and Stamps	24 94 97	23 17 35
V. दावों की चुकौती में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ (मूल्यहास घटाकर) Non-banking assets acquired in satisfaction of claims (Net of Depreciation)	3 39	3 14
VI. अन्य/Others	2167 92 63	2556 96 47
योग/TOTAL	6252 31 70	6354 97 44

अनुसूची – 12 : आकस्मिक देयताएँ/SCHEDULE – 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	As on दि. 31.03.2017 को	As on दि. 31.03.2016 को
I. बैंक के विरुद्ध किए गये दावे जो ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं है Claims against the Bank not acknowledged as debts	143 81 93	146 99 19
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के प्रति देयता/जोखिम निधि Liability for partly paid Investments/venture funds	21 08 14	23 16 17
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं से संबंधित देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	58435 14 50	46630 85 86
IV. ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ/Guarantees given on behalf of Constituents		
ए)/a) भारत में/In India	16294 89 17	14372 26 88
बी)/b) भारत के बाहर/Outside India	6 47	7 64
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and Other Obligations	5705 05 98	5652 37 70
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which Bank is contingently liable		
i) उन संविदाओं की अनुमानित रकम जिनको पूंजीगत लेखे में निष्पादित किया जाता है और जिन के लिए प्रावधान नहीं किया गया है/ Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account not provided for	7 79 08	13 36 19
ii) अन्य/Others	12670 86 68	14490 85 82
योग/TOTAL	93278 71 95	81329 95 45

अनुसूची – 13: अर्जित ब्याज/SCHEDULE – 13: INTEREST EARNED

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2016
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा/Interest/Discount on Advances/Bills	16856 16 47	17318 51 17
II. निवेशों पर आय/Income on Investments	5331 08 33	5284 57 57
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds	621 37 25	593 65 38
IV. अन्य/Others	195 16 66	1 03 90
योग/TOTAL	23003 78 71	23197 78 02

अनुसूची – 14 : अन्य आय/SCHEDULE – 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2016
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली/Commission, Exchange and Brokerage	**756 85 72**	741 42 02
II.	निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ/Profit on sale of Investments	**1739 70 94**	898 50 96
	घटाएँ: निवेशों की बिक्री से हुई हानि/Less: Loss on sale of Investments	**0**	0
III.	जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of Land, Buildings & Other Assets	**1 60 86**	89 72
	घटाएँ: जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई हानि Less: Loss on sale of Land, Buildings & Other Assets	**-1 63 50**	-1 72 27
IV.	विनिमय लेन-देन पर लाभ/Profit on Exchange Transactions	**185 87 66**	206 59 31
	घटाएँ: विनिमय लेन-देन पर हुई हानि/ Less: Loss on Exchange Transactions	**-7 60**	-70 64 45
V.	लाभांश इत्यादि के माध्यम से प्राप्त आय/Income earned by way of Dividends	**0**	0
VI.	विविध आय/Miscellaneous Income	**775 51 97**	734 31 27
	योग/TOTAL	**3457 86 05**	2509 36 56

अनुसूची – 15: व्ययगत ब्याज/SCHEDULE – 15: INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2016
I.	जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	**15405 49 20**	15995 11 28
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	**67 85 37**	42 38 70
III.	अन्य/Others	**1253 72 36**	1174 90 42
	योग/TOTAL	**16727 06 93**	17212 40 40

अनुसूची – 16: परिचालनगत व्यय/SCHEDULE – 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2016
I.	कर्मचारियों को संदाय और उनके लिए प्रावधान/Payments to and Provisions for Employees	**3794 63 53**	2791 70 13
II.	किराया, कर और बिजली/ Rent, Taxes and Lighting	**330 16 17**	297 88 59
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**32 80 80**	25 99 72
IV.	विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	**29 69 94**	31 27 58
V.	बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Bank's Property	**137 32 71**	199 30 28
VI.	निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्च/Directors' Fees, Allowances and Expenses	**76 06**	71 09
VII.	लेखा परीक्षकों का शुल्क और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	**31 34 25**	30 89 47
VIII.	विधि प्रभार/Law Charges	**4 87 66**	5 26 18
IX.	डाक व्यय, तार, दूरभाष आदि/Postage, Telegrams, Telephones etc.	**81 21 82**	71 21 95
X.	मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	**112 16 92**	117 55 35
XI.	बीमा/Insurance	**206 63 38**	186 92 21
XII.	अन्य व्यय/Other Expenditure **	**735 40 26**	1481 74 10
	योग/TOTAL	**5497 03 50**	5240 46 65

** वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 882,64,80,235/- की आपवादिक मद शामिल है।/
** For FY 2015-16, this includes exceptional item of ₹ 882,64,80,235/-

अनुसूची – 17
समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ:
2016-2017

1. (ए) लेखांकन पद्धतियाँ

विदेशी कार्यालय सहित मूल बैंक के वित्तीय विवरणियों को पारंपरिक लागत पद्धति के अंतर्गत नवीन मामलों और सिद्धांतो का पालन करते हुए तैयार किया जाता है यदि अन्यथा वर्णन न हो। वे भारत में सामान्यतया अंगीकृत लेखांकन सिद्धातों (जी.ए.ए.पी.) के अनुरूप होते हैं, जो सांविधिक प्रावधानों, नियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी लेखांकन मानकों/दिशानिर्देश नोटों और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धति से युक्त होते हैं। फिर भी, विदेशी कार्यालयों के मामले में, संबंधित देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं से अनुपालित होते हैं।

(बी) आकलन का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबंधन से अपेक्षा है कि वे वित्तीय विवरण की तारीख को घोषित की जाने वाली आस्तियों एवं देयताओं की राशि (आकस्मिक देयताएं सहित) और कथित अवधि के लिए घोषित आय एवं व्यय का अनुमान लगाएं तथा आकलन करें । प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी प्रकार का संशोधन चालू तथा आगामी अवधि के लिए प्रत्याशित माना जाएगा, बशर्ते कोई अन्यथा वर्णन न हो।

(सी) लेखांकन नीति का प्रयोग

लेखांकन नीतियों का लगातार प्रयोग किया जाता है जब तक कि संविधि द्वारा या लेखांकन मानकों के अनुपालन या परिवर्तन के माध्यम से वित्तीय विवरणों की अधिक सटीक प्रस्तुति के लिए जरूरी न हो।

2. समेकन प्रक्रिया

मूल बैंक और उसकी अनुषंगियों के समेकित वित्तीय विवरणों (सी एफ एस) को संबंधित वित्तीय विवरणों और इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई.सी.ए.आई.)/नेशनल एडवाइज़री कमिटी ऑन एकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स (एन.ए.सी.ए.एस.) द्वारा जारी लेखाकरण मानक (एएस) –21–''समेकित वित्तीय विवरणों'' के आधार पर तैयार किया गया है।

मूल बैंक और उसके अनुषंगियों के वित्तीय विवरण को अंतर समूह लेन-देनों और अप्राप्त लाभ एवं हानि को हटाकर और आस्तियों, देयताओं, आय एवं खर्चों की रकमों को एक साथ जोडकर सिलसिलेवार तरीके से एकत्रित किया गया है और जहाँ भी

SCHEDULE – 17
CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:2016 - 2017

1. **(A) BASIS OF ACCOUNTING**

The financial statements of the Parent Bank including foreign office have been prepared following the going concern concept under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. However, in respect of foreign office, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign country are complied with.

(B) USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Any revision to the accounting estimate is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

(C) USE OF ACCOUNTING POLICY:

Accounting Policy are consistently used unless change is required by statute or for compliance with Accounting Standard or the change would result in a more appropriate presentation of the financial statements.

2. **CONSOLIDATION PROCEDURE**

Consolidated Financial Statements (CFS) of the Parent Bank, its Subsidiary has been prepared on the basis of the financial statements and in accordance with Accounting Standard (AS) – 21 – "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) / National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS).

The financial statements of the Parent Bank and its Subsidiary have been aggregated on a line by line basis by adding together like sums of assets, liabilities, income and expenses, after eliminating intra group transactions and unrealized profit/ loss and making necessary adjustments wherever

उचित है वहाँ एक समान लेखाकरण नीतियों के अनुसार आवश्यक समायोजन किए गए हैं। अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों को मूल बैंक की रिपोर्टिंग तारीख पर तैयार किया जाता है।

समेकन तिथि को सहयोगी संस्थाओं में लंबी अवधि के निवेशों का मूल्यांकन ईक्विटी पद्धति के अनुसार किया जाता है और सहयोगी संस्थाओं की निवल आस्तियों में मूल बैंक (निवेशक) के हिस्से में अभिग्रहणोत्तर परिवर्तन के लिए आई सी ए आई द्वारा जारी लेखाकरण मानक (ए एस) 23 ''सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में लेखाकरण'' के अनुसार बाद में निवेश की रखाव रकम का समायोजन किया जाता है। सहयोगी संस्थाओं के परिचालनों की प्राप्तियों में निवेशक के हिस्से को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में अलग रूप से दर्शाया गया है।

3. विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन

3.1. विदेशी मुद्रा लेन-देन को रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता पर विदेशी मुद्रा राशि रिपोर्टिंग मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू कर अभिलेखित किया जाता है। प्रारंभिक मान्यता के लिए निम्नलिखित विनिमय दरों का प्रयोग किया जाता है:

ए) शाखाओं में विदेशी मुद्रा देयतायुक्त लेने-देनों (एफसीएनआर, ईईएफसी, आरएफसी) के लिए भारतीय मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यू.ए.आर.)।

बी) शाखाओं में विदेशी मौद्रिक आस्तियों से युक्त लेन-देनों एवं 'ए' नामित शाखाओं में आस्ति एवं देयताओं (ट्रेजरी एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग) के लिए लेन-देन की तारीख को बाजार दर पर।

3.2 सभी विदेशी मुद्रा मौद्रिक आस्तियों एवं देयताएँ अंतिम विनिमय हाजिर/वायदा दरों पर रिपोर्ट की जाती हैं जिसे फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित लिया जाता है और परिणामी प्राप्ति या नुकसान को लाभ और हानि खातों में मान्यता दी जाती है।

3.3 विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित आकस्मिक देयताओं को फेडाई के अंतिम हाजिर दर प्रयोग कर रिपोर्ट किया जाता है।

3.4 व्यापार के लिए बकाया विदेशी विनिमय हाजिर और वायदा को फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वता के लिए अधिसूचित विनिमय दरों तथा ''बीच की परिपक्वताओं'' वाले संविदाओं के लिए अंतर्वेशित दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है। सीसीआईएल -ज़ीरो कूपन ईल्ड कर्व (ज़ेडसीवाईसी) दरों का प्रयोग करते हुए बाज़ार दर बाज़ार (एमटीएम) परिणामी को बट्टाकृत करके बाज़ार दर बाज़ार वर्तमान लाभ/हानि मूल्य पर लाया जाता है। और इसे लाभ और हानि खातों में स्थान दिया जाता है।

practicable, to conform to the uniform accounting policies. The financial statements of the Subsidiary are drawn up to the same reporting date as that of the parent.

Long term investment in Associates, as on the date of consolidation, is valued under the Equity method and the carrying amount of the investment is adjusted thereafter for the post-acquisition change in the parent's (Investor) share of net assets of the Associates in accordance with Accounting Standard (AS) 23 - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI. The Investor's share of the results of operations of the Associates is reflected separately in the consolidated statement of Profit and Loss.

3. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

3.1 Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency. Following exchange rates are used for initial recognition:

a) For transactions involving foreign currency liabilities at branches (FCNR, EEFC, RFC) Weekly Average Rate (WAR) published by the Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).

b) For transactions involving foreign currency assets at branches and assets and liabilities at 'A' designated branch (Treasury and International Banking Department) market rate on the date of transaction.

3.2 All the foreign currency monetary assets and liabilities are reported at closing exchange spot/forward rates notified by the FEDAIat the end of each quarter and the resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss A/c.

3.3 Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rate.

3.4 Outstanding foreign exchange spot and forward for trading are revalued at the exchange rates notified by the FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of "in between maturities". The resultant Marked to Market (MTM) gain/loss is discounted to arrive at present value MTM gain/loss by using CCIL - Zero Coupon Yield Curve (ZCYC) rates and the same is recognized in Profit and Loss A/c.

3.5 विदेशी विनिमय वायदा संविदाएं जो शुरुआत से होने वाले व्यापार, अधिमूल्य या बट्टावृत के लिए उद्देशित नहीं है, को संविदा की अवधि पर व्यय या आय के तौर पर परिशोधित किया गया है।

3.6 मूल बैंक की एक शाखा लंदन में स्थित है जिसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक 11 (एएस-11) के अनुसार ''गैर समाकलित परिचालन'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ए) विदेशी संचालनों की सभी आस्तियों और देयताओं, मौद्रिक और गैर-मौद्रिक, दोनों तथा आकस्मिक देयताओं को, फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधि सूचित अंतिम हाजिर दरों पर परिवर्तित किया गया है।

बी) आय और व्यय का परिवर्तन हरेक तिमाही के अंत में एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित त्रैमासिक औसत विनिमय दरों (क्यूएआर) पर किया गया है।

सी) ए.एस. 11 के अनुसार किए गए परिवर्तन से हुए परिणामी विनिमय अंतर को, विदेशी शाखा के निवल निवेश का निपटान होने तक ''विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि'' में जमा किया गया है।

डी) शाखा की विदेशी मुद्रा में आस्तियाँ और देयताएं, (शाखा की स्थानीय मुद्रा के अलावा) प्रत्येक तिमाही के अंत में लागू हाजिर दर का उपयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित कर दी जाती है।

4. निवेश

प्रतिभूतियों का लेन-देन ''निष्पदान तिथि'' पर अभिलेखित हैं।

4.1 वर्गीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल बैंक के निवेश संविभाग को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

ए) **''परिपक्वता तक धारित''** (एचटीएम) निवेशों को परिपक्वता तक धारण करने के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है। सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम एवं उनकी सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित निवेश वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

बी) **''व्यापार के लिए धारित''** (एचएफटी) निवेश को अल्पावधि कीमत/ब्याज दर में उतार-चढाव का लाभ उठाते हुए व्यापार करने के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है। इनके खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंतर्गत व्यापार किया जाना अपेक्षित है।

सी) **''विक्रय के लिए उपलब्ध''** (एएफएस) निवेश उपर्युक्त (ए) एवं (बी) दोनों में शामिल नहीं है अर्थात वे निवेश, जो'परिपक्वता तक धारित'' या ''व्यापार के लिए धारित'' वर्ग में नहीं आते हैं।

फिर भी, तुलन पत्र में निवेशों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित वर्तमान छह वर्गों में प्रकट किया गया हैं:

3.5 In the case of foreign exchange forward contacts which are not intended for trading, premium or discount arising at the inception is amortised as expenses or income over the life of the contract.

3.6 The Parent Bank has a branch at London and the operations of the same is classified as "Non-Integral Operations" in accordance with Accounting Standard 11(AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

a) All assets and liabilities of the foreign operations, both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities are translated at closing spot rates notified by the FEDAI at end of each quarter.

b) Income and Expenditure are translated at Quarterly Average Rates (QAR) notified by the FEDAI at end of each quarter.

c) The resulting Exchange Difference arising from translation as per AS-11 is accumulated in a "Foreign Currency Translation Reserve" until disposal of net investment of the foreign branch.

d) The Assets and liabilities of the branch in foreign currency (other than local currency of the branch) are translated into local currency using applicable spot rate at the end of each quarter.

4 INVESTMENTS

The transactions in Securities are recorded on "Settlement Date".

4.1 Classification:

The Investment portfolio of the Parent Bank is classified, in accordance with the Reserve Bank of India guidelines, into:

a) **"Held to Maturity" (HTM)** comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

b) **"Held for Trading" (HFT)** comprising Investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. These are intended to be traded within 90 days from the date of purchase.

c) **"Available for Sale" (AFS)** comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e., those investments which do not fall under in "Held to Maturity" or "Held for Trading" classification.

In the balance sheet, the investments are disclosed as per the following six classifications in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India:

(i) सरकारी प्रतिभूतियां
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
(iii) शेयर
(iv) डिबेंचर और बंध पत्र
(v) अनुषंगी और/या सहयोगी
(vi) अन्य

जोखिम पूँजी निधियों की यूनिटों पर बैंक के निवेश को प्रारंभिक तीन वर्षों की अवधि के लिए एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और मूल्य निर्धारण, लागत के आधार पर किया जाता है। संवितरण की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के उपरांत इसे विक्रय के लिए उपलब्ध वर्ग में अंतरित किया जाता है और भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के लिए अंकित आधार पर मूल्य निर्धारण किया जाएगा।

4.2 निवेश का अधिग्रहण लागत:

ए) निवेशों का अधिग्रहण हेतु प्रदत्त ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) को लागत से हटाकर एकबारगी व्यय के रूप में लिया जाता है।

बी) ऋण लिखतों पर प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि ब्याज को लागत/बिक्री संबंधी विचार से हटाकर ब्याज प्रदत्त/प्राप्त माना जाता है।

सी) निवेशों की लागत को भारित औसत मूल्य पद्धति पर निश्चित किया जाता है।

डी) अंशदान पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि प्रतिभूति की लागत से घटा दी जाती है। प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से जुड़े दिए गए ब्रेकेज/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना गया है।

4.3 मूल्यांकन पद्धति:

ए) परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अधीन वर्गीकृत निवेश का मूल्यांकन यदि उसका मूल्य अंकित मूल्य से ज्यादा है तो भारित औसत अर्जन लागत पर किया जाता है, जिस मामले में प्रीमियम का परिशोधन प्रतिभूति की शेष अवधि तक निरंतर प्राप्ति आधार पर किया जाता है। ऐसे प्रीमियम का समाशोधन 'निवेश पर ब्याज' शीर्षक के अंतर्गत आय में समायोजित किया गया है।

बी) अस्थाई स्वभाव के अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों को छोड़कर अन्य अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों में किया गया निवेशों का मूल्य निर्धारण अभिग्रहण लागत से ह्रास को कम करके किया जाता है।

सी) एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तारीख पर न्यूनतम अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के आधार पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाता है। फिर भी, एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अभिग्रहण मूल्य/बही मूल्य के आधार पर किया जाता है। अंतरण के बाद, इन प्रतिभूतियों का पुन: मूल्य निर्धारण

(i) Government Securities
(ii) Other Approved Securities
(iii) Shares
(iv) Debentures and Bonds
(v) Subsidiaries and / or Associates
(vi) Others

Parent Bank's investments in units of VCS's are classified under HTM category and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it is shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

4.2 Acquisition Cost of Investment:

a) Brokerage, Commission, Securities Transaction Tax (STT) etc., paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.

b) Broken period interest paid/received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from cost/sale consideration.

c) Cost of investments is determined at weighted average price method.

d) Incentive received on subscriptions is deducted from the cost of securities. Brokerage/Commission/Stamp Duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expense.

4.3 Method of Valuation:

a) Investments classified as HTM are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity, on constant yield basis. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".

b) Investments in subsidiaries and joint ventures are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

c) Transfer of securities from HFT/AFS category to HTM category is carried out at the lower of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for. However, transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out on acquisition price/book value. After transfer, these securities

किया जाता है और मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाता है।

डी) ए एफ एस एवं एचएफटी के अंतर्गत रखे गए निवेश निम्नप्रकार से मूल्यांकित किए गए हैं:

ए) सरकार/ अनुमोदित प्रतिभूतियाँ i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा) द्वारा प्रकाशित बाजार कीमत /परिपक्वता पर प्रतिलाभ पर। फिम्डा/आरबीआई के दिशानिर्देशानुसार समुचित परिपक्वता पर प्रतिलाभ के आधार पर।
बी) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत/ सार्वजनिक क्षेत्रक बाँड (जो अग्रिमों की प्रवृत्ति के न हों)	फिम्डा/आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार समुचित परिपक्वता पर प्रतिलाभ के आधार पर।
सी) ईक्विटी शेयर	बाजार मूल्य पर, यदि उद्धृत हों, अन्यथा नवीनतम तुलन पत्र के अनुसार शेयर के विघटित मूल्य पर (18 महीने से अनधिक), अन्यथा रु 1 प्रति कंपनी की दर पर किया जाता है।
डी) अधिमानी शेयर	बाजार मूल्य पर, यदि उद्धृत हों, या आर बी आई/फिम्डा के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अनधिक परिपक्वता पर प्रतिलाभ आधार पर।
ई) बांड एवं डिबेंचर	बाजार मूल्य पर, यदि उद्धृत हों, या आर बी आई/फिम्डा के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अनधिक परिपक्वता पर प्रतिलाभ आधार पर (जो अग्रिमों की प्रवृत्ति के न हों)।
एफ) म्यूच्युअल फंडों के यूनिट	यदि उद्धृत किया गया है तो शेयर बाजार भाव पर, यदि अनुद्धृत हो तो पुन: खरीद/ निवल आस्ति मूल्य पर
जी) जोखिम पूँजी	18 महीने से अनधिक लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार घोषित एनएवी या विघटित एनएवी। यदि 18 से अधिक महीने के लिए निरंतर आधार पर एनएवी/लेखा परीक्षित तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो, रु1 प्रति जोखिम पूँजी निधियों की दर पर किया जाता है।
एच) प्राप्त प्रतिभूतियाँ	भारिबैं/सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा घोषित एनएवी ।
आई) वाणिज्यिक पत्र/ सीओडी	लागत मूल्य पर

उपरोक्त मूल्यांकन 'विक्रय के लिए उपलब्ध' और व्यापार के लिए धारित श्रेणियों में तिमाही आधार पर खंडवार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यवृद्धि/मूल्यहास संकलित किए गए हैं। प्रत्येक श्रेणी के लिए निवल

are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided.

d) Investments held under AFS and HFT are valued as under:

a)	Government/ Approved Securities I. Central Govt. Securities II. State Govt. Securities	At market prices/YTM as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/RBI guidelines.
b)	Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds (not in the nature of advances)	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA/RBI guidelines.
c)	Equity Shares	At market price if quoted, otherwise at break-up value of the Shares as per latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise at ₹ 1 per company.
d)	Preference Shares	At market price, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI/FIMMDA guidelines.
e)	Bonds & Debentures (Not in nature of advances)	At market price, if quoted or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per RBI/FIMMDA guidelines.
f)	Units of Mutual Funds	As per stock exchange quotation, if quoted at repurchase price/NAV, if unquoted.
g)	Venture Capital	Declared NAV or break-up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF.
h)	Security Receipts	Declared NAV by the Asset Reconstruction Company as per RBI / SEBI guidelines.
i)	Commercial Paper/COD	Valued at cost.

The above valuation in category of Available for Sale and Held for Trading is done scrip wise on quarterly basis and depreciation/appreciation is aggregated for each classification. Net

मूल्यह्रास, यदि कोई है, उपलब्ध कराया गया है जबकि निवल मूल्यवृद्धि को छोड़ दिया गया है। मूल्यह्रास हेतु प्रावधान होने पर, वैयक्तिक प्रतिभूति का बहीमूल्य बाजार के लिए चिह्नित करने के पश्चात अपरिवर्तित रहती है। परिवर्तन के माध्यम से, प्राप्त साधनों पर मूल्यह्रास, चाहे मानकीकृत या एनपीए के रूप में श्रेणीबद्ध हो, एएफएस श्रेणी के अन्तर्गत धारित किसी प्रतिभूति की मूल्यवृद्धि के प्रति तुलन नहीं करता।

4.4 घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में सम्बन्धित नियामक के दिशानिदेशों के अनुसार निवेशों को निष्पादक और गैर-निष्पादक रूप में वर्गीकृत किया गया है। घरेलू कार्यालयों के निवेश निम्न परिस्थितियों में गैर-निष्पादक बन जाते हैं:

- ब्याज/किस्त (परिपक्वता आगम संकेत) देय हों व 90 दिनों से अधिक समय से भुगतान नहीं किया गया हो।
- इक्विटी शेयरों के मामले में, नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न होने के कारण किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्यांकन ₹ 1 प्रति कंपनी की दर पर किया जाता है तो, ये इक्विटी शेयर एनपीआई माने जाऐंगे।
- यदि किसी संस्था द्वारा ऋण सुविधा ली गई हों और वह मूल बैंक की बही में एनपीए की स्थिति में हो तो, उसी संस्था द्वारा जारी प्रतिभूतियों में एवं बैंक द्वारा जारी प्रतिभूतियों में संस्था द्वारा निवेश एवं इसके विपरीत को भी एनपीआई समझा जाएगा। निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किए गए अधिमानी शेयरों पर यथोचित परिवर्तन सहित उपर्युक्त शर्त लागू होंगे।
- अग्रिम प्रकृति वाले डिबेंचर/बांड में निवेश हेतु लागू मानदंडों के अनुसार एनपीआई की शर्तों के अधीन है।
- अनर्जक प्रतिभूतियों के संदर्भ में आय की पहचान नहीं होती तथा आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इन प्रतिभूतियों पर अवमूल्यन हेतु प्रावधान किए जाते हैं। अनर्जक निवेशों के लिए किया गया प्रावधान अन्य अर्जक आस्तियों के संदर्भ में अधिमूल्यन हेतु किए गए प्रावधान के विरुद्ध सेट-ऑफ नहीं होता।

4.5 प्रतिभूति रसीदों (एसआर) के विरुद्ध प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/ आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) को एनपीए (वित्तीय आस्ति) की बिक्री के मामले में प्रतिभूति रसीद (एसआर) में किया गया निवेश-i) निवल बही मूल्य (एनबीवी) अर्थात वित्तीय आस्तियों के बही मूल्य में से प्रावधान घटाना) तथा ii) प्रतिभूति रसीद (एसआर) का निर्मोचन मूल्य, कम होता है। किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा निर्गत प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन गैर एसएलआर लिखतों के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुपालन में किया जाता है। तदनुसार, संबंधित योजना के अंतर्गत एससी/एआरसी द्वारा निर्गत प्रतिभूति रसीद वास्तविक

depreciation for each classification, if any, is provided for while net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual security remains unchanged after marking to market. Depreciation on the instrument acquired by way of conversion, whether classified as standard or NPA, is not offset against the appreciation in any of other securities held under the AFS category.

4.4 Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in the case of domestic offices and respective regulators in the case of foreign offices. Investments of domestic offices become non-performing where:

- Interest/instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re 1 per company on account of non-availability of the latest balance sheet, those equity shares will be reckoned as NPI.
- If any credit facility availed by an entity is NPA in the books of the Parent Bank, investments in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa. The above would apply mutatis-mutandis to Preference Shares where the fixed dividend is not paid.
- The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.
- In respect of non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation for such securities as per RBI guidelines. Provision made on non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.

4.5 In case of sale of NPA (financial asset) to securitisation Company (SC)/Asset. Reconstruction Company (ARC) against issue of Security Receipts (SR), investment in SR is recognised at lower of (i) Net Book Value (NBV) (i.e.), book value less provisions held) of the financial asset: and (ii) Redemption value of SR. SRs issued by an SC/ARC are valued in accordance with the guidelines applicable to non SLR instruments. Accordingly, in cases where the SRs issued by the SC/ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the

प्राप्ति तक सीमित होने की स्थिति में ऐसे निवेशों के मूल्यांकन हेतु एससी/एआरसी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य की गणना की जाती है।

4.6 निवेशों का निपटान:

क) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ/हानि की पहचान लाभ एवं हानि खाते में संबंधित निवेशों के भारित औसत लागत/बहीमूल्य के आधार पर की जाती है और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) वर्गीकरण में निवेशों की बिक्री पर होनेवाले लाभ के समान एक राशि का विनियोजन पूँजी आरक्षित पूँजी खाते में होता है।

ख) एएफएस/एचएफटी प्रवर्ग में निवेश की बिक्री पर लाभ/हानि की पहचान लाभ एवं हानि खाते में की जाती है।

4.7 अस्थिर/स्थिर दर नोट तथा ऋण संबद्ध नोट विदेशी शाखा में निवेश ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' श्रेणी में वर्गीकृत किये जाते हैं और उनका मूल्यांकन नाममात्र मूल्य या बाज़ार मूल्य जो भी कम हो, पर किया जाता है। ये निवेश तिमाही अंतराल पर बाजार के लिए चिह्नित होते हैं तथा इन निवेशों का मूल्य नाममात्र मूल्य से कम होने की स्थिति में तुलनपत्र में मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है तथा लाभ हानि खाते में संबंधित प्रभार प्रकट होता है।

4.8 रेपो/प्रतिवर्ती रेपो के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियाँ संपार्श्विकृत उधार देने और उधार लेने के संव्यवहारों के रूप में लेखांकित हैं। तथापि प्रतिभूतियां सामान्य एकमुश्त बिक्री/खरीद संव्यवहारों के मामलों के अनुरूप अंतरित की जाती है और प्रतिभूतियों का ऐसा चलन रेपो/प्रतिवर्ती रेपो खातों और प्रतिप्रविष्टियों के प्रयोग में प्रतिबिंबित होता है। उपर्युक्त प्राविष्टियां परिपक्वता के दिनांक पर प्रतिवर्तित बनायी जाती हैं। लागतों और राजस्वों का लेखांकन जो भी स्थिति है उसके अनुसार ब्याज व्यय/आय के रूप में होता है। रेपो खाते शेष उधारों के रूप में वर्गीकृत है और प्रतिवर्ती रेपो खाते के शेष का वर्गीकरण बैंकों में नकदी शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि के रूप में किया गया है।

4.9 विदेशी शाखा का निवेश

ए) विदेशी शाखा में अस्थिर एवं स्थिर दर नोट निवेशों को विक्रय के लिए उपलब्ध के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है और मौद्रिक मूल्य या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो पर मूल्यांकित किया जाता है।

बी) खरीद के समय कोई अधिमूल्य होने पर उसे साधन के शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है जबकि खरीद में बट्टा होने पर उसे छोड़ दिया जाता है।

सी) ये निवेश तिमाही अंतराल पर बाजार के लिए चिन्हित किए जाते हैं जहाँ इसका मूल्य मौद्रिक मूल्य से कम होता है। तुलनपत्र में

Net Asset Value, obtained from the SC/ARC, is reckoned for valuation of such investments.

4.6 Disposal of Investments:

a) Profit/loss on sale of Investments classified as HTM is recognized in the Profit and Loss Account based on the weighted average cost/book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in HTM classification is appropriated to Capital Reserve Account.

b) Profit/loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in Profit and Loss Account.

4.7 Floating/Fixed Rate Note and Credit Linked Note, Investments at Foreign Branch are classified as 'Available for Sale' category and are valued at nominal value or market value, whichever is lower. These Investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these Investments is lower than the nominal value, provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a corresponding charge is recognized in the Profit and Loss Account.

4.8 The securities sold and purchased under Repo/Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice.

4.9 Foreign Branch's Investment:

a) Floating and Fixed Rate Note investments at Foreign Branch are classified as Available for Sale category and are valued at nominal value or market value, whichever is lower.

b) Premium at time of purchase if any shall be amortised over the residual period of the instrument while any discount on purchase is ignored.

c) These investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these investments is lower than the nominal value,

अवमूल्यन के लिए प्रावधान किया जाता है और इसके समतुल्य प्रभार को लाभ व हानि खाते में माना जाता है।

5. व्युत्पन्न

5.1 मूल बैंक व्युत्पन्न संविदा जैसे विदेशी विनिमय वायदा संविदा, ब्याज दर स्वैप, करेंसी स्वैप और पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर स्वैप, और तुलन पत्र पर/तुलनपत्र से बाहर आस्तियों एवं देयताएँ या व्यापार उद्देश्य से प्रतिरक्षा के लिए वायदा दर करार पर हस्ताक्षर करते हैं। तुलन पत्र पर आस्तियों एवं देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए हस्ताक्षरित संविदाए इस प्रकार से बनाई गई होती हैं कि उनका तुलन पत्र में अन्तनिर्हित मदों पर विपरीत व प्रतिसंदुषित प्रभाव पडता है।

5.2 सभी वायदा संविदाएँ उद्योग में प्रचलित सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन प्रथाओं के अनुसार बाजार चिन्हित होती हैं।

5.3 मूलबैंक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के साथ मुद्रा फ्यूचर्स के रुप में विनिमय व्यापार व्युत्पन्नों का काम कर रहा है। मुद्रा फ्यूचर्स दैनिक आधार पर बाज़ार के लिए अंकित किए जाते हैं।

5.4 व्युत्पन्न लेन-देन के लिए दिए गए ऋण का परिकलन आरबीआई द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है एवं इसकी निगरानी चालू ऋण मंजूरी पद्धति पर की जाती है।

5.5 अप्रतिभूत प्रतिरक्षा लेन-देनों को सौदा लेन-देन समझा जाता है और उन्हें परिपक्वता की तारीख तक चालू रखा जाता है।

6. अग्रिम

6.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ऐसे अग्रिमों से हुई हानियों के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखा के मामले में, आस्तियों का वर्गीकरण तथा ऋण की हानि का प्रावधान, स्थानीय अपेक्षाओं या भा.रि.बैं. के विवेकपूर्ण मानदण्डों, इनमें से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

6.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों का उल्लेख अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर किया जाता है।

6.3 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ए.आर.सी.)/प्रतिभूतीकरण कंपनी (एस सी)/बैंक/एफ आई/एन बी एफ सी को निवल बही मूल्य (एन बी वी) से कम लागत पर यानी प्राप्त प्रावधान से कम बही मूल्य, बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के मामले में, कमी को लाभ एवं हानि लेखे में नामे डाला जाता है तथा एन बी वी मूल्य से अधिक मूल्य के बिक्री के मामले में अतिरिक्त प्रावधान उस साल के लाभ एवं हानि खाते में वापस कर दिया जाता है जिस साल वह प्राप्त हुआ है।

a provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a corresponding charge is recognized in the Profit & Loss A/c.

5. DERIVATIVES

5.1 The Parent Bank enters into derivative contracts, such as Foreign Exchange Forward contracts, Interest Rate Swaps, Currency Swaps, and Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate agreements in order to hedge on-balance sheet/off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes. The Swap contracts entered to hedge on-balance sheet assets and liabilities are structured in such a way that they bear an opposite and offsetting impact with the underlying on-balance sheet items.

5.2 All Forward Contracts are marked to market as per the generally accepted accounting practices prevalent in the industry.

5.3 Parent Bank is undertaking the Exchange Trade Derivatives in form of Currency Futures with recognized Stock Exchanges. Currency Futures are marked to market on daily basis.

5.4 The credit exposures for derivative transactions are calculated in accordance with the guidelines issued by RBI monitored on Current Credit Exposure method.

5.5 The naked hedging transactions are considered as a trading transaction and allowed to run till maturity.

6. ADVANCES

6.1 Advances are classified into Performing and Non-Performing Assets and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In respect of foreign branch, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirements or as per RBI prudential norms, whichever are more stringent.

6.2 Advances are stated net of provisions made for Non-Performing Assets except general provisions for Standard Advances.

6.3 In case of sale of financial assets to the Asset Reconstruction Company (ARC)/Securitization Company (SC)/Banks/FIs/NBFCs at a price below the Net Book Value (NBV), i.e. Book Value less Provision held, the shortfall is debited to the Profit and Loss Account and in case of sale at a value higher than the NBV, the excess provision is reversed to Profit and Loss Account in the year in which the amounts are received.

7. परिसर, अन्य अचल आस्तियां और अवमूल्यन

7.1 परिसर और अन्य अचल आस्तियों को, मूल्यह्रास से घटाने के बाद, परंपरागत लागत और/या पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दर्शाया गया है । परिसरों का पुनर्मूल्यांकन, अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य पर हर पाँच वर्ष में किया जाता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त होनेवाली राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

7.2 परिसर पर मूल्यह्रास का प्रावधान सम्मिश्र लागत पर किया गया है, जहाँ जमीन की लागत को अलग नहीं किया जा सकता है । पुनर्मूल्यांकित राशि पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया है।

7.3 स्थिर आस्तियों के सम्बन्ध में अवमूल्यन को लागत या पुनर्मूल्यांकित राशि के संदर्भ में परिकलित किया जाता है, आस्तियों के पुनमूल्यांकित होने की स्थिति में यह लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन की स्थिति में पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप हुए अतिरिक्त अवमूल्यन को तुलन पत्र पर पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि से मुक्त आरक्षित निधि में अंतरित किया जाता है।

7.4 आस्तियों पर अवमूल्यन को, निम्नांकित दरों पर एसएलएम आधार पर प्रकाशित किया जाता है:

(ए) परिसर:	दरें (एस एल एम)
i) मूल बैंक के स्वामित्व वाले (पूर्ण स्वामित्व वाले/पट्टे पर लिए गए) - बिल्डिंग की उपयोगी मियाद 60 वर्ष है।	1.58%
ii) पट्टे पर लिए गए परिसरों के संबंध में पूंजीगत व्यय – जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट नहीं है – जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट है	10% पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित

(बी) अन्य आस्तियाँ:		
क्र. सं.	आस्ति का प्रकार	दरें (एस एल एम)
1.	फर्नीचर व फिटिंग, विद्युत उपकरण –कम्प्यूटर और एटीएम के अलावा	9.50%
2.	यूपीएस	15.83%
3.	अन्य उपकरण	13.57%
4.	इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	20.00%
5.	कम्प्यूटर एवं एटीएम	XX
5. (i)	सर्वर हार्डवेयर, नेटवर्क उपकरण एवं आटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम)	20.00%
5. (ii)	ऊपर 5(i) में उल्लिखित के अतिरिक्त कम्प्यूटर	33.33%
6.	मोटर कार, मोटर साइकिल आदि सहित वाहन	20.00%

7. PREMISES,OTHER FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

7.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and/or revalued value less accumulated depreciation. The premises are revalued every three years at value determined based on the appraisal by approved valuers. Surplus arising at such revaluation is credited to Revaluation Reserve.

7.2 Depreciation on premises has been provided on composite cost wherever cost of land cannot be segregated.

7.3 Depreciation in respect of fixed assets is calculated on with reference to cost or revalued amount, in case of assets revalued and the same is charged to Profit and Loss account. In the case of Revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation reserve to Free Reserve in the Balance Sheet.

7.4 Depreciation on assets in charged on SLM basis as per the rates stated below:

(A) PREMISES:	Rates (SLM)
i) Parent Bank owned (freehold / leasehold) - Useful life of Building is 60 Years	1.58%
ii) Capital Expenditure on premises taken on lease - where lease period is not specified - where lease period is specified	10% Amortised over the residual period of lease

(B) OTHER ASSETS:		
Sl. No.	Type of Asset	Dep. Rate (SLM)
1.	Furniture & Fittings, Electrical Equipments - Other than Computers and ATMs	9.50%
2.	UPS	15.83%
3.	Other Equipments	13.57%
4.	Electronic Equipments	20.00%
5.	Computers and ATMs	XX
5. (i)	Server Hardware, Network Equipments and Automated Teller Machines (ATMs)	20.00%
5. (ii)	Computers other than mentioned at 5 (i) above	33.33%
6.	Vehicles including Motor Car, Motor Cycle etc.	20.00%

7.5 अचल आस्तियों में जोड़ी गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान इसे जोड़े जानेवाली तिथि से किया जाता है।

8. कर्मचारी लाभ

8.1 अल्पकालीन कर्मचारी लाभ:

ए. सेवा प्रदान करने के बारह महीने के भीतर पूर्ण रूप से दिए जाने वाले कर्मचारी लाभ को अल्प कालीन कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित सेवा प्रदान करने की अवधि में निर्धारित किया जाता है।

8.2 दीर्घ कालीन कर्मचारी लाभ

ए. भविष्य निधि के रूप में कर्मचारी लाभ एक निर्धारित अंशदान योजना है और भविष्य निधि हेतु, विकल्प चुननेवाले कर्मचारियों के संबंध में जिस वर्ष में अंशदान देय हैं उस वर्ष में अंशदानों को लाभ एवं हानि खाते में डाला जाता है।

बी. i. जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना के लिए विकल्प चुना है उनके संबंध में पेंशन लाभ एक निर्धारित लाभ की बाध्यता है और उसे 31 मार्च, 2010 तक बैंक में कार्यग्रहण करनेवाले कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष के अंत पर वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

ii. नई पेंशन योजना जो 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक में कार्यग्रहण करनेवाले कर्मचारियों के लिए लागू है, एक पूर्व निर्धारित दर की निर्धारित अंशदान योजना है और बैंक की बाध्यता ऐसे अंशदान तक सीमित है। अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में डाला जाता है।

सी. उपदान देयता एक निश्चित लाभ योजना है और उसे वित्तीय वर्ष के अंत पर किए गए वास्तविक मूल्यांकन पर दिया जाता है। उपदान देयता को बैंक के उपदान न्यास में संचित किया जाता है।

डी. छुट्टी की भुनाई जैसी संचित और क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर दी जाती हैं।

9. राजस्व/व्यय का निर्धारण

ए) राजस्व और व्यय का हिसाब सामान्यतः उपचय के आधार पर किया जाता है, सिवाय म्यूच्युअल फंड संव्यवहारों पर शुल्क/कमीशन, गैर बैंकिंग आस्तियों पर आय, लॉकर किराया,

7.5 Depreciation on any additions to fixed assets is provided on a pro rata basis from the date of such addition.

8. EMPLOYEE BENEFITS

8.1 Short Term Employee Benefits:

a. Employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the service is classified as short term employee benefits and are recognized in the period in which the employee renders the related service.

8.2 Long term Employee Benefits:

a. Employee Benefits in the form of Provident Fund is a Defined Contribution Scheme and the contributions are charged to Profit & Loss Account in the year in which the contributions are due in respect of employees who have opted for Provident Fund.

b. i. In respect of employees who have opted for Pension Scheme, Pension Benefit is a Defined Benefit Obligation and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the Financial Year for the employees who have joined the Parent Bank up to 31st March, 2010. The Pension liability is funded by the Parent Bank to the Pension Fund Trust of the Parent Bank.

ii. New Pension Scheme which is applicable to employees who joined the Parent Bank on or after 1st April, 2010 is a Defined Contribution Scheme at pre-determined rate and the obligation the Parent Bank is limited to such contribution. The Contribution is charged to Profit & Loss Account.

c. Gratuity liability is a Defined Benefit Plan and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the Financial Year. The gratuity liability is funded to the Gratuity Fund Trust of the Parent Bank.

d. Accumulated Compensated absences such as Leave Encashment are provided for based on actuarial valuation.

9. RECOGNITION OF REVENUE/EXPENSES

a) Revenue and expenses are generally accounted for on accrual basis except in respect of fees/commission on transactions with Mutual Funds, income from non-banking

अतिदेय बिलों पर ब्याज/कर वापसी अनर्जक आस्तियों से आय +एसडीआर/एस4ए खातों और दावा दायर खातों पर विधिक व्यय जिनका लेखाकरण नकदी आधार पर किया गया है, के संबंध में।

बी) जब शेयरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है तब उससे प्राप्त आय का लेखाकरण उपचय आधार पर किया जाता है और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

सी) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि का ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार राजस्व मद माना जाता है।

डी) आयातित सोने के सिक्कों की बिक्री से प्राप्त आय का लेखाकरण, सिक्कों की बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में किया जाता है।

ई) प्रतिरक्षा के लिए हस्ताक्षरित व्युत्पन्न लेन-देनों पर ब्याज आय और व्यय का लेखा उपचय आधार पर किया जाता हैं।

एफ) परिचालन पट्टे पर आस्तियों हेतु लिए गए लागत बढ़त सहित पट्टे का भुगतान का निर्धारण आईसीएआई द्वारा जारी एएस.19 (पट्टे) के नियमानुसार पट्टे की अवधि पर लाभ हानि खातों में किया जाता है।

10. आय पर कर

10.1 चालू कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के आधार पर किया जाता है।

10.2 कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच समय का अंतर होने की वजह से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का अभिनिर्धारण आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

11. देशीय जोखिम प्रबंधन

बैंक ने, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार देशीय जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है, तथा निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) द्वारा प्रकाशित देशीय जोखिम श्रेणी वर्गीकरण का पालन कर रहे हैं। सात देशीय जोखिम श्रेणी वर्गीकरण, यानी नगण्य, कम, मध्यम, उच्च, अति उच्च, प्रतिबन्धित, और ऑफ क्रेडिट का प्रकाशन किया जाता है। देशीय जोखिम एक्सपोजर का प्रावधान आर.बी.आई के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि मूल बैंक का प्रत्येक देश से सम्बन्धित देशीय एक्सपोजर (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अनधिक होता है तो ऐसे देशीय एक्सपोजर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है। देशीय जोखिम प्रावधानों (यदि आवश्यक हो तो) तुलन पत्र की अनुसूची 5 में ''अन्य देयताएं एवं प्रावधान'' के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

assets, locker rent, interest on overdue bills/tax refunds, income from non-performing assets, SDR/S4A accounts and legal expenses on suit filed accounts which are accounted for on cash basis.

b) Income from dividend on shares is accounted for on accrual basis when the same is declared and the right to receive the dividend is established.

c) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item as per RBI guidelines.

d) Income from consignment sale of imported gold coins is accounted for as other income after the sale is completed.

e) The Interest Income and Expenditure on Derivatives Transactions entered for hedging is accounted on accrual basis.

f) Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS-19 (Leases) issued by ICAI.

10. TAXES ON INCOME

10.1 Current tax is determined as per the provisions of the Income tax Act, 1961.

10.2 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences between taxable and accounting income, is recognized keeping in view, the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets in accordance with the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

11. COUNTRY RISK MANAGEMENT

The Parent Bank has adopted the Country Risk Management policy in accordance with the RBI guidelines. Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) publishes the Seven Country Risk Category classification, namely, Insignificant, Low, Moderate, High, Very High, Restricted and Off-credit. Provision for country risk exposure is made as per extant RBI Guidelines. If the country exposure (net) of the Parent Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is required on such country exposures. The Country Risk Provision (if required) is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under "Other Liabilities and Provisions".

12. **अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र**

मूल बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर में बढते हुए ऋण जोखिम को रोकने के लिए एक नीति बनाई तथा उसका अनुमोदन किया गया।

13. **आस्तियों की हानि**

आंतरिक/बाह्य तथ्यों के आधार पर हानि की किसी सूचना के लिए हर एक तुलन-पत्र की तिथि पर आस्तियों की वहन राशि का पुनरीक्षण किया जाता है। किसी हानि की पहचान उसी समय हो जाती है जब किसी आस्ति की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है।

14. **निवल लाभ**

निवल लाभ का निर्धारण 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' के अधीन निम्नलिखित मदों को हिसाब में लेने के पश्चात् किया गया है:

– आय कर और संपत्ति कर के लिए प्रावधान
– अनर्जक अग्रिमों और निवेशों के लिए प्रावधान/अपलेखन
– मानक आस्तियों पर प्रावधान
– निवेशों पर मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए समायोजन
– आकस्मिकताओं को अंतरण
– अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान

15. **प्रति शेयर अर्जन**

प्रति शेयर के लिए अर्जन का परिकलन उस अवधि के दौरान बकाया रहनेवाले ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा ईक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि से भाग देकर किया जाता है। ईक्विटी शेयर के लिए कम हुए अर्जन की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्षांत पर बकाया होनेवाले कमतर संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग करके की जाती है।

16. **आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान**

आईसीए कार्ड द्वारा जारी ए एस 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ) के अनुसार मूल बैंक प्रावधान तभी निर्धारित करता है जब इसकी किसी गत घटना के परिणाम स्वरुप वर्तमान में कोई बाध्यता हो, यह संभव है कि बाध्यता को सुलझाने के लिए आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़े और जब बाध्यता राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण तब तक नहीं किया जाता जब तक कि आर्थिक लाभयुक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना दूर हो। आकस्मिक आस्तियाँ वित्तीय विवरण में नहीं निर्धारित की जाती क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप कभी प्राप्त न की जा सकनेवाली लाभ का निर्धारण हो सकता है।

12. **UNHEDGED FOREIGN CURRENCY EXPOSURE**

The Parent Bank has framed and approved a policy for administration of credit risk rising out of Unhedged foreign currency exposures in accordance with extant RBI guidelines.

13. **IMPAIRMENT OF ASSETS**

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date for any indication of impairment based on internal/external factor. An impairment loss is recognised whenever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount.

14. **NET PROFIT**

Net Profit is arrived at after accounting for the following under "Provisions and Contingencies":

- Provision for Income Tax and Wealth Tax
- Provision/Write off of Non-Performing Advances and Investments
- Provision on Standard Assets
- Adjustment for appreciation/depreciation on Investments
- Transfer to Contingencies
- Other usual and necessary provisions.

15. **EARNINGS PER SHARE**

Earnings per Share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the end of the year.

16. **PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS**

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Parent Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

अनुसूची 18: 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ

1. समूह की समेकित वित्तीय विवरणों (सी एफ एस) में सिंडिकेटबैंक (मूल) और निम्नलिखित अनुषंगी एवं सहयोगी संस्थाओं के परिणाम शामिल हैं।

   ए) अनुषंगी:
   सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

   बी) सहयोगी संस्थाएं:
   प्रथमा बैंक
   कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
   आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक

   अनुषंगी और सहयोगी संस्थाओं में निवेश के ब्यौरे:

अनुषंगी	स्वामित्व
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड	100%
सहायक संस्थाएं	
प्रथमा बैंक	35%
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	35%
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक	35%

2. **अनुषंगी और सहयोगी संस्थाओं का वित्तीय विवरण**

   (ए) अनुषंगी/सहयोगियों की वित्तीय विवरण अनुषंगी की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और सहयोगियों की गैर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण मूल के रिपोर्टिंग तिथि भी उसी तारीख तक के लिए बनाई गई है जिस तारीख तक की मूल की है यानि 31 मार्च, 2017.

   (बी) मूल बैंक द्वारा द्वितीय वर्ष के लिए अनुसरण और सहयोगी संस्थाएं अवलिखित मूल पद्धति के तहत मूल्यहास को उपलब्ध कराया है।

   (सी) कर्मचारी के लाभ के संबंध में मूल बैंक द्वारा अनुसरण की जानेवाली बीमांकित मूल्यहास के बदले सहयोगी संस्थाएं भारतीय जीवन बीमा निगम की किए गए अंशदान को लाभ/हानि लेखा में प्रभारित करता है।

   (डी) एनपीए खाते में वसूली के विनियोजन के संबंध में मूल बैंक द्वारा अनुसरण की जानेवाली वसूली में लागत, मूलधन और ब्याज की तुलना में सहयोगी संस्थाएं सर्व प्रथम लागत, ब्याज और मूलधन की वसूली को समायोजित करती है।

   चालू वर्ष के लिए व्यावहारिकता/भौतिकत्व को विचार करते हुए समेकित वित्तीय विवरणी की तैयारी में उपर्युक्त नीतियों की भिन्नता के लिए उचित समायोजन नहीं किया गया है।

   (ई) पूर्व वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सहायक संस्थाओं के राजस्व आरक्षित निधि के समेकन में परिवर्तन लेखापरीक्षित एवं बिना लेखापरीक्षित लाभ होने पर उसकी तुलनात्मक अंतर के कारण हुए परिवर्तन शामिल है।

3. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अनुषंगी के लेखे, कंपनी अधिनियम 2013 से संबंधित उपबंध के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के टिप्पणियों पर निर्भर है।

4. **पूंजी**

ए. बासेल III के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	**7.50**	7.01
ii) टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	**9.26**	7.75
iii) टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	**2.77**	3.41
iv) कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	**12.03**	11.16
v) भारत सरकार के शेयर धारण की प्रतिशतता	**72.92**	65.17
vi) जुटाई गई ईक्विटी पूंजी की राशि (शेयर प्रीमियम सहित)	**776.00**	956.93
vii) जुटाई गई अतिरिक्त टियर। पूंजी, जिसमें;		
– पी.एन.सी.पी.एस.	**0.00**	0.00
– पी.डी.आई.	**0.00**	0.00
– अतिरिक्त टियर–1 बाँड	**1,930.00**	870.00
viii) जुटाई गई टियर 2 पूंजी, जिसमें;		
– ऋण पूंजी लिखत	**0.00**	1,750.00
– अधिमानी शेयर पूंजी लिखत (बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पी.सी.पी.एस.)/प्रतिदेय असंचयी अधिमानी शेयर (आर.एन.सी.पी.एस./प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आर.सी.पी.एस.)	**0.00**	0.00

नोट: दि. 31.03.2017 की स्थिति में बासेल II के सिद्धांतों के अनुसार मूल बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.52 प्रतिशत है जबकि दि. 31.03.2016 की स्थिति में यह 11.68 प्रतिशत था।

SCHEDULE – 18: Notes on Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2017

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the group comprises the results of SyndicateBank (Parent) and the following subsidiary and Associates.

   a) Subsidiary:
   Syndbank Services Limited

   b) Associates:
   Prathama Bank
   Karnataka Vikas Grameena Bank
   Andhra Pragathi Grameena Bank

Particulars of investments in Subsidiary and Associates

Subsidiary	Ownership
Syndbank Services Limited	100%
Associates :	
Prathama Bank	35%
Karnataka Vikas Grameena Bank	35%
Andhra Pragathi Grameena Bank	35%

2. **Financial Statements of the Subsidiary /Associates:**

   a. The Audited financial statement of Subsidiary and unaudited financial statements of the Associates have been drawn up to the same reporting date as that of parent i.e. March 31, 2017.

   b. The Subsidiary & Associates have provided depreciation under Written-Down Value method as against Straight Line Method being followed by the Parent Bank for the financial year.

   c. In respect of employee benefits, Associates are charging contributions made to LIC of India to Profit & Loss Account as against actuarial valuation followed by the Parent Bank.

   d. In respect of appropriation of recoveries in NPA accounts, Associates adjust the recovery first towards cost, Interest and principal as against cost, principal and interest being followed by the Parent Bank.

   Appropriate adjustments for the above differences in the policies have not been made in preparation of consolidated financial statements for the current year considering practicality/materiality.

   e. Change in Revenue reserve on consolidation of Associates includes changes due to variation in audited vis-à-vis unaudited profits if any, in respect of the previous financial year.

3. The accounts of the subsidiary for the year ended March 31, 2017 are subject to the comments of the Comptroller and Auditor General of India under relevant provisions of the Companies Act, 2013.

4. **CAPITAL**

   a. Capital Adequacy Ratio as per Basel-III (₹ in crores)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i) Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	**7.50**	7.01
ii) Tier 1 Capital Ratio (%)	**9.26**	7.75
iii) Tier 2 Capital Ratio (%)	**2.77**	3.41
iv) Total Capital Ratio (CRAR) (%)	**12.03**	11.16
v) Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	**72.92**	65.17
vi) Amount of equity capital raised (Including Share Premium)	**776.00**	956.93
vii) Amount of Additional Tier 1 Capital raised; of which		
- PNCPS	**0.00**	0.00
- PDI	**0.00**	0.00
- Additional Tier 1 Bonds	**1,930.00**	870.00
viii) Amount of Tier 2 Capital raised; of which		
- Debt Capital Instrument	**0.00**	1,750.00
- Preference Share Capital Instruments (Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	**0.00**	0.00

Note: The Capital Adequacy Ratio of the Parent Bank as on 31-03-2017 as per Basel - II norms is 12.52% and as on 31-03-2016 it was 11.68%.

बी. वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने भारत सरकार को, ₹10/- अंकित मूल्य के 10,60,39,901 ईक्विटी शेयरों को ₹63.18 प्रीमियम में अधिमानी आधार पर आबंटित किया गया जिसकी कुल राशि ₹775,99,99,955 है। तदनुसार, भारत सरकार के शेयरधारण की प्रतिशतता 31.03.2017 को 72.92% हो गया।

5. निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1) निवेश का मूल्य		
(i) निवेश का सकल मूल्य		
(ए) भारत में	**64,766.42**	68,285.58
(बी) भारत के बाहर	**1,313.77**	775.37
(ii) मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान		
(ए) भारत में	**614.79**	439.09
(बी) भारत के बाहर	**0.00**	0.00
(iii) निवेश का निवल मूल्य		
(ए) भारत में	**64,151.63**	67,846.49
(बी) भारत के बाहर	**1,313.77**	775.37
2) निवेश के मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधान का संचलन		
(i) प्रारंभिक शेषराशि	**439.09**	218.20
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**262.06**	220.89
(iii) घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	**86.36**	0.00
(iv) **इतिशेष**	**614.79**	439.09

(विदेशी निवेशों को पहले ब्रिटिश पाउंड के समतुलन में और बाद में ब्रिटिश पाउंड के लिए लागू फेडाई दर पर भारतीय रुपए में परिवर्तित किया जाएगा।)

5.1 रेपो लेन-देन (अंकित मूल्य की शर्तों के अनुसार) (₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दि.31.03.2017 को इतिशेष
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
(i) चलनिधि समायोजन रेपो सुविधा हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	208.00 (104.00)	1,250.08 (603.20)	511.01 (532.10)	0.00 (0.00)
(ii) सीमांत स्थाई सुविधा	936.00 (208.00)	1,560.00 (286.00)	1,248.00 (247.00)	0.00 (0.00)
(iii) मियादी रेपो हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	208.00 (16.64)	6,448.00 (8,515.52)	3,328.00 (4,146.45)	0.00 (6,189.04)
(iv) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(v) सीआरओएमएस उधार	987.59 (60.00)	987.59 (1,122.33)	987.59 (428.99)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
(i) चलनिधि समायोजन रिवर्स रेपो सुविधा हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	67.60 (52.00)	4,004.00 (5,616.00)	633.55 (562.14)	1,144.00 (3,744.00)
(ii) मियादी रिवर्स रेपो हेतु सरकारी प्रतिभूतियाँ	10.40 (62.40)	18,978.96 (21,320.00)	4,252.53 (7,821.19)	3,120.00 (0.00)
(iii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv) सीआरओएमएस उधार	97.55 (25.23)	9,496.95 (7,952.36)	2,964.29 (2,172.57)	3,006.97 (2,393.14)

(कोष्ठक में मौजूद आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

उपर्युक्त आंकड़ों में मार्जिन सम्मिलित है यानि सीआरओएमएस उधार को छोड़कर उधार देते समय गिरवी रखे गए/प्राप्त प्रतिभूतियों का मूल्य उधार की राशि का 104% होगा ।

b. During the year, the Parent Bank has allotted on preferential basis 10,60,39,901equity shares of face value of ₹10 each at a premium of ₹63.18 aggregating ₹775,99,99,955 to the Government of India. Consequently the Government of India shareholding is at 72.92% as on 31.03.2017.

5. INVESTMENTS (₹ in crores)

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
1) Value of Investments		
i) Gross Value of Investments		
a) In India	**64,766.42**	68,285.58
b) Outside India	**1,313.77**	775.37
ii) Provisions for Depreciation and NPI		
a) In India	**614.79**	439.09
b) Outside India	**0.00**	0.00
iii) Net Value of Investments		
a) In India	**64,151.63**	67,846.49
b) Outside India	**1,313.77**	775.37
2) Movement of provisions held towards depreciation on Investments		
i) Opening balance	**439.09**	218.20
ii) Add: Provisions made during the year	**262.06**	220.89
iii) Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year	**86.36**	0.00
iv) **Closing balance**	**614.79**	439.09

(Outside India Investments are converted to GBP equivalent and then converted to INR at FEDAI rates of GBP Currency.)

5.1 Repo Transactions (in face value terms) (₹ in crores)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Closing Balance as on 31-03-2017
Securities sold under Repo				
(i) Government Securities for Liquidity Adjustment Facility Repo	208.00 (104.00)	1,250.08 (603.20)	511.01 (532.10)	0.00 (0.00)
(ii) Marginal Standing Facility	936.00 (208.00)	1,560.00 (286.00)	1,248.00 (247.00)	0.00 (0.00)
(iii) Government Securities for Term Repo	208.00 (16.64)	6,448.00 (8,515.52)	3,328.00 (4,146.45)	0.00 (6,189.04)
(iv) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(v) CROMS Borrowing	987.59 (60.00)	987.59 (1,122.33)	987.59 (428.99)	0.00 (0.00)
Securities purchased under Reverse Repo				
(i) Government Securities for Liquidity Adjustment Facility Reverse Repo	67.60 (52.00)	4,004.00 (5,616.00)	633.55 (562.14)	1,144.00 (3,744.00)
(ii) Government Securities for Term Reverse Repo	10.40 (62.40)	18,978.96 (21,320.00)	4,252.53 (7,821.19)	3,120.00 (0.00)
(iii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv) CROMS Lending	97.55 (25.23)	9,496.95 (7,952.36)	2,964.29 (2,172.57)	3,006.97 (2,393.14)

(Figures in brackets are previous year figure)

The above figures are inclusive of margin i.e. while borrowing / lending the value of the securities pledged / received will be 104% of the amount borrowed / lent excluding CROMS Lending/Borrowings.

5.2. गैर एस.एल.आर. निवेश संविभाग

i) दि. 31.03.2017 को गैर एस.एल.आर. निवेशों के जारीकर्तावार संरचना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	रकम	प्राइवेट नियोजन की मात्रा	"निम्न निवेश श्रेणी" प्रतिभूतियों की मात्रा	"अनिर्धारित" प्रतिभूतियों की मात्रा	"असूचीबद्ध" प्रतिभूतियों की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
(i)	सा.क्षे.उ.	1,875.35 (3,926.63)	930.00 (1,291.33)	0.00 (187.50)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ (एन बी एफ सी सहित)	1,317.33 (1,329.03)	726.32 (837.46)	38.69 (81.04)	0.39 (0.88)	0.39 (0.88)
(iii)	बैंक	1,332.64 (2,235.77)	243.51 (418.30)	642.91 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	निजी कॉरपोरेट	2,779.91 (2,255.06)	2,076.27 (1,674.62)	207.36 (189.38)	0.02 (0.02)	0.02 (0.02)
(v)	सहयोगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम	26.52 (26.52)	26.52 (26.52)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vi)	अन्य	102.39 (35.00)	35.00 (35.00)	67.38 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vii)	मूल्यहास के प्रति रखा गया प्रावधान	614.79 (439.09)	***	***	***	***
	कुल*	**6,819.35** (9,368.92)	**4,037.62** (4,283.23)	**956.34** (457.92)	**0.41** (0.90)	**0.41** (0.90)

(कोष्ठक में मौजूद आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

नोट: (1) कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य नहीं है।

(2) ईक्विटी, ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड, उद्यम पूँजी, दरांकित आस्ति द्वारा समर्थित प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ और प्रतिभूति रसीद इन श्रेणियों के अंतर्गत पृथक नहीं किया गया है, क्योंकि इन्हें दरांकित/सूचीकृत दिशानिर्देशों से छूट प्राप्त है। पुन:संरचना के अंतर्गत जारी प्रतिभूतियाँ दरांकन के पात्र नहीं हैं।

ii) अनर्जक गैर एस.एल.आर. निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017			31.03.2016		
	देशी	लंदन	कुल	देशी	लंदन	कुल
प्रारंभिक शेष	**389.21**	**0.00**	**389.21**	282.38	0.00	282.38
वर्ष के दौरान परिवर्धन 01 अप्रैल से	**268.78**	**0.00**	**268.78**	106.83	0.00	106.83
उपरोक्त अवधि के दौरान कमी	**87.41**	**0.00**	**87.41**	-	0.00	-
इतिशेष	**570.58**	**0.00**	**570.58**	389.21	0.00	389.21
रखे गए कुल प्रावधान	**370.55**	**0.00**	**370.55**	288.05	0.00	288.05

नोट: *निवेश के रुपया मूल्यांकन में जो वृद्धि/कमी हुई है उसका कारण मुद्रा दरों/आई.एन.आर. दरों में उतार-चढ़ाव से है।

iii) *एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री और अंतरण*

प्रतिभूतियों की बिक्री और एच.टी.एम. श्रेणी को/से उनका अंतरण का मूल्य भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में एच.टी.एम. श्रेणी (छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर) में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

iv) एसजीएल उछाल

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान एस.जी.एल. का कोई उछाल नहीं था।

5.3 एचटीएम वर्ग से प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ की राशि ₹196,49,66,264 (पिछली वर्ष ₹73,63,68,167) को लाभ एवं हानि लेखा में लिया गया और तदनंतर पूँजी आरक्षित खाते में (कर एवं सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरण को घटाकर) विनियोजन किया गया है।

5.4 एच.टी.एम. वर्ग की प्रतिभूतियों पर प्राप्त परिशोधन प्रभार ₹130,33,21,707 (पिछले वर्ष ₹96,94,09,766.59) को लाभ एवं हानि लेखा में नामे डाल दिया गया है और वह, भा.रि.बैं. मास्टर परिपत्र के अनुसर अर्जित ब्याज: मद सं II - निवेश पर आय में कटौती के रूप में अनुसूची-13 में प्रतिबिंबित होता है।

6. व्युत्पन्न

6. ए वायदा दर करार/ब्याज दरों की अदला-बदली/ पारस्परिक मुद्रा की अदला-बदली

- ***वायदा दर करार और ब्याज दर अदली-बदली***

वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2014-15 के दौरान बैंक ने यूएसडी 1400.00 मिलियन के स्थिर ब्याज दर एमटीएन निधि को 3 हिस्से में संचयी करके 5½ वर्ष के लिए बढ़ाया है। बैंक ने 1265 मिलियन डॉलर (यूएसडी) के लिए मध्यम अवधि नोटों पर लागू स्थाई ब्याज दर को लिबॉर से जुड़ी अस्थाई दर में परिवर्तित करने के लिए ब्याज दर स्वैप सुविधा अपनाया है।

5.2 Non-SLR Investment Portfolio

i) Issuer composition of Non-SLR investments as on 31.03.2017

(₹ in crores)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of "Below Investment Grade" Securities	Extent of "Unrated" Securities	Extent of "Unlisted" Securities
1	2	3	4	5	6	7
(i)	PSUs	1,875.35 (3,926.63)	930.00 (1,291.33)	0.00 (187.50)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	Financial Institutions (including NBFCs)	1,317.33 (1,329.03)	726.32 (837.46)	38.69 (81.04)	0.39 (0.88)	0.39 (0.88)
(iii)	Banks	1,332.64 (2,235.77)	243.51 (418.30)	642.91 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	Private Corporates	2,779.91 (2,255.06)	2,076.27 (1,674.62)	207.36 (189.38)	0.02 (0.02)	0.02 (0.02)
(v)	Subsidiaries / Joint Ventures	26.52 (26.52)	26.52 (26.52)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vi)	Others	102.39 (35.00)	35.00 (35.00)	67.38 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vii)	Provision held towards depreciation	614.79 (439.09)	***	***	***	***
	TOTAL *	**6,819.35** (9,368.92)	**4,037.62** (4,283.23)	**956.34** (457.92)	**0.41** (0.90)	**0.41** (0.90)

(Figures in brackets are previous year figure.)

Note: 1. Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

2. Investment in Equities, Equity Oriented Mutual Funds, Venture Capital, Rated Assets backed Securities, Central Government Securities, and Security Receipts are not segregated under these categories as they are exempt from ratings / listing guidelines. Securities issued under restructuring are not subjected to ratings.

ii) *Non-performing Non-SLR Investments* (₹ in crores)

Particulars	31-03-2017			31-03-2016		
	Domestic	London	Total	Domestic	London	Total
Opening balance	**389.21**	**0.00**	**389.21**	282.38	0.00	282.38
Additions during the year since 1st April	**268.78**	**0.00**	**268.78**	106.83	0.00	106.83
Reduction during the above period	**87.41**	**0.00**	**87.41**	-	0.00	-
Closing balance	**570.58**	**0.00**	**570.58**	389.21	0.00	389.21
Total provisions held	**370.55**	**0.00**	**370.55**	288.05	0.00	288.05

Note: * Appreciation/Reduction in rupee valuation of Investments include fluctuation in currency rates /INR rates.

(iii) Sale and transfers to / from HTM category

The value of sales and transfers of securities to / from HTM category does not exceed 5 percent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

(iv) SGL Bouncing

There was no instance of SGL bouncing during the financial year 2016-17.

5.3 Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to ₹196,49,66,264 (Previous Year ₹73,63,68,167) has been taken to Profit and Loss Account and thereafter appropriated towards Capital Reserve Account (net of taxes and transfer to Statutory Reserve).

5.4 The amortization charges of ₹130,33,21,707 (Previous Year ₹96,94,09,766.59) on the HTM category of securities is debited to Profit and Loss Account and reflected in Schedule - 13, Interest Earned: Item II – Income on Investments as a deduction as per RBI Master Circular.

6. DERIVATIVES

6.A Forward Rate Agreements / Interest Rate Swap / Cross Currency Swaps

- **Forward Rate Agreement and Interest Rate Swaps**

During the financial years 2011-12, 2012-13 and 2014-15, Parent Bank had raised Fixed Interest rate MTN funds in 3 tranches cumulating to USD 1400.00 Mio for 5 ½ Years.

Parent Bank had entered into Interest Rate Swaps for USD 1265 Mio for converting the Fixed Interest Rates on Medium Term notes with the floating rates linked to Libor.

वर्ष 2016-17 के दौरान यूएसडी 500 मिलियन के मध्यम अवधि नोटों का पहला हिस्सा परिपक्व हुआ है, और इसकी पुनर्भुगतान की गई है। साथ यूएसडी 365.00 मिलियन के ञब्याज दर स्वैपछ का निपटान किया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	31-03-2017	31-03-2016
i)	अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	**6,614.70**	9,043.81
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रतिपक्षकार विफल होती हैं तो, होने वाली हानि	**120.93**	1.80
iii)	अदला-बदली में प्रवेश होने पर मूल बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**0.00**	0.00
iv)	अदला-बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	**0.00**	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	**58.67**	1.80

नोट: किये गए सभी वायदा करार दर और ब्याज दर अदला-बदली प्रतिपक्षी बैंकों के परिप्रेक्ष में है ताकि तुलनपत्र के अंतर की प्रतिरक्षा की जा सके।

- ***मुद्रा अदला-बदली***

मुद्रा अदला-बदली सुविधा व्यापारियों को दी जाती है और यह अंतर-बैंक प्रतिक्षाकार के साथ परस्पर आधार पर संरक्षित की जाती है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मदें	31-03-2017	31-03-2016
i)	अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	**654.25**	28.68
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रतिपक्षकार विफल होता हैं तो, उठाई जाने वाली हानि	**29.49**	4.64
iii)	अदला-बदली में प्रवेश होने पर मूल बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**0.00**	0.00
iv)	अदला-बदली से बढ़नेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	**0.00**	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	**2.08**	0.04

(1) हानियों को कुल ऋण निवेश के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें वर्तमान ऋण निवेश (संभाव्य भावी निवेश और प्रतिस्थापन जोखिम (सकारात्मक एमटीएम) भी शामिल हैं ।

(2) अदला-बदली बही का उचित मूल्य उपर्युक्त अदला-बदली पर प्राप्य और देय को घटाकर है।

(3) वायदा दर करार (एफ.आर.ए.) और ब्याज दर अदला-बदली (आई.आर.एस.) को अपनी बहियों को बचाने के लिए तथा आस्ति और देयता अंतर से बचने के लिए किया गया है । मुद्रा अदला-बदली को ग्राहकों के निवेशों को बचाने के लिए किया गया है और उन्हीं शर्तों पर बैक-टु-बैक आधार पर कवर किया गया है ।

(4) इन व्युत्पन्न लेन-देनों को उन प्रतिपक्षकारों के साथ किया गया है जो ऋण और राजकोषीय नीतियों की पूर्ति करती हैं । बोर्ड द्वारा अनुमोदित इन नीतियों में ऋण और बाजार जोखिमों के प्रबंधन और अनुप्रवर्तन से संबंधित विभिन्न मानदण्डों/सीमाओं का उल्लेख किया गया है ।

(5) व्युत्पन्नों की लेखाकरण नीति को भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है । उक्त नीति के ब्यौरे अनुसूची-17- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 2016-17 में प्रस्तुत हैं ।

6. बी विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न

मुद्रा वायदा:

मूल बैंक तीन विनिमयों पर यू.एस.डॉलर/भारतीय रुपयों में मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है। दि. 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदे के अंतर्गत कोई बकाया नहीं है।

ब्याज दर वायदा:

विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न शून्य है। मूल बैंक विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न में लेन-देन नहीं कर रहा है।

क्रम सं.	विवरण	(₹ करोड़ में)
i)	वर्ष के दौरान किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित मूल धन राशि (लिखतवार)	शून्य
ii)	दि. 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित बकाया मूलधन राशि (लिखतवार)	
iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार के लिए निर्दिष्ट मूल्य जो ''अत्यंत प्रभावकारी'' नहीं है। (लिखतवार)	
iv)	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का बकाया बाजार-दर-बाजार मूल्य और ''अत्यंत प्रभावकारी'' नहीं है। (लिखतवार)	

During the year 2016-17,Tranche -I of USD 500.00 Mio of Medium Term Notes were matured and repaid and also the Interest Rate Swaps of USD 365.00 Mio were settled.

(₹ in crores)

Sl. No.	Items	31-03-2017	31-03-2016
i)	The notional principal of swap agreements	**6,614.70**	9,043.81
ii)	Losses which would be incurred if the counter parties fail to fulfil their obligations under the agreements	**120.93**	1.80
iii)	Collateral required by the Parent bank upon entering into swaps	**0.00**	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	**0.00**	0.00
v)	The fair value of the swap book	**58.67**	1.80

Note: All Forward Rate Agreements and Interest Rate Swaps undertaken are against counterparty Banks to hedge Balance Sheet gaps.

- ***Currency Swaps***

Currency Swaps was offered to Merchant and covered on Back-to-Back basis with Interbank Counterparty.

(₹ in crores)

Sl. No.	Items	31-03-2017	31-03-2016
i)	The notional principal of the swap agreements	**654.25**	28.68
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	**29.49**	4.64
iii)	Collateral required by the Parent bank upon entering the swap	**0.00**	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	**0.00**	0.00
v)	The fair value of the swap book	**2.08**	0.04

(1) Losses have been defined as Total Credit Exposure which is inclusive of Current Credit Exposure (Potential Future Exposure) and Replacement Risk (Positive MTM).

(2) Fair Value of Swaps book is the Net of MTM receivable and Payable on the above Swaps.

(3) Forward Rate Agreement (FRA's) and Interest Rate Swaps (IRS's) were undertaken by the Parent Bank to hedge its own books and for managing assets and Liabilities mismatches. Currency Swap has been undertaken with customer for hedging their exposures and covered back-to-back with identical terms.

(4) These Derivatives transactions are entered with counterparties satisfying the criteria as prescribed by the Credit and Treasury Policies. These Board approved policies prescribe various parameters/limits to manage and monitor Credit and Market Risks.

(5) The Accounting Policy for Derivatives has been drawn up in accordance with the RBI guidelines, the details of which are presented under Schedule 17 –Significant Accounting Policies 2016-17.

6.B Exchange Traded Interest Rate Derivatives

Currency Futures:

The Parent Bank is undertaking proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on the three Exchanges.There is no Outstanding Contracts under Currency future as at 31-03-2017.

Interest Rate Future:

Exchange Traded Interest Rate Derivative is NIL. The Parent Bank is not dealing in Exchange Traded Interest Rate Derivatives.

Sl. No.	Particulars	(₹ in Crores)
i)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	NIL
ii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding as on March 31, 2016 (instrument-wise)	
iii)	Notional principal amount of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	
iv)	Marked-to-Market value of Exchange Traded Interest Rate Derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	

6. सी. व्युत्पन्नों में जोखिम निवेशों का प्रकटीकरण

ए) *गुणात्मक प्रकटीकरण*

- ✓ व्युत्पन्न लेन-देन करने के लिए बैंक के पास अच्छी खासी नीति है जो मूल बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।
- ✓ मूल बैंक अपने तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार/बाजार को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। मूल बैंक और बैंकेतर प्रतिपक्षकारों के साथ एफ.आर.ए., ब्याज दर की अदला-बदली, मुद्रा की अदला-बदली, तथा मुद्रा विकल्प जैसे व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। मूल बैंक केवल विनिमय दर मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है।
- ✓ पिछली निष्पादन श्रेणी के अंतर्गत वायदा संविदा को सिंड-01- सिंड-04 के अंतिम निर्धारण के साथ तथा भा.रि. बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही ग्राहकों के लिए बुक किया जाता है।
- ✓ वर्ष के दौरान मूल बैंक ने लंदन शाखा की देयताओं के लिए बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु ब्याज दर अदला-बदली और एफ.आर.ए. किया है।
- ✓ मूल धन और ब्याज समर्थक लेन-देन दोनों को परस्पर मुद्रा अदला-बदली में शामिल किया गया है। इस प्रकार किसी लागत को शामिल किए बिना विनिमय दर जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम दोनों को प्रतिरक्षा प्रदान किया गया है।
- ✓ परस्पर मुद्रा अदला-बदली को 10 वर्षों तक की अवधि के लिए किया गया जिसमें किसी प्रकार के जोखिम के बिना उसी प्रकार के समर्थक लेन-देन शामिल किए गए हैं।
- ✓ केवल गैर-बैंक प्रतिपक्षकार के लिए मुद्रा अदला-बदली लेन-देन किया गया। जिनका श्रेणी निर्धारण सिंड-01 से सिंड-04 है ।
- ✓ मूल बैंक ने व्युत्पन्न से जुड़ी जोखिमों का निर्धारण करने के लिए समुचित नियंत्रण प्रणाली और एमआईएस को अपनाया है ।
- ✓ मूल बैंक में प्रतिपक्षकारों की ऋण जोखिम सीमाओं की निरंतर निगरानी तथा मूल्यांकन की प्रणाली है ।
- ✓ व्युत्पन्न लेन-देनों से संबंधित ऋण जोखिमों की निगरानी चालू ऋण जोखिम पद्धति (सीईएम) के आधार पर की जा रही है।
- ✓ ऋण जोखिम की निगरानी काउँटर पार्टी निवेश सीमाएं निर्धारित करके, देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम निर्धारित करके और सीसीआईएल/सीएलएस के माध्यम से निपटान संबंधी जोखिम को कम करके की जाती है ।
- ✓ प्रतिपक्षकारों, बैंकों और बैंकेतर ग्राहकों के साथ संचालनों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर किया जाता है। गैर बैंक ग्राहकों के साथ लेन-देनों को पृष्ठाधान रक्षा के आधार पर बाज़ार जोखिम उठाए बिना किया जाता है।
- ✓ मूल बैंक के पास सम्मिश्र व्युत्पन्न के अंतर्गत न ही कोई निवेश है और न ही उनके पास न्यून-ब्याजदर वाली आस्तियों के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष निवेश है ।
- ✓ मूल बैंक ने न तो किसी लेखे का क्रिस्टलीकरण और अपलेखन किया है और न ही व्युत्पन्न लेन-देन से कोई हानि उठाई है।
- ✓ ब्याज संबंधी विवाद को रोकने तथा जोखिम की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस को अलग-अलग कर दिया गया है। मिड ऑफिस, कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु में स्थित जोखिम प्रबंधन विभाग को सीधा रिपोर्ट करता है।
- ✓ भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रतिपक्षकार बैंक और गैर-बैंक ग्राहक के साथ आई.एस.डी.ए. करार निष्पादित/विनिमय करता है।
- ✓ मिड ऑफिस, व्यापार लेन-देन से उत्पन्न होनेवाली जोखिम का स्वतंत्र रूप से निगरानी एवं आकलन किया जाता है।
- ✓ संचालनों को निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. द्वारा संस्वीकृत समग्र कुल सीमा और कुल दिनों की खुली स्थिति सीमा के भीतर किया जाता है।
- ✓ प्रतिरक्षा हेतु किया गया कोई भी लेन-देन, यदि असुरक्षित हो जाता है तो उसे व्यापार लेन-देन समझा जाता है और उसे परिपक्वता तक चालू रखा जाता है।
- ✓ लेन-देनों को प्रतिरक्षा या गैर-प्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में अलग से वर्गीकृत किया गया है और उसे उचित मूल्य पर आंका गया है।
- ✓ बैक-टू-बैक आधार पर किए गए लेन-देन और बैंक की आस्ति एवं देयता के जोखिम की प्रतिरक्षा का मूल्यांकन निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के द्वारा किया जाता है तथा ब्याज का लेखांकन उपचयन आधार पर होता है।
- ✓ प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु किए गए उन सभी लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जो असुरक्षित हो जाते हैं और बाज़ार के लिए अंकित हानि हो जाती है । फिर भी अवधि के दौरान कोई प्ररिरक्षा लेन-देन असुरक्षित नहीं हुआ है।
- ✓ विपणन उद्देश्य हेतु किए गए लेन-देनों को मासिक आधार पर बाजार के लिए अंकित किया जाता है और प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु रखे गए लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है ।
- ✓ मंजूरी की शर्तों के अनुसार संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं।
- ✓ 85.46% व्युत्पन्न, शेष परिपक्वता की एक वर्ष से कम अवधि के अंतर्गत आते हैं।

6.C Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

a) Qualitative Disclosure

- ✓ The Parent Bank has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- ✓ The Parent Bank is undertaking derivative transactions for hedging risks on its Balance Sheet as well as for trading / market-making purposes. Parent Bank is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest rate swaps, Currency swaps and Currency Options, with bank and Non-bank Counterparties. The Parent Bank is only undertaking proprietary trading position in Currency Futures on two Exchanges.
- ✓ Forward contracts under past performance category are booked for clients with Rating SYND 01 - SYND 04 only and on complying with RBI guidelines.
- ✓ During the year Parent Bank undertook Interest Rate Swaps and FRA for hedging Purpose to Mitigate Interest Rate Risk in Banking Book for Liabilities at London Branch.
- ✓ Cross Currency swaps are undertaken for both principal and interest, back-to-back, thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.
- ✓ Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 10 years, covering the same back-to-back without any open position.
- ✓ Currency swaps are undertaken for non-bank counterparty with ratings SYND 01 to 04 only.
- ✓ The Parent Bank has set in place appropriate control system to assess the risks associated with Derivatives and MIS in place to monitor the same.
- ✓ The Parent Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of Credit Risk limits of counter-parties.
- ✓ Credit exposures for derivative transactions are monitored on the basis of Current Exposure Method (CEM).
- ✓ Credit Risk is monitored by setting up counterparty exposure limits setting country risk exposure limits and mitigating settlement risk through CCIL / CLS.
- ✓ The transactions with our Counterparty Banks and non-bank counterparty are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counterparties are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- ✓ The Parent Bank is neither having any exposure in complex derivatives nor it has any direct exposure to the sub-prime assets.
- ✓ The Parent Bank has neither crystallized and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking derivative transactions.
- ✓ The segregation of Front Office, Mid Office and Back Office is ensured to avoid conflict of interests and to mitigate the degree of risk. The Mid Office is directly reporting to Risk Management Department at Corporate Office, Bangalore.
- ✓ ISDA agreements are executed / exchanged with every counterparty banks and non-bank clients as per RBI guidelines.
- ✓ Mid Office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.
- ✓ The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits and Net Overnight Open position limits sanctioned by the Board / RBI.
- ✓ Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- ✓ The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- ✓ The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Parent Bank assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- ✓ Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which became naked resulting in mark-to-market losses. However during the period no Hedge Transaction turned naked.
- ✓ Transactions for market making purposes are marked-to-market at monthly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.
- ✓ Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.
- ✓ 85.46% of Derivatives fall under the short tenure of less than one year of remaining Maturity.

बी) दि. 31.03.2017 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2017		31.03.2016	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1.	व्युत्पन्न (काल्पनिक मूल राशि)				
	ए) प्रतिरक्षा के लिए	654.25	6,614.70	28.68	9,043.81
	बी) व्यापार के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	बाजार स्थितियों को अंकित				
	ए) आस्तियाँ (+)	9.87	58.67	4.64	1.80
	बी) देयताएँ (–)	7.79	0.00	4.60	0.00
3.	ऋण निवेश	29.49	120.93	5.21	76.84
4.	ब्याज दरों में 1% परिवर्तन होने से होनेवाला प्रभाव (100* पीवीओ 1)				
	ए) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न	-0.02	43.13	0.15	8.63
	बी) व्यापार व्युत्पन्न	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	वर्ष के दौरान पाया गया 100* पीवीओ 1 का अधिकतम एवं न्यूनतम				
	ए) प्रतिरक्षा पर				
	न्यूनतम	--	--	--	--
	अधिकतम	--	--	--	--
	बी) व्यापार पर				
	न्यूनतम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अधिकतम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

6.डी ऋण चूक अदला बदली

वित्तीय वर्ष के दौरान मूल बैंक ने ऋण चूक अदला बदली में व्यापार नहीं किया है।

6.ई आरबीआई के साथ एफसीएनआर बी जमा की अदला–बदली

वर्ष 2013 में आरबीआई से 3 वर्ष की अवधि के लिए नई एफसीएनआर बी जमा के लिए स्वीकृत मुद्रा में 3 या उससे अधिक वर्षों की अवधि के लिए, एक यूएस डॉलर रियायती अदला–बदली खिड़की उपलब्ध कराई गई है।

मूल बैंक इस अवधि के दौरान आरबीआई के साथ यूएसडी 70.00 मिलियन डॉलर की अदला–बदली की है। यह अदला बदली आरबीआई के साथ बाज़ार की तुलना रियायती दरों पर की गई है। मूल बैंक ने संपूर्ण अदला–बदली अवधि के दौरान बिक्री/खरीद अदला–बदली प्रीमियम के परिशोधन को आरबीआई द्वारा यथा प्रस्तावित प्रदान किया है।

7. आस्ति गुणवत्ता

ए) अनर्जक आस्ति (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31-03-2016
(i) निवल अग्रिमों की निवल अनर्जक आस्ति (%)	5.21%	4.48%
(ii) (सकल) अनर्जक आस्तियों का संचलन		
ए. प्रारंभिक शेष राशि	13,832.16	6,442.38
बी. वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	8,137.95	12,200.54
सी. वर्ष के दौरान कटौती	4,360.80	4,810.76
डी. इतिशेष	17,609.31	13,832.16
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों का संचलन		
ए. प्रारंभिक शेष राशि	9,014.87	3,843.65
बी. वर्ष के दौरान परिवर्धन	4,522.41	8,380.38
सी. वर्ष के दौरान कटौती	3,126.30	3,209.16
डी. इतिशेष	10,410.98	9,014.87
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को छोड़कर)		
ए. प्रारंभिक शेष राशि	4,670.44	2,466.88
बी. वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	3,615.54	3,820.16
सी. अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	1,236.24	1,616.60
डी. इतिशेष	7,049.74	4,670.44
ई. प्रावधान शामिल अनुपात (%)	56.37%	53.73%

b) Quantitative Disclosures as on 31.03.2017

(₹ in crores)

Sl. No.	Particulars	31-03-2017		31-03-2016	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	a) For Hedging	654.25	6,614.70	28.68	9,043.81
	b) For Trading	--	--	--	--
2	Marked To Market Positions				
	a) Asset (+)	9.87	58.67	4.64	1.80
	b) Liability (-)	7.79	0.00	4.60	0.00
3	Credit Exposure	29.49	120.93	5.21	76.84
4	Likely impact of 1% change in interest rates (100*PV01)				
	a) On Hedging Derivatives	-0.02	43.13	0.15	8.63
	b) On Trading Derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during year				
	a) On Hedging				
	Minimum	--	--	--	--
	Maximum	--	--	--	--
	b) On Trading				
	Minimum	NA	NA	NA	NA
	Maximum	NA	NA	NA	NA

6.D Credit Default Swaps

During the Financial Year, the Parent Bank has not traded in Credit Default Swaps.

6.E FCNR B Deposit Swap with RBI

In 2013, RBI introduced a US Dollar concessional Swap window for Fresh FCNR B Deposit for the period of 3 YEAR in any permissible currency for the minimum tenor of 3 years or more.

Parent Bank had swapped USD 70.00 million with RBI for the corresponding tenure. The Swaps was done with RBI were at concessional rates against the market. As prescribed by the RBI, Parent Bank has adopted the amortization of Sell/buy Swaps Premium throughout the tenure of the Swaps.

7. ASSET QUALITY

a) Non-Performing Assets (₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
(i) Net NPA to Net Advances (%)	5.21%	4.48%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a. Opening balance	13,832.16	6,442.38
b. Additions (Fresh NPAs) during the year	8,137.95	12,200.54
c. Reductions during the year	4,360.80	4,810.76
d. Closing balance	17,609.31	13,832.16
(iii) Movement of Net NPAs		
a. Opening balance	9,014.87	3,843.65
b. Additions during the year	4,522.41	8,380.38
c. Reductions during the year	3,126.30	3,209.16
d. Closing balance	10,410.98	9,014.87
(iv) Movement of Provisions for NPAs (Excluding Provisions on Standard Assets)		
a. Opening balance	4,670.44	2,466.88
b. Provisions made during the year	3,615.54	3,820.16
c. Write Off / Write Back of Excess Provisions	1,236.24	1,616.60
d. Closing balance	7,049.74	4,670.44
e. Provision Coverage Ratio (%)	56.37%	53.73%

बी. आस्ति वर्गीकरण में विचलन एवं अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए प्रावधान – (संदर्भ डी.बी.आर. बीपी. बीसी. सं. 63/21.04.018/2016-17, दि. 18 अप्रैल 2017)

(₹ करोड़)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2015-16
1.	31 मार्च, 2016 तक की स्थिति में सकल एनपीए, मूल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार	13,832.16
2.	31 मार्च, 2016 तक की स्थिति में सकल एनपीए, आरबीआई द्वारा कृत मूल्यांकन के अनुसार	14,486.26
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	654.10
4.	31 मार्च, 2016 तक की स्थिति में निवल एनपीए, मूल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार	9,014.87
5.	31 मार्च, 2016 तक की स्थिति में निवल एनपीए, आरबीआई द्वारा कृत मूल्यांकन के अनुसार	9,242.28
6.	सकल एनपीए में विचलन (5-4)	227.41
7.	31 मार्च, 2016 तक की स्थिति में एनपीए के लिए प्रावधान, मूल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार	4,670.44
8.	31 मार्च, 2016 तक की स्थिति में एनपीए के लिए प्रावधान, आरबीआई द्वारा कृत मूल्यांकन के अनुसार	5,097.13
9.	प्रावधानीकरण में विचलन (8-7)	426.69
10.	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का कर पश्चात् सूचित निवल लाभ (पीएटी)	-1,643.48
11.	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का समायोजित कर पश्चात् निवल लाभ (पीएटी), प्रावधानीकरण में पाए गए विचलन को जोड़ने के बाद (10-9)	-2,070.17

नोट: मूल बैंक में एनपीए का निर्धारण करने के लिए एक सोद्देशित प्रणाली मौजूद है, जो एनपीए के शीघ्र वर्गीकरण और प्रावधानीकरण को सुनिश्चित करता है। आरबीआई का पर्यवेक्षक दल इनकी दिनांक 31.3.2016 तक की स्थिति का मूल्यांकन कर कुछ खातों को (उन खातों को भी, जहाँ एसडीआर लागू किया गया है) तकनीकी आधार पर (कुछ मामले विचाराधीन होने और कुछ में बैंक की मंजूरी के बाद आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों में मौजूद कुछेक विवेचनपरक मामले के चलते निर्णय न ले पाने कि स्थिति) पुन: वर्गीकृत किया है। आगे, इस वर्ष के दौरान उनमें से अधिक खातों को मूल बैंक द्वारा उपरोक्त मूल्यांकन रिपोर्ट की प्राप्ति से पहले डाऊनग्रेड किया गया है। मूल बैंक के पास पर्याप्त प्रावधानों का सामान्य धारण के लिए एक विवेकपूर्ण प्रणाली मौजूद है और यह अस्थाई प्रावधानों को भी धारण करता है।

b) Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs – (ref DBR.BP.BC.No. 63/21.04.018/2016-17 dated April 18, 2017)

(₹ in crores)

Sr.	Particulars	FY 2015-16
1.	Gross NPAs as on March 31, 2016 as reported by the Parent Bank	13,832.16
2.	Gross NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	14,486.26
3.	Divergence in Gross NPAs (2-1)	654.10
4.	Net NPAs as on March 31, 2016 as reported by the Parent Bank	9,014.87
5.	Net NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	9,242.28
6.	Divergence in Net NPAs (5-4)	227.41
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2016 as reported by the Parent Bank	4,670.44
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	5,097.13
9.	Divergence in provisioning (8-7)	426.69
10.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2016	-1,643.48
11.	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2016 after taking into account the divergence in provisioning (10-9)	-2,070.17

Note: The Parent Bank has an objective system driven process of identification of NPA which enables prompt classification and provisioning of NPA. The Supervisory team of RBI had assessed as of 31-03-2016 and reclassified certain accounts (including accounts where SDR had been invoked), on technical grounds (unable to decide due to certain matters remaining subjudice, certain interpretation issue of RBI circulars issued after Parent Bank's sanction, etc). Further, during the current year most of these accounts were downgraded by the Parent Bank before receipt of assessment indicated above. The Parent Bank has a prudent system of generally holding adequate provisions and also holds floating provisions.

सी/c) वर्ष 2016-17 के दौरान पुनर्संरचित खातों का विवरण/Details of Accounts Restructured during the Year 2016 – 17

(₹ करोड़ में/(₹ in crores)

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खातों का प्रकटीकरण/DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON 31-03-2017

SL. No.	पुनर्संरचना का प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत UNDER CDR MECHANISIM					एस एम ई के अंतर्गत UNDER SME					अन्य OTHERS					कुल TOTAL				
	आस्ति वर्गीकरण ASSET CLASSIFICATION		एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL	एसटीडी STD	उप एसटीडी SUB STD	डी.ए DA	हानि LOSS	कुल TOTAL
1.	दि. 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते Restructured Accounts as on 01.04.2016	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	11	4	18	0	**33**	196	405	3169	731	**4501**	45928	26891	22234	2041	**97094**	46135	27300	25421	2772	**101628**
		बकाया राशि/AMT O/S	1211.79	153.22	1367.16	0.00	**2732.17**	117.94	27.38	106.31	15.68	**267.31**	4424.17	879.55	833.49	34.47	**6171.68**	5753.90	1060.15	2306.96	50.15	**9171.16**
		प्रावधान/PROVISION	25.90	2.00	31.85	0.00	**59.75**	3.07	0.86	2.34	0.00	**6.27**	273.76	27.17	11.71	0.00	**312.64**	302.73	30.03	45.90	0.00	**378.66**
2.	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	0	0	0	0	**0**	0	14	5	0	**19**	23298	143	27	19	**23487**	23298	157	32	19	**23506**
		बकाया राशि/AMT O/S	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	3.64	0.51	0.00	**4.15**	820.85	6.25	13.61	0.48	**841.19**	820.85	9.89	14.12	0.48	**845.34**
		प्रावधान/PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.09	0.03	0.00	**0.12**	40.46	0.31	0.05	0.00	**40.82**	40.46	0.40	0.08	0.00	**40.94**
3.	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में स्तरोन्नत Upgradations to restructured standard category during the Financial Year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	1	0	0	0	**1**	15	-15	0	0	**0**	179	-179		0	**0**	195	-194	0	0	**1**
		बकाया राशि/AMT O/S	19.26	0.00	0.00	0.00	**19.26**	5.89	-5.89	0.00	0.00	**0.00**	231.76	-231.76		0.00	**0.00**	256.91	-237.65	0.00	0.00	**19.26**
		प्रावधान/PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.05	-0.05	0.00	0.00	**0.00**	4.49	-4.49	0.00	0.00	**0.00**	4.54	-4.54	0.00	0.00	**0.00**
4.	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम जो उच्च प्रावधानों और/या अतिरिक्त जोखिम भार से बाहर हो गया हो और इस कारण अगले वित्तीय वर्ष की शुरूआत में उसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में नहीं दर्शाया जाए।/ Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of Financial Year and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next Financial Year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	0	0	0	0	**0**	68	0	0	0	**68**	4281	0	0	0	**4281**	4349	0	0	0	**4349**
		बकाया राशि/AMT O/S	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	15.47	0.00	0.00	0.00	**15.47**	131.01	0.00	0.00	0.00	**131.01**	146.49	0.00	0.00	0.00	**146.49**
		प्रावधान/PROVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.18	0.00	0.00	0.00	**0.18**	3.01	0.00	0.00	0.00	**3.01**	3.19	0.00	0.00	0.00	**3.19**
5.	वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की गिरावट/ Downgradations of restructured accounts during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	-3	1	2	0	**0**	-56	54	2	0	**0**	-3583	3127	340	116	**0**	-3642	3182	344	116	**0**
		बकाया राशि/AMT O/S	-314.46	167.99	146.47	0.00	**0.00**	-16.11	3.63	12.46	0.00	**-0.02**	-333.23	310.89	20.29	2.07	**0.02**	-663.80	482.51	179.22	2.07	**0.00**
		प्रावधान/PROVISION	-6.94	6.42	0.52	0.00	**0.00**	-0.77	0.18	0.59	0.00	**0.00**	-7.46	7.44	0.02	0.00	**0.00**	-15.17	14.04	1.13	0.00	**0.00**
6.	वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेख/Written - off restructured accounts during the year	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	2	3	6	0	**11**	1	311	1903	730	**2945**	7653	12604	-14260	2176	**8173**	7656	12918	-12351	2906	**11129**
		बकाया राशि/AMT O/S	260.22	124.35	525.22	0.00	**909.79**	42.04	9.53	-6.62	14.75	**59.70**	1426.94	440.05	-236.80	37.02	**1667**	1729.20	573.93	281.80	51.77	**2636.70**
		प्रावधान/PROVISION	11.67	1.84	13.41	0.00	**26.92**	1.69	0.70	-0.21	0.00	**2.18**	77.59	12.39	-15.98	0.00	**74**	90.95	14.93	-2.78	0.00	**103.10**
7.	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित खाते* Restructured accounts as on 31.03.2017 *	उधारकर्ताओं की संख्या NO. OF BORROWERS	7	2	14	0	**23**	86	147	1273	1	**1507**	53888	17378	36861	0	**108127**	53981	17527	38148	1	**109657**
		बकाया राशि/AMT O/S	656.37	196.86	988.41	0.00	**1841.64**	50.21	19.23	125.90	0.93	**196.27**	3585.60	524.88	1104.19	0.00	**5214.67**	4292.18	740.97	2218.50	0.93	**7252.58**
		प्रावधान/PROVISION	7.29	6.58	18.96	0.00	**32.83**	0.48	0.38	3.17	0.00	**4.03**	230.65	18.04	27.76	0.00	**276.45**	238.42	25.00	49.89	0.00	**313.31**

*पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिसमें उच्च प्रावधान या जोखिम भारांक (यदि लागू हो) नहीं है उनके आंकडों को हटाकर तथापि दि. 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार इन खातों को भी दिखाया गया है।

*Excluding the figures of standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable). However, the provisions as on 31-03-2016 have been shown including these accounts.

Note:

1. अंतिम शेष = प्रारंभिक शेष + नया – अपवर्जित – बट्टे खाते डाले गये बंद किया गया आदि अर्थात, 7 = 1 + 2 – 4 – 6/Closing Balance = Opening Balance + Fresh – Excluded – Write Off, Closed, etc, i.e. 7 = 1 + 2 – 4 – 6.
2. मौजूदा खाता के अंतर्गत स्तर उन्नयन और गिरावट संपन्न होती है। अत: उन्हे मिलान के उद्देश्य के लिए ध्यान में नहीं लिया जाता है।/Upgradations and Slippages happen within the existing accounts. Hence they are not taken account for tallying purpose

डी) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(i) खातों की संख्या	**5**	4
(ii) प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री किए गए खातों के कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	**94.11**	281.89
(iii) कुल प्रतिफल	**225.42**	502.88
(iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	**0.00**	0.00
(v) निवल बही मूल्य के प्रति कुल लाभ/हानि	**131.31**	220.99
(vi) अनर्जक आस्ति की बिक्री पर लाभ-हानि खाते को वापस की गई अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा	**0.31**	0.00

ई) प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस सी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आर सी) के प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्निहित रूप में बैंक द्वारा बेचा गया समर्थित एनपीए		अंतर्निहित रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचा गया समर्थित एनपीए		कुल	
	31-03-17	31-03-16	**31-03-17**	31-03-16	**31-03-17**	31-03-16
प्रतिभूति रसीद में निवेश का बही मूल्य	**1,148.94**	1,065.54	**0.00**	0.00	**1,148.94**	1,065.54

प्रतिभूति रसीदों में निवेश संबंधी अतिरिक्त प्रकटीकरण (₹ करोड़ में)

	विवरण	पिछले 5 वर्ष के दौरान जारी एसआर	5 वर्ष से अधिक पहले किन्तु पिछले 8 वर्ष के भीतर जारी एसआर	8 वर्ष से अधिक पहले जारी एसआर
(i)	मौलिक रूप में बैंक द्वारा भेजी गयी अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित	1131.21	0.00	17.73
	उपरोक्त (i) के सापेक्ष धारित प्रावधान	73.05	0.00	17.73
(ii)	मौलिक रूप में अन्य बैंक/वित्तीय संस्थाएँ/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्ति द्वारा समर्थित	0.00	0.00	0.00
	उपरोक्त (ii) के सापेक्ष धारित प्रावधान	0.00	0.00	0.00
	कुल (i)+(ii)	**1131.21**	**0.00**	**17.73**

एफ) नीतिगत ऋण पुन:संरचना योजना संबंधी प्रकटीकरण (वे खाते जो फिलहाल निष्क्रिय अवधि के अधीन है।)

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एसडीआर लागू किया है	31-03-2017 तक की स्थिति के अनुसार		31-03-2017 तक की स्थिति के अनुसार उन खातों के संबंध में बकाया राशि, जहाँ ऋण का ईक्विटी के रूप में परिवर्तन के लिए शेष है।		31-03-2017 तक की स्थिति के अनुसार उन खातों के संबंध में बकाया राशि, जहाँ ऋण का ईक्विटी के रूप में परिवर्तन हो गया है।	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
9	1,616.20	180.24	शून्य	शून्य	1,616.20	180.24

जी) 31-03-2017 तक की स्थिति के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों कि संरचना योजना (एस4ए) संबंधी प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एस4ए का अनुप्रयोग किया गया है।	कुल बकाया राशि	बकाया राशि		धारित प्रावधान
		भाग ए	भाग बी	
मानक रूप में वर्गीकृत (नोट 1 एवं 2 का संदर्भ लें)				
2	270.76	145.55	125.21	52.58
एनपीए के रूप में वर्गीकृत (नोट 3 का संदर्भ लें)				
-	-	-	-	-

नोट:

1. (ए) उपरोक्त दो मानक खातों में से मानक खाता- 1 संबंधी मामले में योजना का कार्यान्वयन प्रणाली में किया गया है और दिनांक 31-03-2017 तक की स्थिति के अनुसार बकाया शेष की भाग के और भाग बी को स्वीकार किया गया है।
   (बी) उपरोक्त दो मानक खातों में से मानक खाता 2 संबंधी मामले दिनांक 28-12-2016 (संदर्भ तारीख) तक की स्थिति के अनुसार बकाया शेष को जेएलएफ बैठक में स्वीकृत टीईवी अध्ययन रिपोर्ट में प्रभावित विभाजन (भाग ए और भाग बी के रूप में) के लिए परिगणना ली गयी है आगे, खाते की शेष रखम को शाखा बहियों में विभाजित नहीं किया गया है।
2. चूँकि भाग ए एवं भाग बी का निर्धारण नहीं किया गया है। मानक खाता 1 को ऊपर जोडा नहीं गया है।
3. चूँकि भाग ए एवं भाग बी का निर्धारण नहीं किया गया है, अत: दो एनपीए खाते ऊपर नहीं जोड़े गये हैं।

d) Details of financial assets sold to Securitisation/Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
(i) No. of accounts	**5**	4
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to Securitisation Company / Reconstruction Company	**94.11**	281.89
(iii) Aggregate consideration	**225.42**	502.88
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	**0.00**	0.00
(v) Aggregate gain / loss over net book value.	**131.31**	220.99
(vi) The quantum of excess provision reversed to the Profit & Loss A/c on account of sale of NPAs	**0.31**	0.00

e) Book value of Investments in Security Receipts of Securitisation Company (SCs)/Reconstruction Company (RCs).

(₹ in crores)

Particulars	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		Backed by NPAs sold by other Banks / Financial Institutions/non-banking financial companies as underlying		Total	
	31-03-17	31-03-16	**31-03-17**	31-03-16	**31-03-17**	31-03-16
Book Value of Investments in Security Receipts	**1,148.94**	1,065.54	**0.00**	0.00	**1,148.94**	1,065.54

Additional Disclosures pertains to the Investment in Security Receipts:

(₹ in crores)

	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 year ago
(i)	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying	1131.21	0.00	17.73
	Provisions held against (i)	73.05	0.00	17.73
(ii)	Backed by NPAs sold by other Banks / Financial Institutions/ non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
	Provisions held against (ii)	0.00	0.00	0.00
TOTAL (i) + (ii)		**1131.21**	**0.00**	**17.73**

f) Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in crores)

No. of accounts Where SDR has Been invoked	Amount outstanding as on 31-03-2017		Amount outstanding as on 31-03-2017 with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on 31-03-2017 with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA	Classified as standard	Classified as NPA
9	1,616.20	180.24	Nil	Nil	1,616.20	180.24

g) Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31-03-2017

(₹ in crores)

No. of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision Held
		In Part A	In Part B	
Classified as Standard (Refer Note 1 & 2)				
2	270.76	145.55	125.21	52.58
Classified as NPA (Refer Note 3)				
-	-	-	-	-

Note:

1. *(a) In case of one Standard account out of above 2 standard accounts, the scheme has been implemented in the system and outstanding balance as on 31-03-2017 of Part A& Part B has been taken.*
   (b) In case of another standard account out of above 2 Standard accounts, balance outstanding as on 28-12-2016 (being reference date) is considered for bifurcation in Part A Part B as per the TEV study report accepted in the JLF meeting. Further balance in the account are not bifurcated in branch books.
2. *standard account has not been included above, as Part A & Part B has not yet been decided.*
3. *NPA accounts have not been included above, as Part A & Part B has not yet been decided.*

एच) मौजूदा ऋणों की सुविधानुसार संरचना संबंधी प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

अवधि	सुविधानुसार संरचना के लिए चुने गए उधार कर्ताओं की संख्या	सुविधानुसार संरचना के लिए चुने गए ऋणों की राशि		सुविधानुसार संरचना के लिए चुने गए ऋणों की एक्सपोजर आधारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	सुविधानुसार संरचना का अनुप्रयोग करने से पहले	सुविधानुसार संरचना का अनुप्रयोग करने के बाद
वित्तीय वर्ष 2015-16	08	572.87	1,664.99	7.76 वर्ष	19.81 वर्ष
वित्तीय वर्ष 2016-17	03	195.04	0.00	14.67 वर्ष	15.82 वर्ष

आई) एसडीआर योजना से पृथक स्वामित्व में परिवर्तन संबंधी प्रकटीकरण (खाते जो फिलहाल स्थगन अवधि के अधीन हैं।)

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या, जहाँ मूल बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है।	31-03-2017 के अनुसार बकाया राशि		31-03-2017 के अनुसार बकाया शेष, जहाँ ऋण को ईक्विटी के रूप में परिवर्तन/ईक्विटी शेयरों की गिरवी लागू करना शेष है।		31-03-2017 के अनुसार बकाया शेष, जहाँ ऋण को ईक्विटी में परिवर्तन/ईक्विटी शेयरों की गिरवी को लागू किया गया है।		31-03-2017 के अनुसार बकाया शेष जहाँ स्वामित्व में परिवर्तन की परिकल्पना प्रवर्तक ईक्विटी की बिक्री के नए शेयर जारी की गयी है।	
	वर्गीकृत		वर्गीकृत		वर्गीकृत		वर्गीकृत	
	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए	मानक	एनपीए
01	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.95	0.00

जे) क्रियान्वयन के अधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन संबंधी प्रकटीकरण (खाते जो फिलहाल स्थगन अवधि के अधीन है)

(₹ करोड़ में)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहाँ मूल बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है।	रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	पुन:संरचित के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

के) खरीदे/बेचे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए. खरीदे गए अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1. (ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं.	शून्य	शून्य
(बी) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2. (ए) उनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की सं.	शून्य	शून्य
(बी) कुल बकाया	शून्य	शून्य

बी. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
1. बेचे गए खातों की सं.	शून्य	शून्य
2. कुल बकाया	शून्य	शून्य
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

h) Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans

(₹ in crores)

Period	No. of borrowers taken up for flexibly structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible Structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
FY 2015-16	08	572.87	1,664.99	7.76 Years	19.81 Years
FY 2016-17	03	195.04	0.00	14.67 Years	15.82 Years

i) Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in crores)

No. of accounts where Parent Bank have decide to effect change in ownership	Amount outstanding as on 31-03-2017		Amount outstanding as on 31-03-2017 with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on 31-03-2017 with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on 31-03-2017 with respect to accounts where change in the ownership is envisaged by issuance of fresh shares of sale of promoters equity	
	Classified as		Classified as		Classified as		Classified as	
	Standard	NPA	Standard	NPA	Standard	NPA	Standard	NPA
01	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.95	0.00

j) Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in crores)

No. of project loan accounts where Parent Bankhave decided to effectchange in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		
	Classified as standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
NIL	NIL	NIL	NIL

k) Details of non-performing financial assets purchased/sold:

A. Details of Non-Performing Financial Assets Purchased

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
1. (a) No. of Accounts Purchased during the year	**NIL**	NIL
(b) Aggregate Outstanding	**NIL**	NIL
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	**NIL**	NIL
(b) Aggregate Outstanding	**NIL**	NIL

B. Details of Non-Performing Financial Assets Sold

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
1. No. of Accounts Sold	**NIL**	NIL
2. Aggregate Outstanding	**NIL**	NIL
3. Aggregate Consideration Received	**NIL**	NIL

एल) मानक आस्तियों पर प्रावधान (₹ करोड़ में)

विवरण	दि. 31.03.2017 को	दि. 31.03.2016 को
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	**1,186.69**	1,376.73

l) **Provisions on Standard Assets** (₹ in crores)

Particulars	**As on 31-03-2017**	As on 31-03-2016
Provisions towards Standard Assets	**1,186.69**	1,376.73

8. कारोबार अनुपात

क्रम सं.	विवरण	**31-03-2017**	31-03-2016
(i)	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय की प्रतिशतता **(%)**	**7.60%**	7.92%
(ii)	कार्यशील निधियों की तुलना में गैर ब्याजी आय की प्रतिशतता **(%)**	**1.14%**	0.86%
(iii)	कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ की प्रतिशतता **(%)**	**1.40%**	1.11%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ **(%)**	**0.12%**	-0.56%
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि +अग्रिम) **(₹ करोड़ में)**	**13.51**	14.61
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ **(₹ लाख में)**	**1.10**	-5.51

नोट: कार्यशील निधियाँ, प्रबंधन वर्ग द्वारा परिकलित मासिक औसत पर आधारित है और लेखा परीक्षको द्वारा माना गया है ।

8. BUSINESS RATIOS

Sl. No.	Particulars	**31-03-2017**	31-03-2016
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds **(%)**	**7.60%**	7.92%
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds **(%)**	**1.14%**	0.86%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds **(%)**	**1.40%**	1.11%
(iv)	Return on Assets **(%)**	**0.12%**	-0.56%
(v)	Business (Deposits plus Advances) per Employee **(₹ in Crores)**	**13.51**	14.61
(vi)	Profit per Employee **(₹ in Lakhs)**	**1.10**	-5.51

Note: Working funds are based on monthly average as calculated by the management and relied upon by the Auditors.

9. आस्ति देयता प्रबंधन / ASSET LIABILITY MANAGEMENT

***ऋण एवं अग्रिम, निवेश, जमा और उधार के परिपक्वता स्वरूप (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विभिन्न परिपक्वता समूह के तहत)*/THE MATURITY PATTERN OF LOANS & ADVANCES, INVESTMENTS, DEPOSITS AND BORROWINGS (UNDER VARIOUS MATURITY BUCKETS PRESCRIBED BY THE RESERVE BANK OF INDIA)**

AS ON 31-03-2017 तक (₹ करोड़ में/₹ in crores)

अवशिष्ट परिपक्वता Residual Maturity	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन और 2 महीने तक 31 days & upto 2 months	2 महीने से अधिक और 3 महीने तक >2 months & upto 3 months	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक >3 months & upto 6 months	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक > 6 months & upto 1 yr	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक >1 yr to 3 yr	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक >3 yr to 5 yr	5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक >5 yr to 7 yr	7 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक >7 yr to 10 yr	10 वर्ष से 15 वर्ष तक 10 yr to 15 yr	15 वर्ष से अधिक Over 15 years	कुल Total
जमाराशि/Deposits	2,006.01	10,747.99	6,395.05	11,661.90	18,879.50	14,331.27	30,458.16	65,256.29	93,844.45	6,150.25	533.61	251.56	39.11	5.71	2,60,560.86
अग्रिम/Advances	4,580.23	4,268.90	2,550.13	5,060.83	8,331.86	8,825.74	15,994.02	17,575.30	65,239.54	27,913.22	11,040.91	10,696.84	7,729.32	9,862.51	1,99,669.35
निवेश/Investments	0.00	103.43	0.00	80.01	358.22	260.25	1,327.51	1,164.60	12,828.12	11,429.87	14,643.56	15,852.71	5,885.07	1,532.06	65,465.40
उधार/Borrowings	10.81	2.51	0.00	0.00	0.00	102.03	66.72	1,112.56	7,371.46	2,109.33	1,000.10	5,700.00	0.00	0.00	17,475.52
विदेशी मुद्रा आस्तियां/ Foreign Currency Assets	60.43	2,883.82	1,165.73	2,021.74	6,148.93	3,290.51	6,414.17	5,170.00	2,437.46	5,512.16	655.28	832.92	0.00	946.67	37,539.82
विदेशी मुद्रा देयताएँ/ Foreign Currency Liabilities	19.77	2,228.68	2,117.03	3,090.97	7,625.64	4,005.34	3,032.56	4,203.46	7,896.28	2,107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	36,327.36

नोट: विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं को संबंधित जमा, अग्रिम, निवेश और उधार में शामिल किया गया है।
Note: Foreign Currency Assets and liabilities are included in respective Deposits, Advances, Investments and Borrowings.

10. निवेश

ए. स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31-03-2017	31-03-2016
ए) प्रत्यक्ष निवेश	**28,451.01**	27,825.77
(i) आवासीय बंधक उधारकर्ता द्वारा निवास करनेवाली या किए जाने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित उधार	**15,531.24**	16,276.40
इनमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत शामिल करने हेतु पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	**9,298.50**	10,860.77
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन खुदरा स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक भवन, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक भवन, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास एवं निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा रक्षित उधार। निवेश में गैर-निधि आधारित (एन.एफ.बी.) सीमाएँ भी शामिल होंगी;	**11,280.73**	9,849.33
(iii) गैर सी.आर.ई. को अन्य प्रत्यक्ष ऋण	**1,639.04**	1,700.04
(iv) बंधक समर्थित जमानत (एम.बी.एस.) में निवेश और अन्य प्रतिभूतीकृत निवेश – ए. आवासीय बी. वाणिज्यिक रियल इस्टेट	 **0.00** **0.00**	 0.00 0.00
बी) परोक्ष निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कंपनियों (एच एफ सी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश	**666.35**	2,836.13
स्थावर संपदा क्षेत्र को कुल ऋण	**29,117.36**	**30,661.90**

बी. पूंजी बाजार में निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी निधियों को नैगम ऋण में निवेश नहीं किया गया है	**192.93**	243.15
(ii) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या ईक्विटी शेयरों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी. सहित) परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में और ईक्विटी उन्मुख निवेश करने हेतु बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	**0.22**	0.32
(iii) अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋण जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है ।	**0.00**	0.00
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस सीमा तक दिए गए अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा रक्षित हो, यानी, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बंध पत्रों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों से भिन्न प्राथमिकता प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया रक्षित नहीं करती है।	**0.00**	0.00
(v) स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए जमानती और बेज़मानती अग्रिम और स्टाक ब्रोकरों तथा शेयर विपणनकर्ताओं की ओर से जारी की गयी गारंटियां	**0.00**	0.00
(vi) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की ज़मानत पर या संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति के लिए बेजमानती आधार पर कंपनी को दिए गए ऋण	**453.27**	816.37
(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण	**0.00**	0.00
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के प्राथमिक निर्गमों के संबंध में मूल कंपनी द्वारा उठायी गयी हामीदारी प्रतिबद्धता	**0.00**	0.00
(ix) मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉकब्रोकरों को दी गयी वित्तीय सहायता	**0.25**	0.25
(x) जोखिम पूंजी को दिए गए सभी ऋण (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	**140.53**	152.90
पूंजी बाजार में किए गए कुल निवेश	**787.20**	**1,212.99**

10. EXPOSURES

A. Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crores)

Category	31-03-2017	31-03-2016
a) Direct Exposure	**28,451.01**	27,825.77
(i) Residential Mortgages Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	**15,531.24**	16,276.40
Out of the above, individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	**9,298.50**	10,860.77
(ii) Commercial Real Estate (Fund-based and non-fund based) Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse spaces, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure would also include non-fund based limits.	**11,280.73**	9,849.33
(iii) Any other Direct Exposure to Non-CRE	**1,639.04**	1,700.04
(iii) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposure a. Residential b. Commercial Real Estate	 **0.00** **0.00**	 0.00 0.00
b) Indirect Exposure Fund-based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	**666.35**	2,836.13
Total Exposure to Real Estate Sector	**29,117.36**	**30,661.90**

B. Exposure to Capital Market

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	**192.93**	243.15
(ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	**0.22**	0.32
(iii) Advances for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds are taken as primary security.	**0.00**	0.00
(iv) Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e., where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures/units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances.	**0.00**	0.00
(v) Secured and unsecured advances to Stock brokers and guarantees issued on behalf of Stock brokers and Market Makers.	**0.00**	0.00
(vi) Loans sanctioned to Corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting Promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	**453.27**	816.37
(vii) Bridge loans to Companies against expected equity flows / issues.	**0.00**	0.00
(viii) Underwriting commitments taken up by the Parent Bank in respect of primary issues of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds.	**0.00**	0.00
(ix) Finance to Stock brokers for margin trading	**0.25**	0.25
(x) All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	**140.53**	152.90
Total Exposure to Capital Market	**787.20**	**1,212.99**

सी) मूल बैंक ने निम्नांकित कंपनियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यनीतिक ऋण पुन:संरचना एसडीआर एवं एस4ए को लागू कर ईक्विटी शेयर हासिल किया है। दिनांक 31-3-2017 तक बकाया ईक्विटी शेयर संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:

क्रम सं.	कंपनी का नाम	एसडीआर एवं एस4ए के तहत प्राप्त ईक्विटी शेयरों की संख्या
1.	आधुनिक पॉवर एण्ड नैचुरल रिसोर्सस लिमिटेड	47,70,000
2.	मोन्नेट इस्पात एंड इनर्जी लिमिटेड	18,18,713
3.	जीएमआर राजमंड्री इनर्जी लिमिटेड	5,59,00,000
4.	पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड	1,28,074
5.	गम्मान इंडिया लिमिटेड	2,26,96,508
6.	एलएनटी हलोल शामलाजी टॉलवे लिमिटेड	5,94,92,481
7.	प्रतिभा इंडस्ट्रीज	49,02,369
8.	डायमंड पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर	9,23,433
9.	जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स लिमिटेड	7,00,00,000
10.	बीआरजी आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड	1,45,48,286
11.	आईकॉम टेली लिमिटेड	66,59,707
12.	हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी	96,93,580
13.	बेलोना ईस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड	1,15,646

डी. जोखिम श्रेणी वार देशी निवेश (₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्ग	31 मार्च, 2017 को निवेश (निवल निधि)	31 मार्च, 2017 को धारित प्रावधान	31 मार्च 2016 को निवेश (निवल निधि)	31 मार्च 2016 को धारित प्रावधान
नगण्य	**1,943.64**	**शून्य**	4,485.10	शून्य
कम	**4,841.99**	**शून्य**	1,410.42	शून्य
मध्यम कम	**9.95**	**शून्य**	16.47	शून्य
मध्यम	**0.00**	**शून्य**	18.43	शून्य
मध्यम अधिक	**0.00**	**शून्य**	0.00	शून्य
9298.50 – उच्च	**0.00**	**शून्य**	0.00	शून्य
अति उच्च/प्रतिबंधित	**0.00**	**शून्य**	0.00	शून्य
ऋणेतर	**0.00**	**शून्य**	0.00	शून्य
कुल	**6,795.58**	**शून्य**	**5,930.42**	शून्य

नोट: मूल बैंक ने 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार विभिन्न देशों में अपनी निवल निधि निवेश का विश्लेषण किया है और ऐसे निवेश बैंक की कुल आस्तियों में से अन्य देशों में निवेश के लिए निर्धारित बैंक के कुल आस्तियों के 1% की लक्ष्य के अंतर्गत है ।

ई. मूल बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) में, पार की गई सीमा के ब्यौरे: शून्य

एफ. बेजमानती अग्रिम

उन अग्रिमों की राशि जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां ली गयी है:

(₹ करोड़ में)

अग्रिमों की कुल राशि जहां अमूर्त प्रतिभूतियां ली गयी है जैसे अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकारों इत्यादि पर प्रभार	**1,019.06**
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	**2,319.90**

11.प्रावधान

ए) आय कर प्रावधान

कर सलाहकारों की सलाह के अनुसार संगत नीति का अनुसरण करने पर यानी एमएटी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए लागू नहीं है; मूल बैंक द्वारा चालू वर्ष की कर देयता की गणना की गई है।

बी) वर्ष के दौरान कर के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
आयकर के लिए प्रावधान (लंदन शाखा सहित)	**888.00**	536.95
(डीटीए)/डीटीएल	**(594.99)**	85.00
कुल	**293.01**	**621.95**

C. The Parent Bank has invoked Strategic Debt Restructuring (SDR) and S4A as per RBI guidelines in the following companies and acquired equity shares pursuant to invocation of SDR. The details of outstanding equity shares as on 31-03-2017 are as follows:

Sl. No.	Name of the Company	No. of Equity Shares acquired under SDR & S4A
1	Adhunik Power and Natural Resources Ltd.	47,70,000
2	Monnet Ispat & Energy Ltd.	18,18,713
3	GMR Rajahmundry Energy Ltd.	5,59,00,000
4	Patel Engineering Ltd.	1,28,074
5	Gammon India Ltd.	2,26,96,508
6	LNT Halol Shamlaji Tollway Ltd.	5,94,92,481
7	Prathiba Industries	49,02,369
8	Diamond Power Infrastructure	9,23,433
9	Jaiprakash Power Ventures Ltd.	7,00,00,000
10	BRG Iron and Steel Co Ltd.	1,45,48,286
11	ICOMM Tele Ltd.	66,59,707
12	Hindustan Construction Co.	96,93,580
13	Bellona Estate Developers Ltd.	1,15,646

D. Risk Categorywise Country Exposure (₹ in crores)

Risk Category	Exposure (net funded) as at 31st March 2017	Provision held as at 31st March, 2017	Exposure (net funded) as at 31st March, 2016	Provision held as at 31st March, 2016
Insignificant	**1,943.64**	**Nil**	4,485.10	Nil
Low	**4,841.99**	**Nil**	1,410.42	Nil
Moderately Low	**9.95**	**Nil**	16.47	Nil
Moderate	**0.00**	**Nil**	18.43	Nil
Moderately High	**0.00**	**Nil**	0.00	Nil
9298.50 High	**0.00**	**Nil**	0.00	Nil
Very High / Restricted	**0.00**	**Nil**	0.00	Nil
Off-Credit	**0.00**	**Nil**	0.00	Nil
Total	**6,795.58**	**Nil**	**5,930.42**	**Nil**

Note: The Parent Bank has analysed its net funded exposures to various countries as on 31-03-2017 and such exposures to countries is well within the stipulation of 1% of total assets of the Parent Bank.

E. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Parent Bank: NIL

F. Unsecured Advances

Amount of advance for which, intangible securities has been taken:

(₹ in crores)

The total amount of advances for which intangible securities such as charge over rights, licences, authority etc., has been taken.	**1,019.06**
Estimated value of such intangible collaterals.	**2,319.90**

11. PROVISIONS

a) Income Tax Provision

Following its consistent policy based on the advice of its tax consultants that MAT is not applicable to the Public Sector Banks, the Parent Bank has calculated its current year tax liability.

b) Amount of provisions made for Tax during the year

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
Provision for Income Tax (including London Branch)	**888.00**	536.95
(DTA)/ DTL	**(594.99)**	85.00
Total	**293.01**	**621.95**

12.चलनिधि कवरेज अनुपात

ए) परिमाणात्मक प्रकटीकरण (₹ करोड़ में)

		चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
		कुल अभारित[3] मूल्य (औसत)	कुल भारित[4] मूल्य (औसत)	कुल अभारित[3] मूल्य (औसत)	कुल भारित[4] मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ					
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)		42,274.90		26,231.40
	नकद बहिर्गमन				
2	खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों से जमा, जिसमें :				
	(i) स्थायी जमा	53,704.29	2,685.21	47,362.84	2,368.14
	(ii) कम स्थायी जमा	80,353.46	8,035.35	70,365.39	7,036.54
3	असुरक्षित थोक निधीयन, जिसमें :				
	(i) परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकारों)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकारों)	26,977.04	10,790.82	29,422.25	11,768.90
	(iii) असुरक्षित ऋण	13,152.42	13,152.42	14,520.11	14,520.11
4	सुरक्षित थोक निधीयन		2.12		3.06
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें :				
	(i) व्युत्पन्नी एक्सपोजर्स से संबंधित बहिर्गमन और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएं	0.00	0.00	24.78	24.78
	(ii) ऋण उत्पादों पर कोष की हानि संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00	0.00	0.00
	(iii) ऋण और चलनिधि सुविधा	23,191.09	4,071.41	22,235.73	3,066.92
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	408.64	408.64	112.15	199.25
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	20,844.74	625.34	20,014.62	1,018.53
8	**कुल नकद की बहिर्गमन**		**39,771.30**		**40,006.22**
	नकद का आगमन				
9	रक्षित उधार (उदाहरण रिवर्स रेपो)	4,121.77	4,121.77	5,153.21	5,153.21
10	पूर्णरूप से निष्पादन एक्सपोजरों से आगमन	23,571.89	17,395.46	20,285.90	13,868.55
11	अन्य नकद आगमन	66.54	66.54	13.59	13.59
12	**कुल नकद आगमन**	**27,760.20**	**21,583.77**	**25,452.70**	**19,035.36**
			समायोजित कुल मूल्य		**समायोजित कुल मूल्य**
13	**कुल एचक्यूएलए**		**42,274.90**		**26,231.40**
14	**कुल निवल नकद बहिर्गमन**		**18,187.53**		**20,970.86**
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%)**		**232.44%**		**125.08%**

बी) गुणात्मक प्रकटीकरण:

1. एल सी आर में योगदान हेतु मुख्य संचालक एस एल आर की आवश्यकता में अधिक तरल निवेश, आर बी आई द्वारा उपलब्ध, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसलिटी (सीमांत/अल्प स्थायी सुविधा) और एल सी आर के लिए उपलब्ध तरलता की सुविधा है। जमा मुख्य बहिर्गमन है।
2. उच्च गुणवत्ता तरल आस्ति (एच क्यू एल ए) में मुख्यत: नकद, अतिरिक्त सी आर आर, अतिरिक्त एस एल आर की आवश्यकता में सरकारी प्रतिभूतियाँ, उपलब्ध एम एस एफ सुविधा, एल सी आर के लिए उपलब्ध तरलता की सुविधा आदि शामिल होते हैं।
3. निधीयन स्त्रोत मुख्य रूप से खुदरा जमा, गैर वित्तीय कॉर्पोरेट द्वारा जमा, अन्य वैध संस्थाओं द्वारा निधीयन पर संकेंद्रित है।
4. ब्याज दर परिदृश्य में परिवर्तन होने से एल सी आर भी बदल जाता है और ऋण में भी वृद्धि होती है।
5. मूल बैंक के पास संतुलित व्युत्पन्नी एक्सपोजर है और एल सी आर को उसका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान संपार्श्विक मांगे भी महत्वपूर्ण नहीं है।
6. भारतीय रुपया महत्वपूर्ण मुद्रा है तथा अन्य मुद्रा में एलसीआर का महत्व नहीं है।
7. निवेश समिति उच्च स्तरीय समिति है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक तथा महत्वपूर्ण विभागों; जैसे ट्रेज़री (राजकोष), जोखिम प्रबंधन, ऋण एवं आयोजना आदि के

12. LIQUIDITY COVERAGE RATIO

A) Quantitative Disclosures (₹ in crores)

		Current year		Previous Year	
		Total Unweighted[3] Value (average)	Total Weighted[4] Value (average)	Total Unweighted[3] Value (average)	Total Weighted[4] Value (average)
High Quality Liquid Assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		42,274.90		26,231.40
	Cash Outflows				
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:				
	(i) Stable deposits	53,704.29	2,685.21	47,362.84	2,368.14
	(ii) Less stable deposits	80,353.46	8,035.35	70,365.39	7,036.54
3	Unsecured wholesale funding, of which:				
	(i) Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) Non-operational deposits (all counterparties)	26,977.04	10,790.82	29,422.25	11,768.90
	(iii) Unsecured debt	13,152.42	13,152.42	14,520.11	14,520.11
4	Secured wholesale funding		2.12		3.06
5	Additional requirements, of which				
	(i) *Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements*	0.00	0.00	24.78	24.78
	(ii) *Outflows related to loss of funding on debt products*	0.00	0.00	0.00	0.00
	(iii) *Credit and liquidity facilities*	23,191.09	4,071.41	22,235.73	3,066.92
6	Other contractual funding obligations	408.64	408.64	112.15	199.25
7	Other contingent funding obligations	20,844.74	625.34	20,014.62	1,018.53
8	**Total Cash Outflows**		**39,771.30**		**40,006.22**
	Cash Inflows				
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	4,121.77	4,121.77	5,153.21	5,153.21
10	Inflows from fully performing exposures	23,571.89	17,395.46	20,285.90	13,868.55
11	Other cash inflows	66.54	66.54	13.59	13.59
12	**Total Cash Inflows**	**27,760.20**	**21,583.77**	**25,452.70**	**19,035.36**
			Total Adjusted Value		**Total Adjusted Value**
13	**TOTAL HQLA**		**42,274.90**		**26,231.40**
14	**Total Net Cash Outflows**		**18,187.53**		**20,970.86**
15	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		**232.44%**		**125.08%**

B. Qualitative Disclosures:

1. The main drivers for the contribution to the LCR are liquid investments, surplus over the SLR requirement, the Marginal Standing Facility (MSF) available from RBI and the facility to avail liquidity for LCR. Major outflows are the deposits.
2. High Quality Liquid Assets (HQLA) mainly consists of Cash, Excess CRR, Government Securities in excess of SLR requirements, Available MSF facility, Facility to avail liquidity for LCR.
3. Mainly the funding sources are concentrated with the retail deposits, Deposits from non-financial corporate and funding from other legal entities.
4. The LCR would undergo change due to change in the interest rate scenario, likely pick-up in the credit etc.
5. Parent Bank has modest derivative exposures and its contribution to the LCR is not significant.
6. Major currency is INR and the LCR in other currency is not significant.
7. Investment committee is the top level committee comprising of Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors and the General Managers from important departments like

महा प्रबंधकों को शामिल किया जाता है। यह समिति प्राय: दैनिक आधार पर एवं तत्काल आवश्यकता पडने पर बैठती है। निवेश समिति की महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य मूल बैंक की निवेश स्थिति एवं निधियों की समीक्षा है। इस बैठक के दौरान तरलता स्थिति एवं प्रक्षेपित नकद का आगमन और बहिर्गमन पर चर्चा की जायेगी।

8. एल्को एलसीआर की स्थिति की मासिक आधार पर समीक्षा करती है और अपेक्षित होने पर आवश्यक दिशानिर्देश जारी करती है।

9. मूल बैंक के पास एलसीआर की गणना के उद्देश्य से अन्य कोई महत्वपूर्ण नकद आगमन एवं बहिर्गमन विलोपित नहीं है।

10. भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र संख्या डीबीआर सं. बीपी. बीसी. 80/21.06.201/2014-15, दिनांक 31.03.2015 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए एलसीआर वर्ष की चारों तिमाहियों की औसत दर्शाती है। आगे, जून-2016, सितंबर 2016 और दिसंबर 2016 तिमाहियों की औसत संबंधि तिमाहियों की औसत को और मार्च 2017 तिमाही की दैनिक औसत को दर्शाती है।

13. लेखाकरण मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (एएस)

भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानकों (जहाँ तक लागू हो) के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं:

i) उक्त अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पिछली अवधि की मदें तथा लेखाकरण नीति में परिवर्तन (एएस 5):

लेखाकरण नीति में परिवर्तन – अचल आस्तियें पर मूल्यह्रास नीति

वर्ष के दौरान प्रयोज्य काल के आधार पर अबतक प्रयोग में लाई जानेवाली डब्ल्यूडीवी पद्धति के बदले अचल आस्ति पर मूल्यह्रास की विधि (कंप्यूटर और परिचालन सॉफ्टवेयर को छोड़कर जोकि एसएलएम के अंतर्गत 33.33% की दर से प्रभारित किया जाता था) का परिवर्तन सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) में किया गया।

आस्तियों के प्रयोज्य काल पर मूल्यह्रास के प्रभार के माध्यम से भी वित्तीय विवरणी के अधिक उपयुक्त प्रस्तुतीकरण हेतु यह परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन के बाद 31.03.2016 तक प्रदान किये गये मूल्यह्रास वाली ₹75.03 करोड़ राशियाँ अधिशेष के रूप में पायी गयी है और वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यह्रास के परिप्रेक्ष में समायोजित की गयी है। इसी प्रकार, परिवर्तन के कारण, वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यह्रास में भी ₹22.26 करोड़ की कमी आई है।

आगे, वर्ष के दौरान अचल आस्तियों की पुनर्मूल्यन राशि पर मूल्यह्रास का सकल प्रभाव की ₹ 18.72 करोड़वाली राशि को पी एण्ड एल खाते में जमा नहीं किया गया है जो कि 31.03.2016 तक किया गया है। और पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से निर्बंद आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है।

परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए ₹ 78.57 करोड़ कर पूर्व लाभ अधिक है।

लेखाकरण प्राक्कलन में परिवर्तन

वर्ष के दौरान कुछ आस्तियों के प्रयोज्य काल परिवर्तित हुए हैं। उन आस्तियों के लिए अपरिशोधित मूल्यह्रास राशि का परिशोधन प्रत्याशित रूप में आस्ति के शेष प्रयोज्य काल पर किया गया है।

ii) राजस्व की पहचान (एएस 9):

अनुसूची – 17, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अंतर्गत लेखाकरण नीति सं. 8 के अनुसार आय की कुल मदों को सांविधिक अपेक्षा या महत्व के कारण उनको उगाही के आधार पर पहचान की गयी है ।

iii) विदेशी विनिमय दर में होनेवाले परिवर्तनों का प्रभाव (एएस 11):

ए) वर्ष के लिए लाभ/हानि के तहत निवल लाभ में ₹26.30 करोड़ (पिछले वर्ष के लिए ₹9.44 करोड़ की हानि) की हानि भी शामिल है जिसे विदेशी मुद्रा आस्ति व देयताएं के ए एस 11 मूल्यांकन के कारण, विनिमय में अंतर के तहत दर्ज किया गया।

बी) वर्ष के लिए निवल लाभ 2016-17 हेतु ₹ 62.86 करोड़ (पिछले वर्ष के लिए ₹ 72.58 करोड़ हानि) के प्रतिरूप पुनर्मूल्यन हानि शामिल है।

सी) वर्ष के लिए निवल लाभ 2016-17 हेतु ₹ 87.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 94.23 करोड़) के वायदा पूनर्मूल्यन लाभ शामिल है।

डी) विनियामक निदेशों के अनुसार, फोरेक्स आस्तियों और देयताओं से संबंधित लेखाकरण मानक (ए.एस. 11) का पालन किया गया ताकि तुलन-पत्र में इसका उचित और सही प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

iv) कर्मचारी लाभ (एएस 15):

आई सी ए आई द्वारा जारी किया गया एएस 15 के अनुसार बैंक ने कर्मचारी लाभों का लेखांकन किया है।

परिनिश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की प्रारंभिक शेष और इतिशेष का समाधान और वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रत्येक मद पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नवत् है:

Treasury, Risk Management, Credit and Planning etc. This committee meets regularly and also on need basis. One of the major functions of the Investment committee is to review the Funds & Investment position of the Parent Bank. The liquidity position and the projected cash inflow and the outflows are discussed during this meeting.

8. ALCO reviews the position of LCR on monthly basis and provides the necessary directions if any.

9. Parent Bank does not have any other major cash inflows and outflows omitted for LCR computation.

10. In line with the RBI guidelines vide Circular No. DBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated 31-03-2015, LCR for the FY-2016-17, represents the average of four quarters during the year. Further the quarterly average of June-2016, Sept-2016 and Dec-2016 represents the monthly average of respective quarters and the quarterly average of March-2017 represents the daily average of the quarter.

13. DISCLOSURE IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS)

The disclosures under Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (to the extent applicable) are given below:

i) Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (AS 5):

Change in Accounting Policy - Depreciation policy on Fixed Assets.

During the year the method of depreciation on Fixed Assets (except for Computers and Operating Software, which were being charged under SLM @33.33%) has been changed to Straight Line Method (SLM), on the basis of useful life, as against WDV method being used hitherto.

The changes have been done to make more appropriate presentation of financial statements by way of even charge of depreciation over useful life of assets. Consequent to the change, depreciation provided up to 31.03.2016 amounting to ₹75.03 Crores has been found to be in surplus and the same has been adjusted against the depreciation charged for the year. Similarly due to the change, the depreciation charged for the year is also lower by ₹22.26 Crores.

Further, during the year the net impact of depreciation on Revalued amount of Fixed Assets amounting to ₹18.72 Crores has not been credited to P & L Account, as done up to 31.03.2016, and the same has been transferred to Free Reserves from Revaluation Reserve.

As a result, the profit before tax for the year is higher by ₹78.57 Crores.

Change in Accounting Estimate:

During the year, useful life of some assets has been changed. For those assets, unamortised depreciable amount has been amortised prospectively over the remaining useful life of the assets.

ii) Revenue Recognition (AS 9):

As per Accounting Policy No. 8, given in Schedule – 17, Significant Accounting Policies, certain items of income are recognised on realisation basis on account of statutory requirement or on account of materiality.

iii) Effects of changes in Foreign Exchange Rate (AS 11):

a) The net profit for the year includes an amount of ₹26.30 Crores profit{₹9.44 Crores Loss for the previous year} being the profit/loss booked under difference in Exchange on account of AS-11 valuation of FX Assets & Liabilities (excluding Mirrors).

b) Net Profit for the year includes the Mirror Revaluation loss for 2016-17 of ₹62.86 Crores (₹72.58 Crores Loss for Previous year).

c) Net Profit for the year includes Forward Revaluation profit for 2016-17 of ₹87.29 Crores (₹94.23 Crores Profit for Previous year).

d) In terms of Regulatory directives, Accounting Standard (AS 11) in respect of Forex Assets and Liabilities has been implemented to ensure a fair and true disclosure of the value of the same in the Balance-Sheet.

iv) Employee Benefits (AS 15):

The Bank has accounted for employee benefits as per AS 15 issued by the ICAI.

A reconciliation of Opening and Closing Balances of the present value of the defined benefit obligations and the effects during the period attributable to each of the following is as under:

ए) तुलन–पत्र का मुख्य बीमांकिक अनुमान

	योजना का प्रकार		
	निधिक पेंशन	निधिक उपदान	गैर–निधिक छुट्टी का नकदीकरण
बट्टा दर	6.80%	6.80%	6.80%
प्रत्याशित वेतन वृद्धि की दर	5.25%	5.25%	5.25%
आस्तियों पर प्राप्ति	6.80%	6.80%	NA

बी) दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन–प्रारंभिक और अंतिम शेष का मिलान (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) वर्ष के आरंभ में पी वी ओ	**5,753.87**	**991.33**	**532.62**
बी) जोडें: ब्याज लागत	365.98	62.15	34.13
सी) जोडें: चालू सेवा लागत	557.18	54.28	55.96
डी) घटाएं : प्रदत्त लाभ	743.51	154.52	61.57
ई) जोडें: दायित्व पर बीमांकिक हानि/लाभ प्राप्ति(–)	991.86	111.44	20.68
एफ) वर्ष के अंत में पीवीओ	**6,925.38**	**1,064.68**	**581.82**

सी) नियोजित आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष का मिलान (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) वर्ष के आरंभ में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	**5,652.80**	**954.14**
बी) जोडें: नियोजित आस्तियों पर प्रत्याशित आय	384.39	64.88
सी) जोडें: अंशदान	1,457.96	143.30
डी) घटाएं: प्रदत्त लाभ	743.51	154.52
ई) जोडें: बीमांकिक लाभ/(–)हानि	130.84	21.56
एफ) वर्ष के अंत में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	**6,882.48**	**1,029.36**

डी) तुलन–पत्र में पहचानी गई रकम

(₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार	
	पेंशन	उपदान
ए) वर्ष के अंत पर देयता का वर्तमान मूल्य	6,925.38	1,064.68
बी) वर्ष के अंत पर नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य	6,882.48	1,029.36
सी) निवल	-42.90	-35.32
डी) पहचान न की गई संव्यवहार देयता	0.00	0.00
ई) तुलन–पत्र में पहचानी गई देयता	-42.90	-35.32

ई) लाभ एवं हानि लेखा में पहचाना गया व्यय (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
ए) चालू सेवा लागत	557.18	54.28	55.96
बी) ब्याज लागत	365.98	62.15	34.13
सी) घटाएं: योजना अस्तियों पर प्रत्याशित आय	384.39	64.88	0.00
डी) निवल बीमांकिक हानि/लाभ (–)	861.02	89.88	20.68
लाभ एवं हानि लेखा में पहचाना गया व्यय	**1,399.79**	**141.43**	**110.77**

एफ) तुलन–पत्र में पहचानी गई देयता का परिचालन (₹ करोड़ में)

	योजना का प्रकार		
	पेंशन	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण
प्रारंभिक निवल देयता	101.07	37.19	532.62
लाभ एवं हानि लेखा में पहचाने गए व्यय	1,399.79	141.43	110.77
प्रदत्त/प्रयुक्त अंशदान	1,457.96	143.30	61.57
अंतिम निवल देयता	42.90	35.32	581.82

a. Principal Actuarial Assumptions at the Balance Sheet

	TYPE OF PLAN		
	FUNDED PENSION	FUNDED GRATUITY	UNFUNDED LEAVE ENCASHMENT
Discount Rate	6.80%	6.80%	6.80%
Expected Salary Escalation Rate	5.25%	5.25%	5.25%
Return on Assets	6.80%	6.80%	NA

b. Changes in the Present Value of the Obligations (PVO) - Reconciliation of opening and closing balances

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
a) PVO as at the beginning of the year	**5,753.87**	**991.33**	**532.62**
b) Add: Interest Cost	365.98	62.15	34.13
c) Add: Current Service Cost	557.18	54.28	55.96
d) Less: Benefits Paid	743.51	154.52	61.57
e) Add: Actuarial loss/gain(-) on obligation	991.86	111.44	20.68
f) PVO as at the end of the year	**6,925.38**	**1,064.68**	**581.82**

c. Changes in the Fair Value of plan assets - Reconciliation of opening and closing balance

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN	
	PENSION	GRATUITY
a) Fair Value of plan assets at the beginning of the year	**5,652.80**	**954.14**
b) Add: Expected Return on Plan Assets	384.39	64.88
c) Add: Contributions	1,457.96	143.30
d) Less: Benefits Paid	743.51	154.52
e) Add: Actuarial gain / (-)loss	130.84	21.56
f) Fair Value of Plan Assets at the end of the year	**6,882.48**	**1,029.36**

d) Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN	
	PENSION	GRATUITY
a) Present Value of obligation at the end of the year	6,925.38	1,064.68
b) Fair Value of plan assets at the end of the year	6,882.48	1,029.36
c) Net	-42.90	-35.32
d) Unrecognised transitional liability	0.00	0.00
e) Liability Recognised in the Balance Sheet	-42.90	-35.32

e. Expense Recognized in the Profit and Loss Account (₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
a) Current Service Cost	557.18	54.28	55.96
b) Interest Cost	365.98	62.15	34.13
c) Less: Expected Return on Plan Assets	384.39	64.88	0.00
d) Net Actuarial Loss / Gain(-)	861.02	89.88	20.68
Expenses Recognised in Profit and Loss Account	**1,399.79**	**141.43**	**110.77**

f. Movement in the Liability Recognized in Balance Sheet

(₹ in crores)

	TYPE OF PLAN		
	PENSION	GRATUITY	LEAVE ENCASHMENT
Opening Net Liability	101.07	37.19	532.62
Expenses recognised in Profit and Loss Account	1,399.79	141.43	110.77
Contributions Paid / Utilised	1,457.96	143.30	61.57
Closing Net Liability	42.90	35.32	581.82

v) खण्डवार रिपोर्टिंग (एएस 17)/Segment Reporting (AS 17)

भाग ए: कारोबार खण्ड/Part A: Business Segments

(₹ करोड़ में/in crores)

कारोबार खण्ड/Business Segments	कोष/Treasury		कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग/ Corporate / Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग/ Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल/Total	
विवरण/Particulars	चाव/CY	पिव/PY	चाव/CY	पिव/PY	चाव/CY	पिव/PY	चाव/CY	पिव/PY	चाव/CY	पिव/PY
राजस्व/Revenue	**7,878**	**6,913**	**9,273**	**9,005**	**8,711**	**9,457**	**561**	**456**	**26,423**	**25,831**
परिणाम/Result	1,582	1,122	(2,634)	(3,569)	2,515	3,395	(845)	(959)	618	(11)
अनांबटित व्यय/Unallocated Expenses	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0	883
अनांबटित आय/Unallocated Income	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	194	0
आय कर/Income Tax	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	294	623
असाधारण लाभ/हानि/Extraordinary Profit / Loss	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0	0
निवल लाभ/Net Profit	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	518	(1,517)
अन्य सूचना/Other Information	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
खण्डवार आस्तियां/Segment Assets	72,771	79,918	1,29,600	1,42,882	70,070	58,486	24,165	24,264	2,96,606	3,05,550
अनाबंटित आस्तियां/Unallocated Assets	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	3,984	3,783
कुल आस्तियां/Total Assets	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	3,00,590	3,09,333
खण्डवार देयताएं/Segment Liabilities	69,893	77,127	1,24,475	1,37,893	67,299	56,444	23,209	23,416	2,84,876	2,94,880
अनाबंटित देयताएं/Unallocated Liabilities	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	0	0
कुल देताएं /Total Liabilities	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	2,84,876	2,94,880

चा.व–चालू वर्ष पि.व–पिछला वर्ष

भाग बी: भौगोलिक खंड (₹ करोड़ में)

	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व	25,474	24,889	949	942	26,423	25,831
आस्तियां	2,68,528	2,73,486	32,062	35,847	3,00,590	3,09,333

नोट:

1. जहाँ आवश्यक समझा गया हो वहाँ पिछली अवधि/वर्ष के आंकडों को पुन: वर्गीकृत/समूहित किया गया ताकि समीक्षाधीन अवधि के साथ उसकी तुलना की जा सके।
2. लेखा मानकों के अनुपालन संबंधी भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों ने राजकोष परिचालनों, कॉरपोरेट, खुदरा एवं अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक कारोबार खंड तथा घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय को माध्यमिक/भौगोलिक खंड के रूप में अपनाया है।

vi) संगत पार्टी प्रकटीकरण (एएस 18):

ए) संगत पार्टियों के नाम और उनके संबंध

ए) अनुषंगी:

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

बी) सहायक संस्थाएं:

प्रथमा बैंक

कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक

आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक

सी) प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक एवं उनके पारिश्रमिक

प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	पदनाम	अवधि	पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ता (₹ लाख में)	
			2016-17	2015-16
श्री अरुण श्रीवास्तव	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	15.05.2015 से	**28.12**	18.94
श्री टी. के श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	01.09.2013 से 31.07.2016 तक	**13.72**	23.02
श्री आर. एस. पाण्डेय	कार्यपालक निदेशक	10.03.2015 से	**24.03**	18.21
श्री सीएच. एस एस मल्लिकार्जुन राव	कार्यपालक निदेशक	15.09.2016 से	**12.90**	लागू नहीं
कुल			**78.77**	**60.17**

डी) संगत पार्टी लेन-देन (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक के संबंधी	कुल
1.	बकाया उधार	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.00	0.00	0.00
2.	बकाया जमा	0.49	0.01	0.50
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.55	0.01	0.56
3.	बकाया निवेश	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.00	0.00	0.00

CY – Current Year PY – Previous Year

Part B: Geographic Segments

(₹ in crores)

	Domestic		International		Total	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Revenue	25,474	24,889	949	942	26,423	25,831
Assets	2,68,528	2,73,486	32,062	35,847	3,00,590	3,09,333

Note:

1. Figures of the previous period/year have been reclassified/regrouped/recost wherever considered necessary to make them comparable with the period under review.
2. As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards, bank has adopted Treasury Operations, Corporate, Retail and other Banking Operations as Primary business segments and Domestic and International as Secondary/ Geographic segments.

vi) Related Party Disclosures (AS 18):

(A) Names of Related Parties and their Relationship:

a) Subsidiary:

Syndbank Services Limited

b) Associates:

Prathama Bank

Karnataka Vikas Grameena Bank

Andhra Pragathi Grameena Bank

c) Key Management Personnel and their remuneration:

Key Management Personnel	Designation	Period	Remuneration and other allowances (₹in lakhs)	
			2016-17	2015-16
Sri Arun Shrivastava	Managing Director & CEO	From 15-05-2015	**28.12**	18.94
Sri T. K. Srivastava	Executive Director	From 01-09-2013 To 31-07-2016	**13.72**	23.02
Sri R S Pandey	Executive Director	From 10-03-2015	**24.03**	18.21
Sri CH. S S Mallikarjuna Rao	Executive Director	From 15-09-2016	**12.90**	NA
TOTAL			**78.77**	**60.17**

d) Related Party Transactions (₹ in Crores)

Sr. No.	Particulars	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	TOTAL
1.	Borrowings outstanding	0.00	0.00	0.00
	Maximum during the year	0.00	0.00	0.00
2.	Deposits outstanding	0.49	0.01	0.50
	Maximum during the year	0.55	0.01	0.56
3.	Investments outstanding	0.00	0.00	0.00
	Maximum during the year	0.00	0.00	0.00

क्र.सं.	विवरण	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक	प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक के संबंधी	कुल
4.	बकाया अग्रिम	0.20	0.41	0.61
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.22	0.42	0.64
5.	गैर निधिक प्रतिबद्धता	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.00	0.00	0.00
6.	पट्टे/एच-पी व्यवस्था ली गई	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.00	0.00	0.00
7.	पट्टे/एच-पी व्यवस्था प्रदान किया गया	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान अधिकतम	0.00	0.00	0.00
8.	ब्याज प्रदत्त	0.02	0.00	0.02
9.	ब्याज प्राप्त	0.01	0.01	0.02
10.	पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ते	0.79	0.00	0.79
11.	सेवाएँ दी गई	0.00	0.00	0.00
12.	सेवाएँ ली गई	0.00	0.00	0.00
13.	संविदाओं के प्रबंध	0.00	0.00	0.00
14.	कोई अन्य प्राप्य	0.00	0.00	0.00
15.	कोई अन्य देय	0.00	0.00	0.00

नोट: एएस 18 के पैरा 9 ''संगत पार्टी प्रकटीकरण'' जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को अपने से संबंधित पार्टियों सहित अपने संव्यवहारों के बारे में किसी प्रकार का प्रकटीकरण से छूट देता है जो कि वे भी राज्य द्वारा नियंत्रित है ।

vii) प्रति शेयर अर्जन (एएस 20):

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
लाभ एवं हानि खाते (ए) के अनुसार निवल लाभ (₹ हजार में)	**358,94,93**	-1643,48,56
ईक्विटी शेयरों (बी) की भारित औसत संख्या	**85,16,64,748**	66,22,81,923
आमदनी प्रतिशेयर (रुपयों में) (सी = ए/बी)	**4.21**	-24.38
अंकित मूल्य प्रतिशेयर (₹)	**10.00**	10.00

viii) आयकर का लेखाकरण (एएस 22):

बैंक ने एएस 22 की अपेक्षाओं का पालन किया है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार डी.टी.ए./डी.टी.एल. का निवल शेष ₹170.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹424.73 करोड़) था जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (₹ करोड़ में)

आस्थगित कर आस्तियां	31-03-2017	31-03-2016
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	201.36	184.33
पुन:संरचित आस्तियों पर ब्याज के लिए प्रावधान	134.06	195.96
प्रावधानों के प्रति समय के अंतर के कारण	1,176.67	594.24
अन्य	52.11	76.85
कुल	**1,564.20**	**1,051.38**
आस्थगित कर देयताएं		(₹ करोड़ में)
ब्याज उपचित हुआ परंतु प्रतिभूतियों पर देय नहीं है।	414.84	450.50
धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित	532.48	471.92
निवेशों पर मूल्यह्रास के कारण	414.69	545.85
स्थाई परिसंपत्तियों के डब्ल्यूडीवी में अंतर	31.94	7.84
कुल	**1,393.95**	**1,476.11**
निवल (डीटीए)/डीटीएल	**(170.25)**	**424.73**

ix) अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग (एएस 25):

मूल बैंक, भा.रि.बैं. परिपत्र सं.डी.बी.एस.ए.आर.एस.सं. बी.सी. 2/08.91.001/2016-17 दिनांक 28 जुलाई, 2016 के अनुसार अपने खातों के त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित फार्मेट को अपना रहा है।

x) आस्तियों की हानि (ए एस 28):

बैंक के प्रबंधन के विचारानुसार बैंक की कोई भी आस्तियों की हानि नहीं है ।

xi) प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस 29)

प्रावधानों का चलन (अन्य प्रावधानों को छोडकर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएँ	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक शेष	3.44	12.52
वर्ष के दौरान उपलब्ध	0.26	-9.08
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	0.00	0.00
अंतिम शेष	3.70	3.44
निधियों का बहिर्गमन/अनिश्चितताएँ	निपटान पर बहिर्गमन/परिणति	

लेखा परीक्षकों पर विश्वास करते हुए प्रबंधन द्वारा तैयार ।

Sr. No.	Particulars	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	TOTAL
4.	Advances outstanding	0.20	0.41	0.61
	Maximum during the year	0.22	0.42	0.64
5.	Non-funded commitments	0.00	0.00	0.00
	Maximum during the year	0.00	0.00	0.00
6.	Leasing /HP arrangements availed	0.00	0.00	0.00
	Maximum during the year	0.00	0.00	0.00
7.	Leasing /HP arrangements provided	0.00	0.00	0.00
	Maximum during the year	0.00	0.00	0.00
8.	Interest paid	0.02	0.00	0.02
9.	Interest received	0.01	0.01	0.02
10.	Remuneration and other allowances	0.79	0.00	0.79
11.	Rendering of services	0.00	0.00	0.00
12.	Receiving of services	0.00	0.00	0.00
13.	Management of contracts	0.00	0.00	0.00
14.	Any other receivable	0.00	0.00	0.00
15.	Any other payable	0.00	0.00	0.00

Note: The transactions with the subsidiaries and certain associates have not been disclosed in view of Para 9 of AS 18 "Related Party Disclosure" which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also State Controlled.

vii) Earnings Per Share (AS 20):

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
Net Profit as per Profit and Loss Account (A) (₹ in Thousands)	**358,94,93**	-1643,48,56
Weighted Average Number of Equity Shares (B)	**85,16,64,748**	66,22,81,923
Earnings Per Share (EPS in ₹) (C= A/B)	**4.21**	-24.38
Face Value Per Share (₹)	**10.00**	10.00

viii) Accounting for Taxes on Income (AS 22):

The Bank has complied with the requirements of AS 22. The net balance of (DTA) / DTL as on March 31, 2017 amounting to ₹(170.25) Crores {Previous Year DTL ₹424.73 Crores} consists of the following:

(₹ in Crores)

Deferred Tax Assets	31-03-2017	31-03-2016
Provision for Leave Encashment	201.36	184.33
Provision for Restructured Assets	134.06	195.96
On account of timing difference towards provisions	1,176.67	594.24
Others	52.11	76.85
Total	**1,564.20**	**1,051.38**
Deferred Tax Liabilities		(₹ in Crores)
Interest accrued but not due on securities	414.84	450.50
Special Reserve u/s 36(1)(viii)	532.48	471.92
On account of depreciation on Investments	414.69	545.85
Difference in WDV of Fixed Assets	31.94	7.84
Total	**1,393.95**	**1,476.11**
Net (DTA)/DTL	**(170.25)**	**424.73**

ix) Interim Financial Reporting (AS 25):

The Parent Bank is adopting the format prescribed by the RBI for the purpose of quarterly return of its accounts as per RBI Circular No.: DBS. ARS.No.BC. 2/08.91.001/2016-17 dated July 28, 2016.

x) Impairment of Assets (AS 28):

In the opinion of the Management of the Bank, there is no indication of impairment of assets of the Bank.

xi) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS 29):

Movement of provisions (excluding provisions for other)

(₹ in Crores)

Particulars	Legal Cases / Contingencies	
	Current Year	Previous Year
Opening Balances	3.44	12.52
Provided during the year	0.26	-9.08
Amount used during the year	0.00	0.00
Closing Balance	3.70	3.44
Timing of Outflow / uncertainties	Outflow on settlement / crystallization	

Prepared by the management and relied upon by the Auditors.

14. अन्य प्रकटीकरण

ए) धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधानीकरण

वर्ष के दौरान कुल धोखाधड़ी के **191** मामले थे जिसकी कुल राशि **₹385. 07** करोड़ थी। उसे प्राप्त सीजीसी दावे को अलग करके पूर्णत: प्रदान किया गया और वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर अपरिशोधित प्रावधानों की प्रमात्रा अन्य ''आरक्षित निधियों'' से नामे करने पर **शून्य** है।

बी) प्रावधान और आकस्मिक व्यय (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	**175.70**	224.68
एन.पी.ए. के लिए प्रावधान	**3,545.44**	3,638.37
आय कर/आस्थगित कर के लिए प्रावधान	**294.41**	622.92
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय	**(139.87)**	409.81
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	**(190.04)**	409.80
पुनर्रचित खातों के लिए प्रावधान	**(178.83)**	(340.65)
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	**0.00**	140.00
कर्मचारी कल्याण निधि	**20.00**	20.00
अशोध्य ऋण बट्टे खाते डालना	**148.50**	83.12
सेनवेट प्रत्यावर्तन के लिए प्रावधान	**44.88**	37.01
पिग्मी एजंट को उपदान देयता के लिए प्रावधान	**(2.74)**	5.00
धोखाघड़ी के मामलों के लिए प्रावधान	**5.68**	21.43
उपभोक्ता/दीवानी मुकदमें लिए प्रावधान	**0.23**	(0.04)
अरक्षित विदेशी मुद्रा के लिए प्रावधान	**8.00**	17.00
अन्य प्रावधान/(अतिरिक्त प्रावधानों का प्रत्यावर्तन)	**4.45**	17.14
कुल	**3,875.68**	**4,895.78**

सी) अस्थायी प्रावधान के संचलन (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
ए) अस्थायी प्रावधान लेखे में प्रारंभिक शेष	**102.21**	102.21
बी) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि	**0.00**	0.00
सी) लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि	**0.00**	0.00
डी) अस्थायी प्रावधान लेखे में इतिशेष	**102.21**	102.21

डी) भा.रि.बैं. द्वारा लगाए गए दंड

वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(i) के साथ पठित धारा 47(ए) (1) (सी) अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में मूल बैंक पर ₹3 करोड़ का सकल दंड प्रभारित किया गया है (पिछले वर्ष में शून्य)।

ई) आरक्षित निधियों से आहरण किए गए

वर्ष के दौरान आरक्षित निधि से आहरण शून्य है।

एफ) ग्राहक से प्राप्त शिकायतों की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	31-03-2017	31-03-2016
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**362**	143
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	**11,088**	5,060
3.	वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की सं.	**11,046**	4,841
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	**404**	362

जी) बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामले

क्र. सं.	विवरण	31-03-2017	31-03-2016
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**39**	31
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल को प्रेषित मामले	**668**	610
3.	वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले	**656**	602
4.	वर्ष के अंत में लंबित मामले	**51**	39

14. OTHER DISCLOSURES

a) Provisioning pertaining to Fraud Accounts:

During the year, the total number of frauds incurred were **191** amounting to **₹385.07** Crores, the same are fully provided net of CGC claims received and quantum of unamortised provision debited from "other reserves" as at the end of FY 2016-17 is **NIL.**

b) Provisions and Contingencies: (₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
Provision for depreciation on investment	**175.70**	224.68
Provision towards NPA	**3,545.44**	3,638.37
Provision towards Income Tax and Deferred Tax	**294.41**	622.92
Other provisions and contingencies	**(139.87)**	409.81
Provision towards Standard Assets	**(190.04)**	409.80
Provision for Restructured Accounts	**(178.83)**	(340.65)
Provision for Wage Revision	**0.00**	140.00
Staff Welfare Fund	**20.00**	20.00
Bad Debts written off	**148.50**	83.12
Provision for Cenvat Reversal	**44.88**	37.01
Provision for Gratuity liability of Pigmy Agents	**(2.74)**	5.00
Provision for Fraud Cases	**5.68**	21.43
Provision for Consumer/Civil Cases	**0.23**	(0.04)
Provision for Unhedged Foreign Currency	**8.00**	17.00
Other Provisions/(Reversal of Excess provisions)	**4.45**	17.14
Total	**3,875.68**	**4,895.78**

c) Movement of Floating Provision

(₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
(a) Opening Balance in the floating provision account	**102.21**	102.21
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	**0.00**	0.00
(c) Amount of draw down made during the accounting year	**0.00**	0.00
(d) Closing Balance in the floating provision account	**102.21**	102.21

d) Penalties imposed by RBI

During the year, Reserve Bank of India has imposed aggregate penalty of ₹3 Crores (Rupees Three Crores only) on the Parent Bank in the exercise of powers conferred under Section 47 (A) (1) (c) read with Section 46 (4) (i) of the Banking Regulation Act, 1949. (Previous Year Nil).

e) Draw down from Reserves

During the year, withdrawal from reserves is **NIL.**

f) Status of Customer Complaints

Sl. No.	Particulars	31-03-2017	31-03-2016
1	No. of complaints pending at the beginning of the year	**362**	143
2	No. of complaints received during the year	**11,088**	5,060
3	No. of complaints redressed during the year	**11,046**	4,841
4	No. of complaints pending at the end of the year	**404**	362

g) Cases referred to Banking Ombudsman

Sl. No.	Particulars	31-03-2017	31-03-2016
1	Complaints Pending at the beginning of the year	**39**	31
2	Cases referred to the Banking Ombudsman during the year	**668**	610
3	Cases Disposed during the year	**656**	602
4	Cases pending at the end of the year	**51**	39

एच) बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के प्रति पारित अधिनिर्णय

क्र. सं.	विवरण	31-03-2017	31-03-2016
1.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	**2**	0
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं.	**24**	11
3.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	**21**	9
4.	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	**5**	2

आई) ग्राहकों की शिकायतें–कार्ड सेंटर से संबंधित–ए टी एम संव्यवहारों के लिए पंजीकृत

क्र. सं.	विवरण	31-03-2017	31-03-2016
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	**396**	238
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	**22,327**	15,351
3.	वर्ष के दौरान दूर की गई शिकायतों की संख्या	**21,487**	15,193
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	**1,236**	396

जे) मूल बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

(ए) अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई और शाखाओं द्वारा हमारी लंदन शाखा के पक्ष में जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

मूल बैंक ने निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. के अनुमोदन से यू.के. के एफ.एस.ए. (वित्तीय सेवाएं प्राधिकरण) को वचन दिया है कि एफ.एस.ए. यू.के. की नयी चलनिधि प्रणाली के अंतर्गत लंदन शाखा (यदि आवश्यकता है तो) के ''संपूर्ण चलनिधि संशोधन'' के लिए किए गए आवेदन के संबंध में अपनी लंदन शाखा को हमेशा चलनिधि संसाधन उपलब्ध कराएगा ।

राजकोष एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग, मुंबई ने, बैंक के निदेशक मंडल व अनुमोदन से यू.एस.डॉलर 75 मिलियन का चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया और यू.एस. डॉलर 100.00 मिलियन का प्रतिबद्धता पत्र (दि. 31.12.2017 तक वैध) जारी किया ।

(बी) कॉरपोरेट ग्राहकों को क्रेता उधार सुविधा के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र

शाखाओं ने अपने नैगम ग्राहकों की ओर से क्रेता को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से सिंडिकेटबैंक, लंदन शाखा के पक्ष में 31.03.2017 को ₹ 32.56 करोड़ तक के चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं। (पिछला वर्ष ₹568.62 करोड़)

कॉरपोरेट ग्राहकों को क्रेता की साख पर उधार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा विदेशी बैंकों एवं भारत के बाहर स्थित विभिन्न भारतीय बैंकों की शाखाओं के पक्ष में जारी आश्वासन पत्र की रकम दि. 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार ₹1697.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3105.91करोड़) है।

दि. 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार हमारी शाखाओं द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र की सकल बकाया राशि ₹ 1,729.73 करोड़ है। (पिछले वर्ष ₹3674.53 करोड़)

जब अंतर्निहित संपर्क संस्थाओं से/के आश्वासन पत्र की गुणवत्ता, साख श्रेणी/वैश्विक श्रेणी, प्रतिभूतियाँ, संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ और उपलब्ध प्रति-गारंटी का ध्यान रखा जाता है तब आश्वासन पत्र जारी करने के कारण वित्तीय प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है।

के) बीमा कारोबार

वर्ष 2016 - 17 के दौरान बैंकाश्योरेन्स कारोबार से प्राप्त आय ₹ 1,623.30 लाख है जबकि पिछले वर्ष ₹1,461.22 लाख था। इसमें ₹ 654.28 लाख (पिछले वर्ष ₹556.47 लाख) की राशि जीवन बीमा कारोबार से है और ₹ 969.02 लाख (पिछले वर्ष ₹ 904.75 लाख) की राशि गैर जीवन बीमा कारोबार से है ।

एल) जमाराशियों, अग्रिमों, उधार तथा अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

ए. जमाराशियों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
20 बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	**42,759.71**	49,547.04
मूल बैंक की कुल जमाराशियों में 20 बड़े जमाकर्ताओं की प्रतिशतता	**16.41%**	18.93%

h) **Awards passed against the Bank by the Banking Ombudsman**

Sl. No.	Particulars	31-03-2017	31-03-2016
1	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	**2**	0
2	No. of awards passed by the Banking Ombudsman during the year	**24**	11
3	No. of awards implemented during the year	**21**	9
4	No. of unimplemented Awards at the end of the year	**5**	2

i) **Customer Complaints – Related to Card Centre – Registered for ATM Transaction**

Sl. No.	Particulars	31-03-2017	31-03-2016
1	No. of complaints pending at the beginning of the year	**396**	238
2	No. of complaints received during the year	**22,327**	15,351
3	No. of complaints redressed during the year	**21,487**	15,193
4	No. of complaints pending at the end of the year	**1,236**	396

j) **Letters of comfort issued by the Parent Bank**

(a) Letters of Comfort issued in favour of overseas branch at LONDON by International Division, Mumbai & Branches

The Parent Bank has given an undertaking to FSA (Financial Services Authority) of U.K. with approval from the Board of Directors / RBI, that it will make available liquidity resources at all times to its London Branch (if needed) in connection with application made for "Whole form liquidity modification" of the London Branch under the new liquidity regime of FSA U.K.

Treasury and International Banking Department, Mumbai issued Letter of Comfort amounting to USD 75.00 Mio and also issued a letter of commitment amounting to USD 100.00 Mio (valid upto 31-12-2017) with approval from the Board of Directors of the Parent Bank.

(b) Letters of Comforts issued by our Branches for the purpose of providing Buyer's Credit facility to Corporate Clients:

Branches have issued Letters of Comfort on behalf of their corporate customers in favour of SyndicateBank, London Branch for providing Buyer's Credit, to the extent of ₹32.56 Crores as on 31-03-2017 (Previous Year ₹568.62 Crores).

Letters of Comfort issued by the Branches for the purpose of providing buyers credit facility to corporate clients, in favour of various Foreign Banks and Indian Banks' Branches outside India, is ₹1,697.17 Crores as on 31-03-2017 (Previous Year ₹3,105.91 Crores).

The Outstanding Gross Amount of Letters of Comfort issued by our Branches as on 31-03-2017 stands at ₹1,729.73 Crores (Previous Year ₹ 3,674.53 Crores).

The financial impact on account of letters of comfort issued may not be significant when the quality of Letters of Comfort, Credit Ratings/World Rankings, Securities, Collaterals and Counter Guarantees available of/from the underlying reference entities are taken into account.

k) **Insurance Business**

The total income from the Bancassurance Business during the year 2016 - 17 is ₹1,623.30 Lakhs as against ₹1,461.22 Lakhs in the previous year. This comprises of ₹654.28 Lakhs (PY ₹556.47 Lakhs) from Life Insurance business and ₹969.02 Lakhs (PY ₹904.75 Lakhs) from Non-Life Insurance business.

l) **Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs.**

A. CONCENTRATION OF DEPOSITS (₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
Total Deposits of twenty largest depositors	**42,759.71**	49,547.04
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Parent Bank	**16.41%**	18.93%

बी. अग्रिमों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
20 बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	**29,179.16**	25,277.11
बैंक के कुल अग्रिमों में 20 बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों की प्रतिशतता	**10.56%**	11.16%

सी. निवेश का संकेन्द्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल निवेश	**29,647.74**	30,438.07
उधारकर्ताओं/ग्राहकों को मूल कंपनी द्वारा किए गए निवेश में 20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के उधार की प्रतिशतता	**10.45%**	11.01%

डी. आंतरिक-समूह एक्सपोजर (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
आंतरिक-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	**1,626.27**	1,826.27
20 बड़ी आंतरिक-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	**1,626.27**	1,826.27
उधारकर्ता/ग्राहक पर मूल बैंक के कुल एक्सपोजर में आंतरिक-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत	**0.57%**	0.66%
आंतरिक-समूह एक्सपोजर एवं विनियामक कार्यवाही में सीमाओं के भंग होने के विवरण	**शून्य**	शून्य

ई. अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
चार बड़े एन.पी.ए. खातों को दिए गए कुल उधार	**4,200.17**	3,483.93

एम) क्षेत्रवार अग्रिम (₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	क्षेत्र*	31-03-2017 बकाया कुल अग्रिम	31-03-2017 सकल एनपीए	31-03-2017 उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एन पी ए का प्रतिशत	31-03-2016 बकाया कुल अग्रिम	31-03-2016 सकल एन पी ए	31-03-2016 उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में सकल एन पी ए का प्रतिशत
ए	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	**31,878.17**	**2,246.17**	**7.05**	29,898.86	1,536.06	5.14
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के योग्य उद्योग क्षेत्रों को अग्रिम	**8,288.81**	**610.73**	**7.37**	8,201.21	534.77	6.52
3	सेवाएँ	**16,190.10**	**1,379.75**	**8.52**	15,978.94	818.82	5.12
4	वैयक्तिक ऋणों	**11,547.66**	**813.42**	**7.04**	11,865.97	503.14	4.24
	उप-जोड (ए)	**67,904.74**	**5,050.07**	**7.44**	65,944.98	3,392.79	5.14
बी	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2	उद्योग	**58,486.26**	**10,040.41**	**17.17**	57,684.11	8,297.80	14.38
3	सेवाएँ	**61,782.17**	**1,572.43**	**2.55**	65,514.39	1,099.14	1.68
4	वैयक्तिक ऋण	**18,891.61**	**946.40**	**5.01**	17,305.79	1,042.43	6.02
	उप-जोड (बी)	**1,39,160.04**	**12,559.24**	**9.03**	1,40,504.29	10,439.37	7.43
	कुल (ए+बी)	**2,07,064.78**	**17,609.31**	**8.50**	2,06,449.27	13,832.16	6.70

एन) अनर्जक आस्तियों का संचलन (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
वर्ष के प्रारंभ में सकल अनर्जक आस्तियां	**13,832.16**	**6,442.38**
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां)	**8,137.95**	12.200.54
उप-जोड (ए)	**21,970.11**	**18,642.92**
घटाएं:		
i) स्तरोन्नयन	**1,589.90**	2,120.77
ii) वसूलियां (स्तरोन्नत खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	**1,500.21**	1,260.29
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते लिखना	**1,081.03**	1,344.26
iv) उपरोक्त के (iii) के अंतर्गत उल्लेखित मदों को छोड़कर अन्य बट्टे खाते लिखे गए मामलें	**189.66**	85.44
उप-जोड़ (बी)	**4,360.80**	**4,810.76**
वर्ष के अंत में सकल अनर्जक आस्तियां (ए-बी)	**17,609.31**	**13,832.16**

B. CONCENTRATION OF ADVANCES (₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
Total Advances to twenty largest borrowers	**29,179.16**	25,277.11
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	**10.56%**	11.16%

C. CONCENTRATION OF EXPOSURES (₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	**29,647.74**	30,438.07
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Parent Bank on borrowers /customers	**10.45%**	11.01%

D. INTRA-GROUP EXPOSURES (₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
Total amount of intra-group exposures	**1,626.27**	1,826.27
Total amount of top-20 intra-group exposures	**1,626.27**	1,826.27
Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Parent Bank on borrowers/customers	**0.57%**	0.66%
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon	**Nil**	Nil

E. CONCENTRATION OF NPAs (₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
Total Exposure to top four NPA accounts	**4,200.17**	3,483.93

m) Sector-wise Advances (₹ in crores)

Sl. No.	Sector*	31.03.2017 Outstanding Total Advances	31.03.2017 Gross NPAs	31.03.2017 % of Gross NPAs to Total Advances in that sector	31.03.2016 Outstanding Total Advances	31.03.2016 Gross NPAs	31.03.2016 % of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	**31,878.17**	**2,246.17**	**7.05**	29,898.86	1,536.06	5.14
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	**8,288.81**	**610.73**	**7.37**	8,201.21	534.77	6.52
3	Services	**16,190.10**	**1,379.75**	**8.52**	15,978.94	818.82	5.12
4	Personal loans	**11,547.66**	**813.42**	**7.04**	11,865.97	503.14	4.24
	Sub-total (A)	**67,904.74**	**5,050.07**	**7.44**	65,944.98	3,392.79	5.14
B	**Non-Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00	0.00
2	Industry	**58,486.26**	**10,040.41**	**17.17**	57,684.11	8,297.80	14.38
3	Services	**61,782.17**	**1,572.43**	**2.55**	65,514.39	1,099.14	1.68
4	Personal loans	**18,891.61**	**946.40**	**5.01**	17,305.79	1,042.43	6.02
	Sub-total (B)	**1,39,160.04**	**12,559.24**	**9.03**	1,40,504.29	10,439.37	7.43
	Total (A+B)	**2,07,064.78**	**17,609.31**	**8.50**	2,06,449.27	13,832.16	6.70

n) Movement of NPAs (₹ in crores)

PARTICULARS	31-03-2017	31-03-2016
Gross NPAs at the beginning of the year	**13,832.16**	**6,442.38**
Additions (Fresh NPAs) during the year	**8,137.95**	12.200.54
Sub-Total (A)	**21,970.11**	**18,642.92**
Less:		
(i) Upgradations	**1,589.90**	2,120.77
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	**1,500.21**	1,260.29
(iii) Technical/Prudential Write-offs	**1,081.03**	1,344.26
(iii) Write-offs other than those under (iii) above	**189.66**	85.44
Sub-Total (B)	**4,360.80**	**4,810.76**
Gross NPAs at the end of the year **(A - B)**	**17,609.31**	**13,832.16**

ओ) विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन का चलन (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
वर्ष के प्रारंभ में विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन खातों में प्रारंभिक शेष	**5,649.95**	**5,070.46**
जोड़ें : वर्ष के दौरान विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन	**1,081.03**	1,344.26
उप-जोड़ (ए)	**6,730.98**	**6,414.72**
घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले विवेक सम्मत/तकनीकी अपलेखन खातों से की गई वसूलियाँ **(बी)**	**476.29**	764.77
वर्ष के अंत में इतिशेष **(ए-बी)**	**6,254.69**	**5,649.95**

पी) विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियां और राजस्व (₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
कुल आस्तियां	**37,324.16**	39,552.18
कुल अनर्जक आस्तियां	**1,947.62**	1,858.28
कुल एनपीआई	**0.00**	0.00
कुल राजस्व	**948.57**	942.22

नोट : तुलन पत्र में कुल आस्तियों, कुल एनपीए और कुल एनपीआई के लिए आंकड़े को स्पॉट कॉनवर्सेशन दर के साथ तैयार किया गया है। जब कि कुल राजस्व को तिमाही औसत दर (क्यूएआर) पर तिमाही सकल राजस्व के साथ तैयार किया गया है।

क्यू) तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी. (लेखाकरण मानदण्ड के अनुसार जिनको समेकित करना है)

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम	
घरेलू	**विदेशी**
शून्य	शून्य

आर) प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है चूँकि बैंक ने किसी एस पी वी का प्रायोजकत्व नहीं किया है ।

एस) अचल आस्तियाँ

बैंक के कुछ परिसरों के मामले में अधिकारों के हस्तांतरण संबंधी प्रलेखन औपचारिकताएँ अभी पूरी की जानी हैं। फिर भी, प्राप्त की गई कानूनी राय के अनुसार अपने स्वत्वाधिकार को प्रमाणित करने के प्रलेख बैंक के पास हैं।

टी) अंतर शाखा लेन-देन, अन्य बैंकों सहित खातों का समाशोधन एवं अन्य संयोजन जो समाधान के विभिन्न स्तरों पर होने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन की राय में ऐसे समाधान से होनेवाले वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं होगा ।

यू) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरुकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण (₹ करोड़ में)

विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	वित्तीय वर्ष 2015-16
डीईएएफ को अंतरण के लिए प्रारंभिक शेष राशि	**411.95**	376.90
जोड़े: वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	**180.42**	38.69
घटाएं: डीईएएफ द्वारा दावे के माध्यम से प्रतिपूरित राशियां	**7.27**	3.64
डीईएएफ को अंतरित इतिशेष राशि	**585.10**	**411.95**

वी) अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर : (₹ करोड़ में)

विवरण	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	वित्तीय वर्ष 2015-16
यूएफसीई प्रावधान के लिए प्रारंभिक शेष राशि	52.00	35.00
जोड़ें: चालू वर्ष के दौरान प्रावधान की वृद्धि/विपर्यय	8.00	17.00
यूएफसीई प्रावधान के इतिशेष	60.00	52.00

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीओडी 85/21.06.200 /2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. बीडीओडी नं. बीपी.बीसी. 116/21.06.200 /2013-14 दिनांक 03 जून 2014 के द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) वाली संस्थाओं को एक्सपोजर हेतु पूंजी और प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के संबंध में मूल बैंक के पास नीति है।
मूल बैंक की नीति के आधार पर उधारकर्ताओं से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं और तदनुसार वर्षांत 31.3.2017 के लिए न्यूनतम ₹ 119.34 करोड़ की पूंजी अपेक्षा के परिप्रेक्ष्य में ₹ 60 करोड़ राशि वाली यूएफसीई और ₹ 1,164.26 करोड़ का अतिरिक्त आरडब्ल्यूए का प्रावधान किया गया है।

डब्ल्यू) पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां आवश्यक पाया गया है वहां उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत किया गया है ।

o) Movement of Technical/Prudential Write-offs (₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
Opening balance of Technical / Prudential written- off accounts as at the beginning of the year	**5,649.95**	**5,070.46**
Add : Technical / Prudential write-offs during the Year	**1,081.03**	1,344.26
Sub-total (A)	**6,730.98**	**6,414.72**
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year **(B)**	**476.29**	764.77
Closing balance as at the end of the year **(A-B)**	**6,254.69**	**5,649.95**

p) Overseas Assets, NPAs and Revenue (₹ in crores)

Particulars	31-03-2017	31-03-2016
Total Assets	**37,324.16**	39,552.18
Total NPAs	**1,947.62**	1,858.28
Total NPIs	**0.00**	0.00
Total Revenue	**948.57**	942.22

Note: The figures for Total Assets, Total NPA and Total NPI are drawn with the Balance Sheet position at spot conversation rate, while Total Revenue has been drawn with Total of Quarterly Gross Revenue at Quarterly Average Rates (QAR).

q) Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	**Overseas**
NIL	NIL

r) The disclosures relating to Securitisation is not applicable since the Parent bank has not sponsored any SPVs.

s) Fixed Assets

In respect of certain premises of the Bank, documentation formalities as to transfer of title are yet to be completed. However the Parent bank holds documents to prove its title as per the legal opinions obtained.

t) Inter-Branch transactions, clearing and other adjustment accounts, including with other Banks, which being an on-going process are at various stages of reconciliation. In the opinion of the management, there will not be any material impact on the financial statements arising out of such reconciliation.

u) Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) (₹ in crores)

Particulars	FY 2016-17	FY 2015-16
Opening balance of amounts transferred to DEAF	**411.95**	376.90
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	**180.42**	38.69
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	**7.27**	3.64
Closing balance of amounts transferred to DEAF	**585.10**	**411.95**

v) Unhedged Foreign Currency Exposure : (₹ in Crores)

Particulars	FY 2016-17	FY 2015-16
Opening Balance of UFCE provision	52.00	35.00
Add: incremental/reversal of provision during the current year	8.00	17.00
Closing Balance of UFCE provision	60.00	52.00

The Parent Bank has a policy with regard to capital and provisioning requirements for exposure to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) which is based on RBI Circular No.DBOD.No. BP.BC.85/21.06.200 / 2013-14 dated January 15, 2014 and clarifications received vide RBI Circular No. DBOD.No.BP.BC.116/21.06.200 / 2013-14 dated June 03, 2014. Data has been obtained from the borrowers as per the Parent Bank's policy and accordingly, provision of UFCE amounting to ₹60 Crores and additional RWA of ₹1,164.26 Crores has been provided, against which minimum capital requirement is ₹119.34 Crores for the year ended 31-03-2017.

w) Previous year figures

Previous year figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary to conform to the current year's classification.

अनुसूची – 19: अर्जित अनुषंगियों द्वारा अर्जित शेयर/
SCHEDULE – 19: SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES

(₹ हजार में/₹ in Thousands)

	वर्षांत/Year ended दि. 31.03.2017 को	वर्षांत/Year ended दि. 31.03.2016 को
आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक/Andhra Pragathi Gramina Bank	607279	584304
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक / Karnataka Vikas Grameen Bank	533866	430290
प्रथमा बैंक/Prathama Bank	414761	228016
योग/TOTAL	1555906	1242610

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017

(अप्रत्यक्ष पद्धति/Indirect Method) (₹ हजार में/₹ in thousands)

	विवरण/Particulars	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2016
ए. A.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	निवल लाभ/(हानि)/Net Profit/(Loss)	**361 86 15**	-1641 50 41
	जोड़े/Add: कर प्रावधान/Tax Provision	**294 41 05**	622 91 69
	लाभ कर के पहले (हानि)/Profit/(Loss) Before Taxes	**656 27 20**	-1018 58 72
	समायोजन के लिए/Adjustments For		
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Fixed Assets	**137 32 71**	199 30 28
	अनुषंगियों (आरआरबी) से प्राप्त अर्जन पर परिवर्तन Change in the Share of Earnings from Associates (RRBs)	**151 36 32**	126 26 08
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचर सहित) Depreciation on Investments (Including on Matured Debentures)	**175 69 55**	224 68 38
	बट्टा खाता डाले गए अशोध्य ऋण/अनर्जक आस्तियों संबंधी प्रावधान Bad Debts Written-Off/Provision in Respect of Non-Performing Assets	**3515 10 25**	3380 84 06
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision For Standard Assets	**-190 04 40**	409 80 16
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)/Provision For Other Items (Net)	**80 51 73**	257 53 65
	अचल आस्तियों (निवल) की बिक्री पर (लाभ)/हानि /(Profit)/Loss on Sale of Fixed Assets (Net)	**2 64**	82 55
	अधीनस्थ नामे पर (पृथक मान लिया गया) ब्याज की अदायगी/प्रावधान Payment/Provision for Interest on Subordinated Debt (treated Separately)	**708 66 33**	451 54 86
	अप्राप्य विदेशी विनिमय आरक्षित उतार-चढ़ाव के लिए प्रावधान Adjustment for Unrealised Foreign Exchange Fluctuation Reserve	**-30 73 20**	11 51 27
	अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश (पृथक मान लिया गया) Dividend received from subsidiaries/others (treated separately)	**-**	-
	उप जोड/Sub Total	**5204 19 13**	4043 72 57
	समायोजन/Adjustments for:		
	(वृद्धि)/हानि निवेश/(Increase)/Decrease in Investments	**2829 40 85**	366 85 55
	(वृद्धि)/हानि अग्रिम/(Increase)/Decrease in Advances	**-1815 96 52**	-2029 51 34
	(वृद्धि)/हानि अन्य आस्ति/(Increase)/Decrease in Other Assets	**688 42 75**	-599 83 10
	वृद्धि/(हानि) उधार/Increase/(Decrease) in Borrowings	**-9135 97 67**	-2621 78 41
	वृद्धि/(हानि) जमाराशियाँ/Increase/(Decrease) in Deposits	**-1178 28 73**	6346 17 65
	वृद्धि/(हानि) अन्य देयताएँ एवं प्रावधान/Increase/(Decrease) in Other Liabilities and Provisions	**-751 91 87**	-842 95 63
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (वापसी का निवल)/Direct Taxes Paid (Net of Refund)	**-818 22 01**	-724 71 16
	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता (ए) Net Cash from Operating Activities (A)	**-4978 34 07**	3937 96 13
बी. B.	**निवेश गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	अचल आस्तियों का क्रय/अंतरण/Purchase/Transfer in of Fixed Assets	**-182 50 61**	-304 79 31
	निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया निवल नकद (बी) Net Cash used in Investing Activities (B)	**-182 50 61**	-304 79 31
सी. C.	**वित्तीयन गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	शेयर पूँजी/Share Capital	**201 16 78**	41 31 24
	शेयर आवेदन रकम लंबित आबंटन/Share Application Money Pending Allottment	**-740 00 00**	740 00 00
	शेयर प्रीमियम/Share Premium	**1314 83 22**	175 61 92
	असुरक्षित अधीनस्थ बंधपत्र/Unsecured Subordinated Bonds	**1110 30 00**	1620 00 00
	लाभांश कर सहित लाभांश प्रदत्त Dividend Paid including Dividend Tax	**-**	-374 51 54
	असुरक्षित अधीनस्थ बंधपत्रों पर प्रदत्त/प्रदेय ब्याज/Interest Paid / Payable on Unsecured Subordinated Bonds	**-708 66 33**	-451 54 86
	वित्तीयन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता (सी) Net Cash from Financing Activities (C)	**1177 63 67**	1750 86 76
	नकद एवं नकद तुल्य में निवल वृद्धि/Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	**-3983 21 01**	5384 03 58

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017

(₹ हजार में/₹ in thousands)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2017		31.03.2016 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2016	
I. **वर्ष के प्रारंभ में शेष** **Balances at the beginning of the Year**				
भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with R.B.I.	**13338 55 74**		11974 53 81	
बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**15876 82 67**	**29215 38 41**	11856 81 02	23831 34 83
II. **वर्ष के अंत में शेष** **Balances at the end of the Year**				
भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेष Cash and Balances with R.B.I.	**13108 94 79**		13338 55 74	
बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	**12123 22 61**	**25232 17 40**	15876 82 67	29215 38 41
III. **वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह** **TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR**		**-3983 21 01**		5384 03 58
नकदी प्रवाह में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Cash Flow				

दीपेश डी देढ़िया/DEEPESH D DEDHIA
सहायक महा प्रबंधक /Asst. General Manager

जी मोहन राव/G MOHAN RAO
महा प्रबंधक /General Manager

सीएच एस एस मल्लिकार्जुन राव/CH S S MALLIKARJUNA RAO
कार्यपालक निदेशक/Executive Director

आर एस पाण्डेय/R S Pandey
कार्यपालक निदेशक/Executive Director

अरुण श्रीवास्तव/ARUN SHRIVASTAVA
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/MANAGING DIRECTOR & CEO

लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र/AUDITORS' CERTIFICATE

हम, सिंडिकेटबैंक के अधोहस्ताक्षरी सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों ने, बैंक (''समूह'') के 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के उपर्युक्त नकदी उपलब्धता विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 32 की अपेक्षा के अनुसार तैयार किया गया है और यह तत्संबंधी लाभ और हानि लेखे में प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट में शामिल बैंक के तुलन-पत्र पर आधारित है और उससे मेल खाता है।

We, the undersigned Statutory Central Auditors of the SyndicateBank, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank ("the group") for the year ended 31.03.2017. The Statement has been prepared in accordance with the requirements of Clause 32 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges and is based on and is in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our Report.

कृते गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For **Ganesan and Company**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 000859एस/S

(जी हरि गोविंद)
साझेदार
(G Hari Govind)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 206563

कृते मणियन एंड राव
सनदी लेखाकार
For **Manian & Rao**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 001983एस/S

(परेश डागा)
साझेदार
(Paresh Daga)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 211468

कृते मेसर्स पी जी भागवत
सनदी लेखाकार
For **M/S P G Bhagwat**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 101118डब्ल्यू/W

(संदीप राव)
साझेदार
(Sandeep Rao)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 047235

कृते एस एन कपूर एंड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
For **S N Kapur & Associates**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 001545सी/C

(एस एन कपूर)
साझेदार
(S N Kapur)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 014335

कृते अगस्ती एंड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
For **Agasti & Associates**
Chartered Accountants
एफ आर एन/FRN : 313043ई/E

(राज कुमार अगस्ती)
साझेदार
(Raj Kumar Agasti)
Partner
सदस्यता सं./Membership No. 304920

स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru
दिनांक/Date : 09.05.2017

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

31 मार्च, 2017 का तुलन पत्र/BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2017

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	नोट सं. Notes No.	As at दि. 31.03.2017 को	As at दि. 31.03.2016 को
I इक्विटी और देयताएं/**EQUITY AND LIABILITIES**			
1 **शेयरधारकों की निधि/Shareholders Funds:**			
ए /a) शेयर पूँजी/Share Capital	3	**2,500,000**	2,500,000
बी/b) आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus	4	**126,958,929**	97,836,549
2 **आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन पत्र की राशि SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENTS**		–	–
3 **गैर–चालू देयताएं/NON-CURRENT LIABILITIES**			
ए /a) दीर्घावधि उधार/Long Term Borrowings			
बी/b) आस्थगित कर देयताएं (निवल)/Deferred Tax Liabilities (Net)			
सी/c) अन्य दीर्घावधि देयताएं/Other Long Term Liabilities			
डी/d) दीर्घावधि प्रावधान/Long Term Provisions	5	**2,274,609**	423,404
4 **चालू देयताएं/CURRENT LIABILITIES**			
ए /a) अल्पावधि उधार/Short Term Borrowings			
बी/b) व्यापार देय राशि/Trade Payables			
सी/c) अन्य चालू देयताएं/Other Current Liabilities	6	**3,858,213**	883,936
डी/d) अल्पावधि प्रावधान/Short Term Provisions	7	**619,400**	516,068
कुल/TOTAL		**136,211,151**	102,159,957
II **आस्तियां/ASSETS**			
1. **गैर–चालू आस्तियां/NON-CURRENT ASSETS**			
ए /a) अचल आस्तियां/Fixed Assets			
(i) मूर्त आस्तियां/Tangible Assets	8	**304,016**	568,599
(ii) अमूर्त आस्तियां/Intangible Assets		–	–
(iii) प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital Work in Progress		–	–
(iv) अमूर्त आस्तियां जो प्रक्रियाधीन है/Intangible Assets under Development		–	–
बी/ b) गैर–चालू निवेश/Non-Current Investments		–	–
सी/c) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)/Deferred Tax Asset (Net)	9	**995,260**	809,454
डी/d) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम/Long Term Loans and Advances	10	**1,500**	1,500
ई/e) अन्य गैर–चालू आस्तियां/Other Non-Current Assets			
2. **चालू आस्तियां/CURRENT ASSETS**			
ए /a) चालू निवेश/Current Investments		–	–
बी/ b) माल सूची/Inventories		–	–
सी/c) व्यापार प्राप्य राशियां/Trade Receivables	11	**4,609,126**	8,086,728
डी/d) नकद और नकदी समतुल्य राशि /Cash and Cash Equivalents	12	**128,744,212**	89,454,308
ई/e) अल्पावधि ऋण और अग्रिम/Short Term Loans and Advances	13	**470,380**	508,433
एफ/f) अन्य चालू आस्तियां/Other Current Assets	14	**1,086,658**	2,730,935
कुल/TOTAL		**136,211,151**	102,159,957
लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes on Accounts	2		

इसमें उल्लिखित नोट तुलन पत्र का अभिन्न भाग बनते हैं/Notes referred to herein forms an integral part of Balance Sheet

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(अरुण श्रीवास्तव/Arun Shrivastava)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव/CH. S. S. Mallikarjuna Rao)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(अतुल कुमार/Atul Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के मंजुनाथ/K. Manjunath)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के. जगन मोहन प्रह्लाद/K. Jagan Mohan Prahlad)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(डॉ. पी. नागमणि/Dr. P. Nagamani)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स देव आनंद एण्ड कं.
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 000721एस
As per our report of even date
For M/s DEV ANAND & CO.
Chartered Accountants
FRN: 000721S

ह/Sd/
(सी ए देव आनंद/C A Dev Anand)
साझेदार, सदस्यता सं./Partner, M. No. 026023

तारीख/Date : 05.05.2017
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

दि. 31-03-2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31-03-2017

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	ब्यौरे/PARTICULARS	नोट सं. Notes No.	**2016-17**	2015-16
I.	**परिचालन से प्राप्त राजस्व/Revenue From Operations**	15	**71,593,638**	48,790,627
II.	**अन्य आय/Other Income**	16	**7,479,131**	6,740,329
III.	**कुल राजस्व/Total Revenue**		**79,072,769**	55,530,956
IV.	**व्यय/Expenditure :**			
	वेतन और भत्ते/Salary & Allowances	17	**7,314,232**	8,632,835
	परिचालन व्यय/Operational Expenses	18	**28,367,417**	17,106,302
	मूल्यह्रास/Depreciation	8	**263,865**	166,869
	बट्टे खाते में डाले गए अग्रिम आयकर के अंतर्गत धन वापसी Refunds under Advance IT Written off		**221,016**	
V.	**कुल व्यय/Total Expenses**		**36,166,530**	25,906,006
VI.	**कर से पहले लाभ/Profit Before Tax**		**42,906,239**	29,624,950
VII.	**कर संबंधी व्यय/Tax Expenses**			
	– चालू कर/Current Tax		**13,969,665**	9,976,195
	– आस्थगित कर/Deferred Tax		**-185,806**	-165,380
VIII.	**उक्त अवधि के लिए लाभ/Profit for the Period**		**29,122,380**	19,814,135
IX.	ईपीएस – मूल और ह्रासमान (अंकित मूल्य ₹ 10/-) EPS – Basic and Diluted (Face value of ₹10/-)		**116.49**	79.26
	लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes to Accounts	2		
	इसमें उल्लिखित नोट, लाभ व हानि लेखे का अंतिम भाग बनते हैं Notes referred to herein forms an integral part of Profit and Loss Account			

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(अरुण श्रीवास्तव/Arun Shrivastava)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव/CH. S. S. Mallikarjuna Rao)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(अतुल कुमार/Atul Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के मंजुनाथ/K. Manjunath)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के. जगन मोहन प्रह्लाद/K. Jagan Mohan Prahlad)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(डॉ. पी. नागमणि/Dr. P. Nagamani)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स देव आनंद एण्ड कं.
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 000721एस
As per our report of even date
For M/s DEV ANAND & CO.
Chartered Accountants
FRN: 000721S

ह/Sd/
(सी ए देव आनंद/C A Dev Anand)
साझेदार, सदस्यता सं./Partner, M. No. 026023

तारीख/Date : 05.05.2017
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

टिप्पणियाँ जो तुलन पत्र का भाग बनती हैं

NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	As at दि. 31.03.2017 को	As at दि. 31.03.2016 को
नोट सं./Note No. 3: शेयर पूंजी/SHARE CAPITAL		
प्राधिकृत/Authorised :		
1,00,00,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10/1,00,00,000 equity shares of ₹10 each	**100,000,000**	100,000,000
(पी.वाई. 1,00,00,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10)/(P.Y. 1,00,00,000 equity shares of ₹10 each)		
निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी/Issued, subscribed and paid up Capital		
2,50,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10 पूर्णतया प्रदत्त/2,50,000 equity shares of ₹ 10 each fully paid	**2,500,000**	2,500,000
(पी.वाई. 2,50,000 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10 पूर्णतया प्रदत्त)/(P.Y. 2,50,000 equity shares of ₹ 10 each fully paid)		
उपर्युक्त सभी शेयर सिंडिकेटबैंक तथा इसके नामिती द्वारा धारित हैं/All the above shares are held by SyndicateBank and its Nominees		
कुल/Total	**2,500,000**	2,500,000
नोट सं./Note No. 4: आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus		
सामान्य आरक्षित निधि/General Reserve:		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेषराशि/Balance as per Last Financial Statement	**13,199,492**	11,218,078
जोडें: लाभ व हानि लेखा विवरण में शेष अधिशेष से अंतरित रकम Add: Amount transferred from Surplus Balance in the Statement	**2,912,238**	1,981,414
इतिशेष/Closing Balance	**16,111,730**	13,199,492
लाभ व हानि लेखा विवरण में अधिशेष/Surplus in the Statement of Profit and Loss:		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेषराशि/Balance as per Last Financial Statement	**84,637,057**	66,804,336
वर्ष के लिए लाभ/Profit for the Year	**29,122,380**	19,814,135
घटाएं/Less: विनियोजन/Appropriations		
सामान्य आरक्षित निधि को अंतरण/Transfer to General Reserve	**2,912,238**	1,981,414
लाभ व हानि लेखा विवरण में निवल अधिशेष/Net Surplus in the Statement of Profit and Loss A/c	**110,847,199**	84,637,057
नोट सं./Note No. 5: दीर्घावधि प्रावधान/Long Term Provisions		
उपदान के लिए प्रावधान/Provision for Gratuity	**2,274,609**	423,404
कुल/Total	**2,274,609**	423,404
नोट सं./Note No. 6: अन्य चालू देयताएँ/Other Current Liabilities		
पीएफ में प्रबंधन का अंशदान/Mgmt. cont. PF	**1,071,086**	252,667
व्ययों के लिए लेनदार/Creditors for Expenses	**2,716,127**	551,754
देय आय कर/Income Tax Payable	**71,000**	
देय टीडीएस/TDS Payable		
उचंत व्यावसायिक कर/Professional Tax Suspense		
उचंत/Suspense		79,515
कुल/Total	**3,858,213**	883,936
नोट सं./Note No. 7: अल्पावधि प्रावधान/Short Term Provisions		
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान/Provision for Leave Encashment	**619,400**	516,068
कुल/Total	**619,400**	516,068

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

नोट सं./Note No. 8 : अचल आस्तियाँ/Fixed Assets

	सकल खण्ड/Gross Block				मूल्यह्रास खण्ड/Depreciation Block					निवल खण्ड/Net Block	
ब्यौरे/Particulars	दि. 01.04.2016 को शेष राशि Balance as on 01.04.2016	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the Year	वर्ष के दौरान अपमार्जन Deletion during the year	**दि. 31.03.2017 को शेष राशि Balance as on 31.03.2017**	दि. 01.04.2016 को प्रारंभिक शेष Opening Balance 01.04.2016	मूल्यह्रास की दर Depn. Rate	वर्ष के लिए परिवर्धन Additions for the Year	वर्ष के दौरान अपमार्जन Deletion during the year	**दि. 31.03.2017 को शेष राशि Balance as on 31.03.2017**	दि. 31.03.2016 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 31.03.2016	**दि. 31.03.2017 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 31.03.2017**
मूर्त आस्तियाँ: Tangible Assets:											
फर्नीचर/Furniture	87,214	-		**87,214**	72,778	15.00%	5,436		**78,214**	14,436	**9,000**
विद्युत जुडनार Electrical Fittings	24,450	-		**24,450**	20,008	20.00%	2,442		**22,450**	4,442	**2,000**
कंप्यूटर और पेरिफेरल्स Computer & Pheripherals	871,519	-	76,633	**794,886**	724,971	35.00%	81,781	75,915	**730,837**	146,548	**64,049**
मोबाइल फोन Mobile Phones	19,800	-		**19,800**	10,862	40.00%	5,338		**16,200**	8,938	**3,600**
वैक्यूम क्लीनर Vacuum Cleaner	7,790	-	7,790	**-**	5,305	20.00%	2,485	7,790	-	2,485	-
मोटर कार/Motor Car	644,570	-		**644,570**	252,820	20.00%	166,383		**419,203**	391,750	**225,367**
कुल/Total	**1,655,343**	-		**1,570,920**	**1,086,744**		**263,865**		**1,266,904**	**568,599**	**304,016**
पिछला वर्ष Previous Year	1,612,333	15,000	100,700	**1,526,633**	841,023		172,891	94,039	**919,875**	771,310	**606,758**

नोट सं./Note No. 9: आस्थगित कर/DEFERRED TAX

	आयकर अधिनियम के अनुसार As Per Income Tax Act	**वित्तीय विवरणियों के अनुसार As per Financial Statements**	**समयांतराल Timing Difference**	**समयांतराल पर कर Tax on Timing Difference**
निम्नलिखित के कारण अस्थाई अंतर Temporary Difference on Account of				
(i) मूल्यह्रास / Depreciation	112,954.00	263,865	(150,911)	48,233
(ii) उपदान हेतु प्रावधान / Provision For Gratuity	0	327,110	-327,110	104,547
(iii) छुट्टी भुनाने हेतु प्रावधान / Provision For Leave	0	103,332	-103,332	33,026
वर्ष के लिए आस्थगित कर आस्ति / Deferred Tax Asset for the Year				**185,806**
Deferred Tax Asset as on 01-04-2016 / दि. 01-04-2016 की स्थिति में आस्थगित कर आस्ति				**809,454**
दि. 31-03-2017 की स्थिति में आस्थगित कर आस्ति Deferred Tax Asset as on 31-03-2017				**995,260**

आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मूल्यह्रास का परिकलन/Calculation of depreciation under Income Tax Act, 1961

ब्यौरे/Particulars	**दि. 01.04.2016 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 01.04.2016**	**वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year**	**वर्ष के दौरान अपमार्जन Deletion during the year**	**दि. 31.03.2016 को शेष राशि Balance as on 31.03.2016**	**मूल्यह्रास की दर Depn. Rate**	**वर्ष के लिए मूल्यह्रास Depreciation for the Year**	**दि. 31.03.2017 को मूल्यह्रासित मूल्य WDV as on 31.03.2017**
फर्नीचर/Furniture	41015.00	0.00		41015.00	10.00%	4102.00	36913.00
कंप्यूटर और पेरिफेरल्स/Computer & pheripherals	60567.00		718.00	59849.00	60.00%	35909.00	23940.00
संयंत्र एवं मशीनरी/Plant & machinery	488774.00		2485.00	486289.00	15.00%	72943.00	413346.00
कुल/Total	**590356.00**	**0.00**	**3203.00**	**587153.00**		**112954.00**	**474199.00**

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

टिप्पणियाँ जो तुलन पत्र का भाग बनती हैं

NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	As at दि. 31.03.2017 को	As at दि. 31.03.2016 को
नोट सं./Note No. 10: दीर्घावधि ऋण और अग्रिम/Long Term Loans and Advances		
दूरभाष जमा/Telephone Deposits	**1,500**	1,500
कुल/Total	**1,500**	1,500
नोट सं./Note No. 11: व्यापार प्राप्य राशियां/Trade Receivable		
(बेजमानती, अच्छे समझे गए और छह महिने से कम)/(Unsecured, Considered good and less than six months)		
सिंडिकेटबैंक/SyndicateBank	**2,648,458**	7,326,678
अन्य/Others	**1,960,668**	760,050
कुल/Total	**4,609,126**	8,086,728
नोट सं./Note No. 12: नकद और नकदी समतुल्य राशि/Cash and Cash Equivalents		
नकदी शेष/Cash in Hand	–	–
अनुसूचित बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Scheduled Banks		
मीयादी जमाराशि में/In Term Deposit	**124,093,614**	87,987,233
चालू खाते में-सिंडिकेटबैंक/In Current A/c – SyndicateBank	**4,650,598**	1,467,075
कुल/Total	**128,744,212**	89,454,308
नोट सं./Note No. 13: अल्पावधि ऋण और अग्रिम/Short Term Loans and Advances		
कर्मचारी त्योहार अग्रिम/Staff Festival Advance	**411,290**	198,320
पूर्वदत्त बीमा/Prepaid Insurance	**8,420**	7,818
अग्रिम आय कर/टीडीएस/Advance Income Tax/TDS	**50,670**	302,295
फुटकर अग्रिम/Sundry Advance		
कुल/Total	**470,380**	508,433
नोट सं./Note No. 14: अन्य चालू आस्तियाँ/Other Current Assets		
जमाराशियों पर उपचित ब्याज/Interest Accrued on Deposits	**398,335**	1,620,682
प्राप्य सेवा कर/Service Tax Receivable	**688,323**	1,110,253
कुल/Total	**1,086,658**	2,730,935

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

टिप्पणियाँ जो लाभ व हानि लेखे का भाग बनती हैं

NOTES FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	2016-17	2015-16
नोट सं./Note No. 15: परिचालन से प्राप्त राजस्व/REVENUE FROM OPERATIONS		
हार्डवेयर परीक्षण प्रभार/Hardware Testing Charges	**5,843,463**	11,794,793
अनियमित खुदरा ऋणों की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सेवा प्रभार/Service charges for follow-up of Irregular Retail Loans	**15,964,975**	8,192,084
मेलर प्रेषण राजस्व/Mailer Despatch Revenue		
कार्ड वैयक्तीकरण आय/Card Personalisation Income	**36,356,992**	17,326,304
ई-फाइलिंग से प्राप्त आय/E-Filing Income		
सीएमएस-एसएमएस से प्राप्त आय/CMS-SMS Income		
इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड से प्राप्त आय/Internet Banking Password Income	**4,248,165**	2,419,840
कियोस्क वसूली से प्राप्त आय/KIOSK Collection Income	**4,534,419**	3,370,184
समाशोधन चेक वापसी नोटिस आय/Clg Cheque Ret. Notices Income		40,282
विविध सेवा से प्राप्त आय/Miscellaneous Service Income	**17,956**	169,851
आउटसोर्सिंग आय/Outsourcing Income	**4,627,668**	5,477,289
कुल/Total	**71,593,638**	48,790,627
नोट सं./Note No. 16: अन्य आय/OTHER INCOME		
बैंक ब्याज/Bank Interest	**7,479,131**	6,740,329
आय कर वापसी पर ब्याज/Interest on Income Tax Refund		
विविध आय/Miscellaneous Income	**–**	–
कुल/Total	**7,479,131**	6,740,329
नोट सं./Note No. 17: वेतन और भत्ते/SALARY AND ALLOWANCES		
कर्मचारियों का वेतन/Staff Salaries	**6,014,838**	7,384,699
पेंशन, भविष्य निधि और अन्य को अंशदान/Contribution to Pension, Provident and other Funds	**359,865**	252,667
उपदान और छुट्टी का नकदीकरण/Gratuity and Leave Encashment	**430,442**	423,404
अन्य भत्ते और परिलब्धियां/Other Allowances & perquisites	**433,065**	572,065
कर्मचारी कल्याण अतिरिक्त लाभ/Staff Welfare Additional benefit	**76,022**	
कुल/Total	**7,314,232**	8,632,835
नोट सं./Note No. 18: परिचालन संबंधी व्यय/OPERATIONAL EXPENSES		
कार्ड वैयक्तीकरण आय/Card Personalisation expenses	**18,979,540**	9,905,124
ई-फाइलिंग प्रभार/E-Filing charges	**9,418**	7,056
इंटरनेट बैंकिंग लेखन सामग्री व्यय/Internet Banking Stationary Expenses	**351,423**	286,345
खुदरा ऋण अनुवर्ती कार्रवाई व्यय /Retail Loan Follow up expense	**1,277,421**	727,815
दूरभाष प्रभार/Telephone charges	**128,388**	129,817
पंजीकरण और नवीकरण/Registration and Renewals	**5,000**	5,000
फाइलिंग शुल्क/Filing fees	**11,700**	16,678
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक/Auditor's Remuneration:		
लेखा परीक्षा शुल्क/Audit fees	**25,000**	20,000
कर लेखा परीक्षा शुल्क/Tax Audit fees	**20,100**	20,000
लेखा परीक्षा व्यय/Audit Expenses	**1,868**	22,943
एसएमएस प्रभार/SMS Charges	**102,619**	48,408

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

टिप्पणियाँ जो लाभ व हानि लेखे का भाग बनती हैं

NOTES FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

	2016-17	2015-16
यात्रा व्यय/Travelling Expenses	**116,577**	252,833
वाहन रख-रखाव व्यय/Vehicle Maintenance Expenses	**172,975**	244,268
सफाई व्यय/Cleaning expenses	**33,360**	26,050
कार बीमा/Car Insurance	**9,503**	1,016
डाक व्यय/Postal expenses	**5,050**	
मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	**67,548**	115,437
विराम और वाहन व्यय/Halting & Conveyance	**61,229**	27,936
कार्यालय का किराया/Office Rent	**336,000**	336,000
आंकड़ा प्रविष्टि प्रभार/Data Entry Charges	**495,423**	301,150
कंप्यूटर का रख-रखाव/Computer Maintenance	**29,900**	41,402
विविध व्यय/Miscellaneous Expenses	**84,616**	99,233
आयकर प्रदत्त निर्धारण वर्ष/Income Tax Paid AY 2016-17		48,140
विज्ञापन प्रभार/Advertisement Charges		46,148
विद्युत प्रभार/Electricity Charges	**36,000**	36,000
समाशोधन चेक वापसी नोटिस व्यय/Clg. Chq. Ret. Notice Expense		4,500
डाक व्यय/Postal Charges		3,552
कियोस्क वसूली व्यय/KIOSK Collection Expenses	**3,063,122**	2,360,900
बैठक और सम्मेलन व्यय/Meeting and Conference expenses	**13,836**	18,926
आउटसोर्सिंग व्यय/Outsourcing Expenses	**2,890,820**	1,953,625
मरम्मत/Repairs	**38,982**	
कुल/Total	**28,367,417**	17,106,302

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(अरुण श्रीवास्तव/Arun Shrivastava)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव/CH. S. S. Mallikarjuna Rao)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(अतुल कुमार/Atul Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के मंजुनाथ/K. Manjunath)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के. जगन मोहन प्रह्लाद/K. Jagan Mohan Prahlad)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(डॉ. पी. नागमणि/Dr. P. Nagamani)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स देव आनंद एण्ड कं.
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 000721एस
As per our report of even date
For M/s DEV ANAND & CO.
Chartered Accountants
FRN: 000721S

ह/Sd/
(सी ए देव आनंद/C A Dev Anand)
साझेदार, सदस्यता सं./Partner, M. No. 026023

तारीख/Date : 05.05.2017
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104
(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)
Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104
(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)
दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित नोट
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

अनुसूची सं. 2: लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

ए. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

इन वित्तीय विवरणों को प्रायोज्य अधिदेशात्मक लेखा मानकों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत उपबंधों के अनुसार उपचय आधार पर परंपरागत लागत के अंतर्गत तैयार किया गया है।

बी. राजस्व की पहचान

i) कारोबार प्रक्रिया बाह्यनियोजन (बी.पी.ओ.) सेवाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान, समय एवं सामग्री, निर्दिष्ट मूल्य और यूनिट मूल्य संविदाओं पर की गयी है। समय एवं सामग्री, यूनिट मूल्य संविदा से प्राप्त राजस्व की पहचान, प्रदान की गयी संगत सेवाओं के रूप में की गयी है। नियत कीमत संविदाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान आनुपातिक समापन पद्धति तथा समापन के स्तर निर्धारित करने की संविदागत लागत के अनुसार की गयी है।

ii) सेवा की पहचान, सेवा कर घटाने के बाद की जाती है।

iii) ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि तथा लागू होनेवाली दर को गणना में लेकर समय अनुपात के आधार पर की गयी है।

सी. अचल आस्तियाँ

अचल आस्तियों का मूल्यांकन संचित मूल्यह्रास को घटाने के बाद अभिग्रहण की परंपरागत लागत पर किया गया है।

कंपनी अचल आस्तियों के अभिग्रहण से संबंधित सभी प्रत्यक्ष लागतों का पूंजीकरण करती है।

डी. मूल्यह्रास

i) अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास को, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची XIV में दी गयी दरों और उसमें यथा निर्दिष्ट रीति के अनुसार अवलेखित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया गया है।

ii) आस्तियों में किए गए परिवर्धन पर मूल्यह्रास का प्रावधान उनके अभिग्रहण की तारीख को प्रचलित दरों पर आनुपातिक आधार पर किया गया है।

ई. आस्तियों की हानि

आस्तियों की रखाव राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है। यदि किसी आंतरिक/बाहरी घटकों के आधार पर हानि का संकेत मिलता है तो, जब कभी आस्तियों की रखाव रकम उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो हानि की पहचान की जाती है। वसूली योग्य राशि, आस्तियों के निवल बिक्री मूल्य और प्रयुक्त मूल्य से अधिक है।

एफ. कराधान

कर व्यय में, चालू और आस्थगित कर शामिल हैं। चालू कर का आंकन भारतीय आय कर अधिनियम के अनुसार कर प्राधिकारियों को भुगतान की जानेवाली रकम पर किया जाता है। आस्थगित आय करों की पहचान, आय के वित्तीय विवरण के निर्धारण तथा कर उद्देश्य हेतु उनकी पहचान करने के बीच के समय अंतर के लिए लगाए जाने वाले भावी कर के परिणामों के लिए की जाती है। कर की दरों में हुए परिवर्तन के कारण से आस्थगित कर आस्ति तथा देयताओं पर पड़नेवाले प्रभाव की पहचान, तुलन-पत्र की तारीख तक लागू कर की दरों और लागू किए गए या वास्तविक रूप से लागू किए गए कर संबंधी कानूनों का प्रयोग करते हुए आय लेखे में की गयी है। आस्थगित कर आस्तियों की केवल उस सीमा तक पहचान की गयी और आगे ले जाया गया है जिस पर यह यथोचित रूप से निश्चित हो कि पर्याप्त मात्रा में भावी कर योग्य आय उपलब्ध हो जिसके लिए ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ प्राप्त की जा सके। पिछले वर्ष की आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया गया और पहचान की गयी, जिस से भावी कर योग्य आय उपलब्ध है, जिसके प्रति आस्थगित कर आस्तियाँ प्राप्त हो सके।

Schedule No. 2 : Notes to Accounts

1. Significant Accounting Policies

A. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis in accordance with the applicable mandatory Accounting Standards and the relevant provisions of the Companies Act, 2013.

B. Revenue Recognition

i) Revenue from Business Process Outsourcing (BPO) services are recognized on time and material, fixed price and unit priced contracts. Revenue on time and material, unit priced contracts is recognized as the related services are rendered. Revenue from fixed price contracts is recognized as per the proportionate completion method with contract cost determining the degree of Completion.

ii) Services are Recognized net of Service Tax.

iii) Interest income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

C. Fixed Assets

Fixed Assets are stated at historical cost of acquisition less accumulated depreciation.

The company capitalizes all direct costs relating to the acquisition of the fixed assets.

D. Depreciation

i) Depreciation on fixed assets has been provided on Written Down Value method at the rates and in the manner prescribed in the Schedule XIV to the Companies Act, 2013.

ii) Depreciation on the additions to the assets is provided on pro-rata basis, at their respective rates with reference to the date of acquisition.

E. Impairment of Assets

The carrying amount of assets are reviewed at each Balance Sheet date. If there is any indication of impairment based on internal/external factors, an impairment is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use.

F. Taxation

Tax expense comprises of current and deferred tax. Current tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Indian Income Tax Act. Deferred income taxes are recognized for the future tax consequenses attributable to timing differences between the financial statement determination of income and their recognition for tax purposes. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in the tax rates are recognized in income using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. Deferred tax assets are recognized and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable incomes will be available against which such deferred tax assets can be realized. Unrecognized deferred tax assets of earlier year are reassessed and recognized to the extent that future taxable income will be available against which deferred tax assets can be realized.

जी. खण्डवार रिपोर्टिंग

कंपनी, मुख्यतः सिंडिकेटबैंक को बाह्य नियोजन सेवा प्रदान करनेवाली कंपनी के रूप में कार्य कर रही है। कंपनी, हार्डवेयर परीक्षण, रिटेल ऋण पर अनुवर्ती कार्रवाई, डाक प्रेषण, कार्ड वैयक्तीकरण सेवाएं, विभिन्न प्रकार के ग्राहक संबंधी आंकडों का संग्रहण तथा बैंकिंग परिचालनों से संबंधित अन्य सेवाएं प्रदान करती है।

इन सभी सेवाओं में समान प्रकार के जोखिम और प्रतिलाभ शामिल हैं। इसलिए पहचान की गयी एक ही रिपोर्ट योग्य खण्ड है, यानी, सिंडिकेटबैंक को बाह्य नियोजन सेवा प्रदान करना। कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खण्ड नहीं है।

एच. कर्मचारी लाभ

कंपनी के सभी कर्मचारी सिंडिकेटबैंक के स्थायी कर्मचारी हैं और वे प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं । सभी कर्मचारी लाभ-भविष्य निधि में सांविधिक अंशदान, पेंशन निधि, उपादान निधि और छुट्टी के नकदीकरण से संबंधित देयता का प्रावधान सिंडिकेटबैंक द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर किया गया है।

आई. आकस्मिक देयताएं

कोई आकस्मिक देयताएं नहीं हैं।

जे. प्रावधान

प्रावधानों की पहचान तभी की जाती है जब पिछले परिणामों के कारण से वर्तमान दायित्व शामिल होता है और यह संभव है कि उस दायित्व के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके । प्रावधानों को उसके वर्तमान मूल्य पर बट्टा नहीं किया गया है और उसका निर्धारण तुलन-पत्र की तारीख को दायित्व के निपटान करने के लिए अपेक्षित प्रबंधन प्राक्कलन के आधार पर किया गया है । इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है और मौजूदा प्रबंधन प्राक्कलन को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है ।

के. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी, सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप की गयी है जो प्रबंधक वर्ग को उन प्राक्कलनों तथा पूर्वानुमानों के लिए अपेक्षित है जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर रिपोर्ट की गई आस्तियों एवं देयताओं की राशियों तथा आलोच्य वर्ष के अंत में परिचालन संबंधी परिणामों को प्रभावित करता है । ये प्राक्कलन चालू परिणामों और कार्रवाइयों के संबंध में प्रबंधक वर्ग की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित होने के बावजूद वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकता है ।

एल. प्रति शेयर अर्जन

मूल प्रतिशेयर अर्जन का परिकलन, उक्त अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का प्रयोग करते हुए किया गया है । हटाया गया प्रति शेयर अर्जन का परिकलन, ईक्विटी की भारित औसत संख्या तथा उक्त अवधि के दौरान बकाया ह्रासमान ईक्विटी के बराबर शेयरों का प्रयोग करते हुए किया जाएगा, सिवाय उन मामलों में जहाँ परिणाम ह्रासमान न हो ।

G. Segment Reporting

The company operates as an outsourcing service provider to Syndicate Bank. The company provides services of Hardware testing, Retail loan follow-up, Mailer despatch, Card Personalisation services,creating various customer database and other services facilitating banking operations.

All these services have similar risk and returns. Thus, there is only one identified reportable segment that is outsourcing service to Syndicate bank. There is no reportable geographical segment either.

H. Employee Benefits

All the staff of the company are permanent employees of Syndicate Bank and are on deputation to the company. All the employee benefits - statutory contributions to Provident Fund, Pension Fund, Gratuity Fund and Liability towards Leave Encashment are provided based on information given by Syndicate Bank.

I. Contingent liabilities

There are no contingent liabilities.

J. Provisions

Provisions are recognized when there is present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provsions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

K. Use of Estimates

The preparation of financial statements in confirmity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities at the date of the financial statements and the results of operations during the reporting year end. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates.

L. Earning per share

Basic earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity and dilutive equity equivalent shares outstanding during the period except where the results would be anti-dilutive.

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसार विवरण

Statement Pursuant to Part IV of Schedule VI of the Companies Act, 2013

(रकम ₹ '000 में/Amount in ₹'000)

I.	**पंजीकरण के ब्यौरे/Registration details**	यू 72300 केए2006ओकेसीओ38305 / U72300KA2006OKCO38305		
	राज्य कूट/State Code	08	तुलन पत्र की तारीख/Balance Sheet Date	31-3-2017
II.	**वर्ष के दौरान जुटाई गई पूँजी/Capital raised during the year**			
	सार्वजनिक निर्गम/Public issue	0	अधिकार निर्गम/Right issue	0
	बोनस निर्गम/Bonus issue	0	निजी प्लेसमेंट/Private Placement	0
III.	**निधियों का संग्रहण और विनियोजन की स्थिति Position of Mobilisation and Deployment of Funds**			
	कुल देयताएँ/Total Liabilities	136211.15	कुल आस्तियाँ/Total Assets	136211.15
	निधियों का स्रोत/Sources of Funds :			
	प्रदत्त पूँजी/Paid up Capital	2500.00	आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus	126958.93
	जमानती ऋण/Secured Loans	0.00	बेजमानती ऋण/Unsecured Loans	0.00
	निधियों का अनुप्रयोग/Application of Funds:			
	निवल अचल आस्तियाँ/Net Fixed Assets	0.00	निवेश/Investments	0.00
	विविध व्यय/Misc. Expenditure	0.00	संचित हानि/Accumulated losses	0.00
	निवल चालू आस्तियाँ/Net Current Assets	134910.37	आस्थगित कर आस्ति/Deferred tax Asset	995.26
IV.	**कंपनी का निष्पादन/Performance of the Company**			
	आय/Income	79072.77	व्यय/Expenditure	36166.53
	कर से पहले लाभ/Profit before Tax	42906.24	कर के बाद लाभ/Profit after Tax	29122.38
	प्रति शेयर अर्जन/Earnings per Share ₹	116.49	लाभांश की दर/Dividend rate %	0.00
V.	**कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम Generic names of three principal products/services of the company :**			
	मद कूट सं (आईटीसी कूट)/Item Code No. (ITC Code):	लागू नहीं/N A		
	उत्पाद के ब्यौरे/Product description :	सेवाएँ/Services		

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(अरुण श्रीवास्तव/Arun Shrivastava)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव/CH. S. S. Mallikarjuna Rao)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(अतुल कुमार/Atul Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के मंजुनाथ/K. Manjunath)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के. जगन मोहन प्रह्लाद/K. Jagan Mohan Prahlad)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(डॉ. पी. नागमणि/Dr. P. Nagamani)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

तारीख/Date : 05.05.2017
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स देव आनंद एण्ड कं.
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 000721एस
As per our report of even date
For M/s DEV ANAND & CO.
Chartered Accountants
FRN: 000721S

ह/Sd/
(सी ए देव आनंद/C A Dev Anand)
साझेदार, सदस्यता सं./Partner, M. No. 026023

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104

(सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)

Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104

(A Wholly owned Subsidiary of SyndicateBank)

दि. 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2017

(रकम ₹ में/Amount in ₹)

ब्यौरे/Particulars	2016-17	2015-16
परिचालन क्रियाकलापों से नकदी उपलब्धता/CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
सतत परिचालन के संबंध में कराधान से पहले लाभ/Profit before tax from continuing operations	**42,906,239**	29,624,950
कराधान से पहले लाभ और निवल नकदी प्रवाह के समाधान हेतु किया गया गैर नकदी समायोजन Non-cash adjustment to Reconcile Profit before tax to Net Cash Flows		
सतत परिचालनों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Continuing Operations	**263,865**	166,869
उपदान/छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान/Gratuity/Leave Encashment Provisions	**1,851,205**	-1,009,103
आस्ति की बिक्री पर लाभ/Profit on sale of Assets		-27,385
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान/Leave Encashment Provision	**103,332**	
ब्याज आय/Interest Income	**-7,479,131**	-6,740,329
कार्यशील पूंजी के परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/Operating Profit before Working Capital Changes	**37,645,510**	22,042,387
कार्यशील पूंजी में उतार–चढ़ाव/Movement in Working Capital:		
व्यापार देय राशि में हुई वृद्धि/(कमी)/Increase/(decrease) in Trade Payable		
अन्य चालू देयताओं में हुई वृद्धि (कमी)/Increase/(decrease) in other Current Liabilities	**2,974,277**	-1,809,053
व्यापार प्राप्य राशियों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in trade receivable	**3,477,602**	-5,249,792
दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in long term loans and advances	**-**	-
अल्पावधि ऋणों और अग्रिमों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in short term loans and advances	**-213,572**	-41,414
अन्य चालू आस्तियों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in other current assets	**1,644,278**	826,350
परिचालनों से सृजित नकद/Cash generated from operations	**45,528,095**	15,768,479
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (वापसी को घटाकर)/Direct taxes paid (net of refund)	**-13,718,040**	-10,038,165
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह/Net cash flow from operating activities	**31,810,054**	5,730,314
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी/Net cash from operating activities	**31,810,054**	5,730,314
निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह/Cash flow from investing activities		
आस्ति की खरीद/Purchase of Assets	**-**	-128,710
आस्ति की बिक्री/बट्टा खाते में डाली गयी आस्ति/Sale of Assets/Asset Written off	**718**	
प्राप्त ब्याज/Interest received	**7,479,131**	6,740,329
निवेश कार्यकलापों से प्राप्त निवल नकद/Net cash from investing activities	**7,479,849**	6,611,619
वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/Cash flow from financing activities		
शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आगम राशि/Proceeds from issuance of share capital	**-**	-
वित्तीयन कार्यकलापों से प्राप्त निवल नकद/Net cash from financing activities	**-**	-
नकद और नकदी समतुल्य मदों में निवल वृद्धि/Net increase in cash & cash equivalents	**39,289,903**	12,341,933
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी के समतुल्य मदें/Cash & cash equivalents at the beginning of the year	**89,454,308**	77,112,375
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य मदें/Cash & cash equivalents at the end of the year	**128,744,211**	89,454,308
नोट: नकदी प्रवाह विवरण को नकदी प्रवाह विवरणों से संबंधित लेखाकरण मानक – 3 में निर्धारित किया गया है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिसूचित है। **Notes:** Accounting Standard-3 on Cash Flow Statements as per the Companies Act, 2013.		

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/
(अरुण श्रीवास्तव/Arun Shrivastava)
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/
(सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव/CH. S. S. Mallikarjuna Rao)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(अतुल कुमार/Atul Kumar)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के मंजुनाथ/K. Manjunath)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(के. जगन मोहन प्रह्लाद/K. Jagan Mohan Prahlad)
निदेशक/Director

ह/Sd/
(डॉ. पी. नागमणि/Dr. P. Nagamani)
प्रबंध निदेशक/Managing Director

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स देव आनंद एण्ड कं.
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 000721एस
As per our report of even date
For M/s DEV ANAND & CO.
Chartered Accountants
FRN: 000721S

ह/Sd/
(सी ए देव आनंद/C A Dev Anand)
साझेदार, सदस्यता सं./Partner, M. No. 026023

तारीख/Date : 05.05.2017
स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru

प्रिय शेयरधारक,

विषय: ईसीएस (जमा) के माध्यम से लाभांश का भुगतान/खाते में सीधे जमा।

1. कभी-कभी शेयरधारकों को डाक के जरिए वारंटों के प्रेषण द्वारा लाभांश के भुगतान की मौजूदा प्रणाली के अधीन निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
   ए) परेषण में हानि,
   बी) तृतीय पक्ष द्वारा कपटपूर्ण भुनाई,
   सी) डाक में देरी
2. इन समस्याओं से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लाभांशों/ ब्याज इत्यादि के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ई सी एस) की शुरुआत की है, जो शेयरधारकों के लिए उनके बैंक खातों में लाभांशों की समय से सीधे जमा सुनिश्चित करता है।
3. **आगे, भारतीय प्रतिभूति और एक्स्चेंज बोर्ड (सेबी) ने निदेश दिया है कि लाभांशों के वितरण के लिए ईसीएस सुविधा अनिवार्य है।**
4. ई सी एस के अधीन शेयरधारक सदस्य के बैंक खाते में लाभांश की रकम जमा की जाएगी। इस लेन-देन को कार्यान्वित करने के बाद बैंक शेयरधारक को सीधे एक सूचना पत्र जारी करेगा।
5. संप्रति, यह सुविधा कुछ विशिष्ट केन्द्रों में स्थित सभी बैंकों में खाता रखनेवाले शेयरधारकों को उपलब्ध है और भा.रि.बैं. इस सुविधा को अन्य केन्द्रों में भी शुरू करनेवाला है। विशेष रूप से केवल ई सी एस सुविधा प्राप्त करने के लिए, शेयरधारक के लिए नया बैंक खाता खोलने की आवश्यक नहीं है क्योंकि शेयरधारक के किसी भी मौजूदा बैंक खाते में रकम जमा की जाएगी।
6. कृपया नोट करें कि यदि आपने बैंक विवरण का कोई अधिदेश निर्देश वारंटों के अग्रभाग पर मुद्रित कराने हेतु पहले प्रस्तुत किया है तो उसे निरस्त समझा जाएगा और यदि आपने ई सी एस के लिए विकल्प दिया है तो ई सी एस अधिदेश दर्ज किया जाएगा।
7. **निवेशकों से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गये शेयरों के संदर्भ में अपने निक्षेपागार सहभागियों (डीपी) के साथ बैंक खाते ब्यौरे अद्यतन कराएं। कागज़ी रूप में रखे गये शेयरों के संदर्भ में इसके साथ संलग्न ईसीएस अधिदेश फार्म प्रस्तुत करें।**
8. आपसे अनुरोध है कि अपने बैंक खाते का पूरा ब्यौरा उसमें प्रस्तुत करें जहाँ लाभांश की रकम जमा की जानी है। अधिदेश फार्म में दी जाने वाली सूचना सही, पूर्ण और आपके बैंक द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। कृपया पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति और अपने बैंक द्वारा जारी एक चेक की फोटो प्रति या रद्द किया गया कोरा चेक संलग्न करें ताकि चेक के निचले हिस्से में सूचित आई एफ एस सी कूट और एम आई सी आर कूट पंक्ति (कोड लाईन) की यथातथ्यता सत्यापित की जा सके।
9. सिंडिकेट बैंक की सभी शाखाएं सी.बी.एस. (कोर बैंकिंग सोल्यूशन) परिवेश में कार्य कर रहीं है। हमारे पास बचत बैंक/चालू खाता/ओवरड्राफ्ट खाता रखने वाले निवेशकों से अनुरोध है कि वे संलग्न ई सी एस अधिदेश में अपनी 14 अंकों वाली खाता संख्या प्रस्तुत करें ताकि लाभांश को <u>सीधे</u> उनके खाते में जमा किया जा सके।
10. कृपया ई सी एस फार्म को विधिवत भर कर सीधे हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजंट अर्थात **मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड, यूनिट: सिंडिकेटबैंक,** कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट सं. 31 से 32, गचीबौली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद – 500 032 को अग्रेषित करें।
11. आपके द्वारा दी गई सूचना गुप्त रखी जाएगी और केवल भविष्य में लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से ही इस सूचना का उपयोग किया जाएगा।

भवदीय,

कृपा देवी

(टी एस कृपा देवी)
कंपनी सचिव

दिनांक: 25.05.2017

Dear Shareholder,

Sub: Payment of Dividend through ECS (Credit) /Direct Credit to the account.

1. At times, the Shareholders may face the following problems under the present system of payment of dividend by mailing of warrants, through post.
   a) Loss in transit,
   b) Fraudulent encashment by third parties,
   c) Postal delay
2. To avoid these problems, the Reserve Bank of India has introduced the Electronic Clearing Service (ECS) for payment of dividend/interest etc., that ensures the shareholders timely credit of dividends directly into their Bank Account.
3. **Further, the Securities & Exchange Board of India (SEBI) has directed that the use of ECS facility for distribution of dividend is mandatory.**
4. Under ECS, the Bank Account of the Shareholder member would be credited with the dividend amount. The Bank would be issuing an advice directly to the shareholder after the transaction is effected.
5. This facility is presently available to shareholders having Bank Account with all Banks at certain specified centres and RBI is proposing to extend this facility to other centres as well. The shareholder need not open any new Bank Account specially for availing ECS facility, as credit will be given to any existing Bank Account of the shareholder.
6. Kindly note that if any mandate instructions of Bank particulars for printing on the face of warrants have been furnished earlier by you, the same will stand cancelled and the ECS mandate will be taken on record, in case you opt for ECS.
7. **Investors are requested to update bank account details with their Depository Participants (DP) in respect of shares held in electronic form. ECS Mandate form annexed may be submitted in respect of shares held in physical form.**
8. We request you to furnish the details of your Bank Account, where the dividend is to be credited. The information to be supplied in the Mandate should be accurate, complete and certified by your Bank. Please attach a self-attested copy of PAN Card and a photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank for verifying the accuracy of the IFSC Code and MICR Code Line indicated at the bottom of the cheque.
9. All the branches of Syndicate Bank are operating under CBS (Core Banking Solutions) environment. The investors maintaining their Savings Bank/Current/Overdraft accounts with us are requested to provide us their 14 digit account number in the ECS Mandate for <u>DIRECT CREDIT</u> of dividend to their accounts.
10. Kindly send the ECS Form/Bank Mandate duly filled, directly to our Registrars and Share Transfer Agents viz. **M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit: SyndicateBank,** Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 – 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032.
11. The information provided by you will be kept confidential and would be utilised only for the purpose of remitting the future dividend payments.

Yours faithfully,

(T S Kripa Devi)
COMPANY SECRETARY

Date: 25.05.2017

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (क्रेडिट)

ईक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए ई सी एस अधिदेश फार्म

(केवल कागज़ी रूप में रखे गए शेयरों के लिए ही प्रस्तुत किया जाए)

ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT)

ECS MANDATE FORM FOR PAYMENT OF DIVIDEND ON EQUITY SHARES

(to be submitted only in respect of shares held in physical form)

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड
यूनिट : सिंडिकेटबैंक
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी,
प्लॉट सं.31 से 32, गचीबौली
फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद – 500 032

M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Unit : SyndicateBank
Karvy Selenium Tower B
Plot No. 31 – 32, Gachibowli
Financial District, Nanakramguda
Hyderabad – 500 032

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
   First Shareholder's Name (IN BLOCK LETTERS) :

2. पता/Address :

3. शेयरधारक की फोलियो संख्या/Shareholder's Folio No. :

4. बैंक खाते का विवरण/Particulars of Bank Account :

   ए) बैंक का नाम
   A) Bank Name :

   बी) शाखा का नाम तथा शहर (पिन कूट)
   B) Branch Name & City (Pin Code) :

   सी) खाता संख्या (जो चेक बुक पर लिखा गया है)
   C) Account No. (as appearing on the cheque book) :

   डी) खाते का प्रकार (कृपया निशान लगाएं)
   D) Account Type (Please tick) : ब.बैं. SB ☐ चालू Current ☐ नकदी उधार Cash Credit ☐
   (बचत बैंक खाता, चालू खाता या नकदी उधार)
   (SB Account, Current A/c or Cash Credit) :

   ई) बैंक खाते का खाता बही पन्ना सं. (यदि चेक बुक पर दिया गया है)
   E) Ledger Folio No. of the Bank A/c
   (If appearing on the Cheque Book) :

   एफ) बैंक द्वारा निर्गत एमआईसीआर चेक पर दिया हुआ बैंक तथा शाखा की 9 अंकवाली कूट संख्या
   F) 9-Digit Code No. of the Bank & Branch appearing on the MICR Cheque issued by the Bank : ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

कूट संख्याओं की शुद्धता सत्यापित करने के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी किए गए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित 'चेक पन्ने' की एक फोटोप्रति या निरस्त किया हुआ एक कोरा चेक संलग्न करें।

Please attach a photocopy of the 'Cheque Leaf' or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

घोषणा / DECLARATION

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण पूर्ण एवं सही है। अपूर्ण या गलत सूचना के कारण यदि लेन-देन में विलंब होता है या संपन्न ही नहीं होता है तो मैं सिंडिकेटबैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा/ठहराऊँगी ।

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold SyndicateBank responsible.

स्थान/Place :

दिनांक/Date :

प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर

Signature of the First Shareholder

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण हमारे अभिलेखों के अनुसार सही हैं ।

Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

स्थान/Place :

दिनांक/Date :

संबंधित बैंक के प्रबंधक के हस्ताक्षर

Signature of the Manager of Bank Concerned

टिप्पणी: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी फोलियो संख्या का अवश्य उल्लेख करें ।

NOTE : Shareholders are requested to furnish their Folio No. without fail.

अनुलग्नक: 1) एकल/प्रथम शेयरधारक के 'पैन' कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति।

ENCL: Self-attested copy of PAN Card of the sole/first shareholder.

2) बैंक खाते से संबंधित चेक पन्ने की प्रति/निरस्त किया गया चेक पन्ना।

Copy of/Cancelled Cheque Leaf of the Bank Account.

फॉर्म 2 बी

(नियम 4 सीसीसी एवं 5 डी देखें)

नामांकन प्रपत्र

(उन व्यक्तियों द्वारा भरा जाए जो अकेले या संयुक्त रूप से आवेदन कर रहे हैं)

मैं/हम...और...

और .... जो सिंडिकेटबैंक के फोलियो नं. ....

के अन्तर्गत शेयरधारक हूँ/हैं एतद्द्वारा निम्न व्यक्ति(यों) को नामित करता/करती हूँ /करते हैं, जिन्हें मेरी अथवा हमारी मृत्यु होने पर शेयरों के मामले में अंतरण और/अथवा देय रकम के बारे में सभी अधिकार होंगे ।

नामिती का नाम और पता

नाम : ____________________

पता : ____________________

____

जन्म तिथि* (* यदि नामिती नाबालिग हो)

**नामिती नाबालिग, जिसका संरक्षक ____________________

नाम और पता ____________________

____

(** यदि लागू नहीं है तो काट दीजिए)

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पता : ....

....

दिनांक :

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

पता : ....

दिनांक:

गवाह का नाम, पता और हस्ताक्षर:

नाम और पता	दिनांक सहित हस्ताक्षर
1. ____________________	____________________
2. ____________________	____________________

अनुदेश:

1. नामांकन केवल वे लोग कर सकते हैं जो अपने ही नाम पर या संयुक्त रूप से शेयर के लिए आवेदन करते हैं/शेयर रखते हैं। सोसाइटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझेदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसे गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं । यदि शेयर संयुक्त रूप से रखे जाते हैं, तो सभी संयुक्त धारक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। नमूने के लिए जगह दी गयी है । यदि कई संयुक्त धारक हैं तो अधिक पन्ने लगाये जा सकते हैं, जिस पर शेयर धारक व गवाह हस्ताक्षर करेंगे ।
2. नाबालिग को नामित किया जा सकता है, और उस स्थिति में तब उसके संरक्षक का नाम व पता धारक द्वारा दिया जाए ।
3. सोसायटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझीदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसे गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं । एक अनिवासी भारतीय प्रत्यावर्तनीय आधार पर नामिति हो सकता है ।
4. शेयर के अंतरण पर नामांकन समाप्त हो जाएगा ।
5. नामिती के पक्ष में शेयरों के अंतरण उसके कानूनी वारिस के प्रति बैंक का वैध उन्मोचन होगा।
6. नामांकन/नामांकन प्रपत्र के बारे में दी जानेवाली सूचना बैंक/रजिस्ट्रार एवं बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास दो प्रतियों में भरी जाए जो उसकी एक प्रति शेयरधारक को वापस लौटा देंगे।

कार्यालय उपयोग हेतु

क्र. सं. .... नामांकन प्रपत्र दिनांक .... को प्राप्त हुआ

पंजीकरण सं. .... दिनांक: ....

टिप्पणी: ....

....

अनुलग्नक : पैन कार्ड की स्व-अनुप्रमाणित प्रति

FORM 2B

(See rules 4 CCC and 5 D)

NOMINATION FORM

(To be filled in by individual(s) applying singly or jointly)

I/We...and..
and ………................................... the holder(s) of shares under the Folio No. .... of SyndicateBank wish to make a nomination and do hereby nominate the following person(s) in whom all rights of transfer and/or amount payable in respect of shares shall vest in the event of my or our death.

Name and Address of Nominee

Name : ______________________________

Address : ______________________________

____

Date of Birth* (* To be furnished in case the nominee is a minor)

**The Nominee is a minor whose guardian is ______________________________

Name and Address: ______________________________

____

(** To be deleted if not applicable)

Signature : ....

Name : ....

Address : ....

....

Date :

Signature : ....

Name : ....

Address : ....

Date :

Address, name and signature of witnesses :

Name and Address	Signature with date
1. ______________________________	______________________________
______________________________	
2. ______________________________	______________________________
______________________________	

Instructions:

1. The Nomination can be made by individuals only applying/holding shares on their own behalf singly or jointly. Non-individuals including society, trust, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family, holder of power of attorney cannot nominate. If the shares are held jointly, all joint holders will have to sign the nomination form. Space is provided as a specimen, if there are more joint holders more sheets can be added for signatures of holders of shares and witness.
2. A minor can be nominated by a holder of shares and in that event the name and address of the guardian shall be given by the holder.
3. The nominee shall not be a trust, society, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family or a power of attorney holder. A non-resident Indian can be a nominee on repatriable basis.
4. Nomination stands rescinded upon transfer of shares.
5. Transfer of shares in favour of a nominee shall be a valid discharge by the BANK against the legal heir.
6. The intimation regarding nomination/nomination form shall be filed in duplicate with Bank/Registrar & Share Transfer Agents of the Bank who will return one copy thereof to the shareholder.

FOR OFFICE USE

SL. NO. .... NOMINATION FORM RECEIVED ON ....

REGISTRATION NO. .... DATE: ....

REMARKS: ....

....

Encl : Self-attested copy of PAN Card

प्रिय शेयरधारक,

विषय: कॉरपोरेट अभिशासन में हरित पहल:
कागज़ रहित

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (''मंत्रालय'') ने कंपनियों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेपरलेस अनुपालन अपनाकर कॉरपोरेट अभिशासन में हरित पहल (ग्रीन इनीशिएटिव) लागू करने का निर्णय लिया है। हाल ही में, उक्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं. 17/2011 दि. 21.04.2011 और 18/2011 दि. 29.04.2011 के अनुसार कंपनियाँ अब अपने शेयरधारकों को विभिन्न नोटिसें/दस्तावेजों (वार्षिक आम बैठक से संबंधित बुलावा पत्र, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट इत्यादि) को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकती हैं।

समाज के व्यापक हित की दृष्टि से यह एक अनूठी पहल है। इस से कागज की खपत बहुत कम होगी और आम जनता के लिए हरा-भरा पर्यावरण प्रदान करने के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं।

बैंक के प्रत्येक शेयरधारक के लिए यह एक सुनहरा अवसर है क्योंकि वह बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संसूचना प्राप्त करने के लिए केवल आपको अपना ई-मेल आई. डी. बैंक के पास पंजीकृत कराना होगा।

ई-मेल संसूचना के लिए पंजीकरण करने से मिलनेवाले लाभ

- संसूचना तत्काल प्राप्त होगी।
- कागज की खपत कम होगी और पेड़ों को बचाया जा सकता है।
- डाक प्रेषण के दौरान दस्तावेज के गुम होने से बचा जा सकता है।

यदि आप कोई अन्य ई-मेल आई.डी. पंजीकृत करवाना चाहते हैं तो, कृपया उसे अपने डी.पी. में अद्यतन कराएं (यदि उसका शेयर इलेक्ट्रॉनिक फार्म में है तो) और (यदि आपके शेयर कागज़ी फार्म में है तो) मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्राईवेट) लिमिटेड के पास तत्काल अद्यतन करवाएं।

बैंक, वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्टें, उन निवेशकों के पंजीकृत ई-मेल आई.डी. पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित करेगा जिन्होंने उक्त सुविधा हेतु विकल्प दिए हैं ।

कृपया नोट करें कि यदि आप फिर भी सभी संसूचनाओं को कागज़ी रूप में ही प्राप्त करना चाहते हैं तो, बैंक उसे आपको नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी।

आइए, हम इस 'हरित पहल' (ग्रीन इनीशिएटिव) में सहभागी बनें।

शुभकामनाओं सहित।

भवदीय,

कृपा देवी

(टी एस कृपा देवी)

Date: 25.05.2017

कंपनी सचिव

Dear Shareholder,

RE: Green Initiative in Corporate Governance:
Go Paperless

The Ministry of Corporate Affairs ("Ministry") has taken a "Green Initiative in Corporate Governance" by allowing paperless compliances by companies through electronic mode. In accordance with the circular bearing no.17/2011 dated 21.04.2011 and 18/2011 dated 29.04.2011 issued by the Ministry, companies can now send various notices/ documents (including notice calling Annual General Meeting, Audited Financial Statements, Directors' Report, Auditors' Report etc.) to their shareholders through electronic mode, to the registered email addresses of the shareholders.

It is a welcome move for the society at large, as this will reduce paper consumption to a great extent and allow public at large to contribute towards a greener environment.

This is also a golden opportunity for every shareholder of the Bank to contribute to the Corporate Social Responsibility initiative of the Bank. All you have to do is to register your e-mail id with the Bank to receive communication through electronic mode.

ADVANTAGES OF REGISTERING FOR E-COMMUNICATION

- Receive communication promptly
- Reduce paper consumption and save trees
- Avoid loss of document in postal transit

In case you desire to have a different e-mail id to be registered, please update the same in your DP (if you are holding shares in electronic form) and with M/s Karvy Computershare (P) Ltd. (if you are holding shares in physical form) immediately.

The Bank will be sending Annual Reports 2016-2017, to the investors who have opted through electronic mode to the registered email–IDs of the Investors.

Kindly note that if you still wish to get a physical copy of all the communications, the Bank undertakes to provide the same at no extra cost to you.

Let's be part of this 'Green Initiative'.

With warm regards

Yours faithfully,

(T S Kripa Devi)

Date: 25.05.2017

COMPANY SECRETARY

पते में परिवर्तन –अभिलेखों को अद्यतन करने हेतु अनुरोध

सेवा में,

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड
यूनिट: सिंडिकेटबैंक
कार्वी सेलेनियम टावर बी
प्लॉट सं.: 31 से 32, गचीबौली
फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद – 500 032

प्रिय महोदय,

विषय: पते में परिवर्तन

मैं/हम एतद्द्वारा आपसे अनुरोध करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि पंजीकरण फोलियो सं. एस वाई एन .... के लिए मेरे/हमारे पते को अपने अभिलेखों में अद्यतन करें ।

पुराना पता **नया पता**

शहर :

राज्य :

पिन कूट :

ई मेल आई डी :

दूरभाष संख्या :

आपके अनुरोध पर, मैं/हम इसके साथ पते के पहचान की स्व–प्रमाणित प्रति तथा पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न कर रहा हूँ/रही हूँ/रहे हैं ।

कृपया पुष्टि करें कि परिवर्तित पते को अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया है।

दिनांक: भवदीय,

(________________________________)
प्रथम तथा संयुक्त धारक/कों के हस्ताक्षर
(पंजीकृत नमूने के अनुसार)

अनुलग्नक:
1. पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति।
2. पता प्रमाण (स्व–प्रमाणित दूरभाष बिल / नवीनतम बिजली बिल / पासपोर्ट / मतदान पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेन्स / बैंक पासबुक जिसमें पता हो, के पहले पृष्ठ की प्रमाणित प्रति आदि।

REQUEST FOR UPDATION OF RECORDS – CHANGE OF ADDRESS

To

Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Unit : SyndicateBank
Karvy Selenium Tower B
Plot No.: 31 – 32, Gachibowli
Financial District, Nanakramguda
Hyderabad – 500 032

Dear Sir,

Reg: Change of Address

I/We hereby request you to please update my/our change in address in your records for the Registered Folio No.: SYN.............................

Old Address | **New Address**

City :

State :

Pin Code :

Email ID :

Phone No. :

As requested by you, I / We am / are attaching herewith self-attested copy of Proof of Address (POA) and self-attested copy of PAN Card.

Kindly confirm having recorded the changed address.

Date : Yours faithfully,

(________________________________)
Signature of the First and Jt. Holder(s)
(as per specimen Registered)

Enclosures:
1. Self-attested copy of PAN card.
2. Address Proof (Self-attested copy of Telephone Bill/Electricity Bill as on a recent date/Passport/Voters ID Card/Driving Licence/Attested copy of I page of Bank Passbook containing address, etc.)

सभी शेयरधारकों से अपील

प्रिय शेयरधारक,

संदर्भ: अप्रदत्त लाभांश

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 (दि.16.10.2006 से लागू) की शर्तों के अनुसार वे लाभांश जो अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित करने की तारीख से 7 वर्ष की अवधि तक बैंक के पास अदत्त रह जाते हैं, उन्हें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आई ई पी एफ) में अंतरित किया जाना है। उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करते हुए ऐसी सभी धनराशियों को जो सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावी रहती हैं, उन्हें दि. 16.10.2013 से निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया जाएगा।

वर्ष 2008-2009 तक के अप्रदत्त लाभांश को भारत सरकार के आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है। **उन शेयरधारकों ने जिन्होंने अपने लाभांश वारंट, वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-2012, 2012-2013 एवं अंतरिम तथा वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015 के अंतिम लाभांश वारंटों को नहीं भुनाया हो उनसे अनुरोध है कि वे अपने अप्रदत्त लाभांशों का दावा करने के लिए सहायता हेतु बैंक के निवेशक संपर्क केन्द्र,कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु से संपर्क करें।**

सेबी ने अधिदेश दिया है कि लाभांश को निवेशकों के बैंक खाते में एन ईएफटी/ऑन-लाइन के माध्यम से सीधे जमा करें । हमारा आपसे अनुरोध है **यदि कागज़ी रूप में शेयर रखें हैं तो** आप अपने बैंक खाते के ब्यौरे को पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति और निरस्त चेक पन्ने के साथ-साथ इस रिपोर्ट में संलग्न ई सी एस अधिदेश में भरकर निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत करें ताकि भविष्य में बैंक के लाभांश को सीधे जमा करने में सुविधा हो।

''कंपनी सचिव, सिंडिकेटबैंक, कॉरपोरेट कार्यालय, निवेशक संपर्क केंद्र, गाँधीनगर, बेंगलूरु – 560 009''.

यदि शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक फार्म में रखा गया है तो जिस डिपॉजिटरी सहभागी (डी पी) के पास डी मैट खाते को रखा गया है उसके पास अपने बैंक खाते के ब्यौरे अद्यतन करें।

भवदीय,

कृपा देवी

(टी एस कृपा देवी)
कंपनी सचिव

दिनांक : 25.05.2017

दूरभाष सं.: 080 22283030
ई-मेल आईडी : inrc@syndicatebank.co.in
syndinvest@syndicatebank.co.in

Appeal to all Shareholders

Dear Shareholder,

RE: Unpaid Dividends

In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 (which has come into force from 16.10.2006), the dividends remaining unpaid with the Bank for a period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend account, are liable to be transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under sub-section (1) of Section 125 of the Companies Act, 2013. In compliance of the above guidelines, all such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund, commencing from 16.10.2013.

Unpaid dividends till Final 2008-2009 have already been transferred to IEPF of Government of India. **Such of those shareholders, who have not encashed their Dividend Warrants for the year(s) 2009-10, 2010-11, 2011-2012, 2012-2013 and Interim and Final Dividend 2013-2014, 2014-2015 are requested to approach the Company Secretary at Investor Relations Centre of the Bank at Corporate Office, Bengaluru for assistance in claiming their unpaid dividends.**

SEBI has mandated credit of dividend directly to the Bank account of investors through NEFT/online. We request you to update Bank account details by submitting ECS Mandate annexed to this report alongwith self-attested copy of PAN Card and cancelled cheque leaf to our office at the following address, **if the shares are held in physical form,** to facilitate direct credit of future dividends of the Bank.

"The Company Secretary, Syndicate Bank, Corporate Office, Investor Relations Centre, Gandhinagar, Bengaluru 560 009".

If the shares are held in Electronic form, Address and Bank account details may be updated with the Depository Participant (DP) with whom Demat account is maintained.

Yours faithfully,

(T S Kripa Devi)
COMPANY SECRETARY

Date : 25.05.2017

Phone No. 080 22283030
Email ID : inrc@syndicatebank.co.in
syndinvest@syndicatebank.co.in

प्रथम शाखा
First Branch

कॉरपोरेट कार्यालय
Corporate Office

लंदन शाखा
London Branch

एसआईबीएम, मणिपाल
SIBM, Manipal

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
Faithful. Friendly
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

www.syndicatebank.in